



बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**



BCC:ISD:118:16:262

29.05.2026

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA
--	---

Madam/Dear Sir,

Re : Bank of Baroda - Annual Report 2025-26.

Please find enclosed Annual Report including notice of the 30th Annual General Meeting of the Bank for the financial year 2025-26.

The same is also available on the website of the Bank at <https://bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/annual-reports>.

We request you to take note of the above under Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the same on your website.

Yours faithfully,

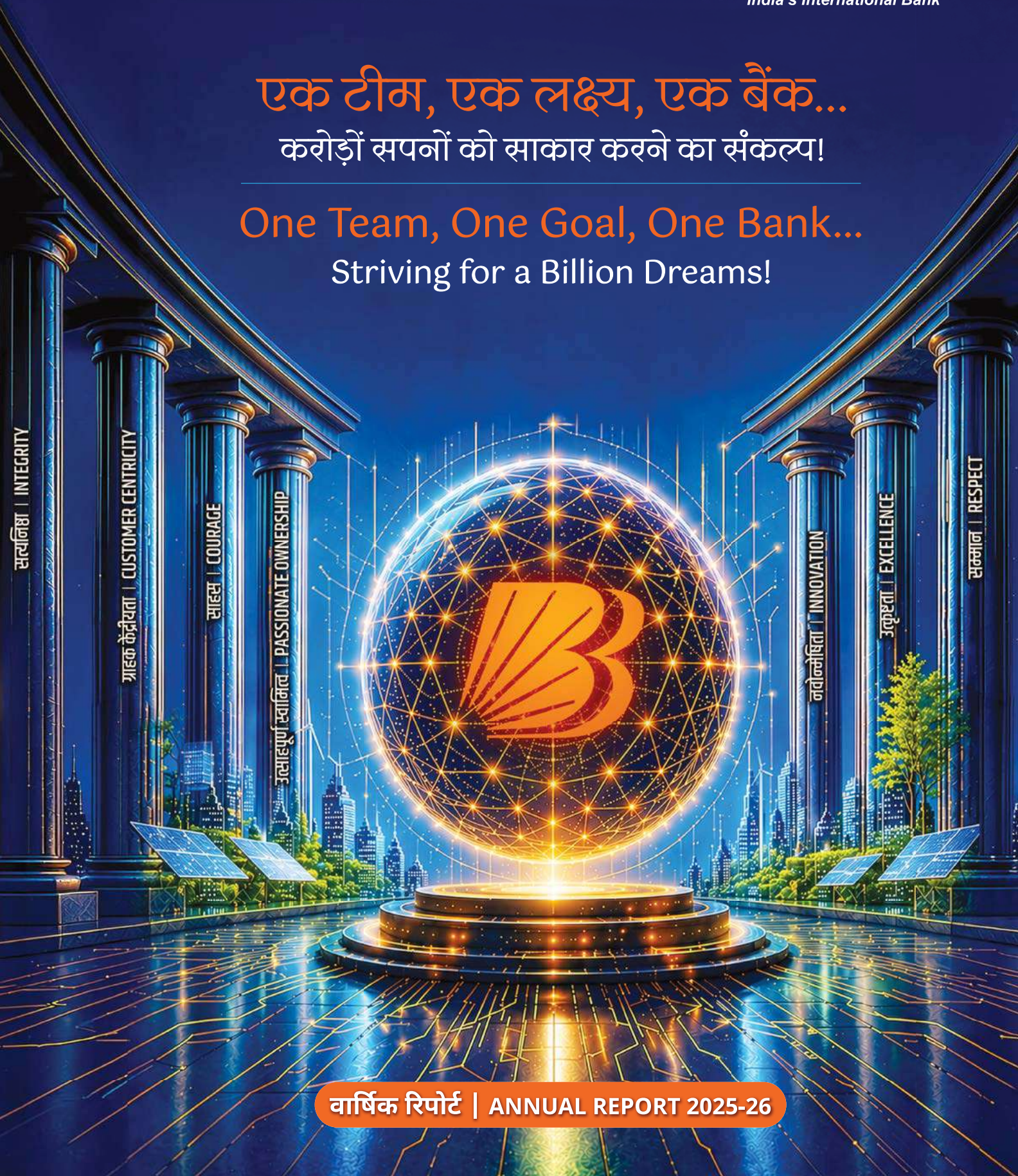
S Balakumar
Company Secretary

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051, भारत.

Baroda Corporate Centre, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051, India फोन / Ph : 91 22 6698 5812 ई मेल / E Mail :
companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in वेब / Web : www.bankofbaroda.bank.in

एक टीम, एक लक्ष्य, एक बैंक...
करोड़ों सपनों को साकार करने का संकल्प!

One Team, One Goal, One Bank...
Striving for a Billion Dreams!





A WORLD THAT IS...

Future Ready

INVEST IN FIXED DEPOSIT/SDP | FUND TRANSFER
RECHARGE & BILL PAYMENTS | DIGITAL LOANS
INVESTMENT IN IPOs | MUTUAL FUNDS & INSURANCE SERVICES
HOTEL, FLIGHT, BUS & TRAIN BOOKING (IRCTC) | SHOPPING



DOWNLOAD APP NOW



T&C Apply

बैंक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेन-देन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिससे ग्राहकों की सुविधा और समग्र अनुभव में अभिवृद्धि हो रही है। बैंक के सुदृढ़ डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम में बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड यूपीआई, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम, कैश रीसाइक्लर मशीनें (सीआरएम), सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटर (एस2एसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल पेमेंट सर्विस (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म और सेवाएं शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 तक की स्थिति में बैंक 9,538 एटीएम और 2,059 कैश रीसाइक्लर्स के नेटवर्क के साथ-साथ 18 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का संचालन कर रहा है।

वित्तीय समावेशन पहुंच और स्थिरता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने 'बॉब इनसाइट ब्रेल डेबिट कार्ड' जैसे अभिनव डेबिट कार्ड वेरिएंट पेश किए हैं जो उभरे हुए चिह्नों के साथ दृष्टिबाधित ग्राहकों को आसानी से कार्ड की पहचान करने और उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। बैंक ने अपनी हरित बैंकिंग पहल के तहत बॉब भूमि रुपये सेलेक्ट डेबिट कार्ड भी पेश किया है जो रिसायकल्ड पीवीसी (आर-पीवीसी) से बना है और पारंपरिक प्लास्टिक कार्डों के स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। बैंक ने रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए एंड टू एंड निर्बाध डिजिटल जर्नी को सक्षम बनाकर अपनी डिजिटल ऋण देने की क्षमताओं को सुदृढ़ करना जारी रखा है।

बैंक ने जेन एआई आधारित वर्चुअल फ्रंट ऑफिस (वीएफओ) डिवाइस भी पेश किया है। यह एआई-पावर्ड, टच-इनेबल्ड 3D अवतार इंटरैक्शन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने बॉब संवाद नामक एक बहुभाषी एआई-सक्षम इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप्लिकेशन की शुरुआत की है, जो ग्राहकों को वास्तविक समय में उनकी पसंदीदा भाषाओं में सुचारु रूप से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म भाषाई बाधाओं को दूर करके शाखा कर्मचारियों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने और भारत के विविध भाषाई परिवेश में ग्राहकोन्मुखी सेवा अनुभव प्रदान करने में मदद करता है।

The Bank remains committed to digital transformation and continues to drive the migration of transactions to digital channels, enhancing customer convenience and experience. Its robust digital banking ecosystem includes platforms and services such as bob World, bob World UPI, Baroda Connect, Debit and prepaid cards, BHIM Aadhaar, ATMs, Cash Recycler Machines (CRMs), Self-Service Passbook Printers (S2SPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR and Point of Sale (POS) systems. As on 31 March 2026, the Bank operated a network of 9,538 ATMs, 2,059 CRMs and 18 Digital Banking Units.

Furthering its focus on financial inclusion, accessibility and sustainability, the Bank introduced innovative debit card variants such as the bob inSIGHT Braille Debit Card, featuring embossed markings that enable visually impaired customers to identify and use the card with ease. In line with its Green Banking initiatives, the Bank also launched the bob Bhoomi RuPay Select Debit Card, made from recycled PVC (rPVC), offering an eco-friendly alternative to conventional plastic cards. The Bank continues to strengthen its digital lending capabilities, enabling seamless end-to-end digital journeys for customers across Retail, MSME and Agriculture segments.

The Bank has also introduced a Gen AI-based Virtual Front Office (VFO) device to facilitate access to banking services through AI-powered, touch-enabled 3D avatar interactions. Additionally, the Bank launched bob SAMVAD, a multilingual AI-enabled interaction platform that enables real-time communication in customers' preferred Indian languages. By bridging language barriers, the platform helps branch staff better understand customer needs, resolve queries faster and deliver a more consistent service experience across India's diverse linguistic landscape.



**Lifestyle Perks,
Easy Rewards...
a Savings Account
that Keeps Up With You.**

Play the Masterstroke with

bob
Masterstroke Lite
SAVINGS ACCOUNT



SCAN TO APPLY

*T&C Apply

बैंक ने जमा वृद्धि को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न निर्णायक पहलें की हैं, जिनमें अभिनव उत्पाद पेशकश, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि और कासा संग्रहण को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास शामिल हैं। एक साथ विभिन्न उत्पादों की पेशकश, विशिष्ट ग्राहक वर्गों के लिए विशेष समाधान और मजबूत रिटेल की सुदृढ़ स्थिति ने इन पहलों को समग्रता प्रदान की है, जिसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेट के दिग्गज श्री सचिन तेंदुलकर के साथ लगातार जुड़े रहने का भी समर्थन प्राप्त हुआ है।

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) और टैब-आधारित ऑनबोर्डिंग के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस खाता खोलने की प्रक्रिया को संवर्धित करने पर विशेष जोर दिया है। इन पहलों ने एक सहज और सुविधाजनक ग्राहक अनुभव प्रदान करते हुए परिचालन दक्षता में सुधार किया है। इसके अलावा, बैंक ने प्रीमियम, सेगमेंट-केंद्रित उत्पादों की व्यापक शृंखला को एक साथ पेश किया है, जिसमें मास्टरस्ट्रोक लाइट बचत बैंक खाता, बॉब वूमेन सफायर बचत बैंक खाता और बॉब एस्पिर एनआरई बचत बैंक खाता शामिल है। यह ग्राहक-केंद्रित नवाचार के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

बैंक ने कासा व्यवसाय जुटाने की दृष्टि से उपयोगी साधनों यथा पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स युक्त क्यूआर कोड, इंटरनेट पेमेंट (आईपी) सॉल्यूशन और बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (बीसीएमएस) की पहुंच और उपयोग के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया। निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष' (DEAF) के तहत निपटान को सुगम बनाने और 'शून्य-शेष खातों' में जमा को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित प्रयास किए गए, जिससे जमा संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार हुआ और खातों की सक्रियता बढ़ी। इसके अलावा, बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट - एक विशेष सावधि जमा योजना है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायित्वपूर्ण पहलों के फायदा को बढ़ावा देना है जिसे उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है।

The Bank has undertaken a range of strategic initiatives to strengthen deposit growth, focusing on innovative product offerings, enhanced customer convenience through digital onboarding and sustained efforts to deepen CASA mobilisation. These initiatives are complemented by bundled offerings, customised solutions for identified customer segments and a reinforced retail positioning, supported by the continued association with cricket legend Shri Sachin Tendulkar as Global Brand Ambassador.

During the year, the Bank placed significant emphasis on advancing digital and paperless account opening through the Video Customer Identification Process (VCIP) and TAB-based onboarding. These initiatives have improved operational efficiency while delivering a seamless and convenient customer experience. Further, the Bank introduced a suite of premium, segment-focused products, including the Masterstroke Lite Savings Bank Account, bob Women Sapphire Savings Bank Account and bob Aspire NRE Savings Bank Account, underscoring its commitment to customer-centric innovation.

The Bank also focused on expanding the reach and usage of key CASA enablers such as POS systems, QR codes with sound boxes, Internet Payment (IP) solutions and the Baroda Cash Management Services (BCMS). Targeted efforts were undertaken to activate dormant accounts, facilitate settlements under the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) and encourage the funding of zero-balance accounts, thereby improving deposit mobilisation and enhancing account activity. In addition, the bob Earth Green Term Deposit - a specialised fixed deposit scheme aimed at financing environmentally sustainable initiatives has witnessed encouraging traction.

YOUR BUSINESS, OUR DIGITAL SUPPORT.

bob DIGI UDYAM (MSME) Loan



- Collateral-Free Loans up to ₹50 lakh
- CGTMSE Guarantee Cover – added security
- 100% Digital & Paperless Processing
- Quick Sanction & Transparent Terms

Apply now through our digital platform or visit your nearest branch.



Scan to
know more

'विकसित भारत' की सोच के अनुरूप नियामक फ्रेमवर्क एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सुविधा की उपलब्धता में लगातार सहायता प्रदान कर रहा है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत लिमिट में वृद्धि, सह-ऋण व्यवस्थाओं का विस्तार और संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण ने ऋण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

इन बदलावों के साथ, बैंक ने 383 विशेषीकृत शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को अधिक सुदृढ़ किया है। चुनिंदा क्षेत्रों पर केंद्रित पहलों ने प्रमुख उत्पादों जिसमें टीआरडीएस, सप्लाय चेन फाइनेंस, बड़ौदा प्रॉपर्टी प्राइड और एक्सपोर्ट क्रेडिट शामिल हैं, में वृद्धि का समर्थन किया। बैंक की प्रमुख डिजिटल पहल, डिजी उद्यम – स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) जर्नी (2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए) ने एंड-टू-एंड ऋण प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे ग्राहक सुविधा और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है।

बैंक ने बेहतर निगरानी और डिजिटल एकीकरण के सहयोग से सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के तहत भी निरंतर प्रगति दर्ज की है। इनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), डिजिटल एसटीपी जर्नी के साथ पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), पीएम स्वनिधि (पीएमएस) 2.0, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शामिल हैं।

Aligned with the vision of Viksit Bharat, the regulatory environment continues to support credit flow to the MSME sector. Enhancements in limits under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), expansion of co-lending frameworks and the revised MSME classification have contributed to improved credit availability.

In line with these developments, the Bank has further strengthened its MSME presence through a network of 383 specialized branches. Focused initiatives in select segments supported growth across key product lines, including TReDS, Supply Chain Finance, Baroda Property Pride and Export Credit. The Bank's flagship digital initiative, Digi Udyam - Straight Through Processing (STP) journey (for loans up to INR 2 crore), has facilitated end-to-end loan processing, enhancing customer convenience and operational efficiency.

The Bank has also maintained steady progress under key Government-sponsored schemes, supported by improved monitoring and digital integration. These include the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), PM Vishwakarma (PMV) with a digital STP journey, PM SVANidhi (PMS) 2.0, Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE) and the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP).



A Masterstroke in Banking

Bank of Baroda recognised as 'Best Bank in India' at The Banker's Bank of the Year Awards 2025



Bank of Baroda Wins Big at IBA Awards



बैंक लगातार नवोन्मेषी एवं ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रदान करते हुए एक अग्रणी वित्तीय सेवा संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को कई उल्लेखनीय सम्मान प्राप्त हुए।

फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन द बैंकर द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित "बेस्ट बैंक इन इंडिया" पुरस्कार 2025 से बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया गया जो बैंक की निरंतर प्रगति, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता तथा नवाचार पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सम्मान भारत की विकासोन्मुखी अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार संस्था के निर्माण पर बैंक के सतत फोकस को भी रेखांकित करता है। "बैंक ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स" प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र के श्रेष्ठ संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं।

EASE 7.0 रिफॉर्म इंडेक्स में शीर्ष निष्पादन करने वाले बैंकों के तहत बैंक समग्र रैंकिंग में उपविजेता (1st Runner-up) रहा। बैंक को "एडोप्शन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड अदर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज" तथा "डेवलपिंग एम्प्लॉइज फॉर इमर्जिंग बैंकिंग प्रायोरिटीज" में प्रथम एवं "इफेक्टिव रिस्क/फ्रॉड मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड रिकवरी" तथा "बैंकिंग टूवर्ड्स विकसित भारत" श्रेणियों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024-25 में भी बैंक को सम्मानित किया गया, जहाँ बैंक ने "बेस्ट एआई एंड एमएल एडोप्शन", "बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडोप्शन", "बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट" तथा "सर्वश्रेष्ठ टेक टैलेंट" श्रेणियों में चार पुरस्कार प्राप्त किए, साथ ही "बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक" श्रेणी में विशेष उल्लेख भी प्राप्त किया।

ये सम्मान बैंक के नवाचार, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पर निरंतर फोकस को प्रदर्शित करते हैं और सभी हितधारकों के लिए सुरक्षित, त्वरित एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग अनुभव तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

The Bank continues to deliver innovative and customer-centric solutions, further strengthening its position as a leading financial services institution. During FY 2025-26, the Bank received several notable recognitions.

Bank of Baroda was named 'Best Bank in India' at the prestigious Bank of the Year Awards 2025 instituted by The Banker, a Financial Times Group publication, reflecting the Bank's consistent growth, commitment to enhancing customer experience and focus on innovation. This recognition also underscores the Bank's continued focus on building a future-ready institution aligned with India's growth aspirations. The Bank of the Year Awards are conferred annually to recognise the best in banking globally.

In the EASE 7.0 Reforms Index, the Bank secured the 1st Runner-up position in the overall rankings under Top Performing Banks. The Bank was ranked #1 in 'Adoption of new-age technology and other advanced capabilities' and 'Developing employees for emerging banking priorities' and #3 in 'Effective risk/fraud management, collections and recovery' and 'Banking towards Viksit Bharat'.

The Bank was also honoured at the Indian Banks' Association's (IBA) 21st Annual Banking Technology Awards 2024-25, receiving four awards for Best AI & ML Adoption, Best Fintech & DPI Adoption, Best IT Risk Management and Best Tech Talent, along with a Special Mention in the Best Technology Bank category.

These recognitions reinforce the Bank's continued emphasis on innovation, technology adoption and prudent risk management, while reaffirming its commitment to delivering a secure, agile and customer-centric banking experience and creating long-term value for all stakeholders.



LOVE YOUR FAMILY.
SECURE YOUR FAMILY.

ENROLL FOR PMJJBY AND PMSBY AT A NOMINAL COST

बैंक वित्तीय समावेशन को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे अपनी पहुँच बढ़ाने और ग्राहक सहभागिता को सुदृढ़ करने के एक कार्यनीतिक अवसर के रूप में भी मानता है। व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से बैंक समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा वंचित शहरी क्षेत्रों में सुलभ एवं किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। 31 मार्च 2026 तक बैंक ने 50,660 टचपॉइंट्स के साथ विस्तृत व्यवसाय प्रतिनिधि नेटवर्क स्थापित किया है।

वंचित एवं कम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में ग्राहक सुविधा को और अधिक सुदृढ़ करने तथा अंतिम छोर तक सेवाएं पहुँचाने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने कई लक्षित पहलों की हैं। बैंकिंग उद्योग में पहली बार व्यवसाय प्रतिनिधि केंद्रों पर व्यवसाय प्रतिनिधि सेवाओं की शुरुआत की है इसमें री-केवाईसी, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन के माध्यम से कॉर्पोरेट खातों का सक्रियण तथा वित्तीय समावेशन कार्यसूची को बेहतर बनाने हेतु इन पहलों के माध्यम से सेवा की सुगमता और पहुँच में वृद्धि शामिल है।

कार्य-निष्पादन के संदर्भ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों की संख्या मार्च 2025 के 643.36 लाख से बढ़कर मार्च 2026 में 663.29 लाख हो गई जो 3.10% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाती है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि मार्च 2025 के ₹36,355 करोड़ से बढ़कर 17.14% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ मार्च 2026 में ₹42,585 करोड़ हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पीएमजेडीवाई खातों में बैंक की हिस्सेदारी 14.80% तथा पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि में 17.45% रही, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वोच्च स्थान है। 31 मार्च 2026 तक बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 85.24 लाख सूक्ष्म बीमा पंजीकरण (सक्रिय पॉलिसियां) तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 295.33 लाख पॉलिसियों का पंजीकरण किया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 तक नीति वर्ष के दौरान 29.70 लाख नई पीएमजेडीबीवाई पॉलिसियां तथा 58.18 लाख नई पीएमएसबीवाई पॉलिसियां पंजीकृत की गईं। बैंक ने रुपये कार्ड जारी करने में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया।

The Bank views financial inclusion not only as a social responsibility but also as a strategic opportunity to expand its reach and deepen customer engagement. Through the Business Correspondent (BC) model, the Bank continues to provide accessible and affordable banking services to all segments of society, with a particular focus on rural, semi-urban and underserved urban populations. As at 31 March 2026, the Bank has established an extensive BC network of 50,660 touchpoints.

To further enhance customer convenience and strengthen last-mile delivery, especially in unbanked and underbanked areas, the Bank has undertaken several targeted initiatives. During FY 2025-26, it introduced industry-first services at BC points, including Re-KYC through BC channels, activation of inoperative accounts and integration with the Central KYC Registry (CKYCR). These initiatives have contributed to improving service accessibility and advancing the Bank's financial inclusion agenda.

In terms of performance, the number of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased from 643.36 lakhs in March 2025 to 663.29 lakhs in March 2026 with YoY growth of 3.10% exceeding the target of PMJDY accounts set for FY 2025-26. PMJDY SB deposit increased from ₹36,355 crore as of March 2025 to ₹42,585 crore as of March 2026 with YoY growth of 17.14%. The Bank's share among PSBs stood at 14.80% in PMJDY accounts and 17.45% for deposit in PMJDY accounts, i.e. first amongst PSBs. The Bank has enrolled 85.24 lakhs Micro Insurance Enrolment (Live) policies under PMJJBY scheme and 295.33 lakhs under PMSBY scheme as of 31st March 2026. Further, as on 31st March 2026, 29.70 lakh Fresh PMJJBY policies have been enrolled and 58.18 lakh Fresh PMSBY policies enrolled during the Policy year. The Bank has also secured the 1st position among PSBs in RuPay card issuance.







Secure your future today.
Breathe fresh tomorrow.

Invest in
bob Earth Green Deposit

Available through Digital Platforms.
Additional 0.50% for Senior Citizens.
Comfort of Liquidity.

T&C Apply*

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपनी मूल कार्यनीति में पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस सिद्धांतों को निरंतर समाहित कर रहा है तथा स्थिरता, समावेशी विकास और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक लो-कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2057 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन में कमी हेतु एक स्पष्ट कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है। बैंक की जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति जलवायु से संबंधित जोखिमों एवं अवसरों को व्यावसायिक कार्यनीति और परिचालन प्रक्रियाओं में समाहित करती है तथा मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर जलवायु-अनुकूल कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देती है।

अपने सतत वित्तपोषण संरचना के अनुरूप, बैंक नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं स्वच्छ परिवहन क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार कर रहा है। 'बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट' - पर्यावरणीय रूप से सतत पहलों के वित्तपोषण हेतु तैयार की गई एक विशेष सावधि जमा योजना जिसे उत्साहजनक प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। वर्ष के दौरान बैंक घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना तथा पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 7 वर्ष की अवधि वाले निर्गम के माध्यम से ₹10,000 करोड़ जुटाए। बैंक ने रूफटॉप सोलर, एलईडी अपनाने, वृक्षारोपण अभियान, डिजिटलीकरण तथा रिसॉयकल्ड कागज के उपयोग जैसी पर्यावरणीय पहलें भी लागू की हैं। बैंक के छह भवनों को आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने मुंबई के बीकेसी स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर में 'बॉब फॉरेस्ट' विकसित किया है, जिसमें 100 से अधिक स्वदेशी प्रजातियों तथा सतत विकास से जुड़े विभिन्न तत्वों को शामिल किया गया है। बैंक अपने हितधारक-केंद्रित आचार संहिता के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और निरंतरता के सिद्धांतों को बनाए रखता है जिसे एथिक्स काउंसलर द्वारा सुदृढ़ किया गया है, ताकि कर्मचारियों को नैतिक निर्णयों एवं दुविधाओं में मार्गदर्शन मिल सके।

बैंक की ईएसजी रेटिंग को ESGRisk.ai (एक्यूआईट ग्रुप) द्वारा "सुदृढ़" से बढ़ाकर "उत्कृष्ट" किया गया, जो ईएसजी मानकों पर बैंक की प्रगति को दर्शाता है। अपने "बॉब अर्थ वेबस्पेस" के माध्यम से बैंक अपनी सतत विकास पहलों और उनके प्रभाव का पारदर्शी प्रकटीकरण भी सुनिश्चित कर रहा है।

Bank of Baroda continues to embed Environmental, Social and Governance (ESG) principles into its core strategy, focusing on sustainability, inclusive growth & long-term value creation. The Bank remains committed to supporting the transition to a low-carbon economy, with a Net Zero Target of 2057 a roadmap to reduce Scope 1 and Scope 2 emissions. Its Climate Risk Management Policy integrates climate-related risks and opportunities into business strategy and operations, promoting climate-resilient practices across the value chain.

In line with its Sustainable Financing Framework, the Bank continues to expand its portfolio across renewable energy, energy efficiency and clean transportation. The bob Earth Green Term Deposit - a specialized fixed deposit scheme aimed at financing environmentally sustainable initiatives has witnessed encouraging traction. During the year, the Bank became the first Bank to issue Domestic Green Infrastructure Bonds in India, mobilizing INR 10,000 crore through a 7-year issuance for eligible green projects. The Bank has also implemented environmental measures such as rooftop solar, LED adoption, tree plantation drives, digitization and recycled paper usage with six buildings receiving IGBC certification.

Further, the Bank has developed the "bob Forest" at its Corporate Office in BKC, Mumbai, with 100+ indigenous species and sustainable elements. The Bank upholds accountability, transparency, fairness and consistency through a stakeholder-centric Code of Ethics, reinforced by ethics counsellors, to guide staff in navigating ethical dilemmas.

The Bank's ESG rating has been upgraded from "Strong" to "Excellent" by ESGRisk.ai (Acuite Group), reflecting progress across ESG parameters. Through its "bob earth Webspaces", the Bank also ensures transparent disclosure of its sustainability initiatives and impact.

विषय	पृष्ठ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	8
निदेशकों की रिपोर्ट	16
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	120
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	122
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	181
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	182
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	188
तुलन-पत्र	191
लाभ व हानि खाता	192
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	203
लेखों पर टिप्पणियां	229
नकदी-प्रवाह विवरण	320
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	322
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	340
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	341
समेकित वित्तीय विवरणियां	342
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा- समेकित	433
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	434
लाभांश संवितरण नीति	435
नोटिस	443
दिव्यांगजनों का वित्तीय समावेशन	471

Contents	Page
MD & CEO's Statement	12
Directors' Report	68
Auditors' Certificate on Corporate Governance	120
Corporate Governance Report	152
Declaration by MD & CEO	181
Secretarial Audit Report	185
Key Financial Indicators	188
Balance Sheet	191
Profit & Loss Account	192
Significant Accounting Policies	216
Notes on Accounts	229
Cash Flow Statement	320
Auditors' Report	331
Declaration of Unmodified Opinion	340
CEO / CFO Certification	341
Consolidated Financial Statement	342
Declaration of Unmodified Opinion Consolidated	433
CEO/CFO Certification	434
Dividend Distribution Policy	439
Notice	457
Financial Inclusion of PwDs	473

नोट : शेयरधारक “व्यावसायिक दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट” और “बेसल-III प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं।

Note : The Shareholders can view / download "Business Responsibility and Sustainability Report" and "Basel-III disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.bank.in



निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS



डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO



श्री ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक
Shri Lalit Tyagi
Executive Director



श्री संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director



श्री लाल सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Lal Singh
Executive Director



श्रीमती बीना वाहिद
कार्यपालक निदेशक
Smt. Beena Vaheed
Executive Director

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS



श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस.
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Ashish Madhaorao More, IAS
GOI Nominee Director



श्री मनोरंजन मिश्रा
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Manoranjan Mishra
RBI Nominee Director



श्रीमती नीना नागपाल
शेयरधारक निदेशक
Smt. Nina Nagpal
Shareholder Director



श्री रवींद्रन मेनन
शेयरधारक निदेशक
Shri Ravindran Menon
Shareholder Director



श्री विजय दुबे
शेयरधारक निदेशक
Shri Vijay Dube
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)		CHIEF VIGILANCE OFFICER (CVO)
श्री अजित कुमार रथ		MR. AJIT KUMAR RATH
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा)		KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP – OTHER THAN WHOLE TIME DIRECTORS)
श्री एलंगो बालासुब्रमण्यम समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी		MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM GROUP CHIEF COMPLIANCE OFFICER
श्री शुक्ला सौरभ रविशंकर मुख्य तकनीकी अधिकारी		MR. SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
श्री नेगी रवींद्र सिंह समूह मुख्य जोखिम अधिकारी		MR. NEGI RAVINDRA SINGH GROUP CHIEF RISK OFFICER
सुश्री सिंह कविता प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा		MRS. SINGH KAVITA HEAD, INTERNAL AUDIT
श्री एल श्रीधर आई वी मुख्य वित्तीय अधिकारी		MR. L SRIDHAR INUMELLA V CHIEF FINANCIAL OFFICER
श्री एस बालाकुमार कंपनी सचिव (सीएस)		MR. S BALAKUMAR COMPANY SECRETARY (CS)
वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (एसएमपी)		SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL (SMP)
श्री मल्होत्रा राजेश		MR. MALHOTRA RAJESH
श्री सिंह शैलेन्द्र एच		MR. SINGH SHAILENDRA H
श्रीमती कडगटूर शीतल वेंकटेशमूर्ति		MRS. KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURTHY
श्री चयनी मनोज सुंदर		MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR
श्री रंजन निशांत		MR. RANJAN NISHANT
श्री शर्मा प्रभात के		MR. SHARMA PRABHAT K
श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी		MR. SOLANKI HARSHADKUMAR T
श्री कुमार मधुर		MR. KUMAR MADHUR
श्री सुशान्त कुमार मोहंती		MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY
श्री सिंह इंदर मोहन		MR. SINGH INDER MOHAN
श्री शर्मा राकेश कुमार		MR. SHARMA RAKESH KUMAR
श्री नेमा राकेश		MR. NEMA RAKESH
श्री नामदेव दिनेश कुमार		MR. NAMDEO DINESH KUMAR
श्री कौरा मनीष		MR. KAURA MANISH
श्री मित्तल पंकज		MR. MITTAL PANKAJ
श्री नेगी विमल कुमार		MR. NEGI VIMAL KUMAR
श्री सरवनकुमार ए		MR. SARAVANAKUMAR A
श्री मोहराना अशोक कुमार		MR. MOHARANA ASHOK KUMAR
श्री खमारी सुधांशु शेखर		MR. KHAMARI SUDHANSU SEKHAR
श्री आर अजयकुमार के		MR. R AJAYAKUMAR K
श्री पाढ़ी स्वरूप नंदन		MR. PADHI SWARUP NANDAN
सुश्री मिश्रा रचना		MS. MISHRA RACHNA
श्री गोपालन वी		MR. GOPALAN V
श्री बी मेहर कुमार		MR. BHAIKAVARASU MEHER KUMAR

श्री सिंह संजय कुमार	MR. SINGH SANJAY KUMAR
श्री वल्लभुनी राजेंद्र प्रसाद	MR. VALLABHUNI RAJENDRA PRASAD
श्री सबनवीस मदन	MR. SABNAVIS MADAN
श्री सचदेवा सुमित	MR. SACHDEVA SUMIT
श्री पटनायक गिरीश	MR. PATNAIK GIRISH
अन्य मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक	OTHER CGMs/GMs
श्री डोभाल संजीव	MR. DOBHALL SANJEEV
श्री ग्रोवर संजय कुमार	MR. GROVER SANJAY KUMAR
श्री लाल सुशील कुमार	MR. LAL SUSHIL KUMAR
श्री ठाकुर यादव श्रवण	MR. THAKUR YADAV SHRAWAN
श्री एम रवींद्र राय	MR. M RAVINDRA RAI
श्री एस ए सुदर्शन	MR. S A SUDARSAN
श्री देवरकोंडा आनंद कुमार	MR. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री वेणुगोपाल एन	MR. VENUGOPAL N
श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली	MR. DHEERENDRA SETTIPALLI
श्री श्रीजीत कोट्टारत्तिल	MR. SREEJITH KOTTARATHIL
श्री कुमार अश्विनी	MR. KUMAR ASHWINI
श्री सिंह सुधांशु कुमार	MR. SINGH SUDHANSHU KUMAR
श्री सीताराम बुलुसु सूर्या	MR. SITARAM BULUSU SURYA
श्री डी दास	MR. D DAS
श्री शर्मा सुनील कुमार	MR. SHARMA SUNIL KUMAR
श्री भगोलीवाल संजय	MR. BHAGOLIWAL SANJAY
सुश्री शेट्टी सुजाया यू	MS. SHETTY SUJAYA U
श्री राव सिद्धेला प्रसाद	MR. RAO SIDDELA PRASAD
श्री तुली अमित	MR. TULI AMIT
श्री शंकर आनंद	MR. SHANKER ANAND
श्री तुंगरिया जगदीश कुमार	MR. TUNGARIA JAGDISH KUMAR
श्री जक्कैया लालम	MR. JAKKAIAH LALAM
श्री कुमार राजीव	MR. KUMAR RAJEEV
श्री अग्रवाल रविंदर	MR. AGGARWAL RAVINDER
श्रीमती बंदोपाध्याय स्वप्ना	MRS. BANDOPADHAYA SWAPNA
श्री सिंह राजेश कुमार	MR. SINGH RAJESH KUMAR
श्री अनुज भार्गव	MR. ANUJ BHARGAVA
श्री पांडा समीर रंजन	MR. PANDA SAMIRA RANJAN
श्री अग्रवाल योगेश कुमार	MR. AGRAWAL YOGESH KUMAR
श्री टी एन सुरेश	MR. T N SURESH
श्री राठी विनयकुमार सत्यनारायण	MR. RATHI VINAYKUMAR SATYNARAYAN
श्री भुटिया सोनाम शेरिंग	MR. BHUTIA SONAM TSHERING
श्री सिन्हा शैलेंद्र कुमार	MR. SINHA SHAILENDRA KUMAR

श्री ललाई धीरेन महेंद्र	MR. LALAI DHIREN MAHENDRA
श्री तिवारी संजय कुमार	MR. TIWARY SANJAY KUMAR
श्री खन्ना राजेश	MR. KHANNA RAJESH
श्री एम अनिल	MR. M ANIL
श्री धर शशि जयकिशोर	MR. DHAR SHASHI JAIKISHORE
श्री रितेश कुमार	MR. RITESH KUMAR
श्री लंका बालासुब्रमण्यम	MR. LANKA BALASUBRAMANYAM
श्री अग्निहोत्री प्रतीक	MR. AGNIHOTRI PRATEEK
श्री कुमार अमूल्य	MR. KUMAR AMULYA
श्री स्वाई सुब्रत कुमार	MR. SWAIN SUBRAT KUMAR
श्री कुमार राजेश	MR. KUMAR RAJESH
श्री शाजन बाबू वी बी	MR. SHAJAN BABU V B
श्री सिंह हरदीप	MR. SINGH HARDEEP
श्री सिंह दिवाकर प्रसाद	MR. SINGH DIWAKAR PRASAD
श्री शर्मा रामानुज	MR. SHARMA RAMANUJ
श्री निशांत कुमार	MR. NISHANT KUMAR
श्री त्रिपाठी चंद्रमणि	MR. TRIPATHY CHANDRA MANI
श्री टी एम एल बालाजी	MR. T M L BALAJI
श्री मोहन निखिल	MR. MOHAN NIKHIL
श्री के सुरेश	MR. K SURESH
श्री सभएक सिंह	MR. SABHEAK SINGH
श्री खत्री पंकज	MR. KHATRI PANKAJ
श्री बंसल संतोष कुमार	MR. BANSAL SANTOSH KUMAR
श्री वर्मा संजय कुमार	MR. VERMA SANJAY KUMAR
श्री सिन्हा सुनील कुमार	MR. SINHA SUNIL KUMAR
श्री सिंह कृष्ण कुमार	MR. SINGH KRISHNA KUMAR
श्री पारख शैलेश कुमार	MR. PARAKH SHAILESH KUMAR
श्री सिंह मुख्तार	MR. SINGH MUKHTAR
श्री श्रीवास्तव अनिल कुमार	MR. SRIVASTAVA ANIL KUMAR
श्री मिथलेश कुमार	MR. MITHLESH KUMAR
श्री प्रजित कुमार डी	MR. PRAJITH KUMAR D
श्री अश्विनी कुमार	MR. ASHWINI KUMAR
श्री सिंह शैलेन्द्र कुमार	MR. SINGH SHAILENDRA KUMAR
श्री बाजपेयी आशुतोष	MR. BAJPAI ASHUTOSH
श्री एम वेंकट सुब्रह्मण्यम सुधाकर	MR. M VENKATA SUBRAHMANYA SUDHAKAR
श्री मेहरोत्रा मनीष नाथ	MR. MEHROTRA MANISH NATH
श्री गोयल महेश	MR. GOEL MAHESH
श्री भट्टाचार्य ध्रुवाशीष	MR. BHATTACHARYA DHRUBASHISH
श्री कैरुपाला सौरप्पा	MR. KAIRUPPALA SOWRAPPA

सांविधिक लेखापरीक्षक / Statutory Auditors

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants

बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
Batliboi & Purohit
Chartered Accountants

रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants

शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
Shah Gupta & Co
Chartered Accountants

गोखले एंड साठे
सनदी लेखाकार
Gokhale & Sathe
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड,
अलकापुरी, वडोदरा - 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26,
जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

रजिस्ट्रार एंड शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31
व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी,
तेलंगाना, इंडिया - 500 032

डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
यूनिवर्सल इश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल, सर पीएम रोड
फोर्ट, मुंबई- 400001

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,
मुंबई - 400001

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड

द रुबी, द्वितीय तल (एसडब्ल्यू) 29,
सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400028

Head Office

Bank of Baroda, Baroda Bhavan, RC
Dutt Road, Alkapuri, Vadodara-390 007

Corporate Office

Bank of Baroda, Baroda Corporate
Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla
Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Investor Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda
Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Registrar and Share Transfer Agent (RTA)

KFin Technologies Limited
Unit: Bank of Baroda
Selenium Building, Tower-B, Plot
No 31 & 32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad, Rangareddy,
Telangana, India - 500 032

Debenture Trustees

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort,
Mumbai - 400001.

Centbank Financial Services Ltd.

Central Bank of India - MMO Building,
3rd Floor (East Wing), No.55,
M.G. Road, Fort, Mumbai 400 001.

Axis Trustee Services Ltd.

The Ruby, 2nd Floor (SW) 29,
Senapati Bapat Marg, Dadar West,
Mumbai - 400 028

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय हितधारकों,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा का नेतृत्व करना मेरे लिए वास्तव में गौरव और सम्मान का विषय है। 118 वर्षों की समृद्ध विरासत वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान ने समर्पण, विश्वास एवं उत्कृष्ट सेवा के माध्यम से सभी हितधारकों का निरंतर विश्वास अर्जित किया है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, मुझ पर व्यक्त किए गए विश्वास को बनाए रखने तथा उत्कृष्टता एवं सेवा की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख उपलब्धियाँ प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष पर्यंत की गई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अनेक चुनौतियों के बावजूद भी उल्लेखनीय दृढ़ता और स्थायित्व का परिचय दिया। उच्च टैरिफ दरों, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता तथा विशेष रूप से मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद वैश्विक आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर बनी रहीं। इन अनिश्चित परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रभावी ढंग से अपनी सुदृढ़ स्थिति को बरकरार रखा है। मजबूत व्यापक आर्थिक आधार, वस्तु एवं सेवा कर दरों में कमी जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों तथा वर्ष के दौरान रेपो दर में कुल 100 आधार अंकों की कटौती सहित उदार मौद्रिक नीति ने आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक व्यापार व्यवधानों से प्रभावित क्षेत्रों को सहारा देने हेतु आवश्यक विनियामकीय उपाय लागू किए गए हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता तथा भारत-अमेरिका के मध्य अंतरिम व्यापार व्यवस्था सहित प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ हुए व्यापारिक समझौतों ने आर्थिक प्रगति को और अधिक सुदृढ़ किया है। यद्यपि रुपया-डॉलर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कुछ दबाव उत्पन्न हुए, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती से विकास की गति को बनाए रखा है। ऐसे परिदृश्य में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता एवं सुदृढ़ लाभप्रदता के बल पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उत्तरोत्तर प्रगति का वर्ष रहा। व्यवसाय वृद्धि, लाभप्रदता, मार्जिन तथा आस्ति गुणवत्ता सहित प्रमुख व्यावसायिक मानकों पर बैंक ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज करते हुए उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने कई मील स्तंभ पार किए हैं। बैंक का कुल कारोबार ₹30 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करते हुए ₹30.78 लाख करोड़ के स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.9 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में बैंक ने ₹5,616 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक तिमाही निवल लाभ अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का निवल लाभ पहली बार ₹20,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार करते हुए ₹20,021 करोड़ तक पहुँच गया।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

देयता प्रबंधन – लागत प्रबंधन के साथ व्यवसाय वृद्धि सुनिश्चित करना

जमा संग्रहण के चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद बैंक ने एक सुदृढ़, स्थायी एवं विविधीकृत जमा आधार तैयार करने हेतु अनेक कार्यनीतिक पहलों सफलतापूर्वक लागू की हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक सेवा में गुणात्मक सुधार, विभिन्न ग्राहक वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवोन्मेषी उत्पादों, वेल्फ़ेयर



डॉ. देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एडेड सेवाओं की पेशकश की गई तथा लक्षित जमा संग्रहण अभियान चलाए गए। बैंक ने क्रिकेट जगत के दिग्गज श्री सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाए रखते हुए तथा अपनी रिटेल बैंकिंग पहचान को और अधिक मजबूत करते हुए ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को नई मजबूती प्रदान की।

कासा संग्रहण को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक ने पीओएस प्रणालियों, साउंड बॉक्स युक्त क्यूआर कोड, इंटरनेट भुगतान समाधान तथा बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाओं (बीसीएमएस) जैसे प्रमुख कासा संवर्धन माध्यमों की पहुँच और उपयोग में उल्लेखनीय विस्तार किया। इसके साथ ही, निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने, जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) के अंतर्गत दावों के निपटान को सुगम बनाने तथा शून्य शेष वाले खातों में धनराशि जमा कराने हेतु विशेष प्रयास किए गए, जिससे सक्रिय खातों की संख्या बढ़ी और ग्राहकों से जुड़ाव को नई गति मिली।

इन दूरदर्शी पहलों के परिणामस्वरूप बैंक के वैश्विक जमा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.0% की उत्साहवर्धक वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू जमा में 12.8% तथा अंतरराष्ट्रीय जमा में 7.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। घरेलू कासा जमा में 9.8% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें बचत जमा में 9.1% तथा चालू जमा में 12.9% की प्रभावशाली बढ़ोत्तरी शामिल रही। मार्च 2026 के अंत तक बैंक का घरेलू कासा अनुपात 38.90% के मजबूत स्तर पर पहुँच गया, जो बैंक की ग्राहकोन्मुख नीति, दीर्घकालिक विश्वास तथा सुदृढ़ वित्तीय आधार का परिचायक है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि बैंक ने यह वृद्धि जमा लागत में कमी लाते हुए हासिल की। वित्तीय वर्ष 2025 में घरेलू जमाओं की लागत 5.21% थी, जो वित्तीय वर्ष 2026 में घटकर 5.07% रह गई। इसी प्रकार, वैश्विक जमाओं की लागत भी 5.10% से कम होकर 4.87% पर आ गई।

आरएम सेगमेंट पर विशेष ध्यान के साथ अग्रिमों में व्यापक वृद्धि

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान सभी ऋण सेगमेंट में संतुलित एवं व्यापक वृद्धि दर्ज करते हुए अपने व्यावसायिक विस्तार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। बैंक की वैश्विक अग्रिम राशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.2% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जिसमें घरेलू अग्रिमों में 14.5% तथा अंतरराष्ट्रीय अग्रिमों में 24.4% की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल रही।

बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो के 'रिटेलाइजेशन' की रणनीति को निरंतर आगे बढ़ाते हुए रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई (आरएमएम) क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की। घरेलू अग्रिमों के अंतर्गत ऑर्गेनिक रिटेल ऋणों में 17.9%, कृषि ऋणों में 20.7% तथा ऑर्गेनिक एमएसएमई ऋणों में 15.6% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई। रिटेल ऋण सेगमेंट में भी बैंक का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहजनक रहा जहाँ ऑटो ऋणों में 20.6%, मॉर्गेज ऋणों में 19.3%, स्वर्ण ऋणों में प्रभावशाली 98%, गृह ऋणों में 14.6% तथा शिक्षा ऋणों में 10.9% की वृद्धि दर्ज की गई है।

मार्च 2026 तक आरएमएम अग्रिमों का हिस्सा सकल घरेलू ऋण का 61% रहा, जो मार्च 2025 में 59.8% था। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट अग्रिमों में भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई।

सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन मानकों, वसूली हेतु विशेष प्रयासों, खातों के अपग्रेडेशन तथा कार्यनीतिक राइट-ऑफ जैसे उपायों के माध्यम से अपनी आस्ति गुणवत्ता को निरंतर सुदृढ़ बनाए रखा है। जिन अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों में बैंक परिचालनरत है, वहाँ विद्यमान भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद आस्ति गुणवत्ता सुदृढ़ एवं स्थिर रही है। मार्च 2026 तक जीएनपीए अनुपात 1.89% रहा, जो मार्च 2025 में 2.26% था। इसी प्रकार, एनपीए अनुपात मार्च 2025 के 0.58% से सुधारकर मार्च 2026 में 0.45% पर आ गया। यह पिछले कई वर्षों का न्यूनतम स्तर है। स्लिपेज अनुपात वित्तीय वर्ष 2025 के 0.78% से सुधारकर वित्तीय वर्ष 2026 में 0.72% हो गया, जो सुदृढ़ निगरानी एवं उच्च गुणवत्ता वाले ऋण मूल्यांकन का परिचायक है। तकनीकी बट्टेखातों सहित प्रावधान कवरेज अनुपात वित्तीय वर्ष 2026 में 93.94% रहा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह 93.29% था। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान उच्च फ्लोटिंग प्रावधान किए जाने के बावजूद ऋण लागत स्थिर बनी रही तथा यह वित्तीय वर्ष 2025 के 0.47% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026 में 0.46% दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2026 में किए गए ₹1,900 करोड़ के इस फ्लोटिंग प्रावधान से बैंक की बैलेंस शीट और अधिक सुदृढ़ होगी।

सुदृढ़ लाभप्रदता

नीतिगत दरों में कटौती के कारण संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में मार्जिन पर दबाव बना रहा, जिससे परिचालन वर्षभर चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद बैंक ने लाभप्रदता के साथ व्यवसाय वृद्धि की अपनी यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए वित्तीय अनुशासन और उत्कृष्ट कार्यनीतिक दक्षता का परिचय दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की लाभप्रदता मुख्यतः निवल ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.5% की वृद्धि से प्रेरित रही। इस अवधि में ब्याज आय में 3.8% तथा ब्याज व्यय में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ग्राहक-केंद्रित पहलों के अंतर्गत बैंक द्वारा न्यूनतम शेष राशि शुल्क को भी समाप्त किया गया, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। इन पहलों के बावजूद, बैंक की शुल्क-आधारित आय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 0.7% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही, प्रतिफलों पर दबावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ट्रेजरी आय में 23.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, गैर-ब्याज आय ₹15,757 करोड़ के मजबूत स्तर पर स्थिर बनी रही। व्यय प्रबंधन के क्षेत्र में भी बैंक ने अत्यंत विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। नई मोर्टेलिटी टेबल लागू किए जाने के बावजूद

उच्च प्रतिफलों के कारण कर्मचारियों से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकता कम हुई, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी व्यय में 5.2% की कमी दर्ज की गई। इसी के फलस्वरूप परिचालन व्यय में वर्ष दर वर्ष केवल 4.4% की नियंत्रित वृद्धि हुई। बैंक का परिचालन लाभ ₹32,259 करोड़ के महत्वपूर्ण स्तर पर पहुँचा।

वर्ष के दौरान बैंक को आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण रिफंड प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर प्रावधानों को रिवर्स किया गया। बैंक ने अपनी विवेकपूर्ण वित्तीय नीति के अनुरूप रिवर्स किए गए इन प्रावधानों का उपयोग फ्लोटिंग प्रावधान निर्मित करने में किया, जिससे बैंक की बैलेंस शीट और अधिक सुदृढ़ बनी। इन सभी सकारात्मक कारकों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक का निवल लाभ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.2% बढ़कर ₹20,021 करोड़ तक पहुँच गया। उल्लेखनीय है कि बैंक ने लगातार 1% से अधिक की आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) बनाए रखा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.06% रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 15.39% के स्तर पर रहा।

पूंजी पर्याप्तता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की पूंजी स्थिति अत्यंत मजबूत बनी रही। बैंक की कुल पूंजी 15.82% तथा सीईटी-1 अनुपात 13.16% के स्तर पर दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार लगभग 127% का सुदृढ़ लिक्विडिटी कवरेज अनुपात बनाए रखा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रति शेयर ₹8.5 के लाभांश की घोषणा की है, जो आवश्यक अनुमोदनों के अधीन है। साथ ही, बैंक ने मार्च 2028 तक विभिन्न माध्यमों, जिनमें पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) भी शामिल है, के जरिए चरणबद्ध रूप से ₹8,500 करोड़ तक की पूंजी जुटाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया है तथा अपनी पूंजी अनुपात सुदृढ़ रखने की योजना बनाई है।

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलें

डिजिटल एवं एआई-संचालित ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ग्राहक-केंद्रितता

बैंक ने ग्राहक सुविधा, परिचालन दक्षता तथा वित्तीय समावेशन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के उद्देश्य से तकनीक-आधारित समाधानों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्षमताओं के समावेश के माध्यम से अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभियान को निरंतर गति प्रदान की है।

बैंक के डिजिटल इकोसिस्टम में अब बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड यूपीआई, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम एवं केश रीसाइक्लर मशीनें, सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटर (एस2एसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट भुगतान गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवा (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर तथा पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) जैसी आधुनिक सेवाएं सम्मिलित हैं। 31 मार्च, 2026 तक बैंक के नेटवर्क में 9,538 एटीएम, 2,059 केश रीसाइक्लर मशीनें तथा 18 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ कार्यरत थीं।

समावेशी एवं सरल बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए 'बॉब इनसाइट ब्रेल डेबिट कार्ड' जैसे अभिनव उत्पाद प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, रिसायकल पीवीसी से निर्मित पर्यावरण-अनुकूल 'बॉब भूमि रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड' का शुभारंभ कर बैंक ने संवहनीय वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी समुचित प्रकार से निर्वहन किया है।

बैंक ने रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों में ग्राहकों को बाधारहित और एंड टू एंड डिजिटल ऋण अनुभव प्रदान करने हेतु अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को और अधिक सुदृढ़ बनाया है।

बैंक ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भी अनेक नवीन सेवाएं प्रारंभ की है, जिनमें विदेशी आवक प्रेषण (एफआईआर), यूपीआई ग्लोबल, यूपीआई123, डिजीनेक्सट इंटीग्रेशन, फेस एवं बायो-आधारित प्रमाणीकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइसों के माध्यम से यूपीआई भुगतान, इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों का समावेशन, क्रेडिट लाइन के अंतर्गत पी2पी लेनदेन तथा सेबी-पंजीकृत इंटरमीडियरी हेतु नए हैंडल जैसी सुविधाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

बैंक ने जनरेटिव एआई आधारित 'वर्चुअल फ्रंट ऑफिस (वीएफओ)' डिवाइस भी उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से ग्राहक वीएफओ डिवाइस के जरिए बैंकिंग सेवाओं तक सहज एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस अत्याधुनिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित 3 डी प्रोजेक्शन अवतार तथा टच इनेबल इंटरैक्शन प्रणाली शामिल है। इसके साथ ही, बैंक ने 'बॉब संवाद' नामक बहुभाषी एआई-सक्षम बातचीत प्लेटफॉर्म भी प्रारंभ किया है, जो ग्राहकों एवं शाखा कर्मचारियों के बीच विभिन्न भाषाओं में सहज संवाद सुनिश्चित करता है। यह बैंकिंग उद्योग की अपनी तरह की पहली एआई-संचालित बहुभाषी संवाद प्रणाली है जिसका उद्देश्य शाखाओं में ग्राहक अनुभव को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है। यह प्लेटफॉर्म भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त करते हुए ग्राहकों को उनकी पसंदीदा भारतीय भाषा में वास्तविक समय पर स्वाभाविक बातचीत की सुविधा प्रदान करता है जिससे कर्मचारियों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में सहायता मिलती है। परिणामस्वरूप देश की बहुभाषी एवं विविधतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था में ग्राहकों को अधिक सहज और उत्कृष्ट सेवा अनुभव प्राप्त हो रहा है।

साइबर सुरक्षा

बैंक के लिए साइबर सुरक्षा हमेशा से ही निदेशक मंडल स्तर की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रही है तथा यह बैंक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम जोखिम क्षेत्र के रूप में स्थापित है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के तीव्र विस्तार के इस दौर में बैंक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, अत्याधुनिक तकनीकी नियंत्रणों, कर्मचारियों में जागरूकता निर्माण तथा निरंतर निगरानी प्रणाली के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान बैंक ने उन्नत निगरानी समाधानों, भूमिका-आधारित एक्सेस नियंत्रण, जोखिम वहनीयता कार्यक्रमों, छद्म परीक्षण तथा सुदृढ़ घटना प्रतिक्रिया तैयारी के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाया है। इसके अतिरिक्त, बैंक के डिजिटल इको सिस्टम की सक्रिय एवं समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 'ब्रीच एंड अटैक सिमुलेशन (बीएसएस)', 'एक्सटर्नल अटैक सरफेस मैनेजमेंट (ईएसएसएम)' तथा 'डिजिटल रिस्क मॉनिटरिंग (डीआरएम)' जैसी रणनीतिक पहलों को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया। साइबर घटनाओं की स्थिति में त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने तथा परिचालन व्यवधानों को न्यूनतम बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक ने एक व्यापक 'साइबर संकट प्रबंधन योजना' भी लागू की है। बैंक का लक्ष्य केवल सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास, गोपनीयता एवं वित्तीय सुरक्षा को सर्वोच्च स्तर पर रखना भी है।

संवहनीयता

बैंक पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ईएसजी) सिद्धांतों को अपनी मूल व्यावसायिक कार्यनीति में निरंतर समाहित करता आ रहा है तथा सतत विकास को समावेशी प्रगति एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन का महत्वपूर्ण आधार मानता है। बैंक वर्ष 2057 तक 'नेट जीरो उत्सर्जन' लक्ष्य प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है तथा व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन के माध्यम से जलवायु-संबंधी जोखिमों एवं अवसरों को अपनी व्यावसायिक कार्यनीति का

अभिन्न हिस्सा बना रहा है। अपने संवहनीय फायनांस फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ परिवहन पहलों के लिए फायनांस में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बैंक की 'बॉब अर्थ हरित सावधि जमा योजना' को ग्राहकों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत कुल जमा राशि ₹1,899 करोड़ के प्रभावशाली स्तर तक पहुँच गई।

उल्लेखनीय यह है कि बैंक भारत में घरेलू हरित इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बना। बैंक ने पात्र हरित परियोजनाओं के फायनांस हेतु 7-वर्षीय बॉण्ड निर्गम के माध्यम से ₹10,000 करोड़ सफलतापूर्वक जुटाए, जो देश में ग्रीन फायनांस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील स्तंभ सिद्ध हुआ। वर्ष के दौरान बैंक ने अनेक पर्यावरण-अनुकूल पहलें भी की हैं जिनमें रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, एलईडी उपयोग को बढ़ावा, पौधारोपण अभियान, कागज की खपत कम करने हेतु डिजिटलीकरण तथा पुनः उपयोग योग्य कागज के उपयोग जैसी पहलें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बैंक की छह इमारतों को वर्ष के दौरान ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त हुआ, जो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मुंबई के बीकेसी स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में 6,000 वर्गफुट क्षेत्र में "बॉब फॉरेस्ट" नामक हरित परिसर विकसित किया है। यह शहरी हरित पहल जैव विविधता संरक्षण तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, जिसमें 100 से अधिक देशज प्रजातियों के पौधों के साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली एवं सौर ऊर्जा संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत सुविधाओं का समावेश किया गया है।

बैंक अपनी हितधारक-केंद्रित आचार संहिता तथा समर्पित नैतिक परामर्शदाताओं के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं नैतिक आचरण की संस्कृति को निरंतर सुदृढ़ बना रहा है।

सतत विकास संबंधी पहलों एवं निरंतर प्रगति को मान्यता देते हुए ESG Risk. ai (A unite group) द्वारा बैंक की पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस रेटिंग को "स्ट्रॉंग" से उन्नत कर "एक्सीलेंट" श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया है।

नई अनुषंगियों के माध्यम से व्यवसाय विस्तार

बैंक ने नई अनुषंगी कंपनियों की स्थापना के माध्यम से अपने व्यावसायिक पोर्टफोलियो का निरंतर विस्तार किया है। इसी क्रम में, बैंक ने अपने मौजूदा प्राइमरी डीलर व्यवसाय के अंतरण हेतु एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को स्वतंत्र प्राइमरी डीलर के रूप में स्थापित किया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बैंक के सरकारी प्रतिभूति एवं ऋण पूंजी बाजार व्यवसाय को और अधिक सुदृढ़ बनाना, परिचालन दक्षता में वृद्धि करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में विस्तार के नए अवसर सृजित करना है। इस अनुषंगी कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹2,000 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक को आवश्यक विनियामकीय स्वीकृतियों के अधीन पेंशन निधि प्रबंधन कंपनी की स्थापना हेतु भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक को अनेक प्रतिष्ठित सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो नवाचार, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण तथा परिचालन उत्कृष्टता के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन 'द बैंकर' द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित 'बैंक ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2025' में 'बेस्ट बैंक इन इंडिया' सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान बैंक की निरंतर प्रगति, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता तथा नवाचार-केंद्रित कार्यशैली का सशक्त प्रमाण है।

ईज 7.0 सुधार सूचकांक में बैंक ने 'श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों' की समग्र रैंकिंग में उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। बैंक को 'एडॉप्शन ऑफ़ न्यू-एज टेक्नोलॉजी एंड अदर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज तथा 'डेलीविंग एम्प्लॉइज़ फॉर इमर्जिंग बैंकिंग' श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, 'इफैक्टिव रिस्क/फ़ॉर्ड मैनेजमेंट, कलेक्शंस एंड रिकवरी' तथा 'बैंकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत' श्रेणियों में बैंक को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित 21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स 2024-25 में भी सम्मानित किया गया। बैंक ने 'बेस्ट एआई एंड एमएल एडॉप्शन', 'बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन', 'बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट तथा 'बेस्ट टेक टैलेंट श्रेणियों में चार प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। साथ ही, 'बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक' श्रेणी में बैंक को विशेष उल्लेख से भी सम्मानित किया गया।

ये सभी सम्मान एवं उपलब्धियाँ नवाचार, तकनीकी अपग्रेडेशन, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त बनाती हैं। साथ ही, ये सुरक्षित, विश्वसनीय एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन की दिशा में बैंक की सतत प्रगति को भी दर्शाता है।

आगे की राह

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न अनिश्चितताओं का सामना कर रही है तथा पश्चिम एशिया की परिस्थितियाँ, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव एवं मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था संवहनीय वृद्धि की गति को बनाए रखने की दृष्टि से सुदृढ़ एवं सक्षम स्थिति में है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भी एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किए गए अग्रिमों में अपेक्षित हानि संबंधी फ्रेमवर्क, अधिग्रहण फायनांस सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विनियामकीय सुधार नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।

ऐसे परिवेश में बैंक ने एक मजबूत परिचालन एवं वित्तीय आधार स्थापित किया है, जो 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन में बैंक को सक्षम बना रहा है। विस्तृत भौगोलिक उपस्थिति, प्रौद्योगिकी-संचालित क्षमताओं तथा ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के बल पर बैंक सतत, संतुलित एवं भविष्य-उन्मुख विकास यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है।

मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रत्येक प्रयास में प्रबंधन को अपना अमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए हैं। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का भी समय-समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बैंक के सभी कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण एवं प्रतिबद्धता के प्रति अपनी विशेष सराहना एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपका अथक प्रयास ही हमारी निरंतर प्रगति और सफलता का वास्तविक आधार है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा उत्कृष्टता की ओर निरंतर आगे बढ़ते हुए सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन की अपनी यात्रा में आपसे सतत संरक्षण, सहयोग एवं सन्निधता की अपेक्षा करता है।



डॉ. देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO's Statement

Dear Stakeholders,

It is indeed an honour and privilege to lead Bank of Baroda, an institution with a rich legacy of 118 years and a stellar record of serving all stakeholders with dedication and trust. As Managing Director & CEO, I remain committed to upholding the faith reposed in me and to further strengthen this long-standing tradition of excellence and service.

It gives me immense pleasure to present the highlights of the Bank's performance during the financial year 2025-26. Details of the achievements and initiatives taken are provided in the Annual Report.

During FY2025-26, the global economy demonstrated resilience despite a challenging environment marked by elevated tariffs, financial market volatility and geopolitical tensions, particularly in the Middle East. Amid these uncertainties, the Indian economy remained robust, supported by strong macroeconomic fundamentals, fiscal stimulus measures including GST rate reductions, accommodative monetary policy with cumulative repo rate cuts of 100 basis points during the year. Further, the regulatory measure was introduced for sectors impacted by global trade disruptions, free trade agreements with key partners, including the India-EU Free Trade Agreement and an interim India-US trade arrangement, strengthened economic momentum despite pressures arising from rupee-dollar exchange rate movements. Against this backdrop, the Indian banking sector continued to exhibit resilience with strong asset quality and healthy profitability.

For the Bank, FY2025-26 was marked by consistent improvement across key business parameters including growth, profitability, margins and asset quality. The Bank achieved several significant milestones during the year. Total business crossed the landmark INR 30 lakh crore mark to reach INR 30.78 lakh crore, registering a year-on-year (YoY) growth of 13.9%. The Bank reported its highest-ever quarterly net profit of INR 5,616 crore in Q4FY26. Further, for FY26, net profit crossed the INR 20,000 crore milestone for the first time to reach INR 20,021 crore.

Financial Performance

Liability Management-Delivering Growth While Optimising Costs

In view of the challenging deposit mobilisation environment, the Bank implemented several strategic initiatives to build a sustainable and diversified deposit base. These included service enhancements, innovative product offerings tailored to different customer segments, value-added services and focused deposit mobilisation campaigns. The Bank



Dr. Debadatta Chand
Managing Director and CEO

further reinforced its retail positioning through its continued association with cricket legend Shri. Sachin Tendulkar as Global Brand Ambassador.

To strengthen CASA mobilisation, the Bank expanded the reach and usage of key CASA enablers such as POS systems, QR codes with sound boxes, Internet Payment solutions and Baroda Cash Management Services (BCMS). Focused efforts were also undertaken to activate dormant accounts, facilitate settlements under the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) and encourage funding of zero-balance accounts to improve account activity and customer engagement.

These initiatives yielded encouraging results, with global deposits increasing by 12.0% on a YoY basis. Domestic deposits grew by 12.8%, while international deposits increased by 7.5%. Domestic CASA deposits rose by 9.8%, led by growth of 9.1% in savings deposits and 12.9% in current deposits. The domestic CASA ratio stood at 38.90% as of March 2026. Importantly, this growth was achieved while reducing the domestic cost of deposits from 5.21% in FY25 to 5.07% in FY26 and the global cost of deposits from 5.10% to 4.87% over the same period.

Broad-Based Advances Growth with Focus on RAM Segments

The Bank recorded broad-based growth across all lending segments during the year. Global advances increased by

16.2% YoY with domestic advances growing by 14.5% and international advances by 24.4%.

The Bank continued to focus on retailisation of its loan portfolio by strengthening the Retail, Agriculture and MSME (RAM) segments. Within domestic advances, organic retail loans grew by 17.9%, agriculture loans by 20.7% and organic MSME loans by 15.6%. Within the retail segment, auto loans grew by 20.6%, mortgage loans by 19.3%, gold loans by an impressive 98.0%, home loans by 14.6% and education loans by 10.9%.

RAM advances constituted 61.0% of gross domestic credit as of March 2026 compared with 59.8% as of March 2025. Corporate advances also registered healthy growth of 11.2% YoY.

Pristine Asset Quality

The Bank continued to maintain robust asset quality, supported by strong underwriting standards, effective recovery efforts, upgradations and strategic write-offs. Despite geopolitical challenges in certain international geographies where the Bank operates, asset quality remained resilient. The GNPA ratio as of March 2026 has been at 1.89% as against 2.26% as of March 2025. The NNPA has declined to 0.45% as of March 2026 from 0.58% as of March 2025. These are multi year low levels. The slippage ratio improved from 0.78% in FY25 to 0.72% in FY26, reflecting stringent monitoring and high-quality credit underwriting. Provision Coverage Ratio (PCR), including technical write-offs for FY26, stood at 93.94% as against 93.29% in the previous year. Credit cost remained stable at 0.46% in FY26 as against 0.47% in FY25 despite higher floating provisions made during FY26. This floating provision of INR 1,900 crore made during FY26 would further strengthen the Bank's balance sheet.

Strong Profitability

The operating environment remained challenging in view of the policy rate cuts posing pressure on margins for the industry as a whole. Despite this, the Bank has been pursuing the path of consistent growth with profitability. In FY26, the Bank's profitability was driven by an increase in net income interest of 2.5% YoY with interest income increasing by 3.8% and interest expenses by 4.7%. Also, during the year, the minimum balance charges were waived as part of Bank's customer centric initiatives. Even so, the fee-based income of the Bank grew by 0.7% YoY in FY26. Also, despite the hardening of the yields, the treasury income increased by 23.6%, as a result, the non-interest income was flat at INR 15,757 crore in FY26. In terms of expense management, the Bank has managed its expenses prudently with its employee cost falling by 5.2% due to the requirement of lower provisions for employees in view of higher yields even as the Bank shifted to new mortality table. The operating expenses thereby grew by 4.4% YoY. The operating profit stood at INR 32,259 crore.

Also, the Bank had received significant IT refunds during the year which resulted in reversal of certain tax provisions. As a prudent measure, the Bank has utilised these reversals for creating floating provisions thereby strengthening the Bank's balance sheet further. Thus, the net profit grew by 2.2% YoY to INR 20,021 crore in FY26. The Bank has continuously reported Return on Assets (ROA) of above 1% at 1.06% and Return on Equity (ROE) at 15.39% in FY26.

Capital Adequacy

The Bank's capital position for FY2026 stood at 15.82% with CET-1 ratio at 13.16%. The Bank has healthy average Liquidity Coverage ratio (LCR) of approx. 127% as of March 2026. The Bank has declared a dividend of INR 8.5 per share for FY2026, subject to approvals. Also, the Bank intends to keep its capital ratios healthy and has an approval for raising of capital up to INR 8,500 crore by way of common equity by various modes including QIP in suitable tranches up to March 2028.

Key Initiatives During the Year

Customer Centricity through Digital and AI-led Transformation

The Bank continued to accelerate its digital transformation journey by integrating technology-driven solutions and AI-based capabilities aimed at enhancing customer convenience, operational efficiency and financial inclusion.

The Bank's digital ecosystem now includes bob World, bob World UPI, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers (S2SPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS). As of 31 March 2026, the Bank operated 9,538 ATMs, 2,059 Cash Recyclers and 18 Digital Banking Units.

In line with its commitment to accessibility and inclusion, the Bank introduced innovative products such as the bob inSIGHT Braille Debit Card for visually impaired customers. The Bank also launched the environmentally sustainable bob Bhoomi RuPay Select Debit Card made using recycled PVC.

The Bank further strengthened its digital lending platform to enable seamless end-to-end digital journeys across Retail, Agriculture and MSME segments.

Several new services were introduced on the UPI platform, such as Foreign Inward Remittance (FIR), UPI Global, UPI123, Integration with DigiNext, Face & Bio authorization, enabling UPI payments from Internet of Things (IoT) devices, Enabling EV Categories, P2P transactions under Credit Line, new handle for SEBI registered intermediaries among others.

Bank has introduced Gen AI based Virtual Front Office (VFO) device which facilitates the Bank's Services Access through

VFO Devices. Key features of the device include AI-Powered and 3D projection of Avatar, Touch-enabled interaction. Bank has launched bob SAMVAD, a multilingual AI-enabled interaction platform application that helps customers and branch staff communicate smoothly across languages. This is an industry first AI-powered multilingual conversational platform aimed at transforming customer interactions at its branches. It removes language barriers in customer service as it enables real-time, natural interactions in a customer's preferred Indian language, helping staff understand customers' needs better and resolve queries faster thereby deliver a more consistent service experience across India's diverse linguistic landscape.

Cyber security

Cyber security continues to remain a Board-level priority and a critical enterprise risk area for the Bank. As digital banking services expand, the Bank remains committed to strengthening its cyber resilience through robust governance, advanced technology controls, employee awareness and continuous monitoring.

During the year, the Bank further enhanced its cyber security capabilities through implementation of advanced monitoring solutions, role-based access controls, vulnerability management programmes, penetration testing and strengthened incident response preparedness. Strategic initiatives such as Breach and Attack Simulation (BAS), External Attack Surface Management (EASM) and Digital Risk Monitoring (DRM) were also implemented to proactively safeguard the Bank's digital ecosystem. A comprehensive Cyber Crisis Management Plan is in place to ensure coordinated and effective response to cyber incidents while minimising operational disruptions.

Sustainability

The Bank continues to embed Environmental, Social and Governance (ESG) principles into its core strategy, recognising sustainability as a key driver of inclusive growth and long-term value creation. The Bank remains committed to its Net Zero target of 2057 and continues to integrate climate-related risks and opportunities into its business strategy through a comprehensive Climate Risk Management framework. Under its Sustainable Financing Framework, the Bank expanded financing towards renewable energy, energy efficiency and clean transportation initiatives. The bob Earth Green Term Deposit scheme received encouraging response with outstanding at INR 1,899 crore.

Significantly, the Bank became the first Indian bank to issue Domestic Green Infrastructure Bonds in India, mobilising INR 10,000 crore through a 7-year issuance for eligible green projects. The Bank also undertook several environmental initiatives including rooftop solar installations, LED adoption,

tree plantation drives, digitisation to reduce paper usage and use of recycled paper. Six of Bank's buildings received IGBC certification during the year. Further, the Bank has developed the "bob Forest," a 6,000 sq ft green oasis at the corporate office in BKC Mumbai. This urban forestry initiative promotes biodiversity and cleaner air featuring over 100 indigenous species alongside sustainable infrastructure such as rainwater harvesting systems and solar-powered installations.

The Bank continues to foster a culture of accountability, transparency, fairness and ethical conduct through its stakeholder-centric Code of Ethics and dedicated ethics counsellors.

The Bank's ESG rating has been upgraded from "Strong" to "Excellent" by ESGRisk.ai (Acuite Group) reflecting the Bank's continued progress in sustainability,

Expansion through New Subsidiaries

The Bank continued to expand its business portfolio through incorporation of new subsidiaries. The Bank has incorporated a wholly owned subsidiary as a standalone PD to transfer its existing Primary Dealer business. The key objective is to strengthen the Bank's Government Securities and Debt Capital Markets business, improve operational efficiency, and create opportunities for expansion into other RBI-permitted business lines. The subsidiary has an authorised capital of INR 2,000 crore. Further, the Bank also received approval to establish a Pension Fund Management Company, subject to further regulatory approvals.

Awards and Recognitions

The Bank continued to receive prestigious recognitions during FY2025-26, reaffirming its commitment to innovation, customer-centricity and operational excellence.

Bank of Baroda was honoured as 'Best Bank in India' at the prestigious Bank of the Year Awards 2025 instituted by The Banker, a Financial Times Group publication, reflecting the Bank's consistent growth trajectory, commitment to enhancing customer experience and focus on innovation.

In the EASE 7.0 Reforms Index, the Bank secured the 1st Runner-up position in the overall rankings under Top Performing Banks. The Bank was ranked #1 in 'Adoption of new-age technology and other advanced capabilities' and 'Developing employees for emerging banking priorities' and #3 in 'Effective risk/fraud management, collections and recovery' and 'Banking towards Viksit Bharat'.

The Bank was also honoured at the Indian Banks' Association's (IBA) 21st Annual Banking Technology Awards 2024-25, receiving four awards for Best AI & ML Adoption, Best Fintech & DPI Adoption, Best IT Risk Management and Best Tech Talent, along with a Special Mention in the Best Technology Bank category.

These recognitions reinforce the Bank's continued emphasis on innovation, technology adoption and prudent risk management, while reaffirming its commitment to delivering a secure and customer-centric banking experience while creating long-term value for all stakeholders.

Way forward

The global economy continues to face uncertainties arising from geopolitical tensions and the outlook remains sensitive to developments in West Asia, energy prices, inflationary pressures and currency movements.

Despite these challenges, the Indian economy remains well-positioned to sustain growth momentum. The banking sector is entering a transformational phase driven by important regulatory reforms such as the Expected Credit Loss framework, acquisition financing and others introduced by the Reserve Bank of India.

Against this backdrop, the Bank has established a strong operational and financial foundation that positions it well to support Viksit Bharat @ 2047 vision and create long-term value for stakeholders. With an expanded geographic presence, technology-led capabilities and customer-centric digital offerings, the Bank is well-prepared for sustainable and future-ready growth.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in all our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. Your trust is fundamental to our success and inspire us every day. At Bank of Baroda, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence and creating consistent value for all stakeholders.



Dr. Debadatta Chand
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट

"आपके निदेशकगण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) के लिए लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं."

वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख वित्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
वैश्विक जमा राशियां	14,72,035	16,48,487
जिसमें से – अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	2,29,866	2,47,197
घरेलू जमा राशियां	12,42,169	14,01,290
जिसमें से		
चालू खाता जमा राशियां	87,778	99,105
बचत बैंक जमा राशियां	4,08,684	4,45,929
घरेलू कासा जमा राशियां	4,96,462	5,45,034
घरेलू जमा राशियों में घरेलू कासा (%)	39.97	38.90
निवल अग्रिम	12,09,558	14,09,094
वैश्विक सकल अग्रिम	12,30,461	14,29,879
जिसमें से		
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	2,09,349	2,60,421
घरेलू अग्रिम	10,21,112	11,69,458
कुल कारोबार (वैश्विक जमा राशि + वैश्विक सकल अग्रिम)	27,02,496	30,78,366
कुल आस्तियां	17,81,247	20,09,164
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	46,518	47,682
अन्य आय	15,788	15,757
जिसमें से - ट्रेडिंग अभिलाभ	2,266	3,891
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	62,306	63,439
परिचालन व्यय	29,871	31,180
परिचालन लाभ	32,435	32,259
प्रावधान (कर को छोड़कर)	5,980	7,149
जिसमें से - एनपीए व बढ़ाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	5,170	5,694
कर पूर्व लाभ	26,454	25,110
कर हेतु प्रावधान	6,873	5,089
निवल लाभ	19,581	20,021
विनियोजन / अंतरण		
सांविधिक प्रारक्षित निधि	4,895	5,005
पूंजी प्रारक्षित निधि	451	1,123
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	8,415	6,663
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	1,447	1,826
III) निवेश प्रारक्षित खाता	-	-
IV) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	-	920
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	55	88
प्रस्तावित लाभांश	4,318	4,396

वित्त वर्ष 2026 में बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹16,48,487 करोड़ हो गई जो वित्त वर्ष 2025 में ₹14,72,035 करोड़ थी, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक का घरेलू कासा जमा 9.8% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹5,45,034 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू जमा राशियां भी 12.8% की वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹14,01,290 करोड़ हो गई। बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम 16.2% की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2025 के ₹12,30,461 करोड़ की तुलना में, वित्त वर्ष 2026 में ₹14,29,879 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। बैंक का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2025 के ₹27,02,496 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹30,78,366 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, इसमें 13.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक की निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 2025 के ₹46,518 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹47,682 करोड़ हो गई और इसमें 2.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2026 में ₹15,757 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2025 में ₹15,788 करोड़ थी। बैंक का परिचालन व्यय वित्त वर्ष 2026 में ₹31,180 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह ₹29,871 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2025 के ₹62,306 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹63,439 करोड़ हो गई और इसमें 1.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2025 के ₹32,435 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में ₹32,259 करोड़ रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में ₹20,021 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2025 में ₹19,581 करोड़ था और इसमें 2.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक (%)	3.08	2.89
लागत-आय अनुपात (%)	47.94	49.15
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	1.16	1.06
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	16.96	15.38
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	223.26	251.73
मूल ईपीएस (₹)	37.86	38.72

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2025 के 3.08% की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में 2.89% रहा। लागत-आय अनुपात वित्त वर्ष 2025 के 47.94% की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में 49.15% हो गया। वित्त वर्ष 2026 के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2025 के 1.16% की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में 1.06% हो गया। वित्त वर्ष 2026 में इक्विटी पर प्रतिफल 15.38% रहा, जो वित्त वर्ष 2025 में 16.96% था। प्रति शेयर बही मूल्य वित्त वर्ष 2025 के ₹223.26 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹251.73 हो गया। प्रति शेयर अर्जन वित्त वर्ष 2025 के ₹37.86 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹38.72 हो गया।

निधियों की औसत लागत और आय तथा औसत ब्याज अर्जक आस्तियां

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
निधियों की औसत लागत (%)	5.27	5.00
निधियों पर औसत आय (%)	8.10	7.69

औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	15,10,144	16,51,998
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में)	14,38,612	15,85,131

वित्त वर्ष 2026 में निधि की औसत लागत और निधि पर लाभ क्रमशः 5.00% और 7.69% रहा। औसत ब्याज अर्जक आस्तियां वित्त वर्ष 2025 के ₹15,10,144 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹16,51,998 करोड़ हो गई। औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं भी वित्त वर्ष 2025 के ₹14,38,612 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹15,85,131 करोड़ हो गई।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

(अनुपात % में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल III	17.19	15.82
सीईटी - 1	13.78	13.16
टीयर I	14.79	13.64
टीयर II	2.40	2.18

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) दिनांक 31 मार्च, 2025 के 17.19% की तुलना में 31 मार्च, 2026 को 15.82% हो गया। वित्त वर्ष 2026 के दौरान सीईटी-1 अनुपात वित्त वर्ष 2025 के 13.78% की तुलना में 13.16% हो गया। समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2025 के 17.60% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2026 को 16.25% हो गया।

निवल संपत्ति

बैंक की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹1,15,457.35 करोड़ के सापेक्ष में वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹1,30,177.24 करोड़ हो गई। जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,035.53 करोड़ और प्रारक्षित निधि ₹1,29,141.71 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) शामिल है।

शेयर (अंकित मूल्य 2) का बही मूल्य वित्त वर्ष 2025 के ₹223.26 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹251.73 रहा।

सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने पेंशन (₹2498.57 करोड़) एवं ग्रेच्युटी हेतु संशोधित प्रावधान (₹157.78 करोड़), छुट्टी नकदीकरण, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभों (₹109.62 करोड़) में अंशदान हेतु प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान इन श्रेणियों के तहत कुल प्रावधान ₹2231.17 करोड़ रहा।

लाभांश वितरण

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹8.50 के लाभांश का प्रस्ताव किया है। लाभांश के रूप में ₹4,395.66 करोड़ का कुल भार आया। लाभांश का भुगतान अपेक्षित मंजूरी के अधीन है।

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2025 में वैश्विक वृद्धि स्थिर रही, जिसे एआई आधारित निवेश में वृद्धि, व्यापार अनिश्चितता में कमी एवं कई अर्थव्यवस्थाओं में अनुकूल राजकोषीय

एवं मौद्रिक नीतियों का समर्थन प्राप्त रहा। 2025 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.4% दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के समान ही रही। विश्व जीडीपी में 60% से अधिक का योगदान देने वाली अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर स्थिर रही। विकास के परिणाम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न रहे, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कुछ तेजी देखी गई और यह 2024 में 1.8% की तुलना में 2025 में 1.9% तक पहुंच गई। दूसरी ओर, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईएस) में वृद्धि 2024 के 4.5% से आंशिक रूप से घटकर 2025 में 4.4% हो गई।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका में जीडीपी वृद्धि 2024 में 2.8% से घटकर 2025 में 2.1% हो गई। इसका मुख्य कारण सबसे लंबे समय तक सरकारी कामकाज बंद रहने से सरकारी खर्च में आई भारी गिरावट थी। हालांकि, चौथी तिमाही में एआई संचालित खर्च ने चौथी तिमाही में होने वाले विकास को कुछ समर्थन प्रदान किया, लेकिन आयात में वृद्धि ने इसे बेअसर कर दिया। यूरो क्षेत्र में, वृद्धि में सुधार जारी रहा, 2025 में जीडीपी वृद्धि 1.4% दर्ज की गई जो 2024 की तुलना में 50 बीपीएस अधिक है। यह जर्मनी में हुए तीव्र सुधार के कारण संभव हुआ है। जर्मनी ने 2024 के -0.5% की गिरावट को रिवर्स करते हुए 2025 में 0.2% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो सरकार की राजकोषीय व्यय में वृद्धि द्वारा समर्थित थी। दूसरी ओर, फ्रांस में विकास दर 2024 के 1.1% से घटकर 2025 में घटकर 0.9% हो गयी। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, जापान और यूनाइटेड किंगडम (यूके) दोनों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में सुधार हुआ। जापान में, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ने 2024 के -0.2% की गिरावट के विपरीत 2025 में 1.2% की वृद्धि दर्ज की। यूके में, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2024 में 1.1% की तुलना में बढ़कर 2025 में 1.3% हो गई। उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्था (ईएमडीईएस) में, चीन ने 2025 में 5% की स्थिर वृद्धि दर्ज की। सरकार के प्रोत्साहन उपायों और निर्यात में सुधार ने विकास को समर्थन दिया।

तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.8% से घटकर 2025 में 4.1% हो गई। देशों के समूहों के भीतर, मुद्रास्फीति में कमी 2024 के 2.6% की तुलना में 2025 में घटकर 2.5% रह गई। दूसरी ओर, ईएमडीईएस मुद्रास्फीति में काफी तेजी से कमी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 8% की जगह 2025 में 5.2% हो गई। इसके अलावा, जहां 2025 में तेल की कीमतों में -14.4% की गिरावट आई, वहीं इसी अवधि में गैर-ईंधन की कीमतों में 9.6% की वृद्धि हुई।

वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में तेजी आई और इसमें 5.1% की वृद्धि हुई, जबकि 2024 में 3.7% की वृद्धि हुई थी। यह सुधार मुख्य रूप से सेमी-कंडक्टर और अन्य उपकरणों जैसे प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के कारण हुआ। अन्य निर्यातों में मामूली वृद्धि देखी गई। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार संबंध में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। हालांकि, चीन द्वारा अमेरिका को निर्यात में तेजी से गिरावट आई, लेकिन यूरोप और अन्य एशियाई देशों को निर्यात में वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई।

आईएमएफ के आकलन के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2026 की चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों की गति में स्थिर विस्तार देखा है। हालांकि, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्ष से एक बार फिर से आर्थिक सुधार में बाधा आने की आशंका है। कमोडिटी की ऊंची कीमतों के कारण इस संकट का प्रत्यक्ष प्रभाव सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने की संभावना है। संकट का अप्रत्यक्ष प्रभाव उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदों और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के द्वितीयक प्रभाव से उत्पन्न होगा। हालांकि, यह प्रभाव एक समान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आयात पर अत्यधिक निर्भरता और तेजी से मूल्यहास के कारण उभरते ईएमडीई पर इसका प्रभाव कहीं अधिक होगा। वास्तविक प्रभाव, संघर्ष की अवधि और तीव्रता पर निर्भर होगा जो कि अज्ञात है। इसलिए,

आईएमएफ ने वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति के लिए तीन परिदृश्य- संदर्भ, प्रतिकूल और गंभीर, तैयार किए हैं।

संदर्भ परिदृश्य के अनुसार, जिसमें यह माना गया है कि वर्तमान संघर्ष अल्पकालिक है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2025 के 3.4% से घटकर 2026 में 3.1% तक होने की उम्मीद है। व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं में छूट, मौजूदा नीतिगत समर्थन के निरंतर प्रभाव और 2025 के अंत तक अपेक्षा से अधिक मजबूत विकास परिणामों से वृद्धि को समर्थन मिलेगा। वैश्विक मुद्रास्फीति भी 2025 के 4.1% से बढ़कर 2026 में 4.4% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि है।

2026 में उभरती अर्थव्यवस्था (ईईएस) की वृद्धि में सामान्य गिरावट आने की उम्मीद है और यह 1.8% (2025 में 1.9% से) रहेगी। इसके भीतर, अमेरिका के जीडीपी वृद्धि में 2.3% तक सुधार होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण निरंतर राजकोषीय समर्थन और नीतिगत दरों में कटौती का विलंबित प्रभाव है। दूसरी ओर, यूरो क्षेत्र वृद्धि दर में गिरावट आने का अनुमान है और यह 1.1% तक पहुंच जाएगा जिसका मुख्य कारण ऊर्जा की उच्च कीमतों है जो विनिर्माण क्षेत्र पर दबाव डालेगी। जापान और ब्रिटेन की वृद्धि में मंदी अधिक स्पष्ट है, जहां जीडीपी वृद्धि क्रमशः 0.7% और 0.8% रहने का अनुमान है, जो 2025 के सापेक्ष 50 बीपीएस कम है। ईएमडीईएस के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2026 में घटकर 3.9% (2025 में 4.4%) रहने का अनुमान है। आवास क्षेत्र के संकट, घटते श्रम बल और उत्पादकता में कम वृद्धि के प्रभाव के कारण चीन की वृद्धि दर 2026 में घटकर 4.4% रहने का अनुमान है। 2026 में वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4% होने का अनुमान है, जिसमें ईई और ईएमडीईएस दोनों में मुद्रास्फीति क्रमशः 30 बीपीएस से बढ़कर क्रमशः 2.8% और 5.5% हो जाएगी। 2026 में तेल की कीमतों में 21.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि गैर-ईंधन कीमतों में भी 21.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही, वैश्विक व्यापार की मात्रा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने और इसके 2025 में 5.1% की वृद्धि के बाद 2026 में 2.8% होने की आशंका है।

प्रतिकूल परिदृश्य में वैश्विक विकास दर 2025 के 3.4% से घटकर 2026 में 2.5% तक पहुंचने की आशंका है। इस परिदृश्य में तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति की उम्मीदों में उल्लेखनीय वृद्धि मानी गई है, साथ ही वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थितियों में अस्थिरता भी काफी अधिक रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति पर भी इसका प्रभाव काफी अधिक होने की आशंका है, वैश्विक मुद्रास्फीति 2026 में 5.4% तक पहुंचने का अनुमान है। इस परिदृश्य में, संघर्ष का प्रभाव व्यापक एवं दीर्घकालिक माना जा रहा है। तेल की कीमतों में और अधिक तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे मुद्रास्फीति के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। विभिन्न देशों में वित्तीय स्थितियां काफी गंभीर होने की संभावना है। परिणामस्वरूप, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति के प्रभाव अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। 2026 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2.1% रहने का अनुमान है, जबकि इसी अवधि में वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़कर 5.8% होने का अनुमान है। इन दोनों परिदृश्यों में, ईएमडीई पर प्रभाव ईई की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

लंबे इंतजार के बाद, भारत ने 2011-12 के आधार वर्ष को प्रतिस्थापित करते हुए, 2022-23 के नए आधार वर्ष पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) श्रृंखला जारी की। नई श्रृंखला पर आधारित द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में जीडीपी वृद्धि 7.6% की मजबूत दर पर रहने की उम्मीद है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में 7.1% (स्थिर कीमतों पर) रही थी। खर्चों के संदर्भ में बात करें तो, निजी अंतिम उपभोग खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में इसमें 7.7% की बढ़ोतरी हुई, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 5.8% थी। वित्त वर्ष 2026 में निवेश वृद्धि 7.1% रही है, जबकि वित्तवर्ष

2025 में यह 6.4% थी। साथ ही, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय वित्तीय वर्ष 2026 में 6.6% (वित्त वर्ष 2025 में 6.5%) की स्थिर वृद्धि होने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026 में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 7.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2025 में 7.3% की वृद्धि से अधिक है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के साथ उद्योग क्षेत्र में वित्त-वर्ष 2026 में 8.9% की मजबूत वृद्धि की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। वास्तव में, वित्त-वर्ष 2025 में 9.3% की वृद्धि के पश्चात, वित्त-वर्ष 2026 में विनिर्माण के क्षेत्र में 11.5% की शानदार वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, खनन और बिजली उत्पादन में वृद्धि धीमी गति से होने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है और वित्त-वर्ष 2026 में विकास दर 10.1% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.6% थी। व्यापार, होटल और परिवहन आदि से सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में 4.2% की वृद्धि दर्ज करने के पश्चात, वित्त वर्ष 2026 के कृषि उत्पादन में वृद्धि दर घटकर 2.4 % तक कम होने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति का दबाव काफी कम हो गया, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में आई गिरावट है। विशेष रूप से, इस वर्ष एक नई और पुनर्आधारित मुद्रास्फीति श्रृंखला भी जारी की गई है। सीपीआई श्रृंखला का आधार पहले 2011=100 से बदलकर 2024=100 कर दिया गया। वित्त वर्ष 2026 में हेडलाइन सीपीआई का औसतन 2.1% रहा, जो वित्त वर्ष 2025 में 4.6% की तुलना में कम है। वास्तव में, खाद्य मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी के कारण वित्त वर्ष 2026 के सभी महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य सीमा से नीचे रही। खाद्य श्रेणी में अप्रैल'25 से दिसंबर'25 (पुरानी श्रृंखला) के बीच 1.7% की अपस्फीति दर देखी गई। हालांकि, नई श्रृंखला के तहत, खाद्य मुद्रास्फीति ने कुछ ऊपर की ओर वृद्धि दिखायी, जो जनवरी'26-मार्च'26 (नई श्रृंखला) में औसतन 3.2% थी। हालांकि, यह वित्तीय वर्ष 2025 में 7.3% से कम थी। खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी व्यापक स्तर पर देखी गई, जिसमें सब्जियों और दालों की कीमतों में सबसे अधिक गिरावट आई। वित्त वर्ष 2026 में मुख्य मुद्रास्फीति 4% के स्तर से लगातार ऊपर बनी रही।

वित्तीय वर्ष 2026 (अप्रैल'25-फरवरी'26) के लिए भारत का राजकोषीय घाटा ₹12.5 लाख करोड़ रहा, जो इस वर्ष के संशोधित वार्षिक लक्ष्य का लगभग 80.4% है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) 4.4% (₹15.6 लाख करोड़) निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में अब तक केंद्र सरकार के निवल कर राजस्व में 8.7% की वृद्धि हुई है, जबकि गैर-कर राजस्व में 17.8% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2027 के लिए, सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा है।

भारत की बाह्य स्थिति के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2026 में माल निर्यात में 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह वृद्धि में 0.1% थी। वित्त वर्ष 2026 में आयात वृद्धि 7.6% है, जो पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2025 में 6.9%) की तुलना में मामूली रूप से अधिक है। परिणामस्वरूप, भारत का माल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2025 में 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 333 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवाओं के निर्यात में वित्त वर्ष 2026 में 7.5% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2025 में 14.1% की वृद्धि से कम है। हालांकि, सेवाओं के आयात में भारी कमी के कारण, सेवाओं के अभाव में अधिशेष वित्त वर्ष 2025 में 189 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 214 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल'25-दिसंबर'25 में सकल घरेलू उत्पाद के 1% पर नियंत्रित रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत से कम है। वित्तीय वर्ष 2025 में 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 22.7 बिलियन

अमेरिकी डॉलर की निवल वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2026 में भारतीय रुपये (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में 9.9% की गिरावट आई, जबकि वित्तवर्ष 2025 में इसमें 2.4% की गिरावट आई थी। इसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी मुद्रा निवेश (एफपीआई) की निकासी थी। वित्तीय वर्ष 2025 में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रवाह की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026 में एफपीआई आउटफ्लो 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

मौद्रिक नीति के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 में अपनी पॉलिसी रेपो दर में संचयी रूप से 100 बीपीएस कमी की है। वित्तीय वर्ष 2025 में 25बीपीएस की कमी की गई थी। दिसंबर'2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25% कर दिया एवं बाद में इसे फरवरी'2026 में स्थिर रखा। मौद्रिक नीति के रुख को अप्रैल'25 में तटस्थ से उदार में बदल दिया गया था, जिसे बाद में जून'25 में उलट दिया गया था। मौद्रिक नीति का रुख अप्रैल'25 में तटस्थ से उदार में बदल दिया गया था, जिसे बाद में जून'25 में बदल दिया गया था। इसलिए, मौद्रिक नीति के रुख को जून'25 से तटस्थ के रूप में बनाए रखा गया।

भारतीय बैंकिंग में विकास

वित्त वर्ष 2026 में भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी रही। लाभप्रदता में मजबूत वृद्धि, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, पर्याप्त पूंजी भंडार और ऋण की सतत वृद्धि ने इसे और सुदृढ़ किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च'25 के 2.3% से घटकर सितंबर'25 में कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर आ गया। इसी प्रकार, एससीबी का निवल निष्पादित परिसंपत्ति (एनएनपीए) अनुपात भी सितंबर'25 तक 0.5% पर काफी कम रहा। सितंबर '25 तक एससीबी की जोखिम भारित परिसंपत्ति (सीआरएआर) अनुपात के लिए पूंजी 17.2% के साथ नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है। वास्तव में, भारिबैं आई के स्ट्रेस टेस्ट के परिणाम बताते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसान झेलने और विनियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक पूंजी भंडार बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है।

व्यावसायिक विकास के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2025 (21 मार्च 2025) में 11% की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में एससीबी की ऋण वृद्धि में 16.1% तक सुधार हुआ। इसी अवधि में, एससीबी की जमा वृद्धि भी वित्त वर्ष 2025 में 10.3% की तुलना में 13.5% हो गई। क्षेत्रवार सभी श्रेणियों में व्यापक सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में उद्योग को दिए गए ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि द्वारा समर्थित थी। सेवा क्षेत्र में भी एनबीएफसी और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों द्वारा समर्थित ऋण वृद्धि में तेजी आई है। वाहन ऋण, अन्य व्यक्तिगत ऋण और स्वर्ण ऋण में वृद्धि के कारण खुदरा ऋण में भी तेजी दर्ज की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक की पॉलिसी रेपो दर मार्च'26 के अंत में 5.25% थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 में 100 बीपीएस की संचयी कमी देखी गयी। इसके प्रभाव की बात करें तो, वित्त वर्ष 2026 में नए रूपी ऋण पर एससीबी की भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में 95 बीपीएस की गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में नए रूपी जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 65 बीपीएस की गिरावट आई है।

ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने और ब्याज दरों में कटौती का उचित प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 में बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता अधिशेष बनाए रखा। वित्त वर्ष 2026 के दौरान पंजीकृत औसत तरलता अधिशेष 1.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्तवर्ष 2025 में यह आंशिक रूप से घाटे में था। वर्ष के दौरान बीच-बीच में अस्थिरता के दौर आए, जिन्हें भारिबैं के लिक्विडिटी प्रबंधन उपायों द्वारा नियंत्रित किया गया। इनमें

ओएमओ खरीद नीलामी, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वेप नीलामी और दीर्घकालिक वीआरआर नीलामी शामिल थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में डिजिटल भुगतान को सुगम बनाना, फिनटेक के लिए नियामक सहायता प्रदान करना एवं एससीबी और एनबीएफसी के लिए नियामक अनुपालन दायित्व को कम करने का लक्ष्य रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होने वाले अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) फ्रेमवर्क के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए, जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले वास्तविक हानि मॉडल को प्रतिस्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैं ने बैंकिंग प्रणाली को अधिक जोखिम संवेदनशील बनाने के लिए बैंकों के जोखिम-भार मानदंडों में बदलाव का भी प्रस्ताव दिया, जो बेसल III मानकों के अनुरूप है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विलय और अधिग्रहण के तहत बैंकों को निधि प्रदान करने के लिए एक नया पूंजी बाजार एक्सचेंजर भी पेश किया, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। भारिबैं ने बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कई व्यापार राहत उपाय भी पेश किए। इन उपायों का उद्देश्य मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों पर अतिरिक्त समय, निर्यात वित्त के लिए पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करना था।

ईज

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार एजेंडा को जनवरी 2018 में एन्हांड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईएएसई) के रूप में शुरू किया गया था। ईज सुधारों के प्रारंभिक सेट में, ईज 1.0, ईज 2.0 और ईज 3.0 ने बैंकिंग के कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण जैसे डिजिटल-फर्स्ट सुधारों जैसे कि 'डायल-ए-लोन', 'क्रेडिट@क्लिक', प्रौद्योगिकी, एनालिटिक्स, आस्ति गुणवत्ता सुधार, परिणाम केंद्रित एचआर और समग्र गवर्नेंस का समर्थन किया।

ईज का चौथा संस्करण ईज 4.0, ईज 5.0 एवं ईज 6.0 मुख्य रूप से एनालिटिक्स द्वारा समर्थित स्मार्ट लेंडिंग, सुदृढ़ प्रौद्योगिकी और क्लाउड-आधारित आईटी प्रणालियों के साथ 24x7 बैंकिंग, डेटा-सक्षम कृषि वित्तपोषण, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग, उन्नत डिजिटल और डेटा संचालित बैंकिंग, क्लाउड एडॉप्शन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता, एनालिटिक्स संचालित व्यवसायिक सुधार और मानव संसाधन परिचालन को बढ़ाने पर केंद्रित था।

ईज 7.0 सुधार एजेंडा में, बैंकों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने, सुदृढ़ ग्राहक सेवा पर फोकस बनाए रखने, परिचालन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नए युग की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

17 मार्च 2025 को ईज राइज 8.0 शुरू किया गया, जिसमें बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और ग्राहक उत्कृष्टता के लिए ड्राइविंग इनोवेशन पर ध्यान देने के साथ नए जमाने की ज़िम्मेदारी और डेटा प्रबंधन क्षमताओं सहित दूरदर्शी सुधारों की शुरुआत की गई। सुधारों में उभरते ग्राहक वर्गों की स्थिरता और सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

20 फरवरी 2026 को ईज राइज 9.0 शुरू किया गया और यह 'विकसित भारत @ 2047' के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पीएसबी के निर्माण पर केंद्रित करने के साथ ईज राइज 8.0 एजेंडे को अगले स्तर पर ले जाता है।

ईज के सिद्धांतों से प्रेरित होकर हमें एक परिवर्तनकारी जर्नी शुरू की है - जहां प्रौद्योगिकी और विश्वास का संगम होता है, नवाचार समावेशन को बढ़ावा मिलता है और बैंकिंग प्रत्येक ग्राहक के लिए सरल और स्मार्ट जाती है। कर्मचारी कार्यक्षमताओं में बढ़ोतरी, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, डिजिटल सेवाओं का विस्तार,

प्रौद्योगिकी-सक्षम ऋण वितरण और बेहतर ग्राहक प्रतिक्रिया परिवर्तन की पहचान बन गई।

ईज 8.0 सुधार एजेंडा के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

- दिव्यांगजनों और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए सेवाओं की सुगमता बढ़ाना - दिव्यांगजनों की स्थिति की पहचान करना और समावेशी भौतिक बुनियादी अवसंरचना (ब्रेल डेबिट कार्ड, रैंप, शाखाओं में उपलब्ध व्हीलचेयर) तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (टार्किंग एटीएम, IS17802 के अनुरूप डिजिटल चैनल, वेब सामग्री सरल दिशानिर्देश) को अपनाना शामिल हैं।
- बढ़ती हुई ऊर्जा खपत को बढ़त को कम करके और ग्रीन पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए बैंक द्वारा परिचालन को कार्बन मुक्त बनाकर पर्यावरण को स्थिरता प्रदान करना।
- गिग वर्कर्स, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूलित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ग्राहक की पसंदीदा भाषा में सेवा की उपलब्धता को और अधिक व्यापक बनाना - डिजिटल और शाखा चैनलों में बहुभाषी ग्राहक सेवा उपलब्ध कराना।
- क्लस्टर-आधारित सोर्सिंग रणनीति के माध्यम से कृषि अधिग्रहण में तेजी लाना और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना।
- समर्पित ग्राहक अनुभव उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पुनर्गठित व्यवस्था, सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को अपनाना, सीएसएटी और एनपीएस स्कोर के माध्यम से कार्रवाई योग्य और व्यापक ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करना।
- हमारी मुख्य प्रणालियों के साथ उन्नत एआई क्षमताओं को एकीकृत करके संपर्क केंद्रों को ग्राहक संतुष्टि केंद्रों में विकसित करना।
- भौतिक और डिजिटल चैनलों में सभी प्रमुख व्यवसायिक जर्नी के लिए बेहतर लीड ड्रॉप ऑफ मैनेजमेंट के परिणामस्वरूप प्रभावी टीएटी के लिए निगरानी और सुधार करना।
- बेहतर क्षमताओं के माध्यम से कई चैनलों में डिजिटल जर्नी की निरंतरता को सक्षम करने के लिए ओमनी चैनल ऑर्किस्ट्रेशन और क्रॉस प्लेटफॉर्म को सक्षम करके ग्राहक सुविधा को सुव्यवस्थित करना।
- जेन एआई एडॉप्शन एंड एजेंटिक एआई एडॉप्शन - बैंक ने ग्राहकों को उनकी जोखिम क्षमता/वित्तीय लक्ष्यों और जेन एआई उपयोग के मामलों के आधार पर क्यूरेटेड निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट एआई की शुरुआत की है।
- एआई सक्षम वॉयस बॉट/चैटबॉट का लाभ उठाकर संचालित संग्रह का डिजिटलीकरण और स्वचालन करना।
- उन्नत आरओसी क्षमताओं और डिजिटल फोरेंसिक तत्परता के एकीकरण के माध्यम से खतरे से निपटने की क्षमता में सुधार करके बैंक को उभरते बेहतर साइबर खतरों से सुरक्षित किया जा सकता है।
- बाह्य लेखा परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, पैनल अधिवक्ताओं आदि के लिए वर्कफ़्लो को डिजिटलीकरण कर एकीकृत बाहरी भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

- बेहतर अनुकूलित क्षमताओं और दक्षता के लिए उद्योग सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अनुकूलित पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क, पूंजी नियोजन प्रक्रिया क्षमता और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना।
- भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाना- भावनात्मक कल्याण मूल्यांकन, मेंटरशिप कार्यक्रम, परामर्श सहायता, एम्प्लॉई हैंप्पीनेस इंडेक्स मेट्रिक्स, बेहतर प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम को संस्थागत रूप देना, साथ ही कर्मचारियों की मानसिक सुदृढ़ता और उन्नत कार्यकुशलता को संरक्षित करना।

ईज कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के अंतर्गत निर्धारित कार्य बिंदुओं में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन और नई क्षमताओं के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इन प्रगतियों ने न केवल बैंक के परिचालन को आधुनिक बनाया है, बल्कि अनुकूलता एवं विश्वसनीय तरीके से निर्बाध, चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है।

यह परिवर्तन सिर्फ तकनीकी ही नहीं - बल्कि सांस्कृतिक भी है।

परिचालनगत कार्यनिष्पादन एवं महत्त्वपूर्ण अनुपात

बैंक की परिचालनात्मक कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

परिचालनात्मक कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
अर्जित ब्याज	1,22,301	1,26,994
प्रदत्त ब्याज	75,783	79,311
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	46,518	47,682
अन्य आय	15,788	15,757
ट्रेडिंग लाभ	2,266	3,891
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	62,306	63,439
परिचालन व्यय	29,871	31,180
कर्मचारी व्यय	16,608	15,741
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	13,264	15,439
परिचालन व्यय	32,435	32,259
कर्मचारी व्यय	5,980	7,149
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	5,170	5,694
परिचालन व्यय	419	1,207
कर्मचारी व्यय	37	59
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	353	190
परिचालन व्यय	26,454	25,110
कर्मचारी व्यय	6,873	5,089
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	19,581	20,021

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2025 में ₹46,518 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹47,682 करोड़ हो गई, जिसमें 2.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2026 में ब्याज आय 3.8% की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर ₹1,26,994 करोड़ हो गई। ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2026 में ₹79,311 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2025 में ₹75,783 करोड़ था।

बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2026 में ₹15,757 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2025 में ₹15,788 करोड़ थी। बैंक का परिचालन खर्च वित्त वर्ष 2026 में 31,180 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह ₹29,871 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2025 में ₹62,306 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹63,439 करोड़ रुपये हो गई, इस प्रकार इसमें 1.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

कुल प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएं वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹7,149 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2025 के दौरान यह ₹5,980 करोड़ थी। कुल प्रावधान में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2026 में ₹5,694 करोड़ रहा, जो कि वित्त वर्ष 2025 में यह ₹5,170 करोड़ था।

बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2025 के ₹32,435 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में ₹32,259 करोड़ रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में ₹19,581 करोड़ की तुलना में निवल लाभ में 2.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2026 में ₹20,021 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

महत्त्वपूर्ण अनुपात

महत्त्वपूर्ण अनुपात	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
जमाराशियों की लागत - वैश्विक - (%)	5.10	4.87
जमाराशियों की लागत - घरेलू - (%)	5.21	5.07
जमाराशियों की लागत - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	4.46	3.70
अग्रिम पर प्रतिफल - वैश्विक - (%)	8.39	7.71
अग्रिम पर प्रतिफल - घरेलू - (%)	8.88	8.24
अग्रिम पर प्रतिफल - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	6.13	5.34
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक - (%)	3.08	2.89
निवल ब्याज मार्जिन - घरेलू - (%)	3.25	3.04
निवल ब्याज मार्जिन - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	1.94	1.74
लागत-आय अनुपात (%)	47.94	49.15
वैश्विक औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	1.16	1.06
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	16.96	15.38

वित्त वर्ष 2025 में जमा (वैश्विक) 5.10% की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में घटकर 4.87% रह गयी। अग्रिम (वैश्विक) पर प्रतिलाभ 7.71% रहा। वित्त वर्ष 2026 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.04% और घरेलू निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) (वैश्विक) 2.89% रहा। वित्त वर्ष 2026 में लागत-आय अनुपात 49.15% रहा। वित्त वर्ष 2026 के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.06% और इक्विटी पर प्रतिलाभ 15.38% दर्ज किया गया।

संसाधन संग्रहण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026	वर्ष दर वर्ष
कुल जमाएं	14,72,035	16,48,487	12.0
अंतर्राष्ट्रीय जमाएं	2,29,866	2,47,197	7.5
कुल कासा	5,56,666	6,13,207	10.2
कुल चालू खाता जमाएं	1,43,729	1,62,664	13.2
कुल बचत बैंक जमाएं	4,12,937	4,50,543	9.1

वैश्विक %	37.82	37.20	(62)bps
घरेलू जमाएं	12,42,169	14,01,290	12.8
घरेलू कासा जमाएं	4,96,462	5,45,034	9.8
घरेलू चालू खाता जमाएं	87,778	99,105	12.9
घरेलू बचत खाता जमाएं	4,08,684	4,45,929	9.1
घरेलू जमाओं में घरेलू कासा (%)	39.97	38.90	(107)bps

वैश्विक जमा एवं वैश्विक कासा

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक की कुल जमाएं बढ़कर ₹16,48,487 करोड़ हो गईं, जो वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹14,72,035 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 12% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां वित्त वर्ष 2025 में ₹2,29,866 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹2,47,197 करोड़ हो गईं, जिसमें 7.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक का वैश्विक कासा वित्त वर्ष 2025 के ₹5,56,666 करोड़ से 10.2% की वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2026 में ₹6,13,207 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। बैंक की कुल चालू जमा राशि वित्त वर्ष 2025 के ₹1,43,719 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 को ₹1,62,664 करोड़ हो गई, जो कि 13.2% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। बैंक की कुल बचत जमा राशि वित्त वर्ष 2025 के ₹4,12,937 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 को ₹4,50,543 करोड़ हो गई, जो कि इस अवधि के दौरान 9.1% की वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक जमा की तुलना में वैश्विक कासा का प्रतिशत वित्त वर्ष 2025 में 37.82% से वित्त वर्ष 2026 में 37.20% हो गया है।

घरेलू जमा और घरेलू कासा

बैंक की घरेलू जमाराशि 31.03.2025 के ₹12,42,169 करोड़ से बढ़कर 31.03.2026 को ₹14,01,290 करोड़ हो गई, इस अवधि के दौरान 12.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2026 को बैंक की घरेलू कासा जमा में 9.8% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹5,45,034 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने घरेलू जमाराशियों के सापेक्ष 38.90% के घरेलू कासा अनुपात को हासिल किया। वित्त वर्ष 2026 को चालू खाता जमा में 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹99,105 करोड़ हो गया, जबकि घरेलू बचत बैंक जमा 9.1% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2026 में ₹4,45,929 करोड़ रहा।

कम लागत वाली जमा जुटाने की पहल

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने 85.17 लाख नए कासा खाते खोलकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। नए खोले चालू खातों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई और रिकॉर्ड 3.17 लाख चालू खाते रही। इस दौरान, वीसीआईपी और टैब मोड का उपयोग करके कागज रहित मोड में खाते खोलने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। बैंक ने विशिष्ट ग्राहक वर्ग के लिए प्रीमियम बचत बैंक उत्पाद, मास्टरस्ट्रोक लाइट एसबी खाता, बॉब वुमेन सफायर बचत खाता, बॉब एस्पायर बचत खाता आरंभ किया है – जो अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिंग समाधानों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स के साथ क्यूआर कोड, आईपी और बीसीएमएस जैसे प्रमुख साधन कासा बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, डीईएफ सक्रियण शुरू करने और शून्य शेष खातों की फंडिंग के प्रयास किए गए।

डिजिटल क्षेत्र में, बैंक ने वीसीआईपी और टैब मोड जैसे विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक अधिग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने 83868 वीसीआईपी एसबी खाते खोले। वित्त वर्ष 2026 में बैंक ने 3,17,021 चालू खाते खोले; जिनमें से 71% (2,25,446) खाते टैब मोड के माध्यम से खोले गए। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026 में 48,80,585 गैर-एफआई एसबी खाते खोले गए; जिनमें से 63% (30,97,469) खाते टैब मोड के माध्यम से खोले गए।

बैंक ने बॉब अर्थ ग्रीन डिपॉजिट के अंतर्गत उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसे बैंकिंग समुदाय में अच्छी मान्यता हुई। बैंक ने बॉब परिवार अवधारणा, "मेरा परिवार, मेरा बैंक" पेश किया, जो परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस पहल के अंतर्गत प्रीमियम ग्राहकों के लिए श्रेणीबद्ध पेशकशें शामिल हैं, जो उन्हें उनके कासा शेष राशि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करती हैं: राइज़, शाइन और स्पार्कल। इन ग्राहकों को निर्दिष्ट पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से सुदृढ़ संपर्क कायम कर बेहतर बैंकिंग सेवा हेतु वैयक्तिकृत सेवाएं प्राप्त होती हैं।

नए वेतन खातों के लिए बैंक ने सरकारी विभागों एवं संस्थानों के साथ 400 से अधिक नॉन कस्टमाइज एवं कस्टमाइज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर लिए हैं। नवगठित कंपनियों के चालू खाते खोलने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण के परिणामस्वरूप कुल 122 चालू खाते खोले गए हैं।

ऋण विस्तार

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹12,30,461 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹14,29,879 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, इस प्रकार इसमें 16.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2026 को सकल घरेलू अग्रिम बढ़कर ₹11,69,458 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2025 को यह ₹10,21,112 करोड़ था, इस प्रकार इस अवधि में 14.5% की वृद्धि हुई। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम वित्त वर्ष 2026 के दौरान बढ़कर ₹2,60,421 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹2,09,349 करोड़ था, इस प्रकार इसमें 24.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक के मुख्य ऋण पोर्टफोलियो में हुई वृद्धि निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़ में)			
सेगमेंट	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026	वर्ष दर वर्ष (%)
रिटेल *	2,56,633	3,02,598	17.9
कृषि	1,58,324	1,91,063	20.7
एमएसएमई *	1,38,190	1,59,786	15.6
कॉर्पोरेट	4,10,461	4,56,584	11.2
अन्य	57,504	59,427	3.3
सकल घरेलू अग्रिम	10,21,112	11,69,458	14.5
अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम	2,09,349	2,60,421	24.4
वैश्विक सकल अग्रिम	12,30,461	14,29,879	16.2

*पूल खरीद (ऑर्गेनिक) को छोड़कर

रिटेल अग्रिम (ऑर्गेनिक) वित्त वर्ष 2025 के ₹2,56,633 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹3,02,598 करोड़ हो गई, जिससे 17.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का कृषि अग्रिम वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹1,91,063 करोड़

रहा, जिसमें 20.7% की वृद्धि हुई, इसी प्रकार, एमएसएमई (ऑर्गेनिक) अग्रिम वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹1,59,786 करोड़ हो गया है और जिसमें 15.6% की वार्षिक वृद्धि हुई। 31.03.2026 तक पूल खरीद सहित रिटेल अग्रिम ₹3,20,116 करोड़ रहा और पूल खरीद सहित एमएसएमई ₹1,64,419 करोड़ रहा।

बैंक का कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2025 के ₹4,10,461 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹4,56,584 करोड़ हो गया और इस तरह इसमें 11.2% की वार्षिक वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में अपने ऋण पोर्टफोलियो में बढ़ोत्तरी हेतु कई पहलें सफलतापूर्वक लागू की है। बैंक ने अपने शाखा बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है ताकि अग्रिम पोर्टफोलियो को सुदृढ़ किया जा सके। इसके माध्यम से ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने और ऋण संवितरण प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास किया गया है। बैंक का डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान कर रहा है। यह ग्राहकों को सहज और अनुकूल डिजिटल ऋण जर्नी उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान बैंक ने रिटेल ऋण सेगमेंट में कई डिजिटल ऋण उत्पादों की सुदृढ़ता प्रदान की है, जिनमें बॉब इंस्टा पर्सनल लोन (बॉब आईपीएल), डिजिटल टू-क्लीर लोन, एनहांसड अर्नड सैलरी एडवांस स्कीम और डिजिटल पीएम सूर्य घर योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम विश्वकर्म योजना को बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर अपने ईटीबी ग्राहकों के लिए लागू किया गया। वित्त वर्ष 2026 में कृषि सेगमेंट में बैंक ने डिजिटल ऋण व्यवसाय को और सशक्त बनाने हेतु डिजी ट्रैक्टर ऋण, डिजिटल स्वर्ण ऋण और डिजिटल बीकेसीसी जैसे उत्पाद शुरू किए।

वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक कारोबार प्राप्त करने के लिए ल्यौहारों के महीनों और अन्य अवसरों के आधार पर समय-समय पर अपने अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कई व्यावसायिक अभियान भी चलाए हैं।

कॉर्पोरेट क्रेडिट

बैंक में कॉर्पोरेट ऋण, 34 विशेष कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा (सीएफएस) और मिड कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जो बैंक के कुल मानक कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगभग 95% का प्रबंधन करते हैं। बैंक का कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर ₹4,56,584 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में यह ₹4,10,461 करोड़ था, इस तरह इसमें 11.2 % की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

क्रेडिट रेटिंग निर्धारण*	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
ए और इससे अधिक	95%	96%
बीबीबी	3%	3%
बीबीबी से कम	2%	1%

* ₹50 करोड़ से अधिक के घरेलू अग्रिम का बाह्य रेटिंग निर्धारण

वित्त वर्ष 2026 में ए और उससे अधिक का कुल पोर्टफोलियो 96 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 95 प्रतिशत था।

कॉर्पोरेट बैंकिंग- संरचना

वर्ष के दौरान बैंक ने मिड कॉर्पोरेट अग्रिम पर अधिक जोर देने की कार्यनीति के साथ महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात् नई दिल्ली (उत्तर), चेन्नै (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम) और कोलकाता (पूर्व) में स्थित -4- मिड कॉर्पोरेट क्लस्टर खोले हैं और उन्हें मिड कॉर्पोरेट शाखाओं को जोड़ा गया है।

लक्षित बाजार दृष्टिकोण

बैंक लक्षित बाजार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- औद्योगिक संभावनाएं अर्थात् बाजार के आकार, विकास, मांग-आपूर्ति दृष्टिकोण, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रदर्शन, सरकारी नीतियों और निवेश व्यय सहित विभिन्न उद्योग मानदंडों पर समग्र उत्पादन के आधार पर विकास के लिए उद्योगों/ क्षेत्रों का निर्धारण।
- एक्सपोजर सीमा, मौजूदा एक्सपोजर और नए व्यवसाय अर्जन हेतु भविष्य की आवश्यकता के आधार पर लक्षित बाजार ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्र-वार कारोबार योजना।
- बैठकों के लिए सुनिर्धारित कॉलिंग योजनाओं के साथ विस्तृत खाता योजना, व्यावसायिक अवसरों की पहचान, अनुमोदन और निपटान।
- पूरे बैंक में समर्पित रिलेशनशिप मैनेजरों के माध्यम से लक्षित बाजार दृष्टिकोण के तहत कारोबार योजना का निष्पादन।
- बैंक सप्लाइ चेन फायनांस, वैल्यू चेन फायनांस, नकदी प्रबंधन प्रणाली सुविधा और अन्य रिटेल उत्पादों जैसी सहायक सेवाओं की पेशकश करके ब्याज आय के बजाय ग्राहक से प्राप्त समग्र प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करता है।

एमएसएमई ऋण

बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो (पूल खरीद सहित टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) वित्त वर्ष 2025 के ₹1,38,190 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹1,59,786 करोड़ हो गया, इसमें 15.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. विशिष्ट टीम के साथ 363 विशेष एमएसएमई शाखाओं (एसएमबी) का गठन। इन केन्द्रित शाखाओं ने एमएसएमई बही में 27% का योगदान दिया है : इसमें 27.8% के वार्षिक वृद्धि तथा एसएमई शाखाओं (20) ने एसएमई बही में 8.5% का योगदान दिया है, इसमें 40.6 की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
2. अत्याधुनिक 'तेजस' प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई ऋण जर्नी का डिजिटलीकरण।
3. उभरते उत्पाद सेगमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से निर्धारित लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि प्राप्त हुई।
 - ट्रेड्स ने 104% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
 - सप्लाइ चेन फायनांस ने 65.2% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
 - बीपीपी/एलएपी सेगमेंट ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 41.4% की वृद्धि हासिल की है।
 - कोर एमएसएमई सेगमेंट ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.1% की वृद्धि हासिल की है।
4. बैंक ने पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है, जिसमें 104% उपलब्धि दर्ज की गई है।
5. आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार इस तथ्य से और स्पष्ट होता है कि सकल एनपीए 237 आधार अंक घटकर वित्त वर्ष 2026 में 5.14% पर आ गया, कोर एमएसएमई एनपीए 290 आधार अंक घटकर 6.73% पर आ गया, और एससीएफ एवं ट्रेड्स में एनपीए लगभग नगण्य (<0.2%) रहा।

रिटेल ऋण

ऑर्गेनिक रिटेल ऋण वित्त वर्ष 2025 के ₹2,56,633 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹3,02,598 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% की वृद्धि को दर्शाता है। बैंक की कुल घरेलू ऋण में रिटेल ऋण की हिस्सेदारी (जिसमें पूल, स्टाफ, लाबोड और अन्य ऋण सहित) वित्त वर्ष 2025 के 30.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 30.6% हो गया है। रिटेल पोर्टफोलियो के तहत स्वर्ण ऋण ने वार्षिक आधार पर 98% की वृद्धि दर्ज की और वित्त वर्ष 2026 में ₹14,010 तक पहुंच गया। ऑटो ऋण में वार्षिक आधार पर 20.6% की वृद्धि हुई और ₹56,157 करोड़ तक पहुंच गया। अन्य रिटेल ऋणों में, पीएम सूर्यघर वित्त वर्ष 2025 के ₹288 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹1,555 करोड़ हो गया, जिससे 439.9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। मॉर्गेज ऋण में 19.3% की वृद्धि दर्ज की गई, गृह ऋण सेगमेंट में 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई और शिक्षा ऋण में 10.9% की वृद्धि हुई और वैयक्तिक ऋण में वित्त वर्ष 2026 में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक की रिटेल आस्तियां (पूल खरीद सहित टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) वित्त वर्ष 2025 के ₹2,74,493 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹3,20,116 करोड़ हो गई, जो कि गत वर्ष की तुलना में 16.6% की वृद्धि को दर्शाता है।

रिटेल ऋण सेगमेंट की वृद्धि का विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:-

बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो (ऑर्गेनिक)

(₹ करोड़ में)

बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो			
सेगमेंट	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026	वर्ष-दर-वर्ष (%)
गृह ऋण *	1,31,123	1,50,305	14.6
ऑटो ऋण *	46,549	56,157	20.6
मॉर्गेज ऋण *	22,255	26,559	19.3
शिक्षा ऋण	11,360	12,599	10.9
वैयक्तिक ऋण	36,122	39,262	8.7
स्वर्ण ऋण	7,076	14,010	98.0
अन्य	2150	3,707	72.4
कुल रिटेल ऋण	2,56,633	3,02,598	17.9

* पूल खरीद (ऑर्गेनिक) और टीडब्ल्यूओ को छोड़कर।

वित्त वर्ष 2026 में रिटेल व्यापार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

कुल घरेलू ऋण बही में रिटेल ऋण की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 के 30.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 30.6% हो गई।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹1,18,650 करोड़ की राशि के साथ 13,89,919 नए रिटेल ऋण खाते मंजूर किए गए। रिटेल ऋण वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 2,500 रिटेल व्यवसाय केन्द्रित शाखाओं का निर्धारण किया गया है। 119 आरएपीसी ने कुल स्वीकृतियों (₹53,286 करोड़) में 44.91% के योगदान के साथ वित्त वर्ष 2026 में आरएपीसी द्वारा स्वीकृतियों में 12% वार्षिक वृद्धि दर्ज की। औसत टीएटी समय सीमा घटकर <5 दिन रह गया।

डिजिटल पहल के अंतर्गत बैंक ने वैयक्तिक ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, पेंशन ऋण, गृह प्रतिभूति के एवज में बड़ौदा प्लेक्सी लोन, रिटेल स्वर्ण ऋण, पीएम सूर्य घर योजना तथा टू-व्हीलर ऋण में एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रियाओं को लागू किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने वैयक्तिक ऋण में ₹5,543 करोड़,

ऑटो ऋण में ₹3237 करोड़, पीएमएसजीवाई में ₹397 करोड़, टॉप-अप ऋण में ₹2 करोड़, शिक्षा ऋण में ₹35 करोड़, पेंशन ऋण में ₹13 स्वर्ण ऋण में करोड़ और ₹1883 करोड़ एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी के माध्यम से डिजिटल रूप से संवितरित किए हैं। इसने भौतिक दस्तावेजीकरण और शाखा जाने की आवश्यकता को समाप्त करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाया है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में ₹2,875 करोड़ के शिक्षा ऋण संवितरित करके विद्यार्थियों को उनके शिक्षिक आकांक्षाओं को साकार करने में सहायता की है। डीएफएस द्वारा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत निर्धारित ₹100 करोड़ के संवितरण लक्ष्य के सापेक्ष बैंक ने ₹121 करोड़ संवितरित किए हैं। डीएफएस द्वारा समग्र शिक्षा ऋण योजना के तहत नए संवितरण का लक्ष्य ₹1300 करोड़ रुपये के सापेक्ष बैंक ने ₹1511 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पीएम सूर्यघर योजना (भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना) के तहत, हमने एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर 1 लाख से अधिक स्वीकृतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, और हमारी संचयी स्वीकृतियां 1.25 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा, बैंक ने 31.03.2026 तक एसबीआई के बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा है, जो सभी अंचलों, क्षेत्रों और परिचालन इकाइयों की सामूहिक प्रतिबद्धता और प्रयासों को दर्शाता है।

गृह ऋण सेगमेंट में, वित्त वर्ष 2026 में ₹38,613 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया और 1,04,718 नए ग्राहक जोड़े गए। शिक्षा ऋण में, 30,051 नए ग्राहक जोड़े गए और वित्त वर्ष 2026 में वैयक्तिक ऋण में 3,57,706 नए ग्राहक जोड़े गए। नई गृह ऋण केश फ्लो आधारित गृह ऋण जर्नी विशेष अधिग्रहण जर्नी और सांख्यिकीय स्कोरकार्ड मॉडल के साथ शुरू की गई।

ऑटो ऋण सेगमेंट में, वित्त वर्ष 2026 में ₹23,984 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया और 2,36,828 नए ग्राहक जोड़े गए। बीओबी ग्रीन व्हील प्रोडक्ट को सितंबर 2025 में ग्रीन फाइनेंसिंग (इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार) को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके तहत वित्त वर्ष 2026 के अंतिम 07 महीनों के दौरान ₹770 करोड़ का संवितरण हासिल किया गया था। डिजिटल टू-व्हीलर ऑटो लोन जर्नी जुलाई 2025 में शुरू की गई थी। डीएसए और डीएसटी से सहायता प्राप्त डिजिटल ऑटो ऋण जर्नी को मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म को संवर्धित करके सक्षम बनाया गया था, जिससे वित्त वर्ष 2025 में 3.33 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में डिजिटल ऑटो ऋण की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 16.3% प्रतिशत रही। इसके साथ ही डिजिटल पहुँच बेहतर होकर मार्च 2026 में 31% हो गयी। बैंक के मौजूदा ग्राहकों के लिए अंडरटाईरिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए जनवरी 2026 में बड़ौदा ऑटो ऋण और बड़ौदा वैयक्तिक ऋण में एक स्टेटिकल स्कोर कार्ड मॉडल लागू किया गया।

वेंडर प्रबंधन मॉड्यूल एलएलपीएस में लॉन्च किया गया। स्वीकृति के समय एलएलपीएस पोर्टल में विचलन नोट अपलोड करने की सुविधा को एलएलपीएस पोर्टल में सक्षम किया गया है। अकाउंट एग्रीगेटर और एनालाइजर (जीएसटी एग्रीगेटर एकीकरण सहित): सभी रिटेल उत्पादों में खाता एग्रीगेटर और विश्लेषक कार्यक्षमता सक्षम की गई। इसके अतिरिक्त, उन्नत वित्तीय मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए जीएसटी एग्रीगेटर कार्यक्षमता को लाइव किया गया है।

ग्रामीण और कृषि ऋण

बैंक का नेटवर्क 8,648 घरेलू शाखाओं का है, जिनमें से 5,246 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं पूर्ण रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि ऋण के लिए कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2026 को बैंक का कृषि अग्रिम 31 मार्च 2025 के

₹1,58,324 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹1,91,063 रहा जिसमें 20.7 % की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के कृषि अग्रिमों में बैंक के सकल घरेलू ऋण की 16.3% हिस्सेदारी रही।

बैंक 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है। बैंक पूरे देश के 73 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वहण भी कर रहा है।

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में अग्रणी बना हुआ है, जिसे सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन से प्रोत्साहन मिला है। बैंक किसानों के लिए पूंजी सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि और पशुपालन की सुदृढ़ बुनियादी संरचना के निर्माण हेतु सरल कृषि आधारित ऋण प्रदान करने से इतर अधिक विविध ग्रामीण ऋण रणनीति पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। बैंक नए पेश किए गए उत्पादों जैसे कृषि बुनियादी संरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन बुनियादी संरचना विकास कोष योजना (एचआईडीएफ), पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज का औपचारीकरण (पीएमएफएमई), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

बैंक अपने प्रमुख उत्पादों जैसे केसीसी, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण, कृषि स्वर्ण ऋण, कृषि मशीनीकरण (ट्रैक्टर ऋण), बागवानी ऋण, किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ/एफपीसी) को वित्तपोषण, हाई-टेक कृषि और खाद्य और कृषि प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 2.40 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं, जिनमें से 0.90 लाख पशुपालन और डेयरी (एचडी) केसीसी हैं जो पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े किसानों को जारी किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में हमने 5.30% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। माइक्रोफाइनेंस पहल के एक भाग के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹1973 करोड़ की राशि संवितरित करके 34,892 एसएचजी को ऋण से जोड़ा है। कृषि ऋण में एनपीए वित्त वर्ष 2025 में 4.80 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.54 प्रतिशत हो गया है।

बैंक स्वयं सहायता समूहों के ऋण लिंकेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न निजी साझेदारों के साथ गठजोड़ कर रहा है। बैंक ने टैब बैंकिंग सुविधा भी आरंभ की है, ताकि पूर्व निर्धारित समयसीमा में सुधार किया जा सकता है और स्वयं सहायता समूहों के लिए परेशानी मुक्त तत्काल बचत बैंक खाता खोला जा सके। किसानों की सुविधा के लिए ट्रैक्टर ऋण पर ब्याज दर को ट्रैक्टर के एलटीवी से जोड़ा गया है। डिजिटल मोर्चे पर, बीकेसीसी (₹7 लाख तक) और स्वर्ण ऋण जर्नी पूरे भारत में लाइव हैं। ट्रैक्टर ऋण के लिए डिजिटल जर्नी अब पायलट आधार पर पांच अंचलों यानी लखनऊ, वाराणसी, बरेली, जयपुर और भोपाल अंचलों के लिए लाइव है।

हमें भारत में कृषि अवसंरचना कोष चरण 2 कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक के रूप में चुना गया है। हमने एआईएफ के तहत वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹1491 करोड़ मंजूर किए हैं और भारत सरकार द्वारा आर्बटित लक्ष्यों से अधिक की उपलब्धि हासिल की। 200 कृषि सेल्स/विपणन अधिकारियों की भर्ती द्वारा कृषि व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय स्तर की बिक्री और विपणन संरचना की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। वित्त वर्ष 2026 में, हमने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया उत्पाद "बॉब ग्रीन कृषि" पेश किया है। हमने कृषि खंड के तहत खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के वित्तपोषण के लिए उत्पाद "बॉब एग्रोफूड" को भी नया रूप दिया है। पीएम कुसुम योजना

के तहत, हमने एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुरूप किसानों के लिए "घटक सी" में फीडर स्तर सोलराइजेशन के लिए अखिल भारतीय योजना शुरू की है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के कृषि विपणन और प्रसंस्करण केंद्र (सीएएमपी), जो अपने विभिन्न अंचल स्तर (जेड सीएएमपी-27) और क्षेत्रीय स्तर (आर सीएएमपी-17) पर गैर-परंपरागत और उच्च मूल्य वाले कृषि अग्रिमों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ऋणों के प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत केंद्र है, ने ₹5734.44 करोड़ की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं।

"बड़ौदा किसान पखवाड़ा" हमारे बैंक का वार्षिक किसान संपर्क कार्यक्रम है जो हर वर्ष मनाया जाता है। "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" के दौरान, हमारे बैंक की शाखाएं अधिकतम किसानों से संपर्क करने के लिए किसानों/स्वयं सहायता समूहों के लिए विभिन्न समारोहों/कार्यक्रमों/पशुधन की स्वास्थ्य जांच/मिट्टी परीक्षण और अन्य गतिविधियों/बैठकों का आयोजन करती हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" (03.11.2025 से 15.11.2025) का 8वां संस्करण मनाया गया, जो एक राष्ट्र स्तरीय प्रमुख ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम है। हमने पूरे भारत में 3.65 लाख से अधिक किसानों के साथ जुड़ाव स्थापित किया है और लगभग ₹5636 करोड़ के कृषि ऋण स्वीकृति किए हैं। इस वर्ष की थीम, "आत्मनिर्भरता की ओर", वित्तीय समावेशन के विस्तार और भारत के कृषक समुदाय के लिए सशक्त समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का औसत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण 12.41 % की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज कर वित्त वर्ष 2025 के ₹3,47,466 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹3,90,571 करोड़ हो गया।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों को ऋण

31 मार्च, 2026 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों को बकाया ऋण ₹29,908 करोड़ हो गया। बैंक द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 18.85 % हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को वित्त पोषण पर बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है।

स्वर्ण ऋण

बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) 31 मार्च, 2025 के ₹63,959 करोड़ से बढ़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 52.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2026 को ₹97,745 करोड़ हो गया। स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत, कृषि स्वर्ण ऋण 46.6% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के ₹56,783 करोड़ से वित्त वर्ष 2026 में ₹83,225 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2026 में रिटेल स्वर्ण ऋण बढ़कर ₹14010 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 में ₹7,076 करोड़ था, जिसमें 98% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने 142 नई स्वर्ण ऋण संवितरण शाखाएं जोड़ी जिसके साथ स्वर्ण ऋण हेतु चयनित शाखाओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2025 के 6,129 शाखाओं से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 6,271 शाखाएं हो गई। दक्षिणी भागों के अलावा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी के साथ देश भर में चयनित स्वर्ण ऋण शाखाओं के विस्तार में वित्त वर्ष 2025 के 30.10% की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में 31.28 % की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2025 में स्वर्ण ऋण का औसत टिकट साइज बढ़कर ₹2.93 लाख हो गया जो वित्त वर्ष 2025 में ₹2.09 लाख था। वित्त वर्ष 2026 में प्रति शाखा स्वर्ण ऋण की औसत राशि बढ़कर ₹15.57 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2025

में ₹10.44 करोड़ थी। 31 मार्च, 2026 को जीएनपीए अनुपात 0.12% के साथ स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता अच्छी रही।

वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में माना है। बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तकनीक के आगमन के साथ बैंकिंग से वंचित क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं।

देश भर में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2026 को अपने बीसी नेटवर्क में 50,660 तक का विस्तार किया है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बीसी केंद्र पर निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं:

- बीसी पॉइंट्स के माध्यम से री-केवाईसी (उद्योग जगत में प्रथम)
- बीसी पॉइंट्स पर निष्क्रिय खाता सक्रियण (उद्योग जगत में प्रथम)
- बीसी पॉइंट्स पर सीकेवाईसीआर इंटीग्रेशन (उद्योग जगत में प्रथम)

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 के महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते वित्तीय वर्ष 2025 में 643.36 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 663.29 लाख हो गए, जिसमें 3.10% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2026 के लिए पीएमजेडीवाई हेतु निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया गया। पीएमजेडीवाई के लिए 15.65 लाख खाते का लक्ष्य था जिसे हमने 19.93 लाख खाते खोलकर हासिल कर लिया, उपलब्धि 127 % रही।
- पीएमजेडीवाई बचत बैंक जमाराशि वित्तीय वर्ष 2025 में ₹36,355 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में ₹42,285 करोड़ हो गई, जिसमें 17.14% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- पीएसबी के मध्य पीएमजेडीवाई खातों में बैंक की हिस्सेदारी 14.80 % और पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशि के लिए 17.45% थी, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में प्रथम स्थान है।
- 31 मार्च 2026 तक, पीएमजेडीबीवाई योजना के तहत सूक्ष्म बीमा 85.24 लाख हैं और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 295.33 लाख संचयी नामांकन (लाइव) पॉलिसियां हैं।
- हमने 29.70 लाख नई पीएमजेडीबीवाई पॉलिसियों को नामांकित किया है, जिसमें 29.16 लाख पॉलिसियों और 58.18 लाख नई पीएमएसबीवाई पॉलिसियों के आनुपातिक लक्ष्य के सापेक्ष 101.85 प्रतिशत की उपलब्धि रही, वित्तीय वर्ष 2026 में 48.48 लाख पॉलिसियों के आनुपातिक लक्ष्य के सापेक्ष 120 प्रतिशत की उपलब्धि रही।
- रुपये कार्ड जारी करने में हम पीएसबी श्रेणी में प्रथम स्थान पर हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

इससे पहले, बैंक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित कर रहा था, अर्थात्:

1. उत्तर प्रदेश राज्य में बड़ौदा यू.पी. बैंक
2. राजस्थान राज्य में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. गुजरात राज्य में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

आरआरबी का सम्मेलन "एक राज्य-एक आरआरबी" अवधारणा के तहत आरआरबी की संख्या को घटाकर 28 करने के उद्देश्य से दिनांक 07 अप्रैल 2025 को राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 जारी करने के साथ शुरू किया गया था। बैंक ने दो राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश और गुजरात में आरआरबी को प्रायोजित करना जारी रखा है। यह सम्मेलन 01.05.2025 से प्रभावी हो गया है।

बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी (सम्मेलन के बाद):

ए) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (यूपीजीबी) –सम्मेलन के माध्यम से गठित

- बड़ौदा यू.पी. बैंक
- प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
- आर्यावर्त बैंक

बी) गुजरात ग्रामीण बैंक (जीजीबी) –सम्मेलन के माध्यम से गठित

- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक

इन आरआरबी का समग्र व्यवसाय वित्त वर्ष 2025 के ₹2,59,764 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक ₹2,78,228 करोड़ हो गया, जिसमें 7.11% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, इन आरआरबी ने सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹1,242 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है, जो बेहतर परिचालन दक्षता और सम्मेलन प्रक्रिया से प्राप्त लाभों को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राप्त पुरस्कार:

हमारे दो प्रायोजित आरआरबी को वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान पीएफआरडीए, आईबीए, एनआरएलएम जैसे विभिन्न इकाईयों से विभिन्न सरकारी योजनाओं में तकनीकी संवर्धन के साथ-साथ उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन में उनके प्रयासों के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

ए) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (यूपीजीबी) को शिवराज सिंह चौहान द्वारा "एसएचजी लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक" से सम्मानित किया गया और "एआईएफ़जियो टैगिंग" और "एआईएफ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन" के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त हुए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफ़एमई)' योजना के अंतर्गत भी सम्मानित किया गया। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बैंक ने आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और सम्मान समारोह में 5 पुरस्कार प्राप्त किए और आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवॉर्ड पुरस्कार प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, इसे अटल पेंशन योजना (वित्त वर्ष 2026) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से 24 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

बी) गुजरात ग्रामीण बैंक (जीजीबी) ने अपने प्रदर्शन और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2025-26 में फिनटेक और डीपीआई अपनाने में विशेष उल्लेख

के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सेल्स के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बैंक को शिवराज सिंह चौहान द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरआरबी (पश्चिमी क्षेत्र) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक यह मानता है कि निरंतर दैनिक निगरानी अनर्जक ऋणों में कमी और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के प्रति पहला कदम है। इसके लिए बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं तथा वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए कार्यनीति बनाई है।

बैंक प्रत्येक एनपीए खाते की प्रबंधन रूप से निगरानी हेतु कार्यनीति तैयार कर रहा है। इसलिए बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक विशिष्ट कौशल से युक्त एपेक्स वर्टिकल -5- 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल' की स्थापना की है। इस वर्टिकल के तहत दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएं (एसएमए) कार्यरत हैं, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतर्गत सभी खातों को प्रबंधित करती है। इसके अतिरिक्त एनसीएलटी से इतर ₹5 करोड़ से अधिक बकाया राशि वाले अन्य एनपीए खातों को प्रबंधित करने के लिए अंचल स्तर पर 12 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाओं (एसएआरबी शाखा) की स्थापना की गई है। टीएटी को कम करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय इन शाखाओं की सीधी निगरानी करता है। इसके अलावा ₹20 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों को प्रबंधित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर -69- दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी शाखा) स्थापित की गई हैं।

भारत सरकार की डिजिटल पहल के अंतर्गत बैंक ने बिना किसी कागजी कार्रवाई और रियल टाइम के आधार पर वसूली और निगरानी की पूरी प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में, बैंक ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. "क्यूलिक": यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना वास्तविक समय के आधार पर फिनेकल से कई डेटा प्वाइंट्स को प्राप्त करता है और दैनिक डीग्रेडेशन के पूर्वानुमान के लिए डेज़ि पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट और मॉक रन की गणना करता है।
2. "आईएलएमएस": यह मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित पोर्टल है। सभी एनपीए खातों की ऑनलाइन रेपोजिटरी है, इसके लिए राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खातों की संपूर्ण ऑनलाइन लाइव निगरानी जैसे सरफेसी स्थिति, डीआरटी/एनसीएलटी स्थिति, प्रावधान, दैनिक वसूली, वकीलों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण और ओटीएस की ऑनलाइन प्रस्तुति/स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराता है जिससे टीएटी अवधि में सुधार होता है।
3. बैंक पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के बैंकनेट (बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क) पोर्टल का सदस्य है जिसके माध्यम से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के तहत संपत्तियों की नीलामी की जा रही है।
4. ई-ओटीएस: ईज 7.0 के तहत एक गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण डिजिटल ई-ओटीएस योजना शुरू की गई है, जो सरकारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में हमारे बैंक के नेतृत्व को सहयोग करती है। क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा के साथ-साथ डिजिटल प्रोसेसिंग से

लागत और समय की बचत होती है और शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उधारकर्ता ऋण मंजूरी पत्र और ऋण-मुक्ति प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

बैंक ने वसूली को प्रभावी बनाने और स्लिपेज को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां भी अपनायी हैं।

1. कृषि, एमएसएमई और रिटेल ऋणों के पोर्टफोलियो की उचित निगरानी के लिए हमने विशिष्ट तौर पर नियुक्त वसूली अधिकारियों के साथ क्लस्टर/एरिया संबंधी कार्यपद्धति को अपनाया है।
2. अंचल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभाग प्रबंधकों द्वारा वसूली एजेंट/फ्रीट-ऑन-स्ट्रीट कर्मियों को कम ऋण राशि वाले एनपीए खातों/एसएमए खातों का उचित आबंटन तथा उनकी समुचित निगरानी।
3. लोक अदालतों के दौरान उधारकर्ताओं की अधिकतम भागीदारी के लिए लोक अदालत से पूर्व बैठकों की शुरुआत की गई है तथा डीआरटी लोक अदालतों/राष्ट्रीय लोक अदालतों के तहत लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है।
4. बैंक द्वारा सभी पात्र एनपीए खातों में सरफेसी कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और खाते में आस्ति और वसूली की प्रक्रिया पूर्ण होने/निपटान होने तक कार्रवाई जारी रहती है। हम नीलाम की जाने वाली संपत्तियों के विवरणों को बैंक की वेबसाइट, समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया वेब पोर्टलों और अग्रणी संपत्ति ब्रोकिंग वेब साइटों पर सूचीबद्ध/प्रकाशित कर रहे हैं।
5. बड़ी संख्या में कम राशि वाले एनपीए खातों की समस्या को हल करने के लिए, बैंक ने एमएसएमई के तहत ₹5.00 करोड़ तक, रिटेल ऋण के तहत ₹1.00 करोड़ और कृषि श्रेणी के तहत ₹0.25 करोड़ तक के बकाया शेष वाले एनपीए (डीबी-II/डीबी-III/ लॉस)/टीडब्ल्यूओ/पीडब्ल्यूओ खातों के निपटान के लिए अपनी विशेष एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना "ऋण समाधान योजना" शुरू की है।
6. बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों की पुनर्संरचना के माध्यम से उद्यमियों की मदद करके राष्ट्र निर्माण में विश्वास करता है। बेहतर और लक्षित निगरानी प्रणाली और बड़े कॉर्पोरेट के एसएमए-I और एसएमए-II खातों में कमी लाने के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दबावग्रस्त प्रबंधन वर्टिकल द्वारा समाधान तलाशने और वसूली और अपग्रेडेशन की सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए मूवमेंट की स्थिति निम्नानुसार रही है:

(₹ करोड़ में)

मदें	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
सकल एनपीए	27,835	27,059
सकल एनपीए (%)	2.26%	1.89%
निवल एनपीए	6,994	6,316
निवल एनपीए (%)	0.58%	0.45%
एनपीए में वृद्धि	9,310	10,299
वसूली/अपग्रेडेशन	4,320	4,481
टीडब्ल्यूओ/पीडब्ल्यूओ सहित बट्टे खाते	8,980	6,330

बढ़े खाते डाले गए खातों में वसूली	6,373	4,392
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%)	93.29%	93.94%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%)	74.87%	76.66%

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही के घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
मानक अग्रिम	12,02,626	14,02,820
सकल एनपीए	27,835	27,059
कुल सकल अग्रिम	12,30,461	14,29,879
सकल एनपीए जिसमें		
अवमानक	6,806	7,487
संदिग्ध	12,119	12,057
हानि	8,910	7,515
कुल सकल एनपीए	27,835	27,059

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

हमारे बैंक की 15 देशों में 80 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं, जिनमें 35 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय (गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, भारत में 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट और यूईई में 9 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट सहित) और बैंक की 7 विदेशी अनुषंगियों की 45 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा, बैंक का जांबिया में -1- एसोसिएट बैंक अर्थात् इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 43 शाखाएं हैं।

बैंक की विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में उपस्थिति है। इसके अलावा, गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गुजरात, भारत में बैंक की एक शाखा है, जिसे एक ऑफशोर बैंकिंग इकाई के रूप में माना जाता है और अपार व्यावसायिक संभावनाओं, कर लाभ, सरकारी पहलों आदि को ध्यान में रखते हुए शाखा को व्यवसाय विकास केंद्र के रूप में चुना गया है। बैंक ने आईएफएससी में शाखा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हेतु विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरी हेतु वैश्विक मानक के अत्याधुनिक डीलिंग रूम की स्थापना भी शामिल है।

बैंक भारतीय कापोरिट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया लिंक्ड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए पसंदीदा बैंक के रूप में व्यवसाय वृद्धि को गति देने और मूल्यसंवर्धन की कार्यनीति पर काम कर रहा है।

उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों को देखते हुए, बैंक प्राथमिक और गौण बाजार में भारत के अलावा अन्य संबंधित सिंडिकेशन ऋणों पर एक्सपोजर के साथ अग्रिम पोर्टफोलियो में भी विविधता ला रहा है। साथ ही, आस्ति के स्तर पर उत्पाद समूह को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न नए उत्पादों का शुभारंभ भी किया गया है।

इसके अलावा, विदेशी केंद्रों में उत्पादकता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संपूर्ण बिजनेस सोल्यूशन के लिए आईटी अपग्रेडेशन में उल्लेखनीय प्रगति

हुई है। बेहतर तालमेल करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी के कई प्लेटफार्मों को लगातार एकीकृत कर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने जोखिम और अनुपालन निगरानी को स्वचालित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी विदेशी उपस्थिति को नीतिपरक रूप से युक्तिसंगत बनाने का कार्य किया है। अब, बैंक नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए नई कार्यनीति बना रहा है तथा जोखिमों के प्रबंधन, कम लाभ वाली परिसंपत्तियों के निपटान तथा लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

31 मार्च, 2026 तक, अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार (निवल) ₹5,05,017 करोड़ रहा जो वैश्विक कारोबार का 16.5% है। कुल जमा राशियां ₹2,47,197 करोड़ रही जबकि निवल अग्रिम ₹2,57,821 करोड़ रहा।

विदेशी मुद्रा कारोबार

बेहतर परिचालन दक्षता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने सहित मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन के उच्च मानकों को लागू करने के उद्देश्य से, हमारे बैंक ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, (भारत के पहले स्मार्ट शहर) में ट्रेड फाइनेंस बैंक ऑफिस की स्थापना के साथ अपने अखिल भारतीय ग्राहकों की व्यापार वित्त सेवाओं को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में बीसीपी की स्थापना की है। केंद्रीकृत इकाई हमारे व्यापार वित्त ग्राहकों के लिए सालाना 1.1 मिलियन से अधिक लेनदेन की प्रक्रिया करती है। वित्तीय वर्ष 2026 में समग्र विदेशी मुद्रा कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने निर्धारित उद्देश्यों के लिए 10,000 यूएस डॉलर से कम राशि के सीमा पार आवक धनप्रेषण को स्वचालित कर दिया है। वित्त वर्ष 2025 में 64,885 लेनदेन की तुलना में वित्त वर्ष 2026 के दौरान हमने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से 76,763 सफल लेनदेन निष्पादित किए हैं। यह वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रोसेस किए गए कुल लेनदेन का 21.35% है और यह टर्नअराउंड समय (टीएटी) में महत्वपूर्ण सुधार को भी दर्शाता है।
- ग्राहक खातों में इनवर्ड रेमिटेन्स के क्रेडिट में तेजी लाने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान बड़ौदाइंस्टा स्मार्ट ट्रेड पोर्टल के माध्यम से आईआर निपटान निर्देश कार्यक्षमता शुरू की है। इस सुविधा के साथ, बैंक के सिस्टम में प्राप्त इनवर्ड रेमिटेन्स संदेश (एसटीपी आवक संदेशों के अलावा) ग्राहकों को स्मार्ट ट्रेड पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राहक आसानी से अपने कार्यालय या घर से अपने निपटान निर्देश ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह पहल न केवल समय बचाती है बल्कि आवक प्रेषण जमा करने के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) में भी सुधार करती है। अब तक, बैंक ने स्मार्ट ट्रेड पोर्टल के माध्यम से आईआर निपटान सुविधा का उपयोग करके 1,400 से अधिक इनवर्ड रेमिटेन्स लेनदेन को सफलतापूर्वक संसाधित किए हैं।
- बैंक ने बॉब-वर्ल्ड के माध्यम से उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वैयक्तिक ग्राहक अपने मोबाइल से उपहार/ परिवार के भरण-पोषण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एलआरएस के तहत लेनदेन शुरू कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2026 में उक्त प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कुल 3,793 लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई है, जो वर्ष में प्रोसेस किए गए कुल एलआरएस लेनदेनों का 9.32% है।
- बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक सुलभ 24/7 स्मार्ट ट्रेड पोर्टल विकसित किया है, जिससे वे अपने घर या कार्यालय से अपनी सुविधानुसार

अंतर्देशीय और विदेशी मुद्रा व्यापार लेनदेन शुरू करने में सक्षम हो गए हैं, जिससे शाखा में जाने की आवश्यकता कम हो गई है। इस चैनल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 342 सहित कुल 5,042 ग्राहकों को ऑनबोर्ड किया है, जो पोर्टल के माध्यम से कुल व्यापार लेनदेन (अंतर्देशीय और विदेशी दोनों) के 14.35% की सुविधा प्रदान करता है।

- बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल मोड के माध्यम से बैंक गारंटी के एंड-टू-एंड जारी करने, बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ और टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, हमारे बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने में मील स्तंभ अर्जित करते हुए एक उद्योगव्यापी बेंचमार्क स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने 7,379 अंतर्देशीय इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी कीं, जो वित्त वर्ष 2025 में जारी की गई 4,677 ई-बीजी से अधिक है। इससे नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल ई-बीजी जारी करने की शुरुआत के बाद से जारी की गई ई-बीजी की कुल संख्या 14,066 हो गई है।
- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने हाइब्रिड ई-बैंक गारंटी (ईबीजी) की शुरुआत की, जिससे भौतिक रूप से जारी की गई बैंक गारंटी की बाद की गतिविधियों जैसे संशोधन, विस्तार और मूल रूप से भौतिक रूप से जारी गारंटी को बंद करने की प्रक्रिया को एनईएसएल पोर्टल के माध्यम से निर्बाध रूप से प्रबंधित किया जा सके।
- भारतीय रुपए में व्यापारिक लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल के तहत बैंक ने 31 मार्च 2026 तक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो एकाउंट (एसआरवीए) प्रणाली के माध्यम से विश्व भर के बैंकों में 17 स्पेशल रुपी वोस्ट्रो एकाउंट खोले हैं।

घरेलू ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है। ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज दर, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्रिटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। बैंक पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर स्वेप, करेंसी स्वेप, करेंसी ऑप्शंस और फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ट्रेजरी बैंक की सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) संबंधी विनियामक आवश्यकताओं की देखरेख करती है और निधि की स्थिति का प्रबंधन करती है। ट्रेजरी, निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में, मनी मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट लिखतों में ऋण लेने/ निवेश करने का कार्य करती है।

31 मार्च, 2026 को बैंक की कुल घरेलू निवेश बही ₹3,72,318 करोड़ रही। कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 82.12% रही। 31 मार्च, 2026 को निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 22.34% रही। बैंक प्रतिफलों में हुई प्रगति के फलस्वरूप उपलब्ध हुए अवसरों को भुनाने में सक्षम रहा है। बैंक ने अपने पोर्टफोलियो का कुशलता से प्रबंधन किया है और वित्त वर्ष 2026 के लिए ब्याज अर्जित करने वाले निवेश पर 6.87% (बिक्री पर लाभ सहित) लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान निवेश की बिक्री से हुआ लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः ₹3839.49 करोड़ और ₹882.06 करोड़ रहे।

सरकारी कारोबार

सरकारी संपर्क वर्टिकल बैंक के समग्र फ्रेमवर्क के भीतर एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ पूरे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की विविध और विकसित बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। यह स्थायी व्यवसाय विकास को बढ़ावा देते हुए सरकारी संस्थानों के साथ बैंक के जुड़ाव को मजबूत करने में आधारशिला के रूप में कार्य करता है।

बैंक को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पेंशन भुगतान, डाक लेनदेन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह और ट्रेजरी/ उप-ट्रेजरी परिचालन सहित महत्वपूर्ण सरकारी लेनदेन के व्यापक स्पेक्ट्रम के निर्बाध प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, यह सरकार समर्थित बचत और निवेश योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), ई-किसान विकास पत्र (ई-केवीपी), आरबीआई बॉण्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) के व्यापक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है। ये गतिविधियाँ न केवल राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन उद्देश्यों का समर्थन करती हैं बल्कि वित्त वर्ष 2026 में ₹95.56 करोड़ थी। बैंक की शुल्क-आधारित आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो इससे साथ ही बैंक की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ाती हैं।

लेन-देन की प्रोसेसिंग के अलावा, बैंक केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों के लिए खाते खोलने की सुविधा प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह जुड़ाव कासा जमा जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे बैंक का कम लागत वाला जमा आधार मजबूत होता है। 31 मार्च 2026 तक, सरकारी कासा 66,926 करोड़ रुपये था।

यह बैंक, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) जैसे प्रमुख सरकारी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग में सहायता देकर, डिजिटल एकीकरण और इकोसिस्टम के विकास को भी बढ़ावा देता है। ये पहलें पारदर्शिता बढ़ाती हैं, लेन-देन की दक्षता में सुधार करती हैं और बैंक को सरकारी कामकाज के लिए एक पसंदीदा भागीदार के रूप में स्थापित करती हैं।

नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आवश्यक रूप से ध्यान देने के साथ, वर्टिकल विभिन्न सरकारी विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित आईटी-सक्षम समाधान प्रदान करता है। यह प्रक्रिया ऑप्टिमाइज़ेशन, परिचालन दक्षता और भौगोलिक क्षेत्रों में निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम बनाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित मंत्रालयों के लिए एक मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में, बैंक पारंपरिक बैंकिंग से बढ़कर मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करता है। इनमें सरकारी कासा खातों का सक्रिय प्रचार, पीएफएमएस एकीकरण के लिए एंड टू एंड समर्थन और सरकारी व्यवसाय से संबद्ध शाखाओं को निरंतर मार्गदर्शन शामिल है।

संक्षेप में, सरकारी संपर्क वर्टिकल सरकारी संस्थानों के लिए एक विश्वसनीय और रणनीतिक भागीदार के रूप में कार्य करता है, जो व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। उत्कृष्टता, नवाचार और संबंध प्रबंधन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से, वर्टिकल गवर्नेंस को सहयोग देने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

धन संपदा प्रबंधन

धन संपदा प्रबंधन वर्टिकल बैंक की एक प्रमुख कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई बनी हुई है, जिसने विनियामक बदलावों और बाजार की अस्थिरता से भरे चुनौतीपूर्ण परिचालन परिदृश्य के बावजूद सुदृढ़ता और स्थिरता दिखाई है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान इस व्यवसाय ने लगभग ₹508 करोड़ की स्थिर शुल्क आय बनाए रखी, जो बैंक के वितरण नेटवर्क और ग्राहक जुड़ाव मॉडल की मजबूती को दर्शाता है।

डिजिटल नवाचार, एकीकृत वितरण रणनीतियों और ग्राहक-केंद्रित जुड़ाव में एक सुदृढ़ नींव के साथ, वर्टिकल विकास को गति देने, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को बढ़ाने और विभिन्न ग्राहक वर्गों में अपनी उपस्थिति को और प्रभावी बनाने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

उद्योग जगत के पुरस्कार

बैंक को धन संपदा प्रबंधन सेवाएं में अपने सुदृढ़ कार्यनिष्पादन और नेतृत्व के लिए जाना जाता है:

- "ग्राहक अनुभव में उत्कृष्टता-स्मार्टइन्वेस्ट-इंडिया फिनटेक समिट एंड अवार्ड्स 2025" के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र

रिटेल और उच्च नेटवर्क दोनों प्रकार के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित कार्यबिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है:

- रिलेशनशिप-आधारित बैंकिंग को मजबूत करना: रेडियंस चैनल के माध्यम से उत्पाद-आधारित बिक्री से रिलेशनशिप आधारित दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त होना।
- कवरेज का विस्तार: उभरते बाजारों में विकास की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए शीर्ष -30 से शीर्ष-50 शहरों में उपस्थिति बढ़ाना।
- डिजिटल को अपनाना और एकीकरण: स्मार्टइन्वेस्ट और स्मार्टइंश्योर जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्राहक जर्नी को संवर्धित करना।
- क्षमता निर्माण: संरचित प्रशिक्षण और प्रमाणन-आधारित वितरण मॉडल के माध्यम से कार्यबल को मजबूत करना।

डिजिटलीकरण संबंधी पहलें

डिजिटलीकरण बैंक की धन संपदा कार्यनीति की आधारशिला बना हुआ है, जो स्केलेबिलिटी, दक्षता और बेहतर ग्राहक अनुभव को सक्षम बनाता है:

- स्मार्टइन्वेस्ट: बैंक के प्रमुख डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने वित्त वर्ष 26 में ₹500 करोड़ के व्यवसाय का माइलस्टोन प्राप्त किया, जिसमें वैल्यू में 50% की वृद्धि और ट्रांजेक्शन में 74% की वृद्धि हुई, जो ग्राहक की सुदृढ़ स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह प्लेटफॉर्म सहज म्यूचुअल फंड निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमताएं प्रदान करता है।
- स्मार्टइन्वेस्ट एआई: एआई-संचालित संवादात्मक धन संपदा सहायक का शुभारंभ, ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाना और बैंक को एक डिजिटल प्रवर्तक के रूप में स्थापित करना।
- स्मार्टइन्श्योर: ग्राहक के प्रोफाइल का 360° व्यू अभियान प्रबंधन मॉड्यूल और ऋण प्रक्रिया आरंभ करने एवं लीड प्रबंधन प्रणालियों के साथ निर्बाध लिंकेज के माध्यम से प्लेटफॉर्म की क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।

- अकाउंट एग्रीगेटर इंटीग्रेशन (प्रस्तावित): ग्राहक के पोर्टफोलियो का समेकित दृश्य, बेहतर जोखिम प्रोफाइलिंग और व्यक्तिगत निवेश परामर्श प्रदान करना।

कुशल कार्मिक और नैतिकतापूर्ण बिक्री

कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने और नैतिक व्यावसायिक प्रणालियों के उच्च मानकों को बनाए रखने पर निरंतर और रणनीतिक रूप से जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में, बैंक ने अनुपालन-आधारित और ग्राहक-केंद्रित उत्कृष्ट परामर्श की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुगठित, प्रमाणन-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया है।

विनियामक परिवर्तनों और बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, धन संपदा प्रबंधन वर्टिकल ने सभी क्षेत्रों में निरंतर मजबूत वृद्धि के साथ स्थिर व्यावसायिक कार्यनिष्पादन किया, जिसमें जीवन बीमा से लगभग ₹268 करोड़ की आय हुई और गैर-जीवन (नॉन-लाइफ) (5% वार्षिक) और स्वास्थ्य बीमा (5% वार्षिक) क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई, साथ ही लगभग ₹16,750 करोड़ का मजबूत निवेश एयूएम बनाए रखा गया- जो बैंक की वितरण क्षमताओं की मजबूती और ग्राहकों के अटूट विश्वास को दर्शाता है।

बैंक एक कुशल और अनुपालन पूर्ण कार्यबल को बनाने में निवेश करना जारी रखता है:

- पूरे भारत में सभी धन प्रबंधन कर्मियों के लिए स्टेप-अप (स्टाफ ट्रेनिंग एंड एक्सीलेंस प्रोग्राम) प्रशिक्षण के तीसरे और चौथे चरण का सफलतापूर्वक संचालन किया गया ताकि उन्हें धन प्रबंधन सेवाएं के क्षेत्र में नवीनतम विकासों के बारे में अद्यतित जानकारी मिल सके।
- ग्राहक सहभागिता और उत्पादकता में सुधार के लिए रेडियंस चैनल और वेल्थ एग्जीक्यूटिव्स के लिए समर्पित संसाधनों के साथ एक व्यापक मानव संसाधन रणनीति कार्यान्वयन।
- परामर्श गुणवत्ता बढ़ाने और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।
- बीमा उत्पादों की पारदर्शी और अनुपालनपूर्ण क्रॉस-सेलिंग सुनिश्चित करने के लिए अकाउंट डेबिट मैट्रिक्स जैसे मानकीकृत फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन।
- विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप नैतिक, ग्राहक-केंद्रित परामर्श प्रणालियों पर निरंतर जोर दिया जा रहा है।

ग्राहक एवं हितधारक सहभागिता

बैंक सुगठित और अभिनव पहलों के माध्यम से ग्राहकों और हितधारकों के साथ सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है:

- "वेल्थ इनसाइट" - जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्केट इनसाइट्स, रिसर्च रिपोर्ट और उत्पाद अपडेट के नियमित प्रचार-प्रसार के लिए मासिक ई-पत्रिका।
- "थर्सडे थोट्स" - निवेश और बीमा की बारीकियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी कर्मचारियों हुते साप्ताहिक ई-मेलर।
- "वेल्थ बुलेटिन" - वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूएमएस) टीम के लिए एक द्विमासिक आंतरिक प्रकाशन।
- ग्राहक संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए एचएनआई/यूएचएनआई ग्राहकों के लिए विशेष वेबिनार और सहभागिता कार्यक्रम।

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक का नकदी प्रबंधन सेवाएं प्लेटफॉर्म बड़ौदा डिजिनेक्सट, कॉर्पोरेट, एमएसएमई और सरकारी ग्राहकों के लिए उनके नकदी प्रवाह और लिक्विडिटी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ओमनी-चैनल डिजिटल समाधानों की एक मजबूत श्रृंखला प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में, इस प्लेटफॉर्म ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है तथा यह प्रमुख सरकारी विभागों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए अपने संग्रह का प्रबंधन करने हेतु एक पसंदीदा समाधान बन गया है।

बड़ौदा डिजिनेक्सट होस्ट-टू-होस्ट (एच2एच) और एपीआई चैनलों के माध्यम से एकीकृत, कागज रहित भुगतान समाधान प्रदान करता है, जिससे सरकारी और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए निर्बाध लेनदेन संभव हो पाता है। यह प्लेटफॉर्म सभी प्रकार की प्राप्तियों की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, चेक क्लीयरेंस और देश भर की शाखाओं में नकद जमा शामिल हैं, को वास्तविक समय पर देखने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, हमने ग्राहकों की सुविधा के लिए नए उत्पाद जैसे – इलेक्ट्रॉनिक एनएसीएच सुविधा, विशिष्ट सीएमएस मोबाइल ऐप्लिकेशन (एंड्रॉइड के लिए) – एमडिजिनेक्सट और ओटीपी आधारित डायरेक्ट डेबिट मेंडेट पंजीकरण शुरू किए हैं।

वित्त वर्ष 2026 में बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाओं ने अपना विस्तार जारी रखा और 1,986 से अधिक नए ग्राहक जोड़े। एमएसएमई, सप्लाय चैन फाइनेंस (एससीएफ) और माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (एमएफआई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीसीएमएस के भीतर एक समर्पित सेल भी बनाया गया है। वर्ष के दौरान, डिजिनेक्सट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10.5 करोड़ से अधिक लेनदेन निष्पादित किए गए, जो इसकी बढ़ती स्वीकार्यता और परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है।

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए नियमित रूप से लेनदेनों को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने का प्रयास कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग का मुख्य ध्येय डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है। डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख सुविधाएं बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड यूपीआई, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसटूएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), आदि शामिल हैं।

बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट यूपीआई क्यूआर

बैंक वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई क्यूआर प्लेटफॉर्म पर 7.63 लाख नए मर्चेन्ट को जोड़ने के साथ 33.12 लाख बॉब वर्ल्ड यूपीआई क्यूआर मर्चेन्ट बेस हासिल करने में सफल रहा है। 31 मार्च, 2026 तक, कुल 7.43 लाख बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट यूपीआई क्यूआर एक्टिवेशन हासिल किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक के बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट यूपीआई क्यूआर के माध्यम से ₹63,741 करोड़ मूल्य के कुल 29.70 करोड़ वित्तीय लेनदेन किए गए हैं।

साउंड बॉक्स सुविधा

बैंक ने नवंबर 2023 में अपने मर्चेन्ट के लिए यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स सुविधा शुरू की और 31 मार्च 2026 तक 2.32 लाख साउंड बॉक्स डिवाइस का कुल इंस्टॉलेशन बेस सफलतापूर्वक हासिल किया।

बॉब वर्ल्ड

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बॉब वर्ल्ड के सक्रिय उपयोगकर्ता आधार में 24.78

लाख उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2026 तक बॉब वर्ल्ड पर कुल 352 लाख उपयोगकर्ता सक्रिय हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर कुल वित्तीय लेनदेन 11.82 करोड़ लेनदेन को पार कर गए हैं और गैर-वित्तीय लेनदेन 228.08 करोड़ लेनदेन को पार कर गए हैं।

डेबिट कार्ड

31 मार्च, 2026 तक, बैंक के डेबिट कार्ड की संख्या 8.76 करोड़ रही है। ई-कॉमर्स और पीओएस लेनदेन को बढ़ावा देने और बैंक के डेबिट कार्ड को ग्राहकों के लिए पसंदीदा भुगतान विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए, बैंक ने डेबिट कार्डधारकों के लिए आकर्षक ऑफ़र प्रदान करने के लिए विभिन्न मर्चेन्ट्स के साथ साझेदारी की है। वित्त वर्ष 2026 में, बैंक ने 14 लोकप्रिय मर्चेन्ट्स के साथ साझेदारी में विभिन्न प्रचार अभियान शुरू किए हैं।

वित्त वर्ष 2026 में, बैंक द्वारा विविध ग्राहक वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए डेबिट कार्ड वेरिएंट पेश किए हैं, जिनमें से प्रमुख वेरिएंट निम्नानुसार हैं:

- **बॉब इनसाइट ब्रेल डेबिट कार्ड**, विशेष रूप से दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए, किसी चीज को स्पर्श करके आसानी से उसे पहचानना और अंतर को समझने के लिए उभरे हुए चिह्नों के फीचर के साथ पेश किया गया है, इससे उपयोगकर्ताओं को उनके वित्तीय लेनदेन में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ सशक्त बनाया जा सकता है। यह समावेशिता और ग्राहक-केंद्रित नवाचार के प्रति हमारे संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **बॉब भूमि रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड**: हरित बैंकिंग पहल के हिस्से के रूप में और एक स्थायी भविष्य में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए, बैंक ने बॉब भूमि रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसे रिसाइकल्ड पीवीसी (आरपीवीसी) का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह पहल जिम्मेदार बैंकिंग की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ग्राहकों को पारंपरिक प्लास्टिक कार्ड का एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

बड़ौदा फास्टैग (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण - एनईटीसी)

वित्त वर्ष 2026 में बैंक ने 0.94 लाख फास्टैग जारी किए हैं और इससे बैंक का टैग बेस 13.15 लाख तक पहुंच गया है। हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में ₹523.83 करोड़ के 4.41 करोड़ फास्टैग टोल लेनदेन प्रोसेस भी किए हैं।

पॉइंट ऑफ़ सेल

बैंक का पॉइंट-ऑफ़-सेल (पीओएस) इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के साथ-साथ क्यूआर-आधारित लेनदेन के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के लिए मर्चेन्ट्स को भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। पीओएस इकोसिस्टम सुरक्षित और कुशल भुगतान प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए मजबूत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधानों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

यह हमारे चालू/ ओडी/ सीसी/बचत खाताधारकों को एकीकृत पीओएस सॉल्यूशन्स की भी सुविधा प्रदान करता है, जो उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के अनुसार उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, दुकानों में डेस्कटॉप सिस्टम और प्रिंटर की लागत को कम करते हैं और अधिक कुशल तथा लागत प्रभावी व्यवसाय परिचालन के लिए हार्डवेयर उपयोग को अनुकूलित करते हैं।

हमारे पीओएस व्यवसाय में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लगातार वृद्धि हुई है। पीओएस टर्मिनल बेस वित्त वर्ष 2025 के 52,652 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026

में 61088 हो गया है, जो 16% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह, पीओएस पर टर्नओवर वित्त वर्ष 2025 में ₹7,790 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹8,226 करोड़ हो गया, जिसमें लगभग 5.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। पीओएस टर्मिनल बैंक के लिए कासा इनेबलर होने के नाते, वित्त वर्ष 2025 में ₹2,552 करोड़ से वित्त वर्ष 2026 में ₹3,111 करोड़ तक की वृद्धि दर्ज की गई, जो लगभग 22% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है।

भारत कनेक्ट (बीबीपीएस) (पूर्व में भारत बिल भुगतान प्रणाली के नाम से जाना जाता था)

भारत कनेक्ट (बीबीपीएस) वर्ष 2017 से हमारे बैंक में संचालित एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को एक इंटरऑपरेबल, सुलभ और मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव प्रदान करती है। बैंक को भारत कनेक्ट इकोसिस्टम के तहत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू) के रूप में काम करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है, जो कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट (सीओयू) और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) दोनों में कार्य करता है।

वित्त वर्ष 2026 में, बैंक ने लगभग ₹15,075 करोड़ की राशि के 1.85 करोड़ बिल भुगतान लेनदेन को प्रोसेस किया है। बैंक के भारत कनेक्ट (बीबीपीएस) प्लेटफॉर्म पर 37 सक्रिय बिलर्स का बिलर बेस है।

एटीएम

31 मार्च 2026 तक बैंक में 9,538 एटीएम और 2,059 कैश रिसाइक्लर का व्यापक नेटवर्क है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में नेविगेशन करने हेतु उपयोगकर्ता अनुकूल स्क्रीन प्रदर्शित की गई है, जो हमारे ग्राहकों के दैनिक बैंकिंग परिचालन संबंधी सहज अनुभव प्रदान करती है।

हमारे एटीएम में ग्रीन पिन जनरेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), कैश ऑन मोबाइल (कार्डलेस कैश विड्रॉल) और इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विड्रॉल (यूपीआई एटीएम) जैसी विभिन्न विशेषताएं हैं, जिसके द्वारा ग्राहक बैंक की यूपीआई क्यूआर सेवाओं (आईसीसीडब्ल्यू) का उपयोग करके राशि निकाल सकते हैं।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा शुरू की गई नई पहलें निम्नलिखित हैं:

- यूपीआई इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट: ग्राहक कैश रिसाइक्लर मशीन पर यूपीआई ऐप का उपयोग करके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं।
- डायनेमिक एचटीएमएल आधारित स्क्रीन: ग्राहक अनुभव को बेहतर करने के लिए।
- एटीएम का उपयोग करके री-केवाईसी: पात्र ग्राहकों के लिए बाधारहित री-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया।

इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)

बैंक का आईपीजी प्लेटफॉर्म, बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे, एक व्यापक ऑनलाइन भुगतान सॉल्यूशन है जो मर्चेन्ट्स को रियल टाइम में सुरक्षित रूप से भुगतान स्वीकार करके डिजिटल रूप से व्यवसाय करने में सक्षम बनाता है। यह मर्चेन्ट्स और ग्राहकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो कई ऑनलाइन चैनलों पर निर्बाध और सुरक्षित लेनदेन प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है।

बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, आईपीएस, आधार पे, क्यूआर कोड के साथ-साथ एनईएफटी/ आरटीजीएस जैसे ऑफलाइन भुगतान विकल्पों सहित भुगतान मोड की व्यापक श्रृंखला का समर्थन करता है। यह ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यवसाय के लिए एक सुदृढ़ सॉल्यूशन प्रदान करता है।

बाधारहित और ग्राहकोन्मुखी सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने -12- एग्रीगेटर्स और मास्टर मर्चेन्ट के साथ टाई-अप किया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान 2,914 मर्चेन्ट्स को ऑनबोर्ड किया है, जिससे 10,000 से अधिक आईपीजी मर्चेन्ट आधार प्राप्त हुआ है और मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग में 41% की वार्षिक वृद्धि हुई है-परिणामस्वरूप कासा बैलेंस वित्त वर्ष 2025 के ₹3566 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 4600 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 29% की वृद्धि हुई है।

बॉब इ पे:

यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) पर लेकर आता है, विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, बाधारहित निधि अंतरण एवं मर्चेन्ट भुगतान को एक प्लेटफॉर्म पर समेकित करता है। यह "पीयर टू पीयर" कलेक्शन अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा अनुसार शेड्यूल कर भुगतान किया जा सकता है। बैंक ने पिछले वर्ष अपने यूपीआई ऐप को नया रूप दिया और इसे नए यूपीआई के साथ बॉब इ पे नाम दिया। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 14.79 लाख नए उपयोगकर्ताओं को शामिल किया है।

बॉब वर्ल्ड (इंटरनेट बैंकिंग) :

बैंक के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2025 के दौरान 122.05 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 के दौरान 131.82 लाख हो गई।

बड़ौदा टैबिट:

बैंक ने अपने ग्राहकों को टैबलेट के माध्यम से त्वरित रूप से बचत एवं चालू खाता खोलने के लिए बोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं (व्यक्तिगत चेक बुक, व्यक्तिगत डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग) और फास्टैग जारी करना तथा क्रेडिट कार्ड, पीओएस, साउंडबॉक्स, यूपीआई क्यूआर, आईपीजी लीड जनरेशन को अपने टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म - बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से शुरू किया। बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान 31.12 लाख से अधिक बचत खाते और 2.25 लाख चालू खाते खोले।

बैंक ने यूपीआई की टेरिटररी शाखाओं (भारत स्थित शाखाओं में पार्क किए गए खाते) द्वारा बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से एनआरई/ एनआरओ खाता खोलने की सेवा शुरू की है।

बैंक ने टैब बैंकिंग से मौजूदा खाता खोलने की प्रक्रिया में विभिन्न नई सुविधाओं की शुरुआत की है जैसे बचत खाते की सक्रियता (लाइवलीनेस) की जांच और फेस मैच, चालू खाते में जियो फेंसिंग, चालू खाते (व्यक्तिगत और स्वामित्व) में उद्यम आधार का एपीआई आधारित सत्यापन, चालू खाते (व्यक्तिगत और स्वामित्व) में आरओ स्तर (तीसरे स्तर) पर खाते का सक्रियण, सीकेवाईसी को एसबी और सीए में ऑनबोर्डिंग का प्राथमिक तरीका बनाया गया है। एसएचजी खातों और चालू खातों के लिए केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा हेतु बीडीएमएस पोर्टल में संवर्धन। उक्त कार्यक्षमताएं खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुरक्षित बनाएंगी, जिससे विनियामक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ अनुपालन सुनिश्चित होगा।

नीचे विभिन्न फंक्शनैलिटीज के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या/ लीड दी गई है।

सुविधाएं	वित्त वर्ष 2026
बचत बैंक खाता	31.12 लाख
चालू खाता	2.25 लाख
एसएचजी खाता	23,452

सुविधाएं	वित्त वर्ष 2026
एनआरई/एनआरओ खाता	11,810
पीओएस लीड्स	32,089
यूपीआई मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग	7.79 लाख
टैब के माध्यम से आईपीजी लीड जनरेशन	4,124

व्हाट्सएप बैंकिंग:

बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ग्राहक एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन और सेवा अनुरोध आसानी से कर सकते हैं। ये सेवाएं खाता सेवाओं, चेक सेवाओं, जमा, ऋण, फास्टैग, कार्ड सेवाओं, दुकान और बिल भुगतान, सेवाओं को ब्लॉक करने/ निष्क्रिय करने, प्रोफाइल प्रबंधन और सहायता, और अन्य मूल्य वर्धित पेशकशों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विस्तारित हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ग्राहक बैंक से पूछताछ, लघु विवरणी, चेक की स्थिति, जमा से संबंधित जानकारी, ऋण पूछताछ, फास्टैग सेवाएं, कार्ड नियंत्रण, बिल भुगतान और सेवा अनुरोध सहित आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं - यह सभी सुविधाएं बिना शाखा में गए या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके किया जा सकता है। व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा 24x7 एक्सेस, सरलीकृत नेविगेशन और नियमित बैंकिंग जरूरतों के लिए त्वरित बदलाव प्रदान करके ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाती है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए कुल 81.14 लाख नए पंजीकरण दर्ज किए, जिनमें 59.26 लाख ग्राहक और 21.88 लाख संभावित-ग्राहक शामिल थे। 31 मार्च 2026 तक, बैंक का व्हाट्सएप बैंकिंग यूजर बेस 2.27 करोड़ था। वर्ष के दौरान, बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 11.15 करोड़ लेनदेन किए गए। यह ग्राहकों की बढ़ती स्वीकार्यता और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अपनाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स:

बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर में कुल 18 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) स्थापित किए हैं। इन इकाइयों को अनुकूलित और मानकीकृत डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह व्यवसाय के दोनों पहलुओं आस्तियां और देयताएं को पूरा करते हैं। प्रत्येक डीबीयू दो विशेष कार्यक्षेत्र (i) इंटरैक्टिव कियोस्क, एटीएम, कैश रिसाइट्स (सीआर), पासबुक प्रिंटर आदि जैसी सुविधाओं से लैस सेल्फ सर्विस सुविधा और (ii) डिजिटल सेवा सहायता यह डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला की पेशकश करता है, के माध्यम से संचालित होता है। 31 मार्च 2026 तक, बैंक ने इन डीबीयू के माध्यम से ₹132.95 करोड़ का कुल व्यवसाय अर्जन किया है, जो डिजिटल बैंकिंग चैनलों के बढ़ते ग्राहक आधार को दर्शाता है।

डिजिटल ऋण

वर्तमान में बैंक में 70 से अधिक डिजिटल डिजिटल ऋण परिदृश्य में अग्रणी बैंक बनने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, बैंक ने 2020 में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल साधनों का उपयोग करके विभिन्न सेगमेंट से नए ग्राहकों को लक्षित करना और उन्हें बैंक से जोड़ना है। बैंक ने लीड जनरेशन के शुरुआती चरण से लेकर संवितरण तक एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) ऋण जर्नी लाइव कर दी गई है।

वर्तमान में बैंक में 70 से अधिक डिजिटल लेंडिंग जर्नी लाइव है।

बैंक ने अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को आरबीआईएच के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), 20 से अधिक फिनटेक के साथ इंटीग्रेट किया है और भूमि स्वामित्व सत्यापन, कृषि उपज रिपोर्ट, डिजिटल सत्यापन, बैंक स्टेटमेंट

का प्रमाणीकरण और विश्लेषण, क्रेडिट ब्यूरो, ई-मैडेट, जीएसटी, आईटीआर, उद्यम, ई-केवाईसी, वी-केवाईसी, पैन, ई-स्टाम्पिंग / ई-साइनिंग आदि के उद्देश्य से 100 से अधिक डिजिटल एकीकरण किए हैं।

कुल 31+ लाख ग्राहकों को 56,000+ करोड़ रुपये के डिजिटल ऋण स्वीकृत और संवितरित किए गए हैं।

डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म व्यवसाय को सरल बनाने में लगातार योगदान दे रहा है।

रिटेल पहलें:

- बॉब इंस्टा पर्सनल लोन (बीओबी आईपीएल): बॉब इंस्टा पर्सनल लोन 15 लाख तक के संवितरण तक एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण जर्नी है। यह बैंक में मौजूदा (ईटीबी) ग्राहकों को पूर्व-निर्धारित सीमा रखने के लिए पेश किया जाता है।
- डिजिटल दोपहिया ऋण: डिजिटल दोपहिया ऋण जर्नी एक एंड-टू-एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) है जो मैनुअल हस्तक्षेप को कम करती है। यह डिजिटल अंडरराइटिंग खाता विवरणी और आईटीआर पर आधारित है।
- इनहेंसड अर्थ सैलरी एडवांस डॉल्स एक्सेस स्कीम: इनहेंसड अर्थ सैलरी एडवांस डॉल्स एक्सेस स्कीम एक अनुकूलित अग्रिम उत्पाद है जो विशेष रूप से राजस्थान राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। यह डीआईवाई और असिस्टेड मोड में संवितरण तक एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी है।
- डिजिटल पीएम सूर्यधर योजना: डिजिटल पीएम सूर्यधर योजना बैंक के मौजूदा (ईटीबी) ग्राहकों के लिए आवेदन से लेकर ऋण खाता खोलने तक डीआईवाई मोड में एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण जर्नी है।

एमएसएमई पहलें:

- पीएम विश्वकर्मा: एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। यह योजना स्वरोजगार के आधार पर काम करने वाले, हाथों और औजारों से काम करने वाले और चिह्नित 18 पारंपरिक परिवारिक व्यवसायों में से किसी एक में लगे कारीगरों या शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हमारी डिजिटल जर्नी आवेदन से लेकर ऋण खाता खोलने और संवितरण तक एंड टू एंड तक डिजिटल है। यह जर्नी केवल ईटीबी ग्राहकों के लिए लागू है।

कृषि संबंधी पहलें:

- डिजी ट्रैक्टर ऋण: डिजी ट्रैक्टर ऋण एक एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी है जो ग्राहक के ऑनबोर्डिंग से लेकर न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ डिजिटल मोड के माध्यम से ऋण खाता खोलने तक की प्रक्रिया पूर्ण करती है। ग्राहक के लिए खाता खोलने तक डीआईवाई मोड में जर्नी उपलब्ध है।
- डिजिटल बीएचएफकेसीसी: डिजिटल बीएचएफकेसीसी को केवल कार्यशील पूंजी के रूप में मौजूदा पशुपालन के रखरखाव के लिए किसानों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल बीएचएफकेसीसी का लाभ केवल उन किसानों द्वारा उठाया जा सकता है जिनके पास स्व-स्वामित्व वाली भूमि है।
- डिजिटल स्वर्ण ऋण: बैंक ने स्वर्ण ऋण के त्वरित और निर्बाध संवितरण को सक्षम करने के लिए एक सहज डिजिटल जर्नी शुरू की है। उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, ड्रॉप-ऑफ को कम करने के लिए जर्नी में संवर्द्धन लागू किए गए, जिससे संवितरण में वृद्धि हुई।

- डिजिटल बीकेसीसी - बैंक ने ऑनबोर्डिंग से लेकर संवितरण तक एक एंड-टू-एंड डिजिटल सॉल्यूशन की शुरुआत की है। उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, ड्रॉप-ऑफ को कम करने के लिए जर्नी में संवर्द्धन लागू किए गए, जिससे संवितरण में वृद्धि हुई।

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (एसीओई)

बैंक उन्नत एआई और एमएल मॉडल को लागू करके, अपने डेटा-संचालित परिवर्तन को गति दे रहा है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के क्षेत्र में इसकी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत हो रही है और यह अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और प्रभावशाली व्यावसायिक परिणाम प्रदान कर रहा है। लगातार चौथे वर्ष, बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ एआई/एमएल बैंक - 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एआई समर्थित नवाचार में बैंक की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। बैंक ने 2025 गार्टनर एपीएसी आई ऑन एआई इनोवेशन अवार्ड में रनर-अप अवार्ड हासिल करके वैश्विक मान्यता भी अर्जित की है।

बैंक ने एआई तकनीक को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा ग्राहक एवं कर्मचारी दोनों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए जेनएआई और एजेंटिक एआई संचालित उत्पाद विकसित किए हैं। इसमें स्मार्टइन्वेस्ट एआई भी शामिल है जो एक अत्याधुनिक एजेंटिक एआई-संचालित संवादात्मक चैटबॉट है, जिसे ग्राहकों को सुविचारित निवेश निर्णय लेने और उपयोगकर्ताओं को सहज, मानवीय बातचीत के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को वित्तीय और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में शिक्षित करता है। बैंक ने जेन एआई आधारित वर्चुअल फ्रंट ऑफिस (वीएफओ) डिवाइस पेश की है जो वीएफओ डिवाइस के माध्यम से बैंक की सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। डिवाइस की प्रमुख विशेषताओं में एआई-पॉवर्ड और 3डी प्रोजेक्शन ऑफ अवतार, टच-इनेबल्ड इंटरैक्शन शामिल हैं। बैंक ने बॉब संवाद लॉन्च किया है, जो एक बहुभाषी एआई-पॉवर्ड संवाद प्लेटफॉर्म ऐप्लिकेशन है जो ग्राहकों और शाखा कर्मचारियों को अलग-अलग भाषाओं में सुचारू रूप से संवाद करने में मदद करता है। इसे ग्राहक सेवा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह ग्राहक की पसंदीदा भारतीय भाषा में रियल टाइम, सहज बातचीत को सक्षम बनाता है, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने, प्रश्नों को तेजी से हल करने और भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में अधिक सुसंगत सेवा अनुभव प्रदान करने में मदद करता है।

अपने परिचालन और ग्राहक इकोसिस्टम में एआई का लाभ उठाकर, बैंक अधिक दक्षता, समावेशिता और नवाचार नेतृत्व के साथ बैंकिंग अनुभव के उच्चतम मानक स्थापित कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- बैंक ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नई सेवाएं जैसे एफआईआर (विदेशी आवक विप्रेषण), यूपीआई ग्लोबल, यूपीआई 123, डिजीनेक्स्ट के साथ एकीकरण, फेस और बायो अथॉराइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइस से यूपीआई भुगतान को सक्षम करना, ईवी श्रेणियों को सक्षम करना, क्रेडिट लाइन के तहत पी2पी लेनदेन, सेबी पंजीकृत मध्यस्थों के लिए नया हैडल आदि, शुरू की हैं।
- बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी), जिसे ईर (डिजिटल रुपी) के रूप में संदर्भित किया जाता है, में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे इंटरऑपरेबल डिस्काउंट वाउचर, अन्य बैंक ग्राहकों को प्रोग्राममेबल टोकन का अंतरण, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण वितरण और सीबीडीसी आदि के माध्यम से महिला लाभार्थियों के लिए ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना आदि, की शुरुआत की है।

- बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में नई सेवाओं/सुविधाएं जैसे द्विभाषी ईमेल अलर्ट, संयुक्त खाते में ई-मैनेज सुविधा, लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा, डिजिटल बीमा समाधान, सरलीकृत आईएमपीएस, जमा खातों में एकाधिक नामांकन सुविधा, इक्विफैक्स का उपयोग करके क्रेडिट स्कोर आदि, को जोड़ा है।
- बैंक ग्राहकों के लिए नई सुविधाओं और सेवाओं जैसे सीकेवाईसी सर्च और डाउनलोड, एनआरई/एनआरओ अकाउंट ओपनिंग (यूआई), ई-मैनेज, कस्टमाइज्ड सैलरी पैकेज, हेल्थ अकाउंट स्कीम, उद्यम एपीआई इंटीग्रेशन, चालू खाता खोलने के दौरान जियो टैगिंग आदि, की पेशकश के लिए टैबलेट बैंकिंग को सुदृढ़ कर रहा है।
- बैंक ने रिटेल मर्चेन्ट्स, एमएसएमई और मिड-कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक व्यापक मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन - "बॉब वर्ल्ड बिजनेस" पेश किया है। वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया, बॉब वर्ल्ड बिजनेस उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल डिवाइस से अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को निर्बाध रूप से प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- बैंक ने घरेलू डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली के उन्नत वर्जन को लागू किया है, 60 दिनों के भीतर जारी न किए जाने के कारण डेबिट कार्ड को ऑटो ब्लॉक करने की सुविधा और आरआरबी एकीकरण के रूप में डेबिट कार्ड से संबंधित सुविधाओं को एकीकृत किया है।
- बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को संवर्धित किया है तथा इसमें नई सुविधाओं जैसे डिजिटल टू व्हीलर, डिजिटल ट्रैक्टर ऋण जर्नी, सोलर रूफटॉप जर्नी, बॉब इंस्टा पर्सनल लोन, प्री-क्वालिफाइड वैयक्तिक ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण आवेदन प्रोसेसिंग के लिए एसटीपी जर्नी और राजस्थान सरकार के कार्य-दायित्वों के लिए डिजिटल वैयक्तिक ऋण उत्पाद की शुरुआत शामिल है।
- बैंक ने ऋण साइकल प्रबंधन में नई सेवाओं/उत्पादों जैसे वाहन एपीआई एकीकरण, क्षेत्र विशिष्ट ऋण, नकदी प्रवाह गृह ऋण, बल्क रिटेल के तहत विभिन्न संस्थानों को जोड़ना, प्रोपर्टी प्राइड स्कीम, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के साथ एकीकरण, कैशफ्लो आधारित एसटीपी ऋण जर्नी (जिसे डिजीआई उद्यम के रूप में नामित), नए मॉड्यूल जैसे खाद्य और कृषि प्रोसेसिंग, महिला स्वालंबन और पीएम स्वनिधि योजनाएं, एससीएफ उधारकर्ताओं के लिए नकदी प्रवाह जर्नी और बल्क रिटेल के तहत कस्टमाइज्ड उत्पाद के लिए कई नए संस्थान जोड़े गए।
- एनआरआई ग्राहकों के लिए घर बैठे खाता खोलने की सुविधा हेतु खाता खोलने का पोर्टल शुरू किया गया है। ग्राहक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं जिन्हें शाखा में या अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा और विवरण के सत्यापन के बाद, खाता खोला जाएगा।
- बैंक ने विभिन्न हरित पहलों जैसे बॉब ग्रीन व्हील लोन, बॉब इको सारथी एजुकेशन लोन, बॉब ग्रीन होम्स आदि, को लागू किया है।
- बैंक उच्च अपटाइम और कार्यनिष्पादन के लिए बैंकिंग सेवाओं और लेनदेन का समर्थन करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की दक्षता और सुदृढ़ता को लगातार अपग्रेड कर रहा है।
- बैंक ने डिजिटल नवाचार में अपने नेतृत्व को मान्यता देते हुए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में सम्मान जीता है। बैंक सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा में विजेता बनकर उभरा और बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में विशेष सम्मान मिला।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा बैंक के लिए एक प्रमुख जोखिम और बोर्ड स्तर की प्राथमिकता बनी हुई है। बैंकिंग सेवाओं का डिजिटल चैनलों, भुगतान प्लेटफॉर्मों, आंतरिक प्रणालियों और भागीदार इकोसिस्टम में विस्तार जारी रखने के साथ, बैंक के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को ग्राहक जानकारी की सुरक्षा करने, सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने और व्यापक विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक मानता है कि एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा व्यवस्था केवल तकनीकी नियंत्रणों तक सीमित नहीं है और इसके लिए प्रभावी गवर्नेंस, अनुशासित परिचालन प्रक्रियाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी और लगातार उभर रहे खतरों के प्रति सतर्कता आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने एक व्यवस्थित और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना जारी रखा। इसमें नए सुरक्षा समाधानों का कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण प्रणालियों की बेहतर निगरानी, भूमिका-आधारित एक्सेस नियंत्रण, सिस्टम संबंधी जोखिम प्रबंधन, समय-समय पर सिस्टम की सुरक्षा का मूल्यांकन और प्रभावशीलता का परीक्षण तथा प्रतिकूल स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया शामिल है। बैंक ने व्यापक प्रौद्योगिकी परिवेश में जोखिम को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और आउटसोर्स की गई आईटी गतिविधियों पर अपनी निगरानी को भी सुदृढ़ किया। इन उपायों का उद्देश्य सक्रिय रूप से खतरों की पहचान करना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

साइबर सुरक्षा को एक केंद्रीकृत वैश्विक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) द्वारा 24x7x365 प्रबंधित किया जाता है, जो सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के साथ समन्वय में कार्य करता है। सीएसओसी साइबर खतरों का सक्रिय रूप से पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताओं का उपयोग करता है। बैंक का डेटा सेंटर और डिजिस्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ/आईईसी 27001:2022 के तहत प्रमाणित है, जो एक विश्वसनीय सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है।

मौजूदा नियंत्रणों के अतिरिक्त, बैंक ने निम्नलिखित कार्यनीतिक पहलों को क्रियान्वित किया है:

- साइबर सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए ब्रीच एंड अटैक सिमुलेशन (बीएएस) समाधान।
- बैंक के डिजिटल फुटप्रिंट की निगरानी और उसे बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सटर्नल अटैक सरफेस मैनेजमेंट (ईएएसएम) और डिजिटल जोखिम निगरानी (डीआरएम) सेवाओं का उपयोग किया जाता है।
- साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर एक व्यवस्थित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने तथा परिचालन में होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए एक 'साइबर संकट प्रबंधन योजना' लागू है।
- साइबर-संबंधित घटनाओं और धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए एक प्रतिष्ठित बीमाकर्ता के माध्यम से साइबर बीमा कवरेज की व्यवस्था की गई है।
- सुरक्षित बैंकिंग प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल चैनलों (एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, एटीएम और बैंक की वेबसाइट), क्षेत्रीय/अंचल/शाखा कार्यालय, चयनित शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय में ग्राहक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

बैंक ने प्रतिष्ठित आईबीए पुरस्कार 'सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन पुरस्कार' (वित्त वर्ष 2026 के दौरान) भी जीता है, जिसमें बैंक के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आईटी, सूचना सुरक्षा, जोखिम और कारोबार टीमों

के बीच समन्वय द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा के संबंध में बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीतियों को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, बैंक ने अप्रैल 2025 में एनसीआयआयपीसी द्वारा बीएफएसआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित 'क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्सरसाइज' के दौरान गोल्ड मेडल भी जीता और (अखिल भारतीय स्तर पर) शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा।

कुल मिलाकर, ये उपाय और पहल बैंक की साइबर सुदृढ़ता को मजबूत करते हैं, जोखिम की संभावना को कम करते हैं और एक ऐसी सक्रिय रक्षात्मक स्थिति को स्थापित करते हैं जो व्यावसायिक रणनीति और लागू विनियामक मानकों के अनुरूप हो।

विपणन

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने डिजिटल नवाचार, रणनीतिक संचार, फील्ड-आधारित मार्केटिंग और प्रभावशाली रचनात्मक कौशल द्वारा संचालित एक व्यापक और एकीकृत मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन की प्रतिबद्धता दर्शाई है। डिजिटल, जनसंपर्क, मार्केटिंग, मीडिया और क्रिएटिव कार्यों में समन्वित प्रयासों ने ब्रांड इक्विटी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया, ग्राहक जुड़ाव को गहरा किया और निरंतर व्यवसाय वृद्धि में योगदान दिया, जिससे एक अग्रणी और भविष्य उन्मुखी वित्तीय संस्थान के रूप में बैंक की स्थिति और भी सुदृढ़ हुई।

वेबसाइट, जनसंपर्क, रणनीतिक विपणन, सोशल मीडिया, क्रिएटिव डेवलपमेंट, मीडिया गतिविधियां, ब्रांड रीपोजिशनिंग आदि क्षेत्रों में प्रमुख पहलें और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

वेबसाइट प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने एक केंद्रीकृत और उपयोगकर्ता-केंद्रित वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्य संवर्द्धन में बेहतर खोज कार्यक्षमता, बहुभाषी क्षमताएं और उन्नत फ़िल्टरिंग सुविधाएं शामिल थीं, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता अनुभव, पहुंच और जुड़ाव में वृद्धि हुई।

इस वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि सितंबर 2025 में बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट का bank.in डोमेन पर सफल माइग्रेसन था, जिससे बैंक अपनी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को प्रभावी ढंग से पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। इस बदलाव से डिजिटल प्रदर्शन में काफी वृद्धि हुई, जिसमें वेबसाइट पर वर्ष के दौरान 116.8 मिलियन से अधिक विजिट और 58.9 मिलियन उपयोगकर्ता दर्ज किए गए। बैंक की डोमेन अथॉरिटी में भी सुधार देखने को मिला जो 81 से बढ़कर 86 हो गई, यह इसकी मजबूत ऑनलाइन विश्वसनीयता और सर्च इंजन पर इसकी उपस्थिति को दर्शाता है।

लोकेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत, बैंक ने 8,500 से अधिक शाखा और गूगल माय बिजनेस (जीएमबी) पेज और 8,488 एटीएम/सीआर पेज लाइव करके अपनी डिजिटल उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे ग्राहकों के लिए बैंक को ढूँढ़ना और उससे जुड़ना ज्यादा आसान तथा सुविधाजनक हो गया।

जनसंपर्क

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की जनसंपर्क रणनीति, निरंतर और रणनीतिक संचार के माध्यम से ब्रांड इक्विटी को सुदृढ़ करने, नेतृत्व की दृश्यता को बढ़ाने और बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा करने पर केंद्रित थी।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 108 मीडिया विज्ञापितियां जारी की जिसमें वित्तीय प्रदर्शन, रिटेल, एमएसएमई और डिजिटल क्षेत्रों में नए उत्पाद की शुरुआत, ईएसजी पहल, वित्तीय समावेशन के प्रयास, कृषि कार्यक्रम और रणनीतिक सहयोग सहित कई घोषणाएं शामिल थीं। इन प्रयासों से मीडिया के साथ निरंतर जुड़ाव

और नेतृत्व-स्तरीय संवादों से और बल मिला, जिससे लगातार दृश्यता और प्रभावी नैरेटिव प्रबंधन सुनिश्चित हुआ।

बैंक के नेतृत्व ने प्रमुख उद्योग मंचों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी दृश्यता बढ़ाई और बैंक के नेतृत्व को बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रमुखता से स्थापित किया गया।

वर्ष के दौरान, बैंक के प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। विशेष रूप से, बैंक को 'द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025' में 'भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंक को आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में कई सम्मानों से नवाजा गया। यह तकनीक-आधारित नवोन्मेषिता में बैंक की अग्रणी भूमिका को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डॉ. देबदत्त चांद को फॉर्च्यून इंडिया – भारत का सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2025 में 'सर्वश्रेष्ठ सीईओ' (बड़ी बैंक श्रेणी) के रूप में सम्मानित किया गया।

समग्र रूप से, बैंक के जनसंपर्क संबंधी पहलों ने बैंक की विश्वसनीयता, सुदृश्यता और संस्थागत स्थिति को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।

रणनीतिक विपणन पहल (स्पॉन्सरशिप)

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने ब्रांड सुदृश्यता बढ़ाने, व्यापक स्तर पर जागरूकता को प्रसारित करने और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने में शाखाओं, क्षेत्रों और अंचलों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक रूप से एकसूत्रित और क्षेत्र-संचालित दृष्टिकोण अपनाया। बैंक ने केंद्रीकृत विपणन दृष्टिकोण से हटकर एक विकेंद्रीकृत, क्षेत्र-केंद्रित मॉडल अपनाया, जिससे विपणन पहलों और व्यवसाय जुटाने के उद्देश्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हुआ।

बैंक के मार्केटिंग प्रयास रणनीतिक रूप से प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थे, जिनमें रिटेल, एमएसएमई, कृषि, कला एवं संस्कृति, खेल और फिटनेस, ज्ञान मंच और सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहलें शामिल थीं।

रिटेल क्षेत्र में बैंक ने सिंगापुर, दिल्ली, नवी मुंबई, हैदराबाद और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रोपर्टी और रियल एस्टेट एक्सपोजे में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनका आयोजन किया। इन पहलों से उल्लेखनीय व्यावसायिक परिणाम सामने आए, जिनमें दिल्ली प्रॉपर्टी एक्सपोजे में लगभग ₹211 करोड़ और क्रेडाई हैदराबाद प्रॉपर्टी शो में ₹400 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी शामिल है। इनसे डेवलपर्स के साथ साझेदारी भी सुदृढ़ हुई और रिटेल लोन की संभावना में भी बढ़ोतरी हुई।

एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में, बैंक ने एग्रोविजन राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन, भारत अंतरराष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन और ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मंचों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अंचलों में कई एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम और एचएनआई संपर्क पहलें आयोजित की गईं, जिससे उद्योग के हितधारकों के साथ सीधा जुड़ाव संभव हुआ, संबंधों को मजबूती मिली और विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय समाधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई।

राष्ट्रीय ब्रांड की दृश्यता को मजबूत करने के लिए बैंक ने कई बड़े सांस्कृतिक, पर्यटन और ज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों के साथ साझेदारी की है जिनमें हॉर्नबिल फेस्टिवल, मैसूर दशहरा, वाइब्रेंट गुजरात प्रदर्शनी, विश्व पुस्तक मेला और तिरुमाला तिरुपति देवस्थान तथा श्री जगन्नाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक संस्थान शामिल हैं। इन पहलों से विभिन्न ग्राहक वर्गों के बीच ब्रांड के प्रति विश्वास, विश्वसनीयता और जुड़ाव बढ़ा है।

बैंक ने भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित मैराथन और फिटनेस पहलों में भागीदारी के साथ-साथ प्राइम वॉलीबॉल लीग,

कॉर्पोरेट गोल्फ इवेंट्स और क्षेत्रीय खेल लीग जैसे प्रायोजनों के माध्यम से खेल और सामुदायिक जुड़ाव में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। इन प्रयासों से युवाओं और शहरी दर्शकों के साथ अधिक गहन जुड़ाव संभव हो पाया और साथ ही स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता भी सुदृढ़ हुई।

समग्र रूप से, बैंक की रणनीतिक विपणन पहलों के माध्यम से ब्रांड रिकॉल में वृद्धि, बेहतर लीड जनरेशन, सुदृढ़ क्षेत्रीय जुड़ाव और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।

सोशल मीडिया

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति पर अपना ध्यान केंद्रित रखना जारी रखा और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति में भी उल्लेखनीय वृद्धि की। बैंक ऑफ़ बड़ौदा अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स बेस के मामले में बैंकों की श्रेणी में में तीसरे स्थान पर है। बैंक के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 9.03 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 3512 गतिविधियां पोस्ट किए, जिससे 124.6 मिलियन की उल्लेखनीय पहुंच, 95.4 मिलियन इंप्रेशन और 175.6 मिलियन वीडियो व्यूज मिले।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने वित्तीय साक्षरता, धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता और साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर कई अभियान चलाए। प्रमुख पहलों में #BOBKeSangTyohaarKiUmang, #SeasonofSmiles, #WhatsYourMasterStroke, #FinancialLiteracyWeek, #PehchaanCon, #FinancialInclusion (सैचुरेशन ड्राइव), #CyberJagrootkaDiwas, और #YourMoneyYourRight शामिल थे। #BOBKeSangTyohaarKiUmang, #CustomerDay, #SeasonofSmiles, और #WhatsYourMasterStroke जैसे अत्यधिक लोकप्रिय अभियानों ने डिजिटल पहुंच में वृद्धि की। बैंक ने उत्पादों के प्रचार के अलावा सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए छोटे एवी, रील्स और सामयिक पोस्ट का भी उपयोग किया।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने बाजार में त्योहारों से पहले उत्साह बढ़ाने के लिए जतिन सप्ताह और कामिया जानी जैसे जाने-माने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साझेदारी की। इन साझेदारियों ने आकर्षक, उच्च-पहुंच वाली डिजिटल सामग्री बनाने में मदद की, जिससे प्रमुख अभियानों से पहले उत्साह और जिज्ञासा का प्रसार हुआ। इन साझेदारियों के माध्यम से ऐसे टीवी विज्ञापनों (टीवीसी) जिसमें सचिन तेंदुलकर द्वारा बैंक के उत्पादों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली, जिससे त्योहारों के दौरान दर्शकों को विज्ञापन ज्यादा याद रहे और बाजार में बैंक के उत्पादों की पैठ बढ़ाने में भी मदद मिली।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक तिमाही में कुल 6000-6800 शिकायतों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया गया, जिसमें लगभग 99% प्रश्नों को 4 घंटे के भीतर प्रथम स्तर पर ही समाधान मिला। यह ग्राहक सेवा और त्वरित प्रतिक्रिया के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रचनात्मक विकास

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक के क्रिएटिव डेवलपमेंट प्रक्रिया ने प्रभावी, अंतर्दृष्टि-आधारित अभियानों और एकीकृत संचार के माध्यम से बैंक की ब्रांड प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

बैंक ने उत्पाद लॉन्च, संस्थागत संचार और रणनीतिक पहलों को समर्थन देने के लिए एक सुदृढ़ क्रिएटिव रिपॉजिटरी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे सभी प्लेटफॉर्म पर ब्रांड संदेश में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।

टेलीविजन कमर्शियल्स (टीवीसी), ऑडियो-विजुअल फॉर्मेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई महत्वपूर्ण अभियान की परिकल्पना की गई और उन्हें क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित हुआ और ग्राहकों की भागीदारी भी बढ़ी।

इस वर्ष के दौरान प्रमुख पहलों में 118वां स्थापना दिवस अभियान, कॉर्पोरेट एवी और अनेक उत्पादों की शुरुआत से संबंधित अभियान शामिल हैं। बैंक ने संवहनीय और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए "बॉब फॉरेस्ट" पहल का भी शुभारंभ किया।

एक प्रमुख पहल बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म, बॉब वर्ल्ड के लिए टीवीसी अभियान का शुभारंभ था, जिसे जेन जी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया था, जिसमें डिजिटल सुविधा, वैयक्तिकरण और सहज उपयोगकर्ता अनुभव पर जोर दिया गया था। बैंक ने स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से उपयोगी अभियानों के माध्यम से उत्सव केंद्रित प्रमुख बौद्धिक संपदा, "बॉब के संग त्योहार की उमंग" को भी देश भर में सक्रिय किया।

बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025, मुंबई क्लाइमेट वीक 2025 और क्लीन एनर्जी समिट 2026 जैसे प्रमुख उद्योग मंचों पर अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया, जिससे एक सुसंगत और प्रीमियम ब्रांड प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।

बैंक के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर की विशेष उपस्थिति वाले अभियानों के माध्यम से ब्रांड इकटिरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे विश्वास, विश्वसनीयता और व्यापक लोकप्रियता को और मजबूती मिली।

इसके अलावा, बैंक ने कई आंतरिक और नवाचार-आधारित पहलों की अवधारणा की, जिसमें बैंक के डीईआई फ्रेमवर्क के तहत "बॉब पंख", "लीडरशिप इन एक्शन 1.0" सम्मान कार्यक्रम और ग्राहक संवाद को सुगम बनाने के उद्देश्य से एआई-संचालित अनुवाद टूल "बॉब संवाद" का शुभारंभ शामिल है।

इन पहलों ने समग्र रूप से ब्रांड की पहचान को बढ़ाया, ग्राहकों के जुड़ाव को मजबूत किया और बैंक को एक आधुनिक, डिजिटल रूप से प्रगतिशील और ग्राहक-केंद्रित संस्थान के रूप में स्थापित किया।

मीडिया गतिविधियां – प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो

वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने ब्रांड दृश्यता बढ़ाने, ग्राहक जुड़ाव को सुदृढ़ करने और रिटेल, एमएसएमई और डिजिटल बैंकिंग क्षेत्रों में व्यवसाय विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से डिजिटल और ऑन-ग्राउंड पहलों द्वारा समर्थित प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो में एक एकीकृत मीडिया रणनीति लागू की।

बैंक ने रथ यात्रा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि व दुर्गा पूजा, ओणम, दिवाली, क्रिसमस, नव वर्ष और फसल कटाई उत्सवों सहित प्रमुख क्षेत्रीय और राष्ट्रीय त्योहारों के अनुरूप बड़े पैमाने पर उत्सव केंद्रित अभियान चलाए। दीवाली के बाद, ब्रांड की लोकप्रियता और सकारात्मक पहचान बनाए रखने के लिए #SeasonsOfSmiles नामक एक विशेष उत्सव केंद्रित पहल शुरू की गई।

प्रिंट मीडिया की सुदृढ़ विश्वसनीयता और क्षेत्रीय जुड़ाव का लाभ उठाने के लिए, बहुभाषी समाचार पत्रों में विज्ञापन का सहारा लिया गया। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर चलाए गए टेलीविजन अभियानों ने त्योहारों के दौरान बेहतरीन उपस्थिति सुनिश्चित की, जबकि रेडियो अभियानों ने उत्सव जिंगल्स, आरजे द्वारा उत्पाद का प्रचार, प्रतियोगिताओं और जमीनी स्तर पर की गई गतिविधियों के माध्यम से लोकप्रियता बढ़ाई।

अधिक दर्शकों वाले खेल आयोजनों का लाभ उठाने के लिए बैंक ने पुरुषों के आईपीएल 2025 और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय श्रृंखला जैसी

प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंटों के दौरान विज्ञापन दिए। लाइव मैच के प्रसारण के दौरान एल-बैंड विज्ञापन ने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर दृश्यता और युवाओं तथा व्यापक दर्शकों तक लक्षित पहुंच सुनिश्चित की।

इसके अतिरिक्त, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर वूमैस प्रीमियर लीग के दौरान एल-बैंड फीचर विज्ञापन ने ब्रांड की उपस्थिति को और सुदृढ़ किया, प्रमुख महिला-केंद्रित और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों को प्रीमियम महिला क्रिकेट कंटेंट और कई भाषाओं में उपलब्ध प्राइम-टाइम प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ावा दिया।

विभिन्न-उत्पाद एवं ब्रांड पुनर्स्थापन अभियान

बैंक ने होम लोन, कार लोन, एमएसएमई ऑफ़रिंग, बचत खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी दृश्यता और पहचान को बेहतर बनाने के लिए बॉब वर्ल्ड ब्रांड रीपोजिशनिंग कैपेन और एसआरटी मल्टी-प्रोडक्ट कैपेन सहित, उत्पाद केंद्रित प्रचार और ब्रांड रीपोजिशनिंग पहलों की शुरुआत की।

इन अभियानों ने प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पूरे भारत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की और शहरी, अर्ध-शहरी तथा क्षेत्रीय बाजारों में एक समान संदेश और निरंतर प्रचार-प्रसार प्रदान किया।

कॉर्पोरेट नैतिकता - "विश्वास के साथ मूल्य सृजन"

भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा हमेशा अपने परिचालन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ग्राहक-केंद्रित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने, पीएसयू बैंकों के अंतर्गत नैतिक आचरण संहिता की शुरुआत करने वाला अग्रणी बैंक बना। बैंक में एक समर्पित कॉर्पोरेट नैतिक आचरण संहिता विभाग है, जो बैंक के नैतिक मूल्यों का नेतृत्व करता है। "नैतिक आचरण संहिता" को अपनाकर, बैंक ने गतिशील वित्तीय जगत में दीर्घकालिक सफलता और संवहनीयता सुनिश्चित करते हुए, नैतिक बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। बैंक ने संगठन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए लिंग, जाति, संवर्ग, भौगोलिक स्थिति, कार्य, दिव्यांग व्यक्ति, खेल और पूर्व सैनिकों जैसों के विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ 'शीर्ष स्तरीय नैतिक आचरण समिति' का गठन किया है।

हमारी नैतिक आचरण संहिता हमारे बुनियादी मूल्यों, साझा जिम्मेदारियों, वैश्विक प्रतिबद्धताओं और पांच स्तंभों के प्रति हमारी प्रतिज्ञा को निर्धारित करती है, अर्थात्

- हम बड़ौदियंस
- हमारे ग्राहक
- हमारे अन्य बाहरी हितधारक
- हमारा व्यवसाय
- हमारे समुदाय

बैंक ने 01 अप्रैल 2025 को अपनी 'नैतिक आचरण संहिता' का नया संस्करण 2.0/2025 जारी किया है। हमारी नैतिक आचरण संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नैतिक आचरण संहिता को हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को इस संस्कृति के कर्ता-धर्ता और संचालक के रूप में केंद्र में रखा गया है। नैतिक आचरण संहिता का हमारे बुनियादी मूल्यों के साथ एक सुदृढ़ जुड़ाव है, यह हमारे सहकर्मियों, हमारे हितधारकों और हमारे साथ काम करने वालों से हमारी अपेक्षाओं के लिए एक मार्गदर्शी रूपरेखा निर्धारित करता है। यह संहिता उन समकालीन चुनौतियों और नैतिक दुविधाओं का समाधान करती है जिनका सामना बैंक और उसके कर्मचारी

करते हैं और बैंकिंग परिचालन और साइबर सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरते महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते समय उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

बैंकिंग उद्योग में समय-समय पर अनेक चुनौतियों का सामना किया है फिर भी नैतिकता और विश्वास इसकी नींव बने हुए हैं यह संहिता हमें सही कार्य करने के लिए सशक्त बनाती है और हमारे बैंक के ब्रांड और प्रतिष्ठा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी सहभागिता पहलों के माध्यम से इस संहिता के प्रचार प्रचार को निरंतर प्रोत्साहित किया है।

वर्ष भर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, हमारे नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली कार्यनीतियों में से एक सुदृढ़ संचार चैनल विकसित करना है। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, नैतिक आचरण संहिता के साथ संरक्षित 'स्पीक अप!' पहल की शुरुआत की गई, ताकि बैंक के भीतर विभिन्न चैनलों पर प्रकाश डाला जा सके जो कर्मचारियों को अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करने और चिंताओं को उठाने के लिए सशक्त बनाते हैं।

पारदर्शिता और सहभागिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बैंक 'बड़ौदा संस्कृति' भी प्रकाशित करता है, जो एक त्रैमासिक इन-हाउस न्यूज़लेटर है। नैतिक आचरण संहिता के अंशों, प्रश्नोत्तरी, हमारी नैतिक आचरण संहिता की द्विभाषी ऑडियोबुक और डिजिटल संचार उपकरणों जैसे कि नैतिक श्रृंखला-नैतिक दुविधाओं को दर्शाने वाली वीडियो कहानियाँ- और 'नैतिकता वार्ता' के नियमित प्रसार के माध्यम से नैतिक जागरूकता को और बढ़ावा दिया जाता है जो बैंक के कॉर्पोरेट दृष्टिकोण और नैतिकता की कार्यनीति की भूमिका को रेखांकित करता है।

वर्ष के दौरान उच्च जोखिम वाली शाखाओं के लिए कॉर्पोरेट नैतिकता पर एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। बैंक ने कॉर्पोरेट और अंचल स्तर पर नैतिकता परामर्शदाता नियुक्त किए हैं, जिनमें महिला कर्मचारियों के लिए समर्पित महिला परामर्शदाता भी शामिल हैं, ताकि कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में आने वाली किसी भी नैतिक दुविधा को दूर करने और हल करने में सहायता मिल सके।

हमारे मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए, बैंक ने 'नैतिकता की शक्ति' एक वीडियो श्रृंखला शुरू की, जिसमें प्रेरणादायक लघु वीडियो शामिल हैं जो हमारे बुनियादी मूल्यों: ईमानदारी, ग्राहक केंद्रीयता, साहस, उत्साहपूर्ण स्वामित्व, नवाचार, उत्कृष्टता और सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नैतिक आचरण संहिता के सिद्धांत संगठन के हर स्तर तक पहुंचें, बैंक सभी कर्मचारियों के लिए वेबिनार, सेमिनार, विशेष प्रशिक्षण सत्र, 'वैश्विक नैतिकता दिवस' जैसे विशेष अवसरों का आयोजन और अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल आयोजित करता है। ये प्रयास हमारी नैतिकता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

इन पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, बैंक सभी कर्मचारियों के लिए एक गोपनीय वार्षिक नैतिकता सर्वेक्षण आयोजित करता है, जिसके स्कोर में लगातार वृद्धि हुई है। इससे हमें नैतिक व्यवहार का आकलन करने, सांस्कृतिक प्रगति की निगरानी करने और अपने नैतिक फ्रेमवर्क में निरंतर सुधार करने का मौका मिलता है, जैसा कि कहा जाता है, "जो मापा जाता है, उसमें सुधार होता है।"

बैंक ऑफ़ बड़ौदा महज एक वित्तीय संस्थान नहीं है; यह ऐसी संस्था है जो सफलता को परिभाषित करने वाले मूल्यों से प्रेरित है, इसकी पारदर्शिता विश्वास को बढ़ाती है तथा इसकी ईमानदारी एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देती है।

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार उद्योग बेंचमार्क निर्धारित करने और उत्पाद, प्रक्रिया तथा सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी नवोन्मेषी प्रयासों में अग्रणी रहता है जो अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। ग्राहक आईवीआर/एजेंट के माध्यम से 20 भाषाओं में, बॉट में 11 भाषाओं में और वीडियो कॉल, वेब चैट एवं ईमेल जैसे अन्य माध्यमों से संवाद कर सकते हैं, जिससे ग्राहक अनुभव और उपयोग में आसानी बढ़ जाती है। बैंक ने दक्षता के साथ ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए समय-समय पर एआई और जनरेटिव एआई आधारित सुविधाओं को शामिल करना सुनिश्चित किया है।

संपर्क केंद्र की विशेषताएं:

1. संपर्क केंद्र में वर्ष के दौरान प्रति दिन 1.60 लाख से अधिक औसत इनबाउंड ग्राहक कॉल प्राप्त हुए और आईवीआर के माध्यम से प्रतिदिन 1.29 लाख से अधिक कॉल का जवाब दिया गया।
2. बिक्री और सर्वेक्षण के लिए प्रति दिन औसतन 1.19 लाख से अधिक आउटबाउंड कॉल।
3. बैंक आईवीआर पर लगभग 80.10% कॉल का जवाब दे रहा है।
4. संपर्क केंद्र ने 6 विदेशी टेरिटरी अर्थात् बोत्सवाना, मॉरीशस, युगांडा, ओमान, फिजी और सेशेल्स को आपातकालीन सेवाएं प्रदान कीं।
5. संपर्क केंद्र ने कई नई कार्यक्षमताएं जैसे कि फिजिटल शाखाओं और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वीडियो कॉल कार्यक्षमता, किसी भी दिन लेनदेन, प्रेषण जानकारी, आईवीआर पर एनआरआई भाषा चयन, वीडियो कॉल के माध्यम से सांकेतिक भाषा की सुविधा शुरू की है।
6. एनआरआई/एचएनआई, बीसी शिकायत डेस्क, वीआरएम शाइन डेस्क, स्टाफ हेल्प डेस्क, एनआरआई ग्लोबल ई-मेल डेस्क, बॉब वर्ल्ड इंटरनेट और बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग से संबंधित मुद्दे, शिकायतें, पीएमजेडीवाई, वरिष्ठ नागरिक डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, वेतन खाता डेस्क, दिव्यांगजनों की विशेष रूप से मदद के लिए संपर्क केंद्र में कई विशेष हेल्पडेस्क हैं।
7. संपर्क केंद्र में एआई-आधारित कई तकनीक जैसे स्पीच एनालिटिक्स, सोशल मीडिया टूल्स, स्वचालित ई-मेल टूल, जीनी प्रशिक्षण टूल, ऑरा कॉल क्वालिटी टूल, कार्य बल प्रबंधन, स्मार्ट डैशबोर्ड और कई अन्य तकनीक उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने शिकायतों को प्रबंधित करने के लिए दूरस्थ चैनलों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लगभग 96.1% शिकायतों का निपटान पूर्व-निर्धारित टर्न अराउंड टाइम के भीतर किया गया। बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक कार्यनिष्पादन संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निवारण की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। शाखाओं के नेटवर्क में सेवा स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग/सेवा लेखापरीक्षा और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के लिए महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं को प्रधान नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, सभी महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (अनुपालन एवं आश्वासन) एवं क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों एवं क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बैंक ने ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु दो आंतरिक लोकपाल(आईओ) फोरम उपलब्ध कराया है, जहां वे भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने से पहले संपर्क कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतें जो बैंक द्वारा अस्वीकृत

या आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) के पास व्यवस्थित रूप से भेज दिया जाता है। इससे बैंक के सिस्टम के प्रति ग्राहकों के विश्वास और सुदृढ़ होता है तथा शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी आती है जिससे यह और भी अधिक पारदर्शी हो जाता है।

विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राहकों और एमएसएमई के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। निदेशक मंडल स्तर पर, ग्राहक सेवा बोर्ड की उप समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और इसके अनुपालन के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देती है।

बैंक ने एआई-संचालित सेवाओं को शुरू करके और प्रतिक्रिया चैनलों का विस्तार करके ग्राहक जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चैटबॉट "एडीआई" और वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर "अदिति" की शुरुआत, बैंकिंग क्षेत्र में एआई-सक्षम ग्राहक संवर्धन सेवाओं को बेहतर बनाने वाली अभिनव पहल है। एडीआई, एक टेक्स्ट और वॉइस-आधारित इंटरफ़ेस है जो जनरेटिव एआई का उपयोग करके वास्तविक संवादात्मक अनुभव प्रदान करता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार होता है। अदिति, जिसे एक 3डी डिजिटल मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उन्नत नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) का उपयोग करके जीवंत और आकर्षक संवाद प्रदान करती है, जिससे ग्राहकों के साथ रिश्ते और भी गहरे होते हैं।

बैंक ने एक 'शाखा क्यूआर कोड फीडबैक प्रणाली' भी शुरू की, जिससे ग्राहक और गैर-ग्राहक दोनों वास्तविक समय में फीडबैक साझा कर सकते हैं। शुरुआत में इसे शाखा के परिवेश, लेन-देन में आसानी, स्टाफ के व्यवहार और एटीएम के परिवेश पर फीडबैक लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था, अब इस चैनल को सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी तक पहुंच प्रदान करने के लिए उन्नत किया गया है। जिसमें से कुछ का उल्लेख निम्नलिखित है:

- 15 गैर-वित्तीय सेवाएं: ग्राहक क्यूआर कोड के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की सेवाओं के लिए सीधे और आसानी से फीडबैक दे सकते हैं।
- संपर्क केंद्र का उपयोग: क्यूआर कोड उपयोगकर्ताओं को सहायता के लिए बैंक के संपर्क केंद्र से निर्बाध रूप से जोड़ता है।
- सीआरएम के माध्यम से शिकायत दर्ज करना: ग्राहक तुरंत शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिससे उनका समाधान तेज़ी से सुनिश्चित होता है।
- ग्राहक की बात को उच्च स्तर पर ले जाना: सभी नकारात्मक टिप्पणियों को क्षेत्रीय टीम द्वारा सीआरएम के माध्यम से ट्रैक किया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर शिकायत को सुना जाए और उस पर उचित कदम उठाया जाए।

ग्राहक शिकायत पर कार्रवाई

ग्राहक हमारी वेबसाइट पर जाकर और उपयुक्त लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से सीधे बैंक में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, ग्राहक टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और बैंक के सीआरएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ग्राहकों के लिए शाखाओं और अन्य कार्यालयों में किसी भी माध्यम से अपनी शिकायतें भेजने का विकल्प भी उपलब्ध है। सभी शिकायतें सीआरएम पोर्टल में दर्ज की जाती हैं। शिकायत

दर्ज करते समय चुनी गई शिकायत की श्रेणी के आधार पर स्वचालित रूप से संबंधित निस्तारणकर्ता ग्रुप को भेज दी जाती है।

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों में उनकी शिकायतों के निस्तारण के संबंध में विश्वास जगाने के लिए बैंक में एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र भी उपलब्ध है।

ऑनलाइन लेन-देन संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन विवाद निवारण (ओडीआर) तंत्र भी लागू किया है। साथ ही, संपर्क केंद्र में इंटरएक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (आईवीआर) के माध्यम से बड़ौदा कनेक्ट सुविधा की ब्लॉकिंग प्रदान की जाती है।

ग्राहकों को दिए जा रहे समाधान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, बैंक ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से बैंक द्वारा विकसित एआई टूल के माध्यम से 100% गैर-एडीसी और एडीसी शिकायतों की गुणवत्ता जांच की है, जिससे निवारण की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है तथा समय और मानवशक्ति की बचत होती है। गुणवत्ता जांच के परिणाम को विश्लेषण और समाधान में सुधार के लिए संबंधित रिज़ॉल्वर समूह के साथ साझा किया जाता है।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने सभी शाखा श्रेणियों में देश के प्रमुख स्थानों पर 229 शाखाएँ (मौजूदा शाखाओं के साथ 05 शाखाएँ समामेलित) जोड़कर अपनी कुल घरेलू शाखा संख्या को वित्त वर्ष 2025 में 8424 शाखाओं से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026 में 8,648 कर दिया है। 31 मार्च 2026 तक बैंक के घरेलू और विदेशी नेटवर्क का विवरण नीचे दिया गया है।

शाखाएं	वित्त वर्ष 2025		वित्त वर्ष 2026	
	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा
मेट्रो	1,815	21.55	1,866	21.58
शहरी	1,502	17.83	1,536	17.76
अर्द्ध-शहरी	2,179	25.87	2,260	26.13
ग्रामीण	2,928	34.76	2,986	34.53
कुल घरेलू शाखाएँ	8,424	100	8,648	100
विदेशी शाखाएं / कार्यालय (विदेशी अनुषंगियों की शाखाओं सहित)	84		80	

करेंसी चेस्ट

31 मार्च 2026 तक करेंसी चेस्ट की संख्या 135 थी। ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नकदी को सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं। सभी करेंसी चेस्ट के साथ-साथ नकद लेनदेन करने वाली शाखाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) प्रदान की जाती है।

जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

एक सशक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण किसी बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की आधारशिला होती है, जो उच्च प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन, विनियामक अनुपालन और आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में उच्च-गुणवत्तापूर्ण परामर्श प्रदान करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) फ्रेमवर्क अपनाया है। यह प्रणाली जोखिम पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करती है और बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों तथा जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सहयोग प्रदान करती है। इसके मुख्य घटक जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण आश्वासन प्रदान करता है। ऐसा करने से यह प्रक्रिया बैंक और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान के जोखिम को रोकने/कम करने में मदद करता है।

त्रिस्तरीय सुरक्षा फ्रेमवर्क

आंतरिक लेखा-परीक्षा सुरक्षित बैंकिंग संचालन के लिए आवश्यक है, जो 'तीन सुरक्षा स्तरों' के फ्रेमवर्क में तीसरी और अंतिम सुरक्षा स्तर के रूप में कार्य करती है:

- सुरक्षा का पहला स्तर यानी "परिचालन/व्यवसाय": जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वे जोखिमों को सीधे शुरूआती स्तर पर ही रोकें।
- सुरक्षा का दूसरा स्तर - बैंक का "अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन" कार्य।
- सुरक्षा का तीसरा स्तर "आंतरिक लेखापरीक्षा" है: यह बैंक को जोखिमों से सुरक्षित रखने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों और स्वयं बैंक की जोखिम प्रोफाइल पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती है।

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और प्रतिलाभ के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करना है। संवहनीय एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा धारित जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके। बैंक निर्धारित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अंतर्गत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है। विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है। निदेशक मंडल ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है। इसे निदेशक मंडल की विशेषज्ञ जोखिम सलाहकार की सहायता मिलती है। निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय - समय पर अनुमोदित नीति प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए गवर्निंग फ्रेमवर्क तैयार करती है।

बेसल III फ्रेमवर्क

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन बेसल स्तंभों, यानी स्तंभ I- न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता, स्तंभ II- पर्यवेक्षी समीक्षा और स्तंभ III- बाजार अनुशासन पर मजबूती से टिका हुआ है। बैंक सुदृढ़ पूंजी स्तर बने रहने से मजबूत हुआ है। बैंक ने अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफर सहित सामान्य इकिटी टियर I, अतिरिक्त टियर I और टियर II पूंजी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा है। फ्यूचरिस्टिक कैपिटल प्रोजेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए हमेशा तैयार है। ऋण जोखिम और पूंजी पर्याप्तता टीम द्वारा जोखिम भारित आस्तियों की सुदृढ़ पूंजी स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है। पर्याप्त पूंजी और औचित्यपूर्ण जोखिम भारित आस्तियां बैंक के लिए जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु मजबूत पूंजी सुनिश्चित करती हैं।

बैंक के पास व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर 2 जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम आदि और दबाव वाली स्थितियों (सामान्य और प्रतिकूल दोनों स्थितियों के तहत) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बैंक के भीतर मुख्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रणाली की एक संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

बैंक ने अपने संगठन में एक मजबूत जोखिम संस्कृति स्थापित की है, जहां यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बचाव के सभी तीनों स्तर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में पूर्णतः सक्षम हैं। जोखिम संस्कृति को बनाए रखने में विभिन्न हितधारकों के मध्य जोखिम संस्कृति से संबंधित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। निरंतर प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से, बैंक के कर्मचारी सभी स्तरों पर बैंक की जोखिम वहनीय सीमाओं के अनुरूप कार्य करने और उनका पालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल रखते हैं। यह दूरगामी दृष्टिकोण न केवल जोखिम संबंधी जागरूकता को बढ़ाता है बल्कि समग्र रूप से जोखिम संस्कृति को भी मजबूत करते हुए एक सतर्क और जानकार कार्यबल को प्रोत्साहन देता है।

अपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को गति प्रदान करने की अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, बैंक ने उभरते जोखिमों की पहचान करने और उनके वास्तविक स्वरूप का आकलन करने के लिए एक समर्पित फ्रेमवर्क की स्थापना की है। यह फ्रेमवर्क विशेष रूप से उन सभी जोखिमों की व्यापक पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बैंक से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन प्रमुख जोखिमों को इंगित करते हुए उनके वास्तविक प्रभावों का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो संभावित रूप से बैंक के उद्देश्यों और कार्यनीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता परिवर्तनशील है और यह व्यवसाय प्रोफाइल, रणनीति, आर्थिक वातावरण और शेयरधारकों की अपेक्षाओं के साथ विकसित होगी। जोखिम वहन करने की क्षमता का ढांचा व्यवसाय और वित्तीय नियोजन के लिए जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ एकसूत्रित होता है और बैंक की बदलती जोखिम प्रोफाइल के साथ जोखिम वहन करने की क्षमता की सीमाओं को संशोधित करने और/या विकसित करने की आवश्यकता होती है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करते हैं। बैंक के पास क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिम की पहचान, आकलन और नियंत्रण हेतु मजबूत ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है।

बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडलों एवं स्कोरकार्डों का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मॉडल आंतरिक/बाह्य रूप से विकसित किए गए हैं। उनकी व्यापक समीक्षा आंतरिक/बाह्य सत्यापन के माध्यम से समय-समय पर की जाती है और उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। आंतरिक रेटिंग को स्वतंत्र रेटिंग मानक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

संवहनीय पोर्टफोलियो का निर्माण और पोर्टफोलियो संकेन्द्रण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेक सम्मत उच्चतम ऋण सीमाएं तय कर रखी हैं। बैंक ने विभिन्न देशों, राज्य सरकारों, समूह उधारकर्ताओं आदि के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन-हाउस मॉडल विकसित किए हैं और जोखिम की सीमा तय की है। बेहतर जोखिम निगरानी के एक भाग के रूप में बैंक के प्रमुख एक्सपोजर, सेगमेंट, उद्योगों और सेक्टरों के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। एक समर्पित टीम पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक और बाहरी कारकों को ट्रैक करती है और अपेक्षित कार्रवाइयों की सिफारिश करती है। बैंक व्यापक विषयगत समीक्षा भी करता है जिसमें सेक्टर आउटलुक और अन्य घटना-विशेष प्रभाव का अध्ययन शामिल होता है। बैंक ने सीआरएआर और एक्सपोजर गणना के ऑटोमेशन की पहल की है।

बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का अर्थ बाज़ार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है। विभिन्न बाज़ार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज आदि की दरें, विनिमय दरें में परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास शामिल हैं। बैंक ने अपने ट्रेजरी-कार्यों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं जिसके तहत बाज़ार जोखिम स्थितियों का प्रबंधन किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है। दैनिक आधार पर नेट ओवरनाईट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, इंडिविजुअल गैप लिमिट (आईजीएल), एग्रीगेट गैप लिमिट्स (एजीएल) तथा टोटल एग्रीगेट गैप लिमिट (टीएजीएल) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोखिम का आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है। लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि-सीमा और डीलर-वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। मिड ऑफिस दैनिक आधार वीएआर नंबरों की बैंक टेस्टिंग भी करता है। अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही-पोर्टफोलियो और ट्रेजरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न का व्यापक दबाव विश्लेषण करता है। बैंक के लिए बाज़ार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना मिड ऑफिस द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन

एएलएम (एएलएम) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट मदों की संरचना और परिपक्वता पैटर्न को समायोजित करके लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है, जिसका लक्ष्य व्यवसाय योजना के अनुरूप अपने लक्षित एनआईआई/एनआईएम (एनआईआई/एनआईएम) को प्राप्त करना है।

चलनिधि जोखिम, उचित लागत पर अपेक्षित और अनपेक्षित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने संबंधी एक असमर्थता है। बैंक में प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण माध्यमों से चलनिधि जोखिम निर्धारण किया जाता है एवं इसकी निगरानी की जाती है। बैंक ने चलनिधि मानकों पर बेसल III

फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात, चलनिधि जोखिम मॉनिटरिंग टूल और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है। तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां (एचक्यूएलए) रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण चलनिधि दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके। बैंक में एकल के साथ-साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर की स्थिति हमेशा निर्धारित स्तर से ऊपर रही है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (एनएसएफआर) बेसल III के तहत एक नियामक लिक्विडिटी स्टैंडर्ड है जिसके लिए बैंकों को अपनी संपत्ति और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की संरचना के सापेक्ष एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात निरंतर आधार पर कम-से-कम 100% के बराबर होना चाहिए। बैंक का एनएसएफआर, एकल आधार पर और समेकित आधार पर भी निर्धारित स्तर 100% से काफी ऊपर रहा है।

ब्याज दर जोखिम, बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) के लिए मौजूदा और संभावित जोखिम है, जो आंतरिक और बाहरी कारकों में प्रतिकूल बदलावों के कारण उत्पन्न होता है। आंतरिक कारकों में बैंक की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संरचना तथा जमा और अग्रिमों की गुणवत्ता, परिपक्वता और पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाहरी कारक मुख्य रूप से सामान्य आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हैं। ब्याज दरों में बदलाव का बैंकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एनआईआई में परिवर्तनों के कारण बैंक की आय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव ईवीई या नेट वर्थ पर पड़ता है, क्योंकि बैंक की संपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट का आर्थिक मूल्य बाज़ार की ब्याज दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाज़ार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/ आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर संचलन का अल्पकालिक प्रभाव 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑपरेशन जोखिम में समानांतर रूप से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। ब्याज दर संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव को इक्विटी के बाज़ार मूल्य का (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है।

परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) है। ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है। ओआरएमएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं। बैंक के पास डाटा कैप्चर करने एवं परिचालनगत जोखिम के एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम है। बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के हमारे प्रयासों के तहत परिचालनगत जोखिम अनुपालन एवं गवर्नेंस को लागू करने के लिए हमारे बैंक वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम को प्राप्त किया है। मुख्य जोखिम संकेतक प्रोग्राम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम

(आरसीएसए) की निगरानी और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया है। बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक क्षति डेटा की रिपोर्टिग बनायी है। बदलते व्यवसायी माहौल में उत्पादों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा जोखिम संस्कृति को और मजबूत बनाती है। कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति, मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान, दृष्टिकोण और जोखिम के बारे में समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए ईमेल, वर्कशॉप, वेबिनार, मीटिंग, फ़्लायर, मैगज़ीन, ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि के माध्यम से कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम जागरूकता संस्कृति को और मजबूत करने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों से युक्त जोखिम परिषद का गठन किया गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के समुचित उपयोग के माध्यम से, धोखाधड़ी की प्रचलित घटनाओं के बारे में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए पहलों की गई हैं। साथ ही, ऐसी धोखाधड़ी वाली संदेहास्पद गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम

बैंक अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्लान-डू-चेक-एक्ट चक्र के आधार पर एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप है। बैंक व्यावसायिक निरंतरता की तैयारियों को निरंतर सुदृढ़ करता है ताकि ग्राहकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्वसनीय और सुरक्षित सेवाएँ मिल सकें। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण और निर्भरता निर्धारण प्रभावी जोखिम समझ, इष्टतम संसाधन आबंटन और बेहतर परिचालन सुदृढ़ता का समर्थन करते हैं। बैंक ISO 27001:2022 प्रमाणित डेटा सेंटर और डिजिस्टर रिकवरी सुविधाओं का संचालन करता है, जो किसी भी व्यवधान के दौरान कोर बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के प्रबंधन में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने जोखिम प्रबंधन, डिजिटल समूह और ट्रेजरी कार्यों को कवर करते हुए ISO 22301:2019 प्रमाणन प्राप्त किया है।

संवहनीयता, ईएसजी और जलवायु जोखिम

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन) तथा स्थिरता समावेशी एवं दीर्घकालिक विकास के लिए मूल कारक मानता है और एक सुदृढ़ एवं भविष्योन्मुख बैंकिंग संस्थान के निर्माण हेतु इन सिद्धांतों को अपनी कार्यनीति में समाहित कर रहा है। अपने व्यवसाय मॉडल के साथ पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा सुदृढ़ गवर्नेंस को एकसूत्रित करते हुए बैंक हितधारकों के लिए मूल्य में संवर्धन करने, निम्न-कार्बन उत्सर्जन को तीव्र गति प्रदान करने तथा संवहनीय आर्थिक प्रगति को आधार प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने परिणामोन्मुख एवं सुपरिभाषित एजेंडा के तहत अपनी संवहनीय पहलों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है, जो कि “उद्देश्यपूर्ण प्रगति: स्थायित्वपूर्ण वृद्धि यात्रा” की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्पष्ट रोडमैप के साथ बैंक की व्यापक ईएसजी नीति का क्रियान्वयन, वर्ष 2057 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने तथा स्कोप-1 एवं स्कोप-2 उत्सर्जनों में चरणबद्ध रूप से कमी लाने की हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में कार्य-निष्पादन निगरानी के साथ-साथ ईएसजी-केंद्रित संस्कृति को प्रोत्साहित देते हुए को समाहित करता है। यह सब एक सुदृढ़ गवर्नेंस फ्रेमवर्क द्वारा संचालित है जिसमें निर्णय-क्षमता, जोखिम निगरानी तथा परिचालन प्रक्रियाओं में संवहनीयता को व्यवस्थित रूप से शामिल किया गया है।

बैंक की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति जलवायु-संबंधित जोखिमों एवं अवसरों को बैंक की मुख्य रणनीति से जोड़ते हुए व्यवसाय, परिचालन, मूल्य शृंखला एवं हितधारक जुड़ाव की दृष्टि से जलवायु-अनुकूल प्रथाओं का आधार प्रदान करती है। इसके पूरक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संवहनीय फायनांस संबंधी फ्रेमवर्क, नियामकीय दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप ग्रीन, सोशल एवं सस्टेनेबिलिटी (जीएसएस) बॉण्ड जारी करने हेतु व्यापक प्रणाली प्रदान करती है। संवहनीयता के क्षेत्र में बैंक ने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं स्वच्छ परिवहन क्षेत्रों में अपने संवहनीयता फायनांस पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। साथ ही “बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना” के माध्यम से जमाकर्ताओं को पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर प्रदान किया गया है, ताकि सुरक्षित रिटर्न के साथ जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित हो सके। 31 मार्च 2026 तक बैंक का ग्रीन डिपॉजिट पोर्टफोलियो ₹1899.12 करोड़ है। ग्रीन डिपॉजिट से प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ मोबिलिटी के क्षेत्र में किया जा रहा है। बैंक 7-वर्षीय शृंखला-1 ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करते हुए ₹10,000 करोड़ की राशि जुटाने वाला पहला भारतीय बैंक भी बन गया है, इससे प्राप्त राशि का उपयोग पात्र ग्रीन प्रोजेक्ट के फायनांस/रि-फायनांस हेतु किया जा रहा है।

आंतरिक स्तर पर बैंक ने ऊर्जा दक्षता हेतु सुधारात्मक कार्य, रूफटॉप सौर संयंत्र इन्स्टॉलेशन, घरेलू शाखाओं में एलईडी प्रकाश व्यवस्था, व्यापक पौधारोपण अभियान, रिसाइकल कागज के उपयोग तथा कागज की खपत में कटौती हेतु डिजिटलाइजेशन को गति देकर अपने परिचालनगत कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के प्रयास तेज किए हैं। 31 मार्च 2026 तक, बैंक के 528 परिसरों (49 आरसेटी सहित) में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनके माध्यम से स्थापना से लेकर अब तक कुल 10,000+ टन CO₂ अवशोषित किया गया है। साथ ही, बैंक के स्वामित्व वाली छह इमारतों को आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

बैंक ने मुंबई के बीकेसी स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में “बॉब फॉरेस्ट” नामक 6,000 वर्गफुट का शहरी हरित क्षेत्र तैयार किया है, जिसमें सह्याद्री रेंज के 100 से अधिक देशज वृक्ष, वर्षा जल संचयन, कम्पोस्ट-समृद्ध मिट्टी तथा सौर ऊर्जा संचालित गज़ीबो शामिल हैं। यह बैंक द्वारा अपने कार्यस्थल परिवेश में प्रकृति-आधारित समाधानों के समावेशन का श्रेष्ठ उदाहरण है।

सामाजिक क्षेत्र में बैंक वंचित एवं ग्रामीण समुदायों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कर, एमएसएमई तथा महिला उद्यमियों को लक्षित वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से समर्थन देकर समावेशी विकास को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, बैंक ने डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ग्राहक अनुभव को और सुदृढ़ किया है। कर्मचारी कल्याण, विविधता एवं समावेशन तथा निरंतर क्षमता निर्माण मानव संसाधन कार्यनीति के प्रमुख केंद्र हैं जिसके तहत बैंक कर्मचारी और इसके मूल्य शृंखला साझेदारों में ईएसजी एवं जलवायु-संबंधित जोखिमों के प्रति जागरूकता एवं समझ विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

गवर्नेंस की दृष्टि से, निदेशक मंडल एवं कार्यकारी स्तर की सीएसआर एवं संवहनीयता समितियाँ संवहनीय पहलों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करती हैं। ईएसजी विभाग तथा जोखिम प्रबंधन वर्टिकल के अंतर्गत कार्यरत विशिष्ट जलवायु जोखिम एवं संवहनीयता कक्ष द्वारा इन्हें सहयोग प्रदान किया जाता है। ये इकायाँ सुनिश्चित करती हैं कि ऋण मूल्यांकन, पोर्टफोलियो निगरानी तथा ईएसजी जोखिम निगरानी में संवहनीयता को समाहित किया जाए। अंचल स्तर पर गठित ईएसजी समितियाँ बैंक के संपूर्ण नेटवर्क में संवहनीयता संबंधी

व्यवहारों के कार्यान्वयन एवं निगरानी को और सुदृढ़ करती हैं। बैंक, हितधारक-केंद्रित आचार संहिता के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं एकरूपता पर आधारित संस्कृति को बढ़ावा देता है तथा नैतिक परामर्शदाता, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए समर्पित परामर्शदाता भी शामिल हैं, जो कर्मचारियों को नैतिक दुविधाओं से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।

बैंक अपने बीआरएसआर एवं संवहनीयता रिपोर्ट के माध्यम से विनियामकीय एवं स्वेच्छिक ईएसजी प्रकटीकरण दायित्वों को निरंतर पूरा कर रहा है तथा उन्हें और सुदृढ़ बना रहा है। ईएसजी रिस्क.एआई द्वारा बैंक की ईएसजी रेटिंग "स्ट्रॉंग" से अपग्रेड होकर "एक्सीलेंट" हो गई है, जो विभिन्न ईएसजी मानकों पर निरंतर प्रगति को दर्शाती है। "बॉब अर्थ" पहल के अंतर्गत, बैंक भविष्य की पीढ़ियों हेतु पर्यावरणीय परिवर्तन को सकारात्मक दिशा देने एवं प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहरा रहा है। "बॉब अर्थ वेबस्पेस" प्लेटफॉर्म (<https://www.bankofbaroda.in/bob-earth>) के माध्यम से बैंक अपनी संवहनीयता संबंधी महत्वाकांक्षाओं जारी ईएसजी पहलों, हरित उत्पादों, नीतियों एवं प्रकटीकरणों तथा वास्तविक समय के प्रभाव डेटा को पारदर्शी एवं संवादात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में एवं अधिक हरित एवं सुदृढ़ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मजबूत कर रहा है।

अनुपालन

अनुपालन विभाग बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है। बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है। बैंक का निदेशक मंडल बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन की निगरानी करता है। बैंक ने एक मजबूत अनुपालन प्रणाली स्थापित की है जिसमें बैंक के अनुपालन दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाली एक सुपरिभाषित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति शामिल है। शीर्ष स्तर का मत संगठन के मार्गदर्शक मूल्यों और नैतिक परिवेश को निर्धारित करता है। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता और अन्य सदस्यों, जिसमें व्यावसायिक क्षेत्रों और सहायक कार्यों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होते हैं, की एक "उच्च स्तरीय अनुपालन समिति" अनुपालन संबंधी सभी मुद्दों पर निगरानी रखती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में (मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी (CGCO)) के रूप में नामित मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है।

अनुपालन विभाग विभिन्न कानूनों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि में निहित सभी संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करता है और साथ ही समय-समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक दिशानिर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करता है। बैंक उन विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है जहां विदेशी केंद्रों पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं हैं। यह आईबीए (इंडिया बैंक्स एसोसिएशन), एफआईडीआई (फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया), एफआईएमएमडीए (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय कानूनों और आवश्यकताओं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंक में अनुपालन को और सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र, अंचल और विदेशी क्षेत्र में नामित अनुपालन अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही, अनुपालन कार्य के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी निर्धारित किया गया है। इन अनुपालन अधिकारियों की

गतिविधियों की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय से की जाती है। इसी तरह का अनुपालन फ्रेमवर्क बैंक की घरेलू और विदेशी अनुषंगियों में प्रचलित है, जिनके पास नामित अनुपालन अधिकारी और टीम हैं।

बैंक ने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करके एवं बैंकिंग चैनलों के धनशोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों के दुरुपयोग को रोकने के हेतु अनुपालन संस्कृति को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। बैंक अनुपालन के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करने हेतु अनुपालन संस्कृति बनाए रखने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है। बैंक में अनुपालन संस्कृति के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए साप्ताहिक अंतराल पर "अनुवृत्ति" शीर्षक से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है। इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है। बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है।

बैंक ने केंद्रीकृत लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व निर्धारित अलर्ट मानदंडों के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है। ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (धन शोधन निवारण जोखिम वर्गीकरण) किया जाता है। रि-केवाईसी के उद्देश्य से, बैंक ने ऐसे ग्राहकों की पहचान एवं उनके लिए सूचना जनरेट करने/एसएमएस/ ई-मेल भेजने तथा उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है। बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों बिना शाखा में जाए अपना रि-केवाईसी पूर्ण करने हेतु डिजिटल बॉब फेस टू फेस चैनल उपलब्ध कराता है।

बैंक ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर नए ऑन-बोर्डेड वैयक्तिक ग्राहकों की केवायसी जानकारी के पंजीकरण के लिए सेंट्रल केवायसी (सीकेवायसी) प्रक्रिया को क्रियान्वित किया है। 31 मार्च, 2026 तक 906.11 लाख ग्राहकों को सीकेवायसी नंबर आबंटित किया गया।

बैंक ने नए कर निवासी भारतीय वैयक्तिक ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग और उनके केवाईसी (रीकेवाईसी) के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू किया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

मुख्य महाप्रबंधक के नेतृत्व में बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा, एचआर लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा निष्पादित करता है। बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक स्वतंत्र गतिविधि है और बैंक के भीतर यह पर्याप्त रूप से सक्षम होने के साथ-साथ इसे और प्राधिकार प्राप्त है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य अन्य एश्योरेस फंक्शन अर्थात् जोखिम प्रबंधन विभाग और

अनुपालन विभाग के साथ निकट समन्वय में काम करता है।

केंद्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवश्यकता के अनुसार 25 अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है। सभी शाखाएं, केंद्रीकृत इकाइयां, प्रशासनिक कार्यालय, प्रोसेसिंग इकाइयां एवं वर्टिकल जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 को सभी 8648 शाखाओं और स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा की जोखिम रेटिंग निम्नानुसार है –

- न्यूनतम जोखिम शाखाएं : 6,325 शाखाएं (75.04%)
- मध्यम जोखिम शाखाएं : 1,887 शाखाएं (22.39%)
- उच्च जोखिम शाखाएं : 217 शाखाएं (2.57%)
- 218 शाखों की कोई रेटिंग नहीं हुई (नई शाखाएं)
- स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा न्यूनतम जोखिम में रही।

समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कुल 1723 बैंक शाखाएं और अन्य इकाइयां (31.03.2026 तक) शामिल हैं, जिनमें 56.01% जमा, 66.7% अग्रिम और 61.07% समग्र व्यवसाय कवरेज (31.03.2025 तक) हैं। सभी उच्च जोखिम शाखाएं, नोडल सरकारी व्यवसाय शाखाएं, श्रेणी बी शाखाएं, करेंसी चेस्ट, केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल एवं केंद्रीकृत इकाइयां समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

₹10 करोड़ और उससे अधिक (निधि आधारित+गैर निधि आधारित) के कुल जोखिम वाले रिटेल ऋण और पुनर्गठित खातों सहित सभी नई स्वीकृतियों/ मौजूदा खातों का क्रेडिट ऑडिट किया जाता है और 5% उधारकर्ता खातों को नए खातों से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और कुल राशि में वृद्धि के साथ ₹1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹10 करोड़ से कम के संबंध में एक्सपोजर (एफबी + एनएफबी) की समीक्षा की जाती है।

शाखाओं के आरबीआईए के हिस्से के रूप में आईटी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए बैंक की सभी शाखाएं सूचना प्रणाली ऑडिट ("आईएस ऑडिट") के अधीन आती हैं। डेटा सेंटर और आईटी ऐप्लिकेशन का आईएस ऑडिट भी समय-समय पर योग्य सीआईएसए / डीआईएसए आईएस ऑडिटर्स और बाहरी सीआईआरटी फर्मों की एक टीम द्वारा किया जाता है।

कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्त वर्ष 2026 के दौरान सभी वर्टिकलों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने के साथ वर्टिकलों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की शुरुआत और इसे सफलतापूर्वक सम्पन्न करना।
- रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेल (आरएपीसी) और एसएमईएलएफ को शामिल करके समवर्ती लेखा परीक्षा के दायरे को विस्तार प्रदान किया गया।
- चाहे क्षेत्रवार वर्गीकरण कुछ भी हो, सभी शाखाओं को कवर करके मानव संसाधन लेखा परीक्षा के कवरेज को बढ़ाना।
- धोखाधड़ी की संभावना और परिचालन के संभावित उच्च जोखिम वाले क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा योजना के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों (केएफए) का निर्धारण।
- उदाहरणतः समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत कवर की गई तथा सैंपल आधार पर अन्य शाखाओं को शामिल कर राजस्व लेखा परीक्षा के कवरेज को बढ़ाना।
- 50 प्रतिशत सीबीओ और करेंसी चेस्ट और 25 प्रतिशत फेमा लेखा

परीक्षा को शामिल करके अनुपालन लेखा परीक्षा के कवरेज को बढ़ाया गया।

- शून्य सहनशीलता क्षेत्र मापदंडों में संशोधन और उनके साथ शामिल संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए 9 नए मापदंड लागू करके कवरेज को बढ़ाना।
- संक्षिप्त समीक्षा के साथ खातों को शामिल करके ऋण लेखा परीक्षा के कवरेज को बढ़ाना। अब, ऋण लेखा परीक्षा के लिए नमूना खातों का निर्धारण (₹1 करोड़ और उससे अधिक लेकिन ₹10 करोड़ से कम) मौजूदा मैनुअल सैंपलिंग प्रक्रिया के बजाय BOBETHIC पोर्टल द्वारा संचालित है, जिसमें नमूना पहचान के पूर्व-निर्धारित पैरामीटर शामिल हैं।
- क्षेत्र विशिष्ट सीमा को लागू करके विदेशी क्षेत्रों में ऋण लेखा परीक्षा के लिए न्यूनतम सीमा को युक्तिसंगत बनाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, हितों के संभावित टकराव को समाप्त करने के लिए अंचल लेखा परीक्षा समिति (जेडएसी) की संरचना में संशोधन।
- 'साप्ताहिक' फ्रीक्वेंसी की शुरुआत और अलर्ट को उनके संभावित जोखिम के साथ जोड़कर सीईएमयू अलर्ट को युक्तिसंगत बनाना। यह सीईएमयू अलर्ट के समय पर समाधान के लिए फील्ड स्तरीय पदाधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करेगा।
- निरंतर अनुपालन और समृद्ध एमआईएस प्राप्त करने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल के साथ सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रिया को कवर करने वाले वेब-आधारित सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, इन्स्टालेशन, कस्टमाइजेशन, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए अधिक सुदृढ़ और सर्वोत्तम उपलब्ध समाधान के लिए बॉब एथिक पोर्टल की ऑन-बोर्डिंग की है। वर्तमान में, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा मॉड्यूल परिचालन में हैं और आरबीआईए मॉड्यूल प्रायोगिक चरण के तहत कार्यरत है। इसने ऋण लेखा परीक्षा में और आरबीआईए में कुछ सीमा तक मैनुअल सैंपलिंग की संभावना को कम कर दिया है।

आरबीआईए नीति के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षा फ्रेमवर्क की बाहरी समीक्षा बाह्य फर्म द्वारा 4 वर्षों के भीतर की जाती है। ऐसा पिछला मूल्यांकन मेसर्स ई एंड वाई एलएलपी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया था और दिनांक 05.05.2023 के उनके आकलन के अनुसार बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा फ्रेमवर्क सुदृढ़ है और समकक्ष बैंकों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इस उद्देश्य के लिए कंसल्टेंसी फर्म की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी, ऋण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी करने और बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। ऋण निगरानी में ऋण या ऋण सुविधा प्रदान किए जाने के बाद उधारकर्ता के ऋण व्यवहार की निरंतर समीक्षा और पर्यवेक्षण शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य समय पर चुकोती सुनिश्चित करना और प्रारंभिक चरण में वित्तीय दबाव या चूक की किसी भी स्थिति का पता लगाना है।

ऋण निगरानी में संभावित जोखिम की पहचान करने के लिए उधारकर्ता के वित्तीय व्यवहार और ऋण पात्रता पर नज़र रखना भी शामिल है। यह ऋण शर्तों का अनुपालन और निधियों का अंतिम उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण आस्तियां मानक श्रेणी में रहें, निर्धारित दबावग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता को उन्नत करने का प्रयास करें और खातों

की स्लिपेज को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें। दबावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के उद्देश्य से, बैंक विभिन्न टूल्स और विधियों का उपयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हुए बेहतर आस्ति गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

सटीक निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया हेतु व्यवस्था:-

क्यूलिक सेंस पोर्टल के माध्यम से अंचल/क्षेत्र/शाखाओं को एसएमए और स्लिपेज डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता

- खातों की आसान और कुशल दैनिक निगरानी के लिए दैनिक आधार पर वैश्विक एसएमए 0, 1, 2 उपलब्ध हैं।
- सभी देय खातों की समीक्षा और स्टॉक स्टेटमेंट जैसे तकनीकी पहलू भी दैनिक आधार पर उपलब्ध हैं और प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।
- कार्पोरेट/नियंत्रण कार्यालयों से डेटा के लिए उनकी निर्भरता को कम करने और उनकी सुविधा के लिए सभी अंचलों/क्षेत्रों/शाखाओं को पोर्टल का एक्सेस उपलब्ध कराया गया है।
- अनुवर्ती और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दैनिक आधार पर मॉक रन डेटा (किसी भी वित्तीय / गैर-वित्तीय कारण से महीने के लिए अनुमानित गिरावट) उपलब्ध कराया जाता है।
- डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन फाइलें दैनिक आधार पर संबंधित अंचल/क्षेत्रों/शाखाओं को साझा की जाती हैं।
- 3 माह से अधिक समय से समीक्षा/स्टॉक लंबित होने जैसे ऋण निगरानी के प्रमुख मापदण्डों में लंबित मामले रिपोर्ट करने वाले अंचल प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख/शाखाओं को आवधिक अंतराल पर एसएमएस व ई-मेल, पावती पत्र (एलएडी), डीएनआर (दस्तावेज का नवीकरण नहीं किया गया), स्वीकृति पश्चात रिपोर्टिंग (पीएसआर) की लंबित नोटिंग/प्रस्तुति की सूचना।
- कार्यशील पूंजी खातों में अपर्याप्त टर्नओवर और मासिक स्टॉक और बुक डेट स्टेटमेंट जमा करने के लंबित संबंध में उधारकर्ताओं को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट प्रेषित करना।
- समीक्षा की नियत तारीख से पहले और बाद में पूर्वनिर्धारित अंतराल पर ग्राहकों को स्वचालित एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजने के लिए एक सिस्टम-ड्रिवन वार्षिक समीक्षा अनुस्मारक प्रणाली लागू की गई है, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को समय पर जमा करने की सुविधा मिलती है और शाखाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा पूरी करने में सक्षम बनती हैं।

पूर्व चेतावनी संकेत:

- अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान लागू किया गया है। जिसे प्रभावी बनाए रखने के लिए समय समय पर बेहतर बनाया जा रहा है।
- स्वचालित अलर्ट जनरेशन खातों में प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करके प्रभावी निगरानी में मदद करता है।
- एचएमएल (उच्च, मध्यम और निम्न) में खातों का जोखिम वर्गीकरण ईडब्ल्यूएस अलर्ट पर आधारित है।
- मौजूदा प्रणाली के विस्तृत ऑडिट और शीर्ष प्रबंधन द्वारा गहन समीक्षा के

बाद वर्ष 2024 में मौजूदा ईडब्ल्यूएस प्रणाली को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। हेल्थ कोड पैरामीटर शुरू किए गए हैं और क्रेडिट निर्णय लेते समय प्रक्रिया नोट में एचपी रेटिंग को शामिल करने के लिए एक फिल्ट को शामिल करने की सलाह दी जाती है। हेल्थ पैरामीटर (एचपी) उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग (BOBICON) और ईडब्ल्यूएस रेटिंग का एक संयोजन है।

- अग्रिम खातों की बेहतर निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेरीटरी के लिए ईडब्ल्यूएस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
- यह समाधान बैंक को खातों में आरएफए/धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है। यह समाधान शाखाओं को उपयुक्त समाधान/कार्रवाई सहित खातों की निरंतर निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

स्टॉक ऑडिट पोर्टल

- सभी पात्र खातों में लेखा परीक्षा अबंटन रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण, टिप्पणियों का अनुपालन और अंतिम रूप से सुधार प्रमाण पत्र (आरसी) प्रस्तुत करने के लिए एंड-टू-एंड जर्नी के साथ स्टॉक ऑडिट पोर्टल का क्रियान्वयन।
- स्टॉक लेखा परीक्षा से संबंधित स्टॉक और डेटा की उचित निगरानी के लिए, बैंक ने स्टॉक ऑडिट पोर्टल विकसित किया है, जो सूचीबद्ध सनदी लेखाकार को स्टॉक लेखापरीक्षा का ऑनलाइन असाइनमेंट प्रदान करता है। स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भरने और जमा करने के लिए सूचीबद्ध सनदी लेखाकार को एक्सेस प्रदान किया गया है।
- शाखाओं द्वारा अनुपालन और सीआरसी प्रस्तुत करना और सक्षम अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति।
- इस पोर्टल की मदद से बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्टॉक लेखा परीक्षा और वास्तविक समय आधार पर डेटा कलेक्शन को पूरा करने के कार्य की निगरानी संभव होगी।

पीएसआर पोर्टल

- बैंक ने मंजूरी पश्चात रिपोर्टिंग (पीएसआर) प्रक्रिया को नोट करने और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष पोर्टल विकसित किया है। इस पहल का उद्देश्य ऋणों के लिए मंजूरी के पश्चात की गतिविधियों की उचित और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके बैंक के हितों की रक्षा करना है। विभिन्न ऋण-संबंधी कार्रवाइयों जैसे कि नई ऋण स्वीकृतियाँ, समीक्षा (वृद्धि या कमी के साथ), अस्थायी ओवरड्राफ्ट (टीओडी) की अनुमति, एडहॉक ऋण, अधिकतम स्वीकृतियाँ और स्वीकृति प्रक्रिया के बाद शर्तों में संशोधन के दौरान पीएसआर नोटिंग महत्वपूर्ण है।
- मौजूदा पीएसआर पोर्टल पर रूल इंजन इंटीग्रेशन के माध्यम से उल्लंघन और सुधारात्मक उपायों के फ्रेमवर्क को अधिसूचित करने में सक्षम विवेकाधीन ऋण शक्ति (डीएलपी) जोखिम जांच पोर्टल का क्रियान्वयन।

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग:

एसएमए श्रेणी में खातों का निर्धारण, सुधारात्मक पहलों जैसे नियमितीकरण, पुनर्संरचना आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सक्रिय करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, ₹5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले दबावग्रस्त खातों की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाती है।

आस्ति वर्गीकरण का सिस्टम आधारित आकलन :

बैंक के पास सिस्टम आधारित आकलन प्रक्रिया है जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर स्टॉक / कर्ज बही विवरणी/ लंबित समीक्षा, कैश क्रेडिट खातों में अपर्याप्त/कोई जमा नहीं, जैसी तकनीकी अनियमितताओं को दर्शाने वाले खातों के आधार पर दो महीने से अधिक की अवधि के अतिदेय को दर्शाने वाले संभावित स्लिपेज की पहचान कर रहा है। यह ऐसे खातों का डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए केंद्रीकृत रूप से समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्रिय करता है। मानक आस्तियों की स्लिपेज को कम करने के लिए इन खातों की निगरानी विशेष रूप से विभिन्न परिचालन इकाइयों द्वारा की जाती है।

निगरानी हेतु अन्य टूल :

- बैंक ने स्टॉक और बही ऋण विवरणी की प्रस्तुति को भी डिजिटल कर दिया है, जो वास्तविक समय आधारित और यूजर फ्रेंडली है।
- समाधान योजना पोर्टल का उपयोग उन उधारकर्ताओं की पहचान के लिए किया गया है, जहां समीक्षा अवधि ट्रिगर हो गई है, अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है और किए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिया जाता है।
- ऐथिक, स्टॉक ऑडिट, पीएसआर आदि जैसे पोर्टलों के इंटीग्रेशन के साथ-साथ प्रमुख अनियमितताओं को दर्शाने वाले ऑटो जेनरेटेड फैक्ट शीट को पेश करके क्रेमॉन पोर्टल को नया रूप दिया जा रहा है।

सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन पेशेवर रूप से प्रबंधित है और प्रबंधन के कार्यों का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा पारदर्शी व्यवसायिक लेन-देनों, पेशेवर विशेषज्ञता, उत्पादकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। बैंक के पास एक बहुत मजबूत और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन है जिसके प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सभी सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं। सहभागी/ सक्रिय और निवारक सतर्कता बैंक के सतर्कता प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को तीन अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो मुंबई और दिल्ली में पदस्थ हैं, का सहयोग प्राप्त होता है।

बैंक में सतर्कता प्रणाली, सतर्कता कार्यों के बारे में सभी स्तरों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराती है, विभिन्न अनुशासनात्मक अधिकारियों और उपयुक्त अधिकारियों को धोखाधड़ी, शिकायतों और शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच में त्वरित और उचित कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध करवाती है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कॉर्पोरेट कार्यालय में सतर्कता व्यवस्था को प्रत्येक अंचल के अंचल सतर्कता विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो नियमित अंतराल पर सभी शाखाओं में निवारक लेखा परीक्षा की कार्रवाई करता है और प्राप्त सूचना पर पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए क्षति को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है।

बैंक में सतर्कता कार्यों में निम्नलिखित तीन पहलू शामिल हैं:

1. निवारक सतर्कता: भ्रष्ट और अन्य कदाचारों का पता लगाने और दंड की तुलना में क्षति को रोकने में निवारक उपायों का अधिक महत्व है। निवारक उपाय जैसे व्यवसाय के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान और उन पर पदस्थ कर्मचारियों की जांच, आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शाखा विशिष्ट अतिसंवेदनशील विषयों पर चर्चा करने के लिए शाखा स्तर पर मासिक बैठकें, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अंतराल विश्लेषण

करना तथा प्रणालीगत सुधार के लिए परामर्श जारी करना और सतर्कता मामलों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा निवारक सतर्कता पर परिपत्र नियमित रूप से जारी और प्रसारित करना।

2. खोजी सतर्कता: खोजी सतर्कता में संवेदनशील क्षेत्र का नियमित और औचक निरीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्ट या अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्वरित जांच करना और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करना, शिकायत का निस्तारण, अपने स्रोत से गलत आचरण/कदाचार के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करना, उचित प्रक्रिया के बाद समुचित कार्रवाई के माध्यम से तार्किक निष्कर्ष के लिए उसकी जांच और गहन जांच करवाना शामिल हैं।
3. दंडात्मक सतर्कता: यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी स्तरों पर नियमों और प्रावधानों के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन में शामिल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लिए गए वास्तविक निर्णयों का मूल्यांकन निष्पक्ष और आवश्यक विवेक के साथ किया जाता है।

बैंक में सतर्कता कार्य, निवारक सतर्कता प्रशासन के माध्यम से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर देकर सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा धोखाधड़ी के निवारण के लिए नीतियों को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सक्रिय संप्रेषण के कारण अनुशासनात्मक मामलों के टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है जिसने त्वरित निवारण के साथ कर्मचारियों को प्रेरित करने में मदद की है। सीवीओ सतर्कता संबंधी मामलों पर आवश्यक मार्गदर्शन और फीडबैक के लिए सीवीसी और डीएफएस के साथ समन्वय करता है तथा धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्रवाई के लिए सीबीआई और एबीबीएफएफ जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

विधिक सेवाएं

बैंक में एक सक्रिय विधि विभाग है जिसमें योग्य और अनुभवी विधि अधिकारी हैं। विधि विभाग की मुख्य भूमिका बैंक के कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भित या उनसे संबंधित विभिन्न मामलों में राय, दस्तावेजीकरण, मुकदमा आदि के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करना है। यह विभाग विधिक पहलुओं से संबंधित मामलों पर बैंक के विभिन्न अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, घरेलू और विदेशी शाखाओं और अनुषंगियां कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संदर्भों के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूल रिटेल और एसएमई सुविधाओं के लिए दस्तावेजों का एक सेट तैयार किया गया है, जो बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा। ऋण दस्तावेज नियमावली का पुनः अवलोकन किया गया है और दस्तावेजों को सरल बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक, स्पष्ट और वर्तमान व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए कस्टमाइज्ड दस्तावेजों का मसौदा भी तैयार किया है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति और जवाबदेही को दर्शाता है।

बैंक की वैश्विक ऋण नीति के अनुसार ऋण राशि के वितरण से पहले बैंक के विधि अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं। सामान्य व्यवहार में या तो विधि अधिकारी संबंधित शाखा में जाते हैं, जहां दस्तावेजों को निष्पादित किया गया है या दस्तावेजों को संबंधित प्रशासनिक कार्यालय में मंगवाया जाता है, जहां विधि

अधिकारी पदस्थ हैं। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए, विधि अधिकारियों को अपने कार्यालय से दस्तावेजों की जांच करने में सक्षम बनाकर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए "ऋण दस्तावेजों की जांच के लिए पोर्टल" विकसित किया गया है। पोर्टल का मूल उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से वास्तविक समय में ऋण दस्तावेजों की जांच / सत्यापन सुनिश्चित करना है ताकि जांच की प्रक्रिया में तेजी आए और बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दस्तावेजों की अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, एक अधिवक्ता पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से वकीलों को सूचीबद्ध किए जाने हेतु आवेदन माँगे जाते हैं। शाखाएं पोर्टल के माध्यम से पैनल एडवोकेट को काम सौंपती हैं और उनके काम की निगरानी करती हैं।

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले न्यायालयों द्वारा कानूनों के निरंतर बदलते स्वरूप, नवीनतम संशोधन और कानूनों की व्याख्या के बारे में बैंक 'परिपत्र', तिमाही 'विधिक समाचार फ्लैश' आदि जारी करके ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। एपेक्स अकादमी के सहयोग से, बैंक ने 255 विधि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि उन्हें विशिष्ट कानूनी क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके और साथ ही उन्हें निरंतर बदलते अधिनियमों, नियमों और विनियमों से अवगत कराया जा सके।

इंटीग्रेटेड लिटिगेशन मेनेजमेंट सॉल्यूशन 2.0 (तेज, स्मार्ट और बेहतर) को "बैंक के विरुद्ध वाद किन्तु बकाया के रूप में स्वीकृत" नहीं किए गए मामलों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत करने के लिए लागू किया गया था। इससे रिटर्न 4 के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा मामलों की निगरानी सरल सुगम और बाधरहित हो गई।

31.03.2026 तक, विभिन्न न्यायालयों/फोरम/ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल 4338 मामले लंबित (बैंक के खिलाफ मुकदमे) हैं। हम वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान कुल 611 मामलों का निपटान करने में सफल रहे। कुल निपटाए गए मामलों में से 432 मामलों (अर्थात् 70.70%) में निर्णय बैंक के पक्ष में रहा, 51 मामले (अर्थात् 8.34%) निपटाए गए और 129 मामले (अर्थात् 21.11%) बैंक के विरुद्ध निर्णीत रहे।

मानव संसाधन प्रबंधन

हम मानते हैं कि हमारी व्यावसायिक प्रगति हमारे कर्मचारियों में निहित है। बैंक का मानव संसाधन दर्शन एक सरल लेकिन सुदृढ़ सिद्धांत पर आधारित है: जब हमारे कर्मचारी प्रसन्न हों और अपने काम का आनंद लेते हुए व्यस्त और सशक्त होंगे तो वे स्वाभाविक रूप से हमारे ग्राहकों व हितधारकों के अनुभव को बेहतर बनाने में सफल होंगे।

इस वर्ष, हमने प्रतिभावान मानव संसाधन की भर्ती, शिक्षण एवं विकास, कर्मचारी जुड़ाव, कल्याण, विविधता और समावेशन, तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण हेतु विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने कर्मचारियों का सशक्तिकरण करना जारी रखा है।

प्रतिभावान लोगों की भर्ती : हमारे भविष्य का निर्माण

तेजी से होते डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के इस वर्तमान दौर में उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित करना एवं उसका संवर्धन करना बैंक की एक प्रमुख कार्यनीतिक प्राथमिकता है। बैंक ने बहुआयामी प्रतिभावान लोगों को शामिल करने का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें विभिन्न आवश्यकताओं तथा दीर्घकालिक कार्यनीतिक दृष्टि के अनुरूप नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की लेटरल हायरिंग शामिल है, ताकि प्रतिभा स्रोतों में विविधता लाई जा सके तथा स्टाफ की क्षमताओं को बैंक की बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

बैंक ने सार्थक कैरियर अवसरों, सतत शिक्षण, व्यावसायिक विकास तथा नवाचार-प्रेरित प्रगति को प्रोत्साहित करने वाला कार्य परिवेश विकसित कर अपने नियोक्ता ब्रांड की स्थिति को भी सुदृढ़ किया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने व्यावसायिक प्राथमिकताओं तथा भावी विकासोन्मुखी उद्देश्यों के अनुरूप स्टाफ सदस्यों की आवश्यकताओं को समायोजित करने हेतु विस्तृत मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया की है। इस रणनीति के अनुरूप, नए कर्मचारियों का संगठन में बाधरहित समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित ऑनबोर्डिंग, परिचयात्मक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ आवश्यकता विशेष के अनुरूप भर्तियों की गई हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 4,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया जिनमें परिवीक्षाधीन अधिकारी, ग्राहक सेवा सहयोगी तथा संविदा अधिकारी शामिल हैं। इनकी भर्ती सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल बैंकिंग, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग, एमएसएमई, कॉर्पोरेट एवं संस्थागत ऋण, ट्रेड एवं फॉरेक्स, सुरक्षा तथा सूचना सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लेटरल भर्ती के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 2,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को भी सम्मिलित किया गया जिससे बैंक की प्रतिभा श्रृंखला तथा भविष्य के लिए तैयार स्टाफ को नियोजित करने की हमारी क्षमता बेहतर हुई है।

शिक्षण एवं विकास : विकास में निवेश

बैंक का मानना है कि सतत शिक्षण न केवल व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है, बल्कि कर्मचारी सहभागिता, अनुकूलनशीलता तथा संगठन की दीर्घकालिक प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, शिक्षण एवं विकास फ्रेमवर्क को निरंतर सुदृढ़ किया गया है, ताकि तकनीकी प्रगति, विनियामकीय परिवर्तनों तथा बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप सतत शिक्षण-अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

वर्ष के दौरान, बैंक ने नीतिगत हस्तक्षेपों, प्रशिक्षण पहुँच तक बेहतर तथा कक्षा-कक्ष प्रशिक्षण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मों के संयोजन वाली मिश्रित शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर अपनी शिक्षण प्रणाली को और सुदृढ़ किया है। व्यवसाय संचालन को प्रभावित किए बिना केंद्रित, प्रभावी एवं सुलभ शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु माइक्रोलेर्निंग मॉड्यूल तथा भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 95% से अधिक कार्यबल ने क्लास रूम प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, स्व-गति एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, परिपत्रों के ऑडियो सारांश, पॉडकास्ट तथा डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सतत शिक्षण-अध्ययन पहलें प्रारम्भ की गईं। डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के बढ़ते उपयोग से संगठन में समयबद्ध, व्यापक एवं लागत-प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित हुआ है।

बैंक ने व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी) आधारित शिक्षण तथा वास्तविक व्यावसायिक परिस्थितियों पर आधारित सिमुलेशन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से नई पीढ़ी की एवं प्रौद्योगिकी-आधारित क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिससे व्यावहारिक एवं निर्णयात्मक कौशलों में वृद्धि हुई।

आंतरिक क्षमताओं को और सुदृढ़ करने तथा हाइब्रिड शिक्षण-अध्ययन मॉडल को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ने आईआईएम, अहमदाबाद, एसएससीआई, आईडीआरबीटी तथा एनएफएसयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी की। बैंक ने 10 से अधिक बैंकों की सहभागिता के साथ अंतर-बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिससे उद्योग सहयोग एवं ज्ञान साझा करने को बढ़ावा मिला।

कर्मचारियों में सेवा उत्कृष्टता, ग्राहक-केंद्रितता, संप्रेषण कौशल, सहानुभूति तथा समस्या-समाधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु “मनोजीत : ग्राहक संतुष्टि से परे” पहल प्रारम्भ की गई।

बैंक ने सुव्यवस्थित क्लास रूम ट्रेनिंग शिक्षण एवं कार्यस्थल अनुभव के माध्यम से ऋण एवं विदेशी मुद्रा क्षेत्र में प्रशिक्षित अधिकारियों की सशक्त रेंज तैयार विकसित करने हेतु “व्यापक फॉरेक्स मैनेजमेंट कार्यक्रम” तथा “व्यापक ऋण प्रबंधन कार्यक्रम (CCMP)” जैसे विशेष कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए।

नेतृत्व विकास एवं मार्गदर्शन : भावी नेतृत्व का संवर्धन

बैंक बदलती व्यावसायिक चुनौतियों का आत्मविश्वास एवं रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ सामना करने में सक्षम भविष्य-उन्मुख नेतृत्व तैयार करने हेतु सुव्यवस्थित मार्गदर्शन एवं नेतृत्व विकास पहलों के माध्यम से अपनी नेतृत्व शृंखला को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण तथा नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करने हेतु औपचारिक मार्गदर्शन पहलों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने महिला कर्मचारियों के लिए “प्रेरणा- पाथ टू इन्सपिरेशन” मेंटरशिप प्रोग्राम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नेतृत्व एवं उभरती प्रतिभाओं के बीच सुव्यवस्थित व्यक्तिगत संवाद सुनिश्चित किया गया है। यह कार्यक्रम कैरियर विकास, नेतृत्व क्षमता संवर्धन तथा कार्यस्थल संबंधी चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित था, जिसके लिए व्यक्तिगत ब्रांडिंग एवं व्यावसायिक प्रभावशीलता जैसे विषयों पर आधारित प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली मास्टरक्लासों का आयोजन किया गया।

आईआईएम, अहमदाबाद के सहयोग से बैंक ने उच्च नेतृत्व के लिए “स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टूमारो” कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम बेहतर रणनीतिक सोच एवं नेतृत्व क्षमताओं के विकास पर केंद्रित नेतृत्वकर्ताओं को जटिल व्यावसायिक चुनौतियों का प्रभावी समाधान करने तथा संगठनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंक ने नव पदोन्नत कार्यपालकों के लिए नेतृत्व ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक्सएलआरआई ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी साझेदारी की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यनीतिक नेतृत्व, प्रभावी प्रबंधन तथा संगठनात्मक समन्वय को सुदृढ़ करना था ताकि कार्यपालक स्वयं को उच्च स्तरीय जिम्मेदारियों में प्रभावी रूप से तैयार कर सकें।

कर्मचारी जुड़ाव: खुशहाल कार्यस्थल की पहल

बैंक में कर्मचारी जुड़ाव केवल समय-समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों एवं पहलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बैंक की कार्य-संस्कृति तथा दैनिक कार्यप्रणाली में समाहित है। बैंक का दृढ़ विश्वास है कि दिल से जुड़े कर्मचारी अपने कार्य में अधिक प्रामाणिकता, नवाचार, सहयोग एवं समर्पण लेकर आते हैं, जिससे संगठन का कार्यनिष्पादन तथा ग्राहक अनुभव दोनों बेहतर होते हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने कर्मचारी जुड़ाव को सुदृढ़ करने, समावेशिता को बढ़ावा देने तथा कार्यस्थल अनुभव को बेहतर बनाने हेतु अनेक पहलों की हैं। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं :

- संवाद (SAMVAD) – वरिष्ठ प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सीधे संवाद को सक्षम बनाने वाला एक सुव्यवस्थित नेतृत्व संवाद प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से जमीनी स्तर की समस्याओं की बेहतर समझ एवं उनके समयबद्ध समाधान को प्रोत्साहन मिला।
- सराहना मंच- “हॉल ऑफ फेम” जैसी डिजिटल पहलों एवं सुव्यवस्थित प्रोत्साहन प्रणालियों के माध्यम से व्यावसायिक, खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपलब्धियों का सम्मान किया गया, जिससे सराहना एवं प्रेरणा की संस्कृति को बल मिला है।

- समावेशी सहायता उपाय- मानक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों (स्केल-IV तक) के लिए अतिरिक्त मासिक मोबिलिटी सहायता/आवागमन प्रतिपूर्ति योजना का कार्यान्वयन, जिससे वर्तमान प्रावधानों से आगे बढ़कर सुगमता एवं समावेशिता को बढ़ावा मिला।
- ‘लिसन, लर्न, लीड’ (L3) स्पीकर शृंखला – एक सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को नेतृत्व, अनुकूलनशीलता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा कार्य-जीवन संतुलन जैसे विषयों पर प्रतिष्ठित आंतरिक नेतृत्वकर्ताओं एवं विशिष्ट बाहरी विशेषज्ञों के प्रेरणात्मक एवं विकासात्मक सत्रों तक विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

बैंक ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की भावनाओं का आकलन करने हेतु पल्स सर्वेक्षणों एवं भूमिका-आधारित फीडबैक तंत्रों का उपयोग भी जारी रखा, जिससे सहभागिता एवं कार्यस्थल संबंधी पहलों के निर्माण में कर्मचारी फीडबैक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सम्मिलित किया जा सके।

जन-केंद्रित एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, बैंक ने “बड़ौदा अनुभूति” पहल के माध्यम से कर्मचारियों को सामुदायिक विकास में सक्रिय योगदान हेतु भी प्रोत्साहित किया। बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मचारियों ने पौधारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, शैक्षिक सामग्री वितरण तथा विद्यालयों, अनाथालयों एवं वृद्धाश्रमों को सहयोग जैसी गतिविधियों में भाग लिया।

समग्र रूप से, इन पहलों ने कर्मचारी जुड़ाव में वृद्धि, बेहतर संप्रेषण एवं सहयोग, सम्मान एवं समावेशिता की संस्कृति को प्रोत्साहन तथा सकारात्मक, उच्च जुड़ाव एवं कार्य-निष्पादन वाले संगठनात्मक परिवेश के निर्माण में योगदान दिया है।

कर्मचारी कल्याण एवं हित-संवर्धन : हमारे लोगों की देखरेख

बैंक अपने कर्मचारियों की समग्र देखरेख पर विशेष बल देता है तथा यह मानता है कि स्वस्थ, प्रेरित एवं सुदृढ़ स्टाफ स्थायित्वपूर्ण संगठनात्मक कार्य-निष्पादन एवं उत्पादकता का आधार है। वर्ष के दौरान, संगठन में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण पर केंद्रित विभिन्न पहलें लागू की गईं।

प्रमुख पहलों में भावनात्मक कल्याण एवं माइंडफुलनेस भत्ते की शुरुआत, वेलनेस माह का आयोजन, नियमित योग एवं ध्यान सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम तथा कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण शामिल रही, जिससे निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला। दैनिक ऑनलाइन वेलनेस सत्रों एवं जागरूकता कार्यक्रमों ने भी कर्मचारियों को अपनी दिनचर्या में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया।

शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने मैराथन व्यय प्रतिपूर्ति योजना भी प्रारम्भ की, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को मैराथन एवं अन्य फिटनेस आयोजनों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्वास्थ्य एवं सक्रिय जीवनशैली की संस्कृति को और बल मिला है।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (EAP) के अंतर्गत व्यक्तिगत, वर्चुअल एवं दूरभाष माध्यमों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से परामर्श सहायता एवं तनाव प्रबंधन परामर्श प्रदान किए जाते रहे हैं। माइंडफुलनेस, भावनात्मक कल्याण एवं तनाव प्रबंधन पर कार्यशालाएँ भी विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गईं, जिनसे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित हुए तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं अनुकूलनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ी।

इसके अतिरिक्त, सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेलनेस प्रतिज्ञा तथा अन्य फिटनेस एवं स्वास्थ्य संबंधी पहलों जैसे सुव्यवस्थित कार्यक्रमों के माध्यम से

सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन, आपातकालीन तैयारी एवं सुरक्षित एवं स्वास्थ्य-सचेत कार्यस्थल संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया।

समग्र रूप से, ये पहलें बैंक की उस सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को ऐसा सहयोगात्मक, स्वस्थ एवं कर्मचारी-केंद्रित कार्य परिवेश प्रदान किया जाता है, जहाँ वे समग्र स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें।

विविधता, समानता एवं समावेशन : विविधता में शक्ति

बैंक विविधता, समानता एवं समावेशन (DEI) को संगठनात्मक सुदृढ़ता, नवाचार एवं स्थायित्वपूर्ण व्यवसाय वृद्धि के प्रमुख प्रेरक तत्वों के रूप में देखता है। बैंक एक ऐसे न्यायसंगत एवं समावेशी कार्यस्थल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ विभिन्न लिंगों, पृष्ठभूमियों, क्षमताओं एवं अनुभवों वाले कर्मचारियों को विकास, योगदान एवं सफलता के समान अवसर प्राप्त हों।

बैंक ने विविधता को सुदृढ़ करने एवं विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक सुव्यवस्थित पहलें लागू की हैं, जिनमें विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के नेतृत्व विकास एवं कैरियर प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रमुख पहलों में “बॉब पंख” का गठन शामिल है, जो विभिन्न अंचलों की महिला कर्मचारियों के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, सहकर्मियों के बीच सहयोग एवं कार्यस्थल संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु अवसर प्रदान करता है। बैंक ने महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन एवं कैरियर निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु सबैटिकल अवकाश, शिशु देखभाल केंद्र सुविधाएँ तथा पुनर्समावेशन सहायता जैसे सहयोगात्मक उपाय भी प्रारम्भ किए हैं।

संगठन में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विविधता, समावेशन तथा POSH दिशानिर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने वरिष्ठ नेतृत्व के लिए “समावेशी कार्यस्थल हेतु अवचेतन पूर्वाग्रह (Unconscious Bias) पर मास्टरक्लास” आयोजित की, ताकि शीर्ष स्तर से समावेशी व्यवहार को प्रोत्साहित करने तथा न्यायसंगत एवं समावेशी संगठनात्मक वातावरण के निर्माण में नेतृत्व की जवाबदेही को बेहतर किया जा सके।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कल्याण : हमारे वरिष्ठों का सम्मान

बैंक अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण एवं हित-संवर्धन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा संस्था की प्रगति एवं विरासत में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कर्मचारियों के समर्थन हेतु अनेक कल्याणकारी पहल निरंतर जारी रखे गए हैं।

इन पहलों में हॉलीडे होम की सुविधा, अंशकालिक चिकित्सा परामर्श, विशेष चिकित्सा सहायता और चिकित्सा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

पेंशन पे स्लिप और पीपीओ जनरेशन, कर गणना, मेडिकल प्रीमियम रसीदें, टीए/डीए दावे और हॉलीडे होम बुकिंग जैसी प्रमुख मानव संसाधन सेवाओं को एचआर कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन में इंटीग्रेट किया गया है, जो कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस के माध्यम से 24x7 एक्सेस प्रदान करता है।

अपनी डिजिटल पहलों को और सुदृढ़ करते हुए, बैंक ने जीवन प्रमाण को एचआर कनेक्ट के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे जीवन प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन प्रस्तुति और स्वतः सत्यापन संभव हुआ है, जिससे भौतिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के बिना बाधारहित पेंशन संवितरण सुनिश्चित हो रहा है।

आरक्षण प्रकोष्ठ:

अनुजाति(एससी)/ अनुजनजाति(एसटी)/ दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)/ भूतपूर्व सैनिकों(पूर्व-एसएम) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित कर्मचारियों के लिए आरक्षण की निगरानी करने व अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को नियुक्त किया जाता है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान करता है।

31 मार्च, 2026 तक जाति वर्गवार संख्या						
संवर्ग	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस
अधिकारी	45432	19866	7787	3516	13826	437
लिपिक	25203	10264	4151	2594	8011	183
सब-स्टाफ	4741	1311	1583	491	1356	0
कुल	75376*	31441	13521	6601	23193	620
कुल कर्मचारियों का %		41.71	17.94	8.76	30.77	0.82

* इसमें केवल बैंक के घरेलू परिचालन में तैनात नियमित कर्मचारी शामिल हैं।

संवर्ग	दिव्यांगजन	भूतपूर्व - सैनिक
अधिकारी	1251	693
लिपिक	965	3075
सब-स्टाफ	97	385
कुल	2313	4153
कुल कर्मचारियों का %	3.07	5.51

बैंक, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एससी/ एसटी (एआईबीएससीएसटीईडब्ल्यूएस) एम्प्लॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें और ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ओबीसी एम्प्लॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन (एआईबीओबीसीईडब्ल्यूएस) के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठकें आयोजित करता है।

बैंक अपनी विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के स्टाफ सदस्यों और अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के संपर्क अधिकारियों के लिए हर साल निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है:

- एससी/ एसटी/ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण।
- आरक्षण नीति के संबंध में कार्यशाला।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

जन-केंद्रित पहलों को मान्यता

कर्मचारी विकास, जुड़ाव, कल्याण, समावेशिता और संगठनात्मक उत्कृष्टता के क्षेत्रों में बैंक की विभिन्न पहलों को वर्ष के दौरान उद्योग से जुड़े प्रमुख मंचों पर

मान्यता मिली है। अपनी प्रगतिशील और जन-केंद्रित मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देते हुए, बैंक को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया: -

- भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) द्वारा सिगनीफिकेंट आचीवमेंट इन एचआर एक्सीलेंस अवार्ड।
- ब्रैंडन हॉल ग्रुप इन एक्सलेन्स इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025 में बेस्ट एडवांस इन मोबाइल लर्निंग टेक्नोलॉजी गोल्ड केटेगोरी अवार्ड।
- अवतार और सेरामाउंट द्वारा बीएफएसआई क्षेत्र में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों का पुरस्कार।

जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, बैंक एक ऐसा कार्यस्थल बनाने को प्रतिबद्ध है जहां प्रत्येक कर्मचारी अपने काम में उद्देश्य, विकास और खुशी देखता हो। मानवीय मूल्यों में निहित रहते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए हम अपनी जन-केंद्रित कार्य-नीति को लगातार आगे बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे बैंक बैंकिंग क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाए।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है, जिसने पुराने रिकॉर्ड को वेंडर के गोदाम में स्थानांतरित करके जगह खाली करने के लिए रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) को लागू किया है और इस प्रकार हमारी शाखाओं को एक स्वच्छ और साफ लुक प्रदान किया है, जो हमारे ग्राहकों को बेहतर एहसास में और अनुभव प्रदान करता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 570 शाखाओं/कार्यालय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) गतिविधि पूर्ण कर ली गई है। डीएमएस के तहत, भौतिक रिकॉर्ड को बारकोड और अनुक्रमित करके स्टोरेज एजेंसी के गोदाम में ले जाया जाता है, जिसे बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। जिस स्थान को अनलॉक किया गया है, उसका उपयोग ग्राहक सेवा की दक्षता, बेहतर शाखा परिवेश आदि के लिए किया जा रहा है।

परिसरों का आधुनिकीकरण

- लॉ गार्डन, अहमदाबाद में अत्याधुनिक एपेक्स अकादमी भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा रहा है।
- अब तक 50 आरसेटी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- वित्त वर्ष 2026 में जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य का 159 % हासिल किया गया।

हरित/ अन्य पहलें

- ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में लीज पर ली गई 386 शाखाएं लगभग 2.96 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता पर चलाई जा रही हैं, जिसके इन्स्टोलेशन के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 7,412 टन कमी आई है।
- बैंक के स्वामित्व वाले 93 परिसरों में सौर पैनल स्थापित किए गए। स्थापित क्षमता लगभग 1.91 मेगावाट से हर साल लगभग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3,021 टन की कमी आएगी।
- बैंक के एमएमओ भवन में 125 किलोवाट क्षमता, बड़ौदा एपेक्स अकादमी भवन में 100 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल इंस्टोल किए गए हैं।
- बैंक ने 18 प्रशासनिक भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है।
- बैंक के स्वामित्व वाली 6 इमारतों को आईजीबीसी (आईजीबीसी) ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है।

- कई प्रशासनिक भवनों में जल संरक्षण नल और जलरहित यूरिनल स्थापित किए गए हैं, जिससे एक वर्ष में लगभग 30 लाख लीटर पानी की बचत हो रही है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में पायलट परियोजना के रूप में कार्यालय के उपयोग के लिए रिसाइकल कागज की शुरुआत की गई, हरित पहल- बॉब अर्थ के तहत प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
- पूरे भारत में मासिक और तिमाही खरीद की रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्क ऑर्डर पोर्टल का स्वचालन।
- अखिल भारतीय स्तर पर लीज प्रबंधन पोर्टल का स्वचालन
- काट्रेज और स्टेशनरी वस्तुओं से संबंधित व्यय में महत्वपूर्ण कमी, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 25% की कुल लागत में कटौती प्राप्त की गई।
- विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों/अस्पतालों के साथ टाई-अप में स्टाफ सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर (बीसीसी) में 24*7 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराया जा रही है।
- सीएसओ और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 100% करेंसी चेस्ट ऑडिट निष्पादन।
- शाखाओं के जोखिम मूल्यांकन में सुरक्षा अधिकारियों की मदद करने के लिए आईटी प्रोजेक्ट की मदद से मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा ऐप विकसित की गई।
- बैंक की शाखाओं की सुरक्षा रिपोर्टों का डिजिटलीकरण।

राजभाषा (रा.भा.) नीति का कार्यान्वयन

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद प्रदान करना बैंक की राजभाषा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत सरकार और नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर इस दृष्टिकोण की सराहना की गई है। आपके बैंक ने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2026 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और बैंक के विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं के निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में एक सुव्यवस्थित वार्षिक कार्य योजना को अपनाया है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की गईं और वित्त वर्ष 2026 के दौरान कई नई पहलें प्रारम्भ की गईं। आपके बैंक ने अपनी शाखाओं में ग्राहकों के साथ बातचीत के अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने के उद्देश्य से 'बॉब संवाद' नामक उद्योग जगत के पहले एआई-संचालित बहुभाषी बातचीत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करने की घोषणा की। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों और शाखा कर्मचारियों को एक-दूसरे से उनकी पसंदीदा भाषा में सहज रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाएगा। पूरी तरह से इन-हाउस तैयार किया गया, बॉब संवाद एआई-संचालित स्पीच एवं भाषा संबंधी तकनीक का उपयोग करता है। यह 22 भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेज़ी में लो-लेटेंसी के साथ रीयल-टाइम में दो लोगों के बीच सटीक और स्वाभाविक बातचीत को संभव बनाते हुए भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार्यता प्रदान करता है।

आपके बैंक ने हिंदी और 12 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग तथा लेनदेन संबंधी एसएमएस सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं ने अब हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल, पंजाबी, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके साथ बैंक के वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर 'अदिति', चैटबॉट 'आदि', आईएलएमएस पैकेज, डिजिटल ऋण मंच और बीसी ज्ञान पोर्टल को हिंदी में भी उपलब्ध है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक नई पहल के रूप में, बैंक के विभिन्न ऐप और डिजिटल चैनलों/ पोर्टलों के माध्यम से ऑटो जनरेट होने वाले सभी ईमेल तथा बैंक के एलएलपीएस पैकेज के माध्यम से जनरेट होने वाले नियम एवं शर्तों से युक्त ऋण मंजूरी पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए हैं। डिजिटल बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन की जर्नी भी हिंदी में उपलब्ध कराई गई है। री-केवाईसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे गए सभी ई-मेल भी द्विभाषी में उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक ने अपनी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए राजभाषा रेटिंग प्रणाली और अपने स्टाफ सदस्यों के लिए 'भाषाई चौपाल' कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत की है। वर्ष के दौरान दोनों गतिविधियां जारी रहीं। आपके बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय/ अंचल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं में बैंक द्वारा संचालित राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों, पुरस्कारों और बैंक से संबंधित अन्य राजभाषायी सूचनाओं के रिकार्ड को संरक्षित करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर एक 'शब्दनाद' पेज तैयार किया है।

आपके बैंक ने अंचलों में स्थापित विभिन्न विभागों (यथा जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक, ऋण) में हिंदी पत्राचार में वृद्धि हेतु तिमाही आधार पर अलग-अलग अभियानों का आयोजन किया। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूरे भारत एवं विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं में मनाए गए। आपका बैंक स्टाफ-सदस्यों के सृजनात्मक एवं लेखन कौशल में वृद्धि करने के लिए कॉर्पोरेट स्तर की दो पत्रिकाएं – बॉबमैत्री (गृह पत्रिका) और अक्षय्यम् (हिंदी पत्रिका) प्रकाशित कर रहा है। आपका बैंक सभी सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए विकसित 'बॉब अभिव्यक्ति 2.0' नामक एक मोबाइल ऐप को लगातार व्यापक बनाने का कार्य कर रहा है। यह ऐप बॉबमैत्री और अक्षय्यम् सहित सभी पत्रिकाओं/ न्यूज़ लेटरों को ऑनलाइन पढ़ने का रोचक अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, यह बैंक में गो-ग्रीन पहल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की स्वयं-सेवा पासबुक मुद्रण मशीन 'कियोस्क' को हिंदी में पासबुक मुद्रित करने में सक्षम बनाया गया है। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हुए, आपका बैंक सभी वित्तीय समावेशन खातों में भारतीय भाषाओं में एसएमएस भेजने की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपका बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से द्विभाषी प्रमाण पत्र/ विवरण/ रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। आपके बैंक ने कर्मचारियों के उपयोग के लिए एचआर कनेक्ट पोर्टल को द्विभाषी बनाया है। बैंक की हिंदी वेबसाइट को आकर्षक रूप दिया गया है और इसकी सामग्री को अद्यतन रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप विजटर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके बैंक ने ग्राहकों को टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलते समय अपनी भाषा में एसएमएस और व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा चुनने की सुविधा प्रदान की है। आपके बैंक ने समय-समय पर अवसर के अनुरूप सोशल मीडिया हैडल पर हिंदी सामग्री पोस्ट करना सुनिश्चित किया है।

वर्तमान बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप, आपके बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने तथा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने के लिए विभिन्न ई-टूल के बारे में स्टाफ सदस्यों को जागरूक करने के लिए बैंक द्वारा एक एआई आधारित "सामर्थ्य टूलकिट 3.0" (तकनीकी टूलकिट) विकसित किया गया है। इस टूल के उपयोग के बारे में स्टाफ सदस्यों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, युवा पीढ़ी को आपके बैंक से जोड़ने के

लिए देश भर के स्कूलों/ कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन भी किया गया, जिससे बैंक को युवा पीढ़ी के बीच बैंक की छवि को सुदृढ़ करने एवं व्यवसाय जुटाने/ बढ़ाने में मदद मिली।

आपके बैंक के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सराहना की जाती रही है। वर्ष के दौरान आपके बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यानिष्ठादन हेतु भारत सरकार की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, बैंक के तत्वाधान में वडोदरा में कार्यरत बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), को 'नराकास राजभाषा सम्मान' योजना के तहत तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा बैंक के संयोजन में कार्यरत गांधीनगर, अहमदाबाद और जयपुर, नराकास को पुरस्कार प्राप्त हुए। हमारे अंचल कार्यालय, बड़ौदा, लखनऊ और क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर एवं वाराणसी को भी भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यानिष्ठादन के लिए सम्मानित किया गया।

आपके बैंक को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में कुल 26 पुरस्कार प्रदान किए गए जिसमें कीर्ति पुरस्कार/ क्षेत्रीय पुरस्कार/ अन्य पुरस्कार शामिल हैं। वित्त वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों को गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत नराकास से कुल 115 पुरस्कार प्राप्त हुए। आपके बैंक को भारतीय भाषाओं से जुड़े लोकोन्मुखी एवं नवोन्मेषी कार्यों, राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

आपके बैंक ने बैंक के संयोजन में कार्यरत 29 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कीं तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया। बैंक ने देश के 70 विश्वविद्यालयों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना 'मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना' को जारी रखा। इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति उन दो विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने प्रत्येक अकादमिक वर्ष के दौरान एम. ए. (हिन्दी) की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं।

संक्षेप में, आपका बैंक राजभाषा संबंधी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं का व्यवसाय विकास एवं ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा की एक सुदृढ़ विरासत रही है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में बैंक समाज कल्याण में एवं पर्यावरण संरक्षण विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके सामाजिक जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं हेल्थ केयर आदि के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियों पर बैंक विशेष ध्यान दे रहा है। बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थी विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है।

बैंक देश के 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 69 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) केंद्र संचालित कर रहा है जो ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के नवयुवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार

सृजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रारम्भ से इन केंद्रों ने 28,789 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 8.19 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 5.81 लाख ने अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं या पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है।

बैंक ने 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 88 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं। ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय नियोजन और व्यक्ति के ऋण-संबंधी संकट के निवारण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां भी करते हैं।" इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में हमारे एफएलसीसी केंद्रों ने 3,99,547 लोगों को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने के लिए 9,111 बैठकें/शिविर आयोजित किए।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 196 वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य अभिनव पहलों और सहभागिता आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी और पिछड़े ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के तहत, बैंक प्रत्येक ऑटो ऋण/आवास ऋण संवितरण के लिए एक पेड़ लगाने की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक जैसे योग्य गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल का दान, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ जल शुद्धिकरण प्रणाली की स्थापना के लिए दान, जीवन रक्षक बाल हृदय प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए दान, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कोष प्रदान करने के लिए दान देने जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी दान देना है।

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉबकार्ड लिमिटेड

1994 में बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित, बॉबकार्ड लिमिटेड क्रेडिट कार्ड में विशेषज्ञता वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के साथ सरल, पारदर्शी और उचित मूल्य वाले उत्पादों की पेशकश करना है।

वित्त वर्ष 2026 बॉबकार्ड उद्योग के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ अपने मूल बैंक के साथ एकीकरण को गहरा करने का एक और महत्वपूर्ण वर्ष रहा। आरबीआई की 26 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार, बॉबकार्ड सक्रिय कार्डों की आधार संख्या के आधार पर 8 वें स्थान पर है। कंपनी ने 7.61 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिससे नए ग्राहक अधिग्रहण में सबसे बड़े जारीकर्ताओं में से उसकी स्थिति बनी रही।

उक्त वृद्धि दो-आयामी कार्यनीति पर आधारित रही (i) प्रीमियम पेशकशों पर ध्यान केंद्रित करना (ii) कार्यनीतिक साझेदारी के माध्यम से व्यवसाय विस्तार।

क्रेडिट कार्ड उद्योग में एक सशक्त बदलाव देखा जा रहा है जहां ग्राहक विशेष रूप से युवा और समृद्ध ग्राहक सेगमेंट में प्रीमियम, जर्नी-आधारित और डिजिटल रूप से इंटीग्रेट प्रस्तावों की ओर तेजी से रुझान बढ़ा है। इस विकसित बाजार के रुझान के अनुरूप, बॉबकार्ड ने वित्तीय वर्ष 26 में नए प्रोडक्ट पेश

किए हैं जो विभिन्न मार्केट सेगमेंट की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये बॉबकार्ड उत्पाद ग्राहक आधार के विस्तार, ग्राहक जुड़ाव और खर्च करने के व्यवहार के विश्लेषण में उत्साहजनक प्रगति प्रदर्शित करते हैं, साथ ही बॉबकार्ड की डिजिटल इको-सिस्टम क्षमताओं को मजबूत करते हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान ग्राहक लाइफटाइम वैल्यू को और मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राहक जुड़ाव संबंधी विभिन्न पहलें लागू की गईं।

वित्त वर्ष 2026 के लिए बॉबकार्ड लिमिटेड के कार्य-निष्पादन की प्रमुख उपलब्धियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025	वित्तीय वर्ष 2026
कुल आस्तियां	6,671.78	7,466.49
निवल लाभ/(हानि)	56.74	(0.36)
निवल एनपीए स्तर	137.30	209.16
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल ए 1+	क्रिसिल ए 1+
	इंडिया रेटिंग A1+	इंडिया रेटिंग A1+

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो सेबी पंजीकृत श्रेणी-I मार्केट बैकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सदस्यता के साथ स्टॉक ब्रोकर भी है।

बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्राइमरी मार्केट/ पीई फंड, ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान विलय एवं अधिग्रहण एडवाइजरी तथा स्टॉक ब्रोकिंग (संस्थागत और रिटेल दोनों) शामिल है। इसमें दो परिचालन सेगमेंट हैं यथा – निवेश बैंकिंग और ब्रोकिंग।

बॉबकैप्स डील्स और ब्रोकिंग व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रख रहा है। रिटेल ब्रोकिंग बिज़नेस रेवेन्यू ने 64% की उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि दिखाई है। संस्थागत ब्रोकिंग व्यवसाय ने नए ग्राहकों को सूचीबद्ध करने और व्यापार विस्तार के लिए बड़े ग्राहकों के रिवाइवल को जारी रखा है। निवेश बैंकिंग टीम ने कई जनादेशों पर काम किया और आईपीओ, ओएफएस, ऋण समाधान, ऋण सिंडिकेशन और डीसीएम सौदों सहित लेनदेन को सफलतापूर्वक बंद किया है। निवेश बैंकिंग इक्विटी टीम ने स्मार्टवर्क्स, क्लिनमैक्स, एंड्रयू यूएल और कंपनी के ओएफएस के आईपीओ को सफलतापूर्वक क्लोज दिया, आरएसीएल गियरटेक की सलाहकार, आगामी सौदों के कुछ के लिए लेफ्ट लीड नियुक्त किया। वर्ष के लिए, कंपनी को मुख्य रूप से चालू अवधि में कम राजस्व और लागत में मामूली वृद्धि के कारण नुकसान हुआ। राजस्व मिश्रण को व्यापक बनाने के उद्देश्य से कंपनी ने वर्ष के दौरान एमटीएफ उत्पाद का शुरुआत की और आगामी वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड		
विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
कुल आस्तियां (करोड़ में)	160.88	144.61
वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ/ हानि (करोड़ में)	(8.79)	(15.27)

ग्राहक आधार (संख्या)	3,17,264	3,44,309
शाखाओं की कुल संख्या (संख्या)	3	3

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड (बीजीएसएसएल) की स्थापना वर्ष 2017 में बैंक द्वारा अपने बैंक-ऑफिस संचालन को समेकित करने के लिए की गई एक रणनीतिक पहल के अनुसार शामिल किया गया था। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया दक्षता को बढ़ाना और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को साकार करना था।

बीजीएसएसएल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग इकोसिस्टम के भीतर स्थापित पहले साझा सेवा संगठनों में से एक है। नौ वर्षों के परिचालन के दौरान, कंपनी एक अग्रणी साझा सेवा प्रदाता और एक बेंचमार्क संस्थान के रूप में उभरी है, जो बैंकिंग क्षेत्र में इसी तरह की पहलों के लिए मानक स्थापित कर रही है।

कंपनी एक व्यापक साझा सेवा संगठन के रूप में कार्य करती है, जो मूल बैंक के माध्यम से सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करती है। इनमें खुदरा आस्तियों की बिक्री, परिचालन और संग्रहण, खुदरा संपत्तियां शामिल हैं। रिटेल देयताएं बैंक-ऑफिस परिचालन; ट्रेड फायनांस बैंक-ऑफिस सेवाएं; कॉल सेंटर संचालन; वित्तीय समावेशन सेवाएं; सरकारी व्यवसाय सहायता सेवाएं; और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सहायता सेवाएं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा - यूनाइटेड किंगडम के लिए सपोर्ट सपोर्ट परिचालन शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने ग्राहकों द्वारा डिजिटल चैनलों को अपनाने, रीच में सुधार करने और शाखा-स्तरीय परिचालन भार को कम करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखाओं में बीजीएसएसएल कर्मियों को तैनात करते हुए "डिजिटल चैंप्स" पायलट प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, बीजीएसएसएल की डिलीवरी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, बॉब क्रेडिट कार्ड के सहयोग से बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड क्रॉस-सेल पहल के सफल रोलआउट के माध्यम से अनुषंगियों के साथ तालमेल को मजबूत किया गया।

कंपनी समग्र लागत-से-आय अनुपात में कमी, बेहतर परिचालन दक्षता, ऋण घाटे को कम करने, नई व्यावसायिक पीढ़ी की सुविधा और ग्राहक प्रतिधारण को मजबूत करने में योगदान देकर मूल बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने केंद्रित सेवा वितरण मॉडल के माध्यम से, बीजीएसएसएल मूल बैंक और अन्य हितधारकों के लिए निरंतर मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान, कंपनी ने अपने रिटेल एसेट सोर्सिंग ऑपरेशन के माध्यम से पैरेंट बैंक के बिज़नेस ग्रोथ को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी समर्पित डायरेक्ट सेल्स टीम का लाभ उठाते हुए, बीजीएसएसएल ने होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन और ट्रेक्टर लोन में ग्राहकों की सोर्सिंग की सुविधा प्रदान की, जिससे लगभग ₹18,753 करोड़ का कारोबार हुआ। यह प्रदर्शन उत्पादकता में सार्थक सुधार के साथ-साथ हासिल किया गया था, जबकि अधिग्रहण की लागत (सीओए) को इष्टतम स्तर पर बनाए रखा गया था।

संग्रह व्यवसाय में, कंपनी ने एसएमए 0 खातों के लिए टेली-कॉलिंग सेवाओं के माध्यम से बैंक को सहायता प्रदान की। वित्त वर्ष 2026 में, कलेक्शन परफॉर्मेंस को भौतिक रूप से मजबूत किया गया, टेली-कॉलिंग पीओएस रिजॉल्यूशन के बल पर 98.7% की दक्षता प्राप्त करते हुए, जो रिकवरी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

इसके अलावा, निरंतर बिज़नेस परफॉर्मेंस प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी के कॉर्पोरेट बिज़नेस कॉरिस्पोंडेंट (सीबीसी) ऑपरेशन ने वित्त

वर्ष 2026 में राजस्व में ₹9.22 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

परिचालन उत्कृष्टता, निरंतर सुधार और सुदृढ़ अनुपालन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने अपने बैंक-ऑफिस परिचालन में उत्पादकता में वृद्धि और दक्षता में लगभग 13% की वर्ष-दर-वर्ष सुधार हासिल किया। वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 22301:2019 निगरानी ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया और आईएसओ 27001:2013 से आईएसओ 27001:2022 में परिवर्तित हो गया, जिससे गुणवत्ता, व्यवसाय निरंतरता और मजबूत सूचना सुरक्षा मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

सूचना और साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने वर्ष के दौरान कई उन्नत सुरक्षा समाधानों को लागू किया, जिसमें एनएसी, रिमोट डिवाइसेस पर सिक्योर वेब गेटवे एनफोर्समेंट, एंडपॉइंट मैनेजमेंट के लिए आईटीएसएम सॉल्यूशन, वडोदरा में नियर डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना और बिजनेस-क्रिटिकल सेवाओं के लिए ओरेकल क्लाउड लागू करना शामिल है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान किए गए दर्पण (DARPA) कर्मचारी सर्वेक्षण (बीजीएसएसएल आंतरिक) में 4.26 का स्कोर भी दर्ज किया, जो कर्मचारी जुड़ाव और संगठनात्मक संस्कृति पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, बीजीएसएसएल ने अपने व्यवसायिक परिचालन में एक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप गवर्नेंस शासन में वृद्धि हुई, प्रक्रिया इंटीग्रेशन में सुधार हुआ और रिपोर्टिंग और नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।

कंपनी ने अगली पीढ़ी का ओमनीचैनल संपर्क केंद्र भी स्थापित किया, जो कई ग्राहक संपर्क चैनलों में सहज इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है और दक्षता, जवाबदेही और समग्र ग्राहक अनुभव का बेहतर बनाता है।

बीजीएसएस वित्तीय प्रदर्शन की एक संक्षिप्त झलक (₹ करोड़ में)		
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड (बीजीएसएस)		
विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026*
कुल आय	285.13	243.13
खर्च	265.55	221.98
पीबीटी	19.58	21.15
पीएटी	16.00	15.01
पीएटी %	5.61%	6.17%

* वित्त वर्ष 2026 के आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं।

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (बीएसटीएल), बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो 3 जनवरी 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी को उक्त अनुमोदन के संदर्भ में विशेष रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा को आईटी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, और तदनुसार, इसका परिचालन बैंक की आवश्यकताओं तक ही सीमित है।

कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की उद्यम-व्यापी आईटी पहलों के लिए कार्यक्रम और प्रोजेक्ट मैनेजर सेवाओं के साथ-साथ सिस्टम इंटीग्रेशन, परामर्श और आईटी-सक्षम व्यावसायिक समाधान प्रदान करने में लगी हुई है। वर्तमान में, कंपनी की गतिविधियां एक प्रारंभिक चरण में हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए सुविधा के रूप में सीमित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

द नैनीताल बैंक लिमिटेड

"नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल), जिसकी मूलतः शुरुआत स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा वर्ष 1922 में की गई थी, वर्ष 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी बन गयी। नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की शेयरधारिता 98.62% है। एनबीएल का पंजीकृत कार्यालय नैनीताल में है और इसका पांच राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर, हरियाणा तथा राजस्थान में परिचालन है।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार एनबीएल की 176 शाखाएं हैं। एनबीएल का कुल व्यवसाय 31 मार्च, 2025 के ₹13,225.68 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹14,118.02 करोड़ हो गया। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 में ₹63.24 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹50.61 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।"

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीबीएनपीए एएमसी)

बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकांश स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ बड़ौदा (50.1% शेयरधारिता) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (49.9% शेयरधारिता) की एक संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजर है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बीएनपी परिबास एएम दोनों के पास भारत में तत्कालीन फंड मैनेजर व्यवसाय थे, जिनका इस संयुक्त उद्यम बनाने के लिए मार्च 2022 में विलय कर दिया गया था।

बीबीएनपीपी एएमसी अपने प्रायोजकों की मजबूत आधारशिला पर निर्मित है। एएमसी बैंक ऑफ बड़ौदा के विशाल नेटवर्क और स्थानीय पहुंच तथा बीएनपी परिबास अस्तित्व प्रबंधन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और बाजार ज्ञान का लाभ उठाती है। पिछले कुछ वर्षों में, एएमसी ने निवेश क्षमताओं, उत्पाद रेंज, एक्सेस और वितरण को मजबूत करने में सक्रिय रूप से निवेश किया है। एएमसी ने जनवरी-मार्च 2026 के दौरान ₹54,608 करोड़ के एमएफ एयूएम का प्रबंधन किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 20% की सुदृढ़ वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, एएमसी ने गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोली और फंड मैनेजमेंट एंटीटी (एफएमई) के रूप में पंजीकृत हुई और वर्तमान में 31 मार्च, 2026 तक ₹4,852 करोड़ के एयूएम के साथ विदेशी ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। सुदृढ़ एयूएम वृद्धि और लागत अनुशासन से प्रेरित होकर, इसने लागत में उल्लेखनीय बचत की है। सकारात्मक प्रभाव से वित्त वर्ष 25-26 के लिए कंपनी की लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 25-26 के लिए बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		
विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
कुल आस्तियां	257.27	346.90
चालू वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ	55.62	84.50
प्रबंधन के तहत औसत आस्तियां (एयूएम)	49,646*	59,459*
कुल एयूएम के लिए इक्विटी (%)	64%	60%

*इसमें वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में ₹4,105 करोड़ और वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में ₹ 4,852 करोड़ की एडवाइज़री और एआईएफ एयूएम शामिल है।

म्यूचुअल फंड के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ भारतीय मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षा के कारण भारतीय एमएफ उद्योग में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। एक उत्साहजनक प्रवृत्ति यह है कि छोटे शहर इस दृष्टि से बड़े शहरों की तुलना में दोगुनी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। भारत के पास संभवतः दुनिया में सबसे अच्छा डिजिटल लेनदेन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे ग्राहक तेजी से डिजिटल अपना रहे हैं। हमारी एएमसी भारत में सुदृढ़ उपस्थिति बनाने के लिए इन सभी रुझानों का लाभ उठा रही है।

एएमसी एक शीर्ष स्तरीय फंड हाउस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारत में घरेलू ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा।

बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दिनांक 14.03.2022 से बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के साथ विलय हो गया, जिससे बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ, जिसमें बैंक का हिस्सा 50.10% और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड का 49.90% है। यह बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड/बीबीएनपीपी एएमसी के लिए एक शासी निकाय है, जिसमें सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 के तहत निर्धारित निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है।

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक घरेलू अनुषंगी है जो कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रवर्तित है, जिसका स्वामित्व वारबर्ग पिकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के पास है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंपनी का एक निवेशक है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी ₹1,441 करोड़ है (शेयर प्रीमियम सहित) है।

वित्त वर्ष 2026 में, इंडियाफर्स्ट लाइफ ने 11% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹8,019 करोड़ का कुल सकल लिखित प्रीमियम पोस्ट किया। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में निजी जीवन बीमा कंपनियों के बीच व्यक्तिगत नए व्यवसाय एपीई (नियमित प्रीमियम + 10% पर एकल प्रीमियम) पर 12वां स्थान बनाए रखा। 31 मार्च 2026 तक इंडियाफर्स्ट लाइफ की प्रबंधन के तहत एजेंट (एयूएम) ₹34,403 करोड़ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹127.4 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹9,565 करोड़ की कुल आय दर्ज की। इंडियाफर्स्ट लाइफ ने वित्त वर्ष 2026 में 36,822 दावों का निपटारा किया, जिनकी राशि ₹830 करोड़ के साथ परिपक्वता/जीवित लाभ भुगतान राशि ₹1,560 करोड़ रही।

व्यवसाय, ब्रांड, डिजिटल और नेतृत्व कौशल में कंपनी की उत्कृष्टता को वर्ष के दौरान 70+ पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई। इंडियाफर्स्ट लाइफ को लगातार 8वें वर्ष ग्रेट प्लेसेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) द्वारा बीएफएसआई (2026) में भारत के शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों के रूप में प्रमाणित किया गया था, हमें काम करने के लिए भारत की शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों (2025), जीवन बीमा में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल (2025), और महिलाओं के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल 2025 के रूप में मान्यता दी गई है। इंडियाफर्स्ट लाइफ को डीआईई उत्कृष्टता में भारत के शीर्ष 100 संगठनों में भी मान्यता प्राप्त है। इंडियाफर्स्ट लाइफ को लगातार 6वें वर्ष "ईटी बेस्ट ब्रांड्स 2025" सूची में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान मलाड, मुंबई में 300 से अधिक कर्मचारियों की क्षमता के साथ एक बड़े परिचालन कार्यालय का उद्घाटन किया है। इससे कंपनी को आने वाले वर्षों में बढ़ते व्यवसाय और डिलीवरी चैनलों के विस्तार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

एक नया ब्रांड अभियान, "ज़िम्मेदारियां हमसे बांटिए, हल्का लगेगा," नवंबर में लाइव हुआ। इस अभियान ने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और बीमा जगत में इसे व्यापक सराहना मिली। कंपनी को विश्वास है कि यह पहल उसकी दृश्यता को बढ़ाएगी और इसकी ब्रांड छवि को मजबूत करेगी।

एक सक्षम प्रबंधन टीम द्वारा संचालित, कंपनी नवीन उत्पादों, तकनीकी सक्षम प्रक्रियाओं, बेहतर ग्राहक अनुभव और मूल्य अभिवृद्धि व्यवसाय के माध्यम से सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के '2047 तक सभी के लिए बीमा' के दृष्टिकोण की दिशा में काम करना जारी रख रही है।

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) - एनबीएफसी है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इस इंफ्राडेब्ट के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और सिटी कॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवम बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं। यह इंफ्राडेब्ट अपेक्षाकृत ऐसी सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को फायनांस करती है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया हो। इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए/ स्टेबल आउटलुक के रूप में रेट किया गया है। इंफ्राडेब्ट को इसकी सभी आय पर 100% आयकर रियायत प्राप्त है।

सुदृढ़, स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं- विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं और हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर इंफ्राडेब्ट का ध्यान केंद्रित होने के कारण इसकी सिनरी बैंक से मिलती है और इस प्रकार भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जा रहा है। इंफ्राडेब्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। वित्त-वर्ष 2026 के दौरान को इसकी ऋण बही ₹ 30,817 करोड़ रही और निवल लाभ ₹ 614 करोड़ और इक्विटी पर रिटर्न 15.2% रहा। इंफ्राडेब्ट पिछले नौ वर्षों से लगातार लाभांश भी दे रही है।

बॉब सिक्वोरिटीज और गिल्टेज लिमिटेड

बैंक ने 13.03.2026 को बैंक के मौजूदा प्राथमिक डीलर (पीडी) व्यवसाय को एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में संचालित करने के लिए बॉब सिक्वोरिटीज एंड गिल्टेज लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी की स्थापना की गई है। कंपनी ने आरबीआई के पास एनबीएफसी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, बैंक ने 30.03.2026 को कंपनी में 500.00 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी डाली है।

बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों का वित्तीय वर्ष 2026 का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

इकाई	स्वामित्व वाली धनराशि	कुल आस्तियां	निवल लाभ	कार्यालय	कर्मचारी
बॉबकार्ड लिमिटेड	1,435.85	7,466.49	-0.36	46	713
बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	124.22	146.61	-15.28	3	149
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड	7.89	8.61	-2.51	2	14

*बड़ौदा ग्लोबल शेयर्स सर्विसेज लिमिटेड	89.86	144.10	15.01	4	4374
दि नेनीताल बैंक लिमिटेड	1062.24	9890.22	63.24	176	1197
बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	297.61	346.90	84.50	28	454
बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.35	0.52	-0.009	1	-
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1416.00	34403.00	127.00	93	5097
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	4284.26	33517.60	613.82	1	35

*बीजीएसएस पेरोल पर 3637 एवं 737 थर्ड पार्टी पक्ष के कर्मचारी

बैंक को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रतिष्ठित इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के 21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड 2024-25 में सम्मानित किया गया, जिसमें बड़े बैंकों की पांच पुरस्कार श्रेणियों में सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें चार में विजेता और एक विशेष उल्लेख पुरस्कार शामिल हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा को चार श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया – बेस्ट एआई और एमएल अडॉप्शन, बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन, बेस्ट आईटी जोखिम प्रबंधन और बेस्ट टेक्नॉलॉजी टैलेंट। इसके अलावा, बैंक को बेस्ट टेक्नॉलॉजी बैंक श्रेणी में एक विशेष उल्लेख पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- द बैंकर्स बैंक ऑफ़ द ईयर अवार्ड्स 2025 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'बेस्ट बैंक इन इंडिया' के रूप में सम्मानित किया गया।
- ग्रीन बिल्डिंग काँग्रेस 2025 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अहमदाबाद स्थित अपनी एपेक्स अकादमी और वडोदरा स्थित बड़ौदा भवन के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्लेटिनम और सिल्वर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया।
- चैंबर ऑफ़ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई) द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेन्स अवार्ड्स 2025 में "बेस्ट इनोवेटिव बैंक इन एमएसएमई फाइनेंसिंग" के रूप में सम्मानित किया गया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. देबदत्त चांद को फॉर्च्यून इंडिया - इंडियाज बेस्ट सीईओ 2025 अवार्ड्स में "बड़े बैंक" की श्रेणी में बेस्ट सीईओ के रूप में चुना गया है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को साइबर सुरक्षा कार्यनीतियों के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए ट्रेंड माइक्रो द्वारा ट्रेंड ग्लोबल कस्टमर एक्सीलेन्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को रिटेल बैंकिंग हेतु मल्टीमॉडल, मल्टीलिंगुअल ट्रांजेक्शनल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर "अदिति" के लिए बैंकिंग और

निवेश हेतु 2025 गार्टनर आई ऑन इनोवेशन अवार्ड्स के एपीएस के उपविजेता के रूप में चुना गया।

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ने द्वितीय गिफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग फोरम 2025 में "इनोवेटिव बैंक ऑफ़ द ईयर" पुरस्कार जीता।
- राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वर्ष 2024-2025 के लिए भारत सरकार की 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के अंतर्गत 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कारों में दूसरा स्थान मिला।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को क्रेजेनिक्स क्रेडिट एंड कलेक्शंस समिट एंड अवार्ड्स 2025 के तीसरे संस्करण में "कन्ट्रिब्यूटिंग मोस्ट टू क्रेडिट एंड कलेक्शन बेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया-पब्लिक सेक्टर बैंक" श्रेणी में सम्मानित किया गया। बैंक को निम्नलिखित व्यक्तिगत पुरस्कार भी मिले – एक्सीलेन्स इन कम्प्लायंस एंड रेगुलेशन्स और 'इमरजिंग लीडर इन रिस्क क्रेडिट एंड कलेक्शन'।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने टेक-लेड एचआर इनोवेशन के लिए 'टेक इन एचआर' श्रेणी के तहत फिनोविटी अवार्ड 2025 प्राप्त किया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे आईबीए सीआईएसओ समिट एंड साईटेशन 2025 में सभी श्रेणियों में सम्मानित किया गया: बड़े बैंक की श्रेणी: 1. साइबर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ द ईयर (विजेता); 2. सीआईएसओ एलिवेटर पिच (उपविजेता); 3. साइबर सिक्योरिटी टीम ऑफ़ द ईयर (विशेष पुरस्कार); 4. साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैच्योरिटी (विशेष पुरस्कार); 5. साइबर सिक्योरिटी कम्प्लायंस चैंपियन (विशेष पुरस्कार)।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने इंडिया एसएमई फोरम द्वारा आयोजित "नेशनल एमएसएमई इम्पैक्ट अवार्ड्स 2025" में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी के तहत गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एमएसएमई निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 8वें क्षेत्रीय उद्योग कौशल और रोजगार सम्मेलन (राइज़) में उत्कृष्ट एमएसएमई क्रेडिट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
- वर्ल्ड फायनांस बैंकिंग अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'बेस्ट बैंकिंग ग्रुप-इंडिया' घोषित किया गया।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ईटी नाउ बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स 2025 पुरस्कार मिला।
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एचआर एक्सीलेन्स अवार्ड।
- ब्रैंडन हॉल ग्रुप इन एक्सीलेन्स इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025 में बेस्ट एडवांस इन मोबाइल लर्निंग टेक्नोलॉजी गोल्ड केटेगोरी अवार्ड।
- अवतार और सेरामाउंट द्वारा बीएफएसआई क्षेत्र में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों का पुरस्कार।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने ईएएसई 7.0 सुधार सूचकांक के अंतर्गत शीर्ष कार्यनिष्पादन बैंक श्रेणी की समग्र रैंकिंग में प्रथम उपविजेता स्थान प्राप्त किया। बैंक ने नवयुगीन प्रौद्योगिकी एवं अन्य उन्नत क्षमताओं को अपनाने तथा बैंकिंग की उभरती प्राथमिकताओं के अनुरूप स्टाफ सदस्यों के

विकास की श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रभावी जोखिम/ धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रहण एवं वसूली तथा विकसित भारत थीम के अनुरूप बैंकिंग श्रेणियों में बैंक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एमएफआई म्यूचुअल फंड समिट 2025 में "नेट सेल्स – इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड" श्रेणी में विजेता बैंक घोषित किया गया।

लाभांश वितरण नीति

बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 8.50 के लाभांश की अनुशंसा की है। इस प्रकार लाभांश के रूप में कुल व्यय ₹4,395.66 करोड़ होगा। इस लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदन के अधीन है। लाभांश वितरण नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां

श्री आशीष माधवराव मोरे को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 से अगले आदेश तक पद पर बने रहने के लिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया।

कार्यकाल की समाप्ति:

श्री आशीष माधवराव मोरे की नियुक्ति के पश्चात दिनांक 23 जुलाई, 2025 से डॉ. एम.पी. तंगिराला का सरकारी नामिती निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है।

बोर्ड का मूल्यांकन

गवर्नर्स और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंक बोर्ड के समग्र मूल्यांकन की एक स्वतंत्र वार्षिक समीक्षा करने के लिए दिनांक 11 सितंबर, 2025 के पत्र ईएफ. संख्या 14/1/2025-बीओ. के माध्यम से डीएफएस द्वारा सूचित भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

कॉर्पोरेट गवर्नंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र :

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के 'भाग ई' के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्टिंग बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे लिंक <https://bankofbaroda.bank.in/hi-in/shareholders-corner/sustainability-disclosures> के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

हरित बॉण्ड का निर्गम एवं उपयोग संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित सेबी एनसीएस विनियम, 2021 तथा सेबी एनसीएस परिचालन परिपत्र, 2023 के अंतर्गत लागू दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, हरित बॉण्ड के निर्गम एवं उससे प्राप्त निधियों के उपयोग से संबंधित प्रकटीकरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

- ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;
- बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया है तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सही एवं विश्वसनीय स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की जा सके;
- सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक पर लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को व्यवसाय की निरंतरता के आधार पर तैयार किया है; और
- ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण” शब्द का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है। इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी

और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार नामिती निदेशक डॉ. एम.पी. तंगिराला के योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत तथा विदेश स्थित अपने हिट-चिंतकों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल बैंक के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण समर्पण के लिए उनकी दिल से सराहना करता है।



डॉ. देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ग्रीन बॉण्ड निर्गमन एवं उपयोग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में ₹10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (जिसे आगे "ग्रीन बॉण्ड" अथवा "ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड" के रूप में भी संदर्भित किया गया है) का निर्गमन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

बॉण्ड का नाम	आईएसआईएन	कूपन	बोली की तारीख	जारी करने की तारीख	परिपक्वता तारीख	उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
बैंक ऑफ़ बड़ौदा दीर्घावधि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सीरिज-I	INE028A08380	7.10%	04- मार्च -26	05- मार्च -26	05- मार्च -33	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता

प्रस्ताव पत्र के अनुसार, प्राप्त राशि को बैंक के स्थायित्वपूर्ण फायनांस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप पात्र ग्रीन प्रोजेक्ट और/ अथवा परिसंपत्तियों में नए फायनांस तथा पुनर्वित्तपोषण के बीच 30:70 के अनुपात में आबंटित किया जाना प्रस्तावित था। 31 मार्च, 2026 तक, ₹7,000 करोड़ की राशि का उपयोग मौजूदा पात्र नवीकरणीय परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण हेतु किया जा चुका है, जबकि ₹ 3,000 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि को स्थायित्वपूर्ण फायनांस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार पात्र परियोजनाओं में उपयोग किए जाने तक अनुमत तरल लिखतों में निवेशित रखा गया है।

ग्रीन बॉण्ड, सेबी एनसीएस विनियम, 2021, सेबी एनसीएस परिचालनगत परिपत्र, 2023, समय-समय पर यथा संशोधित के साथ पठित, के अंतर्गत स्थायित्वपूर्ण प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा उनका अनुपालन निम्नानुसार किया जा रहा है।

i: आंतरिक ट्रेकिंग विधि और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की आय से पात्र परियोजना और/ या आस्तिओं के लिए राशि के आबंटन की पुष्टि करने वाले बाह्य लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र निम्नानुसार है।



Independent Auditor's Certificate on utilization of proceeds raised through issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term fully paid up, Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I for enhancing long term resources /funding long term projects in infrastructure sub-sectors as prescribed by RBI Circulars that also qualify as 'Green debt securities' as defined under the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations and the Bank's Sustainable Financing Framework.

To,
The Board of Directors,
Bank of Baroda,
Baroda Corporate Centre,
C-26, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai, 400051

1. Introduction

This certificate is issued on specific request of Bank of Baroda (the "Bank"), having its corporate office at Mumbai, Maharashtra in accordance with the terms of our engagement letter dated February 26, 2026.

2. At the request of the Bank, we have examined the attached Statement, in relation to utilization of proceeds raised from issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I issued as per Key Information Document on March 04, 2026 and read with the Debenture Trust Deed entered into between the Bank and Axis Trustee Services Limited (the Trustee) dated March 04, 2026 (the trust deed), for submitting to SEBI under Regulation 52(7) and 52(7A) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015.

3. Management's Responsibility

The preparation of the Statement and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents, is solely the responsibility of the Management of the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the utilization of proceeds and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

The Management is also responsible for ensuring that the Bank complies with the requirements of the Trust Deed and for providing all relevant information to the Trustee. This responsibility includes ensuring that proceeds of the Bonds are utilized by the Bank solely towards enhancing long term resources for funding infrastructure and affordable housing projects and that the proceeds are not used towards any purpose which may be in contravention of the regulations, guidelines or norms issued by the RBI, the SEBI or the Stock Exchanges.

The Management is also responsible for complying with various provisions of Reserve Bank of India guidelines, applicable Accounting Standards, The Banking Regulation Act, 1949 and conditions stated in the SEBI Regulations.

505-C, 5th Floor, Rectangle 1, District Centre, Saket, New Delhi-110017
Phone: +91-11-40548860-62, ravirajan@sravigroup.com, ravirajan.co@gmail.com
Web: www.ravirajan.co.in
(Ravi Rajan & Co LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Identity No. AAP-3344)



4. Auditors' Responsibility

Our responsibility is to provide a limited assurance as to whether any matter has come to our attention that causes us to believe that the proceeds of the Bonds issued under Key Information Document on March 04, 2026 have been utilized for the purposes other than as stated in the statement attached.

5. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in so far as applicable for the purpose of the certificate. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by ICAI.
7. The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement; and consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of areas where a material misstatement of the subject matter information is likely to arise. We have performed the following procedures in relation:
 - a) Obtained the audited financial statements and underlying books of accounts of the Bank for the year ended March 31, 2025;
 - b) Obtained the Key Information Document dated March 04, 2026 and the Trust Deed and verified the purpose for which the Bonds have been issued;
 - c) Obtained the certified true Copy of the Board Resolution dated January 30, 2026.
 - d) Obtained the certified true Copy of the resolution of authorised executive dated March 05, 2026 and traced the number of bonds to be allotted, list of investors and the final allotment amount.
 - e) Notice for listing by BSE dated March 06, 2026.
 - f) Approval for listing by NSE dated March 06, 2026.
 - g) Obtained necessary representations from the Management of the Bank.
8. Our scope of work did not include verification of compliance with other requirements of the SEBI Regulations/ other circulars, notifications, etc., as issued by relevant regulatory authorities from time to time, and any other laws and regulations applicable to the Bank.

9. Opinion

Based on our examination, as above, and according to the information, explanations and representations provided to us by the Management of the Bank, nothing has come to our attention that causes us to believe that the proceeds of the Bonds issued under Key Information Document dated March 04, 2026 have been utilized by the Bank for the purposes other than as stated in the statement attached. The Bank has currently utilised 70% of the proceeds of the bonds and 30% remained unspent, which has been kept and earmarked in short term deposit in line with sustainable financing framework.

10. Restriction on Distribution and Use

This certificate has been prepared at the request of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with the requirements of the Debenture Trust deed and should not be used by any



other person or for any other purpose other than the Lead Managers and Legal Counsel to the issue, the Stock Exchange, SEBI, ROC or any other regulatory or statutory authority. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. This report relates only to the Statement and items specified above and does not extend to any financial statements of the Bank, taken as a whole. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For Ravi Rajan & Co LLP

Chartered Accountants

Firm Regn No: 009073N/N500320

NEERAJ
Digitally signed by
NEERAJ AGARWAL
Date: 2026.03.27
15:33:54 +05'30'

AGARWAL

Neeraj Agarwal

Partner

Membership No. 521845

UDIN: 26521845DWLARU4525

Date: 27th March 2026



ii. बाह्य लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र, जो अप्रयुक्त आय के विवरण की पुष्टि करता है, जिसमें अस्थायी प्लेसमेंट/ उपयुक्त और अप्रयुक्त आय का उपयोग शामिल है, निम्नानुसार है।



Independent Auditor's Certificate on unutilization of proceeds raised through issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term fully paid up, Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I for enhancing long term resources /funding long term projects in infrastructure sub-sectors as prescribed by RBI Circulars that also qualify as 'Green debt securities' as defined under the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations and the Bank's Sustainable Financing Framework.

To,
The Board of Directors,
Bank of Baroda,
Baroda Corporate Centre,
C-26, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai, 400051

1. Introduction

This certificate is issued on specific request of Bank of Baroda (the "Bank"), having its corporate office at Mumbai, Maharashtra in accordance with the terms of our engagement letter.

2. At the request of the Bank, we have examined the attached Statement, in relation to utilization of proceeds raised from issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I issued as per Key Information Document on March 04, 2026 and read with the Debenture Trust Deed entered into between the Bank and Axis Trustee Services Limited (the Trustee) dated March 04, 2026 (The trust deed), for submitting to SEBI under Regulation 52(7) and 52(7A) of the Securities and Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and disclosure required under SEBI (NCS Operational Circular Dated February 06, 2026).

3. Management's Responsibility

The preparation of the Statement and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents, is solely the responsibility of the Management of the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the utilization of proceeds and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

The Management is also responsible for ensuring that the Bank complies with the requirements of the Trust Deed and for providing all relevant information to the Trustee. This responsibility includes ensuring that proceeds of the Bonds are utilized by the Bank solely towards enhancing long term resources for funding infrastructure and affordable housing projects and that the proceeds are not used towards any purpose which may be in contravention of the regulations, guidelines or norms issued by the RBI, the SEBI or the Stock Exchanges.

The Management is also responsible for complying with various provisions of Reserve Bank of India guidelines, applicable Accounting Standards, The Banking Regulation Act, 1949 and conditions stated in the SEBI Regulations.



505-C, 5th Floor, Rectangle 1, District Centre, Saket, New Delhi - 110017
Phone: +91 -11-45542880-82, ravirajan@ravirajgroup.com, ravirajan.co@gmail.com
Web: www.ravirajan.co.in

(Ravi Rajan & Co LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Identity No. AAP- 3344)

4. Auditors' Responsibility

Our responsibility is to provide a limited assurance as to whether any matter has come to our attention that causes us to believe that the proceeds of the Bonds issued under Key Information Document on March 04, 2026 have been utilized for the purposes other than as stated in the statement attached.

5. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in so far as applicable for the purpose of the certificate. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by ICAI.
7. The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement; and consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of areas where a material misstatement of the subject matter information is likely to arise. We have performed the following procedures in relation:
 - a) Obtained the Key Information Document dated March 04, 2026 and the Trust Deed and verified the purpose for which the Bonds have been issued;
 - b) Obtained the certified true Copy of the resolution of authorised executive dated March 05, 2026 and traced the number of bonds to be allotted, list of investors and the final allotment amount.
 - c) Details of Utilisation and investment of utilised amount.
8. Our scope of work did not include verification of compliance with other requirements of the SEBI Regulations/ other circulars, notifications, etc., as issued by relevant regulatory authorities from time to time, and any other laws and regulations applicable to the Bank.

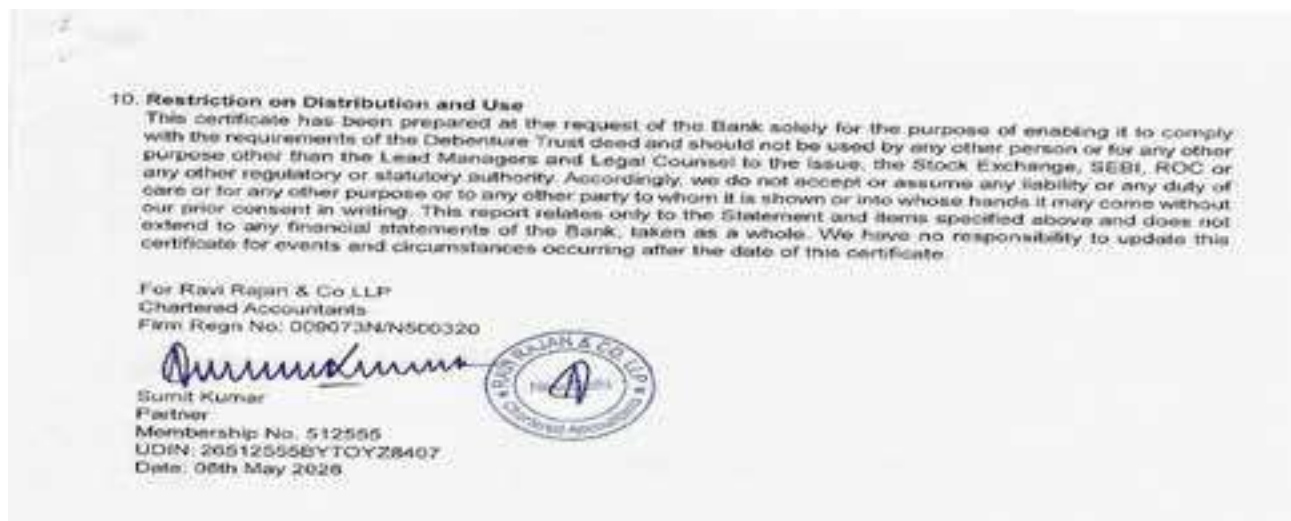
9. Opinion

Based on our examination, as above, and according to the information, explanations and representations provided to us by the Management of the Bank, the proceeds were proposed to be allocated between fresh financing and the refinancing of eligible green projects and/or assets in a 30:70 ratio, in line with the Bank's Sustainable Financing Framework (SFF). As of 31 March 2026, ₹7,000 crores have been utilised towards refinancing of the existing eligible renewable projects, while the unutilised balance of ₹3,000 crore has been invested in permitted liquid instruments as per the SFF.

The details of the temporary allocation of unutilised funds as on March 31, 2026, are as follows

					(Amt in Rs.)
ISIN Number	Security ID	Security Description	Maturity Dt.	Face Value	Book Value
IN002025Y362	182DTB040826	182 DTB 04082026	08-04-2026	2,00,00,00,000.00	1,98,16,50,526.32
IN002025X605	91DTB190626	91 DTB 19 JUNE 2026	6/19/2026	30,00,00,00,000.00	29,65,96,39,890.11
TOTAL				32,00,00,00,000.00	31,64,14,90,416.43





iii. पात्र परियोजना (परियोजनाओं) और/ या आस्तियों का विवरण, जिसके लिए ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की आय आबंटित/ निवेश की गई है, उनका संक्षिप्त विवरण तथा संवितरित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त विवरण	संवितरित राशि (₹ करोड़)
1	प्रोजेक्ट सिक्सटीन रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (पीएसआरपीपीएल)	निर्माण, स्वामित्व और संचालन (बीओओ) मॉडल के तहत पश्चिम मध्य रेलवे को 65 मेगावाट स्टोरेज क्षमता के साथ 200 मेगावाट चौबीसों घंटे (आरटीसी) बिजली की आपूर्ति के लिए 663 मेगावाट (सौर 300 मेगावाट और पवन 363 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास।	185.03
2.	एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड	नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीएसईसीएल सोलर पार्क, खावड़ा, गुजरात में 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास और सेंट्रल ग्रिड को इसकी आपूर्ति।	678.58
3.	क्लीन मैक्स सैफायर प्राइवेट लिमिटेड	79.20 मेगावाट (सौर 36.30 मेगावाट और पवन 42.90 मेगावाट) हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास।	412.94
4.	अदानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी-थ्री लिमिटेड	लगभग 853 मेगावाट (एसी) की स्थापित क्षमता के साथ विभिन्न राज्यों में 15 सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) पावर प्रोजेक्ट का विकास और संचालन।	3351.91
5.	गुजरात इंडस्ट्रीज़ पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल)	गुजरात के कच्छ जिले में स्थित 2375 मेगावाट के खावड़ा सौर पार्क के भीतर 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास।	913.69
6.	अदानी सोलर एनर्जी आरजे टू प्राइवेट लिमिटेड (एसईआरटीपीएल)	राजस्थान में 330 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।	1313.66
7.	एफपीईएल मर्करी प्राइवेट लिमिटेड	39.05 मेगावाट हाइब्रिड (सौर 19.25 मेगावाट और पवन 19.80 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास।	209.55
8.	क्लीन मैक्स भूमि प्राइवेट लिमिटेड	50.68 मेगावाट हाइब्रिड (सौर 17.68 मेगावाट और पवन 33 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास और संचालन।	369.74
9.	साएल सोलर पी4 प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात के कच्छ जिले में स्थित 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का विकास।	300.00
कुल			7735.10*

*कुल संवितरण राशि में ₹7,000 करोड़ की ग्रीन बॉण्ड प्राप्तियों के आंशिक उपयोग को सम्मिलित किया गया है।

iv. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की प्राप्ति के माध्यम से वित्तपोषित/पुनर्वित्तपोषित पात्र परियोजनाओं और/अथवा आस्तियों से संबंधित गुणात्मक एवं मात्रात्मक पर्यावरणीय प्रभाव संकेतकों का विवरण निम्नानुसार है—

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रीन बॉण्ड के निर्गमन के माध्यम से प्राप्त आय का उपयोग बैंक ने 9 परियोजनाओं को प्रदत्त ऋणों के पुनर्वित्तपोषण हेतु किया (कुल संवितरण राशि ₹7,735.10 करोड़), जिससे 7 राज्यों में अनुमानित 3541.93 मेगावाट की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास को समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें 3056.23 मेगावाट सौर क्षमता तथा 458.70 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता सम्मिलित है। इन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन पर निर्भरता में कमी तथा भारत के लो-कार्बन इकोनोमी की दिशा में अग्रसर होने की प्रतिबद्धता को समर्थन मिलेगा।

इन परियोजनाओं से अनुमानित वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के आधार पर, वित्तपोषित पोर्टफोलियो ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 19.84 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की संभावित कमी में योगदान दिया। उत्सर्जन में यह संभावित कमी प्रति टन 87.89 अमेरिकी डॉलर की कार्बन की सामाजिक लागत आकलन के आधार पर लगभग ₹1,650.33 करोड़ (लगभग 174.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की आर्थिक बचत के रूप में अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, अंतर्निहित परियोजनाओं की दीर्घावधि परिचालन समयावधि को ध्यान में रखते हुए, पोर्टफोलियो से अनुमानित लाइफ टाइम सेविंग (संचयी) लगभग ₹60,515.15 करोड़ (लगभग 5.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान है।

पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी यह अनुमान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा “सेटल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी CO₂ बेसलाइन डेटाबेस फॉर द इंडियन पावर सेक्टर” में प्रकाशित उत्सर्जन कारकों सहित निर्धारित पद्धतियों एवं अवधारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की रोकथाम से अनुमानित आर्थिक बचत निम्नानुसार है-

विवरण	ब्यौरा	मूल्य
सभी परियोजनाओं द्वारा प्रतिवर्ष कुल उत्सर्जन कम किया गया (कार्बन डाइऑक्साइड (टन में))	वित्तीय वर्ष 26 में सभी परियोजनाओं द्वारा समग्र रूप से कम किया गया उत्सर्जन	19,83,727.34
प्रतिवर्ष उत्सर्जन में कमी से अनुमानित बचत (₹ करोड़ में)		1,650.33

v. निष्पादन संकेतकों एवं मानकों के निर्धारण में प्रयुक्त पद्धतियाँ तथा प्रमुख आधारभूत अवधारणाएं निम्नानुसार हैं—

कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की अनुमानित रोकथाम की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाती है:

उत्सर्जन कम किया गया (tCO₂) = [वार्षिक बिजली उत्पादन (MWh) * बिजली ग्रिड उत्सर्जन

कारक (tCO₂/MWh)] - नवीकरणीय संयंत्र का अपना उत्सर्जन

नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की अनुमानित

रोकथाम का आकलन करने हेतु प्रमुख गणना में वार्षिक विद्युत उत्पादन (मेगावाट घंटा में) को विद्युत ग्रिड उत्सर्जन कारक (टन कार्बन डाइऑक्साइड/मेगावाट घंटा में) से गुणा किया जाता है। जहाँ—

i) वार्षिक विद्युत उत्पादन से अभिप्राय एक वर्ष में नवीकरणीय संयंत्र द्वारा उत्पादित कुल विद्युत से है; तथा

(ii) विद्युत ग्रिड उत्सर्जन कारक से अभिप्राय किसी विशिष्ट क्षेत्र में ग्रिड द्वारा उत्पादित प्रति इकाई विद्युत पर औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से है, जो ऊर्जा मिश्रण (जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा आदि) के आधार पर परिवर्तित होता है।

इसके पश्चात, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण एवं संचालन से संबंधित, उसके संपूर्ण जीवनचक्र में उत्पन्न उत्सर्जनों को घटाकर शुद्ध उत्सर्जन रोकथाम का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई सौर संयंत्र प्रतिवर्ष 10,000 मेगावाट घंटा विद्युत उत्पादन करता है तथा ग्रिड का उत्सर्जन कारक 0.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति मेगावाट घंटा है, तो समग्र उत्सर्जन रोकथाम 9,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष होगी। यदि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का स्वयं का वार्षिक उत्सर्जन 500 टन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उक्त नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा निवल उत्सर्जन रोकथाम 8,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष होगी।

यह कार्यप्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि गणना में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त पर्यावरणीय लाभों को प्रतिबिंबित किया जाए, साथ ही संयंत्रों से संबंधित उत्सर्जनों को भी समुचित रूप से सम्मिलित किया जाए।

प्रमुख अवधारणा:

- परिहार्य उत्सर्जन की गणना हेतु कार्यप्रणाली का विकास केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा CO₂ के संबंध में तैयार उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका “बेसलाइन डेटाबेस फॉर द इंडियन पावर सेक्टर” (संस्करण 20.0, नवम्बर 2025) में निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुरूप किया गया है। यह https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf पर उपलब्ध है।

- वार्षिक विद्युत उत्पादन (मेगावाट घंटा) का अनुमान निम्नलिखित कार्यप्रणाली के आधार पर किया गया है:

वार्षिक विद्युत उत्सर्जन (मेगावाट घंटा) = नवीकरणीय संयंत्र क्षमता x सीयूएफ x 8,760

- नवीकरणीय संयंत्र क्षमता तथा क्षमता उपयोग कारक के मान उधारकर्ता-विशिष्ट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए हैं।

- ऐसे मामले जहां क्षमता उपयोग कारक उपलब्ध नहीं था, वहाँ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों (मसौदा) के अनुरूप भारत के लिए 21 % का औसत क्षमता उपयोग कारक मान लिया गया है। (https://cercind.gov.in/2024/draft_reg/RE-Tariff-Regulations-EM.pdf)

- अनुमानित विद्युत उत्पादन को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिचालन दिवसों की संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना संबंधित परियोजना की वाणिज्यिक परिचालन तिथि से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक की गई है।

- अनुमान के लिए प्रयुक्त उत्सर्जन बेसलाइन, सेटल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी द्वारा CO₂ के संबंध में तैयार उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका “बेसलाइन डेटाबेस फॉर द इंडियन पावर सेक्टर” (संस्करण 21.0, नवम्बर 2025)

से ग्रहण की गई है। यह सीईए बेसलाइन डेटाबेस गाइड वर्जन 21.0 https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf पर उपलब्ध है।

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित उत्सर्जनों का अनुमान उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु औसत उत्सर्जन कारकों के अनुमानों के आधार पर लगाया गया है।
- संरक्षणात्मक दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से 30-60 gCo₂/ kWh रिपोर्ट की गई रेंज के मिड पॉइंट को स्वीकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 45 gCo₂/ kWh उत्सर्जन कारक निर्धारित किया गया।
- उपरोक्त उत्सर्जन कारक को उस अवधि के अनुमानित विद्युत उत्पादन पर लागू किया गया है, जिसके दौरान संबंधित परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिचालित रही, ताकि विद्युत उत्पादन से संबंधित कुल उत्सर्जनों का अनुमान लगाया जा सके।

यहाँ प्रकटीकृत प्रभाव मूल्यांकन तथा संबंधित अनुमान संबंधित स्रोतों पर आधारित हैं तथा ऐसे मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु अपनाई गई अवधारणा एवं अनुमान कार्यप्रणालियों के अधीन हैं।

vi. सामाजिक एवं पर्यावरणीय जोखिमों के परिलक्षित प्रभावों के शमन हेतु प्रस्ताव दस्तावेजों में उल्लिखित कार्ययोजना के क्रियान्वयन का पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों की सूची तथा उनके लिए अनुशंसित शमन कार्ययोजना।

व्यापक पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम	अनुशंसित शमन उपाय
1. अपशिष्ट निस्तारण, जल संरक्षण एवं जैव विविधता 2. अपशिष्ट प्रबंधन का औपचारीकरण, जिसमें आवधिकता पूर्ण सौर पैनलों का प्रबंधन तथा ईपीआर पंजीकरण सम्मिलित है।	1. आवधिकता पूर्ण सौर पैनलों के लिए व्यापक प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, जिसमें रिसायक्लिंग, पुनः उपयोग तथा उपयुक्त निस्तारण सम्मिलित हो। 2. जैव विविधता संरक्षण हेतु विशेषीकृत शमन रणनीतियों का क्रियान्वयन, जिससे व्यवधानों को न्यूनतम किया जा सके तथा जल सकारात्मकता प्राप्त करने हेतु जल दक्षता उपायों को अपनाया जा सके। 3. सभी स्थलों पर पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्थायित्व संबंधी गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन। 4. विभिन्न जोखिमों, जैसे अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा तथा वाणिज्यिक सुदृढ़ता एवं सुरक्षा के लिए वार्षिक आकलन। 5. रोबोटिक क्लिनिंग टेक्नोलॉजी तथा शून्य द्रव अपशिष्ट प्रणाली जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन। 6. स्थानीय समुदाय हेतु पर्यावरण एवं जैव विविधता के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

vii. प्रभाव रिपोर्टिंग: ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के माध्यम से वित्तपोषित/पुनर्वित्तपोषित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित परियोजना-वार विवरण तथा अपनाई गई लागू वर्गीकरण प्रणाली/ इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी निम्नानुसार है।

बैंक द्वारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड से प्राप्त राशि के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण से संभावित रूप से लगभग 19,83,727 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण निम्नानुसार है:

बैंक द्वारा सतत वित्तपोषण फ्रेमवर्क के अनुरूप वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम आकलन किया गया है।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम आकलन के अंतर्गत पर्यावरणीय जोखिम शमन पहलों में लागू पर्यावरणीय विनियमों एवं अनुपालनों का पालन, आवधिक पर्यावरणीय निगरानी, अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ, संसाधन अनुकूलन पहलें तथा कर्मचारियों एवं आसपास के समुदायों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल सम्मिलित हैं। वहीं सामाजिक जोखिम शमन पहलों में हितधारक सहभागिता, शिकायत निवारण तंत्र, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम तथा श्रम एवं सामुदायिक विकास मानकों का अनुपालन सम्मिलित है।

बैंक द्वारा 9 पात्र परियोजनाओं का पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम आकलन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से निष्पादित किया गया है। उक्त 9 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएँ निम्न जोखिम श्रेणी में आती हैं, जबकि एक परियोजना वर्तमान में मध्यम जोखिम श्रेणी में है।

इन मानकों की नियमित एवं गहन निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई है, ताकि शमन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक निष्पादन में सतत सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो।

विवरण	प्लांट का प्रकार (सौर/पवन)	वाणिज्यिक प्रारंभ तिथि	वार्षिक विद्युत उत्पादन (एमडब्ल्यूएच)	उत्सर्जन कम किया गया (टीसीओ ₂) (स्कोप 1, 2, 3 समायोजन के बिना)	नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का उत्सर्जन (टीसीओ ₂)	उत्सर्जन कम किया गया (टीसीओ ₂)
प्रोजेक्ट सिक्सटीन रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (पीएसआरपीपीएल)	सौर	28 फरवरी 2026	63,323.85	44,959.93	439.04	44,520.90
	पवन	28 फरवरी 2026	90,877.09	64,522.73	356.91	64,165.82
एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड	सौर	04 दिसंबर 2025	5,26,242.24	3,73,631.99	23,680.90	3,49,951.09
क्लीन मैक्स सैफायर प्राइवेट लिमिटेड	सौर	30 सितंबर 2025	25,636.28	18,201.76	1,153.63	17,048.13
	पवन	30 सितंबर 2025	64,815.38	46,018.92	2,916.69	43,102.23
अदानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी थ्री लिमिटेड	सौर	01 अप्रैल 2025	14,19,733.20	10,08,010.57	63,887.99	9,44,122.58
गुजरात इंडस्ट्रीज़ पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल))*	सौर	31 दिसंबर 2026	0.00	0.00	0.00	0.00*
अदानी सोलरएनर्जी आरजे टू प्राइवेट लिमिटेड (एसईआरटीपीएल)	सौर	01 अप्रैल 2025	6,07,068.00	4,31,018.28	27,318.06	4,03,700.22
एफपीईएल मर्करी प्राइवेट लिमिटेड	पवन	31 मार्च 2026	86.21	61.21	3.88	57.33
	सौर	31 मार्च 2026	159.24	113.06	7.17	105.89
क्लीन मैक्स भूमि प्राइवेट लिमिटेड	पवन	01 अप्रैल 2025	33,496.21	23,782.31	1,507.33	22,274.98
	सौर	01 अप्रैल 2025	1,10,139.48	78,199.03	4,956.28	73,242.75
साएल सोलर पी4 प्राइवेट लिमिटेड	सौर	21 जनवरी 2026	32,233.72	22,885.94	1,450.52	21,435.43
कुल			29,73,810.90	21,11,405.74	1,27,678.39	19,83,727.34

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित प्रभाव शून्य माना गया है, क्योंकि परियोजना की वाणिज्यिक शुरुआत वित्त वर्ष 2026-27 में निर्धारित है।

कम किए गए उत्सर्जन की गणना हेतु अपनाई गई पद्धति, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की "सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी ओथोरिटी CO₂ बेसलाइन डेटाबेस फॉर द इंडियन पावर सेक्टर" (संस्करण 21.0, नवंबर 2025) में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप विकसित की गई है।

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf पर उपलब्ध है।

vii. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के प्रमुख बिंदुओं का प्रकटीकरण।

संबंधित प्रकटीकरण व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट में किया गया है, जिसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है :

<https://bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/sustainability-disclosures>

बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से वित्तपोषित/ पुनर्वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी वेबसाइट पर ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त राशि के उपयोग के पोस्ट-इश्यू प्रबंधन से संबंधित थर्ड-पार्टी सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, जिसमें बैंक की आंतरिक ट्रेकिंग प्रणाली तथा प्रभाव रिपोर्टिंग पद्धति का सत्यापन भी शामिल होगा।

DIRECTORS' REPORT

“Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2026 (FY 2026)”.

Business Performance & Key Financials

(₹ in crore)

Particulars		FY 2025	FY 2026
Global Deposits		14,72,035	16,48,487
of which - International Deposits		2,29,866	2,47,197
Domestic Deposits		12,42,169	14,01,290
of which	Current Account Deposits	87,778	99,105
	Savings Bank Deposits	4,08,684	4,45,929
Domestic CASA Deposits		4,96,462	5,45,034
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)		39.97	38.90
Net Advances		12,09,558	14,09,094
Global Gross Advances		12,30,461	14,29,879
of which	International Advances	2,09,349	2,60,421
	Domestic Advance	10,21,112	11,69,458
Total Business (Global Deposit + Global Gross Advance)		27,02,496	30,78,366
Total Assets		17,81,247	20,09,164
Net Interest Income (NII)		46,518	47,682
Other Income		15,788	15,757
of which Trading Gains		2,266	3,891
Operating Income (NII + Other Income)		62,306	63,439
Operating Expenses		29,871	31,180
Operating Profit		32,435	32,259
Provisions (Other than Tax)		5,980	7,149
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off		5,170	5,694
Profit Before Tax		26,454	25,110
Provision for Tax		6,873	5,089
Net Profit		19,581	20,021
Appropriations/Transfers			
Statutory Reserve		4,895	5,005
Capital Reserve		451	1,123
Revenue and Other Reserves			
I) General Reserve		8,415	6,663
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961		1,447	1,826
III) Investment Reserve Account		-	-
IV) Investment Fluctuation Reserve		-	920
V) Statutory Reserve (Foreign)		55	88
Proposed Dividend		4,318	4,396

Total deposits of the Bank increased to ₹ 16,48,487 crore in FY 2026 from ₹14,72,035 crore in FY 2025, there by registered a growth of 12.0% on a YoY basis. The domestic CASA deposits of the Bank grew by 9.8% on a YoY basis, to reach to the level of ₹ 5,45,034 crore in FY 2026. The Domestic Deposit grew by 12.8% on a YoY basis and reached to ₹ 14,01,290 crore in FY 2026. The Global Gross advance of the Bank reached to the level of ₹ 14,29,879 crore in FY 2026 as compared with ₹12,30,461 crore in FY 2025 by registering a growth of 16.2% on a YoY basis. The Total Business of the Bank grew to ₹ 30,78,366 crore in FY 2026 crore from ₹27,02,496 crore in FY 2025, registered a growth of 13.9% on YoY basis.

Net Interest Income of the Bank increased to ₹ 47,682 crore in FY 2026 from ₹ 46,518 crore in FY 2025 and grew by 2.5% on a YoY basis. Other Income of the Bank stood at ₹ 15,757 crore in FY 2026 which was at ₹ 15,788 crore in FY 2025. Operating expenses of the Bank stood at ₹ 31,180 crore in FY 2026 as compared with ₹29,871 crore in FY 2025. Operating Income of the Bank increased to ₹ 63,439 crore in FY 2026 from ₹62,306 crore in FY 2025 and grew by 1.8% on a YoY basis.

The Operating profit of the Bank stood at ₹ 32,259 crore in FY 2026 as compared with ₹32,435 crore in FY 2025. The Bank reported a Net Profit of ₹ 20,021 crore in FY 2026 as against ₹19,581 crore in FY 2025 and grew by 2.2% on a YoY basis.

Key Performance indicators

Particulars	FY 2025	FY 2026
Net Interest Margin – Global (%)	3.08	2.89
Cost-Income Ratio (%)	47.94	49.15
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.16	1.06
Return on Equity (%)	16.96	15.38
Book Value per Share (₹)	223.26	251.73
Basic EPS (₹)	37.86	38.72

Net Interest Margin (NIM) stood at 2.89% in FY 2026 as against 3.08% in FY 2025. Cost to income ratio stood at 49.15% in FY 2026 as against 47.94% in FY 2025. Return on Avg. Assets stood at 1.06% in FY 2026 as against 1.16% in FY 2025. Return on Equity stood at 15.38% in FY 2026 as against 16.96% in FY 2025. Book value per share increased to ₹251.73 in FY 2026 from ₹223.26 in FY 2025. Earnings Per share increased to ₹38.72 in FY 2026 from ₹37.86 in FY 2025.

Average Cost & Yield of funds and Average Interest earning Assets

Particulars	FY 2025	FY 2026
Average Cost of Funds (%)	5.27	5.00
Average Yield on Funds (%)	8.10	7.69
Average Interest Earning Assets (₹ in crore)	15,10,144	16,51,998
Average Interest-Bearing Liabilities (₹ in crore)	14,38,612	15,85,131

The average cost of fund and yield of fund stood at 5.00% and 7.69% in FY 2026. Average Interest Earning Asset increased to ₹16,51,998 crore in FY 2026 from ₹15,10,144 crore in FY 2025. The Average Interest Bearing Liabilities also increased to ₹15,85,131 crore in FY 2026 from ₹14,38,612 crore in FY 2025.

Capital Adequacy Ratio

(Ratios in %)

Particulars	FY 2025	FY 2026
Capital Adequacy Ratio Basel III	17.19	15.82
CET - 1	13.78	13.16
Tier I	14.79	13.64
Tier II	2.40	2.18

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank stood at 15.82% as of March 31, 2026 as compared with 17.19% as of March 31, 2025. CET-1 ratio stood at 13.16% in FY 2026 as against 13.78% in FY 2025. The consolidated capital adequacy ratio of the Bank was 16.25 % as of March 31, 2026 against 17.60% as of March 31, 2025.

Net worth

The Bank's net worth for FY 2026 increased to ₹1,30,177.24 crore from ₹1,15,457.35 crore for the FY 2025. The net worth comprising of paid-up equity capital of ₹1,035.53 crore and reserves of ₹1,29,141.71 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets).

Book value per share (Face Value ₹2) increased to ₹251.73 in FY 2026 from ₹223.26 in FY 2025.

Provisions towards Retirement and other benefits

During FY 2026, the Bank made provision towards contribution to pension (₹2,498.57 crore), and reversed provision towards gratuity (₹157.78 crore), leave encashment, additional retirement benefits and other benefits (₹109.62 crore). Total provisions under these categories amounted to ₹2,231.17 crore during FY 2026.

Dividend Distribution

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹8.50 per share for the financial year ended March 31, 2026. The total outgo in the form of dividend will be ₹4,395.66 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

Global growth remained steady in 2025, supported by AI driven investment boom, easing trade uncertainty and accommodative fiscal and monetary policies in several economies. Global GDP growth was recorded at 3.4% in 2025, unchanged from the previous year remained steady with economies that contribute over 60% to the world GDP witnessing election. Growth outcomes diverged across economies with Advanced Economies (AEs) witnessing some acceleration in GDP growth to 1.9% in 2025, compared with 1.8% in 2024. On the other hand, growth in Emerging

Market and Developing Economies (EMDEs) decelerated marginally to 4.4% in 2025 from 4.5% in 2024.

Within the advanced economies, GDP growth in the US moderated to 2.1% in 2025 from 2.8% in 2024. This was largely attributed to the longest government shutdown led to a severe slowdown in government expenditure. AI driven spending provided some support to growth in Q4, but this was offset by higher imports. In the Euro Area, growth continued to improve. GDP growth in 2025 was recorded at 1.4%, an increase of 50bps over 2024. This was led by a sharp improvement in Germany. In 2025, Germany recorded a GDP growth of 0.2%, reversing a decline of -0.5% in 2024, supported by an increase in fiscal expenditure by the government. On the other hand, growth in France eased to 0.9% in 2025 from 1.1% in 2024. Amongst other major economies, GDP growth in both Japan and United Kingdom (UK) improved. For Japan, GDP growth reversed a decline of -0.2% in 2024 and posted a growth rate of 1.2% in 2025. For the UK, GDP growth in 2025 improved to 1.3% in 2025, compared with 1.1% in 2024. Amongst EMDEs, China recorded stable growth of 5% in 2025. Support to growth was provided by government's stimulus and an improvement in exports.

Global inflation eased to 4.1% in 2025 from 5.8% in 2024, led by a sharp decline in oil prices. Within country groups, the moderation in AEs was much lower to 2.5% in 2025 compared with 2.6% in 2024. On the other hand, EMDEs recorded a much sharper pace of moderation to 5.2% in 2025 from 8% last year. Further, while oil prices declined by -14.4% in 2025, non-fuel prices increased by 9.6% in the same period.

Global trade volumes picked up pace in 2025 and expanded by 5.1%, after increasing by 3.7% in 2024. The improvement was led by exports of technology related products such as semi-conductors and other equipment. Other exports witnessed muted growth. At the same time, global supply chains and trade relations was also noticeable. While China's exports to the US dropped sharply, this was offset by an increase in exports to Europe and other Asian countries.

As per the IMF's assessment, global economy witnessed a steady expansion in the pace of economic activity in Q4 2026. However, the geo-political conflict in the Middle East is expected to once again derail the recovery. The direct impact of the crisis is expected to be felt across all global economies due to higher commodity prices. Indirect impact of the crisis will arise from second order impact of higher inflation expectations as well as volatility in global financial markets. In saying so, the impact is unlikely to be uniform, with EMDEs being much more vulnerable due to high dependence on imports along with rapidly depreciating currencies. The actual impact will depend on the duration and intensity of the conflict which remains unknown. Hence, the IMF has mapped out three scenarios for global growth and inflation-reference, adverse and severe.

Under the reference scenario, which assumes that the current conflict is short-lived, global GDP growth is expected to moderate to 3.1% in 2026 from 3.4% in 2025. Support

to growth will emanate from relaxation in trade uncertainty, lingering effect of existing policy support and stronger than expected growth outcomes by the end of 2025. Global inflation is also expected to inch up marginally to 4.4% in 2026 from 4.1% in 2025 led largely by an increase in energy and food prices.

Growth in AEs is expected to slow down marginally to 1.8% in 2026 (from 1.9% in 2025). Within this, GDP growth in the US is expected to improve to 2.3% led by continued fiscal support and lagged effect of policy rate cuts. On the other hand, growth in the Euro Area is projected to slow down to 1.1% largely due to higher energy prices which will weigh on the manufacturing sector. The moderation in growth is more pronounced in Japan and UK, with GDP growth expected at 0.7% and 0.8% respectively, lower by 50bps relative to 2025. For EMDEs, GDP growth is estimated to be lower at 3.9% in 2026 (4.4% in 2025). Growth rate for China has been pegged lower at 4.4% in 2026, due to the impact of housing sector crisis, declining labour force and lower growth in productivity. Global inflation is expected to increase to 4.4% in 2026, with inflation in both AEs and EMDEs rising by 30bps to 2.8% and 5.5% respectively. Oil prices are assumed to increase by 21.4% in 2026, while non-fuel prices are also expected to increase by 21.7%. At the same time, global trade volumes are also expected to be impacted negatively and slowdown to 2.8% in 2026, after increasing by 5.1% in 2025.

Global growth is expected to fall much sharply to 2.5% in 2026 from 3.4% in 2025 under the adverse scenario. This scenario assumes a more noticeable increase in oil prices and inflation expectations, while volatility in global financial market conditions is also expected to be much more significant. The impact on inflation is also expected to be much more pronounced, with global inflation expected to inch up to 5.4% in 2026. Under the severe scenario, the effect of the conflict is assumed to be substantial and long-lasting. Oil prices are expected to inch up much more sharply, leading to a sharp jump in inflation expectations. Financial conditions across countries are also expected to tighten considerably. As a result, the impact on global GDP and inflation is expected to be more noticeable. Global GDP growth is expected at 2.1% in 2026, while global inflation is estimated to increase to 5.8% in the same period. In both these scenarios, the impact on EMDEs is expected to be greater than AEs.

Indian Economy

After a long wait, India released the rebased gross domestic product (GDP) series to the new base year of 2022-23 replacing the earlier 2011-12 series. As per the Second Advance Estimates based on the new series, GDP growth in FY26 is expected at a solid pace of 7.6% compared with a growth of 7.1% in FY 2025 (at constant prices). In terms of expenditure, private final consumption expenditure growth is expected to have shown significant traction and increased by 7.7% in FY26 from 5.8% in FY 2025. Investment growth is also likely to remain healthy at 7.1% in FY26 compared with 6.4% in FY 2025. At the same time, government final consumption expenditure is expected to show a steady growth of 6.6% in FY26 (6.5% in FY 2025).

Growth in gross value added (GVA) has been pegged at 7.7% in FY 2026, surpassing a growth of 7.3% in FY 2025. Within this, industry growth is expected to report a strong growth of 8.9% in FY 2026, led largely by manufacturing sector. In fact, manufacturing sector is expected to record a stellar growth of 11.5% in FY 2026, after increasing by 9.3% in FY 2025. On the other hand, mining and electricity output is estimated to grow at a slower pace. Services sector too is expected to perform better than last year with the growth rate pegged at 10.1% in FY 2026 versus 6.6% in the same period last year. Trade, hotels and transport etc. is expected to drive growth in the services sector. Growth in agricultural output is expected to moderate to 2.4% in FY 2026, after registering a growth of 4.2% in FY 2025.

Inflationary pressures eased significantly in FY 2026, led largely by a decline in food inflation. Notably, a new and rebased inflation series was also released this year. The base of the CPI series was changed to 2024=100 from 2011=100 earlier. Headline CPI has averaged 2.1% in FY 2026, lower compared with 4.6% in FY 2025. In fact, headline inflation remained below RBI's lower target range in all of the months in FY 2026 due to significant moderation in food inflation. In fact, food category witnessed a deflation rate of 1.7% between Apr'25 to Dec'25 (old series). However, under the new series, food inflation showed some upward traction, averaging 3.2% in Jan'26-Mar'26 (new series). However, this was lower than 7.3% in FY25. The moderation in food inflation was broad-based, with prices of vegetables and pulses experiencing the sharpest correction. Core inflation continued to remain sticky above the 4% mark in FY 2026.

India's fiscal deficit for FY 2026 (Apr'25-Feb'26) stood at ₹12.5 lakh crore which is around 80.4% of the revised annual target for the year. For FY 2026, the fiscal deficit target (as a % of GDP) has been set at 4.4% (at ₹15.6 lakh crore). In FYTD26 so far, centre's net tax revenues have risen by 8.7%, non-tax revenues have expanded by 17.8%. For FY 2027, the government has targeted a fiscal deficit of 4.3%.

In terms of India's external position, merchandise exports registered a growth of 0.9% in FY 2026, after increasing by 0.1% in FY 2025. Import growth at 7.6% in FY 2026, is marginally higher than last year (6.9% in FY 2025). As a result, India's merchandise trade deficit expanded to US\$ 333bn in FY 2026, compared with US\$ 283bn in FY 2025. Services exports increased by 7.5% in FY 2026, weaker than a growth of 14.1% in FY 2025. However, led by a sharp moderation in services imports, surplus on account of services has improved to US\$ 214bn in FY 2026 compared with US\$ 189bn in FY 2025. India's current account deficit remained contained at 1% of GDP in Apr'25-Dec'25, lower compared with 1.3% of GDP in the same period last year. India's forex reserves saw a net accretion of US\$ 22.7bn in FY26, compared with net accretion of US\$ 19.8bn in FY 2025. In FY26, INR depreciated by 9.9%, after depreciating by 2.4% in FY 2025, largely due to geo-political tensions in the Middle East and FPI outflows. FPI outflows in FY26 stood at US\$ 16.6bn, compared with inflows of US\$ 2.7bn in FY25.

In terms of monetary policy, RBI reduced its policy repo rate cumulatively by 100bps in FY26. This followed a reduction of

25bps in FY25. In Dec'25, RBI reduced repo rate by 25bps to 6.25% and subsequently kept it steady in Feb'26. The stance of the monetary policy was changed from neutral to accommodative in Apr'25, which was later reversed in Jun'25. Hence, the stance of the monetary policy was retained as neutral since Jun'25.

Developments in Indian Banking

India's banking system remained on a strong footing in FY 26. This was underpinned by a robust growth in profitability, continued improvement in asset quality, adequate capital buffers and strong growth in credit. The gross non-performing asset (GNPA) ratio of scheduled commercial banks (SCBs) moderated to multi-decadal low of 2.2% in Sep'25 from 2.3% in Mar'25. Similarly, the net non-performing asset (NNPA) ratio of SCBs also remained significantly low at 0.5% as of Sep'25. The capital to risk weighted asset (CRAR) ratio of SCBs at 17.2% as of Sep'25, is well above regulatory minimum. In fact, RBI's stress tests results show that the Indian banking system is adequately equipped to withstand losses under adverse scenarios and maintain capital buffers well above the regulatory minimum.

In terms of business growth, credit growth of SCBs improved to 16.1% in FY 26, compared with 11% in FY 2025 (21 Mar 2025). In the same period, deposit growth of SCBs also improved to 13.5% compared with 10.3% in FY 2025. Sector wise, there has been broad-based improvement across all categories. Credit to industry had shown significant traction in FY 2026, led by strong double-digit growth in micro and small and medium industries. Services sector too witnessed buoyant credit growth, led by NBFCs and hospitality sectors. Retail loans also registered upward momentum supported by growth in vehicle loans, other personal loans and gold loans.

RBI's policy repo rate stood at 5.25% at the end of Mar'26, with a cumulative reduction of 100bps in FY 2026. In terms of transmission, the weighted average lending rate (WALR) of SCBs on fresh rupee loans declined by 95bps in FY 2026, while the weighted average domestic term deposit rate (WADTDR) on fresh rupee deposits declined by 65bps in the same period.

To aid credit growth and ensure proper transmission of rate cuts, RBI maintained a healthy liquidity surplus in the Banking system in FY 2026. Average liquidity surplus registered during FY 2026 stood at Rs. 1.8 lakh crores compared with a marginal deficit in FY 2025. There were intermittent bouts of volatility in the year which were managed by RBI's liquidity management measures. These included OMO purchase auctions, USD/INR buy/sell swap auctions and long-term VRR auctions.

RBI also introduced several measures to strengthen the Banking system during the course of the year. These measures targeted enhancing the ease and use of digital payments, regulatory support for fintechs and easing regulatory compliance burden for SCBs and NBFCs. Most significantly, RBI issued draft guidelines for the Expected Credit Loss (ECL) Framework set to take effect from 1 April 2027, which would replace the incurred loss model used presently. Apart from this, the RBI also proposed changes to

banks' risk-weight norms to make the Banking system more risk sensitive, aligning closely to the Basel III standards. RBI also introduced a new capital market exposure for banks to fund mergers and acquisitions, set to take effect from 1 July 2026. RBI also introduced several trade relief measures to cushion against external headwinds. These measures were intended to provide support to exporters through moratoriums on both principal as well as interest payments, enhancement in repayment period for export finance amongst others.

EASE

The PSBs Reforms Agenda was launched as Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in January 2018. The initial set of EASE reforms, EASE 1.0, EASE 2.0, and EASE 3.0 supported capacity building in multiple areas of banking - such as the Introduction of digital-first reforms such as "Dial-a-Loan", "Credit @ Click", technology, analytics, asset quality improvement, outcome-centric HR, and overall governance.

EASE 4.0, EASE 5.0 & EASE 6.0 focused mainly on smart lending backed by analytics; 24x7 banking with resilient technology and cloud-based IT systems; data-enabled agriculture financing; collaborating with the financial ecosystem, enhanced digital and data driven banking, cloud adoption, digital marketing, excellence in customer service, analytics driven business improvement and enhancing HR Operations.

EASE 7.0 reforms agenda emphasized on enabling banks to drive national priorities, maintaining a strong customer service orientation, managing operational risks effectively and catalysing new age capability building.

EASERise 8.0 was launched on 17th March 2025, introduced forward looking reforms including new-age underwriting and data management capabilities with a focus on Driving Innovation for Business Process Re-Engineering & Customer Excellence. Reforms also focused on sustainability and empowerment of emerging customer segments.

EASERise 9.0 was launched on 20th February 2026 and takes EASERise 8.0 agenda to the next level with primary focus on building Globally Competitive PSBs for 'Viksit Bharat @ 2047'.

Guided by the principles of the EASE, we have embarked on a transformative journey – where technology meets trust, innovation fosters inclusion, and banking becomes simpler and smarter for every customer. Enhanced employee productivity, better asset quality, expansion of digital services, technology-enabled credit delivery and improved customer responsiveness became the hallmarks of the transformation.

Major Accomplishments under EASE 8.0 Reforms Agenda

- Enhanced service accessibility for Divyangjan and customers requiring special assistance – Identification of disability status and adopting inclusive physical infrastructure (Braille debit cards, ramps, wheelchair accessible branches), digital infrastructure talking ATMs, digital channels compliant with IS17802, Web Content Accessibility Guidelines
- Environmental sustainability by decarbonizing bank operations by reducing energy consumption intensity and expansion of green portfolio

- Customized banking services to Gig Workers, Women, Youth and Senior Citizens.
- Further scale service delivery in customer-preferred language – Multilingual customer service across digital and branch channels
- Accelerate Agri acquisition through Cluster-based sourcing strategy and enhancing digital capabilities
- Revamped set up for improving Customer Experience through a dedicated Customer Experience Centre of Excellence, adoption of global best practices, Initiation of remedial actions by capture of actionable and comprehensive customer feedback through CSAT & NPS scores.
- Evolution of Contact Centres to Customer Delight Hubs by integrating advanced AI capabilities with our core systems.
- Improved Lead Drop off management for all key business journeys across physical & digital channels resulting to effective TAT monitoring & improvement.
- Streamlining customer convenience by enabling Omni Channel Orchestration & Cross Platform Continuity of digital journeys across multiple channels through improved capabilities
- Gen AI Adoption & Agentic AI Adoption – Bank has rolled out Smart Invest AI to offer curated investment options to customers based on their risk appetite/ financial goals and Gen AI Use Cases
- Digitization and Automation of collections operations by Leveraging AI Enabled Voice Bots/ Chatbots
- Improved Threat Resilience through integration of advanced ROC capabilities and Digital Forensics Readiness to insulate the Bank against emerging cyber threats
- Integrated External Partner Ecosystem through digitization of Workflows for External Auditors, Valuers, Panel Advocates etc.
- Optimized capital management framework, capabilities in capital planning process and forward-looking approach at par with industry best practices for improve agility and resilience
- Cultivating Future Ready Workforce – Institutionalizing Emotional Wellbeing Assessment, Mentorship program, Counselling support, Employee happiness index metrics, Improved L&D program for safeguarding employee mental resilience coupled with improved agility.

The action points under each phase of EASE Programme envisaged deep-rooted transformation in approach and building new capabilities in PSBs. These advancements have not only modernized the Bank's operations but have also reaffirmed Bank's commitment to delivering seamless, round-the-clock banking with agility and reliability.

This transformation is not just technical – its cultural.

Operating Performance & Key Ratios

The highlights of operating performance of the Bank are as below:

Operating Performance

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025	FY 2026
Interest Earned	1,22,301	1,26,994
Interest Expended	75,783	79,311
Net Interest Income (NII)	46,518	47,682
Other Income	15,788	15,757
of which Trading Gains	2,266	3,891
Operating Income (NII + Other Income)	62,306	63,439
Operating Expenses	29,871	31,180
of which Employee Expenses	16,608	15,741
Other Operating Expenses	13,264	15,439
Operating Profit	32,435	32,259
Provisions (Other than Tax)	5,980	7,149
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off	5,170	5,694
Provision for Standard Advances	419	1,207
Provision for Depreciation on Investment	37	59
Other Provisions	353	190
Profit Before Tax	26,454	25,110
Provision for Tax	6,873	5,089
Net Profit	19,581	20,021

Net Interest Income of the Bank increased to ₹47,682 crore in FY 2026 from ₹46,518 crore in FY 2025 and grew by 2.5% on a YoY basis. The Interest Income increased to ₹1,26,994 crore in FY 2026 by registering a growth of 3.8% on a YoY basis. The Interest Expense stood at ₹79,311 crore in FY 2026 which was at ₹75,783 crore in FY 2025.

Other Income of the Bank stood at ₹15,757 crore in FY 2026 which was at ₹15,788 crore in FY 2025. Operating expenses of the Bank stood at ₹31,180 crore in FY 2026 as compared with ₹29,871 crore in FY 2025. Operating Income of the Bank increased to ₹63,439 crore in FY 2026 from ₹62,306 crore in FY 2025, registered a growth of 1.8% on a YoY basis.

Total provisions (other than tax) and contingencies was at ₹7,149 crore during FY 2026 against ₹5,980 crore during FY 2025. Out of which, Provisions for Non- Performing Assets (NPA) was at ₹5,694 crore in FY 2026 as against at ₹5,170 crore in FY 2025.

The Operating profit of the Bank stood at ₹32,259 crore in FY 2026 against ₹32,435 crore in FY 2025. The Bank reported a Net Profit of ₹20,021 crore in FY 2026 as against ₹19,581 crore in FY 2025 and grew by 2.2% on a YoY basis.

Key Ratios

Key Ratios	FY 2025	FY 2026
Cost of Deposits - Global (%)	5.10	4.87
Cost of Deposits - Domestic (%)	5.21	5.07
Cost of Deposits - International (%)	4.46	3.70
Yield on Advances - Global (%)	8.39	7.71
Yield on Advances - Domestic (%)	8.88	8.24
Yield on Advances - International (%)	6.13	5.34
Net Interest Margin - Global (%)	3.08	2.89
Net Interest Margin - Domestic (%)	3.25	3.04
Net Interest Margin - International (%)	1.94	1.74
Cost-Income Ratio (%)	47.94	49.15
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.16	1.06
Return on Equity (%)	16.96	15.38

Cost of deposit (global) decreased to 4.87% in FY 2026 as compared with 5.10% in FY 2025. The Yield on Advances (global) stood at 7.71% in FY 2026. Net Interest Margin (NIM) (global) stood at 2.89% and NIM (domestic) stood at 3.04% in FY 2026. Cost to income ratio stood at 49.15% in FY 2026. Return on Avg. Assets stood at 1.06% and Return on Equity stood at 15.38% in FY 2026.

Resource Mobilisation

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025	FY 2026	YoY%
Total Deposits	14,72,035	16,48,487	12.0
International Deposits	2,29,866	2,47,197	7.5
Total CASA	5,56,666	6,13,207	10.2
Total Current Account Deposits	1,43,729	1,62,664	13.2
Total Savings Bank Deposits	4,12,937	4,50,543	9.1
Global CASA %	37.82	37.20	(62)bps
Domestic Deposits	12,42,169	14,01,290	12.8
Domestic CASA Deposits	4,96,462	5,45,034	9.8
Dom. Current Account Deposits	87,778	99,105	12.9
Dom. Savings Bank Deposits	4,08,684	4,45,929	9.1
Domestic CASA % to Domestic Deposits	39.97	38.90	(107)bps

Global Deposits & Global CASA

Total deposits of the Bank increased to ₹16,48,487 crore in FY 2026 from ₹14,72,035 crore in FY 2025, there by registered a

growth of 12.0% on a YoY basis. Total international deposits of the Bank increased to ₹2,47,197 crore in FY 2026 from ₹2,29,866 crore in FY 2025, there by registered a growth of 7.5% on a YoY basis.

The global CASA of the Bank grew by 10.2% on a YoY basis, to reach to the level of ₹6,13,207 crore in FY 2026 from ₹5,56,666 crore in FY 2025. The total current deposit of the Bank increased to ₹1,62,664 crore in FY 2026 from ₹1,43,729 crore in FY 2025, marked a growth of 13.2 % on a YoY basis. The total Savings deposit of the Bank increased to ₹4,50,543 crore in FY 2026 from ₹4,12,937 crore in FY 2025, recorded a growth of 9.1% during the period. The global CASA % to global deposit stood at 37.20% in FY 2026 as compared with 37.82% in FY 2025.

Domestic Deposits and Domestic CASA

Domestic Deposit of the Bank increased to ₹14,01,290 crore as on 31.03.2026 from ₹12,42,169 crore as on 31.03.2025, registering a growth of 12.8% during the period.

Bank's domestic CASA deposits of the Bank increased to ₹5,45,034 crore in FY 2026, there by registered a growth of 9.8% on YoY basis. The Bank's domestic CASA Ratio stood at 38.90% in FY 2026. Domestic Current Account deposits registered a growth of 12.9% and reached to ₹99,105 crore, while domestic Savings Bank deposits registered a growth of 9.1% and reached to ₹4,45,929 crore in FY 2026.

Low-cost deposit mobilization initiatives

In FY 2026, the Bank achieved a milestone by opening 85.17 lakh new CASA accounts, with current account openings crossing 3 lakh, reaching a record 3.17 lakh current accounts. A key focus was driving paperless account openings through VCIP & TAB-based onboarding. The Bank has also introduced premium products for specific customer Segment —the Masterstroke Lite SB Account, bob Women Sapphire SB Account, bob Aspire NRE SB account —reinforcing its commitment to cutting-edge digital banking solutions.

Special emphasis was placed on increasing the penetration of key CASA enablers, which include POS systems, QR code with sound boxes, IP and BCMS. Additionally, efforts were made to activate dormant accounts, initiate DEAF activations, and funding of zero balance accounts.

On the digital front, the Bank has significantly increased client acquisition through various digital channels such as VCIP and TAB mode. During FY 2026, the Bank opened 83868 VCIP SB Accounts. Bank opened 3,17,021 Current Accounts in FY 2026; of which 71% (2,25,446) accounts opened through TAB mode. Furthermore, 48,80,585 Non-FI SB Account opened in FY 2026; of which 63% (30,97,469) accounts opened through TAB mode.

Bank has made significant growth under bob Earth Green Deposit which is well recognized among banking fraternity. The Bank introduced the bob Parivar Concept, "My Family, My Bank," which extends a range of benefits to family members. This initiative includes tiered offerings for Premium Customers, segmenting them based on their CASA balances into three categories: Rise, Shine, and Sparkle. These

customers receive personalized services through assigned personal Relationship Managers to build strong connect and improve the Banking services.

Bank executed more than 400 non-cutomised & customised MoUs with Government Departments & Institutions for acquiring new Salary accounts. Bank's integration with the Ministry of Corporate Affairs Portal for opening Current Accounts of newly formed companies has resulted in the opening of a total of 122 current accounts.

Credit Expansion

The Global Gross advance of the Bank increased to ₹14,29,879 crore in FY 2026 from ₹12,30,461 crore in FY 2025, thereby registered a robust growth of 16.2% on YoY basis. The Gross Domestic Advance increased to ₹11,69,458 crore in FY 2026 from ₹10,21,112 crore in FY 2025, there by marked a growth of 14.5% during the period. The international advance of the Bank increased to ₹2,60,421 crore in FY 2026, from ₹2,09,349 crore in FY 2025, there by registered a robust growth of 24.4% on a YoY basis.

The growth in major credit portfolios of the Bank is given below;

(₹ in crore)

Credit Portfolio of the Bank			
Segment	FY 2025	FY 2026	YoY (%)
Retail*	2,56,633	3,02,598	17.9
Agriculture	1,58,324	1,91,063	20.7
MSME*	1,38,190	1,59,786	15.6
Corporate	4,10,461	4,56,584	11.2
Others	57,504	59,427	3.3
Gross Domestic Advances	10,21,112	11,69,458	14.5
International Gross Advances	2,09,349	2,60,421	24.4
Global Gross Advances	12,30,461	14,29,879	16.2

*Ex-pool purchase (Organic)

The Retail Advance (organic) increased to ₹3,02,598 crore in FY 2026 from 2,56,633 in FY 2025, registered a growth of 17.9% on a YoY basis. Agriculture advances of the Bank increased to ₹1,91,063 crore and grew by 20.7%, MSME (organic) Advances rose to ₹1,59,786 crore and grew by 15.6%, on a YoY basis in FY 2026. The retail advance including pool purchase was at ₹3,20,116 crore and MSME including pool purchase was at ₹1,64,419 crore as on 31.03.2026.

Corporate Loan portfolio of the Bank increased to ₹4,56,584 crore in FY 2026 from ₹4,10,461 crore in FY 2025 and grew by 11.2% on YoY basis.

During FY 2026, the Bank has undertaken several initiatives to expand its credit portfolio across the industry. The Bank has also given focus on digital banking landscape along with its branch banking business to strengthen its advance portfolio thereby enhancing customer convenience and improving turnaround time in credit delivery. The Bank's

Digital Lending Platform continued to facilitate ease of doing business by offering seamless and customer-friendly digital loan journeys. During the year, the Bank introduced and strengthened various digital lending products including bob Insta Personal Loan (bob IPL), Digital Two-Wheeler Loan, Enhanced Earned Salary Advance Drawals Access Scheme and Digital PM Surya Ghar Yojana under the Retail Lending segment. Further, PM Vishwakarma was implemented on the digital banking platform for its ETB customers. In the Agriculture segment, the Bank launched digital products such as Digi Tractor Loan, Digital Gold Loan and Digital BKCC to further augment digital lending business during FY 2026.

The Bank also conducted various business campaigns through its Zonal and Regional Offices during the year, aligned with festive seasons and region-specific business opportunities, with the objective of enhancing its credit growth across different geographies of the country.

Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 34 specialized Corporate Financial Services (CFS) & Mid Corporate Branches (MCB) which manages approximately 95% of the total standard corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased to ₹4,56,584 crore in FY 2026 as compared with ₹4,10,461 Crore in FY 2025, there by recorded a growth rate of 11.2% on a YoY basis.

Credit Rating Distribution*	FY 2025	FY 2026
A and above	95%	96%
BBB	3%	3%
Below BBB	2%	1%

*External Rating Distribution of Domestic Advances above ₹50 crore

Total portfolio comprising of A & above in FY 2026 was 96% as against 95% in FY 2025.

Corporate Banking – Structure

During the year, bank has continued with its strategy to focus on Mid Corporate Advances, through -4- Mid Corporate Clusters located at strategic locations i.e. New Delhi (North), Chennai (South), Mumbai (West) and Kolkata (East) and Mid Corporate Branches tagged to them.

Target Market Approach

The Bank follows a target market approach which has the following features:

- Identification of industries / sectors for growth based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, government policies and investment outlay.
- Sector-wise business plan for target market lending, based on exposure caps, existing exposures and further appetite for fresh acquisitions.

- Detailed account planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.
- The Bank focuses on overall yield from the customer rather than interest income by offering ancillary services like supply chain finance, value chain finance, cash management system facility and other retail products.

MSME Credit

The MSME portfolio of the Bank (excluding TWO and pool purchase) increased to ₹1,59,786 crore in FY 2026 from ₹1,38,190 crore in FY 2025, registered a growth of 15.6% on a YoY basis. During the year, the Bank has taken the following initiatives to augment MSME business with improved asset quality:

1. Formation of 363 Specialized MSME Branches (SMB) with exclusive team. These focused branches have contributed 27% of the MSME book with YOY growth of 27.8% & SME Branches (20 nos) contributed 8.5% of the MSME book with YOY growth of 40.6%.
2. Digitalization of MSME loan processing journey through the state of art 'Tejas' Platform.
3. Enhanced focus on emerging product segments leading to over achievement of target.
 - TReDs have achieved a YOY growth of 104%.
 - Supply Chain Finance has achieved a YOY growth of 65.2%
 - BPP/LAP segment has achieved a YOY growth of 41.4%.
 - Core MSME segment has achieved a YOY growth of 12.1%.
4. The Bank has also achieved Targets (104%) under PMMY Scheme.
5. The improvement in the asset quality is further evidenced by the fact that the Gross NPAs have come down 237 bps to 5.14%, the Core MSME NPAs have come down 290 bps to 6.73% and SCF & TReDS virtually nil NPA (<0.2%) in FY 2026.

Retail Credit

The organic Retail Loans increased to ₹3,02,598 crore in FY 2026 from ₹2,56,633 crore in FY 2025 and grew by 17.9% over the previous year. Retail loan share (including Pool, staff, LABOD and others) in total domestic loan book increased to 30.6% in FY 2026 from 30.1% in FY 2025. The gold loan under the retail portfolio registered a growth of 98.0% on a YoY basis, reached to ₹14,010 crore in FY 2026. The Auto Loan segment marked a robust growth of 20.6% on a YoY basis, reached to ₹56,157 crore in FY 2026. In Other Retail Loans, PM Suryaghar grew to ₹1555 crore in FY 2026 from ₹288 crore in FY 2025, with a YoY growth of 439.9%. The Mortgage Loans marked a growth of 19.3%, Home Loan

segment registered a growth of 14.6%, Education Loans grew by 10.9% and Personal Loan grew by 8.7% on a YoY basis in FY 2026.

The Retail Asset of the Bank (excluding TWO, including pool purchase) increased to ₹3,20,116 crore in FY 2026 from ₹2,74,493 crore in FY 2025, registered a growth of 16.6% on a YoY basis.

The detail of the growth of Retail loan segment is given in the below table.

Retail portfolio (organic) of the Bank

(₹ in crore)

Retail Credit Portfolio of the Bank			
Segment	FY 2025	FY 2026	YoY (%)
Home Loans*	1,31,123	1,50,305	14.6
Auto Loans*	46,549	56,157	20.6
Mortgages Loan*	22,255	26,559	19.3
Education Loans	11,360	12,599	10.9
Personal Loans	36,122	39,262	8.7
Gold Loans	7,076	14,010	98.0
Others	2150	3,707	72.4
TOTAL RETAIL CREDIT	2,56,633	3,02,598	17.9

*Ex-pool purchase & Excl. TWO.

The key highlights of retail business in FY 2026 include:

Retail loan share in total domestic loan book increased to 30.6% in FY 2026 from 30.1% in FY 2025.

New 13,89,919 number of retail loan accounts have been sanctioned amounting to ₹1,18,650 crore during FY 2026. 2,500 Retail Thrust Branches have been identified for focused growth in retail segment. 119 RAPCs contributed 44.91% of total sanctions (₹53,286 crore) with a YoY growth of 12% in RACPC sanctions during FY 2026. The average TAT reduced to <5 days.

On digital front initiatives, end-to-end digital processes has been implemented in Personal Loan, Auto Loan, Education Loan, Pension Loan, Baroda Flexi loan over home securities, Retail Gold Loan, PM Surya Ghar Scheme and in two-wheeler loans. During the FY 2026, the Bank has digitally disbursed ₹5,543 crore in Personal Loans, ₹3,237 crore in Auto Loans, ₹397 crore in PMSGY, ₹2 crore in Top-Up Loans, ₹35 crore in Education Loans, ₹13 crore in Pension Loans, and ₹1,883 crore in Gold Loans through end-to-end digital journeys. This has enhanced customer experience by eliminating the need of Physical documentation and branches visit.

The Bank has helped students to realise their academic dreams by disbursing education loans of ₹2,875 crore in FY 2026. Disbursement Target under PM Vidyalaxmi Scheme by DFS was ₹100 crore and the Bank has achieved ₹121 crore. Fresh Disbursement Target under overall Education Loan Scheme by DFS was ₹1,300 crore and the Bank has achieved ₹1,511 crore.

The Bank has achieved several significant milestones in FY 2026. Under PM Suryaghar Yojana (a GOI flagship scheme), we successfully crossed more than 1 lakh sanctions within a single financial year, and our cumulative sanctions have surpassed the landmark figure of 1.25 lakh. In addition, the Bank has maintained its second position after SBI as on 31.03.2026, which reflects the collective commitment and efforts of all Zones, Regions and operating units.

In Home Loan segment, ₹38,613 crore loan was disbursed, and 1,04,718 number of new customers were added in FY 2026. In Education Loan 30,051 new customers added and in Personal Loan 3,57,706 new customers were added in FY 2026. New Home Loan Cash Flow based home loan journey introduced along with special takeover journey and statistical scorecard model.

In Auto Loan segment, ₹23,984 crore loan was disbursed, and 2,36,828 number of new customers were added in FY 2026. BOB Green Wheel Product was launched in September 2025 to promote green financing (Electric Passenger Car), under which disbursement of ₹770 Crore were achieved during the last 07 months of FY 2026. Digital Two-wheeler auto loan journey was launched in July 2025. DSA & DST assisted digital auto loan journey was enabled by enhancing the existing digital platform, which led to a significant increase in digital auto loan penetration to 16.3% in FY 2026 as compared to 3.33% penetration in FY 2025. The Digital penetration further improved to 31% in March 2026. A Statistical Score Card Model introduced in Baroda Auto Loan & Baroda Personal Loan in January 2026 to strengthen the underwriting process for ETC customers.

Vendor Management Module Launched in LLPS. Uploading of Deviation Note in LLPS portal at the time of sanction has been enabled in LLPS portal. Account Aggregator & Analyser (including GST Aggregator Integration): Enabled Account Aggregator and Analyzer functionality across all retail products. Additionally, GST Aggregator functionality has been made live to support enhanced financial assessment.

Rural and Agricultural Lending

Bank has a network of 8,648 domestic branches, of which 5,246 rural and semi urban branches are leveraged fully for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances increased to ₹1,91,063 crore as on 31st March 2026 from ₹1,58,324 crore as on 31st March 2025, marked a growth of 20.7% on a YoY basis. The Agriculture Advances of the Bank has a share of 16.3% of the gross domestic credit of the Bank.

Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 73 districts across the country.

Bank continues to be one of the leaders in lending to agriculture sector, which received an impetus with the Government's vision of "Atmanirbhar Bharat". The Bank has moved beyond granting simple farm-based credit to a more diversified

rural lending strategy to encourage capital generation to farmers and build a robust infrastructure in agriculture and Animal Husbandry. The Bank has also focused more on newly introduced products such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme (AHIDF), PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME), National Livestock Mission (NLM), Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Scheme (PM Kusum), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme (PMMSY) and Compressed Biogas products.

Bank continues to focus on its flagship products like KCC, Financing to Self Help Groups (SHGs), Agri Gold Loans, Farm mechanisation (Tractor loans), Horticulture loans, Financing to Farmer Producer Organization / Farmer producer company (FPO/FPC), Hi-tech Agriculture and Food and agro processing. During the year, the Bank has issued 2.40 lakh new Kisan Credit Card (KCC) of which 0.90 lakh are Animal Husbandry and Dairy (AHD) KCC issued to farmers engaged in animal husbandry and fisheries activities. We have grown by more than 5.3% in Kisan Credit cards. As part of microfinance initiatives, Bank has credit linked 34,892 SHGs by granting loans amounting to ₹1,973 crore during FY26. Our Gross NPA in agriculture is also reduced to 4.54% in FY 2026 from 4.80% in FY 2025.

Bank is pursuing tie ups with various private partners to enhance credit linkage of SHGs. Bank has also introduced TAB banking facility, to improve Turnaround Time and to enable hassle free instant Savings Bank Account opening for SHGs. In Tractor loans, rate of interest has been linked with LTV of Tractor for the convenience of farmers. On digital front, BKCC (up to ₹7 Lakhs) and gold loan journeys are live on a pan India basis. Digital journey for Tractor loan is now live for five zones i.e. Lucknow, Varanasi, Bareilly, Jaipur and Bhopal Zones on pilot basis.

We have been identified as Nodal Bank for Agriculture Infrastructure Fund Phase 2 implementation in India. We have sanctioned ₹1491 crore during FY 2026 under AIF and surpassed the targets allotted by the Gol. Establishment of national level sales & marketing structure for agri business by recruitment of 200 Agriculture Sales/Marketing Officers is under process. In FY 2026, we have Introduced new product "BOB GREEN KRISHI" to promote organic farming on the lines of Kisan Credit Card. We have also revamped product "bob AGROFOOD" for financing Food & Agro Processing units under Agriculture segment. Under PM KUSUM scheme, we have launched all India scheme for Feeder Level Solarization in "Component C" for Farmers in line with MNRE Guidelines.

During the financial year, the Bank's Centre for Agriculture Marketing and Processing (CAMP), a dedicated centralized centres for processing of agriculture loans with a special focus on non-traditional and high value Agri advances at its various zonal level (Z CAMPS-27) and regional level (R CAMPS -17) has sanctioned loans amounting of ₹ 5,734 crore.

"BARODA KISAN PAKHWADA" is Our Bank's annual farmer outreach programme which is observed every year. During "BARODA KISAN PAKHWADA", Branches of our Bank

organize various functions/ events of farmers/SHG/ health check-ups of live stocks /Soil Testing and other activities/ meetings to reach out to maximum number of farmers. During FY 2026, the Bank celebrated 8th edition of "Baroda Kisan Pakhwada" (03.11.2025 to 15.11.2025) a Nationwide flagship rural outreach initiative. We have engaged with over 3.65 lakh farmers across India and cumulatively sanctioned agri loans of approx ₹5,636 crore. This year's theme, "Towards Atmanirbharta", focused on expanding financial inclusion and strengthening support for India's farming community.

Priority Sector Lending

Average Priority sector advances of the Bank increased to ₹3,90,571 crore during FY 2026 from ₹3,47,466 crore as of FY 2025 and registered YoY growth of 12.41%.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to Scheduled Caste & Scheduled Tribe (SC/ST) communities went up to ₹29,908 crore as of 31st March 2026. The SC/ST communities accounted for 18.85% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Further, special thrust is given by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India.

Gold Loan

Bank's gold loan portfolio (excluding TWO) increased to ₹97,745 crores, as on 31st March 2026, from ₹63,959 crores, on 31st March 2025, registering a growth of 52.8%. Within gold loan portfolio, Agriculture gold loans grew by 46.6%, reaching ₹83,225 crore in FY 2026 from ₹56,783 crore in FY 2025. Retail gold loan increased to ₹14,010 crores in FY 2026 from ₹7,076 crore in FY 2025, registering a growth of 98%. During the year, the Bank has added 142 new gold loan disbursing branches, taking the total number of Gold Loan designated branches to 6,271 in FY 2026 from 6,129 branches in FY 2025. The increase in spread of Gold loan designated branches across the country with share of geographies other than southern parts stands at 31.28% in FY 2026 as compared to 30.10% in FY 2025. Average ticket size of a gold loan increased to ₹2.93 lakhs in FY 2026 from ₹2.09 lakhs FY 2025. Average amount of gold loan per branch increased to ₹15.57 crore in FY 2026 from ₹10.44 crore in FY 2025. Credit quality of the Gold Loan portfolio remained healthy, with a GNPA ratio of 0.12% as on 31st March 2026.

Financial Inclusion (FI)

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and an opportunity to tap business through Business Correspondent (BC) model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. With the advent of technology, innovative steps are being taken for serving the unbanked areas.

Bank expanded its BC network to 50,660 as on March 31, 2026, to cater to rural, semi urban, urban & metro areas across the country.

Bank took the following additional initiatives at BC Point towards promoting financial inclusion:

- Re-KYC through BC Points (First in the Industry)
- Inoperative Account Activation at BC Points (First in the Industry)
- CKYCR Integration at BC Points (First in the Industry)

Performance highlights under financial inclusion during FY 2026:

- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased to 663.29 lakhs in FY 2026 from 643.36 lakhs in FY 2025 with YoY growth of 3.10%.
- Target of PMJDY accounts for FY 2026 has been achieved. The target for PMJDY Account was 15.65 lakhs, of which we have achieved 19.93 lakh accounts i.e. 127%.
- PMJDY SB deposit increased to ₹42,585 crore in FY 2026 from ₹36,355 crore in FY 2025 with YoY growth of 17.14%.
- The Bank's share among PSBs stood at 14.80% in PMJDY accounts and 17.45% for deposit in PMJDY accounts, i.e. first amongst PSBs.
- As on 31st March 2026, Micro Insurance Enrolment (Live) policies under PMJJBY scheme are 85.24 lakhs and under PMSBY scheme is 295.33 lakhs.
- We have enrolled 29.70 lakh Fresh PMJJBY policies i.e., an achievement of 101.85% against proportionate target of 29.16 lakh policies and 58.18 lakh Fresh PMSBY policies i.e., an achievement of 120% against proportionate target of 48.48 lakh policies in FY 2026.
- Under Rupay Card Issuance, we stand at 1st position amongst PSBs.

Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda

Earlier, the Bank was sponsoring three Regional Rural Banks (RRBs), namely:

1. Baroda U.P. Bank in the state of Uttar Pradesh
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank in the state of Rajasthan
3. Baroda Gujarat Gramin Bank in the state of Gujarat

Amalgamation of RRBs was initiated with the issuance of Gazette Notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 07th April 2025, with the objective of reducing the number of RRBs to 28 under the "One State-One RRB" concept. the Bank continues to sponsor RRBs in two states, namely Uttar Pradesh and Gujarat. The amalgamation has come into effect from 01.05.2025.

RRBs Sponsored by the Bank (Post-Amalgamation):

- a) Uttar Pradesh Gramin Bank (UPGB) – formed through

amalgamation of:

- Baroda U.P. Bank
 - Prathama U.P. Gramin Bank
 - Aryavart Bank
- b) Gujarat Gramin Bank (GGB) – formed through amalgamation of:
 - Baroda Gujarat Gramin Bank
 - Saurashtra Gramin Bank

The aggregate total business of these RRBs increased to ₹2,78,228 crore in FY 2026 from ₹2,59,764 crore in FY 2025, registering a year-on-year growth of 7.1%. Further, these RRBs have collectively recorded a net profit of ₹1,242 crore during FY 2026, reflecting improved operational efficiency and benefits derived from the amalgamation process.

Awards received by our sponsored RRBs during FY 2026:

Our two sponsored RRBs have received numerous appreciations and prestigious awards for their efforts in technology upgradation as well as outstanding performance in various government schemes from various bodies like PFRDA, IBA, NRLM during the financial year 2026 as under:

- a) Uttar Pradesh Gramin Bank (UPGB) was awarded the "Best Performing Bank in SHG Linkage" by Shivraj Singh Chouhan and received accolades from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for "AIF Geo Tagging" and "AIF Best Performance." It was also recognized by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for "Best Performance in PMEGP" and by the Ministry of Food Processing Industries under the PMFME scheme. In technology, the Bank secured 5 awards at the IBA Annual Banking Technology Conference, Expo & Citations and won Gold Awards at the IBEX India BFSI Tech Awards 2026. Additionally, it received 24 National Awards from the Pension Fund Regulatory and Development Authority for its outstanding performance in Atal Pension Yojana (FY 2026).
- b) Gujarat Gramin Bank (GGB) has achieved significant recognition for its performance and innovation, winning awards for Best IT Risk Management and Best Digital Sales, along with a special mention in Fintech & DPI Adoption at the IBA Annual Banking Technology Awards 2025–26. The Bank was also honoured with the National Award for Best Performing RRB (Western Region) in SHG Bank Linkage, presented by Shivraj Singh Chouhan, and further secured 8 national awards from the Pension Fund Regulatory and Development Authority for its outstanding performance under the Atal Pension Yojana (APY) during FY 2025–26.

Stressed Asset Management

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and thus ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages.

Bank is strategizing to touch each and every NPA account in a scientific manner. Bank has a special skill-set under an Apex Vertical 'Stressed Assets Management Vertical', at Corporate Office. Under the vertical there are -5- Stressed Assets Management Branches (SAM) with special skill set to cater all accounts under National Company Law Tribunal (NCLT), -12- Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at Zonal level to handle NPA accounts other than NCLT with outstanding balance above ₹5 crore. These Branches are under direct supervision of Corporate Office to reduce TAT. Further -69- Regional Stressed Assets Recovery Branches (ROSARB Branch) at Region level are also established to handle NPA accounts with outstanding balance above ₹20 lacs to ₹5 crore.

Under Govt of India Digital Initiative, Bank has taken several steps for end-to-end digitalization of the entire recovery and monitoring procedure without paper movement and on a real time basis. In this connection bank has taken following initiatives:

1. QLIK: It picks several data points from FINACLE on real time basis without manual intervention and calculates Days Past Due (DPD) Report, NPA Movement Chart and Mock Runs – for forecasting daily degradations.
2. ILMs: Mobile app and Desktop based portal which is an online repository of entire NPA A/Cs irrespective of amount. It provides online 360-degree live monitoring of accounts without any manual intervention, like SARFAESI status, DRT/NCLT status, Provisioning, Daily Recovery, lawyers performance analysis and online submission/ sanction of OTS proposals to reduce the TAT.
3. Bank is member of BAANKNET (Bank Assets Auction Network) portal of PSB alliance Pvt Ltd. which is being used for auction of properties under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI).
4. E-OTS: A Non-discretionary and Non-discriminatory Digital E-OTS scheme has been introduced under EASE 7.0, which reinforces our Bank's leadership in meeting government priorities. Digital processing enables cost and time savings, with payments made via QR code and no need for branch visits. Borrowers can download the sanctioned letter and No Dues Certificate online.

Bank also adopted the following strategies for recoveries and reduce slippages.

1. To have a proper monitoring of the portfolio of Agriculture, MSME and Retail Loans we have taken a cluster / area approach with dedicated recovery officers.
2. Proper allocation of small NPA/SMA accounts to Recovery Agents / Feet on Street is done by Portfolio Managers at ZO/RO level to have a monitoring.
3. Introducing the Pre Lok-Adalat meetings for maximum participation of borrower during the Lok Adalats and resolved the long pending cases under the DRT Lok-Adalats /National Lok-Adalats.

4. Bank has initiated the SARFAESI action in all eligible NPA accounts and continue the action till conclusion / disposal of asset & recovery in the account. We are also listing/ publishing the auction property details on Bank's website, Newspaper, Radio, social media web portals and as well as leading property broking web sites.
5. To address the large number of small NPA accounts, Bank has introduced special One-Time Settlement (OTS) scheme "Rin Samadhan Yojana" for settlement of NPA (DBII/DBIII/Loss) /TWO/ PWO accounts having outstanding balance up to ₹5.00 Crore under MSME, ₹ 1.00 Crore under Retail and ₹ 0.50 Crore under Agriculture category.
6. Bank believes in Nation Building by extending hands to stressed entrepreneurs through restructuring as per RBI guidelines. Also to have better and targeted monitoring mechanism & reduction in SMA – I & SMA – II accounts of large corporate are being monitored by Stressed Asset Management Vertical in coordination with Credit Monitoring Vertical to find out the resolution and exploring all prospects of recovery and up gradation.

The movement of NPAs during the last two years is as under:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025	FY 2026
Gross NPA	27,835	27,059
Gross NPA (%)	2.26%	1.89%
Net NPA	6,994	6,316
Net NPA (%)	0.58%	0.45%
Additions to NPAs	9,310	10,299
Recovery/ Upgradations	4,320	4,481
Write offs including TWOs/PWOs	8,980	6,330
Recoveries in write off accounts	6,373	4,392
Provision Coverage Ratio (including TWO) (%)	93.29%	93.94%
Provision Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	74.87%	76.66%

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

(₹ in crore)

Asset Category	FY 2025	FY 2026
Standard Advances	12,02,626	14,02,820
Gross NPA	27,835	27,059
Total Gross Advances	12,30,461	14,29,879
Gross NPAs comprising		
Sub-standard	6,806	7,487
Doubtful	12,119	12,057
Loss	8,910	7,515
Total Gross NPA	27,835	27,059

International Banking

The Bank has -80- overseas branches/offices across -15- countries comprising of -35- overseas branches/offices (including -1- International Banking Unit in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, India and -9- EBSUs in UAE), -45- branches of the Bank's -7- overseas subsidiaries. In addition, -1- associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with -43- branches.

The Bank has presence in the world's major financial centers of New York, London, Dubai, Singapore and Australia. In addition, Bank has a branch in GIFT City (SEZ), Gujarat, India which is treated as an offshore banking unit and has been chosen as a center for business growth taking into consideration the immense business potential, tax advantage, Government initiatives etc. Bank has taken various proactive steps in creating world class infrastructure for the branch in IFSC including state of the art dealing room for International treasury of global standard.

Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin.

Looking into the available business opportunities, Bank has also diversified the advances portfolio by taking exposure on Non-India related syndication loans in the primary and secondary market. Also, various new products have been launched to broaden the product basket on the asset side

Further, in overseas centers, substantial progress has been made in IT up gradation for end-to-end business solution, with a focus on digitization and centralization, to improve productivity and customer experience. Bank is continuously integrating multiple platforms of technology to generate synergies. During the year, Bank has taken various steps to automate the Risk & Compliance monitoring.

Bank has strategically undertaken rationalization of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. Now, the Bank is re-strategising its International Operations in line with the new global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

In FY 2026, the Bank's total business (Net) from international branches was ₹5,05,017 crores and constituted 16.5% of the global business. Total deposits were at ₹2,47,197 crores while net advances were ₹2,57,821 crores.

Foreign Exchange Business

With an objective to implement high standards of compliance in line with extant regulatory guidelines with improved operational efficiency, service delivery and quality, our Bank has set up Trade Finance Back Office at GIFT City, Gandhinagar (India's 1st smart city) along with BCP set up at Bengaluru to cater trade finance services of its pan India customers. The centralized unit processes over 1.1 million transactions annually for our trade finance customers. The significant developments aimed at enhancing the overall

foreign exchange business in the financial year 2026 are as follows:

- Bank has automated cross border Inward Remittances (IR) below USD10,000 for certain purposes. During FY 2026 we have successfully handled 76,763 transactions through Straight through processing as compared to 64,885 transactions in FY 2025. This accounts for 21.35% of total IR transactions processed during the FY 2026 and reflects a significant improvement in turnaround time (TAT).
- To expedite the credit of inward remittances to customer accounts, Bank has introduced the IR Disposal Instruction functionality through the BarodaINSTA SMART TRADE Portal during FY 2026. With this facility, inward remittance messages (other than STP inward messages) received in the Bank's system are made available to customers on the Smart Trade portal. Customers can conveniently submit their disposal instructions online from their office or home eliminating the need to visit the branch. This initiative not only saves time but also improves turnaround time (TAT) for crediting inward remittances. So far, Bank has successfully processed over 1,400 inward remittance transactions using the IR disposal facility through SMART Trade portal.
- Bank has launched Liberalized Remittance Scheme (LRS) facility through BOB-World and Internet Banking enabling individual customers to initiate transactions under LRS for specific purposes viz. gift / family maintenance from their Mobile and Internet Banking Portal. A total of 3,793 transactions has been facilitated through the said platforms in the FY 2026, accounting for 9.32 % of the total LRS transactions processed in the year.
- Bank has created an accessible 24/7 SMART TRADE PORTAL for its customers, enabling them to initiate inland as well as forex trade transactions from the comfort of their home or office, reducing the necessity for branch visits. This channel has onboarded a total of 5,042 customers, including 342 during the current financial year, facilitating 14.35% of the total trade transactions (both inland and foreign) through the portal.
- Bank has partnered with NeSL (National E-Governance Services Limited) to enable end-to-end issuance of Inland Bank Guarantees through a fully digital mode, enhancing security and significantly reducing turnaround time (TAT). As part of this initiative, our Bank has set an industry benchmark by rapidly achieving key milestones in the issuance of Electronic Bank Guarantees (e-BGs) on the National E-Governance Services Limited (NeSL) platform. During FY 2026, the Bank issued 7,379 Inland Electronic Bank Guarantees (e-BGs), an increase from 4,677 e-BGs issued in FY 2025. This brings the total number of Inland e-BGs issued to 14,066 since the commencement of digital issuance through the National E-Governance Services Limited (NeSL) platform.
- Further, during FY 2026, the Bank introduced hybrid e-Bank Guarantees (eBGs), enabling the subsequent

lifecycle activities of bank guarantees such as amendments, extensions, and closures originally issued in physical form to be managed seamlessly through the NeSL portal.

- As on 31st Mar 2026, Bank has established 17 Special Rupee Vostro Accounts for Banks worldwide, to spearhead the Government of India's drive to promote INR denominated trade transactions via the Special Rupee Vostro Account (SRVA) mechanism.

Domestic Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state of the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets such as foreign exchange, interest rates, fixed income, money market, derivatives, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

Treasury maintains the regulatory requirements of CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) and manages the fund position. Treasury borrows/invests in money market and capital market instruments as part of fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of 31st March 2026 stood at ₹3,72,318 crore. The share of SLR securities in total investments was 82.12%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to Net Demand and Time Liabilities (NDTL) as of 31st March, 2026 was at 22.34%. The Bank capitalized on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained yields on interest bearing investments for FY 2026 at 6.87%. During FY 2026, the profit on sale of investment and foreign exchange earnings were ₹3839.49 crore and ₹ 882.06 crore respectively.

Government Business

The Government Relationships Vertical occupies a strategic and pivotal position within the Bank's overall framework, acting as a key enabler in catering to the diverse and evolving banking requirements of Central and State Governments, as well as Public Sector Undertakings (PSUs) across India. It serves as a cornerstone in strengthening the Bank's engagement with government institutions while driving sustainable business growth.

The Bank is entrusted with the seamless processing of a wide spectrum of critical government transactions, including pension payments for Central and State Governments, postal transactions, direct and indirect tax collections, and Treasury/Sub-Treasury operations. In addition, it manages a comprehensive portfolio of Government-backed savings and investment schemes such as Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), National Pension System (NPS), Atal Pension Yojana (APY), e-Kisan Vikas Patra (e-KVP), RBI Bonds, and Sovereign Gold Bonds (SGB). These activities not only support national financial inclusion objectives but

also contribute significantly to the Bank's fee-based income, amounting to ₹95.56 crore in FY 2026, while enhancing the Bank's reputation and credibility.

Beyond transaction processing, the Bank plays a proactive role in deepening relationships with government entities by facilitating the opening of accounts for various Central and State Government departments and organizations. This engagement significantly contributes to the mobilization of CASA deposits, thereby strengthening the Bank's low-cost deposit base. As on 31st March 2026, Government CASA stood at ₹66,926 crore.

The Bank also drives digital integration and ecosystem development by supporting onboarding on key government platforms such as the Government e-Marketplace (GeM) and the Public Financial Management System (PFMS). These initiatives enhance transparency, improve transaction efficiency, and position the Bank as a preferred partner for government business.

With a strong focus on innovation and technology, Vertical provides customized IT-enabled solutions tailored to the specific requirements of various government departments. This enables process optimization, operational efficiency, and seamless service delivery across geographies.

As an accredited banker to prestigious ministries such as the Ministry of Health & Family Welfare and the Ministry of Law & Justice, the Bank extends value-added services beyond conventional banking. These include active canvassing of government CASA accounts, end-to-end support for PFMS integration, and continuous guidance to branches engaged in government business.

In essence, the Government Relationships Vertical functions as a trusted and strategic partner to government institutions, delivering comprehensive, technology-driven, and customer-centric banking solutions. Through its unwavering commitment to excellence, innovation, and relationship management, the Vertical continues to play a vital role in supporting governance and contributing to the nation's economic development.

Wealth Management

The Wealth Management vertical continues to be a key Strategic Business Unit of the Bank, demonstrating resilience and stability despite a challenging operating environment marked by regulatory changes and market volatility. During FY 2026, the business maintained steady fee income generation of approximately ₹508 crore, reflecting the strength of the Bank's distribution network and customer engagement model.

With a strong foundation in digital innovation, integrated distribution strategies and customer-centric engagement, the vertical remains well-positioned to accelerate growth, enhance Assets Under Management (AUM), and deepen its presence across diverse client segments.

Industry Recognition

The Bank continues to be recognized for its strong performance and leadership in wealth management:

- Recognition for “Excellence in Customer Experience – SmartInvest – India Fintech Summit & Awards 2025”.

Strategic Focus Areas

To cater to both retail and affluent segments, the Bank has sharpened its focus on:

- Strengthening Relationship-led Banking: Transition from product-led selling to a relationship-driven approach through the Radiance channel.
- Expansion of Coverage: Scaling presence from Top-30 to Top-50 cities to unlock growth potential in emerging markets.
- Digital Adoption & Integration: Enhancing customer journeys through platforms like SmartInvest and SmartInsure.
- Capability Building: Strengthening workforce through structured training and certification-led distribution models.

Digitization Initiatives

Digitization continues to be the cornerstone of the Bank's wealth strategy, enabling scalability, efficiency, and enhanced customer experience:

- SMARTINVEST: The Bank's flagship digital investment platform achieved a milestone of ₹500 crore business in FY26, with ~50% growth in value and ~74% growth in transactions, reflecting strong customer adoption. The platform offers seamless mutual fund investments and portfolio management capabilities.
- SMARTINVEST AI: Introduction of an AI-powered conversational wealth assistant, enhancing customer engagement and positioning the Bank as a digital innovator.
- SMARTINSURE: Strengthened platform capabilities with ongoing enhancements to integrate customer 360° view, campaign management modules, and seamless linkage with loan origination and lead management systems.
- Account Aggregator Integration (Upcoming): Enabling a consolidated view of customer portfolios, improved risk profiling, and personalized investment advisory.

Skilled Workforce & Ethical Sales

A sustained and strategic emphasis continues to be placed on enhancing staff capabilities and upholding the highest standards of ethical business practices. In this direction, the Bank has strengthened its training ecosystem through structured, certification-led programs aimed at fostering a culture of compliance-driven and customer-centric advisory excellence.

Despite a challenging year marked by regulatory changes and market volatility, the Wealth Management vertical demonstrated stable business performance with sustained strong traction across segments, with Life Insurance income of ~₹268 crore and continued growth in Non-Life (5% Y-o-Y) and Health Insurance (5% Y-o-Y) segments, alongside

maintaining a robust Investment AUM of ~₹16,750 crore - reflecting the strength of the Bank's distribution capabilities and enduring customer trust.

The Bank continues to invest in building a skilled and compliant workforce:

- Successfully conducted 3rd and 4th phase of STEP-UP (Staff Training & Excellence Program) training for all Wealth Management personnel pan India to make them abreast about the latest developments in wealth management paradigm.
- Deployment of a comprehensive manpower strategy with dedicated resources for the Radiance channel and Wealth Executives to improve customer engagement and productivity.
- Focus on certification-led training programs to enhance advisory quality and ensure regulatory compliance.
- Implementation of standardized frameworks such as the Account Debit Matrix to ensure transparent and compliant cross-selling of insurance products.
- Continued emphasis on ethical, customer-first advisory practices aligned with regulatory expectations.

Customer & Stakeholder Engagement

The Bank remains committed to strengthening engagement with customers and stakeholders through structured and innovative initiatives:

- “Wealth Insight” – Monthly e-magazine for regular dissemination of market insights, research reports, and product updates to enhance awareness.
- “Thursday Thoughts” – Weekly emailer to all employees to spread awareness about the nuances of investment and insurance.
- “Wealth Bulletin” – A bi-monthly internal publication for the Wealth Management Services (WMS) team.
- Exclusive webinars and engagement programs for HNI/ UHNI clients to deepen relationships.

Baroda Cash Management Services

Baroda DigiNext, the Bank's Cash Management Services platform, offers a robust suite of omni-channel digital solutions designed for Corporate, MSME, and Government customers to efficiently manage their cash flows and liquidity. Over the past three years, the platform has witnessed remarkable growth, becoming a preferred solution for key government departments and corporate entities to manage their collections.

Baroda DigiNext provides integrated, paperless payment solutions through both Host-to-Host (H2H) and API channels, enabling seamless transactions for both government and corporate clients. The platform also delivers real-time visibility into all types of receipts—including electronic payments, cheque clearances, and cash deposits made at branches across the country. During the year, we have introduced new products like- electronic NACH facility, dedicated CMS

Mobile Application (for android)- mDiginext and OTP based Direct Debit Mandate Registration for the convenience of customers.

In FY 2026, Baroda Cash Management Services continued to expand its reach, establishing over 1,986 new client relationships. A dedicated cell has also been created within BCMS to cater to MSMEs, Supply Chain Finance (SCF), and Microfinance Institutions (MFIs). During the year, more than 10.5 crore transactions were executed through the DigiNext platform, underscoring its growing adoption and operational efficiency.

Digital Banking products

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World, bob World UPI, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers (S2SPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

bob World Merchant UPI QR

Bank has been able to achieve 33.12 lakh bob World UPI QR Merchant base with the addition of 7.63 lakh new merchants on UPI QR platform in FY 2026. As of March 31, 2026, a total of 7.43 lakhs bob World Merchant UPI QR activations have been achieved. The Bank has also been able to achieve a total of 29.70 crore valued ₹63,741 crore Financial transactions through bob World Merchant UPI QR during FY 2026.

Sound Box initiative

Bank launched UPI QR Sound Box facility to its merchants in November 2023 and successfully achieved a total installation base of 2.32 lakh Sound Box devices as of 31st March 2026.

bob World

During FY 2026, bob World activated user base has been increased by 24.78 lakh users. As of 31st March 2026, a total of 352 lakh users have been activated on bob World. The total number of financial transactions over bob World platform have crossed 11.82 crore and Non-Financial transactions have crossed 228.08 crore during FY 2026.

Debit cards

As of 31st March 2026, the Bank has a debit card base of 8.76 crore. To boost e-commerce and POS transactions and position the Bank's debit card as the preferred payment option for customers, the Bank collaborated with various merchants to provide attractive offers for debit cardholders. In FY 2026, the Bank has launched various promotional campaigns in partnership with 14 popular merchants.

In FY 2026, the Bank introduced new debit card variants to cater to diverse customer segments out of which the prominent variants are mentioned as under:

- bob inSIGHT Braille Debit card, exclusively for visually impaired customers, introduced with feature embossed markings to facilitate easy identification and differentiation by touch, thereby empowering users with greater independence and security in their financial transactions. This aligns with our institution's commitment to inclusivity and customer-centric innovation.
- bob Bhoomi RuPay Select Debit card: As part of Green Banking initiative and to actively contribute to a sustainable future, Bank introduced the bob Bhoomi RuPay Select Debit Card, crafted using recycled PVC (rPVC). This initiative marks a significant milestone in our journey toward responsible banking, offering customers a sustainable alternative to conventional plastic cards and reinforcing our commitment to environmental stewardship.

Baroda FASTag (National Electronic Toll Collection - NETC)

In FY 2026 the Bank has issued 0.94 lakh FASTag and tag base reached to 13.15 lakh. The Bank has also processed 4.41 crore FASTag toll transactions amounting ₹ 523.83 crore in FY 2026.

Point of Sale

The Bank's Point-of-Sale (POS) infrastructure enables customers to make payments to merchants for goods and services through debit, credit and prepaid cards, as well as QR-based transactions. The POS ecosystem represents an integration of robust hardware and software solutions to facilitate secure and efficient payment processing.

It also facilitates our current/OD/CC/SB account holders with integrated POS solutions that are designed to meet their unique requirements as per their line of business activities, minimizing the cost of desktop systems and printers in shops, and optimizing hardware usage for a more efficient and cost-effective business operation.

Our POS business parameters has demonstrated consistent growth. POS terminal base has increased to 61,088 in FY 2026 from 52,652 in FY 2025, reflecting a YoY growth of 16%. Similarly, the turnover on POS rose to ₹8,226 crore in FY 2026 from ₹7,790 crore in FY 2025, registering a YoY growth of approximately 5.6%. POS terminals being the CASA enabler for the Bank, also registered growth to ₹3,111 crore in FY 2026 from ₹2,552 crore in FY 2025, reflecting a YoY growth of around 22%.

Bharat Connect (BBPS) (Formerly Known as Bharat Bill Payment System)

Bharat Connect (BBPS) is an integrated bill payment system operational in our Bank since 2017 which provides an interoperable, accessible, and standardized bill payments experience to customers. Bank is authorized by RBI to operate as Bharat Bill Payment Operating Unit (BBPOU) under the Bharat Connect ecosystem, functioning in both capacities as Customer Operating Unit (COU) and Biller Operating Unit (BOU).

In FY 2026, Bank has processed 1.85 Crore bill payment transactions amounting approx. ₹ 15,075 crore. Bank has a biller base of 37 active billers on Bank's Bharat Connect (BBPS) platform.

ATM

The Bank has a wide network of 9,538 ATMs and 2,059 Cash Recyclers as of 31st March 2026. These machines feature user-friendly screens that support navigation in Hindi, English and the local language, ensuring a smooth experience for customers in their day-to-day banking operations.

Our ATMs have various features such as Green PIN Generation, National Electronic Fund Transfer (NEFT), Cash on Mobile (cardless cash withdrawal) and Interoperable Card-less Cash Withdrawal (UPI ATM), where customers can withdraw money using UPI QR services (ICCW) of the Bank.

Following are the new initiatives undertaken by the Bank during this financial year:

- UPI Interoperable Cash Deposit: Customer can deposit cash using UPI App on Cash Recycler Machine.
- Dynamic HTML based screens: To enhance the customer experience.
- Re-KYC using ATM: Hassle-free Re-KYC for eligible customers.

Internet Payment Gateway (IPG)

The Bank's IPG platform, bob World Merchant Gateway, is a comprehensive online payment solution that enables merchants to conduct business digitally by accepting payments securely in real time. It acts as an interface between merchants and customers, ensuring seamless and secure transaction processing across multiple online channels.

bob World Merchant Gateway supports wider range of payment modes including Debit/Credit cards, Net Banking, UPI, Wallet, AEPS, AADHAR PAY, QR Code, as well as offline payment options such as NEFT/ RTGS, making it a robust solution for e-Commerce and digital business.

To enhance service delivery and scalability, the Bank has partnered with -12- aggregators and master merchants. Bank has on-boarded 2,914 merchants during FY 2026, and total merchant base crossed 10,000+ IPG merchants, with 41% growth in merchant on-boarding and registering CASA balances increased by 29% to ₹4,600 crore in FY 2026 from ₹3,566 crore in FY 2025 on YoY basis.

bob ₹ Pay:

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect requests which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. The Bank had revamped its UPI app bob World UPI in previous year and re-named it bob ₹ Pay with fresh UI. During FY 2026, Bank has on boarded 14.79 lakh new users on its UPI Platform.

BOB World (Internet Banking):

The total number of Internet Banking users of the Bank increased to 131.82 lakh during FY 2026 from 122.05 Lakh during FY 2025

Baroda TabIT:

The Bank embarked upon digitizing its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with bundle of services (Personalized Cheque Book, Personalized Debit Card, WhatsApp Banking, SMS Alert, Internet Banking) and FasTag Issuance, Credit Card, POS, Soundbox , UPI QR, IPG lead generation through its TAB banking platform – bob World Tab. Bank opened more than 31.12 lakh Savings account and 2.25 lakh Current account through this platform during the FY 2026.

Bank has introduced NRE/NRO account opening through bob World Tab by UAE territory branches (Accounts parked at India based branches).

Bank has introduced various new features in existing account opening process through Tab Banking like Liveliness check & Face match in SB Account, Geo Fencing in Current Account, API based validation of Udyam Aadhaar in Current Account (Individual & Proprietorship), Activation of account at RO level (Third Level) in Current Account (Individual & Proprietorship), CKYC has been made primary mode of onboarding in SB & CA, BDMS portal enhancement for KYC documents download for SHG accounts and Current Accounts. These functionalities will make account opening process smoother and more secure, ensuring robust compliance with evolving regulatory standards.

Below given are the number of accounts opened / leads generated through the various functionality.

Functionality	FY 2026
Saving Bank Account	31.12 lakh
Current Account	2.25 lakh
SHG A/c	23,452
NRE/NRO A/c	11,810
POS Leads	32,089
UPI Merchant On boarding	7.79 lakh
IPG Lead Generation through TAB	4,124

WhatsApp Banking:

The Bank offers WhatsApp Banking, enabling customers to conveniently perform a wide range of banking transactions and service requests through a secure and user-friendly interface. The services span across key areas such as Account Services, Cheque Services, Deposits, Loans, FASTag, Card Services, Shop & Bill Pay, Blocking/Disabling of services, Profile Management & Help, and other value-added offerings. Through this platform, customers can access essential functionalities including balance enquiry, mini statements, cheque status, deposit-related information, loan enquiries, FASTag services, card controls, bill payments,

and service requests—all without the need to visit a branch or log into internet banking. The WhatsApp Banking facility enhances customer convenience by providing 24×7 access, simplified navigation, and quick turnaround for routine banking needs.

During FY 2026, the Bank recorded a total of 81.14 lakh new registrations for WhatsApp Banking, comprising 59.26 lakh customers and 21.88 lakh non-customers. As of 31st March 2026, the Bank's WhatsApp Banking user base stood at 2.27 crore. During the year, a total of 11.15 crore transactions were carried out through the Bank's WhatsApp Banking platform, reflecting strong customer adoption and increasing engagement with digital banking services

Digital Banking Units

Bank of Baroda has established a total of 18 Digital Banking Units (DBUs) across the country. These units are designed to offer customized and standardized digital banking products and services catering to both the asset and liability sides of the business. Each DBU operates through two specialized zones: (i) a Self-Service Zone equipped with facilities such as interactive kiosks, ATMs, Cash Recyclers (CRs), passbook printers, etc., and (ii) a Digital Service Assistance Zone, which provides assisted access to a wide range of digital banking services. As on 31st March 2026, the Bank has generated total business of ₹132.95 crore through these DBUs, reflecting the growing customer adoption of digital banking channels.

Digital Lending

To support the objective of being a pioneer Bank in Digital Lending landscape, Bank has launched Digital Lending Platform in 2020 with the purpose to target and acquire new customers from diverse segments using digital means. Bank has operationalized STP (Straight through Process) Digital Journeys from initial stage of lead generation till disbursement.

At present 70+ digital lending journeys are live in the Bank.

Bank has integrated its Digital Lending Platform with RBIH's Unified Lending Interface (ULI), 20+ FinTech's and has 100+ digital integrations, for the purpose of Landownership verification, Farm Yield Reports, digital verification, authentication & analysis of Bank statement, Credit Bureau, e-mandate, GST, ITR, Udyam, e-KYC, v-KYC, PAN, e-stamping / e-signing, etc.

Total of 31+ lakh customers have been sanctioned and disbursed Digital Loans value ₹56,000+ crore.

Digital Lending Platform continuously contributing EASE of doing business.

Retail Initiatives:

- bob Insta Personal Loan (bob IPL): bob Insta Personal Loan is End-to-End Digital Loan journey till Disbursement up to 15 lakh, offered to Existing to Bank (ETB) customers having pre-qualified limits.
- Digital Two-Wheeler Loan: Digital Two-Wheeler Loan journey is an End-to-End Straight through Process

(STP) that minimizes manual intervention. The Digital Underwriting is based on Account Statement and ITR.

- Enhanced Earned Salary Advance Drawals Access Scheme: Enhanced Earned Salary Advance Drawals Access Scheme is a customized Advance Product specially tailored for Permanent Employees of Rajasthan State Government. It is an End-to-End Digital journey in DIY and Assisted mode till Disbursement.
- Digital PM Suryaghar Yojana : Digital PM Suryaghar Yojana End-to-End Digital Loan journey in DIY mode from application to Loan Account Opening up to 2 Lakh for existing (ETB) customers of the Bank.

MSME Initiatives:

- PM Vishwakarma: The Ministry of MSME, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Dept. of Financial Services, MoF, GOI launched Pradhan Mantri Vishwakarma scheme, this scheme offers finance to artisans or craftspeople working with hands and tools and engaged in one of the 18 identified family-based traditional trades, in unorganised sector on self-employment basis. Our digital journey is End to End from application to loan account opening and disbursement. The Journey is applicable for ETB customers only.

Agri Initiatives:

- Digi Tractor Loan: Digi Tractor Loan is an End-to-End digital journey starting from onboarding of customer till Loan Account opening through digital mode with minimal human intervention. The journey is available for Customer in DIY mode till account opening.
- Digital BAHFKCC: Digital BAHFKCC is designed for aiding farmers for maintenance of existing Animal Husbandry in the form of Working Capital only. Digital BAHFKCC maybe availed only by farmers having self-owned land.
- Digital Gold Loan - Bank has launched a seamless digital journey enabling quick and hassle-free disbursement of gold loans. Enhancements were implemented in the journey to optimize user experience, reducing drop-offs, leading to an increase in disbursements.
- Digital BKCC - Bank has launched an end-to-end digital solution covering onboarding to disbursement. Enhancements were implemented in the journey to optimize user experience, reducing drop-offs, leading to an increase in disbursements.

Analytics Centre of Excellence (ACoE):

The Bank continues to accelerate its data-driven transformation by expanding the deployment of advanced AI and ML models, further strengthening its leadership in the field of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) and continuing to scale its capabilities and deliver impactful business outcomes. For the fourth consecutive year, the Bank has been honoured with the Best AI/ML Bank – 2025 award by the Indian Banks' Association, reaffirming its position at the forefront of AI-led innovation in the Banking sector. Bank

has also earned global recognition by securing runner-up award for 2025 Gartner APAC Eye on AI Innovation Award.

The Bank has made significant progress in its AI adoption journey and have developed GenAI and Agentic AI powered products to enhance both customer and employee experiences. It includes SMARTINVEST.AI a cutting-edge Agentic AI-powered conversational chatbot, designed to empower customers to make optimal investment decisions and educate users on a wide range of financial & investment products through an intuitive, human-like interaction offering personalized assistance to customers through intelligent interactions. Bank has introduced Gen AI based Virtual Front Office (VFO) device which facilitates the Bank's Services Access through VFO Devices. Key features of the device include AI-Powered and 3D projection of Avatar, Touch-enabled interaction. Bank has launched bob SAMVAD, a multilingual AI-enabled interaction platform application that helps customers and branch staff communicate smoothly across languages. It is designed to remove language barriers in customer service, it enables real-time, natural interactions in a customer's preferred Indian language, helping staff better understand needs, resolve queries faster, and deliver a more consistent service experience across India's diverse linguistic landscape

By leveraging AI across its operational and customer ecosystems, the Bank continues to redefine banking experiences with greater agility, inclusivity and innovation leadership.

Information Technology

- Bank has introduced new services on the UPI platform, such as FIR (Foreign Inward remittance), UPI Global, UPI123, Integration with DigiNext, Face & Bio authorization, enabling UPI payments from Internet of Things (IoT) devices, Enabling EV Categories, P2P transactions under Credit Line, new handle for SEBI registered intermediaries etc.
- Bank has introduced additional functionalities in Central Bank Digital Currency (CBDC) referred to as e₹ (Digital Rupee) viz Interoperable Discount Vouchers, transfer of Programmable tokens to other Bank customers, Loan disbursement to Small & Marginal Farmers and Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme under Subhadra Yojana of Govt of Odisha for women beneficiaries through CBDC etc
- Bank added new services/ features in Internet Banking Platform to enhance customer experience viz. Bilingual Email Alerts, E-mandate facility in joint Accounts, Liquid Fixed Deposit facility, digital insurance solution, Simplified IMPS, Multiple Nomination facility in Deposit accounts, Credit score using Equifax etc.
- Bank is continuously enhancing Tablet Banking to offer new features and services to customers i.e. CKYC Search & download, NRE/NRO Account Opening (UAE), e-Mandate, Customized salary package, Health Account scheme, Udyam API integration, Geo tagging while current account opening etc.

- Bank has introduced a comprehensive mobile banking solution – “bob World Business” for Retail Merchants, Traders, MSMEs, and Mid-Corporate customers. Designed as a one-stop digital platform, bob World Business empowers users to manage their banking needs seamlessly from their mobile devices.
- Bank has Implemented upgraded version of Debit Card Management System in domestic, functionality for auto blocking of Debit Card due to non uses within 60 days issuance and amalgamated Debit Card Related functionalities as part of RRB amalgamation.
- Bank has introduced additional services, enhancements in Digital Lending Platform viz Digital Two-wheeler & Digital Tractor Loan Journey, solar rooftop journey, bob Insta Personal Loan, Pre-Qualified Personal Loan, STP journey for loan application processing under PM Vishwakarma scheme and Digital Personal Loan product to the employees of Rajasthan govt.
- Bank has added new services/ products in Loan Life cycle Management viz. Vahan API integration, Area Specific Loan, Cash Flow Home loan, Addition of various Institutions under Bulk retail, Property Pride Scheme, Integration with PM Vidyalaxmi portal, Cashflow based STP Loan journey (named as DIGI Udyam), New Modules viz Food & Agro Processing, Mahila Swalamban and PM Svanidhi Schemes, Cashflow journey for SCF borrowers and Several new institutions added for customised product under bulk retail.
- Account opening portal for NRI customers who can open account from home. Customer can upload documents which will be verified at branch or by authorized officials and after verification of the details, account will get opened.
- Implemented various green initiatives in the Bank viz. bob Green Wheel Loan, bob Eco Saarthi Education Loan, bob green homes etc.
- Bank is continuously upgrading its infrastructure agility and resilience to support banking services and transactions, for higher uptime and performance.
- Bank has won honours at the Indian Banks' Association's 21st Annual Banking Technology Awards, recognising its leadership in digital innovation. The Bank emerged winner in Best Tech Talent and received a Special Mention as Best Technology Bank.

Cyber Security

Cyber security remains a core enterprise risk and a Board-level priority for the Bank. As Banking services continue to expand across digital channels, payment platforms, internal systems, and partner ecosystems, the Bank's cyber security framework is designed to protect customer information, ensure service continuity, and support growth at scale. The Bank recognises that a strong cyber posture is not limited to technology controls alone and requires effective governance, disciplined operating processes, trained employees, and continuous vigilance against evolving threats.

During the financial year, the Bank continued to strengthen its cyber security capabilities through a structured and risk-based approach. This included implementation of new security solutions, enhanced monitoring of critical systems, role-based access controls, vulnerability management, periodic vulnerability assessment and penetration testing, and improved incident response preparedness. The Bank also strengthened oversight of critical assets and outsourced IT activities to manage exposure across the extended technology environment. These measures are aimed at identifying threats proactively and ensuring remedial action in a timely manner.

Cyber security is managed 24x7x365 by a centralized Global Cyber Security Operations Centre (CSOC), in co-ordination with the domestic and international business verticals. The CSOC leverages advanced cyber security capabilities to proactively detect and respond to cyber-threats. The Bank's Data Centre and Disaster Recovery Centre are certified under ISO/IEC 27001:2022, reflecting a mature information security management system.

In addition to existing controls, the Bank has implemented the following strategic initiatives:

- Breach and Attack Simulation (BAS) solution to test and validate the effectiveness of cyber security controls.
- External Attack Surface Management (EASM) and Digital Risk Monitoring (DRM) services are availed to monitor and safeguard the Bank's digital footprint against external threats.
- Cyber Crisis Management Plan is in place to ensure a structured and coordinated response to cybersecurity incidents and minimizing operational disruption.
- Cyber Insurance coverage is maintained through a reputed insurer to mitigate financial exposure from cyber-related incidents and frauds.
- Customer Awareness campaigns are conducted across digital channels (SMS, email, social media, ATMs, and the Bank's website), regional / zonal / branch offices, identified educational institutions / universities, to promote safe banking practices.

Bank won prestigious IBA award 'Best IT Risk Management Award' (during FY 2026) recognizing bank's cyber security strategies with respect to cyber security driven by coordination between IT, Info. Security, Risk & Business teams to safeguard Bank's digital ecosystem. Additionally, Bank also won Gold Medal and stood as top performer (at all India level) during Critical Information Infrastructure Security Exercise) in Apr-2025 organized by NCIIPC across different sectors including BFSI

In aggregate, these measures and initiatives deepen the Bank's cyber resilience, reduce risk exposure, and anchor a proactive defense posture aligned with business strategy and applicable regulatory standards.

Marketing

During FY 2025–26, the Bank demonstrated a comprehensive

and integrated marketing transformation driven by digital innovation, strategic communication, field-driven marketing, and impactful creative development. The combined efforts across Digital, Public Relations, Marketing, Media and Creative functions significantly enhanced brand equity, deepened customer engagement, and contributed to sustained business growth, reinforcing the Bank's position as a leading and future-ready financial institution.

The key initiatives and highlights in the area of website, Public Relations, Strategic Marketing, Social Media, Creative Development, Media Activities, Brand repositioning etc are as follows:

Website Performance

During FY 2025–26, the Bank undertook significant initiatives to strengthen its digital ecosystem through a centralized, user-centric web platform. Key enhancements included improved search functionality, multilingual capabilities, and advanced filtering features, resulting in enhanced user experience, accessibility, and engagement.

A major milestone during the year was the successful migration of the Bank's corporate website to the Bank.in domain in September 2025, enabling the Bank to effectively reclaim its organic visibility. This transition contributed to robust digital performance, with the website recording over 116.8 million visits and 58.9 million users during the year. The Bank also witnessed an improvement in its domain authority, which increased from 81 to 86, reflecting stronger online credibility and search engine presence.

Under the Location Management Project, the Bank significantly expanded its digital footprint by going live with over 8,500 branch and Google My Business (GMB) pages and 8,488 ATM/CR pages, thereby enhancing discoverability and convenience for customers.

Public Relations

The Bank's Public Relations strategy during FY 2025–26 was focused on strengthening brand equity, enhancing leadership visibility, and safeguarding the Bank's reputation through consistent and strategic communication.

During the year, the Bank issued 108 media releases covering a wide spectrum of announcements, including financial performance, product launches across Retail, MSME and Digital segments, ESG initiatives, financial inclusion efforts, agricultural programs, and strategic collaborations. These efforts were complemented by sustained media engagement and leadership interactions, ensuring consistent visibility and effective narrative management.

Leadership visibility was further enhanced through active participation in marquee industry platforms, positioning the Bank's leadership as key voices in the Banking and financial services sector.

The Bank's performance and strategic initiatives were recognised through several prestigious accolades during the year. Notably, the Bank was conferred the 'Best Bank in India' award at The Banker's Bank of the Year Awards

2025. The Bank also received multiple honours at the IBA Banking Technology Awards, underscoring its leadership in technology-driven innovation. Further, the Bank's Managing Director & CEO, Dr. Debadatta Chand, was recognised as the Best CEO (Large Bank category) at Fortune India – India's Best CEOs 2025.

Overall, the Bank's PR initiatives significantly enhanced its credibility, visibility, and institutional positioning.

Strategic Marketing Initiatives (Sponsorship)

During FY 2026, the Bank adopted a strategically aligned and field-driven approach to support Branches, Regions, and Zones in enhancing brand visibility, strengthening awareness, and driving business growth. The Bank transitioned from a centralized marketing approach to a decentralized, field-focused model, ensuring closer alignment between marketing initiatives and business mobilisation objectives.

The Bank's marketing efforts were strategically focused across key segments including Retail, MSME, Agriculture, Art & Culture, Sports & Fitness, knowledge platforms, and cause-based initiatives.

In the Retail segment, the Bank actively participated in and organised property and real estate expos across domestic and international markets, including Singapore, Delhi, Navi Mumbai, Hyderabad, and key cities in Tamil Nadu. These initiatives generated strong business outcomes, including in-principle sanctions of approximately ₹211 crore at the Delhi Property Expo and ₹400 crore at the CREDAI Hyderabad Property Show, while also strengthening developer partnerships and enhancing the retail loan pipeline.

In the MSME and Agriculture segments, the Bank participated in major national platforms such as Agrovision National Agriculture Summit, India International Rice Summit, and Green Building Congress. In addition, multiple MSME outreach programs and HNI engagement initiatives were conducted across Zones, enabling direct engagement with industry stakeholders, strengthening relationships, and enhancing awareness of tailored financial solutions.

To reinforce national brand visibility, the Bank associated with several high-profile cultural, tourism, and knowledge events, including the Hornbill Festival, Mysuru Dasara, Vibrant Gujarat exhibitions, World Book Fair, and prominent religious institutions such as Tirumala Tirupati Devasthanam and Shree Jagannath Temple. These initiatives enhanced brand trust, credibility, and connect across diverse customer segments.

The Bank also strengthened its positioning in sports and community engagement through sponsorships such as the Prime Volleyball League, corporate golf events, and regional sports leagues, along with participation in marathons and fitness initiatives organised by the Indian Air Force, Indian Navy, and local administrations. These efforts enabled deeper engagement with youth and urban audiences while reinforcing the Bank's commitment to health and wellness.

Overall, the Bank's strategic marketing initiatives led to enhanced brand recall, improved lead generation, stronger

regional engagement, and measurable business mobilisation outcomes.

Social Media

During FY 2025-26, the Bank continued its focus on effective social media strategy, to promote its products and services while significantly enhancing its digital footprint. Bank of Baroda is now ranked as the third largest bank in terms of social media follower base, with 9.03 million followers across all social media platforms.

During the Financial Year, Bank published around 3512 posts on its social media platforms, generating unique reach of 124.6 million, impressions of 95.4 million, and video views of 175.6 million.

During FY 2025-26, the Bank executed several campaigns covering financial literacy, fraud awareness and cybersecurity etc. Notable initiatives included, #BOBKeSangTyohaarKiUmang, #SeasonofSmiles, #WhatsYourMasterStroke, #FinancialLiteracyWeek, #PehchaanCon, #FinancialInclusion (Saturation Drive), #CyberJagrooktaDiwas, and #YourMoneyYourRight. High-engagement campaigns like #BOBKeSangTyohaarKiUmang, #CustomerDay, #SeasonofSmiles, and #WhatsYourMasterStroke boosted digital outreach. The Bank also leveraged short AVs, Reels, and topical posts to enhance social engagement beyond products' promotion.

In addition to this, the Bank collaborated with prominent content creators such as Jatin Sapru and Kamiya Jani to build pre-festive excitement in the market. These partnerships helped generate engaging, high-reach digital content that created buzz and anticipation ahead of key campaigns. The collaborations were also instrumental in amplifying the visibility of the television commercials (TVCs) featuring Sachin Tendulkar, ensuring stronger audience recall and deeper market penetration during the festive period.

A total of 6000- 6800 complaints per quarter were efficiently managed through social Media platforms with approximately 99% of queries receiving first level response within 4 hours, reflecting a strong commitment to customer service and responsiveness.

Creative Development

During FY 2026, the Creative Development function played a strategic role in strengthening the Bank's brand identity through high-impact, insight-driven campaigns and integrated communication assets.

The Bank focused on building a robust creative repository to support product launches, institutional communication, and strategic initiatives, ensuring consistency in brand messaging across platforms. A wide range of high-decibel campaigns was conceptualised and executed across Television Commercials (TVCs), audio-visual formats, and digital platforms, delivering strong emotional resonance and customer engagement.

Key initiatives during the year included the 118th Foundation Day Campaign, Corporate AVs, and multiple product launch campaigns. The Bank also introduced the "BOB Forest"

initiative, reinforcing its commitment to sustainability and environmental responsibility.

A major highlight was the launch of a TVC campaign for the Bank's digital platform, bob World, designed with a Gen Z-focused approach, emphasizing digital convenience, personalisation, and intuitive user experience. The Bank also activated its marquee festive intellectual property, "BOB ke Sang Tyohaar ki Umang", through localized and culturally relevant campaigns deployed across the country.

The Bank further strengthened its presence at key industry platforms such as Global Fintech Festival 2025, Mumbai Climate Week 2025, and Clean Energy Summit 2026, ensuring a cohesive and premium brand representation.

Brand equity was significantly amplified through campaigns featuring the Bank's Global Brand Ambassador, Sachin Tendulkar, which reinforced trust, credibility, and mass appeal.

In addition, the Bank conceptualised several internal and innovation-led initiatives, including "bob Pankh" under the Bank's DEI framework, the "Leadership in Action 1.0" recognition program, and the launch of "Bob Samvaad", an AI-powered translation tool aimed at enhancing customer communication.

These initiatives collectively enhanced brand recall, strengthened customer engagement, and positioned the Bank as a modern, digitally progressive, and customer-centric institution.

Media Activities – Print, Television & Radio

During FY 2026, Bank of Baroda implemented an integrated media strategy across Print, Television and Radio, supported by digital and on-ground initiatives, with the objective of enhancing brand visibility, strengthening customer engagement and supporting business growth across Retail, MSME and Digital Banking segments.

The Bank executed large-scale festive campaigns aligned with major regional and national festivals including Rath Yatra, Ganesh Chaturthi, Navratri & Durga Puja, Onam, Diwali, Christmas, New Year and Harvest Festivals. Post Diwali, a special festive goodwill initiative titled #SeasonsOfSmiles was rolled out to sustain brand warmth and positive recall.

Print media was leveraged for its strong credibility and regional connect through multi-language newspaper advertising. Television campaigns across national and regional news channels ensured high-impact festive presence, while radio campaigns delivered strong last-mile reach through festive jingles, RJ mentions, contests and on-ground activations.

To capitalize on high-viewership sports properties, the Bank undertook advertising during premier cricket tournaments like Men's IPL 2025 & India vs South Africa bilateral series. L-Band advertising during live match telecasts ensured sustained national visibility and targeted outreach to youth and mass audiences.

Additionally, L-Band feature advertising during the Women's Premier League on the Star Sports Network further

strengthened brand presence, promoting key women-centric and digital banking products through premium women's cricket content and prime-time exposure across multiple language feeds.

Multi-Product & Brand Repositioning Campaigns

The Bank implemented focused product promotion and brand repositioning initiatives, including the bob World brand repositioning campaign and SRT multi-product campaigns, to enhance visibility and recall across Home Loans, Car Loans, MSME offerings, Savings Accounts and digital platforms.

These campaigns ensured pan-India presence across print, television and radio, delivering consistent messaging and sustained exposure across urban, semi-urban and regional markets.

Corporate Ethics - "Creating Value with Trust"

Bank of Baroda, one of India's largest and most trusted public sector banks, has always been committed to maintaining the highest standards of integrity, transparency, and accountability in its operations. In line with its vision to be customer-centric and globally competitive, Bank of Baroda has pioneered, among the PSU Banks, the launch of its Code of Ethics and has a dedicated Corporate Ethics Department, which leads the Bank's ethical agenda. By adopting the "Code of Ethics", the Bank reinforced its commitment to ethical banking practices, ensuring long-term success and sustainability in a dynamic financial world. The Bank has constituted the Apex Level Ethics Committee from a cross-section of the entire workforce, with diverse representations like gender, caste, cadre, geography, function, Persons With Disabilities, sports, and ex-servicemen to uphold the ethical values in the organization.

Our Code of Ethics sets forth our core values, shared responsibilities, global commitments, and promises towards our Five Pillars, i.e.,

- We Barodians
- Our Customers
- Our Other External Stakeholders
- Our Business
- Our Communities

On 01st April 2025, the Bank has launched its updated Code of Ethics Version 2.0/2025. Our Code of Ethics document is placed on the Bank's website.

The Code of Ethics has been structured on a stakeholder centric approach with the employees at the centre as the ultimate owners of processes and drivers of culture. There is a strong alignment of the Code of Ethics with our Core Values, it sets out a guiding framework for how we behave with our colleagues, our stakeholders, and our expectations from those who work with us. The Code addresses contemporary challenges and ethical dilemmas that the Bank and its employees face and outlines the responsibilities they carry when addressing emerging critical issues in the Banking operations and important areas like cybersecurity

and protecting the environment.

The Banking industry has faced numerous challenges over time, yet ethics and trust continue to be its foundation every single day. The Code empowers us to do what is 'Right' and plays a vital role in strengthening our Bank's brand and reputation. Our leadership has consistently championed the promotion of the Code through various employee engagement initiatives.

Apart from conducting round-the-year education and awareness programmes, one of the most impactful strategies for advancing our ethics agenda is developing strong communication channels. As part of this commitment, the 'Speak Up!' initiative, aligned with the Code of Ethics, was introduced to spotlight the various channels within the Bank that empower employees to report unethical practices and raise concerns.

To foster a culture of transparency and engagement, the Bank also publishes '*Baroda Sanskriti*', a quarterly in-house newsletter. Ethical awareness is further promoted through regular dissemination of '*Snippets from the Code of Ethics*', quizzes, bilingual audiobook of our Code of Ethics, and a suite of digital communication tools such as the '*Naitik Series*'—video stories illustrating ethical dilemmas—and '*Ethics Talk*', that underscores the Bank's corporate vision and the strategic role of ethics.

A focused training program on Corporate Ethics was rolled out for branches identified as high risk during the year. The Bank has appointed ethics counsellors at Corporate & Zone level, including dedicated lady counsellors for women employees, to support staff in addressing and resolving any ethical dilemmas encountered in their day-to-day working.

To celebrate our values in action, the Bank introduced '*Naitikta Ki Shakti*', a video series, features inspiring short videos that exemplify our core values: Integrity, Customer Centricity, Courage, Passionate Ownership, Innovation, Excellence, and Respect. To ensure the principles of the Code of Ethics reach every level of the organization, the Bank conducts webinars, seminars, specialized training sessions, Observance of special occasions like 'Global Ethics Day' and mandatory e-learning modules for all staff members. These efforts strengthen our culture of ethics and reinforce our commitment to transparency.

To assess the effectiveness of these initiatives, the Bank conducts an anonymous Annual Ethics Survey for all employees in which Score has consistently increased. This allows us to assess ethical behavior, monitor cultural progress, and continuously improve our ethical framework, as the saying goes, "What gets measured, gets improved."

Bank of Baroda is not just a Financial Institution; it is an institution driven by values that define success, its transparency fosters trust, and integrity fuels a sustainable future.

Customer Service

Our Bank constantly endeavours to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and

service delivery that are imperative in providing seamless experiences to customers. Customer can interact in 20 languages through IVR/Agent, 11 languages in Bot & in other modes like Video call, Web chat & Email which enhances customer experience and ease of use. The Bank ensured time to time addition of AI & Generative AI based features to improve customer's satisfaction with efficiency.

The highlight of Contact Centre:

1. The Contact Centre handled 1.60 lakh average inbound customer calls per day during the year and over 1.29 lakh calls daily responded to through IVR.
2. Average more than 1.19 lakh outbound calls per day for sales and surveys.
3. Bank is handling around 80.10% call on IVR.
4. Contact Centre provided emergency services to 6 overseas territories i.e. Botswana, Mauritius, Uganda, Oman, Fiji & Seychelles.
5. Contact centre has initiated many new functionalities like- Video call functionality through Phygital branches & Mobile Banking, Any day transaction, dispatch information, NRI language selection at IVR, Sign Language facility through Video Call.
6. Many special helpdesk at Contact Centre set-up for exclusively helping the NRI/HNI, BC Complaint Desk, VRM Shine Desk, Staff Help Desk, NRI global e-mail desk, bob World internet and bob World mobile banking related issue, Complaints, PMJDY, Senior Citizens Desk, Female Help Desk, Salary Account Desk, Dedicated Desk for Customer with Persons with disability,
7. Contact Centre is equipped with many AI-based technologies like Speech Analytics, social media Tools, Automated Email Tool, Genie training Tool, AURA call quality Tool, Work force management, smart dashboard and many more technologies.

During FY 2026, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances. Approximately 96.1% of the grievances were resolved within the pre-defined turnaround time. The Bank not only focussed on improving the quantitative performance indicators of grievance redressal but also on improving the quality of resolution to improve customer satisfaction. Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping / service audits and workshops. General Manager, Operations and Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all Deputy General Managers/General Managers (Compliance & Assurance) and Regional Heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. The Bank has appointed two Internal Ombudsmen (IO) which is a forum made available for the grievance redressal of customers before they approach the RBI Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsmen (IO) for review. This enhances customer confidence in the Bank's

systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it even more transparent.

The Bank's code of commitment to customers and MSMEs, citizen charter, grievance redressal policy, and RBI Integrated Ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies. At the Board level, the subcommittee of the Board for Customer Services addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of compliance with the aim of consistent improvement in the quality of customer service.

Bank has taken a major step in customer engagement by introducing AI-powered services and expanding feedback channels. The launch of ChatBot "ADI" and Virtual Relationship Manager "ADITI" marks the first-of-its-kind deployment in the Banking sector of AI-enabled customer enhancement services. ADI, a text and voice-based interface, harnesses Generative AI to deliver near-real-world conversational experiences, significantly improving customer satisfaction. ADITI, presented as a 3D digital human, leverages advanced Natural Language Processing (NLP) to provide lifelike and engaging interactions, further strengthening customer relationships.

The Bank has enhanced its Branch QR code feed back system which enables both customers and non-customers to share real time feed back. The system initially designed to capture inputs on branch ambience, ease of transactions, staff behaviour, and ATM ambience, this channel has now been enhanced to provide access to a wider range of services, some of which are mentioned below:

- **15 Non-Financial Services:** Customers can conveniently give feedback for the multiple branch services availed directly through the QR Code.
- **Contact Centre Access:** The QR Code connects users seamlessly to the Bank's Contact Centre for support.
- **Complaint Lodging via CRM:** Customers can register complaints instantly, ensuring faster resolution.
- **Customer Voice Escalation:** All negative comments are tracked and addressed by the Regional Team through CRM, ensuring that every concern is heard and acted upon.

Handling Customer Complaints

Customers can very easily lodge their complaints directly with the Bank by visiting our website and clicking the appropriate link. Alternatively, the customers may also call the toll-free number and get their complaints lodged in the CRM portal of the Bank. Customers also have the option of sending their complaints to Branches and other offices via any mode. All the complaints will be entered into the CRM portal. The complaints are automatically addressed to the concerned resolver group based on the category of complaint selected at the time of lodging the complaint.

Bank also has an Internal Ombudsman (IO) mechanism in place, as per regulatory guidelines, to instil confidence in the customers regarding the resolution of their complaints.

Bank has also implemented an Online Dispute Redressal (ODR) mechanism for the speedy resolution of online transaction related complaints. Also, the blocking of Baroda Connect facility has been extended via Interactive Voice Response System (IVR) in the contact centre.

To monitor the quality of resolution being given to the customers, Bank subjects 100% of Non – ADC and ADC complaints to quality check through an AI tool developed by Bank, in collaboration with IIT Mumbai which assess the quality of redressal, thus reducing the time and manpower required. The outcome of the quality check is shared with the concerned resolver group for analysis and improvement in resolution.

Branch Network

The Bank has increased its total domestic branch strength to 8,648 in FY 2026 from 8,424 branches in FY 2025 by adding 229 branches (merged 05 branches with existing branches) at prominent locations of the country across all branch categories. The details of Bank's domestic and overseas network as of 31st March 2026 is given below.

Branches	FY 2025		FY 2026	
	Number of Branches	% Share in Total	Number of Branches	% Share in Total
Metro	1,815	21.55	1,866	21.58
Urban	1,502	17.83	1,536	17.76
Semi Urban	2,179	25.87	2,260	26.13
Rural	2,928	34.76	2,986	34.53
Total Domestic Branches	8,424	100	8,648	100
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	84		80	

Currency Chests

The number of currency chests stood at 135 as on 31st March 2026. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches dealing in cash transactions are provided with Note Sorting Machine (NSMs) as per RBI guidelines.

Risk Governance and Internal Controls

A robust internal audit function is the cornerstone of a bank's internal control system, providing senior management with high-quality counsel on risk management, regulatory compliance and internal controls.

As per the Reserve Bank of India directives, the Bank has employed a Risk-Based Internal Audit (RBIA) framework.

This system ensures focus on Risk, supporting Governance framework in line with the Bank's strategic goals and risk appetite. Key elements are identification, measurement, monitoring, and controlling risk.

The Internal Audit function provides vital assurance to the Bank's Board of Directors and Senior Management, on the quality of Internal Audit function. In doing so the function helps to prevent/reduce the risk of loss and reputational damage of the Bank.

The "3 Lines of Defence" Framework

Internal Audit is integral to safe banking operations, serving as the third and final line of defence in three lines of defence framework:

- 1st Line of Defence being "Operations/Business Units": Who have the responsibility to prevent risks directly at the source.
- 2nd Line of Defence being "Compliance & Risk Management" function of the Bank
- 3rd Line of Defence being "Internal Audit": Plays the vital role in safeguarding the Bank against risks. Provides independent, objective view on the risk profile of the auditee units and Bank itself.

Risk Management and Compliance

Risk Management and Compliance are integral part of the Banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by specialist Risk advisor on Board. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

Basel III Framework

The Bank's risk management framework rests firmly on the three Basel pillars, i.e. Pillar I- Minimum Capital Requirement, Pillar II- Supervisory Review and Pillar III-Market Discipline. The Bank is strengthened by a healthy level of capital. The Bank maintains adequate levels of Common Equity Tier I, Additional Tier I and Tier II Capital including required Capital Conservation Buffer. Futuristic capital projection ensures that the Bank is always ready to raise additional capital from the market as per business necessity. The position of risk weighted assets is constantly under strong vigil by the credit risk and capital adequacy team. Adequate capital and rationalised risk weighted assets ensures strong Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) for the Bank.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and Stress Testing Policy in place. Capital Adequacy is assessed considering Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, etc. and stressed conditions (under both normal and adverse scenarios) as per the extant guidelines. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing the major risks within the Bank is given below:

Enterprise Risk Management

The diversity of the Bank's business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines.

The Bank has instilled a robust risk culture across its organization, ensuring that all three lines of defence are equipped to effectively manage risk. Roles and responsibilities pertaining to risk culture amongst various stakeholders in upholding risk culture are clearly defined. Through continuous training efforts, employees at all levels are equipped with the knowledge and skills necessary to navigate and adhere to the Bank's risk appetite limits. This proactive approach not only enhances risk awareness but also strengthens the overall risk culture, promoting a vigilant and informed workforce.

As part of its ongoing commitment to elevate its Enterprise Risk Management practices, Bank has established a dedicated framework to identify emerging risks and gauge their material significance. This framework is specifically designed to comprehensively identify all risks the Bank is exposed to. Additionally, it provides guidance for conducting materiality assessments to pinpoint key risks that could potentially impact the Bank's objectives and strategies adversely.

The risk appetite of the Bank is dynamic and will evolve with business profile, strategy, economic environment, and shareholders' expectations. The risk appetite framework aligns the risk appetite to business and financial planning and requires revising and/or developing Risk Appetite limits with the evolving risk profile of the Bank.

Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

Bank uses various Internal Credit Risk Assessment Models and scorecards to assess borrower-wise credit risk. Various Credit Risk models for internal credit ratings of the borrowers were developed internally/externally. They are reviewed and back tested periodically through comprehensive internal/ external validation. The internal ratings are validated by independent rating validating authority.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers with an objective to build a resilient portfolio and de-risk from portfolio concentration. The Bank has developed in-house models for risk assessment of various Countries, State Governments, Group Borrowers etc. and setting exposure caps. As a part of enhanced exposure monitoring, quarterly reviews are carried out for the Bank's key exposures, segments, industries and sectors. A dedicated team tracks internal & external developments to assess impact on the portfolio performance and recommend pro-active remedial actions. The Bank also conducts comprehensive Thematic review comprising sector outlook & other event-specific impact studies.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market risk positions.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors interest rate risk in its trading book through risk limits like modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Individual Gap Limits (IGL), Aggregate Gap Limits (AGL) and total Aggregate Gap Limit (TAGL) on a daily basis. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented as per the extant guidelines of the Bank. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis. Risk-return analysis of treasury trading portfolio is also conducted on a quarterly basis. The market risk capital charge for the Bank is computed by mid office as per the Standardized Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

Asset Liability Management

The ALM is the process through which the Bank manages its exposure to liquidity and interest rate risks, by adjusting the composition and maturity pattern of its assets, liabilities and off-balance sheet items, with the goal of achieving its target NII/NIM in line with the business plan.

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that a bank

maintains an adequate level of unencumbered, high quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30-calendar day liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a regulatory liquidity standard under Basel III that requires banks to maintain a stable funding profile relative to the composition of their assets and off-balance sheet exposures. This ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100% on solo basis as well as a consolidated basis.

Interest rate risk is the current and prospective risk to the Bank's Net Interest Income (NII) and the Economic Value of Equity (EVE) arising from adverse movement internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, as well as the quality, maturity and re-pricing period of deposits and advances. External factors primarily reflect general economic conditions. Changes in interest rates have a significant impact on banks. The immediate impact is seen in the Bank's earnings through changes in NII. The long-term effect is on the EVE or Net Worth, as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet is impacted by fluctuation in market interest rates.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Duration Gap Approach. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) is worked out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity."

Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organization. ORMF comprises the organizational structure for management of Operational Risk, Governance Structures, Policies, Procedures and Processes whereas ORMS consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk. The Bank has a web based Operational Risk Management System for data capturing and for systemic and integrated management of Operational Risk. In our endeavour to use the best of technology, Bank is using a web based Operational Risk Management System for Operational Risk Compliance & Governance. Monitoring of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk & Control Self-Assessment Programme (RCSA) and Root Cause Analysis of various loss incidents strengthen the control environment. The Bank has created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management.

Ongoing review of products and processes in the light of the changing business environment further strengthens the risk culture. Efforts are made for inculcation of risk culture, values, beliefs, knowledge, attitudes and understanding about risk among the staff. In order to ensure this, Campaigns are carried out to create awareness in the staff by the means of emails, workshops, on-the-job trainings, webinars, meetings, fliers, magazines, E-Learning modules etc. Also, Risk Council comprising of frontline staff has been formed to further strengthen the Risk Aware Culture through bottom-up approach. Furthermore, through strategic utilization of social media platforms, initiatives have been deployed to increase customer awareness regarding prevalent fraud incidents, accompanied by actionable guidance to mitigate susceptibility to such fraudulent activities.

Business Continuity Plan

The Bank is committed to providing uninterrupted services to its customers. A robust Business Continuity Management Framework has been established based on the Plan-Do-Check-Act cycle to ensure consistency within the Business Continuity Management System. The framework is in line with the guidelines issued by RBI and global best practices. The Bank continuously strengthens its business continuity preparedness, assuring customers of reliable and secure services even during adverse situations. Business Impact Analysis and dependency mapping across critical processes support effective risk understanding, optimal resource allocation, and enhanced operational resilience. The Bank operates ISO 27001:2022 certified Data Centre and Disaster Recovery facilities capable of managing core banking and other critical operations during disruptions. Additionally, the Bank has achieved ISO 22301:2019 certification covering Risk Management, Digital Group, and Treasury functions.

Sustainability, ESG and Climate Risk

Bank of Baroda recognizes ESG and Sustainability as fundamental drivers of inclusive, long-term growth, embedding these principles into its core strategy to build a resilient, future-ready banking institution. By aligning environmental responsibility, social commitment, and strong governance with its business model, the Bank seeks to enhance stakeholder value, accelerate the low-carbon transition, and underpin sustainable economic progress.

During FY 2026, the Bank significantly deepened its sustainability footprint through a structured and outcome oriented agenda, marking an important milestone in its journey of "Progressing with Purpose: Our Sustainability Journey". The implementation of the Bankwide ESG Policy, supported by a clear roadmap, reinforces its longterm commitment to achieving Net Zero emissions by 2057 and a phased reduction in Scope 1 and Scope 2 emissions, while fostering an ESGcentric culture and embedding performance monitoring across business verticals. This is underpinned by a strong governance framework that systematically integrates sustainability into decisionmaking, risk oversight, and operational practices across the organization.

The Bank's Board-approved Climate Risk Management Policy integrates climate-related risks and opportunities into

the Bank's core strategy, anchoring climate-resilient practices across business, operations, value chain, and stakeholder engagements. Complementing this, the Board-approved Sustainable Financing Framework provides a comprehensive structure for the issuance of Green, Social, and Sustainability (GSS) bonds in line with regulatory guidelines and international best practices. On the sustainability front, the Bank has expanded its sustainable financing portfolio, particularly in renewable energy, energy efficiency, and clean transportation, while offering the Bob Earth Green Term Deposit Scheme that enables depositors to contribute directly to environmental-friendly projects, combining secure returns with tangible climate impacts. As of March 31, 2026, the Bank's Green Deposits portfolio stands at ₹1899.12 crore. The entire proceeds of the green deposit portfolio have been deployed into renewable energy and clean mobility sector. The Bank has also become the first Indian bank to issue Domestic Green Infrastructure Bonds, by mobilizing ₹10,000 crore through a 7-year Series I Green Infrastructure Bond, the proceeds of which being utilized for financing/refinancing eligible green projects.

Internally, the Bank has intensified efforts to reduce its operational carbon footprint through energy-efficiency retrofits, rooftop solar installations, LED lighting across domestic branches, extensive tree-plantation drives, use of recycled paper, and accelerated digitization to minimize paper consumption. As of March 31, 2026, rooftop solar has been installed across 528 sites (including 49 RSETIs) of the Bank, cumulatively sequestering 10,000+ tonnes of CO₂ since inception, while six own-use buildings have received IGBC certification, underscoring the Bank's commitment to green infrastructure.

Bank has created "bob Forest", a 6,000-square-foot urban oasis at the Bank's Corporate Office in BKC, Mumbai, housing over 100 indigenous trees and shrubs from the Sahyadri range, together with rainwater harvesting, compost-enriched soil, and solar-powered gazebo. This has exemplified the Bank's integration of nature-based solutions into its workplace environment.

In the social domain, the Bank continues to champion inclusive growth by extending banking services to underserved and rural communities, supporting MSMEs and women entrepreneurs through targeted financial-inclusion initiatives. Simultaneously, it has strengthened customer experience via digital transformation while maintaining high standards of data privacy and cybersecurity. Employee well-being, diversity and inclusion, and ongoing capacity building remain central to the human-resources strategy, with dedicated programmes to enhance awareness and understanding of ESG and climate-related risks amongst the Bank staff and its value chain partners.

From a governance perspective, the Board level and Executive level CSR & Sustainability Committees provide strong oversight of sustainability initiatives. They are supported by the ESG Department and a dedicated Climate Risk & Sustainability Cell within the Risk Management Vertical. These bodies ensure that sustainability is embedded in credit appraisal, portfolio monitoring, and ESG risk oversight. Zonal

ESG Committees at the field level further strengthen the implementation and monitoring of sustainability practices across the Bank's network. The Bank upholds a culture of accountability, transparency, fairness, and consistency through a stakeholder-centric Code of Ethics, reinforced by ethics counsellors, including dedicated counsellors for women employees, to guide staff in navigating ethical dilemmas.

The Bank continues to meet and enhance its regulatory and voluntary ESG disclosure obligations through its BRSR and Sustainability Report. The Bank's ESG rating has been upgraded from "Strong" to "Excellent" by ESGRisk.ai (Acuite Group), reflecting consistent progress across ESG parameters. Under the umbrella of "bob earth", the Bank reaffirms its resolve to drive positive environmental change and safeguard natural capital for future generations. Through the "bob earth Webpace" platform (<https://www.bankofbaroda.in/bob-earth>), the Bank provides a dynamic, transparent, and interactive showcase of its sustainability ambitions, ongoing ESG initiatives, green product offerings, policies & disclosures and real-time impact data, reinforcing its commitment to responsible corporate citizenship and a greener, more resilient future.

Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank. The tone at the top sets an organization's guiding values and ethical climate. A "High Level Compliance Committee" under the chair of Executive Director and other members comprising of Senior Executives from Assurance verticals and support functions, maintains oversight on all compliance related issues.

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Function headed by Chief General Manager designated as Group Chief Compliance Officer (GCCO) has been set up in the Bank.

The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas centres. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

To further strengthen the compliance in Bank, dedicated

Compliance Officer is posted in each Region, Zone and Overseas Territory. Also, a Nodal Officer is identified in each Department of Corporate Office & Head Office for Compliance function. The activities of these Compliance Officials are being monitored from Corporate Office. Similar Compliance Framework is prevalent in Bank's Domestic and Overseas Subsidiary having dedicated Compliance Officer and Team.

Bank has endeavoured to develop a compliance culture ensuring adherence to laws, rules and regulations and for preventing our banking channels from being misused for money laundering and terror financing activities. Bank is making sustained efforts in improving the compliance culture in your Bank by increasing awareness amongst the employees about Compliance. Weekly Newsletter titled "Anuvritti" is published on weekly interval to spread awareness of Compliance Culture in Bank.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this policy, KYC norms, AML standards and CFT Measures and obligations of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank electronically files Cash Transaction Reports (CTRs), Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit organizations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to Financial Intelligence Unit India (FIU-IND), New Delhi on its portal every month within prescribed timelines.

The Bank has an established Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place AML Solution for monitoring of transactions and detection of suspicious activities in customers' accounts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorization (money laundering risk categorization) of customers' is done on dynamic basis. For Periodic Updation of KYC (ReKYC), Bank has developed an automated process for identification of customers due for ReKYC and sending SMS/email/ physical notices to notify them to complete their ReKYC. Bank also provides Digital / Non-Face-To-Face channels to the Individual customers to complete their Re-KYC without visiting their Bank branch.

Bank has implemented Central KYC (CKYC) process for registration of newly on-boarded customers' KYC information on Central KYC Registry. CKYC number was allotted to 906.11 lakh customers as of March 31, 2026.

Bank has also implemented Video based Customer Identification Process (V-CIP) as an alternate method of establishing the customer's identity for on boarding new Resident Indian Individual customers and facilitating their Periodic Updation of KYC (ReKYC).

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division is headed by Chief General Manager administers various types of Audits i.e. Internal Audit, IS Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Management Audit, HR Audit, Revenue Audit etc. Internal Audit function in the Bank is an independent activity and has sufficient standing and authority within the Bank. The Internal

Audit Department works under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board. Bank's Internal Audit Function works in close co-ordination with other assurance functions i.e. Risk Management Department & Compliance Department.

Central internal Audit Division operates through -25- Zonal Internal Audit Divisions and Vertical Internal Audit Division to carry out internal audit as per the periodicity defined in RBIA Policy. All branches, centralized units, administrative offices, processing cells & verticals are covered under Risk Based Internal Audit. The summarized risk perception of all -8648- branches & Specialized Integrated Treasury Branch as on 31st March 2026 are as under:

- Low Risk Branch : 6,325 Branches (75.04%)
- Medium Risk Branch : 1,887 Branches (22.39%)
- High Risk Branch : 217 Branches (2.57%)
- 218 Branches with no Rating (New Branches)
- Specialized Integrated Treasury Branch is in Low Risk.

Total 1,723 Branches and other units (as on 31.03.2026) are covered under Concurrent Audit covering Bank's 56.1% deposit, 66.7% advances & overall 61.1% business coverage (as on 31.12.2025). All High-Risk Branches, Nodal Government Business Branches, Category B Branches, Currency Chests, Centralized Processing Cells and Centralized Units are covered under Concurrent Audit.

Credit Audit is carried out of all Fresh Sanctions/ Existing Accounts including Retail Loans and Restructured Accounts with aggregate exposure of ₹10 crores and above (FB + NFB) and 5% of borrower accounts are randomly selected from fresh Accounts and Reviewed with increase having aggregate exposure of ₹1 crore above but below ₹10 crores (FB + NFB).

All Bank's branches are subject to Information System (IS) Audit to assess the IT-related risks as part of the RBIA of the Branches. IS Audit of Data Centre & IT Applications are also carried out periodically by IS Audit Team of CISA /DISA qualified IS Auditors and external CERT-in Firms.

Few Key initiatives include the following:

- Introduction of Risk Based Internal Audit of verticals and its successful roll out with completion of audits of all the verticals during the FY 2026.
- Enhanced the scope of concurrent audit by covering Retail Asset Processing Cells (RAPCs) & SMELFs.
- Enhanced the coverage of HR Audit by covering all the branches irrespective of area classification.
- Identification of Key Focused Area (KFA) for internal audit along with annual audit plan to have more emphasis on fraud prone and potential higher risk area of operations.
- Enhancing the coverage of Revenue Audit by including branches covered under concurrent audit on sample basis.
- Enhanced the coverage of Compliance audit by including 50% CBO & currency chest and 25% FEMA Audits.

- Revision of Zero Tolerance Area (ZTA) parameters and enhancing the coverage by introducing -9- fresh parameters considering the potential risk involved with them.
- Enhancing the coverage of Credit Audit by including accounts with short review. Now, identification of sampled accounts for credit audit (₹1 crore & above but below ₹10 crore) is system driven instead of existing manual sampling process with the use of BOBeTHIC portal consisting of pre-defined parameters of sample identification.
- Rationalization of minimum threshold limit for credit audit in overseas territories by implementing territory specific threshold limit.
- To ensure the independence of the Internal Audit Function, structure of Zonal Audit Committee (ZAC) was revised to extinguish the potential conflict of interest.
- Rationalization of CEMU alerts by linking introduction of 'Weekly' frequency and linking of alerts with their potential risk. This will create awareness among field functionaries for timely resolution of CEMU alerts.
- On-boarding BOBeTHIC portal for more robust and best available solution for supply, installation, customization, commissioning and maintenance of web-based software covering the entire audit cycle with data analytics tools to achieve sustained compliance and enriched MIS. At present, Credit Audit & Concurrent Audit modules are operational and RBIA module is under pilot run. It has reduced the possibility of manual sampling in credit audit entirely and in RBIA to some extent.

As per RBIA Policy, External Review of Internal Audit Framework is to be carried out by external firm within -4- years. Last such assessment was carried out by M/s E & Y LLP during FY 2022-23 and as per their assessment dated 05.05.2023 Internal Audit Framework in the Bank is robust and one of the best in peer Banks. Current engagement process of consultancy firm for the very purpose is under process.

Credit Monitoring

The Credit Monitoring is an important part of the credit management, which is essential to monitor credit portfolio and improve the asset quality of the Bank and minimize credit risk. Credit monitoring involves to the continuous review and supervision of a borrower's credit behaviour after a loan or credit facility has been granted. Its primary objective is to ensure timely repayment and detect any signs of financial stress or default at an early stage.

Credit Monitoring involves tracking and evaluation of the borrower's financial behaviour and credit worthiness to identify potential risk. It also ensures compliance with terms of sanction and end use of funds. It focuses that the credit assets remain in standard category and take endeavour for upgrading asset quality of identified stressed accounts and take corrective appropriate action to prevent slippage of the accounts. For the purpose of identifying and monitoring the stressed accounts, Bank is using various tools and methods so as to maintain good asset quality with containment of probable slippage in effective way.

Tools for efficient monitoring & control process: -

Online availability of SMA & Slippage data to Zones/Regions/Branches through QLIK sense portal

- Global SMA 0, 1, 2 Accounts are available on daily basis for easy and efficient day to day monitoring of accounts.
- Technical aspects like review and stock statement of all due accounts are also available on daily basis and progress is being monitored on daily basis.
- Access to the portal has been made available to all the Zones/Regions/Branches for their ease and reduction in their dependency for data from Corporate/Controlling offices.
- Mock degradation data (projected degradation for the month on account of any financial/non- financial reason) is made available on daily basis for follow up and corrective actions.
- Degradation and upgradation files are shared to the concerned Zones/Regions / Branches on daily basis.
- Periodic SMS and e-mails to ZMs/RMs/Branches notifying pendency in key area of Credit Monitoring like review/stock pendency for more than 3 months, Letter of Acknowledgement (LAD), DNR (Document not renewed), Post Sanction Reporting (PSR) noting/ submission pending.
- SMS/e-mail alerts to borrowers regarding insufficient turnover in working capital accounts and for pending submission of monthly stock & book debts statement.
- A system-driven Annual Review Reminder mechanism has been implemented to send automated SMS and email alerts to customers at predefined intervals before and after the review due date, facilitating timely submission of required documents and enabling branches to complete reviews within stipulated timelines.

Early Warning Signal

- A fully tech based EWS solution is implemented in Bank since August 2020 which is being improved from time to time to make it more effective.
- Automated alert generation helps in effective monitoring by identifying the Early Warning Signals in the accounts.
- Risk Categorization of Accounts in HML (High, Medium & Low) are based on the EWS alerts.
- The existing EWS system has been thoroughly revamped in the year 2024 after a detailed audit of existing system and a thorough review by the top management. Health code parameters have been introduced, and it is advised to include a field to incorporate HP rating in process note while taking credit decision. Health Parameter (HP) is a combination of internal rating (BOBICON) and EWS rating of a borrower.
- EWS portal for international territories has also been implemented for better monitoring of advances.

- The solution helps the Bank in early identification of RFA/fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches to closely monitor the accounts with appropriate resolution/ action.

Stock Audit Portal

- Implementation of Stock Audit Portal deploying end to end journey from assigning the audit, submission of report, compliance of observations and final submission of rectification certificate (RC) in all the eligible accounts.
- For proper monitoring of stock & data pertaining to stock audit, Bank has deployed Stock Audit Portal, which allows online assignment of Stock Audit to empanelled CA's. Access to empanelled CA for filling and submission of Stock Audit report.
- Submission of Compliance and CRCs by the Branches and acceptance of same by the Competent authorities
- Monitoring of completion of Stock audits and real time basis data collection will be possible with the help of this portal within prescribed guidelines of the Bank.

PSR Portal

- The Bank has developed a specialized portal designed for noting and monitoring the Post-Sanction Reporting (PSR) process. This initiative is aimed at safeguarding the interests of the Bank by ensuring proper and timely reporting of the post-sanction activities for loans. PSR noting is crucial during various loan-related actions such as fresh loan sanctions, reviews (with increase or decrease), the allowance of Temporary Overdraft (TOD), Adhoc loans, excess sanctions, and modifications in terms after the sanctioning process.
- Implementation of Discretionary Lending Power (DLP) Risk Screening portal enabling to notify the violation and corrective Measures Framework through Rule Engine Integration on existing PSR portal.

CRILC Reporting

Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps, such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's guidelines, stressed accounts with credit exposure of ₹5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on a weekly basis.

System based prediction of Asset Classification

Bank has a predictive program to identify the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/Book Debt statement, review pendency, insufficient/ no credit in CC accounts, inadequate margins in LABOD/ODBOD accounts etc. These triggers focus on taking timely corrective action to prevent downgrading of such accounts. Those accounts are monitored specifically by various operational units for minimizing the slippage of standard assets.

Other monitoring tools:

- The Bank has also digitized the stock and book debt statement submission, which is real time and user friendly.
- Resolution Plan Portal is deployed for identification of borrowers wherein review period is triggered, requirement of additional provision and reversal of additional provision made.
- Revamping CREMON Portal by introducing auto generated fact sheets indicating major irregularities along with integration of portals like ethic, stock audit, PSR etc.

Vigilance

The Vigilance administration in the Bank is professionally managed and an integral part of management function. It promotes clean business transactions, professionalism, productivity and ethical practices apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions. The Bank has a very strong and transparent Vigilance Administration headed by Chief Vigilance Officer who oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines from the Central Vigilance Commission. Participative / Proactive & Preventive vigilance are the important functions of Bank's vigilance administration. The Chief Vigilance Officer is supported by three Additional Chief Vigilance Officers, who are stationed at Mumbai and Delhi.

The vigilance machinery in the Bank also imparts knowledge at all levels about vigilance functions, extends help to various disciplinary authorities and appropriate authorities to act swiftly and correctly in examining issues arising out of frauds, complaints and serious irregularities pointed out in various inspection reports of branches/ offices.

Vigilance setup at Corporate Office headed by Chief Vigilance Officer is supported by Zonal Vigilance department at each zone, which conduct preventive audits of branches at regular intervals and to act proactively on information that controls the damage at bare minimum level.

The vigilance function in the Bank comprises of three aspects:

1. **Preventive Vigilance:** Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business, identification of sensitive posts and scrutiny of personnel posted thereon, ensuring observance of conduct rules, monthly meetings at branch level to discuss branch specific vulnerabilities, training programs for staff, regular scrutiny of inspections and audit reports, conducting gap analysis of systems and procedures and issuance of advisories for Systemic improvements and undertaking circulars on preventive vigilance to be regularly issued and circulated by various business verticals to reduce the number of vigilance cases.
2. **Detective Vigilance:** Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in the

sensitive area to detect if there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking prompt scrutiny of annual property returns and take further action if called for, handling complaints, gathering intelligence from own source about the misconduct/ malpractices, getting in-depth investigations done and examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.

3. **Punitive Vigilance:** In addition to ensuring that employees at all levels indulging in wilful and malafide transgressions of rules and provisions are not allowed to go unpunished. The Bank also ensures that bonafide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

The vigilance function in the Bank enables proactive decisions by stressing on strengthening systems and procedures through preventive vigilance administration. It also plays a major role in identifying and plugging loopholes and providing inputs to the top management in framing policies in fraud prevention. The turnaround time of disciplinary cases improved due to proactive communication which helped in motivating the employees with quick redressals. CVO also coordinates with CVC & DFS for necessary guidance & feedback on vigilance related matters and Law Enforcement Agencies like CBI & ABBFF for criminal actions in case of frauds.

Legal Service

The Bank has a vibrant legal department consisting of qualified and experienced legal officers. The main role of the Legal Department is to support and to provide assistance for various matters relating to Opinion, Documentation, Litigation, etc., referred by or in relation to various functional departments of the Bank. The department also provides support for references submitted by the various Zones, Regional Offices, domestic and foreign branches, and subsidiaries of the Bank on the matters related to legal aspects.

Further, in order to meet the digitalization of banking loan process, a set of documents for retail and SME facilities compatible with digital lending platform has been prepared which will enable Bank's customers to execute the documents through electronic means. Loan Document Manual has been revisited and simplified the documents to ensure they remain relevant, clear, and aligned with current business needs. The department has also drafted customized documents for different departments, showing its flexibility and responsiveness to specific requirements.

Law Officers of the Bank vet the documents before disbursement of loan amount as per Bank's Global Credit Policy. In the normal practice either the Law Officer Travels to the concerned branch where the documents have been executed or the Documents are brought at the concerned administrative office where the law officers are posted. In order to pace with the digitalization process, "Portal for Vetting of Loan Documents" has been developed to ease the process by enabling the Law Officers to vet the documents from their office. The basic object of the portal is to ensure vetting / verification of Loan documents in real time through

digital mode to expedite the process of vetting and restrict the unnecessary movement of Bank's officers as well as of the documents.

Additionally, an Advocate Portal has been developed through which application from advocates are invited for empanelment. The Branches assign the work to panel advocate through the portal and monitor their work.

Further, the Bank has been promoting environment of knowledge sharing by issuing 'Circulars', on key judgments impacting bankers and inhouse quarterly Newsletter 'Legal News Flash', etc. regarding ever changing set of laws, latest amendments and interpretation of laws by Courts affecting the Banking sector. In coordination with Apex Academy, the department conducted a training program for 255 Law Officers in phase wise manner to enhance their expertise in specific legal areas and familiarize them with new and updated laws, rules, and regulations.

The Integrated Litigation Management System 2.0 (Faster, Smarter & Better) was implemented to streamline and centralize the management of litigation cases against the Bank not acknowledged as debt for a better synchronisation with Return 4 and smooth & hassle-free monitoring of the cases.

As on 31.03.2026, total pending cases (Litigation Against Bank) before the various Courts/Forum/Tribunals are 4338. We succeeded to get disposal of total 611 cases during financial year FY 2026. Out of the total disposal of cases 432 cases (i.e. 70.70 %) were decided in favour of the Bank, 51 cases (i.e. 8.34 %) were settled, and 129 cases (i.e. 21.11 %) were decided against the Bank.

Human Resources Management

Our employees remain at the heart of our Growth Journey. The Human Resources philosophy of the Bank rests on a simple yet profound principle: when our employees are happy & enjoy their work, when they are engaged, and empowered, they naturally create exceptional value for our customers and stakeholders.

This year, we have continued to strengthen this people first approach through various initiatives across talent acquisition, learning and development, employee engagement, well-being, diversity and inclusion, and retiree welfare.

Talent Acquisition: Building our Future

In an era of rapid digital transformation and evolving customer expectations, attracting and nurturing the right talent continues to remain a strategic priority for the Bank. The Bank has adopted a multi-dimensional talent acquisition approach, including lateral hiring of experienced professionals across critical domains, to diversify talent pools and align workforce capabilities with its evolving business requirements and long-term strategic vision.

The Bank has also strengthened its employer brand positioning by fostering a work environment that offers meaningful career opportunities, continuous learning, professional growth, and innovation-driven development.

During the year, the Bank undertook a comprehensive manpower planning exercise to align workforce requirements with business priorities and future growth objectives. In line with this strategy, focused recruitment initiatives were undertaken, supported by structured onboarding, induction, and training programmes to ensure seamless integration of new employees into the organisation.

During FY 2025-26, the Bank onboarded more than 4,000 employees, including Probationary Officers, Customer Service Associates, and Contractual Officers through lateral hiring across key domains such as Information Technology, Retail, Rural & Agri Banking, MSME, Corporate & Institutional Credit, Trade & Forex, Security, and Information Security. In addition, over 2,000 apprentices were inducted during the year, further strengthening the Bank's talent pipeline and future-ready workforce capabilities.

Learning and Development: Investing in Growth

The Bank recognizes that continuous learning is not only essential for professional excellence but also critical for enhancing employee engagement, adaptability, and long-term organisational growth. Accordingly, the Learning & Development framework has been continuously strengthened to foster a culture of continuous learning aligned with technological advancements, regulatory developments, and evolving business requirements.

During the year, the Bank further enhanced its learning ecosystem through policy interventions, expanded training outreach, and adoption of blended learning methodologies combining classroom training with digital platforms. Microlearning modules and role-based training curricula were also introduced to enable focused, efficient, and accessible learning without disrupting business operations.

More than 95% of the workforce underwent in-class physical training during FY 2025-26. In addition, continuous learning initiatives such as weekly quizzes, audio summaries of circulars, podcasts, and digital libraries were introduced to encourage self-paced and interactive learning. Increased adoption of digital platforms and the Learning Management System facilitated timely, scalable, and cost-effective delivery of training across the organisation.

The Bank also focused on strengthening new-age and technology-driven capabilities through Individual Development Plan (IDP)-based learning and simulation-based training modules replicating real-life business scenarios, thereby enhancing practical and decision-making skills.

To further augment internal capabilities and promote a hybrid learning model, the Bank partnered with premier institutions such as IIM-A, ASCI, IDRBT, and National Forensic Sciences University for specialised and industry-relevant programmes. The Bank also facilitated cross-bank training programmes with participation from over 10 banks, promoting industry collaboration and knowledge sharing.

Manojeeet – Beyond Customer Delight was introduced to strengthen service excellence, customer-centricity, communication, empathy, and problem-solving skills among employees.

The Bank also launched specialised programmes such as the Comprehensive Forex Management Program and the Comprehensive Credit Management Program (CCMP) to build a strong pipeline of credit and forex trained officers through structured classroom learning and on-the-job exposure.

Leadership Development and Mentoring: Nurturing Tomorrow's Leaders

The Bank continues to strengthen its leadership pipeline through structured mentoring and leadership development initiatives aimed at building future-ready leaders capable of navigating evolving business challenges with confidence and strategic vision. Formal mentoring interventions have been institutionalised to facilitate knowledge sharing, capability building, and leadership grooming across levels.

During the year, the Bank successfully implemented the *Prerna – Path to Inspiration* Mentorship Programme for women employees, enabling structured one-on-one engagements between senior leaders and emerging talent. The programme focused on career development, leadership capability enhancement, and addressing workplace challenges, supported through targeted training interventions and expert-led masterclasses on areas such as personal branding and professional effectiveness.

The Bank partnered with IIM-A for conducting the Strategic Leadership for Transforming Tomorrow programme for senior leadership. The programme focused on advanced strategic thinking and leadership capabilities, equipping leaders to address complex business challenges and drive organisational transformation.

The Bank also collaborated with XLRI, Jamshedpur for leadership onboarding programme for newly promoted Executives. The programme aimed at strengthening strategic leadership, managerial effectiveness, and organisational alignment, enabling leaders to effectively transition into higher responsibilities.

Employee Engagement : Creating Joy at Work

Employee engagement at the Bank extends beyond periodic surveys and initiatives, it is embedded in the Bank's culture and day-to-day operations. The Bank firmly believes that engaged employees bring greater authenticity, innovation, collaboration, and passion to their work, thereby contributing to stronger organisational performance and customer experience.

During the year, the Bank undertook several initiatives aimed at strengthening employee connect, fostering inclusivity, and enhancing workplace experience. Key initiatives included:

- **SAMVAD** – a structured leadership interaction platform enabling direct engagement between senior management and employees, facilitating open dialogue, better understanding of ground-level concerns, and timely resolution of issues.
- **Recognition Platforms** – digital initiatives such as the Hall of Fame and structured recognition mechanisms to celebrate achievements across professional, sports,

and cultural domains, thereby reinforcing a culture of appreciation and motivation.

- **Inclusive Support Measures** – implementation of an Additional Monthly Mobility Support / Commuting Reimbursement Scheme for employees with benchmark disabilities (up to Scale IV), strengthening accessibility and inclusivity beyond existing provisions.
- **'Listen. Learn. Lead.'** (L3) Speaker Series – a structured platform providing employees with access to motivational and developmental sessions by eminent internal leaders and distinguished external experts on themes such as leadership, resilience, emotional intelligence, and work-life balance.

The Bank also continued to leverage pulse surveys and role-based feedback mechanisms to assess employee sentiment across functions and geographies, ensuring that employee feedback remains an important input in shaping engagement and workplace initiatives.

Aligned with its vision of fostering a people-centric and socially responsible organisational culture, the Bank further encouraged employees to actively contribute towards community development through the Baroda Anubhuti initiative. On the occasion of the Bank's Foundation Day, employees participated in activities such as tree plantation drives, blood donation camps, distribution of educational materials, and support initiatives for schools, orphanages, and old age homes.

Collectively, these initiatives have strengthened employee engagement, enhanced communication and collaboration, fostered a culture of recognition and inclusivity, and contributed towards building a positive, connected, and high-performing organisational environment.

Employee Well-being & Welfare: Caring for Our People

The Bank places significant emphasis on the holistic well-being of its employees, recognising that a healthy, motivated, and resilient workforce is fundamental to sustained organisational performance and productivity. During the year, a wide range of initiatives focusing on physical, mental, and emotional well-being were implemented across the organisation.

Key initiatives included introduction of an Emotional Wellness & Mindfulness Allowance, observance of Wellness Month, regular yoga and meditation sessions, health awareness programmes, and comprehensive health check-ups for employees and their families, promoting preventive healthcare and overall wellness. Daily online wellness sessions and awareness programmes further encouraged employees to integrate healthy practices into their routine lifestyles.

In line with its focus on promoting physical fitness and healthy living, the Bank also introduced Reimbursement of Marathon Expenditure, encouraging employees to participate in marathons and other fitness events, thereby reinforcing a culture of wellness and active living.

The Employee Assistance Programme (EAP) continued to provide counselling support and stress management interventions through multiple channels, including in-person,

virtual, and telephonic modes. Workshops on mindfulness, emotional well-being, and stress management were also conducted across locations, benefiting a large number of employees and strengthening awareness around mental health and resilience.

Further, structured initiatives such as CPR training programmes, wellness pledges, and other fitness and wellness interventions were undertaken to encourage proactive health management, enhance emergency preparedness, and foster a safe and health-conscious workplace culture.

Collectively, these initiatives reflect the Bank's continued commitment towards creating a supportive, healthy, and employee-centric work environment that enables employees to perform at their best while maintaining overall well-being.

Diversity, Equity & Inclusion: Strength in Diversity

The Bank views diversity, equity, and inclusion (DEI) as key enablers of organisational strength, innovation, and sustainable growth. The Bank remains committed to fostering an equitable and inclusive workplace where employees across genders, backgrounds, abilities, and experiences are provided equal opportunities to grow, contribute, and succeed.

The Bank has implemented various structured initiatives aimed at strengthening diversity and enhancing representation across levels, with particular focus on leadership development and career progression for women employees.

Key initiatives include the formation of 'bob Pankh', a dedicated forum for women employees across Zones, providing a platform for mentorship, networking, peer support, and addressing workplace challenges. The Bank has also introduced supportive measures such as sabbatical leave, crèche facilities, and reintegration support to facilitate greater work-life balance and career continuity for women employees.

Regular training and awareness programmes on diversity, inclusion, and POSH guidelines are conducted to promote a safe, respectful, and inclusive workplace culture across the organisation.

Further, the Bank conducted a Masterclass on Unconscious Bias for an Inclusive Workplace for senior leaders, reinforcing the importance of driving inclusive behaviours from the top and strengthening leadership accountability in fostering an equitable and inclusive organisational environment.

Welfare of Retired Employees: Honoring Our Veterans

The Bank remains deeply committed to the welfare and well-being of its retired employees, recognising their invaluable contribution to the institution's growth and legacy. Several welfare measures continue to be extended to support employees during their post-retirement years.

These initiatives include access to Holiday Homes, consultations with Part-Time Medical Consultants, Special Medical Aid, and reimbursement of Medical Insurance premiums, reflecting the Bank's continued commitment towards employee care beyond active service.

To enhance convenience and accessibility, key HR services such as Pension Pay Slip and PPO generation, tax

computation, medical premium receipts, TA/DA claims, and Holiday Home bookings have been integrated into the HR Connect mobile application, enabling seamless 24x7 access through a user-friendly digital platform.

Further strengthening its digital initiatives, the Bank has integrated Jeevan Pramaan with HR Connect, facilitating online submission and auto-verification of Life Certificates and ensuring uninterrupted pension disbursement without the need for physical documentation.

Reservation Cell

An exclusive cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for employees belonging to Scheduled Castes (SC) /Scheduled Tribes (ST) / Person with Disabilities (PWD) /Ex-Serviceman (Ex-SM)/ Other Backward Classes (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS).

Executives in the rank of General Managers are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD/EWS and Ex-Serviceman employees and for OBC employees respectively who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from 1st February, 2019 reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWS) in direct recruitment in the Bank was implemented.

The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PwBDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in officer, (identified posts), clerical and sub-staff cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste category wise count as on March 31, 2026						
Cadre	Total	GEN	SC	ST	OBC	EWS
Officer	45432	19866	7787	3516	13826	437
Clerk	25203	10264	4151	2594	8011	183
Sub staff	4741	1311	1583	491	1356	0
Total	75376*	31441	13521	6601	23193	620
% to total staff strength		41.71	17.94	8.76	30.77	0.82

* Includes only Regular employees posted at Domestic Operations of the Bank.

Cadre	PwD	Ex-SM
Officer	1251	693
Clerk	965	3075
Sub staff	97	385
Total	2313	4153
% to total staff strength	3.07	5.51

The Bank holds Quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST (AIBOBSCSTEW) Employees' Welfare Association and Quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' (AIBOBCEWA) Welfare Association, for addressing their concerns.

Bank conducts following training programmes every year for staff members belonging to SC/ST/OBC category and

Liaison Officers of SC/ STs and OBCs at its various training academies:

- Pre-promotion training for SC/ST/OBC candidates.
- Workshop on reservation policy.
- Training programme on disciplinary proceedings.

Recognition of People-Centric Initiatives

The Bank's various initiatives in the areas of employee development, engagement, well-being, inclusivity, and organisational excellence have received recognition at leading industry forums during the year. In recognition of its progressive and people-centric HR practices, the Bank was conferred with the following awards:-

- Significant Achievement in HR Excellence Award by Confederation of Indian Industry (CII).
- Best Advance in Mobile Learning Technology Gold Category Award at Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards 2025.
- Best Companies for Women in India Award in the BFSI sector by Avtar & Seramount

As we look toward the future, the Bank remains steadfast in its commitment to creating a workplace where every employee finds purpose, growth, and joy in their work. Our people strategies will continue to evolve, leveraging technology while staying rooted in human values, ensuring that the Bank remains the employer of choice in the Banking sector.

Document Management System

Bank of Baroda is the first among PSBs to implement Document Management System (DMS) to manage the records for freeing up space by shifting old records to vendor's warehouse and thus give our Branches a neat & clean look providing better feel and experience to our customers. During this financial year 570 branches/Offices Record Management System (RMS) activity has been completed. Under DMS, physical records are barcoded, indexed, and moved to the warehouse of Record Storage Agency for storage thereof, which can be retrieved at any time as per Bank's requirement. The space which is unlocked is being utilized for customer service efficiency, better branch ambience etc.

Premises Re-engineering

- State of the Art construction of Apex Academy Building at Law Garden, Ahmedabad completed and put to judicious use.
- Construction of 50 RSETI Buildings completed till date.
- Achieved 159% of the set target for procurement through GeM portal in FY 2026.

Green/other Initiatives

- 386 Leased Branches in rural/semi urban areas being run on Solar Energy capacity of approx. 2.96 Mega Watts reducing approx. 7,412 Tons of Carbon Dioxide Emission since inception.
- Installed Solar Panels in 93 owned Premises of the Bank.

Installed capacity approx. 1.91 Mega Watts reducing approx. 3,021 Tons of Carbon Dioxide Emission each year.

- Solar Panels of Capacity 125 KWp installed at Bank's MMO Building, 100 KWp at Baroda Apex Academy Building.
- Bank has set up Rain Water Harvesting system in 18 Administrative Buildings.
- IGBC Green Building Certification in Bank's 6 Owned Buildings.
- Water Efficient Taps & Waterless Urinals installed in several Administrative Buildings saving approx. 30 lakh Liters of water a year.
- Introduced Recycled Paper for office use as pilot project in Corporate Office, Ceased the practice of using plastic water bottles under Green initiatives-BOB Earth.
- Automation of work order portal to generate monthly & quarterly procurement reports pan India.
- Automation of Lease Management Portal pan India.
- Significant reduction in expenses related to cartridges and stationery items, achieving overall cost cutting of approximately 25% compared to the previous financial year.
- Health Checkup camps for staff members in tie-ups with various Medical Centers /Hospitals conducted. 24*7 Ambulance facility provided at Baroda Corporate Centre (BCC), Mumbai.
- 100% achievement in conduct of Currency Chest audits by CSO & Security Officers.
- Development of Mobile Banking Security App with help of IT Projects to help Security Officers in Risk assessment of Branches.
- Digitization of Security Reports of Bank's Branches.

Implementation of Official Language Policy

Use of Hindi and other Indian Languages for Promotion of business growth and delivery of digital products to customers is a key feature of the Bank's Official Language Policy. This approach has been appreciated from time to time by the Government of India and regulatory authorities. Your Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme FY 2026 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the Bank.

Meetings of the Central Official Language Implementation Committee, chaired by the MD & CEO/ Executive Directors, were regularly convened on a quarterly basis, and several new initiatives were undertaken during FY 2026. Your Bank announced the launch of "bob SAMVAD", the industry's first AI-powered multilingual conversational platform aimed at redefining customer interaction experiences across

branches. Designed to eliminate language barriers, the platform enables customers and branch staff to communicate seamlessly in their preferred language. Developed entirely in-house, bob SAMVAD leverages AI-driven speech and language technologies to enable real-time, low-latency, two-way communication across 22 languages, ensuring contextual accuracy and natural fluency, while embracing India's linguistic diversity.

Your Bank has made remarkable progress in providing mobile banking and transactional SMS services in Hindi and 12 other regional languages. WhatsApp Banking services have also achieved significant advancement and are now available in Hindi, Gujarati, Bengali, Marathi, Tamil, Punjabi, Telugu, Kannada, Malayalam and English. Internet Banking services are also available in Hindi for the convenience of customers. In addition, the Bank's Virtual Relationship Manager "Aditi", chatbot "ADI", ILMS package, Digital Loan Platform and BC Gyan Portal are also available in Hindi. During the period under review, as a new initiative, all auto-generated emails sent through various apps and digital channels/portals of the Bank, as well as sanction letters containing terms and conditions generated through the LLPS package, were made available bilingually in Hindi and English. The Digital Baroda Kisan Credit Card and Gold Loan journeys were also made available in Hindi. All emails sent through the Re-KYC platform were likewise made available bilingually.

Bank introduced an Official Language Rating System for its branches/offices and initiated the "Bhashayi Chaupal" programme for its staff members. The Same were continued during the year. The Bank has created "Shabdanad" page on its website to preserve records of various Official Language activities, awards and other related information pertaining to the Bank at the Corporate Office, Zonal Offices, Regional Offices and branches.

The Bank also organised quarterly campaigns across various departments established at Zonal Offices, such as Risk Management, Information Technology, Legal and Credit, to increase correspondence in Hindi. Hindi Diwas, World Hindi Day and International Mother Language Day were celebrated across various offices/branches in India and overseas. To foster creativity and writing skills among staff members, the Bank continued publication of two corporate-level magazines — Bobmaitri (house magazine) and Akshayam (Hindi magazine). The Bank has also been continuously expanding the reach of the mobile application "bob Abhivyakti 2.0", developed for serving and retired staff members. The app provides an engaging online reading experience for all magazines/newsletters, including Bobmaitri and Akshayam, while also supporting the Bank's Go-Green initiative in a significant manner.

For customer convenience, the Bank's self-service passbook printing kiosk has been enabled to print passbooks in Hindi. While extending digital banking facilities, the Bank is also providing SMS alerts in Indian languages for all Financial Inclusion accounts. The Bank is offering the facility of generating bilingual certificates/statements/reports through its mobile banking app. The HR Connect Portal for employees has also been made bilingual. The Hindi website of the Bank

has been redesigned attractively and its content is regularly updated, resulting in a significant increase in visitor traffic. The Bank has also enabled customers to choose SMS and WhatsApp Banking facilities in their preferred language while opening accounts through Tab Banking. The Bank has consistently ensured posting of Hindi content on social media handles on appropriate occasions.

In line with evolving banking requirements, the Bank has developed an AI-based "Samarthya Toolkit 3.0" (Technical Toolkit) to promote Official Language implementation and create awareness among staff members regarding various e-tools for working in Hindi and regional languages. Training programmes on the use of this tool were conducted at various levels. Furthermore, to connect with the younger generation, the Bank organised various programmes and competitions in schools and colleges across the country, thereby strengthening the Bank's image among youth and contributing towards business mobilisation and growth.

The efforts of your Bank have been appreciated by the Government of India from time to time. During the year, the Bank was awarded with the First Prize under the Government of India's "Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme for outstanding performance in the field of Official Language implementation. In addition, The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Vadodara, functioning under the convenorship of the Bank was awarded the Third Prize under the "NARAKAS Rajbhasha Samman" scheme. Similarly, the Gandhinagar, Ahmedabad and Jaipur TOLIC, functioning under the convenorship of Bank, were also awarded by the respective Regional Implementation Offices of the Government of India. The Bank's Zonal Offices at Baroda and Lucknow, and Regional Offices at Jaipur and Varanasi, were also awarded for excellence in Official Language implementation by the respective Regional Implementation Offices of the Government of India.

During FY 2026, the Bank was conferred a total of 26 awards from the Ministry of Home Affairs, Government of India, including Kirti Puraskar Awards, Regional and other Awards. Further, various offices of the Bank received a total of 115 awards from various TOLICs across the country functioning under the aegis of the Ministry of Home Affairs. The Bank was also awarded a Certificate of Appreciation by senior officials of the Department of Financial Services, Government of India, for people-centric and innovative initiatives relating to Indian languages, effective implementation of the Official Language Policy, and optimum use of technology for progressive use of the Official Language.

The Bank organised regular meetings of 29 Town Official Language Implementation Committees functioning under its convenorship and ensured compliance with the guidelines prescribed by the Government of India in this regard. The Bank also continued its flagship "Medhavi Vidyarthi Samman Yojna" to promote Hindi in 70 universities across the country. Under this scheme, cash prize and certificates of merit are given to two meritorious students securing first and second positions in the final year M.A. (Hindi) examinations every academic year.

In essence, the Bank remains committed not only to fulfilling its constitutional obligations relating to Official Language, but also to promoting the use of Hindi and other Indian languages as tools to business development and enhanced customer convenience.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various development activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously strives to contribute towards social welfare & environmental protection, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities like women welfare, health care etc continues to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has -69- Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 11 States/UTs across the country to impart skill development training to the youth of rural and semi urban areas for generating self-employment. Since inception, these centres have conducted 28,789 training programmes and imparted training to 8.19 lakh youth, out of which 5.81 lakh have already setup their own ventures or have secured wage employment.

The Bank has also set up -88- Financial Literacy Centres (FLCs) in 13 States/UTs which provide financial counselling services and education to the people in rural, semi-urban and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, cyber security awareness, and awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual. During this financial year our FLCs centres across the country conducted 9111 meetings/camps to impart financial awareness to 3,99,547 people.

As per RBI directives, Bank has also set up 196 Centres for Financial Literacy (CFLs) spread across -9- states and -1- Union Territory that are aimed at imparting financial literacy in tribal and backward blocks through innovative and participatory approach.

As a part of Bank's commitment towards protection of environment, under Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, Bank is implementing a project of planting a tree against Auto loan/Housing loan disbursement.

In addition to above, Bank has also donated to various social causes viz., financial assistance to deserving poor students for their education, donation of medical equipment and healthcare to hospitals, donation towards installation of RO Water Purification System for providing safe drinking water, financial support for Life-Saving Pediatric Cardiac Procedures, donation for providing assistive devices to Divyangjan, donation towards relief fund in natural calamities affected areas.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOBCARD Limited

Established in 1994 as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, BOBCARD Limited operates as a Non-Banking Financial Company specializing in credit cards. Its core proposition lies in offering simple, transparent, and fairly priced products with a fully digital application process.

FY 2026 marked another year of consolidating BOBCARD's position in the industry and deepening integration with its parent bank. BOBCARD ranked 8th basis number of active cards as per Mar'26 RBI report. The company issued 7.61 lakh new credit cards, maintaining its status as one of the largest issuers in incremental customer acquisition.

Growth was driven by a two-pronged strategy (i) Focus on premium offerings (ii) Expansion through strategic partnerships

The credit card industry is increasingly witnessing a strong shift towards premium, travel-led, and digitally integrated propositions, particularly across younger and affluent customer segments. Aligned to this evolving market trend, BOBCARD has introduced new products in FY 2026 catering to various market segments. These BOBCARD products demonstrate encouraging traction across expanding customer base, customer engagement, and spend behaviour, while simultaneously strengthening BOBCARD's digital ecosystem capabilities. Various Customer engagement initiatives were implemented to further strengthen the customer lifetime value during FY 2026.

Brief Highlights of BOBCARD limited for FY 2026

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025	FY 2026
Total Assets	6,671.78	7,466.49
Net Profit/(Loss)	56.74	(0.36)
Net NPA levels	137.30	209.16
Credit rating	Crisil A1 +	Crisil A1 +
	India rating A1 +	India rating A1 +

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, is a SEBI registered Category-I Merchant Banker and also a Stock Broker with memberships of National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes fund raising from primary markets, PE funds, debt syndication, debt resolution, mergers and acquisitions advisory, stock broking (both institutional and retail) and depository. It has two operating segments, viz. Investment Banking and Broking.

BOBCAPS continue to focus on originating deals and growing broking business. The Retail Broking business revenue has shown remarkable growth of 64% YoY. Institutional Broking business have continued to empanel new clients & revival

of large clients for business expansion. Investment banking team worked on multiple mandates & successfully closed transactions including IPOs, OFS, Debt resolutions, Debt syndication & DCM deals. Investment Banking Equity team successfully closed IPO of Smartworks, Cleanmax, OFS of Andrew Yule and company, advisory of RACL geartech, appointed left lead for couple of upcoming deals. For the year, Company incurred a loss, primarily on account of lower revenue in the current period and marginal increase in cost. With a view to broaden revenue mix the company launched MTF product during the year & is expected to contribute significantly in coming years.

Brief Highlights of BOB Capital Markets Ltd for FY 2026 are indicated below:

(₹ in crore)

BOB Capital Markets Ltd.		
Particulars	FY 2025	FY 2026
Total Assets	160.88	144.61
Net Profit/Loss	(8.79)	(15.27)
Customer base (Nos)	3,17,264	3,44,309
Total number of branches (Nos)	3	3

Baroda Global Shared Services Ltd.

Baroda Global Shared Services Limited (BGSSL), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, was incorporated pursuant to a strategic initiative undertaken by the Bank in 2017 to consolidate its back-office operations under a single, integrated entity. This initiative was aimed at enhancing process efficiencies and realizing economies of scale.

BGSSL was among the first Shared Services organizations established within the Public Sector Banking ecosystem in India. Over the course of nine years of operations, the Company has emerged as a leading Shared Services provider and a benchmark institution, setting standards for similar initiatives across the Banking sector.

The Company operates as a comprehensive Shared Services organization, delivering a wide range of services to the parent Bank. These include Retail Assets encompassing Sales, Operations, and Collections; Retail Liabilities Back-office Operations; Trade Finance Back-office Services; Call Centre Operations; Financial Inclusion Services; Government Business Support Services; and International Banking Support Services, including support operations for Bank of Baroda – United Kingdom.

During FY 2026, the Company initiated the “Digital Champs” process pilot, deploying BGSSL personnel at Bank of Baroda branches to enhance customer adoption of digital channels, improve digital penetration, and reduce branch-level operational load. Additionally, synergies with subsidiaries were strengthened through the successful rollout of Bank of Baroda credit card cross-sell initiatives in collaboration with BOB Credit Cards, leveraging BGSSL's distribution capabilities.

The Company continues to play a critical role in supporting the strategic objectives of the parent Bank by contributing to a reduction in the overall cost-to-income ratio, improved operational efficiency, mitigation of credit losses, facilitation of new business generation, and strengthening of customer retention. Through its focused service delivery model, BGSSL remains committed to creating sustained value for the parent Bank and other stakeholders.

During FY 2026, the Company played a significant role in supporting the business growth of the parent Bank through its Retail Assets sourcing operations. Leveraging its dedicated Direct Sales team, BGSSL facilitated sourcing of customers across Home Loans, Auto Loans, Education Loans, and Tractor Loans, contributing business aggregating to approximately ₹18,753 crore. This performance was achieved alongside a meaningful improvement in productivity, while maintaining cost of acquisition (COA) at optimal levels.

In the Collections business, the Company extended support to the Bank through tele-calling services for SMA0 accounts. In FY 2026, Collections performance strengthened materially, with tele-calling POS resolution achieving an efficiency of 98.7%, contributing significantly to recoveries.

Further, in line with its commitment to delivering sustained business performance, the Company's Corporate Business Correspondent (CBC) operations recorded an increase in revenue to ₹9.22 crore in FY 2026.

Continuing its focus on operational excellence, continuous improvement, and robust compliance, the Company achieved year-on-year productivity and efficiency improvement of approximately 13% across its back-office operations. During the year, the Company successfully completed ISO 9001:2015 and ISO 22301:2019 surveillance audits and transitioned from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022, reinforcing its commitment to quality, business continuity, and robust information security standards.

Recognizing the growing importance of information and cyber security, the Company implemented several advanced security solutions during the year, including NAC, Secure Web Gateway Enforcement on Remote Devices, ITSM Solution for Endpoint Management, set-up Near Disaster Recovery site at Baroda & deployed Oracle Cloud for business-critical services.

The Company also recorded a score of 4.26 in the DARPAN Employee Survey (BGSSL Internal) conducted during FY 2026, reflecting sustained focus on employee engagement and organizational culture. Further, BGSSL successfully implemented an Enterprise Resource Planning (ERP) system in the Finance function, resulting in enhanced financial governance, improved process integration, and strengthened reporting and control mechanisms.

The Company also deployed a Next-Generation Omnichannel Contact Centre, enabling seamless integration across multiple customer interaction channels and improving efficiency, responsiveness, and overall customer experience.

A Snapshot of the BGSS Financial Performance

(₹ in crore)

Baroda Global Shared Services Ltd. (BGSS)		
Particulars	FY 2025	FY 2026*
Total Income	285.13	243.13
Expenses	265.55	221.98
PBT	19.58	21.15
PAT	16.00	15.01
PAT %	5.61%	6.17%

*FY 2026 figures are unaudited.

BarodaSun Technologies Ltd.

BarodaSun Technologies Limited (BSTL), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, is a Public Limited Company incorporated under the Companies Act, 2013, pursuant to the approval of the Reserve Bank of India dated 3rd January 2017. The Company is mandated to provide IT-related services exclusively to Bank of Baroda, in terms of the said approval, and accordingly, its operations are confined to the requirements of the Bank.

The Company is engaged in providing system integration, consultancy, and IT-enabled business solutions, along with program and project management services for enterprise-wide IT initiatives of Bank of Baroda. At present, the Company's activities are at a nascent stage, with limited services being rendered, in the form of facilitator to Bank of Baroda.

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd is 98.62%. NBL has its registered office in Nainital and operates in five states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and National Capital Region (NCR), Haryana, and Rajasthan. NBL has 176 branches as of March 31, 2026. The total business of NBL increased from ₹13,225.68 crore on March 31, 2025, to ₹14,118.02 crore as of March 31, 2026. The Bank posted a net profit of ₹63.24 crore in FY 2026, compared to a net profit of ₹50.61 crore during the previous year.

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd (BBNPP AMC)

BBNPP AMC is a majority owned subsidiary of Bank of Baroda. It is a Joint Venture (JV) between Bank of Baroda (50.1% shareholding) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd. (49.9% shareholding). The Company is the Asset manager for Baroda BNP Paribas Mutual Fund. Both Bank of Baroda and BNP Paribas AM had existing fund management businesses in India, which were merged in March 2022 to create this Joint Venture.

BBNPP AMC builds on the strength of its sponsors. The AMC leverages the vast network and local reach of the Bank of Baroda and global best practices and market knowledge of BNP Paribas Asset Management. Over the years, AMC has

aggressively invested in strengthening investment capabilities, product range, reach, and distribution. The AMC managed MF AAUM of ₹54,608 crore in March 2026, representing a strong growth of 20% on a YoY basis. Additionally, the AMC has a branch in GIFT city and is registered as Fund Management Entity (FME) wherein it currently offers portfolio management and advisory services to offshore clients with AUM of ₹4,852 crore as of Mar 31, 2026. Driven by strong AUM growth and cost discipline, it has resulted in significant cost savings. The positive Jaw effect led to a significant jump in profitability for FY 2026.

Brief Highlights of Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. for FY 25-26 are indicated below:

(₹ in crore)

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.		
Particulars	FY 2025	FY 2026
Total Assets	257.27	346.90
Net Profit for current FY	55.62	84.50
Average Assets under Management (AAuM)	49,646*	59,459*
Equity to overall AAuM (%)	64%	60%

*Includes advisory and AIF AAuM of ₹ 4,105 crore in Q4'25 and ₹4,852 crore in Q4'26.

Indian MF industry is seeing accelerated growth driven by the rising aspiration of Indian middle class coupled with increased awareness about Mutual funds. An encouraging trend is that smaller towns are growing faster than the pace of larger cities. India has possibly the best digital transaction infrastructure in the world, leading to rapid digital adoption by clients. Our AMC is leveraging all these trends to create a strong presence in India.

The AMC is committed to building a top-tier fund house that serves both -clients at home in India as well as helps foreign investors access the Indian market.

Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt Ltd.

BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd. merged with Baroda Trustee India Pvt. Ltd. (a wholly owned subsidiary of the Bank) with effect from 14.03.2022 leading to formation of Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd. wherein Bank's share is 50.10% and that of BNP Paribas Asset Management Asia Ltd is 49.90%. It is a governing body for Baroda BNP Paribas Mutual Fund / BBNPP AMC with a duly constituted Board of Directors, as prescribed under the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is a domestic subsidiary of Bank of Baroda promoted along with Carmel Point Investments India Private Limited, owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC. Union Bank of India is an investor in the Company. Total share capital of the Company is ₹1,441 crore (including share premium).

In FY 2026, IndiaFirst Life posted Total Gross Written Premium of ₹8,019 crore with YoY growth of 11%. The Company

maintained 12th rank as compared to last year on Individual New Business APE (Regular premium + Single premium at 10%) amongst private Life Insurers. IndiaFirst Life's assets under management (AUM) is at ₹34,403 crore as on 31st March 2026. Company posted Net Profit of ₹127 crore and total Income of ₹9,565 crore for FY 2026. IndiaFirst Life settled over 36,822 death claims amounting to over ₹830 crores apart from maturity/ survival payouts of ₹1,560 crore in FY 2026.

The excellence of the Company across business, brand, digital, and leadership acumen was recognized through 70+ awards during the year. IndiaFirst Life was Certified as a Great Place to Work for the 8th consecutive year by Great Places to Work (GPTW) as India's Top 25 Best Workplaces in BFSI (2026), we have been recognised as India's Top 100 Best Companies to Work For (2025), India's Best Workplaces in Life Insurance (2025), and India's Best Workplaces for Women 2025. IndiaFirst Life is also recognized amongst India's Top 100 Organizations in DEI Excellence. IndiaFirst Life is recognized in the "ET Best Brands 2025" list for 6th consecutive year.

The Company has inaugurated a large operating office at Malad, Mumbai during the year with a capacity of over 300 employees. This will help the Company cater to needs of growing business and expanding channels of distribution over the coming years.

A new brand campaign, "Zimmedariyaan Humse Baantiye, Halka Lagega," went live in November. The campaign has attracted significant media attention and received widespread appreciation across the insurance fraternity. The Company is confident that this initiative will enhance its visibility and strengthen its brand image.

Run by a capable management team, the Company continues to work towards the vision of our Hon'ble Prime Minister of 'Insurance for all by 2047' while balancing interests of all stakeholders through innovative products, tech enabled processes, superior customer experience and value accretive business.

India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF)- NBFC to commence operations in India. Bank of Baroda and ICICI Bank Limited are the largest shareholders, while other shareholders include Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. Infradebt finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved at least one year of commercial operations. Infradebt has been rated AAA/ Stable outlook by CRISIL and ICRA since inception. Infradebt also enjoys 100% income-tax exemption on all its income.

The synergy with the Bank arises from Infradebt's focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly renewable energy projects, road projects and airport projects, thus promoting green energy in India and contributing to nation building. Infradebt business has grown steadily, with a loan book of ₹30,817 crore, Net Profit of ₹614 crore and Return on Equity of 15.2% during FY 2026. Infradebt has also been paying dividends continuously for the past nine years.

BOB Securities and Giltedge Limited

The Bank has incorporated a wholly owned subsidiary namely BOB Securities and Giltedge Limited on 13.03.2026, for undertaking Bank's existing Primary Dealer (PD) business as a standalone entity. The company has applied for NBFC license with RBI. Further, Bank has infused an initial capital of ₹500 crore into the company on 30.03.2026.

A brief summary of Bank's all the domestic subsidiaries and Joint Ventures for FY 2026 is given below:

(₹ in crore)

Entity	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOBCARD Ltd.	1,435.85	7,466.49	-0.36	46	713
BOB Capital Markets Ltd.	124.22	146.61	-15.28	3	149
BarodaSun Technologies Limited	7.89	8.61	-2.51	2	14
*Baroda Global Shared Services Ltd	89.86	144.10	15.01	4	4374
The Nainital Bank Ltd.	1062.24	9890.22	63.24	176	1197
Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.	297.61	346.90	84.50	28	454
Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.	0.35	0.52	-0.009	1	-
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	1416.00	34403.00	127.00	93	5097
India Infradebt Limited	4284.26	33517.60	613.82	1	35

*3637 On BGSS payroll & 737 third party Employees.

Awards and accolades received by the Bank

- Bank of Baroda has been recognised at the prestigious Indian Banks' Association's (IBA) 21st Annual Banking Technology Awards 2024-25, winning honours across five award categories among Large Banks, including four wins and one Special Mention. Bank of Baroda was adjudged the Winner in four categories - Best AI & ML Adoption, Best Fintech & DPI Adoption, Best IT Risk Management and Best Tech Talent. In addition, the Bank received a Special Mention in the Best Technology Bank category.
- Bank of Baroda recognised as 'Best Bank in India' at The Banker's Bank of the Year Awards 2025.
- Bank of Baroda wins Indian Green Building Council (IGBC) Platinum & Silver Green Building Certifications for its Apex Academy in Ahmedabad and Baroda Bhawan in Vadodara at Green Building Congress 2025.
- Recognised as "Best Innovative Bank in MSME Financing" at the MSME Banking Excellence Awards 2025, organised by the Chamber of Indian Micro, Small & Medium Enterprises (CIMSME).

- Dr. Debadatta Chand, Managing Director & CEO, Bank of Baroda has been selected as the Best CEO in the “Large Bank” category at the Fortune India – India’s Best CEOs 2025 Awards.
- Bank of Baroda received the Trend Global Customer Excellence Award by Trend Micro for Outstanding Execution of Cybersecurity Strategies.
- Bank of Baroda selected as Runner-Up, APAC of the 2025 Gartner Eye on Innovation Awards for Banking & Investing in recognition of Multimodal, Multilingual Transactional Virtual Relationship Manager for Retail Banking “ADITI”
- Bank of Baroda, IFSC Banking Unit wins “Innovative Bank of the Year” Award at 2nd GIFT International Banking Forum 2025.
- Bank of Baroda has been awarded ‘First Prize’ under the Government of India’s ‘Rajbhasha Kirti Puraskar’ scheme for the year 2024-25 for outstanding performance in Official Language Implementation.
- Bank of Baroda has secured 2nd position at the Digital Payments Awards for FY 2024-25 under the Public Sector Category, presented by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance.
- Bank of Baroda was awarded in the “Contributing Most to Credit & Collection-Best Practices in India-Public Sector Bank” category at the 3rd edition of Credgenics Credit & Collections Summit & Awards 2025, The Bank also received the following individual awards – ‘Excellence in Compliance & Regulations’ and ‘Emerging Leader in Risk/Credit & Collections’.
- Bank of Baroda wins Finnoviti Award 2025 under the ‘Tech in HR’ category for Tech-led HR innovation.
- Bank of Baroda received recognition in all categories at the 4th IBA CISO Summit & Citations 2025 in the Public Sector: Large Bank category: 1. Cyber Security Transformation of the Year (Winner); 2. CISO Elevator Pitch (Runner-up); 3. Cyber Security Team of the Year (Special Prize); 4. Cyber Security Incident Response Maturity (Special Prize); 5. Cyber Security Compliance Champion (Special Prize).
- Bank of Baroda bagged the Gold Award under the Public Sector Banks category at the “National MSME Impact Awards 2025” organised by the India SME Forum.
- Bank of Baroda was honoured at the 8th Regional Industry Skill & Employment (RISE) Conclave, organised by the Directorate of MSME, Government of Madhya Pradesh, for outstanding MSME Credit Performance.
- Bank of Baroda was adjudged the ‘Best Banking Group – India’ at the World Finance Banking Awards 2025.
- Bank of Baroda receives ET Now Best BFSI Brands 2025 Award.
- Bank of Baroda honoured with ‘Significant Achievement in HR Excellence’ Award by Confederaion of Indian Industry (CII).
- Best Advance in Mobile Learning Technology Gold Category Award at Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards 2025.
- Best Companies for Women in India Award in the BFSI sector by Avtar & Seramount.
- Bank of Baroda has secured the 1st runner up position in the over all rankings under the Top Performing Banks category in the EASE 7.0 Reforms Index. The Bank ranked #1 in two categories: Adoption of new-age Technology and other advanced capabilities and Developing employees for emerging banking priorities and #3 in Effective risk/fraud management, collections and recovery and Banking towards Viksit Bharat themes.
- Bank of Baroda declared as Winner Bank in “Net Sales – Equity and Hybrid Mutual Funds” category at the AMFI Mutual Fund Summit 2025.

Dividend Distribution Policy

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹8.50 per share for the financial year ended March 31, 2026. The total outgo in the form of dividend will be ₹4,395.66 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals. The dividend distribution policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank’s website.

Board of Directors (Appointment / Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Ashish Madhaorao More was nominated as Government Nominee Director w.e.f. 24th July, 2025 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Cessations

Dr. M.P. Tangirala ceased as a Government Nominee Director w.e.f. 23rd July, 2025 on the appointment of Shri Ashish Madhaorao More.

Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines advised by DFS vide its letter eF.no.14/1/2025-BO.I dated 11th September 2025 to conduct an independent review of the overall Evaluation of the Bank’s Board annually to enhance Governance and transparency.

Auditors’ Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors’ Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year FY 2026 is annexed with this report pursuant to “Part E” of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2016.

Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR)

Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank and the same can be accessed on <https://bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/sustainability-disclosures>.

Disclosure on Green Bond issuance and Deployment

The Disclosure requirements on Green Bond issuance and Deployment in compliance with the applicable guidelines of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) as per SEBI NCS Regulations 2021 read with SEBI NCS Operational Circular, 2023, as amended from time to time is annexed with this Report.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2026.

- The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

- The Directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by the RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information;

- The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors placed on record their appreciation for the contribution made by Dr. M.P. Tangirala outgoing GOI Nominee Director.

The Directors expressed their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation for the cooperation extended by all shareholders, Banks and Financial Institutions, Rating Agencies, Stock Exchanges and all well-wishers in India and Abroad. The Directors also take this opportunity to place on record of appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.



Dr. Debadatta Chand
 Managing Director & CEO

Annexure

Green Bonds Issuance and Deployment

During FY 2025-26, the Bank issued a Green Infrastructure Bond (hereinafter referred to interchangeably as “Green Bond” or “Green Infrastructure Bond”), aggregating to ₹10,000 crores (as detailed below), in compliance with the applicable guidelines of the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Bond Name	ISIN	Coupon	Bidding date	Issue date	Maturity date	Proposed area of deployment
Bank of Baroda Long Term Green Infra Bond Series I	INE028A08380	7.10%	04-Mar-26	05-Mar-26	05-Mar-33	Renewable Energy and Energy Efficiency

The proceeds were proposed to be allocated between fresh financing and the refinancing of eligible green projects and/or assets in a 30:70 ratio as per the offer document, in line with the Bank’s Sustainable Financing Framework (SFF). As of 31st March 2026, ₹7,000 crores have been deployed towards refinancing of the existing eligible renewable projects, while the unutilised balance of ₹3,000 crore has been invested in permitted liquid instruments as per the SFF, till its deployment towards the eligible projects as per the SFF.

The Green Bonds are conforming to the continuous disclosure requirements as per **SEBI NCS Regulations 2021** read with **SEBI NCS Operational Circular, 2023**, as amended from time to time, in the following manner:

i: The certificate of the external auditor verifying the internal tracking method and the allocation of funds towards the eligible project(s) and/or asset(s) from the proceeds of the Green Infrastructure Bond is provided hereunder.



Independent Auditor's Certificate on utilization of proceeds raised through issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term fully paid up, Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I for enhancing long term resources /funding long term projects in infrastructure sub-sectors as prescribed by RBI Circulars that also qualify as 'Green debt securities' as defined under the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations and the Bank's Sustainable Financing Framework.

To,
The Board of Directors,
Bank of Baroda,
Baroda Corporate Centre,
C-26, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai, 400051

1. Introduction

This certificate is issued on specific request of Bank of Baroda (the "Bank"), having its corporate office at Mumbai, Maharashtra in accordance with the terms of our engagement letter dated February 26, 2026.

2. At the request of the Bank, we have examined the attached Statement, in relation to utilization of proceeds raised from issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I issued as per Key Information Document on March 04, 2026 and read with the Debenture Trust Deed entered into between the Bank and Axis Trustee Services Limited (the Trustee) dated March 04, 2026 ('the trust deed'), for submitting to SEBI under Regulation 52(7) and 52(7A) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015.

3. Management's Responsibility

The preparation of the Statement and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents, is solely the responsibility of the Management of the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the utilization of proceeds and applying an appropriate basis of preparation, and making estimates that are reasonable in the circumstances.

The Management is also responsible for ensuring that the Bank complies with the requirements of the Trust Deed and for providing all relevant information to the Trustee. This responsibility includes ensuring that proceeds of the Bonds are utilized by the Bank solely towards enhancing long term resources for funding infrastructure and affordable housing projects and that the proceeds are not used towards any purpose which may be in contravention of the regulations, guidelines or norms issued by the RBI, the SEBI or the Stock Exchanges.

The Management is also responsible for complying with various provisions of Reserve Bank of India guidelines, applicable Accounting Standards, The Banking Regulation Act, 1949 and conditions stated in the SEBI Regulations.

505-C, 5th Floor, Rectangle 1, District Centre, Saket, New Delhi-110017
Phone: +91-11-40548860-82, ravirajan@sragroup.com, ravirajan.co@gmail.com
Web: www.ravirajan.co.in

(Ravi Rajan & Co LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Identity No. AAP-3344)



4. Auditors' Responsibility

Our responsibility is to provide a limited assurance as to whether any matter has come to our attention that causes us to believe that the proceeds of the Bonds issued under Key Information Document on March 04, 2026 have been utilized for the purposes other than as stated in the statement attached.

5. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in so far as applicable for the purpose of the certificate. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by ICAI.
7. The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement; and consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of areas where a material misstatement of the subject matter information is likely to arise. We have performed the following procedures in relation:
 - a) Obtained the audited financial statements and underlying books of accounts of the Bank for the year ended March 31, 2025;
 - b) Obtained the Key Information Document dated March 04, 2026 and the Trust Deed and verified the purpose for which the Bonds have been issued;
 - c) Obtained the certified true Copy of the Board Resolution dated January 30, 2026.
 - d) Obtained the certified true Copy of the resolution of authorised executive dated March 05, 2026 and traced the number of bonds to be allotted, list of investors and the final allotment amount.
 - e) Notice for listing by BSE dated March 06, 2026.
 - f) Approval for listing by NSE dated March 06, 2026.
 - g) Obtained necessary representations from the Management of the Bank.
8. Our scope of work did not include verification of compliance with other requirements of the SEBI Regulations/ other circulars, notifications, etc., as issued by relevant regulatory authorities from time to time, and any other laws and regulations applicable to the Bank.

9. Opinion

Based on our examination, as above, and according to the information, explanations and representations provided to us by the Management of the Bank, nothing has come to our attention that causes us to believe that the proceeds of the Bonds issued under Key Information Document dated March 04, 2026 have been utilized by the Bank for the purposes other than as stated in the statement attached. The Bank has currently utilised 70% of the proceeds of the bonds and 30% remained unspent, which has been kept and earmarked in short term deposit in line with sustainable financing framework.

10. Restriction on Distribution and Use

This certificate has been prepared at the request of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with the requirements of the Debenture Trust deed and should not be used by any



other person or for any other purpose other than the Lead Managers and Legal Counsel to the issue, the Stock Exchange, SEBI, ROC or any other regulatory or statutory authority. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. This report relates only to the Statement and items specified above and does not extend to any financial statements of the Bank, taken as a whole. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For Ravi Rajan & Co LLP

Chartered Accountants

Firm Regn No: 009073N/N500320

NEERAJ
Digitally signed by
NEERAJ AGARWAL
Date: 2026.03.27
15:33:54 +05'30'

AGARWAL

Neeraj Agarwal

Partner

Membership No. 521845

UDIN: 26521845DWLARU4525

Date: 27th March 2026



ii. The certificate of the external auditor confirming the details of unutilised proceeds, including the temporary placement/utilisation of unallocated and unutilised proceeds, is produced hereunder.



Independent Auditor's Certificate on unutilization of proceeds raised through issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term fully paid up, Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I for enhancing long term resources /funding long term projects in infrastructure sub-sectors as prescribed by RBI Circulars that also qualify as 'Green debt securities' as defined under the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations and the Bank's Sustainable Financing Framework.

To,
The Board of Directors,
Bank of Baroda,
Baroda Corporate Centre,
C-26, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai, 400051

1. Introduction

This certificate is issued on specific request of Bank of Baroda (the "Bank"), having its corporate office at Mumbai, Maharashtra in accordance with the terms of our engagement letter.

2. At the request of the Bank, we have examined the attached Statement, in relation to utilization of proceeds raised from issue of Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term Non-Convertible Bonds ("Long Term Green Infrastructure Bonds") in the nature of Debentures, 7.10% Bank of Baroda 2033 Long term Green Infrastructure Bonds Series I issued as per Key Information Document on March 04, 2026 and read with the Debenture Trust Deed entered into between the Bank and Axis Trustee Services Limited (the Trustee) dated March 04, 2026 (the trust deed), for submitting to SEBI under Regulation 52(7) and 52(7A) of the Securities and Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and disclosure required under SEBI (NCS Operational Circular Dated February 06, 2026).

3. Management's Responsibility

The preparation of the Statement and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents, is solely the responsibility of the Management of the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the utilization of proceeds and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

The Management is also responsible for ensuring that the Bank complies with the requirements of the Trust Deed and for providing all relevant information to the Trustee. This responsibility includes ensuring that proceeds of the Bonds are utilized by the Bank solely towards enhancing long term resources for funding infrastructure and affordable housing projects and that the proceeds are not used towards any purpose which may be in contravention of the regulations, guidelines or norms issued by the RBI, the SEBI or the Stock Exchanges.

The Management is also responsible for complying with various provisions of Reserve Bank of India guidelines, applicable Accounting Standards, The Banking Regulation Act, 1949 and conditions stated in the SEBI Regulations.



505-C, 5th Floor, Rectangle 1, District Centre, Saket, New Delhi - 110017
Phone: +91-11-45543860-63, ravirajan@ravirajgroup.com, ravirajan.co@gmail.com
Web: www.ravirajan.co.in

(Ravi Rajan & Co LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Identity No. AAR- 3344)

4. Auditors' Responsibility

Our responsibility is to provide a limited assurance as to whether any matter has come to our attention that causes us to believe that the proceeds of the Bonds issued under Key Information Document on March 04, 2026 have been utilized for the purposes other than as stated in the statement attached.

5. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in so far as applicable for the purpose of the certificate. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by ICAI.
7. The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement; and consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of areas where a material misstatement of the subject matter information is likely to arise. We have performed the following procedures in relation:
 - a) Obtained the Key Information Document dated March 04, 2026 and the Trust Deed and verified the purpose for which the Bonds have been issued;
 - b) Obtained the certified true Copy of the resolution of authorised executive dated March 05, 2026 and traced the number of bonds to be allotted, list of investors and the final allotment amount.
 - c) Details of Utilisation and investment of utilised amount.
8. Our scope of work did not include verification of compliance with other requirements of the SEBI Regulations/ other circulars, notifications, etc., as issued by relevant regulatory authorities from time to time, and any other laws and regulations applicable to the Bank.

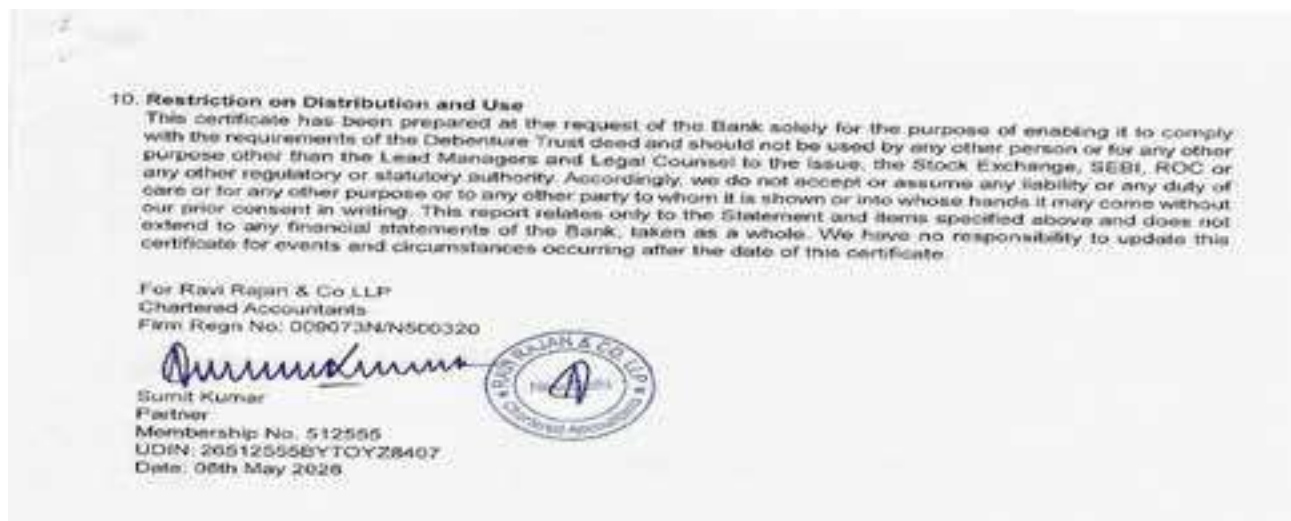
9. Opinion

Based on our examination, as above, and according to the information, explanations and representations provided to us by the Management of the Bank, the proceeds were proposed to be allocated between fresh financing and the refinancing of eligible green projects and/or assets in a 30:70 ratio, in line with the Bank's Sustainable Financing Framework (SFF). As of 31 March 2026, ₹7,000 crores have been utilised towards refinancing of the existing eligible renewable projects, while the unutilised balance of ₹3,000 crore has been invested in permitted liquid instruments as per the SFF.

The details of the temporary allocation of unutilised funds as on March 31, 2026, are as follows

					(Amt in Rs.)
ISIN Number	Security ID	Security Description	Maturity Dt.	Face Value	Book Value
IN002025Y362	182DTB040626	182 DTB 04062026	08-04-2026	2,00,00,00,000.00	1,98,16,50,526.32
IN002025X605	91DTB190626	91 DTB 19 JUNE 2026	6/19/2026	30,00,00,00,000.00	29,65,96,39,890.11
TOTAL				32,00,00,00,000.00	31,64,14,90,416.43





iii. Details of the eligible project(s) and/or asset(s) to which the proceeds of the Green Infrastructure Bonds have been allocated/invested, including a brief description of such project(s) and/or asset(s) and the amounts disbursed, are provided hereunder.

Sr. No.	Name of the Project	Brief Description	Disbursement Amount (₹ Crore)
1	Project Sixteen Renewable Power Private Limited (PSRPL)	Development of a 663 MW (Solar 300 MW and Wind 363MW) renewable energy project for supplying 200 MW round-the-clock (RTC) power with 65 MW storage capacity to West Central Railway under a Build, Own and Operate (BOO) model.	185.03
2.	NLC India Renewables Limited	Development of a 600 MW solar power project at GSECL Solar Park, Khavda, Gujarat, for generation and supply of renewable power to the central grid.	678.58
3.	Clean Max Sapphire Private Limited	Development of a 79.20 MW (Solar 36.30 MW and wind 42.90 MW) hybrid renewable energy project.	412.94
4.	Adani Green Energy Twenty Three Limited	Development and operation of 15 solar photovoltaic (PV) power projects across various states with installed capacity of approximately 853 MW.	3351.91
5.	Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL)	Development of a 500 MW solar power project within the 2375 MW Khavda Solar Park located in Kutch district, Gujarat.	913.69
6.	Adani Solar Energy RJ Two Private Limited (ASERTPL)	Development of two solar power projects in Rajasthan with an aggregate installed capacity of 330 MW.	1313.66
7.	FPEL Mercury Private Limited	Development of a 39.05 MW hybrid (Solar 19.25 MW and Wind 19.80 MW) renewable energy project.	209.55
8.	Clean Max Bhoomi Private Limited	Development and operation of a 50.68 MW hybrid (Solar 17.68 MW and Wind 33 MW) renewable energy project.	369.74
9.	Sael Solar P4 Private Limited	Development of a 400 MW solar power project located in Kutch district, Gujarat.	300.00
Total			7735.10*

*The total disbursement amount covers the partial deployment of Green Bond proceeds of ₹ 7,000 crores.

iv. Details of the qualitative and quantitative environmental impact indicators relating to the eligible project(s) and/or asset(s) financed/refinanced through the proceeds of the Green Infrastructure Bond are provided hereunder:

In FY26, through the issuance of the Green Bond, the Bank utilised the proceeds to refinance loans to 9 projects (aggregate disbursement amount of INR 7,735.10 Crore), supporting the development of an estimated total installed renewable energy capacity of 3514.93 MW, comprising 3056.23 MW of solar capacity and 458.70 MW of wind capacity, across 7 states. These renewable energy projects are expected to contribute towards increased clean energy generation, reduction in dependence on fossil fuel-based power generation, and support India's transition towards a lower-carbon economy.

Based on the estimated annual renewable energy generation from these projects, the financed portfolio contributed to the potential avoidance of approximately 19.84 lakh tonnes of CO₂ emissions during FY26. The avoided emissions are estimated to translate into economic savings of approximately INR 1650.33 Crore (~USD 174.35 Million), calculated using the Social Cost of Carbon (SCC) of USD 87.89 per tonne. Further, considering the long-term operational life of the underlying projects, the portfolio is projected to deliver potential cumulative lifetime savings of approximately INR 60,515.15 Crore (~USD 5.02 Billion).

The environmental impact estimates have been derived using adopted methodologies and assumptions, including emission factors published in the Central Electricity Authority's "CO₂ Baseline Database for the Indian Power Sector Estimated economic savings due to the avoidance of CO₂ emissions for all renewable energy projects for FY26

Particulars	Description	Values
Total emissions avoided via all projects annually (in tCO ₂)	Combined emissions avoided by all projects in FY26	19,83,727.34
Savings due to emissions avoided annually (in INR Crore)		1,650.33

v: Methods and the key underlying assumptions used in preparation of the performance indicators and metrics are as follows:

The expected avoided CO₂ emissions are calculated using the following formula:

$$\text{Emissions Avoided (tCO}_2\text{)} = [\text{Annual Power Generation (MWh)} * \text{Electricity Grid EmissionsFactor (tCO}_2\text{/MWh)}] - \text{Renewable Plant's Own Emissions}$$

To estimate the expected CO₂ emission avoided from renewable energy plants, the key calculation involves multiplying the *Annual Power Generation (in MWh)* by the *Electricity Grid Emissions Factor (in tCO₂/MWh)*. Whereas

i) The Annual Power Generation is the total amount of electricity produced by the renewable plant in a year, and

ii) The Electricity Grid Emissions Factor represents the average CO₂ emissions produced per unit of electricity generated by the grid in a specific region, which varies depending on the energy mix (e.g., coal, natural gas, renewables).

Thereafter, emissions associated with the construction and operation of the renewable energy plant, computed over its lifecycle, are deducted to estimate the net emissions avoided. For example, if a solar plant generates 10,000 MWh annually and the grid's emissions factor is 0.9 tCO₂/MWh, the gross emissions avoided would be 9,000 tCO₂/year. If the renewable energy plant's own annualized emissions are 500 tCO₂, then the net emissions avoided due to the renewable energy plant would be 8,500 tCO₂/year.

This methodology ensures that the calculation reflects the environmental benefits of the renewable energy plants, while accounting for the emissions associated with the plants themselves.

Key Assumptions:

- The methodology for computation of avoided emissions has been developed in line with the methodology prescribed in the Central Electricity Authority's User Guide for CO₂ Baseline Database for the Indian Power Sector (Version 21.0, November 2025), available at: https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf
- Annual power generation (MWh) has been estimated using the following methodology:

$$\text{"Annual Power Generation (MWh)} = \text{"Renewable Plant Capacity"} \times \text{"CUF"} \times 8,760$$
- Renewable plant capacity and Capacity Utilization Factor (CUF) values have been sourced from borrower-specific documents.
- In cases where the CUF was not available, an average CUF of 21% for India has been assumed in accordance with the draft regulations issued by the Central Electricity Regulatory Commission (https://cercind.gov.in/2024/draft_reg/RE-Tariff-Regulations-EM.pdf)
- The estimated generation has been prorated based on the number of operational days during FY26, calculated from the commercial operation date of the respective project up to the end of FY26.
- The emissions baseline applied for the estimation has been derived from the Central Electricity Authority's User Guide for CO₂ Baseline Database for the Indian Power Sector (Version 21.0, November 2025), available at: https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf
- The estimation of emissions associated with renewable energy generation has been based on borrower-provided estimates of average Scope emissions factors for FY25.

- For the purpose of adopting a conservative approach, the midpoint of the reported range of 30–60 gCO₂/kWh has been considered, resulting in an emissions factor of 45 gCO₂/kWh (0.045 tCO₂/MWh).
- The aforesaid emissions factor has been applied to the estimated power generated during the period in which the respective project was operational in FY26 to estimate total emissions associated with generation.

The impact assessment and related estimations disclosed herein are based on the relevant sources and are subject to assumptions and estimation methodologies adopted for the purpose of such assessment.

v. Details of the deployment of the mitigation plan (as disclosed in the offer documents) for the perceived social and environmental risks are here as under:

The Bank has conducted an Environmental and Social Risk Assessment (ESRA) for the projects financed in line with the Sustainable Financing Framework.

Under ESRA (Environmental & Social Risk Assessment), Environmental Risk mitigation initiatives include adherence to applicable environmental regulations/compliances, periodic environmental monitoring, waste management practices, resource optimization initiatives, and health and safety protocols for employees and surrounding communities. Whereas social risk mitigation initiatives

include stakeholder engagement, grievance redressal mechanisms, employee welfare programs, and compliance with labour and community development standards.

Bank has conducted ESRA of 9(Nine) eligible projects, by engaging IFCI for the same, eight (8) of the nine (9) projects falls in low-risk category whereas one project is currently in Medium Risk.

Regular close monitoring of these parameters has also been established to ensure the effective deployment of mitigation measures and to support continuous improvement in environmental and social performance.

List of the E&S risk along with its recommended mitigation plan.

Broad Environmental and social risk	Recommended Mitigation measures
1. Waste Disposal, Water Stewardship & Biodiversity. 2. Waste management formalization, including end-of-life solar panels and EPR Registration.	1. Implementation of comprehensive end-of-life solar panel management plan that incorporates, recycling, reuse, and appropriate disposal. 2. In Biodiversity, implementation of specialized mitigation strategies to minimize disturbances and adoption of water efficiency measures to achieve water positivity. 3. Monitoring and Evaluation of the EHS&S activities across all site locations. 4. Annual Assessment to be conducted for various risks such as HIRA, Fire, Electrical, Occupational Health & Safety. 5. Implementation of new technology such as Robotic Cleaning Technology and Zero Liquid Discharge. 6. Awareness programs to be conducted for the local community regarding Environment & Biodiversity.

vi. Impact Reporting: Project-wise information relating to the environmental impact of the projects financed/refinanced through the Green Infrastructure Bonds, along with the applicable taxonomy/framework followed, is provided hereunder.

Bank's refinancing of renewable energy projects through the proceeds of Green Infrastructure Bonds has potentially contributed to the avoidance of approximately 19,83,727 tonnes of CO₂ emissions, as presented in the table below:

Particulars	Plant Type (Solar/Wind)	Commercial Start Date	Annual Power Generation (MWh)	Emissions avoided (tCO ₂) (without any Scope 1,2,3 adjustments)	Renewable energy plants' emissions (tCO ₂)	Net Emissions Avoided (tCO ₂)
Project Sixteen Renewable Power Private Limited (PSRPPL)	Solar	28 February 2026	63,323.85	44,959.93	439.04	44,520.90
	Wind	28 February 2026	90,877.09	64,522.73	356.91	64,165.82
NLC India Renewables Limited	Solar	04 December 2025	5,26,242.24	3,73,631.99	23,680.90	3,49,951.09
Clean Max Sapphire Private Limited	Solar	30 September 2025	25,636.28	18,201.76	1,153.63	17,048.13
	Wind	30 September 2025	64,815.38	46,018.92	2,916.69	43,102.23

Particulars	Plant Type (Solar/Wind)	Commercial Start Date	Annual Power Generation (MWh)	Emissions avoided (tCO ₂) (without any Scope 1,2,3 adjustments)	Renewable energy plants' emissions (tCO ₂)	Net Emissions Avoided (tCO ₂)
Adani Green Energy Twenty Three Limited	Solar	01 April 2025	14,19,733.20	10,08,010.57	63,887.99	9,44,122.58
Gujarat Industries Power Company Limited (GIPCL)*	Solar	31 December 2026	0.00	0.00	0.00	0.00*
Adani Solar Energy RJ Two Private Limited (ASERTPL)	Solar	01 April 2025	6,07,068.00	4,31,018.28	27,318.06	4,03,700.22
FPEL Mercury Private Limited	Solar	31 March 2026	86.21	61.21	3.88	57.33
	Wind	31 March 2026	159.24	113.06	7.17	105.89
Clean Max Bhoomi Private Limited	Solar	01 April 2025	33,496.21	23,782.31	1,507.33	22,274.98
	Wind	01 April 2025	1,10,139.48	78,199.03	4,956.28	73,242.75
Sael Solar P4 Private Limited	Solar	21 January 2026	32,233.72	22,885.94	1,450.52	21,435.43
TOTAL			29,73,810.90	21,11,405.74	1,27,678.39	19,83,727.34

***The current estimated impact is calculated as zero for FY 2025-26 as the commercial start date falls in FY 2026-27.**

The methodology adopted for computing the avoided emissions has been developed in line with the methodology prescribed in the Central Electricity Authority's User Guide for CO₂ Baseline Database for the Indian Power Sector (Version 21.0, November 2025). The User Guide is available at: https://cea.nic.in/wp-content/uploads/baseline/2025/12/User_Guide_V_21.0.pdf

vii. Disclosures of major elements of Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR)

The related disclosure is made in BRSR, which can be accessed through the following link: <https://bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/sustainability-disclosures>

The Bank shall disclose on its official website the environmental impact assessment report covering the relevant aspects of the projects financed/refinanced through the Green Bond.

Further, the Bank shall also make available on its website the third-party verification report relating to the post-issue management of the utilisation of proceeds from the Green Bond, including verification of the Bank's internal tracking mechanism and impact reporting methodology.

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र, यथा संशोधित

सेवा में

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथासंशोधित ('सूचीयन विनियम') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपखंड (बी) से (i) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("बैंक") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी "कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट" के अनुसार की गई हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित रही है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर, उपर्युक्त सेबी विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन उस सीमा तक किया है, जहां तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 में निर्धारित सीमा का विरोध न हो।

- बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई), 9(3)(एफ) और 9(3)(जी) के तहत एक-एक निदेशक और धारा 9(3)(एच) के तहत तीन निदेशकों का पद रिक्त था।
- स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के एक तिहाई से कम है।

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है।

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AS AMENDED.

To

**The Members of
Bank of Baroda**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended on March 31, 2026, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the "Guidance Note on Certification of Corporate Governance" issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except for the following:

- The position of one Director each under Section 9(3) (e), 9(3)(f) and 9(3)(g) and three Directors under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, were vacant on the Board of the Bank.
- The number of Independent Directors is less than one-third of the Board of Directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना हमारी पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109208W
(एल. वी. सप्तर्षि)
 साझेदार
 एम. नं.: 127055CA

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109574W
(डी.वी. बल्लाल)
 साझेदार
 एम. नं.: 013107

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 101048W

(पराग हंगेकर)
 साझेदार
 एम. नं.: 110096

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009073N / N500320

(सुमित कुमार)
 साझेदार
 एम. नं.: 512555

कृते गोखले और साठे

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103264W

(राहुल जोगलेकर)
 साझेदार
 एम. नं.: 129389

दिनांक: 08 मई, 2026
 स्थान: मुंबई

For V Sankar Aiyar & Co

Chartered Accountants
 FRN: 109208W

(L. V. Saptharishi)
 Partner
 M. No.: 127055CA

For Shah Gupta & Co

Chartered Accountants
 FRN: 109574W

(D.V Ballal)
 Partner
 M. No.: 013107

For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants
 FRN: 101048W

(Parag Hangekar)
 Partner
 M. No.: 110096

For Ravi Rajan & Co LLP

Chartered Accountants
 FRN: 009073N / N500320

(Sumit Kumar)
 Partner
 M. No.: 512555

For Gokhale & Sathe

Chartered Accountants
 FRN: 103264W

(Rahul Joglekar)
 Partner
 M. No.: 129389

Date: 08.05.2026
 Place: Mumbai

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2025-26

गवर्नेंस संहिता पर बैंक का दृष्टिकोण

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है।
- विश्व भर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि संगठन में कारोबार, कॉर्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रूप से अपनाया है। बैंक इस क्षेत्र के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने हेतु सदैव प्रयासरत है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समुदाय के अन्य सदस्यों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों में लगातार वृद्धि करता रहा है।

बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है :

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना।
- सभी हितधारकों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता एवं पारदर्शिता का समावेश।
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं वृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण।
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण।
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय में वृद्धि करना।
- उत्कृष्ट स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व तैयार करना।

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं

1. सत्यनिष्ठा: हम सभी हितधारकों के साथ बात करते समय और व्यवहार में नैतिकता और पारदर्शिता बरतते हैं।
2. ग्राहक केंद्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है।
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं।
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं।

5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं।
6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।
7. सम्मान: हम प्रत्येक कर्मचारी के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा को महत्व देते हैं, एक सहायक और समावेशी कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देते हैं।

बैंक यह मानता है कि मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है, जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है। बैंक एक सूचीबद्ध संस्था है, जो एक कंपनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक ने सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय उन मामलों पर जहां इन विनियमन के प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

अन्य दायित्वों के साथ-साथ निदेशक मंडल के कार्यदायित्व निम्नानुसार हैं:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को तैयार करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए में प्रस्तुत है।

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी मुख्य महाप्रबंधक तथा विभागीय प्रमुख शामिल हैं, वे नैतिक आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने नैतिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान -12- बैठकें संपन्न हुईं।

बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 12

बैठकों की तारीखें:

10.04.2025 एवं 11.04.2025	06.05.2025	23.06.2025	25.07.2025
20.08.2025	22.09.2025	31.10.2025	14.11.2025 एवं 15.11.2025
18.12.2025	30.01.2026	16.02.2026	18.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
डॉ. एम. पी. तंगिराला *	01.04.2025 से 23.07.2025	3	0
श्री आशीष माधवराव मोरे #	24.07.2025 से 31.03.2026	9	8
श्री मनोरंजन मिश्रा	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्री रवींद्रन मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	12	12

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां / उप-समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति
4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति
8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति
9. निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मंडल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. ग्रामीण एवं वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
14. निदेशक मंडल की सीएसआर और संवहनीयता समिति
15. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति
16. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति
17. अनुशासनात्मक मामलों पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की समिति।

18. गैर-कार्यकारी निदेशकों की बैठक

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

इसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (डी) (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 43

बैठकों की तारीखें:

03.04.2025	17.04.2025	24.04.2025	02.05.2025	08.05.2025
15.05.2025	22.05.2025	02.06.2025	13.06.2025	19.06.2025
25.06.2025	04.07.2025	11.07.2025	21.07.2025	31.07.2025
19.08.2025	20.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	17.09.2025
25.09.2025	26.09.2025	30.09.2025	16.10.2025	23.10.2025
06.11.2025	21.11.2025	05.12.2025	11.12.2025	18.12.2025
24.12.2025	29.12.2025	07.01.2026	14.01.2026	22.01.2026
03.02.2026	12.02.2026	26.02.2026	05.03.2026	12.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	43	33
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	43	40
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	43	36
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	43	32
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	43	27
श्री मनोरंजन मिश्रा	01.04.2025 से 31.03.2026	43	43
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 01.01.2026 12.01.2026 से 31.03.2026	42	42

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रायोजित शक्तियों से अधिक हैं तथा ₹800/- करोड़ तक के हैं वैसे ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है। समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, समूह मुख्य जोखिम अधिकारी एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 26

बैठकों की तारीखें:

03.04.2025	02.05.2025	08.05.2025	15.05.2025	02.06.2025
13.06.2025	21.06.2025	26.06.2025	10.07.2025	31.07.2025
14.08.2025	01.09.2025	10.09.2025	17.09.2025	25.09.2025
26.09.2025	16.10.2025	23.10.2025	29.11.2025	17.12.2025
14.01.2026	03.02.2026	20.02.2026	05.03.2026	23.03.2026
27.03.2026				

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	26	26
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	26	22
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	26	21
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	26	20
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	26	18
श्री मनोज च्यानी, सीएफओ*	01.04.2025 से 01.06.2025	4	4
श्री आई वी एल श्रीधर, सीएफओ#	02.06.2025 से 31.03.2026	22	20
श्री रवीन्द्र सिंह नेगी, जीसीआरओ	01.04.2025 से 31.03.2026	26	25

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

3. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

- एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों हेतु अनुवर्तन शामिल है। यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख कार्यों, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है।
- यह, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। यह समिति

तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है, समीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है।

- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है। यह लॉन फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है।

इस समिति में -3- सदस्य (-2- गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक) शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और सभी कार्यपालक निदेशक समिति के आमंत्रितगण हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 15

बैठकों की तारीखें:

05.05.2025	06.05.2025	26.06.2025	24.07.2025	25.07.2025
19.08.2025	23.09.2025	30.10.2025	31.10.2025	06.11.2025
17.12.2025	29.01.2026	30.01.2026	25.02.2026	17.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री विजय दुबे (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	15	15
श्री मनोरंजन मिश्रा	01.04.2025 से 31.03.2026	15	15
श्री रवींद्र मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	15	15
डॉ. एम. पी. तंगिरला (आमंत्रित)*	01.04.2025 से 23.07.2025	4	0
श्री आशीष माधवराव मोरे (आमंत्रित)#	24.07.2025 से 31.03.2026	11	4
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	15	15
श्री संजय मुदालियर (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	15	13
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	15	14
श्रीमती बीना वाहिद (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	15	12

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एसीबी ने नियमित कार्यसूची की मदों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/ समीक्षा की:

- बैंक की अनुपालन नीति-2025 का अनुमोदन
- संबंधित पक्ष लेन-देन और महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनियों पर नीति, 2025 का अनुमोदन
- संशोधित जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (घरेलू) नीति, 2025 का अनुमोदन
- संशोधित जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (विदेशी) नीति, 2025 का अनुमोदन
- बैंक की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा नीति (आईएस लेखापरीक्षा) के संशोधित संस्करण का अनुमोदन
- संशोधित ऋण लेखा-परीक्षा नीति, 2025 का अनुमोदन
- शाखाओं और अन्य सभी कार्यात्मक इकाइयों की जोखिम प्रोफाइलिंग के मानदंडों का अनुमोदन
- भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने हेतु 'लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट – मार्च 2025' पर बैंक की अनुपालन रिपोर्ट का अनुमोदन
- लाभांश वितरण नीति का अनुमोदन
- आंतरिक कार्यालय खातों को खोलने, संचालित करने, समीक्षा करने, निगरानी करने, मिलान करने और प्रावधान करने संबंधी नीति का अनुमोदन
- 01.04.2026 से प्रभावी, समवर्ती लेखा-परीक्षा के अंतर्गत बैंक की शाखाओं और इकाइयों को शामिल करने का अनुमोदन
- अंचल लेखा-परीक्षा समिति और पूर्व-लेखा-परीक्षा समिति की संरचना/ गठन में संशोधन का अनुमोदन
- 'संबंधित पक्ष लेन-देन और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति' के अंतर्गत 'सर्वग्राही लेन-देन' का अनुमोदन

- बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों (सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षक और सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक) की नियुक्ति हेतु संशोधित नीति का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा योजना और आंतरिक लेखा-परीक्षकों की संख्या का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विदेशी टेरिस्ट्री हेतु वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जोखिम-आधारित आईएस (सूचना प्रणाली) लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपूर्ण समूह हेतु वार्षिक अनुपालन योजना का अनुमोदन

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन संरचना को इस दृष्टि से तैयार किया है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है जो इस समिति का हिस्सा हैं।

बैठकों की तारीखें एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

आयोजित बैठकों की संख्या: 5

बैठकों की तारीखें:

09.06.2025 19.09.2025 09.12.2025 06.02.2026 12.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्रीमती नीना नागपाल (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
डॉ. देबदत्त चांद	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
श्री रवींद्रन मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	4
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	3
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	2
श्रीमती बीना वाहिद (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	3
श्री हिमाद्री भट्टाचार्य - सलाहकार	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन दिया / समीक्षा की/ नोट किया:

ऋण जोखिम:

- कॉर्पोरेट ऋण नहीं पोर्टफोलियो और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में वृद्धिशील अग्रिम की समीक्षा तिमाही आधार पर
- हमारे बैंक के एनबीएफसी सेगमेंट के पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
- बैंक एक्सपोजर की स्थिति (तिमाही आधार पर)
- रिटेल ऋण सेगमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
- पर्सनल ऋण सेगमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेगमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
- ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
- ईडबल्यूएस प्रणाली की अनुपालन स्थिति की समीक्षा और आरएएए का अभिलेखन (तिमाही आधार पर)
- कंट्री रिस्क एक्सपोजर की स्थिति (तिमाही आधार पर)

10. बैंक के ओवरसीज एडवांस पोर्टफोलियो की स्थिति (तिमाही आधार पर)
11. ग्रीन डिपॉजिट और हरित पहलों के लिए ऋण प्रवाह हेतु बैंक के फ्रेमवर्क की समीक्षा
12. बैंक की वैश्विक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (जीसीईएसपी) 2025 का व्यापक नवीनीकरण
13. गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अग्रिमों के प्रबंधन और वसूली के लिए कॉर्पोरेट नीति में संशोधन (घरेलू और विदेशी शाखाएं)
14. सह-उधार नीति में संशोधन
15. व्यावसायिक राहत उपायों पर नीति 2025
16. लेटर ऑफ़ कम्फ़र्ट/गारंटी (विदेशी) जारी करने संबंधी नीति
17. काउंटर पार्टी बैंकों के लिए जोखिम सीमाओं संबंधी नीति-2026
18. स्वर्ण और चांदी के कोलेटरल के सापेक्ष ऋण संबंधी नीति 2025
19. ऋणों और अग्रिमों पर दंडात्मक शुल्कों संबंधी नीति 2026
20. क्रेडिट जोखिम मॉडल सत्यापन नीति 2025 की समीक्षा
21. दबाबग्रस्त क्षेत्रों के मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधानों की नीति 2025 की समीक्षा
22. क्रेडिट समितियों की संरचना में संशोधन
23. दस्तावेज़ीकरण और मूल्यांकन पद्धति 2025 संबंधी नीति की समीक्षा एवं संशोधन
24. विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एक्सपोज़र कैप्स की समीक्षा करें और उन्हें मंजूरी दें, यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन (एसडीएल) और गैर-एसडीएल सेगमेंट के तहत एक्सपोज़र कैप्स।
25. योग्य केंद्रीय प्रतिपक्षों (क्यूसीसीपी) के जोखिम की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
26. एमएसएमई तेजस प्लेटफॉर्म पर ₹2 करोड़ तक की कैश फ्लो-आधारित डिजिटल एमएसई वित्तपोषण योजना के लिए स्कोरकार्ड का अनुमोदन।
27. विभिन्न प्राधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों का नवीकरण और संशोधन तथा स्वीकृति की मानक शर्तों और निबंधनों में छूट/संशोधन।
28. डिजिटल बीएचएफकेसीसी, डिजी ट्रेक्टर ऋण और एकीकृत डिजिटल शिक्षा ऋण का स्कोरकार्ड
29. हमारे यूएसए टेरिटरी के अग्रिम खातों की अर्ध-वार्षिक ऋण समीक्षा (छमाही)
30. रेटिंग ट्रांज़िशन मैट्रिक्स की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
31. बैंक के कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो (घरेलू) और कृषि ऋण पोर्टफोलियो के लिए अपेक्षित ऋण हानि पद्धति
32. 'ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए फ्रेमवर्क' के अनुसार, बैंक की ग्रीन डिपॉजिट से प्राप्त और उपयोग की गई राशि से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा।
33. ऋण नीति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त

परिचालनगत जोखिम:

1. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) और स्ट्रेस टेस्टिंग प्रभाव विश्लेषण
2. जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क (आरएएफ) के तहत विभिन्न सीमाओं की स्थिति (तिमाही आधार पर)
3. प्रमुख जोखिम संकेतकों की स्थिति (तिमाही आधार पर)
4. परिचालन जोखिम हानि डेटा की स्थिति (अर्ध वार्षिक आधार पर)
5. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना की समीक्षा और विभिन्न सीमाओं की स्थिति (तिमाही आधार पर)
6. बैंक के आउटसोर्सिंग जोखिम की समीक्षा
7. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) फ्रेमवर्क - 2026
8. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क
9. सूचना सुरक्षा नीति संस्करण 6.0 और साइबर सुरक्षा नीति संस्करण 2.0 का अनुमोदन
10. बैंक ऑफ़ बड़ौदा की संचार, प्रतिष्ठा और संकट प्रबंधन नीति 2025
11. जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति 2025
12. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति - 2026
13. परिचालन स्थिरता नीति 2025
14. पूंजी नियोजन पर नीति 2025 - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग
15. आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क
16. समूह जोखिम प्रबंधन नीति 2024 में संशोधन
17. धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान की राशि की बहाली पर नीति 2025
18. सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर नीति 2025 का नवीनीकरण और संशोधन
19. जमा नीति की संशोधन सहित समीक्षा 2025
20. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति 2026
21. बेसल III प्रकटीकरण नीति की संशोधनों सहित समीक्षा
22. जोखिम स्वीकार्यता फ्रेमवर्क-2026
23. जोखिम स्वीकार्यता नीति-2026
24. अनुमोदित आईटी और आईएस (साइबर सुरक्षा) जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम मूल्यांकन
25. जोखिम निर्धारण एवं मूल्यांकन फ्रेमवर्क - 2026
26. स्ट्रेस परीक्षण फ्रेमवर्क - 2026
27. स्ट्रेस परीक्षण नीति - 2026
28. जोखिम स्वीकार्यता सीमाओं की समीक्षा - परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (समेकित स्तर) (तिमाही आधार पर)
29. जोखिम रजिस्टर और आरसीएसए की समीक्षा

30. जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परामर्शों की स्थिति की समीक्षा (तिमाही आधार पर)
31. 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंक की परिचालन जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा
32. वैश्विक परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति 2025
33. डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं (डीएसबीएस) नीति 2025
34. आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए वेंडर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क
35. व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति 2025
36. प्रथम समूह जोखिम परिषद (जीआरसी) की बैठक का कार्यवृत्त (तिमाही आधार पर)
37. एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

विपणन जोखिम /एएलएम:

1. समूह आस्ति-देयता प्रबंधन नीति 2026
2. बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति 2026
3. एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) पर नीति – 2026

4. मौजूदा विदेशी मुद्रा लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली की समीक्षा
5. लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की स्थिति (तिमाही आधार पर)
6. ट्रेजरी परिचालन और पीडी व्यवसाय और डेरिवेटिव्स के व्यावसायिक पोर्टफोलियो में बाज़ार जोखिम (तिमाही आधार पर)
7. वैश्विक परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की बैठक का कार्यवृत्त

5. निदेशक मंडल की हितधारक संबंध परक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/ डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है। यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं एक गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीखें: 26.06.2025

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री रवींद्रन मेनन (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1

वर्ष के दौरान प्राप्त और निस्तारित निम्नलिखित अनुरोधों/शिकायतों को समिति द्वारा नोट किया गया:

01.04.2025 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निस्तारित	31.03.2026 तक लंबित
0	799	798	1

6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति सुनिश्चित करती है और इन निदेशकों के लिए वार्षिक आधार पर भी यह सुनिश्चित करती है। यह समिति प्रमुख प्रबंधकीय पदों (केएमपी) हेतु संविदात्मक नियुक्तियों के प्रतिफल पैकेज और बैंक में मार्केट से उच्च लागत

वाली भर्तियों (₹2/- करोड़ से अधिक की सीटीसी के साथ) सहित नियुक्ति/नवीनीकरण और नियुक्ति/नवीनीकरण की शर्तों को तय करने पर भी निर्णय लेती है।

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीखें: 15.05.2025

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री रवींद्रन मेनन (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1

7. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों की संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है।

समिति के पास निम्नलिखित कार्य भी हैं:

- सेवा के वर्तमान स्तर को बेंचमार्क करना और इस स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना।
- समय-समय पर विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करना, दोहरायी जाने वाली प्रकृति की शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण करना और ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना।
- अवार्ड्स की तारीख से 3 महीने से अधिक समय तक क्रियान्वित न होने की स्थिति और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पाई गई कमियों की समीक्षा करना।

- मृतक जमाकर्ताओं/लॉकर किराए पर लेने वालों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित मृतक दावों के 15 दिनों से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित/बकाया मृतक दावों की संख्या की स्थिति की समीक्षा करना।
- लंबित रहे कोपरा मामलों की स्थिति की समीक्षा करना।
- विवादित एटीएम लेनदेन की स्थिति पर चर्चा करना और ग्राहक फीडबैक सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

23.06.2025 22.09.2025 17.12.2025 17.02.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री रवींद्रन मेनन (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
डॉ. देबदत्त चांद	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री संजय मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4

8. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति

समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना।
- मूल कारणों विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करना।
- आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को सुदृढ़ और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए रोकथाम के उपायों का सुझाव देना।
- धोखाधड़ी की अन्य श्रेणियों/प्रवृत्तियों के अलावा उद्योग/क्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित धोखाधड़ियों को कवरेज में शामिल करना।

(ई) धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब के कारणों, यदि कोई हो, की पहचान तथा शीर्ष प्रबंधन और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसकी रिपोर्टिंग करना।

(एफ) धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण सुनिश्चित करना और जहां आवश्यकता हो, स्टाफ पर अविलम्ब कार्रवाई करना।

(जी) धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए जरूरी समझे जाने वाले अन्य उपायों को लागू करना।

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

09.06.2025 22.09.2025 17.12.2025 06.02.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री रवींद्रन मेनन (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	1
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	2
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव (सीवीओ) (आमंत्रित)*	01.04.2025 से 05.12.2025	2	2
श्री अजित कुमार रथ (सीवीओ) (आमंत्रित)#	12.12.2025 से 31.03.2026	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया।

आईटी रणनीति पर विशेषज्ञता को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने आईटी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को बोर्ड के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया है, जो इस समिति का हिस्सा हैं।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

03.06.2025 19.08.2025 14.10.2025 16.02.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री रवींद्रन मेनन - अध्यक्ष	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
डॉ. देबदत्त चांद	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री संजय विनायक मुदालियर - कार्यपालक निदेशक (आईटी)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्रीमती बीना वाहिद - कार्यपालक निदेशक (सीआईएसओ)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
डॉ. दीपक बी. पाठक - सलाहकार	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4

बैंक ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचना को लगातार विकसित कर रहा है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर उन्नयन हो रहा है।

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है।

कार्यनीतिक एचआर नियोजन और एचआर के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेषज्ञता को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया है, जो इस समिति का हिस्सा हैं।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 5

बैठकों की तारीखें:

03.06.2025 23.09.2025 14.10.2025 09.12.2025 17.02.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	4
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
श्री रविन्द्रन मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	4
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	4
श्रीमती बीना वाहिद (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	5	2
श्री क्रिश्न शंकर (सलाहकार)	30.04.2025 से 31.03.2026	5	3

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/समीक्षा की गई:

- एनपीएस (टियर-I) कर्मचारी सब्सक्राइबर्स द्वारा पेंशन फंड मैनेजर चुनने के विकल्प की शुरुआत और निवेश विकल्प/आस्ति आबंटन में संशोधन
- बैंक की महिला कर्मचारियों को सबैटिकल अवकाश प्रदान करने की योजना की समीक्षा
- कर्मचारी भागीदारी नीति की समीक्षा
- भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नियमित/ संविदा आधार पर कर्मचारियों की भर्ती
- कर्मचारी नियोजन नीति की समीक्षा
- संविदा आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी नीति की समीक्षा
- बैंक में केएमपी और एसएमपी के वर्गीकरण तथा संबंधित विनियामक रिपोर्टिंग संबंधी नीति

- 10 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के साथ एक नया समझौता करना, जिसमें लिपिक से जेएमजी/एस-1 अधिकारी संवर्ग में और अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के कुछ प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।
- 11 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मासिक मोबिलिटी सहायता/ यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति (स्केल IV तक)
- 12 कर्मचारियों के लिए क्लीन ओवरड्राफ्ट सुविधा की मौजूदा सीमाओं में वृद्धि
- 13 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी कल्याण निधि के बजट की मंजूरी
- 14 विदेशी केंद्रों पर अधिकारियों एवं कार्यपालकों की पदस्थापना संबंधी नीति की समीक्षा
- 15 ग्रुप टर्म जीवन बीमा के स्थान पर अनुग्रह राशि की सुविधा जारी रखना
- 16 शिक्षण एवं विकास नीति की समीक्षा
- 17 बैंक की खेल नीति की समीक्षा
- 18 अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति की समीक्षा
- 19 डिजिटাইजेशन प्रोसेस, आईटी और संबंधित सुधारों तथा अन्य रणनीतिक मामलों हेतु एमडी एवं सीईओ के सलाहकार के तौर पर श्री मृत्युंजय महापात्रा की सेवाओं का अनुबंध नवीनीकृत किया गया है।
- 20 बैंक की मानवाधिकार नीति की समीक्षा
- 21 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिकारियों/ कार्यपालकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग/ अपील फ्रेमवर्क संबंधी जानकारी
- 22 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 41 (4) (बी) के अंतर्गत अधिकारियों को आवास व्यय की प्रतिपूर्ति
- 23 गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों (श्रमिक एवं गैर-श्रमिक) के लिए वाहन प्रतिपूर्ति में वृद्धि।
- 24 संविदा आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी नीति, 2025 के खंड 7 में संशोधन
- 25 भारत सरकार द्वारा नई श्रम संहिता की शुरुआत और बैंकों पर इसका प्रभाव
- 26 प्रस्ताव
 - I. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निधन पर परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत
 - II. महिला कर्मचारियों के सर्वाइकल कैंसर (एचपीवी) टीकाकरण के लिए प्रतिपूर्ति योजना की शुरुआत
 - III. दृष्टिबाधित कर्मचारियों को सशक्त बनाने हेतु स्मार्ट विज़न ग्लासेज़ की शुरुआत
- 27 सभी संवर्गों के समस्त कर्मचारियों को मोबाइल खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु योजना, जिसका विस्तार 'अवार्ड स्टाफ' तथा वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य अधिकारियों तक भी किया गया है।

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता/गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

09.06.2025 19.08.2025 14.10.2025 16.02.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
डॉ. एमपी तंगिराला *	01.04.2025 से 23.07.2025	1	0
श्री आशीष माधवराव मोरे#	24.07.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री मनोरंजन मिश्रा	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव (सीवीओ) (आमंत्रित)@	01.04.2025 से 05.12.2025	3	3
श्री अजित कुमार रथ (सीवीओ) (आमंत्रित)\$	12.12.2025 से 31.03.2026	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

@वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

\$ वर्ष के दौरान आमंत्रित सदस्य बने।

12. वसूली निगरानी के लिए निदेशक मंडल की समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा, वसूली प्रणाली और ऋण एवं अग्रिमों के वसूली का अन्वेषण और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

21.07.2025 23.09.2025 18.12.2025 17.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	4	2
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री रवींद्रन मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री इंदर मोहन सिंह – मुख्य महाप्रबंधक सी एंड आईसी/ श्री मधुर कुमार – मुख्य महाप्रबंधक – एमएसएमई	01.04.2025 से 31.03.2026	4	2
श्री पंकज मित्तल-महाप्रबंधक- सीआरएम	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3

समिति ने एनपीए और अपलिखित खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली संबंधी कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ताओं, आईबीसी के तहत प्रगति और वसूली को बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/पहलों के समग्र क्रियान्वयन/प्रगति की समीक्षा की।

13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति

समिति वित्तीय समावेशन के विकास पर विचार करती है, इसकी समीक्षा करती है और बैंक को कम लागत पर सुदूर क्षेत्रों सहित बड़े भू-भाग तक तेजी से कवर करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने की सलाह देती है और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्यनीति को अपनाने के लिए बैंक को सलाह भी देती है।

इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें: 15.07.2025 14.10.2025 09.12.2025 17.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4

14. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है।

इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 2

बैठकों की तारीखें: 24.09.2025 17.03.2026

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
श्री विजय दुबे	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2

15. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के निष्पादन मूल्यांकन पर समिति

यह समिति प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है:

इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीखें: 26.06.2025

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ एमपी तंगिराला (अध्यक्ष)*	01.04.2025 से 23.07.2025	1	0
श्री आशीष माधवराव मोरे#	24.07.2025 से 31.03.2026	0	0
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वर्ष के दौरान सदस्य बने।

16. अनुशासनात्मक मामलों पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की समिति

यह समिति शीर्ष कार्यपालक श्रेणी /वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी /वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों में अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए गठित है।

- 1) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/ वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए समीक्षा प्राधिकारी
- 2) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/ वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी

वर्ष 2025-26 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

17. निदेशक मंडल की सीएसआर एवं संवहनीयता समिति

यह समिति बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा सरकार/ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीएसआर गतिविधियों की देखरेख करती है।

इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

बैठकों की तारीखें: 15.07.2025 14.10.2025 18.12.2025

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. देबदत्त चांद (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री ललित त्यागी	01.04.2025 से 31.03.2026	3	1
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री लाल सिंह	01.04.2025 से 31.03.2026	3	2
श्रीमती बीना वाहिद	01.04.2025 से 31.03.2026	3	1
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री रवींद्रन मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3

18. गैर-कार्यपालक निदेशकों की बैठक

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीखें: 03.06.2025

निदेशकों का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्रीमती नीना नागपाल	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री रवींद्रन मेनन	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री विजय दुबे	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। वर्तमान में बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतन (₹)	परिलब्धियां (बी)	वित्त वर्ष 2025-26 में कुल पारिश्रमिक	कार्यनिष्पादन संबंध प्रोत्साहन	छुट्टी नकदीकरण/ एलएफसी प्रतिपूर्ति	सेवानिवृत्ति लाभ (डी)
1	डॉ. देबदत्त चांद	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.07.2023 से प्रभावी)	42,47,892	5,06,791	9,45,500	16,15,680	-	-
2	श्री ललित त्यागी	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी)	57,44,984	4,42,068	7,36,000	16,12,800	18,200	-
3	श्री लाल सिंह	कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से प्रभावी)	51,37,754	4,30,340	7,36,000	16,12,800	5,38,376	-
4	श्री संजय मुदालियर	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी)	48,17,061	4,27,679	7,36,000	16,12,800	-	-
5	श्रीमती बीना वाहिद	कार्यपालक निदेशक (09.08.2024 से प्रभावी)	47,99,413	3,38,249	7,36,000	10,40,516	-	-

सूचीबद्ध संस्था की तुलना में गैर-कार्यपालक निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन - शून्य

गैर-कार्यपालक निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क का भुगतान:

सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	राशि (₹)
1	श्री मनोरंजन मिश्रा	34,00,000/-
2	श्रीमती नीना नागपाल	35,05,000/-
3	श्री रविन्द्रन मेनन	29,40,000/-
4	श्री विजय दुबे	28,90,000/-

उच्च प्रबंधन का विवरण, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तन भी शामिल हैं।

ए. 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार उच्च प्रबंधन का विवरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान
1	श्री एलंगो बालासुब्रमण्यम	मुख्य महाप्रबंधक- समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
2	श्री मल्होत्रा राजेश	मुख्य महाप्रबंधक – ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग तथा आरआरबी एवं आरसेटी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
3	श्री सिंह शैलेन्द्र एच	मुख्य महाप्रबंधक – मानव संसाधन प्रबंधन एवं विपणन	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
4	श्री शुक्ला सौरभ रविशंकर	मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य तकनीकी अधिकारी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
5	श्री नेगी रवींद्र सिंह	मुख्य महाप्रबंधक – समूह मुख्य जोखिम अधिकारी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
6	श्रीमती कडगटूर शीतल वेंकटेशमूर्ति	प्रमुख- डिजिटल स्ट्रेटजी, उत्पाद, सेवाएं, चैनल एवं परिचालन	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
7	श्री चयनी मनोज सुंदर	अंचल प्रमुख - बेंगलुरु	अंचल कार्यालय, बेंगलुरु
8	श्री रंजन निशांत	प्रमुख -अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई

क्र. सं.	नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान
9	श्री शर्मा प्रभात के	मुख्य परिचालन अधिकारी	प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
10	श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी	प्रमुख- मॉर्गेज एवं रिटेल आस्तियां	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
11	श्री कुमार मधुर	प्रमुख -एमएसएमई बैंकिंग, सह उधार एवं सप्लाई चेन फायनांस	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
12	श्री सुशांत कुमार मोहंती	प्रमुख - ट्रेजरी एवं वैश्विक बाज़ार	स्पेशल ट्रेजरी, मुंबई
13	श्री सिंह इंदर मोहन	प्रमुख - लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
14	श्रीमती सिंह कविता	मुख्य महाप्रबंधक- प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
15	श्री एल श्रीधर आई वी	मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य वित्तीय अधिकारी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
16	श्री शर्मा राकेश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक – दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
17	श्री नेमा राकेश	मुख्य महाप्रबंधक – आईटी प्रोजेक्ट्स एवं खरीद भुगतान	डिजास्टर रिकवरी साइट, हैदराबाद
18	श्री नामदेव दिनेश कुमार	प्रमुख- एफ़एम, पीडी,सीओए,आरडी,एसई एवं आरटीआई	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
19	श्री कौरा मनीष	महाप्रबंधक - परियोजना प्रबंधन कार्यालय, विशेष परियोजनाएँ, सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
20	श्री मित्तल पंकज	महाप्रबंधक - प्रमुख ऋण निगरानी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
21	श्री नेगी विमल कुमार	प्रमुख – वित्तीय समावेशन	प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
22	श्री सरवनकुमार ए	महाप्रबंधक – रिटेल देयताएं	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
23	श्री मोहराना अशोक कुमार	महाप्रबंधक, मुख्य डेटा अधिकारी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
24	श्री खमारी सुधांशु शेखर	प्रमुख - अनुशासनात्मक कार्यवाही	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
25	श्री आर अजयकुमार के	महाप्रबंधक - मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
26	श्री पाढ़ी स्वरूप नंदन	प्रमुख - धन संपदा प्रबंधन	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
27	सुश्री मिश्रा रचना	महाप्रबंधक – सरकारी संपर्क	सरकारी संपर्क, नई दिल्ली
28	श्री गोपालन वी	महाप्रबंधक – प्रमुख मिड कॉर्पोरेट	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
29	श्री बी मेहेर कुमार	उप महाप्रबंधक - प्रमुख- विधि एवं आरटीआई	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
30	श्री सिंह संजय कुमार	उप महाप्रबंधक - प्रमुख, राजभाषा एवं संसदीय समिति	प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
31	श्री वल्लभुनी राजेंद्र प्रसाद	निदेशक मंडल के कार्यकारी सचिव	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
32	श्री सबनवीस मदन	मुख्य अर्थशास्त्री	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
33	श्री सचदेवा सुमित	प्रमुख - लार्ज कॉर्पोरेट रिलेशनशिप	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
34	श्री पटनायक गिरीश	प्रमुख – संग्रह एवं ऋण प्रबंधन – रिटेल एवं सूक्ष्म व्यवसाय	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई
35	श्री एस बालाकुमार	कंपनी सचिव	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई

बी. वरिष्ठ प्रबंधन में हुए परिवर्तनों का विवरण

क्र. सं.	कार्यपालक का नाम	पिछले कार्यदायित्व	नए कार्यदायित्व	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
1	श्री मल्होत्रा राजेश	मुख्य महाप्रबंधक, एमएसएमई बैंकिंग, सह-उधार, सप्लाई चेन फायनांस और ग्रामीण और कृषि बैंकिंग तथा आरआरबी और आरसेटी, बीसीसी, मुंबई	मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग तथा आरआरबी एवं आरसेटी, बीसीसी, मुंबई	19.04.2025
2	श्री ग्रोवर संजय कुमार	प्रमुख - ट्रेजरी और ग्लोबल मार्केट्स, बीसीसी, मुंबई	मुख्य महाप्रबंधक, मिड कॉर्पोरेट, बीसीसी, मुंबई	19.04.2025
3	श्रीमती कडगातूर शीतल वेंकटमूर्ति	प्रमुख - डिजिटल चैनल एवं परिचालन, बीसीसी, मुंबई	प्रमुख - डिजिटल कार्यनीति, उत्पाद, सेवाएं, चैनल और परिचालन, बीसीसी, मुंबई	19.04.2025
4	श्री कुमार मधुर	मुख्य कार्यपालक, यूके, लंदन, समूह नियंत्रण कार्यालय	मुख्य महा प्रबंधक, एमएसएमई बैंकिंग, सह-ऋण और सप्लाई चेन वित्त, बीसीसी, मुंबई (प्रत्यावर्तन पर)	19.04.2025
5	श्री सुशांत कुमार मोहंती	अंचल प्रमुख, राजकोट, अंचल कार्यालय राजकोट	प्रमुख - ट्रेजरी और ग्लोबल मार्केट, बीसीसी, मुंबई	19.04.2025
6	श्री नामदेव दिनेश कुमार	प्रमुख, एफएम, पीडी, सीओए, आरडी, सुरक्षा, आरटीआई, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और डीपी, बीसीसी, मुंबई	प्रमुख, एफएम, पीडी, सीओए, आरडी, सिक्योरिटी, आरटीआई, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, बीसीसी, मुंबई	19.04.2025
7	श्री खमारी सुधांशु शेखर	क्षेत्रीय प्रमुख, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी दिल्ली	महाप्रबंधक, अनुशासनात्मक कार्यवाही, बीसीसी, मुंबई	19.04.2025
8	सुश्री मिश्रा रचना	महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास, लखनऊ, अंचल कार्यालय लखनऊ	महाप्रबंधक, सरकारी व्यवसाय, नई दिल्ली	19.04.2025
9	श्री मोहराणा अशोक कुमार	महाप्रबंधक, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बीसीसी, मुंबई	महाप्रबंधक, मुख्य डेटा अधिकारी, बीसीसी, मुंबई	06.05.2025
10	सुश्री एम मिनी टी	मुख्य महाप्रबंधक, रिटेल देयताएं, बीसीसी, मुंबई	अंचल प्रमुख, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली	08.05.2025
11	श्री चयनी मनोज सुंदर	मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, बीसीसी, मुंबई	अंचल प्रमुख, बेंगलुरु, अंचल कार्यालय बेंगलुरु	26.05.2025
12	श्री सिंह इंदर मोहन	अंचल प्रमुख, बेंगलुरु, अंचल कार्यालय बेंगलुरु	मुख्य महाप्रबंधक, लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग, बीसीसी, मुंबई	26.05.2025
13	श्री एल श्रीधर ई वी	महाप्रबंधक, निदेशक मंडल के सचिव, बीसीसी, मुंबई	महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, बीसीसी, मुंबई (मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड के लिए चयनित कार्यपालक की सूची में शामिल)	26.05.2025
14	श्री पाढ़ी स्वरूप नंदन	महाप्रबंधक, धन संपदा प्रबंधन, बीसीसी, मुंबई	प्रमुख - धन संपदा प्रबंधन, बीसीसी, मुंबई	02.07.2025
15	श्री वल्लभानी राजेंद्र प्रसाद	उप महाप्रबंधक, अनुपालन एवं आश्वासन, पुणे, अंचल कार्यालय पुणे	उप महाप्रबंधक, निदेशक मंडल के सचिव, बीसीसी, मुंबई	02.07.2025
16	श्री ग्रोवर संजय कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, मिड कॉर्पोरेट, बीसीसी, मुंबई	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बड़ौदा बीएनपी परिबास एएमसी इंडिया लिमिटेड, मुंबई	02.08.2025
17	श्री गोपालन वी	महाप्रबंधक, मिड कॉर्पोरेट, बीसीसी, मुंबई	प्रमुख - मिड कॉर्पोरेट, बीसीसी, मुंबई	16.08.2025

क्र. सं.	कार्यपालक का नाम	पिछले कार्यदायित्व	नए कार्यदायित्व	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
18	श्री सिंह कविता	मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक लेखा परीक्षा, बीसीसी, मुंबई	प्रमुख - आंतरिक लेखा परीक्षा, बीसीसी, मुंबई	30.09.2025
19	श्री दिनेश पंत	मुख्य महाप्रबंधक, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, बीसीसी, मुंबई	मुख्य महाप्रबंधक (ओएसडी), दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, बीसीसी, मुंबई	01.12.2025
20	श्री शर्मा राकेश कुमार	महाप्रबंधक, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, बीसीसी, मुंबई	मुख्य महाप्रबंधक, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, बीसीसी, मुंबई (टीईजी/एस-VIII में पदोन्नति पर)	01.12.2025
21	श्री एस बालाकुमार	सहायक महाप्रबंधक, आईएफएससी बैंकिंग इकाई, एनएसएससी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर	कंपनी सचिव, बीसीसी, मुंबई	30.08.2025 (01.09.2025 से प्रभावी)

आम सभा की बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की 29वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2025 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. डॉ. देबदत्त चांद | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| 2. श्री ललित त्यागी | कार्यपालक निदेशक |
| 3. श्री संजय विनायक मुदालियर | कार्यपालक निदेशक |
| 4. श्री लाल सिंह | कार्यपालक निदेशक |
| 5. श्रीमती बीना वाहिद | कार्यपालक निदेशक |
| 6. श्रीमती नीना नागपाल | निदेशक (शेयरधारक) |
| 7. श्री रविंद्रन मेनन | निदेशक (शेयरधारक) – अध्यक्ष एसआरसी |
| 8. श्री विजय दुबे | निदेशक (शेयरधारक) – अध्यक्ष एसीबी |

गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकों/ पोस्टल बैलट के विवरण निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	कार्यवाही
29 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	23 जून 2025 पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश की स्वीकृति एवं घोषणा - पूंजी योजना 2025-26 - कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती बीना वाहिद की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। - गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
एजीएम 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	05 जुलाई, 2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की स्वीकृति और घोषणा - श्री विजय दुबे को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया - गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉ. एम पी तंगिराला की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
ईजीएम	15 मई 2024 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- श्री रविंद्रन मेनन को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया। - श्री संजय विनायक मुदालियर को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	कार्यवाही
ईजीएम	21 दिसंबर 2023 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- श्रीमती नीना नागपाल को शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।
27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	07 जुलाई, 2023 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	- वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश स्वीकृत एवं घोषित किया गया।

संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और हितधारकों को प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराने के महत्व को समझता है। बैंक के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को तत्काल प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां प्रतिभूतियां बोर्ड की बैठक के समापन के तुरंत बाद सूचीबद्ध होती हैं।

ये परिणाम कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं, एक पूरे भारत में प्रसारित और दूसरा गुजरात राज्य में प्रसारित होता है, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शेयरधारकों को अपने तिमाही वित्तीय परिणाम प्रसारित करता है।

व्यापक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए विश्लेषकों की बैठक, मीडिया सम्मेलन आदि का आयोजन भी करता है। बैंक के तिमाही/ ईयर-टू-डेट / वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति की प्रति और बैंक द्वारा की गई अन्य घोषणाएं बैंक की वेबसाइट - <http://www.bankofbaroda.in> पर पोस्ट की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तिमाही के अंत में आयोजित विश्लेषकों और मीडिया बैठकों का वेबकास्ट बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इन मीट के लाइव वेबकास्ट भी हर तिमाही में बैंक की वेबसाइट पर वेबकास्ट किए जाते हैं। वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं बैंक के अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी साझा की जाती हैं।

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026
लेखों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक	08 मई, 2026
लेखा बंदी तारीख	05 जून, 2026
लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित तारीख	घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर
30वीं एजीएम की तारीख, समय और स्थान	तारीख: 23 जून, 2026 समय : प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

शेयरधारकों की सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. "एक्सचेंज प्लाजा" बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई - 400 001 बीएसई कोड : 532134
---	---

- एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
- ट्रेडिंग से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण – शून्य

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर सिस्टम और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जिसका काम शेयरों/बांडों के हस्तांतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों को दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना तथा शेयरों/बांडों के निर्गमन से जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करना है। निवेशक अपने हस्तांतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें आरटीए के पास निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं:

नाम	केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
पता	यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फ़ाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत – 500 032
ई मेल	einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नं.	1800 309 4001
व्हाट्सएप नं.	(91) 910 009 4099
केपीआरआईएसएम (मोबाइल ऐप्लिकेशन)	https://kprism.kfintech.com/
केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट	https://www.kfintech.com
आरटीए वेबसाइट	https://ris.kfintech.com
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक)	https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

निजी रूप से रखे गए बॉण्ड के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.

यूनिवर्सल इश्योर्स बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर
सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001
टेलीफोन: 022-40807000
ई-मेल आईडी: teamcoral@idbitrustee.com

सेंट्रल बैंक फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लि.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल
(ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट
मुंबई – 400001
टेलीफोन : (022) 2261 6217
फैक्स: (022) 2261 6208
ई मेल : hv.kamdar@cfsi.in

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

रूबी, दूसरी मंजिल,
एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम
मुंबई - 400028
दूरभाष: 022- 62300451
ईमेल आईडी: ATSL.Legal@axistrustee.in
Mumbai.team@axistrustee.in

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / शिकायतों के समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को भी निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.bank.in (उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं – investorservices@bankofbaroda.bank.in	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय 7 वां तल, बड़ौदा भवन आर.सी. दत्त रोड अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल : cs.ho@bankofbaroda.bank.in https://ris.kfintech.com/clientservices/isc
--	--

शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च, 2026 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र	विवरण	कुल	कुल शेयर	कुल मामले %
1	भारत सरकार	1	3308184689	63.97
2	म्यूचुअल फंड	308	540690232	10.46
3	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प	811	500940042	9.69
4	निवासी व्यक्ति	1444924	309301444	5.98
5	बीमा कंपनियां	12	230930200	4.47
6	क्यूआईबी - पेंशन फंड	55	98968330	1.91
7	पात्र संस्थागत क्रेता	65	94111835	1.82
8	निकाय निगम	3775	29520997	0.57
9	वैकल्पिक निवेश निधि	30	16697880	0.32
10	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	9455	13767974	0.27
11	आईपीएफ प्राधिकरण	1	8773886	0.17
12	एचयूएफ	22342	7536826	0.15
13	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	9219	7168753	0.14
14	ट्रस्ट	51	1153941	0.02
15	राष्ट्रीयकृत बैंक	1	1150900	0.02
16	समाशोधन सदस्य	20	1034059	0.02
17	कर्मचारी	929	958033	0.02
18	अन्य बैंक	4	151705	0.00
19	बैंक	11	112312	0.00
20	ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय	3	110000	0.00
21	एनबीएफसी	11	37176	0.00

क्र	विवरण	कुल	कुल शेयर	कुल मामले %
22	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	4	16850	0.00
23	विदेशी संस्थागत निवेशक	6	14000	0.00
24	निदेशक एवं उनके संबंधी	2	13000	0.00
25	सीमित देयता सार्वजनिक सदस्य	4	6713	0.00
26	भारतीय वित्तीय संस्थान	1	4752	0.00
27	विदेशी नागरिक	6	4646	0.00
28	निदेशक	4	960	0.00
29	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	1	44	0.00
	कुल	1492056	5171362179	100.00

बी. शेयरधारकों का वितरण – 31 मार्च 2026 तक श्रेणीवार

बैंक ऑफ़ बड़ौदा 31/03/2026 तक शेयरधारिता का वितरण (कुल)

क्र. सं.	श्रेणी (शेयर)	धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी %
1	1 - 5000	1483323	99.41	243688336	4.71
2	5001 - 10000	5078	0.34	35349037	0.68
3	10001 - 20000	1579	0.11	22436888	0.43
4	20001 - 30000	503	0.03	12288905	0.24
5	30001 - 40000	235	0.02	8160209	0.16
6	40001 - 50000	158	0.01	7344748	0.14
7	50001 - 100000	347	0.02	24963806	0.48
8	100001 और अधिक	833	0.06	4817130250	93.15
	कुल	1492056	100.00	5171362179	100.00

सी) प्रतिभूतियों का डिमैटरलाइजेशन:

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटिज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के डिमैटरलाइजेशन के लिए करार किया है। शेयरधारक अपने शेयरों का एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से डिमैटरलाइजेशन कर सकते हैं।

31 मार्च, 2026 तक बैंक के पास भौतिक और अभौतिक रूप में निम्नलिखित संख्या में इक्विटी शेयर हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं	धारिता का प्रकार	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत %
1	भौतिक	100567	22131393	0.43
2	एनएसडीएल	492440	1629764861	31.51
3	सीडीएसएल	899049	3519465925	68.06
	कुल :	1492056	5171362179	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 इक्विटी शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2026 तक रद्द कर दिए गए।

31 मार्च 2026 तक एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

01.04.2025 को प्रारम्भिक शेष		वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डेबिट किए गए शेयर		31 मार्च 2026 को उपलब्ध अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
26	39500	आईईपीएफ को स्थानांतरण	26	39500	शून्य	शून्य

बी. एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

01.04.2025 को प्रारम्भिक शेष		वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डेबिट किए गए शेयर		31 मार्च 2026 को उपलब्ध अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	-	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
25	19125	आईईपीएफ को स्थानांतरण	25	19125	शून्य	शून्य

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से भुगतान

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मैडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉण्डों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमैटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक अपने मैडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मे. केफिन टेक्नोलॉजिज लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

सचिवालय लेखा परीक्षा

बैंक ने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकटीकरण :

- यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है।
- बैंक पर पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज/ किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है।
- हम सेबी द्वारा सेबी सूचीयन विनियमन अनुसूची V के उप अनुच्छेद (2) से (10) के कॉपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर अनुपालन की पुष्टि करते हैं।
- सभी निदेशकों द्वारा ये प्रकटीकरण किया गया है कि 31 मार्च, 2026 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
- बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अतः “कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां” शून्य हैं।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए फॉर्मूलाइजेशन कार्यक्रम
बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित फॉर्मूलाइजेशन कार्यक्रम का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.bank.in> पर “शेयरधारक कॉर्नर” अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

8. व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश

बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है तथा किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

9. संबंधित पक्ष लेनदेन और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति

संबंधित पक्ष लेनदेन और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर बैंक की नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.bank.in> पर उपलब्ध है।

10. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व निपटान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
13*	11	2

*13 में से 5 शिकायते POSH से संबंधित

11. संबंधित वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नाम लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

बैंक द्वारा जारी सभी ऋण लिखतों एवं सावधि जमा कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 के दौरान रेटिंग में संशोधन के विवरणों के साथ बैंक की रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं;

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की रेटिंग का सारांश - वित्तीय वर्ष-2025-26

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
आईसीआरए	बेसल III टियर-I बॉन्ड	[ICRA]AA+ (स्थायी)	पुनः अभिपुष्ट
	बेसल III टियर II बॉन्ड	[ICRA]AAA (स्थायी)	पुनः अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	[ICRA]AAA (स्थायी)	पुनः अभिपुष्ट
	सावधि जमा राशि	[ICRA]AAA (स्थायी)	पुनः अभिपुष्ट
केयर	टियर II बॉन्ड (बेसल III)	CARE AAA; स्थायी	पुनः अभिपुष्ट
इंडिया रेटिंग	दीर्घावधि इश्युअर रेटिंग	IND AAA/स्थायी	अभिपुष्ट
	जमा प्रमाणपत्र	IND A1+	अभिपुष्ट
	बेसल III टियर 2 लिखत	IND AAA/स्थायी	अभिपुष्ट
	बेसल III एटी-I बॉन्ड	IND AA+/स्थायी	अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड	IND AAA/स्थायी	अभिपुष्ट
	सावधि जमाराशि	IND AAA/स्थायी	अभिपुष्ट
क्रिसिल	बैंक ऑफ़ बड़ौदा		
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AAA/स्थायी	पुनः अभिपुष्ट
	टियर I बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AA+/स्थायी	पुनः अभिपुष्ट
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AAA/स्थायी	पुनः अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	CRISIL AAA/स्थायी	पुनः अभिपुष्ट
मूडीज	बैंक ऑफ़ बड़ौदा		
	आउटलुक	स्थायी	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	बैंक जमाराशियां	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	आधारभूत ऋण मूल्यांकन	Ba1	Ba2 में अद्यतित
	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके लिमिटेड)		
	आउटलुक	स्थायी	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	सीनियर गैरप्रतिभूति एमटीएन	Baa3/P-3	अभिपुष्ट

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
फिच	बैंक ऑफ़ बड़ौदा		
	दीर्घावधि आईडीआर	BBB-	अभिपुष्ट
	रेटिंग आउटलुक	स्थायी	अभिपुष्ट
	अल्पावधि आईडीआर	F3	अभिपुष्ट
	व्यवहार्यता रेटिंग	bb-	बीबी- से अपग्रेड किया गया
	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड		
	दीर्घावधि आईडीआर	BBB-	अभिपुष्ट
	रेटिंग आउटलुक	स्थायी	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि आईडीआर	BB	अभिपुष्ट
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स	लॉन्ग टर्म जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	BBB	अभिपुष्ट
	दीर्घकालिक रेटिंग पर आउटलुक	स्थायी	अभिपुष्ट
	अल्पावधिक	A-2	अभिपुष्ट

नोट:

- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की रेटिंग में कोई गिरावट नहीं आई
 - मूडीज ने बैंक के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट (बीसीए) को बीए 2 से बीए 1 में अपग्रेड किया है
 - फिच ने बैंक की व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) को बीबी से 'बीबी' में अपग्रेड किया है।
- इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंधन पर निर्भर नहीं हैं – हां
 - जहां वित्त वर्ष 2025-26 में निदेशक मंडल ने अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया – शून्य
 - विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण – शून्य, क्योंकि वर्ष के दौरान बैंक ने अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई हैं।
 - सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा, समेकित आधार पर, सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल फीस – ₹149.92 करोड़
 - कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक मंडल/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है - प्राप्त किया गया।

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	निदेशक मंडल सूचीबद्ध कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ऊँची संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।	दिनांक 01-03-2024 से कोई गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं।

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
2	शेयरधारक के अधिकार पिछली छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है।	बैंक अपने तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है। बैंक शेयरधारकों की सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप वित्तीय परिणामों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है।
3	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत कंपनी को अशर्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए।	बैंक के लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं है।
4	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	बैंक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद अलग-अलग हैं। हालांकि, दिनांक 01-03-2024 से कोई गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है।
5	आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति जो आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों का प्रबंधन करती है, की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

विनियम क्रम.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
17	निदेशक मंडल	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970" के अधीन है। अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक के निदेशक मंडल में धारा 9(3)(ई), 9(3)(एफ) और 9(3)(जी) के तहत एक-एक निदेशक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत तीन निदेशकों का पद खाली था। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के एक तिहाई से भी कम है। निदेशक मंडल का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि निदेशक मंडल की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे।
17ए	निदेशकों की अधिकतम संख्या	अनुपालन किया गया है
18	लेखा परीक्षा समिति	अनुपालन किया गया है
19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	अनुपालन किया गया है
20	हितधारक संबंधपरक समिति	अनुपालन किया गया है

विनियम क्रम.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया है
22	सतर्कता प्रणाली	अनुपालन किया गया है
23	संबंधित पार्टी लेनदेन	अनुपालन किया गया है
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गर्वनेंस की आवश्यकता	अनुपालन किया गया है
24ए	सचिवालय लेखा परीक्षा और सचिवालय अनुपालन रिपोर्ट	अनुपालन किया गया है
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	विनियमन 17 के अनुसार – यथा उपर्युक्त
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया है
27	अन्य कॉर्पोरेट गर्वनेंस आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया है
46	वेबसाइट	अनुपालन किया गया है

शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस पत्राचार से संबंधित किसी भी विषय या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों/ लाभांश से जुड़े किसी अन्य मामले में स्पष्टीकरण/ सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे/ आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजी लि., यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर – बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत - 500 032. ई-मेल : einward.ris@kfintech.com टोल फ्री फोन/नंबर : 1800 309 4001 व्हाट्सएप नंबर : (91) 910 009 4099 केपीआरआईएसएम (मोबाइल ऐप्लिकेशन): https://kpriism.kfintech.com/ केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.kfintech.com आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग, 7वीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051 टेलीफोन: 022-6698 5731/ 5743 सामान्य नंबर: 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.bank.in बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का कॉर्नर सेक्शन - https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/
---	---

पारदर्शिता अधिकारी:

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप बैंक ने अपने एक वरिष्ठ कार्यपालक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

- सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना।
- आरटीआई संबंधित सभी विषयों हेतु आमजन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना। बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड की है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है।

अनुपालन संबंधी कार्य:

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है। बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को सुस्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू की है। शीर्ष प्रबंधन की मान्यताएं किसी संगठन के मार्गदर्शक मूल्यों और नैतिक वातावरण को निर्धारित करती हैं। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक "उच्च स्तरीय अनुपालन समिति" जिसके अन्य सदस्यों में आश्वासन वर्टिकल और संबद्ध कार्यों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, अनुपालन से संबंधित सभी मामलों पर निगरानी रखती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में मुख्य महाप्रबंधक जिसे समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीजीसीओ) के रूप में नामित किया गया है, की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग की स्थापना की गई है।

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडआई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिमंडा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंक में अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र, अंचल और विदेशी टेरिटरी में समर्पित अनुपालन अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। इसके अलावा, अनुपालन कार्य के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी निर्धारित किया गया है। इन अनुपालन अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय से की जा रही है। इसी प्रकार की अनुपालन व्यवस्था बैंक की घरेलू और विदेशी अनुषंगियों में की गई है जिसमें समर्पित अनुपालन अधिकारी और टीम शामिल हैं।

बैंक ने विधिक, नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की गतिविधियों के लिए हमारे बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अनुपालन संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया है। बैंक अनुपालन के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बैंक में अनुपालन संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साप्ताहिक अंतराल पर "अनुवृत्ति" शीर्षक से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

अनुलग्नक 1 निदेशक मंडल का गठन

डॉ. देबदत्त चांद - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(जन्मतिथि: 31 जनवरी, 1971)

डॉ. देबदत्त चांद ने दिनांक 1 जुलाई, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। डॉ. चांद को विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में कार्य के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण करने से पूर्व, आपने मार्च 2021 से जून 2023 तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। बतौर कार्यपालक निदेशक, आप कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड कॉर्पोरेट व्यवसाय एवं व्यापार और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कर रहे थे, साथ ही आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय, घरेलू अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों, धन संपदा प्रबंधन, पूंजी बाजार, एनआरआई कारोबार सहित मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, वसूली, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा और संपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख संगठन-कार्यों का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बैंक और उसकी समूह कंपनियों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व आपके पास हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा से पूर्व, आप पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और आपने अंचल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, ट्रेजरी ऑपरेशंस के प्रमुख तथा लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन विभागों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है। आपने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

वर्तमान में, डॉ. चांद, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा बॉबकार्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। आपने इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड के बोर्ड में अपनी सेवाएं दी हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में डॉ. चांद, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं।

आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और एनआईबीएम के गवर्निंग बोर्ड की स्थायी समिति, एमडीआई सोसाइटी, गुडगांव की जनरल बॉडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) की गवर्निंग काउंसिल और नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) संबंधी सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। आप भारतीय बैंकिंग संस्थान (आईआईबीएफ) की कार्यकारी समिति के भी अध्यक्ष हैं।

डॉ. चांद भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के तत्वावधान में 'इंफ्रास्ट्रक्चर और फायनांस' पर कार्यरत जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सह-अध्यक्ष हैं। आप भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। श्री चांद, पूंजी बाजार कनेक्टिविटी पर भारत-यूके आर्थिक साझेदारी कार्यकारी समूह (आईयूकेएफपी) का भी हिस्सा रह चुके हैं। श्री चांद भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय बैंकिंग समिति के सदस्य भी हैं।

डॉ. चांद ने बी.टेक, एमबीए और सीएआईआईबी किया है। साथ ही, आपने इक्विटी रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और एक सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। डॉ. चांद ने प्रबंधन में पीएच.डी भी की है।

श्री ललित त्यागी- कार्यपालक निदेशक

(जन्म तिथि: 14 जून 1971)

श्री ललित त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और आपको वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न आयामों विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप एक ऑपरेशनल बैंकर रहे हैं। आपको भारत और विदेशों में विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। आपने बैंक के विदेशी परिचालन के अंतर्गत अपने दो कार्यकालों के दौरान ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए में सेवाएं दी हैं।

वर्तमान में श्री त्यागी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड-कॉर्पोरेट व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और घरेलू अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम संबंधी कार्य देख रहे हैं।

इससे पूर्व आपने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख विभागों से जुड़े कार्यों की निगरानी की है।

आपने बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, जिनमें बेंगलुरु क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक व शाखा प्रमुख और बैंक की सबसे बड़ी विदेशी टेरिस्ट्री, यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में प्रदान की गई सेवाएं प्रमुख हैं।

दिनांक 21 नवंबर, 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यरत थे। आपने कैनेबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल - केनरा बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी. के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में नामित निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में आप, इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड, इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि. में नामित निदेशक हैं।

आपने कैनेबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल - केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) इंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में नामित निदेशक सहित कई प्रमुख पदों पर भी सेवाएं प्रदान की हैं।

श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणादायी कौशल के लिए जाने जाते हैं।

आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से बैंकिंग एंड फाइनेंस (पीजीडीबीएफ) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भावी नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए चयनित किया गया है।

श्री संजय विनायक मुदालियर - कार्यपालक निदेशक

(जन्म तिथि: 02 जुलाई, 1968)

श्री संजय विनायक मुदालियर ने दिनांक 31 जनवरी, 2024 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व में, आप इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक का दायित्व संभाल रहे थे।

आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और लंदन से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन प्रैक्टिशनर हैं। आप एक अनुभवी बैंकर हैं जिन्हें विभिन्न उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों में 35 वर्षों से अधिक का कार्य-अनुभव है। इनमें से 27 वर्षों तक आपने देश में और यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न पदों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अपनी सेवाएं दी हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़ने से पूर्व आपने, 17 देशों में फैले बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वैश्विक परिचालन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं।

अपने तकनीकी-कार्यात्मक ज्ञान के साथ, आपने उत्पाद नवोन्मेषिता और प्रक्रिया उन्नतिकरण पर विभिन्न कार्य समूहों/ समितियों में अहम योगदान दिया है। आप बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रमुख उद्योग स्तरीय पहलों से भी जुड़े रहे हैं। आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 3 अनुषंगियों में नामित निदेशक रहे हैं एवं एनपीसीआई के बोर्ड में भी आपने बैंक का प्रतिनिधित्व किया है।

आपका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है और अत्यधिक परिवर्तनशील परिवेश में कार्य करने के प्रति अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। पर्यटन और पठन-पाठन में आपकी गहरी रुचि है।

श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक

(जन्म तिथि: 11 जनवरी, 1967)

श्री लाल सिंह ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1990 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में की। एक कैरियर उन्मुखी बैंकर के रूप में, आपके पास एमएसएमई क्रेडिट, कॉर्पोरेट वित्त, ग्रामीण एवं कृषि व्यवसाय और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में 35 वर्षों का व्यापक कार्यानुभव है।

आपने अंचल प्रमुख के रूप में वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई जैसे बड़े और प्रतिष्ठित अंचलों सहित मुंबई पश्चिम और उदयपुर (राजस्थान) जैसे क्षेत्रों का भी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। श्री सिंह को मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी व ग्रामीण (एमयूएसआर) क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में क्षेत्रीय प्रमुख और शाखा प्रमुख के रूप में आपने बैंक के कारोबार वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के उपरांत, आपने बैंक के एमएसएमई, ग्रामीण और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में व्यावसायिक रूपांतरण का नेतृत्व किया। यूनियन बैंक में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आप बैंक के नीतिपरक मानव संसाधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान आपने एक नई कार्य-निष्पादन संस्कृति, उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित की और बैंक के 75,000+ कर्मचारियों के प्रतिभा जुड़ाव में आवश्यक सुधार से संबंधित बैंक के प्रमुख प्रोजेक्ट 'यूनियन प्रेरणा' का प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। आपके नेतृत्व में, मानव संसाधन संबंधी पहलों को प्रमुख वैश्विक संगठनों से 12 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए और बैंक ने डिजिटल और डेटा सक्षमता के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया। आपने कर्मचारियों में बाज़ार के अनुरूप कौशल के निर्माण हेतु शिक्षण के क्षेत्र में एक समृद्ध इको सिस्टम बनाते हुए उन्नत शिक्षण एवं विकास इकाई की भी स्थापना की।

आप कई बोर्ड स्तर के और नेतृत्व स्तर के पदों पर सेवा दे चुके हैं। आप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश की पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने संबंधी योजना (बीजीआरआई) और ऋण जमा अनुपात उप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आपने यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीआईसीओ), मेसर्स नैब

समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (नाबार्ड की सहायक कंपनी), पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ़ इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड (सिडबी), भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के ट्रस्टी और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी हेतु यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट के साथ-साथ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारी पेंशन ट्रस्ट, भविष्य निधि एंड ग्रेजुएट बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। आप मानव संसाधन विकास, टीम निर्माण व अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव में कुशलता के लिए जाने जाते हैं।

आप कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर, भारतीय बैंकर संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं और ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीआईटीआईआरएम), एएमएफआई और सीईबीए के डिप्लोमा धारक हैं। आपने माइक्रो फाइनेंस में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यूवीए डार्डन स्कूल ऑफ़ बिजनेस - वर्जीनिया, यूएसए और आईएसबी, हैदराबाद में ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप प्रोग्राम में प्रतिभागीता की है। आप आईआईएम बैंगलुरु और ईगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब एफएसआईबी) द्वारा चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के पहले बैच का हिस्सा रहे हैं।

सुश्री बीना वाहिद - कार्यपालक निदेशक

(जन्म तिथि: 17 मई, 1969)

सुश्री बीना वाहिद ने दिनांक 9 अगस्त, 2024 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1993 में कॉर्पोरेशन बैंक में अधिकारी के रूप में की। आपने बैंक की व्यावसायिक योजना, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार हेतु किए जाने वाले प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें वर्ष 1997 में बैंक के आईपीओ का सफलतापूर्वक शुभारंभ भी शामिल है। एक प्रतिष्ठित बैंकर के रूप में आपको रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई, ऋण मूल्यांकन, मानव संसाधन, सरकारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण एवं लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध और व्यापक कार्यानुभव है।

अपने कैरियर के दौरान आपने बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया है। शाखा प्रमुख के रूप में आपने व्यवसाय विकास को सुदृढ़ता प्रदान की, जोखिम एवं परिचालनगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया और बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। उप महाप्रबंधक के रूप में एवं उसके उपरांत महाप्रबंधक के रूप में आपने पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक के सबसे बड़े विभागों में से प्रमुख-कॉर्पोरेट खाते विभाग की जिम्मेदारी संभाली एवं आपके नेतृत्व में बैंक के कारोबार और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समामेलन के उपरांत कार्य संस्कृति के एकीकरण में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपने समामेलित इकाई में महाप्रबंधक-मानव संसाधन परिचालन के रूप में कार्यदायित्व संभाला। तत्पश्चात अगले कार्यदायित्व में कारोबार की दृष्टि से यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के दूसरे सबसे बड़े अंचल-दिल्ली अंचल के अंचल प्रमुख के रूप में लाभप्रदता, परिचालन और अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ₹2 लाख करोड़ से अधिक के व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में आपकी कार्यनीति संबंधी दक्षता निर्णायक सिद्ध हुई। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आपने जमा संग्रहण विभाग के प्रभारी एवं मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सभी जमा उत्पादों के प्रबंधन तथा बैंक के देयता आधार में वृद्धि हेतु कार्यनीतिक पहलों और संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आपने क्रेडिट कार्ड और मर्चेन्ट अधिग्रहण का प्रभार भी संभाला है।

आपको, आपकी कार्यनीति दक्षता, संस्थान के कार्मिकों के कौशल विकास, टीम निर्माण एवं अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव स्थापित करने संबंधी कुशलता के लिए जाना जाता है। यह आपके बहुआयामी एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचायक है।

उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यनिष्पादन हेतु आपको प्राप्त विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी उपलब्धि के प्रमाण हैं। हाल ही में, आपकी पेशेवर उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप आपको आईआईएम कोझीकोड द्वारा विशिष्ट पूर्व-छात्र पुरस्कार, 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपने विभिन्न निदेशक मंडल और नेतृत्व के पदों पर कार्य किया है। आपको यूनिन बैंक ऑफ़ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। वर्तमान में, आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड के साथ-साथ बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड की भी निदेशक हैं।

आपने केरल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तथा जनसंचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है, आईआईएम कोझीकोड से एक्जीक्यूटिव एमबीए पाठ्यक्रम पूरा किया है तथा साइबर सुरक्षा एवं नेतृत्व कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप आईआईएम बेंगलुरु और एगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (जिसे अब FSIB के नाम से जाना जाता है) द्वारा चुने गए वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरे बैच में शामिल रहे हैं। उन्होंने आईआईसीए/एमसीए द्वारा संचालित ईएसजी नेतृत्व में निदेशक प्रमाणन कार्यक्रम भी किया है।

आपने दिनांक 03-04 जून, 2025 को लंदन, यूके में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ़ रिस्क प्रोफेशनल (जीआरपी) द्वारा आयोजित जलवायु और प्राकृतिक जोखिम संगोष्ठी में भाग लिया। यह संवहनीय विकास और उभरते वैश्विक जोखिम फ्रेमवर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री आशीष माधवराव मोरे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि- 21 अगस्त, 1980)

आप भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कि एजीएमयूटी कैडर से संबंधित हैं और जिनका आबंटन वर्ष 2005 है। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है एवं आप महाराष्ट्र के निवासी हैं।

आईएस में सम्मिलित होने के पश्चात, आपने केंद्र सरकार और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में विविध और प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई हैं। आपने, अपने कैरियर की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) में प्रशिक्षण के साथ आरंभ की। आपने एजीएमयूटी कैडर में रहते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और मिजोरम में उपायुक्त सहित प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है; आप दिल्ली जल बोर्ड में निदेशक (वित्त), और गोवा और पुडुचेरी के कई विभागों में सचिव भी रहें।

केंद्र सरकार में रहते हुए, आपने माननीय रेल मंत्री के निजी सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग) जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और वर्तमान में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बैंकिंग) के रूप में कार्यरत हैं।

आपने एलबीएसएनए (LBSNAA) में कई मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की है, जिसमें चरण III, चरण IV एवं वर्ष 2005 बैच के लिए एक कॉमन मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है।

आपका कार्यकाल सार्वजनिक सेवा, नीतियों के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रशासन और शासन के विविध क्षेत्रों में आपकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री मनोरंजन मिश्रा – निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि- 28 सितंबर, 1964)

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से श्री मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में तीन दशक से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले श्री मनोरंजन मिश्रा 30 सितंबर, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री मिश्रा ने बैंकों और एनबीएफसी के नियमन, बैंकों की निगरानी, मुद्रा प्रबंधन, प्रवर्तन, जोखिम निगरानी, बाहरी निवेश और परिचालन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों में काम किया है। श्री मिश्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य समूहों के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं और नियामक और पर्यवेक्षी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं।

श्री मिश्रा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एमबीए (बैंकिंग और वित्त) हैं। उनके पास यूके के एस्टन बिजनेस स्कूल से वित्त और वित्तीय नियमन में मास्टर डिग्री भी है।

श्रीमती नीना नागपाल-निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेरधारक निदेशक

(जन्मतिथि-06 दिसंबर, 1963)

श्रीमती नीना नागपाल ने दिनांक 24 दिसंबर, 2023 से हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, आप सिटीकॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड (सीएफआईएल) जोकि सिटीग्रुप की एक गैर-बैंक वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है, की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रह चुकी हैं।

आप बोर्ड ऑफ़ इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड (आईआईडीएल) में नामित निदेशक भी रह चुकी हैं।

वर्ष 2014 में सिटीग्रुप में शामिल होने से पूर्व, श्रीमती नीना नागपाल मॉर्गन स्टेनली इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं कंट्री चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तथा इसके एनबीएफसी की सीईओ रह चुकी हैं। इससे पहले, आप भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया की नेतृत्व टीम में भी रह चुकी हैं। आपने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसआईडी) के साथ भी काम किया, जहां आपने भारतीय प्रतिभूति बाजारों के संस्थागत विकास के उद्देश्य से यूएसडी 20 एमएम यूएस-इंडिया द्विपक्षीय परियोजना की संकल्पना एवं दस्तावेजीकरण का कार्य किया।

आप कई विनियामक, उद्योग समितियों और बोर्ड में रह चुकी हैं। सलाहकार, परियोजना प्रबंधन, पूंजी बाजार, निवेश और वाणिज्यिक बैंकिंग में अनुभव से संपन्न आप वित्तीय सेवा उद्योग के अनुभवी प्रोफेशनल हैं।

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया है। आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त में स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्य भी किया है।

श्री रवींद्रन मेनन- निदेशक (गैर-कार्यकारी)- शेयरधारक निदेशक (जन्मतिथि-30 जुलाई, 1961)

श्री रवींद्रन (रवि) मेनन ने दिनांक 16 मई, 2024 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और आप अगले-3- वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

व्यवसायों के सफल निर्माण एवं विकास के एक विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड के साथ श्री रवींद्रन मेनन वित्तीय सेवा उद्योग के महत्वपूर्ण विचार प्रवर्तक रहे हैं। आपने, अपने सैंतीस वर्षों के अनुभव के दौरान एचएसबीसी, यूबीएस, आईएनजी और एएनज़ ग्रिडलेज़ जैसी प्रसिद्ध वैश्विक संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए श्री रवींद्रन मेनन भारत के आर्थिक परिदृश्य के रूपांतरण के साक्षी एवं महत्वपूर्ण अंग रहे हैं।

अपनी कैरियर के दौरान, आपने निवेश प्रबंधन, पूंजी बाजार, कॉर्पोरेट वित्त, नकद प्रबंधन और कॉर्पोरेट बैंकिंग सहित विभिन्न कार्यों से जुड़ी बड़ी टीमों का नेतृत्व किया है। इस व्यापक अनुभव ने आपको क्षेत्र की जटिलताओं और नवाचार व विकास के अवसरों की गहरी समझ प्रदान की है। आपके कुछ प्रमुख कार्यदायित्वों में भारत में एचएसबीसी ग्रुप के रणनीतिक कार्य का नेतृत्व करना शामिल है और आप एचएसबीसी बैंक की प्रबंधन समिति (बोर्ड के समकक्ष) के सदस्य रहे हैं। आप एचएसबीसी ग्रुप से एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (भारत), जो भारत में रिटेल और संस्थागत ग्राहकों को आस्ति प्रबंधन सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है, के सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अधिग्रहण और एचएसबीसी आस्ति प्रबंधन के साथ सफल एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, जिसने संस्था को अग्रणी रखने में मजबूत आधार प्रदान किया है।

आपने एम.एस.सी. और एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। उत्कृष्टता को प्राप्त करने की आपकी सोच ने ही आपको बिट्स पिलानी और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ़ बिजनेस मैनेजमेंट, पुणे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से आपका प्रवेश कराया, जिसने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में आपके उत्कृष्ट कैरियर की बुनियाद तैयार की।

श्री विजय दुबे, निदेशक (गैर-कार्यकारी)- शेयरधारक निदेशक (जन्मतिथि-07 अगस्त, 1963)

श्री विजय दुबे ने दिनांक 9 जुलाई, 2024 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और आप अगले-3- वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

श्री दुबे का कैरियर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर के रूप में रहा है। आपके पास 39 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। आपने अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 तक पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक और नवंबर 2018 से मार्च 2020 तक ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा दी। इससे पहले, आपने बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में जैसे कि फील्ड स्तर पर ग्राहक सेवा, शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, कॉर्पोरेट क्रेडिट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आंतरिक लेखापरीक्षा, परिचालन एवं साथ ही मुख्यालय में भी कार्य किया है। आप विभिन्न वित्तीय संस्थानों से जुड़े रहे हैं, जिनमें आपका प्रमुख कार्यकाल पंजाब नेशनल बैंक और विजया बैंक के साथ रहा। आपने स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में भी सेवा दी है।

आप निक्सकॉम, नोएडा के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष और एसआईबीएसटीसी, बंगलुरु एवं आईआईबीएम, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में भी सेवा दी है। आप भारत सरकार द्वारा गठित बैंकिंग उद्योग से संबंधित कुछ समितियों के सदस्य भी रहे हैं।

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के एफएमएस से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से स्टेटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सदस्य (सीएआईआईबी) हैं एवं आपने वित्तीय सेवाओं में जोखिम प्रबंधन का प्रमाणपत्र (साआईएसआई, लंदन) भी प्राप्त किया है। वर्तमान समय में आप प्रबंधन में पीएचडी कर रहे हैं एवं आपके शोध का क्षेत्र विलय और अधिग्रहण में सांस्कृतिक एकीकरण के प्रभावों का अध्ययन रहा है।

आपको यात्रा करना तथा फिटनेस के प्रति सजग रहना काफी पसंद है, आपने भारत और अन्य देशों में व्यापक यात्राएं की हैं। आप पीएडीआई ओपन वॉटर प्रमाणित स्क्वा डाइवर हैं, आप दो-पहिया वाहन से खारदुंगला पास (दुनिया की उस समय की सबसे ऊँची मोटरेबल सड़क) तक गए हैं, आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की है और अपने 60वें जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए 600 किमी (प्रोजेक्ट 600@60, इट्स पॉसिबल! के अंतर्गत) साइकिल भी चलाया है।

निदेशकों से संबंधित अन्य विवरण:

अनुलग्नक - 1ए

(यथास्थिति 31.03.2026)

निदेशकों का नाम	बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं(*)	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल
डॉ. देबदत्त चांद	शून्य	11	2	1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 2. बॉबकार्ड लिमिटेड 3. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस (गवर्निंग काउंसिल के सदस्य)
श्री ललित त्यागी	6500	7	1	1. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड 2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड 5. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
श्री संजय विनायक मुदालियर	6500	8	1	1. बॉबकार्ड लिमिटेड 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
श्री लाल सिंह	245	8	0	1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड 2. पीएसबी अलायंस लिमिटेड 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड 4. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज़ 5. नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड
श्रीमती बीना वाहिद	शून्य	9	0	1. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड 2. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
श्री आशीष माधवराव मोरे	शून्य	3	0	1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
श्री मनोरंजन मिश्रा	230	4	0	1. उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए फिनटेक एसोसिएट
श्रीमती नीना नागपाल	200	9	0	1. इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड
श्री रवींद्रन मेनन	300	10	3	1. एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड 2. एम्पैक्ट नेक्स्ट वेंचर्स लिमिटेड 3. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 4. स्टोव रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
श्री विजय दुबे	230	11	0	-

(*) एसीबी और हितधारक समिति के संबंध में प्रदत्त सूचना ।

Corporate Governance Report 2025-26

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized Corporate Governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best Corporate Governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance has emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong Corporate Governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's Corporate Governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirement as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization.

The Bank has infused the philosophy of Corporate Governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members.

Bank's Corporate Governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stakeholders
- Protection of the interest of all stakeholders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard.

The core cardinal values of the Bank are:

- Integrity:** We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
- Customer Centricity:** Our customers' interests lie at the core of all our actions.
- Courage:** We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
- Passionate Ownership:** We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.

- Innovation:** We create value with break-through ideas.
- Excellence:** We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.
- Respect:** We value the inherent worth and dignity of every employee, fostering a supportive and inclusive work environment.

Bank believes that sound Corporate Governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but a body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation of provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2026 is as per **Annexure-1 and 1A**.

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all Chief General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.bank.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2025-26, twelve meetings were held.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 12

Dates of Meetings:

10.04.2025 & 11.04.2025	06.05.2025	23.06.2025	25.07.2025
20.08.2025	22.09.2025	31.10.2025	14.11.2025 & 15.11.2025
18.12.2025	30.01.2026	16.02.2026	18.03.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Dr. M P Tangirala*	01.04.2025 to 23.07.2025	3	0
Shri Ashish Madhaorao More [#]	24.07.2025 to 31.03.2026	9	8
Shri Manoranjan Mishra	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	12	12

*ceased to be a member during the year. [#]became a member during the year.

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee of the Board
8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of Cases of Frauds
9. IT Strategy Committee of the Board
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Steering Committee of the Board on Rural & FI
14. CSR & Sustainability Committee of the Board
15. Review Committee on Wilful Defaulters
16. Committee on Performance Evaluation of APAR of Whole time Directors
17. Committee of the Board to consider Disciplinary Cases.
18. Meeting of Non-Executive Directors

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Directors from amongst those appointed under sub section (d) (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 43

Dates of Meetings:

03.04.2025	17.04.2025	24.04.2025	02.05.2025	08.05.2025
15.05.2025	22.05.2025	02.06.2025	13.06.2025	19.06.2025
25.06.2025	04.07.2025	11.07.2025	21.07.2025	31.07.2025
19.08.2025	20.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	17.09.2025
25.09.2025	26.09.2025	30.09.2025	16.10.2025	23.10.2025
06.11.2025	21.11.2025	05.12.2025	11.12.2025	18.12.2025
24.12.2025	29.12.2025	07.01.2026	14.01.2026	22.01.2026
03.02.2026	12.02.2026	26.02.2026	05.03.2026	12.03.2026
20.03.2026	27.03.2026	30.03.2026		

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	43	33
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	43	40
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	43	36
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	43	32
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	43	27
Shri Manoranjan Mishra	01.04.2025 to 31.03.2026	43	43
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 01.01.2026 12.01.2026 to 31.03.2026	42	42

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & Chief Executive Officer and are upto Rs. 800 crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, Chief Financial Officer, Group Chief Risk Officer and respective Heads of verticals.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 26

Dates of Meetings:

03.04.2025	02.05.2025	08.05.2025	15.05.2025	02.06.2025
13.06.2025	21.06.2025	26.06.2025	10.07.2025	31.07.2025
14.08.2025	01.09.2025	10.09.2025	17.09.2025	25.09.2025
26.09.2025	16.10.2025	23.10.2025	29.11.2025	17.12.2025
14.01.2026	03.02.2026	20.02.2026	05.03.2026	23.03.2026
27.03.2026				

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	26	26
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	26	22
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	26	21
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	26	20
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	26	18
Shri Manoj Chayani, CFO*	01.04.2025 to 01.06.2025	4	4
Shri I V L Sridhar, CFO#	02.06.2025 to 31.03.2026	22	20
Shri Ravindra Singh Negi, GCRO	01.04.2025 to 31.03.2026	26	25

*ceased to be a member during the year.

#became a member during the year.

3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of Audit Committee of the Board, inter alia, include.

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / Concurrent/ Statutory / External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It review the adequacy of internal control systems and reviews the Financial, Risk Management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements;

reviews them and recommends to the Board for approval.

- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

The Committee comprises of -3- members (-2- Non-Executive Independent Directors and RBI Nominee Director). GOI Nominee Director and all the Executive Directors are Invitees to the Committee.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 15

Dates of Meetings:

05.05.2025	06.05.2025	26.06.2025	24.07.2025	25.07.2025
19.08.2025	23.09.2025	30.10.2025	31.10.2025	06.11.2025
17.12.2025	29.01.2026	30.01.2026	25.02.2026	17.03.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Vijay Dube (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	15	15
Shri Manoranjan Mishra	01.04.2025 to 31.03.2026	15	15
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	15	15
Dr. M P Tangirala (Invitee)*	01.04.2025 to 23.07.2025	4	0
Shri Ashish Madhaorao More (Invitee)#	24.07.2025 to 31.03.2026	11	4
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	15	15
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	15	13
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	15	14
Smt. Beena Vaheed (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	15	12

*ceased to be an invitee during the year.

#became an invitee during the year.

During FY 2025-26, ACB inter-alia approved/ reviewed the followings besides Regular Agenda items:

- Approval of the Bank's Compliance Policy-2025
- Approval of Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries, 2025
- Approval of Reviewed Risk Based Internal Audit (Domestic) Policy, 2025
- Approval of Reviewed Risk Based Internal Audit (Overseas) Policy, 2025
- Approval of revised version of Information Systems Audit Policy (IS Audit) of the Bank.
- Approval of Reviewed Credit Audit Policy 2025
- Approval of the Criteria for Risk Profiling of Branches and all Other Functional Units
- Approval of Bank's Compliance on Long Form Audit Report –March 2025 for onward submission to Reserve Bank of India
- Approval of the Dividend Distribution Policy
- Approval of Policy for Opening, Operating, Reviewing, Monitoring, Reconciliation of Internal Office Accounts and Provisioning
- Approval of coverage of branches and Units of the Bank under Concurrent Audit with effect from 01.04.2026
- Approval of the revision in Composition / Structure of the Zonal Audit Committee (ZAC) and Pre-Audit Committee (Sub-ZAC)
- Approval of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries

- Approval of the renewed Policy for Appointment of Statutory Auditors (Statutory Central Auditors and Statutory Branch Auditors) of the Bank
- Approval of the Internal Audit Plan of the Bank and Strength of Internal Auditors for FY 2026-27
- Approval of the Annual Audit Plan for FY 2026-27 for all Overseas Territories
- Approval of Risk Based IS (Information Systems) Audit Plan for FY 2026-27
- Approval of the Group-wide Annual Compliance Plan for FY 2026-27

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialist in the area of risk management as advisor to the Board who is part of this Committee.

The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings:

09.06.2025 19.09.2025 09.12.2025 06.02.2026 12.03.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Smt. Nina Nagpal (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Dr. Debadatta Chand	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	3
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	2
Smt. Beena Vaheed (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	3
Shri Himadri Bhattacharya - Advisor	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5

During the year, the Committee inter-alia approved/ reviewed/ noted following:

Credit Risk:

1. Portfolio review of Corporate Loan book and the status of incremental advances in corporate portfolio (quarterly basis)
2. Portfolio review of NBFC segment of our Bank (quarterly basis)
3. Positions of Bank Exposure (quarterly basis)

4. Portfolio review of Retail Loan segment (quarterly basis)
5. Portfolio review of Personal Loan segment (quarterly basis)
6. Portfolio review of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) segment (quarterly basis)
7. Review of Rural & Agri segment (quarterly basis)
8. Review of Compliance status of EWS system and noting of RFAs (on quarterly basis)
9. Position of Country Risk Exposure (quarterly basis)

10. Position of Bank's Overseas Advance Portfolio (quarterly basis)
11. Review of Bank's Framework for Green Deposits and associated Flow of Credit for Green Activities.
12. Comprehensive renewal of bank's Global Credit Exposure Management Policy (GCEMP) 2025
13. Modification in the Corporate Policy for Management and Recovery of NPA Advances (Domestic & Overseas Branches).
14. Modification of Co Lending Policy.
15. Policy on Trade Relief Measures 2025
16. Policy on Issuance of Letter of Comfort/Guarantee (Overseas).
17. Policy on Exposure Limits on Counterparty Banks-2026
18. Policy on Lending Against Gold and Silver Collateral 2025
19. Policy on Penal Charges in Loans and Advances 2026
20. Review of Credit Risk Model validation Policy 2025
21. Review of Policy of Additional Provisions on Standard Advances of Stressed Sectors 2025
22. Revision in structure of Credit Committees.
23. Review with Modification of the Policy on Documentation and Valuation Methodology 2025
24. Review and approve the exposure caps for various State Governments i.e. exposure caps under State Development Loan (SDL) and Non-SDL segment
25. Review of exposure on Qualifying Central Counterparties (QCCPs) (on quarterly basis)
26. Approval of scorecards for Cash Flow based Digital MSE Financing Scheme in MSME Tejas platform up to Rs.2 crore.
27. Renewal and modifications of discretionary powers of various authorities and relaxations / modifications in standard terms and conditions of sanction.
28. Scorecard for Digital BAHFKCC, Digi Tractor Loan & Integrated Digital Education Loan.
29. Semi-annual Loan Grading of Advances Accounts of our USA Territory (Half yearly).
30. Review of Rating Transition Matrix (on quarterly basis)
31. Expected Credit Loss methodology for the Bank's Corporate portfolio (Domestic) & Agriculture Loan portfolio.
32. Review of Report concerning the Bank's Green Deposits proceeds raised and deployed as per Framework for Acceptance of Green Deposits.
33. Minutes of Meetings of Credit Policy Committee

Operational Risk:

1. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Testing Impact Analysis
2. Status of various limits under Risk Appetite Framework (RAF) (on quarterly basis)
3. Position of Key Risk Indicators (on quarterly basis)
4. Position of Operational Risk Loss Data (on half yearly basis)
5. Review of Board approved Capital plan and status of various limits (on quarterly basis)
6. Review of outsourcing risk of the Bank.
7. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Framework- 2026
8. Information Technology and Information Security Cybersecurity Risk Management Framework
9. Approval of Information Security Policy Version 6.0 and Cyber Security Policy Version 2.0.
10. Bank of Baroda's Communications Reputation and Crisis Management Policy 2025
11. Climate Risk Management Policy 2025
12. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy - 2026
13. Operational Resilience Policy 2025
14. Policy on capital Planning International Banking Division 2025
15. Outsourcing Risk Management Framework
16. Modifications in Group Risk Management Policy 2024
17. Policy on Restoration of amount in respect of loss arising out of frauds 2025
18. Renewal and modification of policy on Outsourcing of Services 2025
19. Review of Deposits Policy with Modification 2025.
20. Fraud Risk Management Policy 2026
21. Review with modifications of BASEL III Disclosure Policy
22. Risk Appetite Framework-2026
23. Risk Appetite Policy - 2026
24. Risk assessment as per the approved IT and IS (Cybersecurity) Risk Management Framework.
25. Risk Identification & Assessment Framework -2026
26. Stress Testing Framework - 2026
27. Stress Testing Policy - 2026
28. Review of Risk Appetite Limits - Return on Asset (Consolidated level) (On quarterly basis)
29. Review of Risk Register and RCSA

30. Review Status of advisories issued by Risk Management Department (Quarterly)
31. Review of Operation Risk Profile of the bank as on 31.03.2025
32. Global Operational Risk Management Policy 2025
33. Doorstep Banking Services (DSBS) Policy 2025
34. Vendor Risk Management Framework for Outsourcing Services
35. Business Continuity Management (BCM) policy 2025
36. Minutes of first Group Risk Council (GRC) (on quarterly basis)
37. Minutes of Meeting of Enterprise Risk Management Committee

Market Risk /ALM:

1. Group Asset Liability Management Policy 2026
2. Market Risk Management Policy 2026
3. Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) -2026
4. Review of existing foreign exchange transaction reporting system.

5. Position of Liquidity and Interest Rate Risk Management (on quarterly basis)
6. Market Risk in trading portfolio of Treasury Operations and PD business and derivatives (on quarterly basis)
7. Minutes of the meeting of Global Asset and Liability Management Committee (ALCO)

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director(s) and one non-Executive Director as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The date of the meeting and attendance of the Directors are as under:

No. of Meeting held: 1
Date of Meeting: 26.06.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ravindran Menon (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the committee

Pending as on 01.04.2025	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2026
0	799	798	1

6. Nomination & Remuneration Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The Committee also decides on the appointment / renewal and fixing the terms of appointment / renewal including compensation package of

Contractual Appointees for Key Managerial Positions (KMPs) and high cost market hires in the Bank (with CTC of more than Rs.2/- crores).

The date of the meeting and attendance of the Directors are as under:

No. of Meeting held: 1
Date of Meeting: 15.05.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ravindran Menon(Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1

7. Customer Service Committee of the Board

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee has also the following tasks:

- To benchmark the current level of service and initiate steps to further improve the level.
- To review the status of complaints lodged on various portals periodically, conducting Root Cause Analysis of complaints of repetitive nature and suggesting remedial measures to minimize such complaints.
- To review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking

services as observed by the Banking Ombudsman.

- To review the status of the number of deceased claims remaining pending /outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors /locker hirers/ depositor of safe custody articles.
- To review the status of the COPRA cases remaining pending.
- To discuss the status of disputed ATM transactions and analyse the Customer Feedback Survey report.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

23.06.2025 22.09.2025 17.12.2025 17.02.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ravindran Menon (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Dr. Debadatta Chand	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4

8. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up of Cases of Frauds

The scope of committee is as follows:

- Oversee the effectiveness of the Fraud Risk Management.
- Review and monitor cases of frauds, including root cause analysis.
- Suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimizing the incidence of frauds.
- The coverage shall include, among other categories/ trends of frauds, industry/ sectoral/ geographical concentration of frauds.

- Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

09.06.2025 22.09.2025 17.12.2025 06.02.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ravindran Menon (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	2
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Vishesh Kumar Srivastava(CVO) (Invitee)*	01.04.2025 to 05.12.2025	2	2
Shri Ajit Kumar Rath (CVO) (Invitee)#	12.12.2025 to 31.03.2026	1	1

*ceased to be an invitee during the year.

#became an invitee during the year.

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee.

To strengthen the expertise on IT Strategy, the Bank has also

inducted specialist in the area of IT as advisor to the Board who is part of this committee

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

03.06.2025 19.08.2025 14.10.2025 16.02.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Ravindran Menon – Chairperson	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Dr. Debadatta Chand	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar – ED (IT)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Smt. Beena Vaheed – ED(CISO)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Dr. Deepak B. Phatak - Advisor	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4

Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of Banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.

To strengthen the expertise on strategic HR planning and vital HR aspects, the Bank has also inducted specialist in the area as advisor to the Board who is part of this Committee .

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings:

03.06.2025 23.09.2025 14.10.2025 09.12.2025 17.02.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	4
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	4
Smt. Beena Vaheed (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	5	2
Shri Krish Shankar (Advisor)	30.04.2025 to 31.03.2026	5	3

During FY 2025-26, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- The Introduction of Option to choose Pension Fund Manager and Modification of Investment Choice/ Asset Allocation by NPS (Tier-I) Staff Subscribers
- Review of Scheme for grant of Sabbatical Leaves to Women Employees of the Bank
- Review of Employee Engagement Policy
- Review of Recruitment Process during F.Y. 2024-25

- Review of Training imparted during the F.Y. 2024-25
- Recruitment of manpower on regular/ contractual basis for F.Y. 2026-27
- Review of Manpower Planning Policy
- Review of Policy on Engagement of Officers on Contractual basis
- Policy on Classification of KMP and SMP in the Bank and the Associated Regulatory Reporting
- Entering into fresh settlement with the recognized

workmen union revisiting certain provisions for promotion from Clerical to Officers' cadre in JMG/S-I and from Subordinate to Clerical Cadre

11. Additional Monthly Mobility Support/ Commuting Reimbursement for Employees with Benchmark Disability (Up to Scale IV)
12. Enhancement of the existing limits of Clean Overdraft facility for Staff members
13. Approval of Budget for Staff Welfare Fund for the F.Y. 2025-26
14. Review of Policy for Placement of Officers and Executives at Overseas Centres
15. Continuing the Facility of Ex-gratia in lieu of Group Term Life Insurance
16. Review of Learning & Development Policy
17. Review of Bank's Sports Policy
18. Review of Promotion Policy for Officers
19. Renewal of engagement of services of Mr. Mrutyunjay Mahapatra as Advisor to MD & CEO for Process Digitalization, IT & related enhancement and other strategic matters
20. Review of Human Rights Policy of the Bank
21. Information on Grading / Appeal Framework for Performance Appraisal of Officers/ Executives for the FY 2024-25
22. Reimbursement of Lodging expenses to Officers under Regulation 41 (4) (b) of Bank of Baroda Officers' Service Regulations, 1979

23. Enhancement of conveyance reimbursement to employee (Workmen & Non – Workmen) deputed to Non-residential training programmes
24. Modification in Clause 7 of the Policy on Engagement of Officers on Contractual Basis 2025
25. Introduction of New Labour Code by Govt of India and impact on Bank
26. Proposal for
 - i. Introduction of Financial Assistance Scheme for Families upon the demise of the Retired Employees
 - ii. Introduction of Reimbursement Scheme for Cervical Cancer (HPV) Vaccination of Female Employees
 - iii. Introduction of Smart Vision Glasses to Empower Visually Impaired Employees
27. Scheme for reimbursement of Mobile Expenses to all employees across all cadres extending to Award Staff and other officers not covered presently under the scheme

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

09.06.2025 19.08.2025 14.10.2025 16.02.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Dr. M P Tangirala*	01.04.2025 to 23.07.2025	1	0
Shri Ashish Madhaorao More#	24.07.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Manoranjan Mishra	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Lal Singh (Invitee)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Vishesh Kumar Srivastava(CVO) (Invitee)@	01.04.2025 to 05.12.2025	3	3
Shri Ajit Kumar Rath (CVO) (Invitee)\$	12.12.2025 to 31.03.2026	1	1

*ceased to be a member during the year

became a member during the year.

@ceased to be an invitee during the year

\$became an invitee during the year.

12. Committee of Board for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

21.07.2025 23.09.2025 18.12.2025 17.03.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	4	2
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Inder Mohan Singh – CGM C&IC/ Shri Madhur Kumar – CGM - MSME	01.04.2025 to 31.03.2026	4	2
Shri Pankaj Mittal – GM - CRM	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, willful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Steering Committee of the Board on Rural – FI

The Committee considers the evolution of Financial Inclusion, review and advise the Bank to adopt technology to achieve rapid reach to large territory including difficult terrains at low cost and also advise the Bank on strategy to achieve objectives of Financial Inclusion.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

15.07.2025 14.10.2025 09.12.2025 17.03.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4

14. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings: 24.09.2025 17.03.2026

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2

15. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

This Committee is constituted as per Government of India guidelines with regard to annual performance evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors. (Chief General Manager / General Manager in charge of internal control Functions {Risk, Compliance and Audit})

The date of the meeting and attendance of the members are as under:

No. of Meeting held: 1

Date of Meeting: 26.06.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. M P Tangirala (Chairman)*	01.04.2025 to 23.07.2025	1	0
Shri Ashish Madhaorao More#	24.07.2025 to 31.03.2026	0	0
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1

*ceased to be a member during the year #became a member during the year.

16. Committee of the Board to consider Disciplinary Cases

This Committee is constituted to deal with appeals in the matters of disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII and Chief General Managers in TEG/S-VIII.

- 1) Reviewing Authority for the disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII
- 2) Appellate Authority for the disciplinary cases of the Chief General Managers in TEG/S-VIII

No meeting was held during the year.

17. CSR & Sustainability Committee of the Board

The Committee oversees all CSR activities as per the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank and Government / Regulatory guidelines.

The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 15.07.2025 14.10.2025 18.12.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Debadatta Chand (Chairman)	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Lalit Tyagi	01.04.2025 to 31.03.2026	3	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Lal Singh	01.04.2025 to 31.03.2026	3	2
Smt. Beena Vaheed	01.04.2025 to 31.03.2026	3	1
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3

18. Meeting of Non-Executive Directors

No. of Meeting held: 1

Date of Meeting: 03.06.2025

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Smt. Nina Nagpal	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Ravindran Menon	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Vijay Dube	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. Details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Directors are given below:

Remuneration and incentive paid during the Financial Year 2025-26:

SL No	Name	Designation	SALARY (A)	PERQUISITES (B)	REIMBURSEMENT IN FY 2025-2026	PERFORMANCE LINKED INCENTIVES	LEAVE ENCASHMENT/LFC REIMBURSEMENT	RETIREMENT BENEFIT (D)
1	Dr Debadatta Chand	MD& CEO (w.e.f 01.07.2023)	42,47,892	5,06,791	9,45,500	16,15,680	-	-
2	Shri Lalit Tyagi	ED (w.e.f 21.11.2022)	57,44,984	4,42,068	7,36,000	16,12,800	18,200	-
3	Shri Lal Singh	ED (w.e.f 09.10.2023)	51,37,754	4,30,340	7,36,000	16,12,800	5,38,376	-
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	ED (w.e.f 31.01.2024)	48,17,061	4,27,679	7,36,000	16,12,800	-	-
5	Smt. Vaheed Beena	ED (w.e.f 09.08.2024)	47,99,413	3,38,249	7,36,000	10,40,516	-	-

All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity – NIL

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2025-26 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Shri Manoranjan Mishra	34,00,000/-
2	Smt. Nina Nagpal	35,05,000/-
3	Shri Ravindran Menon	29,40,000/-
4	Shri Vijay Dube	28,90,000/-

Particulars of Senior Management including the changes therein since the close of the previous financial year

a. Particulars of Senior Management as on 31.03.2026

SI No	Name	Designation	Place Of Posting
1	MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM	CGM GROUP CHIEF COMPLIANCE OFFICER	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
2	MR. MALHOTRA RAJESH	CGM-RURAL & AGRI BANKING AND RRB & RSETIS	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
3	MR. SINGH SHAILENDRA H	CGM - HRM & MARKETING	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
4	MR. SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR	CGM- CHIEF TECHNOLOGY OFFICER	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
5	MR. NEGI RAVINDRA SINGH	CGM-GROUP CHIEF RISK OFFICER	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
6	MRS. KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURTHY	HEAD-DIGITAL STRATEGY, PRODUCTS, SERVICES, CHANNELS & OPERATIONS	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
7	MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR	ZONAL HEAD- BENGALURU	BENGALURU,ZO BENGALURU
8	MR. RANJAN NISHANT	HEAD -INTERNATIONAL BANKING DIVISION	MUMBAI, CORPORATE OFFICE

SI No	Name	Designation	Place Of Posting
9	MR. SHARMA PRABHAT K	CHIEF OPERATING OFFICER	VADODARA, HEAD OFFICE
10	MR. SOLANKI HARSHADKUMAR T	HEAD- MORTGAGES & RETAIL ASSETS	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
11	MR. KUMAR MADHUR	HEAD -MSME BANKING CO-LENDING AND SUPPLY CHAIN FINANCE	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
12	MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY	HEAD-TREASURY AND GLOBAL MARKETS	MUMBAI, SPECIAL TREASURY
13	MR. SINGH INDER MOHAN	HEAD -LARGE CORPORATE BANKING	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
14	MRS. SINGH KAVITA	CGM- HEAD, INTERNAL AUDIT	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
15	MR. L SRIDHAR INUMELLA V	CGM- CHIEF FINANCIAL OFFICER	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
16	MR. SHARMA RAKESH KUMAR	CGM-STRESSED ASSET MANAGEMENT	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
17	MR. NEMA RAKESH	CGM- IT PROJECTS AND PROCUREMENT PAYMENTS	HYDERABAD, DISASTER RECOVERY SITE
18	MR. NAMDEO DINESH KUMAR	HEAD-FM, PD, COA, RD, SE & RTI	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
19	MR. KAURA MANISH	GM-PROJECT MANAGEMENT OFFICE SPECIAL PROJECTS SUBSIDIARIES & JV	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
20	MR. MITTAL PANKAJ	GM-HEAD CREDIT MONITORING	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
21	MR. NEGI VIMAL KUMAR	HEAD FINANCIAL INCLUSION	VADODARA, HEAD OFFICE
22	MR. SARAVANAKUMAR A	GM-RETAIL LIABILITIES	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
23	MR. MOHARANA ASHOK KUMAR	GM, CHIEF DATA OFFICER	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
24	MR. KHAMARI SUDHANSU SEKHAR	HEAD DISCIPLINARY PROCEEDINGS	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
25	MR. R AJAYAKUMAR K	GM-CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
26	MR. PADHI SWARUP NANDAN	HEAD - WEALTH MANAGEMENT	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
27	MS. MISHRA RACHNA	GM - GOVERNMENT RELATIONSHIP	NEW DELHI, GOVERNMENT RELATIONSHIP
28	MR. GOPALAN V	GM - HEAD MID CORPORATE	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
29	MR. BHAIKAVARASU MEHER KUMAR	DGM- HEAD-LEGAL & RTI	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
30	MR. SINGH SANJAY KUMAR	DGM-HEAD, OFFICIAL LANGUAGES & PARLIAMENTARY COMMITTEES	VADODARA, HEAD OFFICE
31	MR. VALLABHUNI RAJENDRA PRASAD	EXECUTIVE SECRETARY TO BOARD	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
32	MR. SABNAVIS MADAN	CHIEF ECONOMIST	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
33	MR. SACHDEVA SUMIT	HEAD - LARGE CORPORATE RELATIONSHIPS	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
34	MR. PATNAIK GIRISH	HEAD - COLLECTIONS & DEBT MANAGEMENT - RETAIL AND GRANULAR BUSINESSES	MUMBAI, CORPORATE OFFICE
35	MR. S BALAKUMAR	COMPANY SECRETARY	MUMBAI, CORPORATE OFFICE

b. Details of change in Senior Management

SI No	Name of Executive	Previous Assignment	New Assignment	Effective Date of Change
1	MR. MALHOTRA RAJESH	CGM, MSME BANKING, CO-LENDING, SUPPLY CHAIN FINANCE AND RURAL & AGRI BANKING and RRBs & RSETIs, BCC, MUMBAI	CGM, RURAL & AGRI BANKING and RRBs & RSETIs, BCC, MUMBAI	19.04.2025
2	MR. GROVER SANJAY KUMAR	HEAD - TREASURY & GLOBAL MARKETS, BCC, MUMBAI	CGM, MID CORPORATE, BCC, MUMBAI	19.04.2025
3	MRS. KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURTHY	HEAD - DIGITAL CHANNELS & OPERATIONS, BCC, MUMBAI	HEAD - DIGITAL STRATEGY, PRODUCTS, SERVICES, CHANNELS & OPERATIONS, BCC, MUMBAI	19.04.2025
4	MR. KUMAR MADHUR	CHIEF EXECUTIVE, UK, LONDON, GROUP CONTROL OFFICE	CGM, MSME BANKING, CO-LENDING & SUPPLY CHAIN FINANCE, BCC, MUMBAI	19.04.2025
5	MR. SUSHANTA KUMAR MOHANTY	ZONAL HEAD, RAJKOT, ZO RAJKOT	HEAD - TREASURY & GLOBAL MARKETS, BCC, MUMBAI	19.04.2025
6	MR. NAMDEO DINESH KUMAR	HEAD, FM, PD, COA, RD, SECURITY, RTI, 1ST APPELLATE AUTHORITY & DP, BCC, MUMBAI	HEAD, FM, PD, COA, RD, SECURITY, RTI, 1ST APPELLATE AUTHORITY, BCC, MUMBAI	19.04.2025
7	MR. KHAMARI SUDHANSU SEKHAR	REGIONAL HEAD, NEW DELHI, RO SOUTH DELHI	GM, DISCIPLINARY PROCEEDINGS, BCC, MUMBAI	19.04.2025
8	MS. MISHRA RACHNA	GM, BUSINESS DEVELOPMENT, LUCKNOW, ZO LUCKNOW	GM, GOVERNMENT BUSINESS, NEW DELHI	19.04.2025
9	MR. MOHARANA ASHOK KUMAR	GM, IT INFRASTRUCTURE, BCC, MUMBAI	GM, CHIEF DATA OFFICER, BCC, MUMBAI	06.05.2025
10	MS. M MINI T	CGM, RETAIL LIABILITIES, BCC, MUMBAI	ZONAL HEAD, NEW DELHI, ZO NEW DELHI	08.05.2025
11	MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR	CGM, CHIEF FINANCIAL OFFICER, BCC, MUMBAI	ZONAL HEAD, BENGALURU, ZO BENGALURU	26.05.2025
12	MR. SINGH INDER MOHAN	ZONAL HEAD, BENGALURU, ZO BENGALURU	CGM, LARGE CORPORATE BANKING, BCC, MUMBAI	26.05.2025
13	MR. L SRIDHAR INUMELLA V	GM, SECRETARY TO BOARD, BCC, MUMBAI	CHIEF FINANCIAL OFFICER, BCC, MUMBAI	26.05.2025
14	MR. PADHI SWARUP NANDAN	GM, WEALTH MANAGEMENT, BCC, MUMBAI	HEAD - WEALTH MANAGEMENT, BCC, MUMBAI	02.07.2025
15	MR. VALLABHUNI RAJENDRA PRASAD	DGM, COMPLIANCE & ASSURANCE, PUNE, ZO PUNE	DGM, SECRETARY TO BOARD, BCC, MUMBAI	02.07.2025
16	MR. GROVER SANJAY KUMAR	CGM, MID CORPORATE, BCC, MUMBAI	MD & CEO, BARODA BNP PARIBAS AMC INDIA LTD, MUMBAI	02.08.2025
17	MR. GOPALAN V	GM, MID CORPORATE, BCC, MUMBAI	HEAD - MID CORPORATE, BCC, MUMBAI	16.08.2025
18	MRS. SINGH KAVITA	CGM, INTERNAL AUDIT, BCC, MUMBAI	HEAD - INTERNAL AUDIT, BCC, MUMBAI	30.09.2025
19	MR. DINESH PANT	CGM, STRESSED ASSET MANAGEMENT, BCC, MUMBAI	CGM (OSD), STRESSED ASSET MANAGEMENT, BCC, MUMBAI	01.12.2025

SI No	Name of Executive	Previous Assignment	New Assignment	Effective Date of Change
20	MR. SHARMA RAKESH KUMAR	GM, STRESSED ASSET MANAGEMENT, BCC, MUMBAI	CGM, STRESSED ASSET MANAGEMENT, BCC, MUMBAI	01.12.2025
21	MR. S BALAKUMAR	AGM, IFSC BANKING UNIT, NSSC, GIFT CITY, GANDHINAGAR	COMPANY SECRETARY, BCC, MUMBAI	30.08.2025 (Effective from 01.09.2025)

GENERAL BODY MEETINGS

The 29th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 23rd June 2025 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), in which following directors participated.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Dr. Debadatta Chand | Managing Director & CEO |
| 2. Shri Lalit Tyagi | Executive Director |
| 3. Shri Sanjay V Mudaliar | Executive Director |
| 4. Shri Lal Singh | Executive Director |
| 5. Smt. Beena Vaheed | Executive Director |
| 6. Smt. Nina Nagpal | Director (Shareholder) |
| 7. Shri Ravindran Menon | Director (Shareholder) – Chairperson SRC |
| 8. Shri Vijay Dube | Director (Shareholder) – Chairperson ACB |

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
29 th Annual General Meeting (AGM)	23 rd June 2025 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Approved Annual Financial Results for the year 2024-25 - Approved and declared dividend for the Financial Year 2024-25. - Capital Plan 2025-26 - Approved appointment of Smt. Beena Vaheed as Executive Director. - Approved appointment of Shri Manoranjan Mishra as Non-Executive Director.
28 th Annual General Meeting (AGM)	05 th July 2024 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Approved Annual Financial Results for the year 2023-24. - Approved and declared dividend for the Financial Year 2023-24. - Elected Shri Vijay Dube as Shareholder Director. - Approved appointment of Dr. M P Tangirala as Non-Executive Director.
EGM	15 th May 2024 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Elected Shri Ravindran Menon as Shareholder Director. - Approved appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar as Executive Director.
EGM	21 st December 2023 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Elected Smt. Nina Nagpal as Shareholder Director.
27 th Annual General Meeting (AGM)	07 th July 2023 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	- Approved Annual Financial Results for the year 2022-23. - Approved and declared dividend for the Financial Year 2022-23.

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the importance of keeping its members and stakeholders informed about key developments. The financial results of the Bank are promptly submitted to the stock exchanges where its securities are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same.

These results are also published in at least two newspapers, one with nationwide circulation and another circulating in the State of Gujarat, where the Bank's Head Office is located. Additionally, the Bank disseminates its quarterly financial results to shareholders through its official website.

To ensure wider outreach and transparency, the Bank organizes analysts' meets and media conferences to announce its financial performance. The quarterly, year-to-date, and annual financial results, along with presentations made to analysts and other important announcements, are made available on the Bank's website <https://bankofbaroda.bank.in>.

Further, the webcast of analysts' and media meets conducted at the end of each quarter is accessible through a dedicated link on the Bank's website. Live webcasts of these meets are also hosted on the website every quarter. Key highlights of the financial results are additionally shared through the Bank's official social media handles.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1 st April, 2025 to 31 st March, 2026
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	08 th May 2026
Cut off Date for Dividend	05 th June 2026
Dividend Payment Date	Within 30 days from the date of declaration
Date, Time & Venue of the 30th AGM	Date: 23 rd June 2026 Time: 11.00 A.M. Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134
---	---

- The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.
- Details of securities suspended from trading - NIL

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds/ requests / complaints with the RTA at following address:

Name	M/s. KFIN Technologies Limited
Address	Unit: Bank of Baroda Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.
Email ID	einward.ris@kfintech.com
Toll Free/ Phone Number	1800 309 4001
WhatsApp No.:	(91) 910 009 4099

KPRISM (Mobile Application)	https://kprism.kfintech.com/
KFINTECH Corporate Website	https://www.kfintech.com
RTA Website	https://ris.kfintech.com
Investor Support Centre (DIY Link)	https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustees as follows:

M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd.

Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road,
Fort, Mumbai – 400001
Tel: 022- 40807000
Email Id: teamcoral@idbitrustee.com

M/s. Centbank Financial Services Ltd

Central Bank of India - MMO Bldg, 3rd Floor,
(East Wing)
55 MG Road, Fort,
Mumbai 400001
Tel No: 022 - 2261 6217/14
Email Id: md@cfsi.in
jaya.tiwari@cfsi.in

M/s. Axis Trustee Services Limited

The Ruby, 2nd Floor,
SW, 29, Senapati Bapat Marg,
Dadar West
Mumbai - 400028
Tel: 022- 62300451
Email Id: ATSL.Legal@axistrustee.in
mumbai.team@axistrustee.in

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

The Company Secretary Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E – mail: investorservices@bankofbaroda.bank.in (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholderdirectors@bankofbaroda.bank.in	The General Manager Operations and Services Bank of Baroda, Head Office 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316377 E–mail: cs.ho@bankofbaroda.bank.in
---	---

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2026

SI	Description	Total Cases	Total Shares	Total Cases %
1	GOVERNMENT OF INDIA	1	3308184689	63.97
2	MUTUAL FUNDS	308	540690232	10.46
3	FOREIGN PORTFOLIO - CORP	811	500940042	9.69
4	RESIDENT INDIVIDUALS	1444924	309301444	5.98
5	INSURANCE COMPANIES	12	230930200	4.47
6	QIB - PENSION FUNDS	55	98968330	1.91
7	QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER	65	94111835	1.82
8	BODIES CORPORATES	3775	29520997	0.57
9	ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	30	16697880	0.32
10	NON RESIDENT INDIAN REPATRIABLE	9455	13767974	0.27
11	IEPF AUTHORITY	1	8773886	0.17
12	H U F	22342	7536826	0.15
13	NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE	9219	7168753	0.14
14	TRUSTS	51	1153941	0.02
15	NATIONALISED BANKS	1	1150900	0.02
16	CLEARING MEMBERS	20	1034059	0.02
17	EMPLOYEES	929	958033	0.02
18	OTHER BANKS	4	151705	0.00
19	BANKS	11	112312	0.00
20	OVERSEAS CORPORATE BODIES	3	110000	0.00
21	NBFC	11	37176	0.00
22	KEY MANAGEMENT PERSONNEL	4	16850	0.00
23	FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS	6	14000	0.00
24	DIRECTORS AND THEIR RELATIVES	2	13000	0.00
25	LIMITED LIABILITY PUBLIC MEMBER	4	6713	0.00
26	INDIAN FINANCIAL INSTITUTIONS	1	4752	0.00
27	FOREIGN NATIONALS	6	4646	0.00
28	DIRECTORS	4	960	0.00
29	UNIT TRUST OF INDIA	1	44	0.00
	Total	1492056	5171362179	100.00

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2026

BANK OF BARODA Distribution of Shareholding as on 31/03/2026 (TOTAL)

Sino	Category (Shares)	No.of Holders	% To Holders	No.of Shares	% To Equity
1	1 - 5000	1483323	99.41	243688336	4.71
2	5001 - 10000	5078	0.34	35349037	0.68
3	10001 - 20000	1579	0.11	22436888	0.43
4	20001 - 30000	503	0.03	12288905	0.24
5	30001 - 40000	235	0.02	8160209	0.16
6	40001 - 50000	158	0.01	7344748	0.14
7	50001 - 100000	347	0.02	24963806	0.48
8	100001 and above	833	0.06	4817130250	93.15
	TOTAL:	1492056	100.00	5171362179	100.00

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2026 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

Sr No	Nature of holding	No. of Holders	No. of Shares	Percentage %
1	PHYSICAL	100567	22131393	0.43
2	NSDL	492440	1629764861	31.51
3	CDSL	899049	3519465925	68.06
	Total:	1492056	5171362179	100.00

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2026.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2026
a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

Opening Balance as on 01.04.2025		No. of requests received during the Financial Year 2025-26	Shares debited during the Financial Year 2025-26		Closing Balance as on 31st March 2026	
No. of Shareholders	No. of Shares	-	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
26	39500	Transfer to IEPF	26	39500	Nil	Nil

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

Opening Balance as on 01.04.2025		No. of requests received during the Financial Year 2025-26	Shares debited during the Financial Year 2025-26		Closing Balance as on 31st March 2026	
No. of Shareholders	No. of Shares	-	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
25	19125	Transfer to IEPF	25	19125	Nil	Nil

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Limited, at the address given in this report.

SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s Ragini Chokshi & Co, Company Secretaries, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2026. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

- There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
- There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges /any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
- We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations

4. All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2026.
5. Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.
6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2025-26 and hence the information on “Commodity price risks and commodity hedging activities” is NIL.
7. Familiarization programme for Independent Directors

The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website under “Shareholder's Corner” section at <https://bankofbaroda.bank.in>

8. Whistle Blower Guidelines

The Bank has in place a Whistle Blower Policy and no person has been denied access to the Audit Committee.

9. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website at <https://bankofbaroda.bank.in>

10. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for FY 2025-26

Number of Complaints filed during the financial year	Number of Complaints disposed off during the year	Number of Complaints pending as on end of the financial year
13*	11	2

*Out of -13- complaints, 5 upheld as POSH

11. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2025-26, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

Details of Credit Ratings assigned by the Rating Agencies of the Bank along with details of revisions in rating during financial year i.e. 2025-26, for all debt instruments and fixed deposit programme issued by Bank are as under;

Summary of Ratings of Bank of Baroda - FY-2025-26

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
ICRA	Basel III Tier-I Bonds	[ICRA]AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Basel III Tier II Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
	Infrastructure Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
	Fixed Deposit	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
CARE	Tier II Bonds (Basel III)	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
INDIA RATINGS	Long-Term Issuer Rating	IND AAA/Stable	Affirmed
	Certificate of deposits	IND A1+	Affirmed
	Basel III Tier 2 Bonds	IND AAA/Stable	Affirmed
	Basel III AT1 bonds	IND AA+/Stable	Affirmed
	Infrastructure and Affordable Housing Bonds	IND AAA/Stable	Affirmed
	Fixed deposit	IND AAA/Stable	Affirmed
CRISIL	Tier II Bonds (Under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
	Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/Stable	Reaffirmed
	Tier II Bonds (under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
	Infrastructure Bonds	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
MOODY'S	Bank of Baroda		
	Outlook	Stable	Affirmed
	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	Affirmed
	Bank Deposits	Baa3/P-3	Affirmed
	Baseline Credit Assessment	Ba1	Upgraded from Ba2
	Bank of Baroda (UK) Limited		
	Outlook	Stable	Affirmed
	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	Affirmed
	Senior Unsecured MTN	(P)Baa3	Affirmed
FITCH	Bank of Baroda		
	Long Term IDR	BBB-	Affirmed
	Rating Outlook	Stable	Affirmed
	Short-Term IDR	F3	Affirmed
	Viability Rating	bb	Upgraded from bb-
	Bank of Baroda (New Zealand) Limited		
	Long Term IDR	BBB-	Affirmed
	Rating Outlook	Stable	Affirmed
S&P Global Ratings	Long Term Issuer Credit Rating	BBB	Assigned
	Outlook on the long-term Rating	Stable	Assigned
	Short-Term	A-2	Assigned

Note:

- There was no downgrade in the Bank's ratings during the Financial Year 2025-26
 - Moody's has upgraded Bank's Baseline Credit Assessment (BCA) to Ba1 from Ba2
 - Fitch has upgraded Bank's Viability Rating (VR) to 'bb' from bb-
12. Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management. - Yes
 13. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2025-26 – NIL
 14. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – NIL as during the year, Bank has not raised funds through preferential allotment or qualified institutions placement
 15. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part ₹ 149.92 Crores.
 16. Certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.- obtained

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements are as under:

Sr. No.	Non-mandatory requirements	Status of Implementation
1	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	There is no non executive chairman from 01-03-2024
2	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Bank publishes quarterly / half yearly / yearly financial results of the Bank on website of Stock Exchanges and on website of Bank also. Bank also publish financial results in newspapers as per prescribed format for information of shareholders.
3	Modified opinion(s) in audit report Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There is no qualification in the auditors report of the Bank.
4	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Bank is having separate posts of Chairperson and Managing Director & Chief Executive Officer. However, there is no non - executive chairman from 01-03-2024
5	Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
17	Board of Directors	The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970". All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. The position of one Director each under Section 9(3)(e), 9(3)(f) and 9(3)(g) and three Directors under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, were vacant on the Board of the Bank. The number of Independent Directors is less than one-third of the Board of Directors. Majority of the Board discussions are spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and Independence in functioning of the Board is ensured.
17A	Maximum number of directorships	Complied with

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
18	Audit Committee	Complied with
19	Nomination and Remuneration committee	Complied with
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied with
24A	Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17, as above.
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46	Website	Complied with

CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

M/s. KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana, India - 500 032. Email : einward.ris@kfintech.com Toll Free/ Phone Number : 1800 309 4001 WhatsApp Number : (91) 910 009 4099 KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/ KFINTECH Corporate Website : https://www.kfintech.com RTA Website : https://ris.kfintech.com Investor Support Centre (DIY Link) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	Bank of Baroda Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 Tel: 022 - 6698 5731 / 5743 General Number : 022 – 6698 5000-04 (PBX) E-Mail: investorservices@bankofbaroda.bank.in Shareholder's corner section on Bank's Website - https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/
---	---

Transparency Officer :

In compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Executive as Transparency Officer. The transparency officer is responsible for the following functions:

- To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.
- To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIs), deemed CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI- related matters. The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function :

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank. The tone at the top sets an organization's

guiding values and ethical climate. A “High Level Compliance Committee” under the chair of Executive Director and other members comprising of Senior Executives from Assurance verticals and support functions, maintains oversight on all compliance related issues.

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Function headed by Chief General Manager designated as Group Chief Compliance Officer (GCCO) has been set up in the Bank.

The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas centres. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

To further strengthen the compliance in Bank, dedicated Compliance Officer is posted in each Region, Zone and Overseas Territory. Also, a nodal Officer is identified in each Department of Corporate Office & Head Office for Compliance function. The activities of these Compliance Officials are being monitored from Corporate Office. Similar Compliance Framework is prevalent in Bank's Domestic and Overseas Subsidiary having dedicated Compliance Officer and Team.

Bank has endeavoured to develop a compliance culture ensuring adherence to laws, rules and regulations and for preventing our banking channels from being misused for money laundering and terror financing activities. Bank is making sustained efforts in improving the compliance culture in your Bank by increasing awareness amongst the employees about Compliance. Weekly Newsletter titled “Anuvritti” is published on weekly interval to spread awareness of Compliance Culture in Bank.

ANNEXURE 1 COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Debadatta Chand – Managing Director & CEO

(DOB: 31st January, 1971)

Dr. Debadatta Chand assumed charge as Managing Director & CEO of the Bank on 1st July 2023. Dr. Chand has over 31 years of experience in the Banking & Financial services industry, having served in banks and financial institutions. Dr. Chand served as the Executive Director at Bank of Baroda from March'21 to June'23, before his elevation as MD & CEO. In the capacity as Executive Director, he was managing Corporate & Institutional Credit, Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business and Trade & Foreign Exchange, oversaw the International Banking Business, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business as well as key platform functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security and Estate Management & Security at the Bank.

Dr. Chand as MD & CEO of Bank of Baroda responsible for managing the Bank and its group companies. Prior to Bank of Baroda, he was Chief General Manager in Punjab National Bank and has worked as Zonal Head, Regional Head, Head of Treasury operations and also different capacities in Audit and Risk Management. He has also served in Small Industries Development Bank of India and also erstwhile Allahabad Bank.

Dr. Chand is currently Chairman on the Board of BOB Capital Markets Ltd., IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. and BOBCARD Ltd. He is also on the Board of National Insurance Company Ltd. He served on the Board of India Infradebt Limited. Dr. Chand was also the Chairman on the Boards of Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd. and member on the Board of Bank of Baroda (Uganda) Ltd.

He is a member on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM) & also a member of the Standing Committee on the Governing Board of NIBM, General Body of Management Development Institute (MDI) Society, Gurgaon, Governing Council of the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and Advisory Board for Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD. He is also Chairman of Executive Committee of IIBF.

Dr. Chand is Co-Chair of Joint Working Group on 'Infrastructure and Finance' under the aegis of India-Australia CEOs Forum. He is the Chairman of the IBA Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation. Dr. Chand had also been part of India-UK Financial Partnership (IUKFP) Working Group on Capital Markets Connectivity. Dr. Chand is also a member on CII National Committee on Banking.

Dr. Chand holds a B. Tech. degree, an MBA and CAIIB qualification. Additionally, he has a Post Graduate Diploma in Equity Research and is a Certified Portfolio Manager. Dr. Chand also holds Ph.D in Management.

Shri Lalit Tyagi – Executive Director

(DOB: 14th June 1971)

Shri Lalit Tyagi began his career as a Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996 and has over 29 years of rich experience across the commercial banking spectrum, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been an operational banker having extensive experience of working in different branches and offices in India and abroad, including two stints in the Bank's overseas operations, namely Brussels, Belgium and New York, USA.

As Executive Director in Bank of Baroda, Shri Tyagi currently looks after Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, International Banking and Domestic Subsidiaries and Joint Ventures.

In the past, he has also overseen key platform functions such as Compliance, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal and Human Resource Management.

Shri Tyagi has successfully led key units of the Bank such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager and Branch Head of the Bank's largest Corporate Financial Services Branch in Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of US Operations, New York, which is the Bank's largest overseas territory.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, Shri Tyagi was the Chief Executive of the Bank's US Operations, New York. He is currently serving as a Nominee Director on the Boards of India Infradebt Ltd., IndiaFirst Life Insurance Company Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., Bank of Baroda (Uganda) Ltd., and Bank of Baroda (UK) Ltd.

He has also served in several key positions, including Director at Canbank Computer Services Ltd. (CCSL – a wholly owned subsidiary of Canara Bank), Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc. and Nominee Director at BOB Capital Markets Ltd.

Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills.

He holds a Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has been identified as one of the Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar – Executive Director

(DOB: 02nd July, 1968)

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar took charge as Executive Director of Bank of Baroda w.e.f. 31st January, 2024. Prior to this, he was Executive Director at Indian Overseas Bank (IOB).

Shri Mudaliar is a Post Graduate in Science & Technology and a Certified Project Management Practitioner from London. He is a seasoned banker with a career spanning

over 35 years across industries and financial institutions. Of these, he has been associated with Bank of Baroda for over 27 years in various capacities across the country and in the United Kingdom.

In his last assignment at Bank of Baroda before joining IOB, he held the position of Chief Technology Officer of Bank of Baroda's Global Operations spanning across 17 countries.

With his techno-functional knowledge, Shri Mudaliar has contributed immensely in various working groups/committees on product innovation and process refinement. He has also been part of a number of key industry initiatives on Banking and Technology. He is a Nominee Director in three subsidiaries of Bank of Baroda and he also represents the Bank on the Board of NPCI.

Shri Mudaliar is analytical and demonstrates a proactive approach to the highly dynamic environment. He is an avid traveller and reader.

Shri Lal Singh, Executive Director
(DOB: 11th January, 1967)

Shri Lal Singh joined Bank of Baroda as an Executive Director on 9th October, 2023.

He started his career as a Rural Development Officer in Union Bank of India in 1990. As a career banker, he has 35 years of deep and distinguished experience including MSME Credit, Corporate Finance, Rural and Agri Business, and Human Resource Development.

As the Zonal Head, he has successfully spearheaded large and prestigious zones such as Varanasi, Lucknow, Chennai as well as Regions such as Mumbai West and Udaipur (Rajasthan). Shri Singh has diverse experience across Metro Urban Semi-Urban Rural (MUSR) locations and has led exponential growth as Regional Head and Branch Head across Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and UP.

Post amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India, he led the business transformation of the Bank's MSME, Rural and Agri Business. In Shri Singh's last assignment, he was the Chief General Manager for the Bank's strategic HR function. He directly led the Bank's flagship project, Union Prerna, establishing a new performance culture, succession planning and improving talent engagement with the 75,000+ employees of the Bank. Under his leadership, the HR function has won 12+ awards from leading global organisations, and an ISO certification for digital and data enablement. He has also anchored the setup of an advanced L&D unit, through the creation of a rich learning ecosystem to build market-ready skills in employees.

Shri Singh has served multiple board and leadership level positions. He was the Chairman of the Sub Committee of the State Level Bankers' Committee, Uttar Pradesh for Credit Deposit Ratio and Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI). He was a nominee director on the board of the UP Industrial Consultants Limited (UPICO), M/s. Nab Samruddhi Finance Ltd (subsidiary of NABARD), PSB Alliance Pvt. Ltd., Supervisory Board of India Micro Finance Equity Fund (SIDBI), Trustee on the Governing Board of Indian Institute of

Bank Management (IIBM), Guwahati and also Union Bank of India Social Foundation Trust (UBSFT) for Corporate Social Responsibility as well as Union Bank of India's Employees Trust for Pension, Provident Fund and Gratuity.

Shri Singh is known for his people development, team building and motivation, and customer engagement skills.

He is a Post Graduate in Agricultural Sciences, Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and has completed a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DITIRM), AMFI & CeBA. He has a Certification in Micro Finance, and has attended the Global Strategy & Leadership Program at UVA Darden School of Business - Virginia USA & ISB, Hyderabad. He was part of the 1st batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Program organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Smt. Beena Vaheed, Executive Director
(DOB: 17th May, 1969)

Smt. Beena Vaheed joined Bank of Baroda as an Executive Director on 9th August, 2024.

She began her career as an Officer at Corporation Bank in 1993, significantly contributing to the Bank's business planning, advertising and publicity efforts, including the successful launch of its IPO in 1997. As a tenured banker, Smt. Vaheed brings in rich and diverse experience of over 32 years across a wide range of verticals including Retail, Agriculture & MSME, Credit Assessment, Human Resources, Government Banking, Credit Card and Merchant Acquisition and Liability franchise.

Throughout her career, Smt. Vaheed has held multiple leadership roles. As a Branch Head, she led strong business growth, ensured risk & operational compliance and improved market share. As a Deputy General Manager and, subsequently General Manager, she managed one of the largest regions for the erstwhile Corporation Bank, overseeing major corporate accounts and driving substantial business volume and profitability.

Following the amalgamation of Corporation Bank with Union Bank of India, Smt. Vaheed played a pivotal role in cultural integration. She assumed the role of General Manager - HR Operations of the amalgamated entity. Thereafter, in her next assignment, her strategic acumen was instrumental in managing over Rs 2 lakh crore in business as the Zonal Head - Delhi, the second-largest zone for Union Bank of India, focusing on profitability, operations and compliance. In her last stint as Chief General Manager in charge of the Deposit Mobilisation department at Union Bank of India, Smt. Vaheed was responsible for managing all deposit products and spearheading strategic initiatives & structural changes to enhance the Bank's liability base. She was also in charge of credit cards and Merchant Acquisition.

Smt. Vaheed is recognised for her strategic acumen, people development, team building & motivation, and customer engagement skills, making her a well-rounded and dynamic professional.

Her effectiveness as a leader is evidenced by multiple awards and recognition received for outstanding business performance. Most recently, she received the Distinguished Alumni Award, 2024 from IIM Kozhikode, as a mark of appreciation for her professional accomplishments. Additionally, Smt. Vaheed has served in numerous board and leadership positions. She was a Director on the Board of Union Bank of India Services Ltd. She is currently a Director on the Board of BOB Capital Markets Limited and Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited besides the Board of Bank of Baroda.

Smt. Vaheed holds a Bachelor of Science and a Master of Communication and Journalism from the University of Kerala, has completed an Executive MBA from IIM Kozhikode and has received specialised training in Cybersecurity and Leadership. She was a part of the 3rd batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Programme organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. She has also undergone a Director's certification program in ESG leadership conducted by IICA/MCA.

Smt. Vaheed has also attended a Climate & Nature Risk Symposium hosted by the Global Association of Risk Professionals (GARP) on 3rd - 4th June 2025, in London, UK, reflecting her continued focus on sustainability and evolving global risk frameworks.

Shri Ashish Madhaorao More, Representing Central Government

(DoB: 21st August, 1980)

Shri Ashish Madhaorao More is a senior officer of the Indian Administrative Service (IAS), belonging to the AGMUT cadre, with an allotment year of 2005. He holds a Bachelor of Arts degree from Nagpur University and hails from Maharashtra.

After joining the IAS, Shri More has held diverse and impactful roles across the Central Government and various Union Territories and States. His career began with training in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA). He has served in key administrative positions in his AGMUT Cadre including Deputy Commissioner in Andaman & Nicobar Islands, Delhi and Mizoram; Director (Finance) in Delhi Jal Board; and Secretary in multiple departments in Goa and Puducherry.

At the Centre, he has held significant roles such as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Railways, Director (All India Services Division) in the Department of Personnel and Training and currently serves as Joint Secretary (Banking) in the Ministry of Finance.

Shri More has undergone multiple mid-career training programs at LBSNAA, including Phase III, Phase IV and a Common Mid-Career Training Programme for the 2005 batch.

His career reflects a strong commitment to Public Service, Policy Implementation, Financial Administration and Governance across a wide spectrum of domains.

Shri Manoranjan Mishra - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 28th September, 1964)

Shri Manoranjan Mishra has been appointed as the RBI nominee Director on the Board of Bank of Baroda vide Government of India notification dated 12th December, 2024.

Shri Manoranjan Mishra has over three decades of experience in the Reserve Bank of India. He has superannuated from RBI services on 30th September 2024. Shri Mishra worked across the RBI departments including Regulation of Banks and NBFCs, Supervision of Banks, Currency Management, Enforcement, Risk Monitoring, External Investments & Operations. Shri Mishra also served as a member of several Working Groups at the national and international levels and contributed to the formulation of regulatory and supervisory policies.

Shri Mishra is a post graduate in Economics and MBA (Banking and Finance). He also holds a Master's degree in Finance and Financial Regulation from Aston Business School, UK.

Smt. Nina Nagpal - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:

(DOB: 6th December, 1963)

Smt. Nina Nagpal has joined as a Director on our Board w.e.f. 24th December, 2023 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Prior to joining the Bank of Baroda's Board, she was the Managing Director & CEO of Citicorp Finance India Ltd (CFIL), a Non-Bank Finance Company (NBFC) of Citigroup.

She was also a Nominee Director on the Board's of India Infra Debt Limited (IIDL).

Prior to joining Citigroup in 2014, Smt. Nina Nagpal was the Managing Director and Country Chief Operating Officer of Morgan Stanley India and the CEO of its NBFC. Earlier, she was part of the leadership team at OTC Exchange of India, India's first electronic stock exchange. She also worked with the United States Agency for International Development (USAID), where she conceptualized and documented a USD 20 MM US-India bilateral project aimed at the institutional development of the Indian securities markets.

She had been on several regulatory, industry committees and Boards. She is a seasoned financial services industry professional with experience across advisory, project management, capital markets, investment and commercial banking.

Smt. Nagpal did her Graduation in Economics from University of Delhi, Lady Shriram College, Delhi and Masters in Business Economics from University of Delhi. She also did her Post Graduate Research Work in International Development Finance at American University, Washington DC, USA.

Shri Ravindran Menon - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:
(DOB: 30th July, 1961)

Shri Ravindran (Ravi) Menon has joined as a Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. 16th May, 2024 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Shri Ravi Menon is a thought leader in the financial services industry with a proven track record of building and growing successful businesses. With thirty-seven years of experience, spanning significant roles at renowned global organisations like HSBC, UBS, ING and ANZ Grindlays, Shri Ravi Menon has witnessed and been part of the transformation of India's economic landscape.

Throughout his career, Shri Ravi Menon has led large teams across multiple functions, including investment management, capital markets, corporate finance, cash management and corporate banking. This breadth of experience equips him with a deep understanding of the sector's complexities and the opportunities for innovation and growth. Some of his key responsibilities included heading the strategy function of the HSBC Group in India and he was a member of the Management Committee (Board Equivalent) of HSBC Bank. He superannuated from HSBC Group as CEO of HSBC Asset Management (India), a leading provider of asset management services to retail and institutional clients in India. He led the USD 425 Mn acquisition of L&T Investment Management and the successful integration with HSBC Asset Management, cementing the entity into a leadership position.

Shri Ravi Menon is an M.Sc., MBA. His pursuit of excellence led him to prestigious institutions, BITS Pilani and Symbiosis Institute of Business Management Pune, laying the foundation for a distinguished career in Banking and Financial services.

Shri Vijay Dube - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:
(DOB: 7th August, 1963)

Shri Vijay Dube has been elected as a Director on the Board of Bank of Baroda w.e.f. 9th July, 2024 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Shri Dube is a career public sector banker with more than 39 years of experience. He served as Executive Director at Punjab National Bank from April, 2020 to August, 2023 and as Executive Director at Oriental Bank of Commerce from November, 2018 to March, 2020. Prior to this, Shri Dube has worked across all segments of banking viz Customer Service at field level, Branch Head, Regional Head, Corporate Credit, Learning and Development, Internal Audit, Operations and at Head Office. Shri Dube has been associated with number of financial institutions, major tenure of which was with Punjab National Bank and Vijaya Bank. Shri Dube has also served as Chief Vigilance Officer (CVO) at State Bank of Mysore.

Shri Dube has been Chairman of the Governing Board of NIBSCOM, NOIDA and Member of the Governing Boards of SIBSTC, Bangalore and IIBM, Guwahati. Shri Dube has also been member of few banking industry related Committees set up by Government of India.

Shri Dube holds Master's Degree in Business Administration from FMS Delhi, University of Delhi, Master's Degree in Statistics from Lucknow University, Certified Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and Certificate in Risk in Financial Services (CISI, London). He is currently pursuing PhD in Management – his research interest is in understanding how cultural integration drives Mergers & Acquisitions.

Shri Dube is a travel and fitness enthusiast, having widely travelled in India and other countries. He is PADI Open Water certified Scuba diver, rode a two-wheeler to Khardungla Pass (then highest motorable road in the world), completed the Kailash Mansarovar Yatra and cycled 600 kms to celebrate his 60th birthday (under Project 600@60, It's Possible!).

OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
Annexure – 1A

(Position as on 31.03.2026)

Name of Director	No. of shares of Bank	No. of membership in Sub-Committees of the Bank	No. of Membership / Chairmanship held in Sub-Committees of the Board in other Companies (*)	Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
Dr. Debadatta Chand	Nil	11	2	1. BOB Capital Markets Limited 2. BOBCARD Limited 3. IndiaFirst Life Insurance Co. Limited 4. National Insurance Company Limited 5. Indian Institute of Banking & Finance (Member of Governing Council)
Shri Lalit Tyagi	6500	7	1	1. India Infradebt Limited 2. Bank of Baroda (UK) Limited 3. Bank of Baroda (Uganda) Limited 4. Indo Zambia Bank Limited 5. IndiaFirst Life Insurance Co. Limited
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	6500	8	1	1. BOBCARD Limited 2. Baroda Sun Technologies Limited 3. National Payments Corporation of India 4. Bank of Baroda (Botswana) Limited
Shri Lal Singh	245	8	0	1. Bank of Baroda (Tanzania) Limited 2. PSB Alliance Limited 3. Bank of Baroda (Kenya) Limited 4. Baroda Global Shared Services 5. National E-Governance Services Limited
Smt. Beena Vaheed	Nil	9	0	1. BOB Capital Markets Limited 2. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
Shri Ashish Madhaorao More	Nil	3	0	1. National Bank for Agriculture and Rural Development
Shri Manoranjan Mishra	230	4	0	1. Fintech Associate For Consumer Empowerment
Smt. Nina Nagpal	200	9	0	1. India International depository IFSC Limited
Shri Ravindran Menon	300	10	3	1. Accelya Solutions India Limited 2. Empact Nxt Ventures Limited 3. Canara Robecco Asset Management Co. Limited 4. Stowe Research India Private Limited
Shri Vijay Dube	230	11	0	Nil

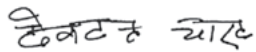
(*) Information provided in respect of ACB and Stakeholders Committee

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का घोषणा-पत्र।

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार “बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता” के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं। यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



डॉ. देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & Chief Executive Officer pursuant to Schedule V - Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the “Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel” for the financial year ended on 31st March, 2026 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda



Dr. Debadatta Chand

Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Mumbai

Date: 08th May 2026

फॉर्म संख्या. एमआर- 3
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

01-04-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (जिसे इसके बाद बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन के संबंध में सचिवालय लेखापरीक्षा की है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारी राय प्रस्तुत किए जाने के लिए व्यावहारिक आधार उपलब्ध कराया जा सके।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त संबंधी दस्तावेजों, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक तथा बैंक के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि बैंक निम्नलिखित माध्यमों और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और प्रणाली का अनुपालन भी करता है:

हमने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त से संबंधित दस्तावेजों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित से संबंधित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियम बैंक पर जहां तक लागू हों।
- (ii) प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों और उप कानूनों;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा के संबंध में बनाए गए नियम और विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;
 - ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीयन विनियमन);
 - बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2011;
 - सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;
 - डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ((पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;

ई) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में बनाए गए नियम और विनियम; **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2021;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीयन) विनियम, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की बायबैक) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018;

vi. निम्नलिखित अन्य कानून बैंक पर लागू होते हैं।

ए) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

बी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970;

सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं और परिपत्र;

डी) बैंक ऑफ़ बड़ौदा जनरल (शेयर और बैठक) विनियम, 1998

हमने बैंक को अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए बैंक द्वारा गठित प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भरोसा किया है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक **(लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित नहीं है)**

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियमन")।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने आम तौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- बैंक के निदेशक मंडल में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) और 9(3) (एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक शामिल नहीं थे।

- बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम पंद्रह वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे एक भी निदेशक को शामिल नहीं किया गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद नामित किया जाना था।
- बैंक के निदेशक मंडल में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन निदेशक शामिल नहीं किए गए।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के नियम 17 (1) (बी) के अनुसार, जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, निदेशक मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, जहां अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक है, वहां निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

यह देखा गया है कि बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. देबदत्त चांद बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और एक कार्यपालक निदेशक हैं। तदनुसार, निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

हालांकि, बैंक के निदेशक मंडल में केवल तीन स्वतंत्र निदेशक हैं और इस प्रकार यह निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्यों के स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए हैं, वे अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

निदेशक मंडल की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को यथासमय सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा से संबंधित विस्तृत नोट्स भेजे जाते हैं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए की एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई गई है।

बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है, जबकि असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों के विचारों को भी सुना जाना है और कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जिनका उपयोग लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक के पास निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं या कार्रवाइयां घटित हुईं जिनका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में

बैंक के कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. 26 मई, 2025 से बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में श्री एल. श्रीधर इनुमेला वी की नियुक्ति;
2. प्रति शेयर रुपये 2 के अंकित मूल्य पर 8.35 रुपये के लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए बैंक के सदस्यों से मंजूरी मांगी गई
3. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(क) के तहत श्रीमती बीना वाहिद को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 9 अगस्त, 2024 की प्रभावी तिथि से नियुक्त करने हेतु बैंक के सदस्यों से अनुमोदन मांगा गया।
4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 (3) (ग) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं 1980 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के तहत श्री मनोरंजन मिश्र की गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में 12 दिसंबर, 2024 से प्रभावी नियुक्ति के लिए बैंक के सदस्यों से अनुमोदन मांगा गया।
5. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ख) के तहत 24 जुलाई, 2025 से प्रभावी रूप से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री आशीष माधाराव मोरे की नियुक्ति;
6. 01 सितंबर, 2025 से प्रभावी, श्री एस बालाकुमार की कंपनी सचिव और बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति।
7. 5 मार्च, 2026 को 7.10% ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक हरित अवसंरचना बॉन्ड जो सीनियर, रेटेड, सूचीबद्ध, गैर-प्रत्याभूत, भुनाए जाने योग्य, दीर्घकालिक, पूरी तरह से पेड-अप, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड, श्रृंखला-1 का आबंटन।

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी
 कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण: 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27-04-2026

रागिनी चोकसी
 (साझेदार)
एम. नं.: F2390
काप नंबर: 1436
यूडीआईएन: F002390H000205428
पीआर नंबर: 4166/2023

इस रिपोर्ट को सम तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक "ए"

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांक सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:-

1. सचिवालय रिकॉर्ड्स का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालय रिकॉर्ड्स की सामग्री की सटीकता के बारे में पुष्टि के लिए उचित लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवालय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन जांच के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालय और हमारे समक्ष प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड्स में दर्शाए गए तथ्य सही हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की सटीकता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का पक्ष प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भावी कार्य-निष्पादन के बेहतर होने का आश्वासन है और न ही बैंक द्वारा बैंक के जुड़े मामलों में की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन है।

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण: 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27-04-2026

रागिनी चोकसी
(साझेदार)
एम. नं.: F2390
कॉप नंबर: 1436
यूडीआईएन: F002390H000205428
पीआर नंबर: 4166/2023

Form No. MR - 3
Secretarial Audit Report

For the period 01-04-2025 to 31-03-2026

To,
The Members,
BANK OF BARODA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda** (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering April 01, 2025 to March 31, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the audit period April 01, 2025 to March 31, 2026 according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder;
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing;
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulation").
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

- c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**
- f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**
- i) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- vi. The following other laws are applicable to the bank:
 - a) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970;
 - b) The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
 - c) The Banking Regulation Act, 1949 along with Rules, Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time;
 - d) Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.

We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not applicable as the Bank is not incorporated under the Companies Act, 2013)**

- b) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation").

During the period under review the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines etc. except mentioned hereunder:

- The Board of Directors of the Bank did not comprise of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under Section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- The Board of Directors of the Bank did not comprise of one director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank under Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- The Board of Directors of the Bank did not comprise of three Directors to be nominated by the Central Government under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

We further report that

As per Regulation 17(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise independent directors. However, where the chairperson is an executive director, at least half of the board of directors shall comprise independent directors.

It is observed that Dr. Debadatta Chand, Managing Director and CEO of the Bank, is serving as the Chairperson of the Board and is therefore an executive director. Accordingly, at least half of the board of directors should comprise independent directors.

However, the Bank has only three independent directors on its board, and thus does not meet the requirement of having at least half of the board composed of independent directors.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act, Rules and Regulations.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and

operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Appointment of Shri L Sridhar Inumella V as Chief Financial Officer of the Bank w.e.f. May 26, 2025;
2. Approval sought from the Members of the Bank for Declaration & Payment of Dividend of Rs. 8.35 per share of Rs. 2/- each;
3. Approval sought from the Members of the Bank for Appointment of Smt. Beena Vaheed as Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. August 09, 2024;
4. Approval sought from the Members of the Bank for Appointment of Shri. Manoranjan Mishra as Non Executive Director under Section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980, read with sub paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and 1980 w.e.f. December 12, 2024;
5. Appointment of Shri Ashish Madhaorao More as Government Nominee Director under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. July 24, 2025;
6. Appointment of Shri S Balakumar as Company Secretary and Compliance Officer of the Bank w.e.f. September 01, 2025;
7. Allotment of 7.10%, Long Term Green Infrastructure Bonds, Senior, Rated, Listed, Unsecured, Redeemable, Long Term, Fully Paid-Up, Non-Convertible Bonds in the nature of debentures Series I for Rs. 10,000 Crores on March 5, 2026.

For **Ragini Chokshi & Co**
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

Place: Mumbai
Date: 27-04-2026

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000205428
PR No.: 4166/2023

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure "A"

To
**The Members,
Bank of Baroda**

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2026 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **Ragini Chokshi & Co**
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

Place: Mumbai
Date: 27-04-2026

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000205428
PR No.: 4166/2023

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

Key Financial Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	7.28%	7.24%	6.81%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	4.39%	4.49%	4.25%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	3.18%	3.08%	2.89%
4	ब्याज स्प्रेड / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.89%	2.75%	2.56%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.94%	0.93%	0.84%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.83%	1.77%	1.67%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	47.71%	47.94%	49.15%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	2.00%	1.92%	1.73%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	1.15%	1.16%	1.07%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	18.95%	16.96%	15.38%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	1.12%	1.10%	1.00%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	1.17%	1.16%	1.06%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	8.53%	8.39%	7.71%
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits	4.92%	5.10%	4.87%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	22.09%	22.05%	22.05%
16	ऋण जमानुपात Credit - Deposit Ratio	86.34%	88.56%	91.65%
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III	16.31%	17.19%	15.82%
	टीयर Tier - I	14.07%	14.79%	13.64%
	टीयर Tier - II	2.24%	2.40%	2.18%
जहां अपेक्षित था, वहां पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः समूहकृत/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है। The figures of the previous period have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current period classifications.				

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक

Key Productivity Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	75,515	75,008	76,693
2	वैश्विक शाखाएं (संख्या) Global Branches (number)	8,282	8,463	8,683
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	30.46	34.33	38.42
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ करोड़ में) Average Business per employee (₹ in crore)	29.31	32.53	35.11
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में) Gross Profit per employee (₹ in lakhs)	41.01	43.24	42.06
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) Net Profit per employee (₹ in lakhs)	23.56	26.11	26.11
7	प्रति शाखा व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	289.90	316.86	352.13
8	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	3.74	3.83	3.72
9	प्रति शाखा निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	2.15	2.31	2.31
10	प्रति शेयर अर्जन (रुपये) Earnings per share (Rupees)	34.40	37.86	38.72
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपये) Book Value per share (Rupees)	181.48	223.26	251.73

परिभाषाएं

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	कुल आस्तियों का मासिक/ दैनिक औसत
औसत जमाराशियां	कुल जमाराशियों का दैनिक औसत
औसत अग्रिम	कुल अग्रिमों का दैनिक औसत
औसत व्यवसाय	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	कुल निवेशों का दैनिक औसत
ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज आय
ब्याज व्यय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज व्यय
ब्याज स्प्रेड/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित (कुल ब्याज व्यय घटाकर कुल ब्याज आय)
गैर-ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल गैर-ब्याज आय
परिचालन व्यय	ब्याज व्यय घटाकर कुल व्यय
परिचालन व्यय/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालन व्यय
लागत आय अनुपात	(गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से विभाजित परिचालन व्यय
सकल (परिचालन) लाभ/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालन लाभ
निवल लाभ/ एडब्ल्यूएफ	एडब्ल्यूएफ से विभाजित निवल लाभ
निवल मालियत पर प्रतिलाभ	समायोजित निवल मालियत से विभाजित निवल लाभ
आस्तियों पर प्रतिलाभ	कुल आस्तियों से विभाजित निवल लाभ
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	औसत आस्तियों से विभाजित निवल लाभ
अग्रिमों पर प्रतिफल	औसत अग्रिम से विभाजित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज
जमाराशियों की लागत	औसत जमाराशियों से विभाजित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज
लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	निवल लाभ से विभाजित कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (मूल जमाराशियां + निवल अग्रिम)
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम)
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित सकल लाभ
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित निवल लाभ
प्रति शाखा व्यवसाय	शाखाओं की संख्या से विभाजित (कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम)
प्रति शाखा सकल लाभ	शाखाओं की संख्या से विभाजित सकल लाभ
प्रति शाखा निवल लाभ	शाखाओं की संख्या से विभाजित निवल लाभ
प्रति शेयर आय	अंकित मूल्य हेतु समायोजित भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित निवल लाभ
प्रति शेयर बही मूल्य	अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित निवल मालियत

Definitions

Average Working Funds (AWF)	Monthly/Daily average of total assets
Average Deposits	Daily average of total deposits
Average Advances	Daily average of total advances
Average Business	Total of average deposits & average advances
Average Investments	Daily average of total investments
Interest Income/AWF	Total Interest Income Divided by AWF
Interest Expenses/AWF	Total interest expenses Divided by AWF
Interest Spread/AWF	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
Non-Interest Income/AWF	Total Non-Interest Income Divided by AWF
Operating Expenses	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating expenses/AWF	Operating expenses Divided by AWF
Cost Income Ratio	Operating Expenses Divided by (Non-Interest Income plus Interest Spread)
Gross (Operating) Profit/AWF	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	Net Profit Divided by AWF
Return on Net Worth	Net Profit Divided by Adjusted Net Worth
Return on Assets	Net Profit Divided by Total Assets
Return on Average Assets	Net Profit Divided by Average Assets
Yield on Advances	Interest earned on Advances Divided by Average Advances
Cost of Deposits	Interest paid on Deposits Divided by average deposits
Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
Business Per Employee	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees
Average Business Per employee	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees
Gross Profit Per Employee	Gross Profit Divided by Total No. of employees
Net Profit Per Employee	Net Profit Divided by total No. of employees;
Business Per Branch	Total Deposits plus total net advances divided by No. of Branches
Gross Profit Per Branch	Gross Profit Divided by No. of Branches
Net Profit Per Branch	Net Profit Divided by No. of Branches
Earnings Per Share	Net Profit divided by number of weighted average outstanding shares adjusted for face value
Book Value Per Share	Adjusted Net worth divided by number of outstanding shares adjusted for face value

31 मार्च 2026 का तुलन पत्र

Balance Sheet as on 31st March, 2026

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1035,53,36	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	152173,25,81	135890,15,06
जमा राशियां	Deposits	1648487,23,16	1472034,84,86
उधार ली गई राशियां	Borrowings	156357,45,44	123716,17,90
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	51110,33,22	48570,60,84
कुल	TOTAL	2009163,80,99	1781247,32,02
आस्तियां	ASSETS		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	62155,05,91	56068,49,44
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	91925,73,05	69780,70,67
निवेश	Investments	386415,40,85	385398,44,60
अग्रिम	Advances	1409094,11,89	1209557,89,83
अचल आस्तियां	Fixed Assets	11879,26,52	12376,25,69
अन्य आस्तियां	Other Assets	47694,22,77	48065,51,79
कुल	TOTAL	2009163,80,99	1781247,32,02
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	791422,77,47	783841,45,88
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	66698,68,25	62373,20,54
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग हैं।			
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक

श्री संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

श्री लाल सिंह
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती बीना वाहिद
कार्यपालक निदेशक

आई.वी.एल. श्रीधर
मुख्य वित्त अधिकारी

श्री पंकज खत्री
उप मुख्य वित्त अधिकारी

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109208W

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109574W

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 101048W

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009073N / N500320

कृते गोखले और साठे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103264W

(एल. वी. सप्तर्षि)
साझेदार
M. No.: 127055

(डी.वी. बल्लाल)
साझेदार
M. No.: 013107

(पराग हंगेकर)
साझेदार
M. No.: 110096

(सुमित कुमार)
साझेदार
M. No.: 512555

(राहुल जोगलेकर)
साझेदार
M. No.: 129389

स्थान : मुंबई
दिनांक : 8 मई, 2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2026

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
I. आय	I. INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned 13	126993,65,51	122300,61,05
अन्य आय	Other Income 14	15756,83,75	15788,36,19
कुल	TOTAL	142750,49,26	138088,97,24
II. व्यय	II. EXPENDITURE		
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended 15	79311,19,20	75782,96,38
परिचालन व्यय	Operating Expenses 16	31180,31,72	29871,38,07
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies	12237,92,34	12853,47,58
कुल	TOTAL	122729,43,26	118507,82,03
III. लाभ / हानि	III. PROFIT / LOSS		
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/ (Loss) for the period	20021,06,00	19581,15,21
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation	20021,06,00	19581,15,21
IV. विनियोजन / अंतरण	IV. Appropriations / Transfer		
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve	5005,26,50	4895,28,80
बी) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve	1122,54,98	451,48,99
सी) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves		
I) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि	I) Investment Fluctuation Reserve	920,00,00	-
II) सामान्य प्रारक्षित निधि	II) General Reserve	6663,02,42	8415,20,73
III) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961	1826,40,00	1446,53,00
IV) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	IV) Statutory Reserve (Foreign)	88,16,31	54,54,95
डी) प्रस्तावित लाभांश	d) Proposed Dividend	4395,65,79	4318,08,74
कुल	TOTAL	20021,06,00	19581,15,21
V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2 /-)	V. Earning Per Equity Share (Face Value of ₹ 2 /- per share)		
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	Basic Earnings per Share (₹)	38.72	37.86
प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)	38.72	37.86
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies 17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts 18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Lalit Tyagi
Executive Director

Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

Lal Singh
Executive Director

Beena Vaheed
Executive Director

I V L Sridhar
Chief Financial Officer

Pankaj Khatri
Deputy Chief Financial Officer

As per our Report of even date attached.

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

(L V Saptharishi)
Partner
M. No.: 127055

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

(D.V Ballal)
Partner
M. No.: 013107

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

(Parag Hangekar)
Partner
M. No.: 110096

For Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 009073N / N500320

(Sumit Kumar)
Partner
M. No.: 512555

For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

(Rahul Joglekar)
Partner
M. No.: 129389

Place: Mumbai

Date: May 08, 2026

तुलन-पत्र की अनुसूचियां

Schedules to Balance Sheet

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर (पिछली अवधि प्रति शेयर ₹ 2/- के 1500,00,00,000/-)	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each)	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous period 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	1037,00,59	1037,00,59
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)	1034,27,24	1034,27,24
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500)	Add: Forfeited Shares 136,67,500 (Previous Period 136,67,500)	1,26,12	1,26,12
कुल	TOTAL	1035,53,36	1035,53,36
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2		
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	28020,43,29	23125,14,49
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	5005,26,50	4895,28,80
II प्रारक्षित पूंजी	II Capital Reserves	33025,69,79	28020,43,29
(₹ 8296.36 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 9470.32 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 8296.36 crore (Previous period ₹ 9470.32 crore)		

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026		31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025	
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	18146,29,32		13212,77,52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	1122,54,98		451,48,99	
वर्ष के दौरान समायोजन	Adjustments during the year	(66,64,66)		5069,63,89	
		19202,19,64		18733,90,40	
कटौतियां :	Deductions:				
सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve	1179,26,87	18022,92,77	587,61,08	18146,29,32
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	31312,15,13		31312,15,13	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	-	31312,15,13	-	31312,15,13
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue and other Reserves				
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	343,36,91		288,81,96	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	88,16,31		54,54,95	
		431,53,22		343,36,91	
बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9006,46,77		7559,93,77	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Addition/Adjustments during the year	1826,40,00		1446,53,00	
		10832,86,77		9006,46,77	
सी) विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	4807,63,57		4247,81,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Addition/Adjustments during the year	2576,41,85		559,82,17	
		7384,05,42		4807,63,57	
डी) पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	d) Capital Hedge Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	211,85,53		235,40,15	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Addition/Adjustments during the year	(719,44,24)		(23,54,62)	
		(507,58,71)		211,85,53	
ई) निवेश प्रारक्षित खाता	e) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-		563,86,44	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Addition/Adjustments during the year	-		(563,86,44)	
		-		-	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
एफ) निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित लेखा	f) Investment Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2420,00,00	2420,00,00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Addition/Adjustments during the year	920,00,00	-
		3340,00,00	2420,00,00
जी) एएफएस प्रारक्षित	g) AFS Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1618,35,15	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/Adjustments during the year	(1178,74,66)	1618,35,15
		439,60,49	1618,35,15
एच) नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित	h) Cash Flow Hedge Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	29,70,53	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/Adjustments during the year	20,38,49	29,70,53
		50,09,02	29,70,53
आई) निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित लेखा	i) Other Revenue Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	39973,88,86	28222,14,61
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/Adjustments during the year	7868,03,05	11751,74,25
		47841,91,91	39973,88,86
कुल - IV (ए से आई)	TOTAL - IV (a to i)	69812,48,12	58411,27,32
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	152173,25,81	135890,15,06

अनुसूची - 3 जमाराशियां
SCHEDULE - 3 DEPOSITS

ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	4262,50,73		3642,94,91	
ii) अन्य से	ii) From Others	158401,56,46	162664,07,19	140086,04,55	143728,99,46
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		450543,05,21		412936,98,87
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	106712,63,57		102652,69,42	
ii) अन्य से	ii) From Others	928567,47,19	1035280,10,76	812716,17,11	915368,86,53
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)		1648487,23,16		1472034,84,86
बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	1401290,44,95		1242169,22,25	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	247196,78,21		229865,62,61	
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	1648487,23,16		1472034,84,86	

नोट: कुल जमा में ₹ 79682 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 61941 करोड़) की जमाराशियां शामिल हैं, जिन पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है।

Note: Total Deposit includes, deposits of ₹ 79682 Crores (Previous Period: ₹ 61941 Crores) on which lien has been marked.

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 4 उधार ली गई राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS		
I. भारत में उधार ली गई राशियां	I Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	15000,00,00	30000,00,00
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	2913,77,69	559,35,12
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	32788,36,96	29076,57,49
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी1	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1	5223,00,00	8958,00,00
v) गौण बॉण्ड	v) Subordinated Bonds	11400,00,00	11850,00,00
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	vi) Long term infrastructure bonds	36000,00,00	26000,00,00
कुल (i से vi)	TOTAL (i to vi)	103325,14,65	106443,92,61
II. भारत के बाहर से उधार ली गई राशियां	II Borrowings outside India	53032,30,79	17272,25,29
कुल - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)	156357,45,44	123716,17,90
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार ली गई राशियां	Secured Borrowings included in above	27606,43,57	43024,72,38
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5		
अन्य देयताएं और प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	4047,62,73	3664,71,95
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II Inter Office Adjustments (Net)	101,46,52	397,92,47
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	5491,56,33	8421,27,20
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	8741,02,50	7373,22,49
V डेरिवेटिव देयताएं	V Derivative Liabilities	2083,12,74	693,80,01
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)	30645,52,40	28019,66,72
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	51110,33,22	48570,60,84
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	4291,70,47	3891,05,93
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में	in Current Account	40509,35,44	49927,43,51
अन्य खाते में	In Other Account	17354,00,00	2250,00,00
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	62155,05,91	56068,49,44

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026		31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025	
अनुसूची - 7		SCHEDULE - 7			
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE			
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	93,13,21		64,22,26	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	2655,38,00	2748,51,21	923,13,00	987,35,26
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
ए) बैंकों के पास	a) Banks	-		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	915,67,43	915,67,43	1010,14,25	1010,14,25
कुल (i और ii)	TOTAL (i and ii)		3664,18,64		1997,49,51
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	56922,32,52		44856,07,04	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	16286,23,40		5271,58,22	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	15052,98,49		17655,55,90	
कुल (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		88261,54,41		67783,21,16
कुल (I और II)	TOTAL (I and II)		91925,73,05		69780,70,67
अनुसूची - 8		SCHEDULE - 8			
निवेश		INVESTMENTS			
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	372317,92,66		370478,28,61	
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	1772,18,27		1766,50,06	
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India		370545,74,39		368711,78,55
अलग - अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	327217,33,46		328108,70,05	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	53,82,53		55,27,17	
iii) शेयर	iii) Shares	5675,49,23		6032,47,00	
iv) डिबेंचर और बॉण्ड	iv) Debentures and Bonds	30665,91,17		28493,80,71	
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	5588,02,75		4804,79,14	
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू सर्टिफिकेट, वेंचर पूंजी निधि, प्रतिभूति रसीदें आदि.)	vi) Other Investments (Mutual Funds, Pass Through Certificates, Venture Capital Fund, Security Receipts etc.)	1345,15,25		1216,74,48	
		370545,74,39		368711,78,55	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	16326,11,29	17098,05,85
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	456,44,83	411,39,80
भारत के बाहर निवल निवेश	Net Investments Outside India	15869,66,46	16686,66,05
अलग - अलग विवरण	BREAK - UP		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	9611,26,55	9752,64,51
ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	1159,22,12	2034,31,06
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि.)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	5099,17,79	4899,70,48
		15869,66,46	16686,66,05
कुल (I और II)	TOTAL (I and II)	386415,40,85	385398,44,60
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
ए i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	90894,80,45	63429,80,64
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	484561,14,36	407217,05,88
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	833638,17,08	738911,03,31
कुल ए (i से iii)	TOTAL A (i to iii)	1409094,11,89	1209557,89,83
बी. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	905567,57,44	789548,37,16
ii) बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा कवरेज	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	147920,08,66	126333,26,10
iii) गैर - जमानती	iii) Unsecured	355606,45,79	293676,26,57
कुल बी (i से iii)	TOTAL B (i to iii)	1409094,11,89	1209557,89,83
सी. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India		
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i. Priority Sector	378354,63,83	322571,61,80
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii. Public Sector	173453,24,74	156236,85,68
iii बैंक	iii. Banks	1024,49,65	999,49,90
iv अन्य	iv. Others	598441,21,06	523845,62,83
		1151273,59,28	1003653,60,21
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India		
i बैंकों से देय	i Due from Banks	108742,95,11	86908,43,37
ii अन्य से देय	ii Due from Others		
ए) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	15205,85,58	3363,99,98

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
बी) सिंडीकेटेड ऋण	b) Syndicated Loans	130423,50,50	93333,48,91
सी) अन्य	c) Others	3448,21,43	22298,37,36
कुल सी (I एवं II)	TOTAL C (I & II)	1409094,11,89	1209557,89,83

अनुसूची - 10
SCHEDULE - 10
अचल आस्तियां
FIXED ASSETS

I परिसर	I Premises		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत मूल्य पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	19511,29,17	14442,68,60
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the year	52,32,59	5123,93,51
		19563,61,76	19566,62,11
वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the year	18,03,11	55,32,94
		19545,58,65	19511,29,17
घटाएं:- आज की तारीख तक मूल्यहास / परिशोधन	Less:- Depreciation/ Amortisation to date	10035,02,77	8776,07,91
		9510,55,88	10735,21,26
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत मूल्य पर	At cost as on 31 st March of the preceding year	9862,29,39	10053,30,66
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the year	1640,74,57	1076,37,65
		11503,03,96	11129,68,31
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Deductions/adjustments during the year	798,69,00	1267,38,92
		10704,34,96	9862,29,39
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यहास	Less:- Depreciation to date	8335,64,32	8221,24,96
कुल (I से II)	TOTAL (I to II)	11879,26,52	12376,25,69

अनुसूची - 11
SCHEDULE - 11
अन्य आस्तियां
OTHER ASSETS

I उपचित ब्याज	I Interest Accrued	13115,95,86	15589,28,76
II अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	9617,77,95	10276,18,46
III लेखन सामग्री और स्टॉप	III Stationery & Stamps	16,22	55,82
IV दावों पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	IV Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (net)	-	-
V डेरिवेटिव आस्तियां	V Derivative Assets	1252,49,25	947,47,31
VI अन्य	VI Others	23707,83,49	21252,01,44
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	47694,22,77	48065,51,79

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12		
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES		
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts	37100,65,60	34295,71,97
II आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments	28,00	28,00
III बकाया वायदा विनिमय करार के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	524364,36,77	454102,62,18
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a) In India	63927,00,78	55319,44,31
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	9688,24,49	6186,48,87
V स्वीकृतियां, एंडोर्समेंट एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	20467,44,76	17518,36,66
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें जो बैंक द्वारा देय हैं	VI Other items for which the Bank is Contingently liable	135874,77,07	216418,53,89
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	791422,77,47	783841,45,88

लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां Schedules to Profit & Loss Account

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
अनुसूची - 13	SCHEDULE - 13		
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED		
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	I Interest / Discount on Advances / Bills	95942,48,03	93050,88,34
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	25067,86,52	25948,75,67
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	2542,71,53	1756,36,51
IV अन्य	IV Others	3440,59,43	1544,60,53
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	126993,65,51	122300,61,05

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
अनुसूची - 14	SCHEDULE - 14		
अन्य आय	OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I Commission, Exchange and Brokerage	3334,48,68	3365,76,82
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	4186,65,50	2326,55,24
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	296,14,48	60,31,90
III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III Profit on Revaluation of Investments	308,02,10	1061,00,56
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less: Loss on Revaluation of Investments	1045,91,59	284,61,00
IV भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	IV Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	16,60,41	46,59,53
घटाएं: भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	3,84,26	6,18,23
V विनिमय/डेरिवेटिव लेन-देन पर लाभ	V Profit on Exchange/Derivative Transactions	2591,02,48	1340,24,73
घटाएं: विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange/Derivative Transactions	1075,32,68	577,20,14
VI विदेशों / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India	631,09,82	247,62,18
VII विविध आय #	VII Miscellaneous Income #	7110,17,77	8328,88,40
कुल (I से VII)	TOTAL (I to VII)	15756,83,75	15788,36,19

विविध आय में बड़े खातों में की गई वसूली ₹ 3424.85 करोड़ में शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 4766.90 करोड़)

Miscellaneous income includes Recoveries made in write off accounts ₹ 3424.85 crore (Previous period ₹ 4766.90 crore)

अनुसूची - 15	SCHEDULE - 15		
अर्जित ब्याज	INTEREST EXPENDED		
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	70531,04,76	67847,00,76
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	5258,80,33	4735,84,85
III अन्य	III Others	3521,34,11	3200,10,77
कुल (I से III)	TOTAL (I to III)	79311,19,20	75782,96,38

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	15741,49,99	16607,63,87
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	1938,30,63	1819,39,22
III मुद्रण और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery	198,72,92	199,53,41
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	229,00,24	226,13,84
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V Depreciation on Bank's Property	1917,27,13	1392,87,01
VI निदेशकों की शुल्क, भत्ते और व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	3,07,46	2,41,29
VII लेखापरीक्षकों की शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	138,49,78	105,71,02
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	817,40,83	429,82,03
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	213,49,86	205,44,51
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance	1411,73,34	1131,76,79
XI बीमा	XI Insurance	2465,02,31	2007,97,45
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure	6106,27,23	5742,67,63
कुल (I से XII)	TOTAL (I to XII)	31180,31,72	29871,38,07

अनुसूची 17

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची और भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के तहत समय-समय पर संशोधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2 आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर का उसी अवधि में निर्धारण किया जाता है, जिस अवधि में वे सामने आते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3 निवेश एवं डेरिवेटिव

बैंक के निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 (आरबीआई/डीओआर/2025-26/162 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.संख्या81/00-00-001/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025) ("आरबीआई निवेश निर्देश, 2025") और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य परिपत्र और स्पष्टीकरण के अनुसार किया जाता है। बैंक निवेश की खरीद और बिक्री के मूल्यांकन के लिए निपटान-तिथि लेखांकन का अनुसरण करता है।

3.1. वर्गीकरण

बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अलावा) को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):** - परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य के साथ अर्जित निवेश (यानी, संविदात्मक केश फ्लो संग्रह करने के लिए), जहां सुरक्षा की संविदात्मक शर्तें केश फ्लो में बढ़ोतरी करती है जो केवल मूलधन के भुगतान और निर्दिष्ट तारीखों पर बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') जैसी अपनी संविदात्मक शर्तों की वजह से केश फ्लो में वृद्धि करती हैं।

एचटीएम में डिबेंचर और बॉण्ड शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं।

- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)** - ऐसे निवेश जो एक ऐसे उद्देश्य से अर्जित हो जिसे संविदात्मक केश फ्लो के संग्रहण और प्रतिभूतियों की बिक्री, दोनों के द्वारा पूरा किया गया हो, जहां संविदात्मक शर्तें एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं। एएफएस प्रतिभूतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाले आस्ति देयता प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं, जहां परिपक्वता तक धारित रखने या परिपक्वता से पहले बिक्री के संबंध में बैंक का दृष्टिकोण फ्लेक्सिबल है। प्रारंभिक मूल्यांकन पर, बैंक एएफएस के तहत एक इकिटी साधन को वर्गीकृत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकता है जो व्यापार के उद्देश्य से आयोजित नहीं किया गया हो।

- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)** - ऐसे निवेश जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं। व्यापार हेतु धारित ("एचएफटी") एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग उप-श्रेणी है और इसमें अल्पकालिक पुनर्विक्रय के लिए, अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ के लिए, आर्बिट्रिज लाभ लॉक करने के लिए, या ऐसे लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की हेजिंग के लिए रखे गए लिखत शामिल हैं, और ऐसे अन्य लिखत जिन्हें आरबीआई निवेश निर्देश, 2025 के संदर्भ में एचएफटी के तहत शामिल किया जाना आवश्यक है।

अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेश एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल से एक अलग (विशिष्ट) श्रेणी में शामिल है।

अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय बैंक द्वारा निवेश की श्रेणी तय की जाती है और इस तरह के निर्णय का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाता है।

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) डिबेंचर और बॉण्ड (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य।

3.2. प्रारंभिक मूल्यांकन

प्रारंभिक तौर पर सभी निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियां यह प्रमाणित न करें कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (विकास सहित), स्विच परिचालनों और ओपन मार्केट परिचालन के माध्यम से अर्जित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, उसे प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए उचित मूल्य माना जाता है।

अधिग्रहण के समय निवेश से संबंधित प्रदत्त ब्रोकरेज और अपूर्ण समयावधि के ब्याज जैसी लागत आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ और हानि खाते में परिलक्षित की जाती हैं और अधिग्रहण लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं होती हैं।

3.3. पहले दिन लाभ या हानि

प्रारंभिक मूल्यांकन पर निवेश का उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भिन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले दिन लाभ या हानि निम्नानुसार होती है:

- i. जहां उचित मूल्य उद्भूत कीमतों या अन्य अवलोकन योग्य बाजार इनपुट (स्तर 1 या स्तर 2) पर आधारित है, किसी भी पहले दिन के लाभ या हानि का तुरंत 'अन्य आय - निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि' के तहत लाभ और हानि खाते में मूल्यांकन किया जाता है;
- ii. जहां उचित मूल्य महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (स्तर 3) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, किसी भी पहले दिन के लाभ या हानि खाते का तुरंत निर्धारण किया जाता है। पहले दिन के किसी भी लाभ को ऋण लिखत के लिए स्थगित कर दिया जाता है - परिपक्वता तिथि (या परिपक्वता से पूर्व मोचन की सबसे पहली तारीख, स्थायी लिखत के लिए) तक सीधी-रेखा प्रणाली के आधार पर परिशोधित; बिना कोट के इक्विटी लिखत के लिए, एक दायित्व के रूप में अलग रखें जब तक कि सुरक्षा सूचीबद्ध या मूल्यांकन समाप्त न हो जाए।

3.4. बाद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- i. परिपक्वता तक धारित. एचटीएम के तहत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत (या भारित औसत लागत पर जहां कई लॉट होते हैं) पर किए जाते हैं। इस तरह के निवेशों को प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद मार्केट आधारित श्रेणी में नहीं रखा जाता है; हालांकि, वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आय मूल्यांकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं। एचटीएम के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधित राशि 'अर्जित ब्याज - निवेश पर आय' (अनुसूची 8 - पूरक (कांटा) निवेश के साथ) के तहत परिलक्षित होती है।
- ii. बिक्री के लिए उपलब्ध. एफएएस प्रतिभूतियों का उचित मूल्य कम से कम तिमाही आधार पर होता है। एफएएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधित राशि 'अर्जित ब्याज - निवेश पर आय' (अनुसूची 8 - पूरक (कांटा) निवेश के साथ) के तहत परिलक्षित होती है।

बैंक एफएएस के तहत सभी सक्रिय निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि का संग्रह करता है, भले ही वर्गीकरण (सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बॉण्ड और डिबेंचर, आदि) हो। लागू करें (यदि कोई हो) के प्रभाव के लिए समायोजित निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास, लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे 'एफएएस-रिजर्व' में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। एफएएस-रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी के हिस्से के रूप में माना जाता है, जो नीचे पैराग्राफ 3.6 (बी) में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन है। 'एफएएस-रिजर्व' में अंतरित अप्राप्त लाभ किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर लाभांश और कूपन शामिल हैं।

एफएएस प्रतिभूतियां आरबीआई द्वारा निर्धारित आय मूल्यांकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन हैं।

- iii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

एफवीटीपीएल में एचएफटी उप-श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन संबंधी किसी भी परिवर्तन का लाभ और हानि खाते में परिलक्षित किया जाता है।

एफवीटीपीएल के तहत अन्य प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।

एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता

है और 'अर्जित ब्याज - निवेश पर आय' के तहत परिलक्षित होता है। एफवीटीपीएल प्रतिभूतियों के उचित मूल्यांकन पर शुद्ध लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है।

ट्रेजरी बिलों में प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा किए गए निवेश एचएफटी उप-श्रेणी के तहत रखे जाते हैं और आरबीआई निवेश निर्देश, 2025 के पैराग्राफ 75 के तहत निर्धारित ट्रेजरी बिलों की सुविधा के अनुरूप रख-रखाव की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

एफवीटीपीएल प्रतिभूतियां आरबीआई द्वारा निर्धारित आय मूल्यांकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं।

- iv. अनुषंगी, सहयोगी संस्थाएं और संयुक्त उद्यम. अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (ऋण और इक्विटी दोनों सहित) अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं जो प्रारंभिक मूल्यांकन और ऊपर निर्धारित पहले दिन के लाभ या हानि के प्रावधानों के अधीन हैं। अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई डिस्काउंट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर ब्याज आय के रूप में परिशोधित किया जाता है और यह अर्जित ब्याज निवेश पर आय के तहत परिलक्षित होती है।

बैंक तिमाही आधार पर हानि के लिए अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में ऋण दायित्वों की चुकौती में निवेशक द्वारा चूक; किसी भी बैंक द्वारा ऋणों का पुनर्गठन; इसकी क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे डाउनग्रेड करना; निवल मूल्य में 25% या उससे अधिक की कमी के साथ तीन वर्षों तक लगातार हानि; छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए रख-रखाव के मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में बड़ी गिरावट (कम से कम 20%); अनुपालन न करने या वित्तीय कारणों से डीलिंगिंग या डीलिंगिंग का जोखिम; और मूल रूप से अनुमानित उत्पादन-पूर्व अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त करने में विफलता जैसे संकेतकों को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश का मूल्यांकन करता है। जहां हानि के निर्धारण की आवश्यकता होती है, बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के तहत) मूल्यांकन प्राप्त करता है तथा लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में कमी, यदि कोई हो, का मूल्यांकन करता है। कमी में बाद के किसी भी उलटफेर का मूल्यांकन लाभ और हानि खाते के माध्यम से किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश अधिग्रहण लागत पर किया जाता है, जो ऊपर दिए गए हानि प्रावधानों के अधीन है।

3.5. उचित मूल्य निर्धारण

- i. कोटेड प्रतिभूतियां कोटेड प्रतिभूतियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से फाइनैशियल बेचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एफबीआईएल") द्वारा घोषित दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहां ऐसी कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडों या कोट से उपलब्ध कोटेड मूल्यों पर या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ("एफआईएमएमडीए") द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होता है।

- ii. अनकोटेड एसएलआर प्रतिभूतियां

ट्रेजरी बिलों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

केंद्र और राज्य सरकार की अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/परिपक्वता आधारित आय ("वाईटीएम") दरों के आधार पर किया जाता है।

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए किया जाता है, जो एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक है।

iii. अनकोटेड गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां

अनकोटेड डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम पर एक उपयुक्त मार्क-अप होता है। मार्क-अप को क्रेडिट रेटिंग द्वारा ग्रेड किया जाता है, जो निम्नलिखित फ्लोर के अधीन है: रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड हेतु, समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर; अनरेटेड डिबेंचर/बॉण्ड हेतु, समतुल्य परिपक्वता के रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड पर लागू मार्क-अप से कम नहीं, और किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करता है। जहां डिबेंचर/बॉण्ड कोट किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिनों के भीतर लेनदेन हुआ है, अपनाया गया मूल्य उस दर से अधिक नहीं है जिस पर लेनदेन रिकॉर्ड किया गया है।

सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की गई और एसएलआर स्थिति (तेल बॉण्ड, उर्वरक बॉण्ड सहित) न रखने वाली विशेष प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर तदनुरूपी प्रतिफल से 25 आधार बिन्दु अधिक है।

उदय बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

डिस्कॉम वित्तीय पुनर्गठन योजनाओं के तहत जारी किए गए बॉण्ड का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है: डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार के गारंटीकृत बॉण्ड - समतुल्य परिपक्वता की एफबीआईएल सीजी यील्ड से 75 आधार अंक अधिक; डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्ड - 100 आधार अंक; राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड - 50 आधार अंक।

वरीयता शेयरों का मूल्यांकन वाईटीएम के आधार पर समतुल्य परिपक्वता के एफबीआईएल सीजी यील्ड पर उचित मार्क-अप के साथ किया जाता है, बशर्ते कि वरीयता शेयर का मूल्य उसके मोचन मूल्य से अधिक न हो। मार्क-अप को रेटिंग के आधार पर ग्रेड किया जाता है; यह गैर-नकारात्मक है (यानी, वाईटीएम समतुल्य परिपक्वता के सीजी प्रतिफल से कम नहीं है), और अनरेटेड वरीयता शेयरों के लिए उपयोग की जाने वाली दर समतुल्य परिपक्वता के रेटेड वरीयता शेयरों पर लागू दर से कम नहीं है और उचित रूप से बैंक द्वारा वहन किए गए क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है। जहां अधिमान्य लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां अर्जित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाता है और इस प्रकार यदि बकाया एक वर्ष के लिए है तो निर्धारित मूल्य पर कम से कम 15% तक, दो वर्षों के लिए है तो 25% तक, और आगे इसी तरह (10% वेतन वृद्धि के साथ) की छूट दी जाती है। अनर्जक अधिमान शेयरों पर मूल्यहास/प्रावधान, जहां लाभांश बकाया है, को अन्य अर्जक अधिमान शेयरों पर वृद्धि के एवज में निर्धारित नहीं किया जाता है। परियोजना वित्त के हिस्से के रूप में अधिग्रहित अधिमान शेयरों का मूल्यांकन उत्पादन

शुरू होने के बाद दो साल या सदस्यता के पांच साल बाद, जो भी पहले हो, के लिए किया जाता है।

इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान में कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं, या जिन्हें अंतरल या असूचीबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनका कंपनी की नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह की तुलन-पत्र की तारीख मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक नहीं होगी, जिसमें विफल रहने पर शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी ₹1 पर किया जाएगा। ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर मूल्यांकन को पदानुक्रम प्रकटीकरण के लिए स्तर 3 के रूप में माना जाता है।

म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम फिर से खरीद मूल्य पर किया जाता है। लॉक-इन अवधि वाले फंड के मामले में या जहां फिर से खरीद मूल्य/बाजार कोट उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के नेट एसेट वैल्यू ("एनएवी") पर किया जाता है; यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अन्य शून्य-कूपन रियायती लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बाजार मूल्य की अनुपस्थिति में, शून्य-कूपन बॉण्ड को वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर आंकलन किया जाता है, जिसमें एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित उपयुक्त शून्य-कूपन स्प्रेड के साथ शून्य-कूपन प्रतिफल वक्र का उपयोग किया जाता है।

iv. वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)

बैंक के पोर्टफोलियो में कोटेड इक्विटी शेयर, बॉण्ड और एआईएफ की इकाइयों का मूल्यांकन कोटेड प्रतिभूतियों के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित किया जाता है।

एआईएफ की अनकोटेड इकाइयों का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा प्रकट की गई एनएवी पर किया जाता है, जो सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 द्वारा मैडेट की गई आवृत्ति पर एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपने निवेश के मूल्यांकन पर आधारित होता है। जहां एआईएफ मैडेट की गई आवृत्ति पर इस तरह के मूल्यांकन को पूरा करने और प्रकट करने में विफल रहता है, तो इकाइयों का मूल्यांकन ₹1 प्रति फंड पर किया जाता है। जहां एआईएफ सेबी (एआईएफ) विनियमन, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और नवीनतम उद्घोषित स्वतंत्र मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से ज्यादा पहले का होता है, तो इकाइयों का मूल्यांकन ₹1 प्रति फंड पर किया जाता है।

एआईएफ द्वारा जारी अन्य अनकोटेड इक्विटी या लिखत का उपर्युक्त पैराग्राफ 3.5.ii और 3.5.iii में ऐसे लिखत के लिए निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

v. प्रतिभूतिकरण नोट्स, प्रभाव अंतरण प्रमाण पत्र

प्रतिभूतिकरण नोट (प्रभाव अंतरण प्रमाण पत्र सहित) में निवेश का एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन में परीक्षण किया जाता है। एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाली शृंखला (यानी, जहां शृंखला की संविदात्मक शर्तें कैश फ्लो में वृद्धि करती हैं जो पूरी तरह से मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं, वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है, और शृंखला का क्रेडिट जोखिम संयुक्त अंतर्निहित पूल के क्रेडिट जोखिम के बराबर या उससे कम है)

को होलिंग के उद्देश्य से एचटीएम या एफएस के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिभूतिकरण नोट जो एसपीपीआई मानदंड को (इक्विटी श्रृंखला सहित) और अंतर्निहित आस्ति से वसूली पर आधारित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत को पूरा नहीं करता है, उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत किया गया है।

vi. प्रतिभूति रसीद

प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ("एससी/एआरसी") को अनर्जक आस्ति के हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूति रसीदें ("एसआर") को (ए) हस्तांतरित वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (यानी, बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) और (बी) एसआर के मोचन मूल्य में से, जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। जहां एसआर संबंधित योजना में लिखत के तहत सौंपी गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हैं, वहाँ एससी/एआरसी से प्राप्त एनएवी को मूल्यांकन के लिए माना जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निर्देश, 2025 के संदर्भ में, जहां एक एआरसी को निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर ऋण हस्तांतरित किया जाता है और प्रतिफल में केवल भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत नकद और एसआर शामिल होते हैं, किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है। इस तरह के सरकार-गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर किया जाता है, जो लिखत के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर होता है। एसआर और संबंधित लिखत में निवेश अन्यथा आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 द्वारा शासित होता है।

3.6. उचित मूल्य पदानुक्रम

उचित मूल्य माप की विश्वसनीयता को इंगित करने के लिए, बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करता है:

- स्तर 1 - माप तिथि पर सुलभ एक-समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में असमायोजित कोटेड कीमतों पर आधारित मूल्यांकन;
- स्तर 2 - स्तर 1 में कोटेड कीमतों के अलावा अन्य इनपुट के आधार पर मूल्यांकन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आस्ति के लिए विचार योग्य हैं;
- स्तर 3 - महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट के आधार पर मूल्यांकन।

बैंक अपनी तुलन-पत्र पर स्तर 3 के निवेशों के उचित मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल अप्राप्त लाभ में से लाभांश का भुगतान नहीं करता है। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते या एफएस-रिजर्व में निर्धारित स्तर 3 के निवेशों पर निवल अप्राप्त लाभ की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से कटौती की जाती है, सिवाय उन निवेशों के संबंध में जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं और जिनमें लागू पूंजी पर्याप्तता निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम जोखिम-भारित होने की आवश्यकता होती है।

3.7. श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन और पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना श्रेणियों (जैसे, एचटीएम, एफएस और एफवीटीपीएल)

के बीच निवेश को पुनर्वर्गीकृत नहीं करता है। इस तरह के पुनर्वर्गीकरण की अनुमति केवल विशिष्ट परिस्थितियों में दी जाती है जहां निवेश के समूह को प्रबंधित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रदर्शित किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी पुनर्वर्गीकरण, यदि अनुमति दी जाती है, तो पुनर्वर्गीकरण तिथि से संभावित रूप से लागू किया जाता है, और लेखांकन उपचार आरबीआई निवेश निर्देश, 2025 के अध्याय VII के अनुसार किया जाता है।

3.8. अनर्जक आस्ति निवेश

भारि.बै. (वाणिज्यिक बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निर्देश, 2025 के तहत किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड को आवश्यक परिवर्तनों सहित निवेश को अनर्जक निवेश ("एनपीआई") के रूप में वर्गीकृत करने के लिए लागू किया जाता है। विशेष रूप से:

- ऋण लिखतों जैसे बॉण्ड या डिबेंचर और राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों के संबंध में, एक निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाता है;
- वरीयता शेयरों के संबंध में, यदि निश्चित लाभांश (संचयी या असंचयी) घोषित नहीं किया जाता है या देय होने पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाता है;
- नवीनतम तुलन-पत्र की अनुपलब्धता के कारण ₹1 प्रति कंपनी पर निर्धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में, ऐसे इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में माना जाता है;
- जहां जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी क्रेडिट सुविधा एनपीए है, वहां उसी जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों सहित) में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाता है और ठीक इसके व्यतिक्रम में भी, सिवाय इसके कि केवल वरीयता शेयरों के एनपीआई वर्गीकरण का परिणाम एनपीआई/एनपीए के रूप में समान जारीकर्ता की क्रेडिट सुविधाओं/परफॉर्मिंग प्रतिभूतियों के वर्गीकरण में स्वचालित रूप से यह परिणाम नहीं होता /को वर्गीकृत नहीं होगा;
- मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड या इसी तरह के लिखत में बदलने के मामले में, ऐसे लिखत का आस्ति वर्गीकरण अंतर्निहित ऋण का पालन करता है, और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है जब तक कि गारंटी को लागू नहीं किया जाता है और अस्वीकार नहीं किया जाता है।

एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है और इस पर लाभ एवं हानि के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाता है। एनपीआई पर ब्याज का निर्धारण केवल वसूली पर किया जाता है। हानि के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान के अलावा, जहां भी विवेकपूर्ण माना जाता है, अतिरिक्त प्रावधान करता है।

अनर्जक निवेशों का अपग्रेडेशन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें (i) ऋण लिखतों को केवल आईआरएसीपी अपग्रेडेशन मानदंड की पूर्ति पर अपग्रेड किया जाता है, (ii) वरीयता शेयरों को, जहां लागू हो, केवल सभी अतिदेय लाभांश के भुगतान पर अपग्रेड किया जाता है, और (iii) ₹1 पर निर्धारित इक्विटी लिखत को केवल मूल्यांकन का समर्थन करने वाले नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की उपलब्धता पर ही अपग्रेड किया जाता है। एक खाते को अपग्रेड करने पर, पहले से निर्धारित प्रावधान को उलट दिया जाता है और एमटीएम लाभ और हानि का सममित निर्धारण फिर से शुरू हो जाता है।

विदेशी शाखाओं में किए गए निवेश के संबंध में, वर्गीकरण और मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों अथवा मेजबान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित निवेशों, जो भी अधिक आवश्यक हो, के अनुसार किया जाता है। जहां कोई मेजबान देश के दिशा-निर्देश निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश लागू होते हैं।

3.9. निवेशों का निपटान

- एचटीएम से बिक्री: एचटीएम श्रेणी से निवेश की बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार की जाती है। किसी भी वित्तीय वर्ष में एचटीएम से बेचे गए निवेश का कुल वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। इस सीमा से अधिक की किसी भी बिक्री के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

बिक्री की निम्नलिखित श्रेणियों को 5% की सीमा से बाहर रखा गया है: (i) ओपन मार्केट परिचालन और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम समेत चलनिधि प्रबंधन परिचालन के तहत आरबीआई को बिक्री; (ii) भारत सरकार द्वारा बॉन्ड-बैक अथवा स्विच परिचालनों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की बॉन्ड-बैक; (iii) बॉन्ड-बैक अथवा स्विच परिचालनों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की बॉन्ड-बैक; (iv) जारीकर्ता द्वारा गैर-सांविधिक प्रतिभूतियों की बॉन्ड-बैक, वापसी खरीद या क्रय विकल्प का प्रयोग; (v) क्रेडिट रेटिंग में कमी या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-सांविधिक प्रतिभूतियों की बिक्री; (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के तहत एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री; और (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत अतिरिक्त बिक्री।

एचटीएम से निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण लाभ और हानि खाते में किया जाता है। एचटीएम से बिक्री पर लाभ, लागू करों का निवल और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के तहत सांविधिक रिज़र्व में अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि, 'आरक्षित पूंजी खाते' का लाभ निकालने के बाद विनियोजित की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (फिर से खरीद लेनदेन (रेपो)) निर्देश, 2025 के अनुपालन में एचटीएम से प्रतिभूतियों के रेपो को एचटीएम से बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है।

- एफएस से बिक्री: एफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिज़र्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ या हानि की राशि एफएस-रिज़र्व से अंतरित कर दी जाती है और इसे 'अन्य आय – निवेश की बिक्री पर लाभ' के तहत लाभ और हानि खाते में मूल्यांकित कर दिया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के समय एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि की राशि एफएस-रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में

अंतरित नहीं की जाती है; इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि की राशि को एफएस-रिज़र्व से पूंजी रिज़र्व में अंतरित कर दिया जाता है।

- एफवीटीपीएल से बिक्री: एफवीटीपीएल श्रेणी में निवेश की बिक्री या परिपक्वता पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।
- अनुषंगी, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम में निवेश की बिक्री: किसी अनुषंगी, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण या बिक्री से प्राप्त होने वाले किसी भी अभिलाभ या लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में रखा जाता है और, लागू करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि, 'आरक्षित पूंजी खाते' का लाभ निकालने के बाद विनियोजित की जाती है।

3.10. अधिविक्रय

बैंक अधिविक्रय (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 के यथा संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय लेनदेन करता है। अधिविक्रय की स्थिति विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए निर्मित 'सिक्वोरिटीज शॉर्ट सोल्व' (SSS) खाते में परिलक्षित होती है, जिसे मार्केट टू मार्केट आधारित श्रेणी में रखा जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। लघु स्थिति के निपटान पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।

3.11. रेपो और रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (पुनःखरीद लेनदेन (रेपो)) निर्देश, 2025 और संबंधित आरबीआई परिपत्रों के अनुसार मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा के तहत लेनदेन सहित) के लेखांकन के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को संपाश्विक उधार और ऋण लेनदेन के रूप में माना गया है, जिसमें सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के लिए एक समझौता होता है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के रूप में दर्शाया गया है; रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय के रूप में की गयी है।

3.12. निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार एक निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व ("आईएफआर") रखता है, ताकि प्रतिफल में वृद्धि से संरक्षण के लिए पर्याप्त प्रारक्षित का निर्माण किया जा सके। आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित से कम है

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या
- वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

3.13. डेरिवेटिव्स

बैंक ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप, वायदा दर करार, ब्याज दर सीमा और न्यूनतम तथा विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में मुद्रा स्वेप (क्रॉस मुद्रा स्वेप सहित), मुद्रा विकल्प (विनिमय ट्रेडेड मुद्रा विकल्प सहित), एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स और विदेशी विनिमय वायदा संविदा शामिल हैं।

बैंक दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है, अर्थात् (i) मार्केट-मेकिंग और प्रोप्राइटी ट्रेडिंग, और (ii) ऑन-बैलेंस शीट आस्तियों और देनदारियों (विदेशी मुद्रा वित्तपोषण सहित) और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की हेजिंग। डेरिवेटिव अनुबंधों को शुरुआत में या तो ट्रेडिंग डेरिवेटिव या हेजिंग डेरिवेटिव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो उस उद्देश्य के आधार पर होता है जिसके लिए अनुबंध किया जाता है।

बैंक द्वारा किए गए डेरिवेटिव लेनदेन एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) पर बैंक की आंतरिक नीति द्वारा शासित होते हैं, जो अनुमत प्रकार के वित्तीय डेरिवेटिव लिखतों, उनके उपयोग के दायरे, अनुमोदन प्रक्रियाओं और खुली स्थिति सीमाओं, स्टॉप-लॉस सीमाओं और प्रतिपक्ष जोखिम सीमाओं सहित परिचालन सीमाओं को निर्धारित करता है।

हेज डेजिग्रेशन, दस्तावेजीकरण और प्रभावी मूल्यांकन

जहां एक डेरिवेटिव अनुबंध को हेज के रूप में नामित किया जाता है, बैंक, हेजिंग संबंध की शुरुआत में, औपचारिक रूप से हेज वस्तु (आस्ति या देयता), हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम की प्रकृति, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज करने के लिए कार्यनीति, और हेजिंग संबंध की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली दस्तावेजीकृत करता है।

हेज की प्रभावशीलता का पता हेज की शुरुआत में लगाया जाता है और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। हेज प्रभावशीलता को उस डिग्री से मापा जाता है जिसके लिए हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो हेज किए गए जोखिम के लिए जिम्मेदार होते हैं, विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या केश फ्लो में परिवर्तन से ऑफसेट होते हैं।

बैंक हेज लेखांकन को संभावित रूप से बंद कर देता है जब (ए) हेजिंग लिखत समाप्त हो जाता है या बेचा जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या प्रयोग किया जाता है; (बी) हेज अब हेज अकाउंटिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करता है; (ग) हेज किए गए पूर्वानुमान लेन-देन के अब होने की संभावना नहीं है; या (डी) बैंक हेज डेजिग्रेशन को रद्द कर देता है। हेज लेखांकन को बंद करने पर, हेज की गई वस्तु की वहन राशि के लिए शेष उचित मूल्य समायोजन, लाभ और हानि खाते में तुरंत मूल्यांकन करता है।

3.14 मूल्यांकन और लेखांकन डेरिवेटिव्स

बैंक, इस्टिमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस11) और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हेतु लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट (संशोधित 2021) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारि.बै.) विनियामक फ्रेमवर्क समय-समय पर यथालागू के साथ पठित द्वारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का लेखा करता है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 दिनांक नवंबर 28, 2025 (भारि.बै. के पिछले मास्टर निर्देश के स्थान पर लागू होगा) निर्देश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023);
- मास्टर निर्देश – भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव्स) निर्देश, 2025 [अधिसूचना सं. FMRD.DIRD.07/14.03.046/2025-26 दिनांक दिसंबर 8, 2025, 1 मार्च, 2026 से प्रभावी, जो रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव

लेनदेन के संबंध में जून, 2019 में जारी रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव पर पूर्व-फ्रेमवर्क को प्रतिस्थापित करता है;

- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम के हेजिंग पर भारि.बै. निर्देश दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के साथ पठित मास्टर निर्देश – जोखिम प्रबंधन और अंतरबैंक लेनदेन दिनांक 5 जुलाई, 2016 (16 अप्रैल, 2025 तक अद्यतन अनुसार); और
- फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीआई), फाइनेंशियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) और फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा निर्धारित सिद्धांत, जैसा भी लागू हो।

A. ट्रेडिंग (गैर-हेज) डेरिवेटिव्स

डेरिवेटिव पोझिशनस जिन्हें हेज के तौर पर निर्धारित नहीं किया गया है (अर्थात्, ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स), उन्हें प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर 'मार्क-टू-मार्केट' किया जाता है। इससे होने वाले लाभ या हानि को 'लाभ और हानि खाते' में दर्ज किया जाता है। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर होने वाले मार्क-टू-मार्केट लाभ और हानि को 'सकल आधार' पर (बिना किसी समायोजन के) प्रस्तुत किया जाता है। पोझिटिव मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लाभ) को 'अनुसूची 11 – अन्य संपत्तियां' के तहत एक 'डेरिवेटिव संपत्ति' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निगेटिव मार्क-टू-मार्केट मूल्य (हानि) को 'अनुसूची 5 – अन्य दायित्व और प्रावधान' के तहत एक 'डेरिवेटिव दायित्व' के रूप में, अलग-अलग मदों के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है; यह प्रस्तुतीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के 'वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन' संबंधी निर्देशों, 2025 की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

ब्याज दर स्वेप से संबंधित आय और व्यय को बैलेंस शीट की तारीख तक दैनिक आधार पर उपाजित किया जाता है। ट्रेडिंग स्वेप को समाप्त करने पर होने वाले लाभ या हानि को, समाप्ति की तारीख पर, लाभ और हानि खाते में तत्काल आय या व्यय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

बी. हेज डेरिवेटिव्स

(ए) उचित मूल्य हेज

उचित मूल्य हेज के मामले में, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में होने वाले बदलाव और हेज आइटम के उचित मूल्य में होने वाले संबंधित बदलाव—जो हेज जोखिम के परिणामस्वरूप होते हैं—उन्हें बदलाव की अवधि में ही लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। जहां हेज आइटम को सामान्यतः परिशोधन लागत पर रखा जाता है, वहां हेज लेखांकन की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए उसके वहन मूल्य में समायोजन किया जाता है।

(बी) केश फ्लो हेज

केश फ्लो हेज के मामले में, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में बदलाव के प्रभावी हिस्से को सीधे 'केश फ्लो हेज रिज़र्व' शीर्षक के तहत 'रिज़र्व और सरप्लस' में दर्ज किया जाता है। एक अन्यथा प्रभावी हेजिंग संबंध का अप्रभावी हिस्सा, यदि कोई हो, तो उसे तुरंत लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

केश फ्लो हेज रिज़र्व में जमा बैलेंस को उसी अवधि (अवधियों) में लाभ और हानि खाते में फिर से वर्गीकृत (रिसाइक्ल) किया जाता है, जिस अवधि में हेज अनुमानित केश फ्लो, लाभ और हानि खाते को प्रभावित करते हैं। यदि हेज अनुमानित लेनदेन के होने की अब कोई संभावना

नहीं है, तो कैश फ्लो हेज रिज़र्व में जमा कुल लाभ या हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में फिर से वर्गीकृत कर दिया जाता है।

(सी) निवल निवेश हेज

- i. विदेशी शाखाओं को विप्रेषित पूंजी: इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हेज लेखांकन 'निवल निवेश हेजिंग' के तहत की जाती है। विदेशों में स्थित शाखाओं को विप्रेषित पूंजी की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स पर होने वाले लाभ या हानि को, हेज के प्रभावी हिस्से के लिए इकिटी (हेज रिज़र्व) में मान्यता दी जाती है; जबकि हेज के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- ii. विदेशी अनुषंगियों को विप्रेषित पूंजी: हेज लेखांकन, लेखांकन मानक 11 – 'विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव' के तहत की जाती है। एएस 11 के अनुसार, ऐसे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में होने वाले प्रीमियम को, कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के दौरान आय के रूप में परिशोधित किया जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। इसलिए, विदेशों में स्थित अनुषंगी कंपनियों को विप्रेषित पूंजी के लिए एफएक्स स्वेप/फॉरवर्ड के विनिमय अंतर पर होने वाले पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि को, विनिमय लाभ के रूप में निर्धारण किया जाता है। फॉरवर्ड प्रीमियम आय को एफएक्स स्वेप/फॉरवर्ड की परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

सी. मूल्यांकन पद्धति – विशिष्ट लिखत

ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) और फॉरवर्ड दर समझौते (एफआरए): बैलेंस शीट की तारीख तक आईआरएस / बकाया एफआरए का उचित मूल्य उस राशि के आधार पर निकाला जाता है, जो रिपोर्टिंग की तारीख से लेकर स्वेप / एफआरए समझौते के समाप्त होने तक की अवधि के लिए प्राप्त होने योग्य या भुगतान योग्य होगा; इसके लिए एफबीआईएल और एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित मार्केट-ऑब्जर्वेबल इनपुट और बेंचमार्क कर्व्स का उपयोग किया जाता है। इससे होने वाले लाभ या हानि को, जैसा भी मामला हो, डेरिवेटिव परिसंपत्ति (अनुसूची 11 के तहत) या डेरिवेटिव देयता (अनुसूची 5 के तहत) के रूप में दर्शाया जाता है।

ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) और मुद्रा वायदा: एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले ब्याज दर वायदा और मुद्रा वायदा का मूल्यांकन, संबंधित एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट की दैनिक निपटान कीमत के आधार पर किया जाता है। सभी ओपन पोजिशन को दैनिक निपटान कीमत के आधार पर 'मार्क-टू-मार्केट' किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले मार्क-टू-मार्केट लाभ या हानि का निपटान एक्सचेंज के साथ दैनिक आधार पर किया जाता है।

करेंसी ऑप्शंस: बैंक, एफआईएआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। बेचे गए ऑप्शंस पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए ऑप्शंस पर भुगतान किया गया प्रीमियम, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति या समय-पूर्व समापन पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किए जाते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर प्राप्त या भुगतान की गई राशियों को ऑप्शंस पर 'प्राप्त लाभ' या 'हानि' के रूप में निर्धारण किया जाता है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) करेंसी ऑप्शंस के मूल्यांकन के लिए, 'मार्क-टू-मार्केट' मूल्य निर्धारण हेतु प्राप्त प्रीमियम और भुगतान किए गए प्रीमियम पर विचार किया जाता है। एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस का मूल्यांकन आंतरिक मूल्य निर्धारण मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट: ट्रेडिंग के लिए किए गए और बैलेंस शीट की तारीख तक बकाया विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पुनर्मूल्यांकन एफआईएआई / एफबीआईएल द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट और फॉरवर्ड दरों पर एवं मध्य की परिपक्वता वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रक्षेपित दरों पर किया जाता है। मूल्यांकन वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसमें फॉरवर्ड लाभ या हानि को उचित यील्ड कर्व का उपयोग करके मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

हेजिंग के लिए किए गए और ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे गए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट—जो किसी अंतर्निहित लेन-देन की निपटान तिथि पर आवश्यक या उपलब्ध रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि निर्धारित करते हैं और बैलेंस शीट की तिथि पर बकाया रहते हैं—उनका लेखा-जोखा लेखांकन मानक (एएस) 11 – 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार किया जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोजिंग स्पॉट दर पर बदला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में जेनरेट होने वाले प्रीमियम या डिस्काउंट को, कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के दौरान, सीधी रेखा (स्ट्रेट-लाइन) के आधार पर व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

रद्दीकरण / समाप्ति: विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वेप के रद्दीकरण, समाप्ति या समय से पहले वितरण पर प्राप्त होने वाला या भुगतान किया जाने वाला स्वेप लाभ/हानि, और फंड के निवेश पर प्राप्त होने वाला ब्याज, रद्दीकरण, समाप्ति या समय से पहले वितरण की तारीख को आय या व्यय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस): बैंक अपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस) कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन भा.रि.बै. के दिनांक 10 फरवरी, 2022 के सीडीएस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करता है। इन दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों को सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व का उपयोग करके करना होता है; या, यदि किसी अन्य प्रॉपराइटी मॉडल के उपयोग से अधिक संतुलित मूल्यांकन प्राप्त होता है तो उस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। बैंक सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए एफआईएमएमडीए कर्व का उपयोग करता है और सीडीएस मूल्यांकन के लिए किसी भी आंतरिक प्रॉपराइटी मॉडल का उपयोग नहीं करता है। जिन सीडीएस स्थितियों में बकाया राशि है, उनका मूल्यांकन 'मार्क-टू-मार्केट' आधार पर किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को 'लाभ और हानि खाते' में दर्ज किया जाता है।

डी. उचित मूल्य पदानुक्रम

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 के अनुपालन में, बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को मापन और प्रकटीकरण के उद्देश्यों के लिए तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करता है, जो कि निम्नानुसार हैं:

स्तर	इनपुट की प्रवृत्ति	विवरण
स्तर 1	सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें	उचित मूल्य का निर्धारण, मापन की तिथि पर समान डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स के लिए सक्रिय बाजारों में उपलब्ध, बिना किसी समायोजन के उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर	इनपुट की प्रवृत्ति	विवरण
स्तर 2	ऑब्जर्वेबल मार्केट इनपुट	उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण इनपुट सक्रिय बाजारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं (उदाहरण के लिए, बेंचमार्क कर्व, एफएक्स दरें, आधार स्प्रेड, एफबीआईएल / रिफिनिटिव / ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित अस्थिरताएं)।
स्तर 3	अन ऑब्जर्वेबल इनपुट	उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जिनमें एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट ऑब्जर्वेशनल मार्केट डेटा पर आधारित नहीं होते हैं और उनके लिए प्रबंधन के निर्णय, अनुमान या मान्यताओं की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत प्रत्येक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वर्गीकरण और उससे संबंधित मात्रात्मक तथा गुणात्मक जानकारी, वित्तीय विवरणियों के नोट्स में दी गई है।

इ. स्तर 3 डेरिवेटिव्स पर निवल अप्राप्य लाभों की सुविधा

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 के अनुसार, बैंक अपने लाभ और हानि खाते में दर्ज उन निवल अप्राप्य लाभों में से लाभान्श का भुगतान नहीं करता है, जो उसकी बैलेंस शीट पर मौजूद स्तर 3 डेरिवेटिव संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन से अर्जित होते हैं। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में दर्ज स्तर 3 डेरिवेटिव्स पर ऐसे निवल अप्राप्य लाभों को, पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से, सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में से घटा दिया जाता है।

डेरिवेटिव्स पर क्रेडिट एक्सपोज़र मापन

बैंक अपने डेरिवेटिव उत्पादों पर क्रेडिट एक्सपोज़र को मापने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'करंट एक्सपोज़र मेथड' (सीईएम) का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर क्रेडिट एक्सपोज़र की गणना इन दो मदों के योग के रूप में की जाती है: (i) वर्तमान रिप्लेसमेंट लागत—जो कॉन्ट्रैक्ट का सकारात्मक 'मार्क-टू-मार्केट' मूल्य होता है (अर्थात्, वह राशि जो बैंक को 'काउंटरपार्टी' से प्राप्त होनी है); और (ii) क्रेडिट एक्सपोज़र में भविष्य में होने वाले संभावित बदलावों के लिए एक राशि—जिसकी गणना कॉन्ट्रैक्ट की 'अनुमानित मूलधन' राशि को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित 'क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर' से गुणा करके की जाती है।

इस प्रकार क्रेडिट एक्सपोज़र की गणना, भारि.बै. के निर्धारित फ्रेमवर्क के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणनाओं, काउंटरपार्टी एक्सपोज़र सीमाओं की निगरानी और क्रेडिट जोखिम संकेंद्रण विश्लेषण के लिए आधार का कार्य करता है।

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम शमन और कोलेटरल

बैंक उन काउंटरपार्टियों के साथ डेरिवेटिव लेन-देन करता है, जिनकी व्यावसायिक स्थिति और वित्तीय स्थिति का आंतरिक रूप से मूल्यांकन और अनुमोदन किया गया है और जिनके लिए बैंक ने उचित क्रेडिट और एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित की हैं। लेन-देन में प्रवेश करने से पहले,

एक्सपोज़र के वास्तविकता के निर्धारण की स्थिति में, काउंटरपार्टी की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन किया जाता है।

उन विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेन-देनों के लिए, जिनका निपटान केंद्रीय रूप से नहीं होता, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय काउंटरपार्टी बैंकों और चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ 'इंटरनेशनल स्वेप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन' (आईएसडीए) के 'मास्टर एग्रीमेंट्स' और साथ ही 'क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स' (सीएसए) समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत, कवर किए गए लेन-देनों पर 'मार्क-टू-मार्केट एक्सपोज़र' को, पक्षों के बीच तय की गई शर्तों के अनुसार, मार्जिन के आदान-प्रदान के माध्यम से कोलेटरलाइज़ (सुरक्षित) किया जाता है।

जहां उचित समझा जाए, बैंक क्रेडिट अनुबंधों को ट्रिगर घटनाओं के रूप में निर्धारित करता है, जिसके तहत बैंक प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम को कम करने और परिणामस्वरूप प्रावधान जोखिम को न्यूनतम करने के लिए अतिरिक्त कोलेटरल की मांग कर सकता है या डेरिवेटिव लेनदेन को समाप्त कर सकता है।

एफ. डेरिवेटिव प्राप्यों पर प्रावधानीकरण

भारि.बै. के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाली कोई भी रकम—जिसमें निर्धारित रकम, साथ ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के तहत भविष्य में मिलने वाली रकम का पॉज़िटिव मार्क-टू-मार्केट मूल्य शामिल है—अगर 90 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया और बिना चुकाई हुई रहती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के माध्यम से वापस ले लिया जाता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के निर्धारित पॉज़िटिव मार्क-टू-मार्केट मूल्य को दर्शाने वाली बकाया रकम को, अगर वह 90 दिन या उससे ज़्यादा समय तक बिना चुकाई हुई रहती है, तो उधारकर्ता के खाते में अंतरित कर दिया जाता है और उसे अनर्जक आस्तियां (एनपीए) माना जाता है। इस तरह वापस ली गई राशि को, भविष्य में प्राप्य राशि से जुड़े पॉज़िटिव मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के साथ मिलाकर, अनुसूची 5 – 'अन्य देयताएं और प्रावधान' (सस्पेंस खाता – निर्धारित रकम / सस्पेंस खाता – पॉज़िटिव एमटीएम) के तहत एक अलग सस्पेंस खाते में रखा जाता है।

यदि किसी डेरिवेटिव काउंटरपार्टी को 'अनर्जक' (गैर-निष्पादित) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बैंक ऐसी काउंटरपार्टी के डेरिवेटिव अनुबंधों के 'पॉज़िटिव मार्क-टू-मार्केट मूल्य' से संबंधित, बकाया और भविष्य में प्राप्त होने वाली पूरी राशि के लिए प्रावधान करता है। उसी काउंटरपार्टी के साथ किए गए अन्य डेरिवेटिव अनुबंधों पर हुए 'मार्क-टू-मार्केट लाभ' (यदि कोई हो), को नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप, 'लाभ और हानि खाते' के माध्यम से रिवर्स कर दिया जाता है।

जी. आकस्मिक देयताएं

विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित डेरिवेटिव अनुबंधों (जिनमें विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंध, मुद्रा स्वेप, मुद्रा विकल्प और अन्य ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र शामिल हैं) के कारण जेनरेट होने वाली आकस्मिक देयताओं को, बैलेंस शीट की तारीख को एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय की समापन दरों पर रिपोर्ट किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित गारंटी, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को भी इसी प्रकार एफईडीआई की समापन दरों पर रिपोर्ट किया जाता है।

एच. वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुतीकरण

डेरिवेटिव आस्तियों और डेरिवेटिव देयताओं को अनुसूची 11 – 'अन्य

आस्तिधा' और अनुसूची 5 – 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के तहत अलग-अलग लाइन मदों के रूप में, सकल आधार पर (बिना ऑफसेट किए), भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 के अनुपालन में प्रस्तुत किया जाता है। हेज लेखांकन के उपयोग से होने वाले समायोजन, जहां लागू हों, संबंधित हेज मद के वहन मूल्य में किए जाते हैं, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लेखांकन पर आईसीएआई के मार्गदर्शी नोट (संशोधित 2021) के अनुपालन में होता है।

बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय काउंटरपार्टी के पास जमा की गई प्रारंभिक मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन और डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान की राशि – जिसमें फॉरेक्स फॉरवर्ड, फॉरेक्स सेटलमेंट और रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटीकृत सेटलमेंट) सेगमेंट के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल); एनएसई करेसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए नेशनल सेक्यूरिटिज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीआईएल); बीएसई करेसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और एमसीएस करेसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शामिल हैं – बैंक के डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, 'अनुसूची 11 – अन्य आस्तिधा' के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। इसे डेरिवेटिव मार्क-टू-मार्केट स्थितियों से अलग रखा जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

4. अग्रिम

भारत में अग्रिमों को मानक और एनपीए अर्थात् सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल या हानि आस्तिधा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अग्रिमों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निर्देश, 2025 के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। ("आईआरएसीपी मानदंड") पैरा 4.3 में बताए गए को छोड़कर। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों को आईआरएसीपी मानदंडों या मेजबान देश के स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार वर्गीकृत और प्रदान किया जाता है, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, जो भी अधिक सख्त हो।

- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचित ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।
- 4.3 आईआरएसीपी मानदंडों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अलावा, एक सुसंगत प्रक्रिया के रूप में, बैंक ने निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों की तुलना में नीचे निर्दिष्ट दरों पर उच्च प्रावधान किए हैं:
 - जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान।
 - एनपीए उधारकर्ताओं की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर (सीसीएफ) का प्रावधान किया गया। प्रावधान उधारकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है।
 - 50% क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर (सीसीएफ) लागू करके एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर भी प्रावधान किए जाते हैं। प्रावधान प्रतिशत उधारकर्ताओं की संबंधित निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्ग पर आधारित है।
 - मौजूदा एनपीए खातों के संबंध में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, यह कोलेटरल मुक्त हैं जैसे ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण और एनपीए की

तारीख से 6 महीने के बाद वैयक्तिक ऋण।

- एनपीए की तारीख से 2 साल के बाद मॉर्गेज संपत्तियों पर ऋण से संबंधित मौजूदा एनपीए खातों के संबंध में 100% का प्रावधान किया गया है।
- एनपीए की तारीख से 6 महीने के बाद ट्रेडरों/ टिलर/ पावर टिलरों के लिए ऋण से संबंधित मौजूदा एनपीए खातों के संबंध में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
- 4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशि रु.1 करोड़ एवं अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है। अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रूप में की जाती है।
- 4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को दबावग्रस्त ऋण का अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निर्देश, 2025 के अनुसार किया जाता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि अंतरण के समय एनबीवी से नीचे की कीमत पर दबावग्रस्त ऋण एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को डेबिट करता है, जिसमें अंतरण हुआ है। दूसरी ओर, जब दबावग्रस्त ऋण को अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष में लाभ और हानि खाते में अंतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर देता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल और/ या मोचन या सुरक्षा रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी)/जारी की गई अन्य प्रतिभूतियों के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि एआरसी द्वारा अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अलावा, इस तरह का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित है जिस तक प्राप्त नकदी अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है।
- 4.6 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को सक्रिय आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
- 4.7 पिछले वर्षों में बढ़े खाते में डाले गए ऋणों के लिए वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 4.8 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से वसूलियों को नीचे पैरा 9.6 के तहत निर्दिष्ट तरीके से विनियोजित किया जाता है।

5 अस्थायी प्रावधान:

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों से संबंधित पॉलिसी है। प्रस्तावित अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वनुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है।

6 देशीय जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुसार रखे गए विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, विशिष्ट देशीय जोखिम (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों क्रमशः निरर्थक, न्यूनतम, निम्न, मध्यम, उच्च, अत्यधिक उच्च, प्रतिबंधित में वर्गीकृत किया गया है

और भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देशीय जोखिम (निवल) कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश के एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है।

7 अचल आस्तियां

7.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य [या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो] में से संचित मूल्यहास और हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है। लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है। जब ऐसी आस्ति का/ से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है।

7.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

बैंक हर तीन साल में प्रीहोल्ड अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से सामान्य रिजर्व में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति को आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है जैसा कि पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन किया जाता है।

7.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

8 प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

संबंधित देशों के लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ सहायक कंपनियों द्वारा सृजित सांविधिक आरक्षित निधि को राजस्व और अन्य आरक्षित निधि में शामिल किया जाता है।

9 राजस्व का निर्धारण

आय, जन तक अन्यथा उल्लिखित न हो, को सामान्यतः उपार्जन के आधार पर निर्धारित की जाती है। आयकर रिफंड पर ब्याज को आयकर विभाग से रिफंड आदेश/ सूचना प्राप्त करने के उपरांत निर्धारित की जाती है। विदेशी कार्यालयों के मामले में, आय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।

9.2 शुल्क के रूप में प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री से कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय और ब्रोकरेज तथा बिल पर देय ब्याज, साख-पत्र के परिवर्धन/बैंक गारंटी के इनोवोकेशन के सापेक्ष खोले गए बैंक गारंटी खाते को प्राप्त राशि के आधार पर लेखांकन किया जाता है। है।

9.3 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में शेयरों पर लाभांश का लेखांकन प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधियों और ऐसे अन्य पूंज/ सामूहिक निवेश निधियों की इकाइयों से आय (मूल्यांकन लाभ/ हानि के अलावा) को प्राप्त आय के आधार पर निर्धारित की जाती है।

9.4 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों के मामलों में, ऐसी आय का लेखांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्राप्त राशि के आधार पर

ही किया जाता है। यदि खरीदे गए और डिस्काउंट किए गए बिलों सहित कोई अग्रिम अनर्जक आस्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो संपूर्ण ब्याज, कमीशन और इसी तरह की आय जो पिछली अवधि में अर्जित और आय खाते में जमा की गई है, उसे रिवर्स कर दिया जाएगा यदि इसे प्राप्त नहीं किया जाता है।

9.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जन-धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिए:

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के सापेक्ष
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निदेशों के अनुसार।
- अदालत के विनिर्दिष्ट निदेशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू।

कॉम्प्रोमाइज / एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली: एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

9.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन:

मानक खातों में वसूली का विनियोजन मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है:

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किए गए सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के सापेक्ष
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के सापेक्ष

10 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में उपलब्ध नकदी और एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष राशि, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन (विदेशी मुद्रा में नकद और नकद समकक्षों पर विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव सहित) शामिल हैं।

11 मूल्यहास

11.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान [पैराग्राफ 11.3 व 11.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा] निम्नलिखित तालिका के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यहास प्रावधान किया जाता है।

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यहास के प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	एयरकंडिशनिंग प्लांट, अन्य प्लांट आदि	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वेन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

11.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

11.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

11.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।

11.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है।

11.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

11.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

11.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

12 विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरूप किया गया है।

12.2 लेखा मानक (एएस) 11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू व्यवसायिक परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन और सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुबंधियों को गैर-एकीकृत के रूप में माना जाता है।

12.3 एकीकृत परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन:

ए) लेन-देन को प्रारंभ में लेन-देन की तारीख पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, उन दरों से भिन्न दरों पर जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, उन्हें आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

12.4 गैर-एकीकृत परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन:

ए. आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

बी. तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः क्लोजिंग स्पॉट और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी. फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर आय और व्यय का अंतरण किया जाता है।

डी. परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग "फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व" खाते में जमा किया जाता है।

13 कर्मचारियों को लाभ

13.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

13.2 उपदान (ग्रेच्युटी)

बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है। यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है।

13.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

13.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और शेष चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान संचित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

13.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ के लिए सेवानिवृत्ति पर संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

14 सेगमेंट रिपोर्टिंग

बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यावसायिक सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

15 लीज

लीज जहां स्वामित्व के जोखिम और लाभ पट्टाकर्ता द्वारा बनाए रखे जाते हैं, उन्हें एएस 19 (लीज) के अनुसार ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज पर ली गई संपत्ति के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में निर्धारण किया जाता है, जब तक कि भुगतान को पट्टाकर्ता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित नहीं किया जाता है।

16 प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की जाती है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

17 आय पर कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाते हुए) शामिल हैं, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी एएस 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वर्तमान कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार और लेखा मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" क्रमशः विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों पर विचार करने के बाद, जो संबंधित क्षेत्राधिकारों के कर कानूनों पर आधारित हैं, अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इनका निर्धारण किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो आय और व्यय की मदों के संबंध में विवेकानुसार विचार करने के अधीन होता है जो एक समय में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में रिवर्सल योग्य होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है, जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और कर दरों में बदलाव की देयताओं पर प्रभाव को परिवर्तन के अधिनियमन की अवधि में आय विवरण में पहचाना जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित किया जाता है और उनकी प्राप्ति को यथोचित रूप से निश्चित मानने के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को अवशोषित मूल्यहास और कर हानि के आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की लगभग निश्चितता हो और पुष्टा सबूत मौजूद हों कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के लाभों के सापेक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

18 संपत्ति की हानि

यदि आंतरिक/ बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है तो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। जहां भी किसी आस्ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, वहां आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 (आस्तियों की हानि) के अनुसार लाभ और हानि खाते में मूल्यहास हानि को मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो भी अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में अनुमानित भविष्य के केश फलों को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। इसके बाद, आस्ति के संशोधित वहन मूल्य पर शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एएस) 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक

आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व का केवल वही हिस्सा प्रदान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्गमन संभव है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

These financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949 and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 as amended from time to time.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which they materialise. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES

Classification, valuation, and operation of the Bank's investments are carried out in accordance with the *Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025* (RBI/DOR/2025-26/162 DOR. MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated November 28, 2025) ("RBI Investment Directions, 2025") and such other circulars and clarifications issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The Bank follows settlement-date accounting for recognising purchases and sales of investments.

3.1. Classification

The Bank classifies its entire investment portfolio (other than investments in its subsidiaries, associates, and joint ventures) into following categories:

- i. **Held to Maturity (HTM)** – investments acquired with the intention and objective of holding them to maturity (i.e., to collect contractual cash flows), where the contractual

terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified dates. HTM includes debentures and bonds which meet the SPPI criterion.

- ii. **Available for Sale (AFS)** – investments acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities, where the contractual terms meet the SPPI criterion. AFS securities include, inter alia, debt securities held for Asset Liability Management purposes meeting the SPPI criterion where the Bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity. At initial recognition, the Bank may make an irrevocable election to classify under AFS an equity instrument that is not held with the objective of trading.

- iii. **Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)** – investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS. Held For Trading ("HFT") is a separate sub-category within FVTPL and comprises instruments held for short-term resale, for profit from short-term price movements, for locking in arbitrage profits, or for hedging risks arising from such instruments, and such other instruments as are required to be included under HFT in terms of the RBI Investment Directions, 2025.

Investments in subsidiaries, associates, and joint ventures are held under a distinct category (sui generis), separate from HTM, AFS, and FVTPL.

The category of an investment is decided by the Bank before or at the time of acquisition, and such decision is properly documented.

For the purpose of disclosure in the Balance Sheet, investments are classified and disclosed under Schedule 8 ('Investments') under six groups: (a) Government Securities, (b) Other Approved Securities, (c) Shares, (d) Debentures and Bonds, (e) Subsidiaries and/or Joint Ventures, and (f) Others.

3.2. Initial recognition

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, the acquisition cost is presumed to be the fair value. In respect of Government Securities acquired through auction (including devolvement), switch operations, and open market operations conducted by RBI, the price at which the security is allotted is considered to be the fair value for initial recognition.

Costs such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition, and broken period interest, are charged to the Profit and Loss Account in accordance with RBI guidelines and are not capitalised as part of the acquisition cost.

3.3. Day 1 gain or loss

Where the fair value of an investment at initial recognition differs from the acquisition cost, the resulting Day 1 gain

or loss is accounted for as under:

- i. where the fair value is based on quoted prices or other observable market inputs (Level 1 or Level 2), any Day 1 gain or loss is recognised immediately in the Profit and Loss Account, under 'Other Income – Profit / Loss on revaluation of investments';
- ii. where the fair value is determined using significant unobservable inputs (Level 3), any Day 1 loss is recognised immediately in the Profit and Loss Account. Any Day 1 gain is deferred – for debt instruments, amortised on a straight-line basis up to the maturity date (or the earliest call date, for perpetual instruments); for unquoted equity instruments, set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

3.4. Subsequent measurement

- i. **Held to Maturity.** Investments classified under HTM are carried at acquisition cost (or at weighted average cost where multiple lots are held). Such investments are not marked to market after initial recognition; however, they are subject to income recognition, asset classification, and provisioning norms as prescribed by RBI. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under HTM is amortised over the remaining life of the instrument, and the amortised amount is reflected under 'Interest Earned – Income on Investments' (with a contra in Schedule 8 – Investments).
- ii. **Available for Sale.** AFS securities are fair valued at least on a quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument, and the amortised amount is reflected under 'Interest Earned – Income on Investments' (with a contra in Schedule 8 – Investments).

The Bank aggregates valuation gains and losses across all performing investments under AFS, irrespective of classification (Government Securities, Other Approved Securities, Bonds and Debentures, etc.). The net appreciation or depreciation, adjusted for the effect of applicable taxes (if any), is directly credited or debited to the 'AFS-Reserve' without routing through the Profit and Loss Account. The AFS-Reserve is reckoned as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, subject to the restrictions specified in paragraph 3.6(b) below. Unrealised gains transferred to the AFS-Reserve are not available for any distribution, including dividends and coupons on Additional Tier 1 instruments.

AFS securities are subject to income recognition, asset classification, and provisioning norms as prescribed by RBI.

iii. Fair Value through Profit and Loss

Securities classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued on a daily basis, and any valuation change is recognised in the Profit and Loss Account.

Other securities under FVTPL are fair valued at least on a quarterly basis.

Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument and reflected under 'Interest Earned – Income on Investments'. The net gain or loss on fair valuation of FVTPL securities is credited or debited to the Profit and Loss Account.

Investments made by the Bank as a Primary Dealer in Treasury Bills are held within the HFT sub-category and are valued at carrying cost, consistent with the treatment of Treasury Bills prescribed under paragraph 75 of the RBI Investment Directions, 2025.

FVTPL securities are subject to income recognition, asset classification, and provisioning norms as prescribed by RBI.

- iv. **Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures.** All investments (both debt and equity) in subsidiaries, associates, and joint ventures are carried at acquisition cost, subject to the provisions on initial recognition and Day 1 gain or loss set out above. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates, and joint ventures is amortised over the remaining life of the instrument and reflected under 'Interest Earned – Income on Investments'.

The Bank evaluates its investments in subsidiaries, associates, and joint ventures for impairment at least on a quarterly basis, having regard to indicators such as: default by the investee in repayment of debt obligations; restructuring of its loans by any bank; downgrade of its credit rating to below investment grade; continuous loss for three years with consequent reduction in net worth by 25% or more; significant decline (at least 20%) in fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more; delisting or threat of delisting for non-compliance or financial reasons; and failure to achieve break-even within the originally projected gestation period. Where a determination of impairment is required, the Bank obtains a valuation from an independent registered valuer (under Section 247 of the Companies Act, 2013) and recognises the diminution, if any, as an expense in the Profit and Loss Account. Any subsequent reversal of the diminution is recognised through the Profit and Loss Account.

Investments in Regional Rural Banks are carried at acquisition cost, subject to the impairment provisions set out above.

3.5. Fair value determination

- i. **Quoted securities.** The fair value of quoted securities is determined primarily on the basis of the prices declared by Financial Benchmarks India Private Limited ("FBIL"). Where such prices are not published by FBIL, fair value is based on quoted prices available from trades or quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms, or trading platforms authorised by RBI / SEBI, or on prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India ("FIMMDA").

ii. Unquoted SLR securities.

Treasury Bills are valued at carrying cost.

Unquoted Central and State Government securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity ("YTM") rates published by FBIL.

Other approved securities are valued applying the YTM method, marked up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity published by FBIL.

iii. Unquoted Non-SLR securities.

Unquoted debentures and bonds are valued using the YTM method with an appropriate mark-up over the YTM for Central Government securities of equivalent maturity published by FBIL / FIMMDA. The mark-up is graded by credit rating, subject to the following floors: for rated debentures / bonds, at least 50 basis points above the rate applicable to a Central Government security of equivalent maturity; for unrated debentures / bonds, not less than the mark-up applicable to rated debentures / bonds of equivalent maturity, and in any event reflective of the credit risk borne by the Bank. Where the debentures / bonds are quoted and there have been transactions within 15 days prior to the valuation date, the value adopted is not higher than the rate at which the transaction has been recorded.

Special securities directly issued by the Government of India and not carrying SLR status (including Oil Bonds, Fertiliser Bonds) are valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity published by FBIL.

UDAY bonds are valued on the basis of prices / yields published by FBIL.

Bonds issued under DISCOM financial restructuring plans are valued as under: state-government-guaranteed bonds issued and serviced by DISCOMs – 75 basis points above FBIL CG yields of equivalent maturity; other bonds issued and serviced by DISCOMs – 100 basis points; bonds issued and serviced by State Government – 50 basis points.

Preference shares are valued on YTM basis with an appropriate mark-up over FBIL CG yields of equivalent maturity, subject to the preference share not being valued above its redemption value. The mark-up is graded by rating; it is non-negative (i.e., YTM not lower than CG yield of equivalent maturity), and the rate used for unrated preference shares is not less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and appropriately reflects the credit risk borne by the Bank. Where preference dividends / coupons are in arrears, no credit is taken for accrued dividends / coupons and the value so determined is discounted further by at least 15% if arrears are for one year, by 25% if for two years, and so on (with 10% increments). Depreciation / provision on non-performing preference shares where dividends are in arrears is not set off against

appreciation on other performing preference shares. Preference shares acquired as part of project finance are valued at par for two years after commencement of production or five years after subscription, whichever is earlier.

Equity shares for which current quotations are not available, or which are classified as illiquid or unlisted, are valued at break-up value (without considering revaluation reserves, if any) as per the company's latest audited Balance Sheet. The date of such Balance Sheet shall not precede the date of valuation by more than 18 months, failing which the shares are valued at ₹1 per company. Valuations based on break-up value are treated as Level 3 for hierarchy disclosure.

Investments in mutual fund units are valued at the latest repurchase price declared by the mutual fund. In the case of funds with a lock-in period or where repurchase price / market quote is not available, units are valued at Net Asset Value ("NAV") of the scheme; if NAV is not available, at cost until the end of the lock-in period.

Commercial Paper, Certificates of Deposit, and other zero-coupon discounted instruments are valued at carrying cost.

In the absence of market value, Zero-Coupon Bonds are marked to market with reference to present value, using the Zero-Coupon Yield Curve with appropriate zero-coupon spreads published by FIMMDA / FBIL.

iv. Alternative Investment Funds (AIFs).

Quoted equity shares, bonds, and units of AIFs in the Bank's portfolio are valued mutatis mutandis in accordance with the guidelines for quoted securities.

Unquoted units of AIFs are valued at the NAV disclosed by the AIF, based on the valuation of its investments by an independent valuer at the frequency mandated by the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. Where the AIF fails to carry out and disclose such valuation at the mandated frequency, the units are valued at ₹1 per fund. Where the AIF is not registered under the SEBI (AIF) Regulations, 2012, and the latest disclosed independent valuation precedes the date of valuation by more than 18 months, the units are valued at ₹1 per fund.

Other unquoted equity or instruments issued by an AIF are valued in accordance with the methodology specified for such instruments in paragraphs 3.5.ii and 3.5.iii above.

v. Securitisation notes, Pass Through Certificates

Investments in securitisation notes (including Pass Through Certificates) are tested for compliance with the SPPI criterion. Tranches that meet the SPPI criterion (i.e., where the tranche's contractual terms give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest, the underlying pool of financial instruments meets the SPPI criterion, and the credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined

underlying pool) may be classified under HTM or AFS based on the objective of holding. Securitisation notes that do not meet the SPPI criterion (including the equity tranche) and instruments issued by Asset Reconstruction Companies predicated on recoveries from the underlying asset are classified under FVTPL.

vi. Security Receipts

Security Receipts ("SRs") obtained by way of transfer of a non-performing asset to a Securitisation Company / Asset Reconstruction Company ("SC / ARC") are recognised at the lower of (a) Net Book Value of the financial asset transferred (i.e., book value less provision held) and (b) the Redemption Value of the SR.

SRs issued by an SC / ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Where the SRs are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the NAV obtained from the SC / ARC is reckoned for valuation.

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025, where a loan is transferred to an ARC at a value higher than the Net Book Value and the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India, any excess provision is reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer. Such Government-guaranteed SRs are valued periodically on the basis of the NAV declared by the ARC based on the recovery ratings received for the instrument. Investments in SRs and related instruments are otherwise governed by the RBI (Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025.

3.6. Fair value hierarchy

In order to indicate the reliability of fair value measurement, the Bank categorises its investment portfolio into three fair value hierarchies:

- i. Level 1 – valuations based substantively on unadjusted quoted prices in active markets for identical instruments accessible at the measurement date;
- ii. Level 2 – valuations based on inputs other than Level 1 quoted prices that are observable for the asset, directly or indirectly;
- iii. Level 3 – valuations based on significant unobservable inputs.

The Bank does not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on its Balance Sheet. Further, net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve are deducted from Common Equity Tier 1 capital, except in respect of investments that meet the SPPI criterion and are required to be risk-weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable capital adequacy instructions.

3.7. Reclassification between categories

The Bank does not reclassify investments between categories (viz., HTM, AFS, and FVTPL) without the approval of its Board and the prior approval of the Department of Supervision, RBI. Such reclassification is permitted only in rare circumstances where a significant change in the manner in which a group of investments is managed can be demonstrated. Any such reclassification, if permitted, is applied prospectively from the reclassification date, and the accounting treatment is carried out in accordance with Chapter VII of the RBI Investment Directions, 2025.

3.8. Non-Performing Investments

The criterion used to classify an asset as a Non-Performing Asset (NPA) under the RBI (Commercial Banks – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 is applied mutatis mutandis to classify an investment as a Non-Performing Investment ("NPI"). In particular:

- i. in respect of debt instruments such as bonds or debentures and State Government Guaranteed Securities, an investment is classified as NPI where interest / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days;
- ii. in respect of preference shares, if the fixed dividend (cumulative or non-cumulative) is not declared or paid when due, the investment is treated as NPI;
- iii. in respect of equity shares valued at ₹1 per company on account of unavailability of the latest Balance Sheet, such equity shares are reckoned as NPI;
- iv. where any credit facility availed by the issuer is NPA, investments (including preference shares) in securities issued by the same issuer are treated as NPI, and vice versa, except that NPI classification of only the preference shares does not automatically result in classification of performing securities / credit facilities of the same issuer as NPI / NPA;
- v. in the case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, or similar instruments, the asset classification of such instruments follows that of the underlying loan, and provision is made in accordance with RBI guidelines.

Investments in Central and State Government securities are not classified as NPI. Investments in securities guaranteed by the Central Government are not classified as NPI until the guarantee is invoked and repudiated.

Once an investment is classified as NPI, it is segregated from the rest of the portfolio and is not considered for netting valuation gains and losses. Interest on NPI is recognised only on realisation. Based on management assessment of impairment, the Bank creates additional provisions over and above the RBI-prescribed minimum, wherever considered prudent.

Upgradation of Non-Performing Investments is in line with RBI guidelines, including that (i) debt instruments are upgraded only upon satisfaction of IRACP upgradation criteria, (ii) preference shares are upgraded only upon payment of all overdue dividends where applicable, and (iii) equity instruments valued at ₹1 are upgraded only upon availability of the latest audited financial statements supporting valuation. Upon an account being upgraded, any provision previously recognised is reversed, and symmetric recognition of MTM gains and losses resumes.

In respect of investments held at overseas branches, classification and valuation are carried out in accordance with the RBI guidelines or those prescribed by the host-country regulator, whichever are more stringent. Where no host-country guidelines are specified, RBI guidelines are applied.

3.9. Disposal of investments

- i. **Sales from HTM:** Sales of investments from the HTM category are undertaken in accordance with a Board-approved policy. The aggregate carrying value of investments sold out of HTM in any financial year does not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold requires prior approval of the Department of Supervision, RBI.

The following categories of sales are excluded from the 5% cap: (i) sales to RBI under liquidity management operations, including Open Market Operations and the Government Securities Acquisition Programme; (ii) repurchase of Government securities by Government of India under buyback or switch operations; (iii) repurchase of State Government securities by respective State Governments under buyback or switch operations; (iv) repurchase, buyback, or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer; (v) sales of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty; (vi) sales of securities as part of a resolution plan under the RBI (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025; and (vii) additional sales explicitly permitted by RBI.

Profit or loss on sale of investments from HTM is recognised in the Profit and Loss Account. The profit on sale from HTM, net of applicable taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve under Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949, is appropriated below the line to the 'Capital Reserve Account'. Repo of securities from HTM, compliant with the Reserve Bank of India (Repurchase Transactions (Repo)) Directions, 2025, is not treated as sale from HTM.

- ii. **Sales from AFS.** Upon sale or maturity of a debt instrument under AFS, the accumulated gain or loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS-Reserve and recognised in the Profit and Loss Account under 'Other Income – Profit on sale of investments'. In the case of equity instruments

designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments is not transferred from the AFS-Reserve to the Profit and Loss Account; instead, such gain or loss is transferred from the AFS-Reserve to the Capital Reserve.

- iii. **Sales from FVTPL.** Profit or loss on sale or maturity of investments in the FVTPL category is recognised in the Profit and Loss Account.

- iv. **Sale of investments in subsidiaries, associates, and joint ventures.** Any gain or profit arising on the reclassification or sale of an investment in a subsidiary, associate, or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and, net of applicable taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve, is appropriated below the line to the 'Capital Reserve Account'.

3.10. Short sale

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the Short Sale (Reserve Bank) Directions, 2018, as amended. The short sale position is reflected in a 'Securities Short Sold' (SSS) account specifically created for this purpose, is marked to market, and the resultant profit or loss is charged to the Profit and Loss Account. Profit or loss on settlement of the short position is recognised in the Profit and Loss Account.

3.11. Accounting for repo and reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by RBI for accounting for Market Repo and Reverse Repo transactions (including transactions under the Liquidity Adjustment Facility) in accordance with the Reserve Bank of India (Repurchase Transactions (Repo)) Directions, 2025 and related RBI circulars. Repo and reverse repo transactions are accounted for as collateralised borrowing and lending transactions with an agreement to repurchase on agreed terms. Securities sold under repo continue to be shown under investments; securities purchased under reverse repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted as interest expenditure / income.

3.12. Investment Fluctuation Reserve

The Bank maintains an Investment Fluctuation Reserve ("IFR") in accordance with RBI directions, with a view to building up adequate reserves to protect against an increase in yields. Transfer to IFR is the lower of

- i. the net profit on sale of investments during the year, and
- ii. the net profit for the year less mandatory appropriations, until the balance of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis.

3.13. Derivatives

The Bank deals in interest rate derivatives and currency derivatives. The interest rate derivatives transacted by

the Bank comprise Rupee Interest Rate Swaps (Rupee IRS), Foreign Currency Interest Rate Swaps (FCY IRS), Forward Rate Agreements (FRAs), Interest Rate Caps and Floors and Exchange Traded Rupee Interest Rate Futures (IRF). The currency derivatives transacted by the Bank comprise Currency Swaps (including Cross Currency Swaps), Currency Options (including Exchange Traded Currency Options), Exchange Traded Currency Futures and Foreign Exchange Forward Contracts.

The Bank undertakes derivative transactions for two distinct purposes, namely (i) market-making and proprietary trading, and (ii) hedging of on-balance sheet assets and liabilities (including foreign currency funding) and off-balance sheet exposures. Derivative contracts are categorised at inception as either trading derivatives or hedging derivatives, based on the purpose for which the contract is entered into.

Derivative transactions undertaken by the Bank are governed by the Bank's internal Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic), which lays down the permitted types of financial derivative instruments, the scope of their use, the approval procedures, and the operational limits including open position limits, stop-loss limits and counterparty exposure limits.

Hedge Designation, Documentation and Effectiveness Assessment

Where a derivative contract is designated as a hedge, the Bank, at the inception of the hedging relationship, formally documents the hedged item (asset or liability), the hedging instrument, the nature of the risk being hedged, the risk management objective and strategy for undertaking the hedge, and the methodology for assessing the effectiveness of the hedging relationship.

Hedge effectiveness is ascertained at the inception of the hedge and is reassessed periodically at each reporting date thereafter. Hedge effectiveness is measured by the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to the hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument, using various qualitative and quantitative methods.

The Bank discontinues hedge accounting prospectively when (a) the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised; (b) the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting; (c) the hedged forecast transaction is no longer expected to occur; or (d) the Bank revokes the hedge designation. On discontinuance of hedge accounting, the remaining fair value adjustment to the carrying amount of the hedged item, is immediately recognized in the Profit and Loss Account.

3.14. Valuation and Accounting of Derivatives

The Bank accounts for derivative contracts in accordance with the Accounting Standard 11 (AS11) and Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised

2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), read together with the following Reserve Bank of India (RBI) regulatory framework, as applicable from time to time:

- Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated November 28, 2025 (which supersede the earlier RBI Master Direction – Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023);
- Master Direction – Reserve Bank of India (Rupee Interest Rate Derivatives) Directions, 2025 [Notification No. FMRD.DIRD.07/14.03.046/2025-26 dated December 8, 2025, effective March 1, 2026], which supersede the earlier framework on Rupee Interest Rate Derivatives issued in June 2019, in respect of rupee interest rate derivative transactions;
- Master Direction – Risk Management and Interbank Dealings dated July 5, 2016 (as updated up to April 16, 2025), read together with the RBI Directions on Hedging of Foreign Exchange Risk dated April 5, 2024, in respect of foreign exchange derivative transactions; and
- the principles laid down by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI), Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL) and the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as applicable.

A. Trading (Non-Hedge) Derivatives

Derivative positions that are not designated as hedges (i.e., trading derivatives) are marked to market as at each Balance Sheet date. The resulting gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account. Mark-to-market gains and losses on trading derivatives are presented on a gross basis (without offsetting). The positive mark-to-market value (gain) is presented as a derivative asset under Schedule 11 – 'Other Assets', and the negative mark-to-market value (loss) is presented as a derivative liability under Schedule 5 – 'Other Liabilities and Provisions', as separate line items, in line with the requirements of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025.

Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on a daily basis up to the Balance Sheet date. Gains or losses on termination of trading swaps are recognised on the date of termination as immediate income or expenditure in the Profit and Loss Account.

B. Hedge Derivatives

(a) Fair Value Hedge

In the case of a fair value hedge, changes in the fair value of the hedging instrument and the corresponding changes in the fair value of the hedged item attributable to the hedged risk are recognised in the Profit and Loss Account in the period of change. Where the hedged item is otherwise carried at amortised cost, an adjustment is

made to its carrying value, in compliance with the hedge accounting requirements.

(b) Cash Flow Hedge

In the case of a cash flow hedge, the effective portion of the changes in the fair value of the hedging instrument is recognised directly in 'Reserves and Surplus' under the head 'Cash Flow Hedge Reserve'. The ineffective portion, if any, of an otherwise effective hedging relationship is recognised immediately in the Profit and Loss Account.

The accumulated balance in the Cash Flow Hedge Reserve is reclassified (recycled) to the Profit and Loss Account in the same period(s) in which the hedged forecast cash flows affect the Profit and Loss Account. If the hedged forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in the Cash Flow Hedge Reserve is immediately reclassified to the Profit and Loss Account.

(c) Net Investment Hedge

- i. **Capital remitted to Overseas branches:** The hedge accounting for these derivative contracts is done under 'net investment hedging'. The gains or losses on derivatives for hedging of the capital remitted to overseas branches are recognized in equity (Hedge Reserve) for the effective portion of the hedge, whereas the ineffective portion of the hedge is recognised in the Profit and Loss Account.
- ii. **Capital remitted to Overseas Subsidiaries:** The hedge accounting is done under Accounting Standard 11 – 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'. As per AS 11, the premium arising at the inception of such forward exchange contract is amortised as income over the life of the contract, and exchange differences on such contracts are recognised in the Profit and Loss Account. Hence the revaluation gains or losses on exchange differences of the FX swaps/forwards for the capital remitted to overseas subsidiaries are recognized in the exchange profit. The forward premium income is amortized over the maturity of the FX swap / forward.

C. Valuation Methodology – Specific Instruments

Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRAs): The fair value of an IRS / FRA outstanding as at the Balance Sheet date is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable for the period from reporting date to termination of the swap / FRA agreement, using market-observable inputs and benchmark curves published by FBIL and FIMMDA. The resulting profit or loss is presented as a derivative asset (under Schedule 11) or derivative liability (under Schedule 5), as the case may be.

Interest Rate Futures (IRF) and Currency Futures: Exchange traded Interest Rate Futures and Currency Futures are valued on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the relevant exchange. All open positions are marked to market

based on the daily settlement price, and the resultant mark-to-market profit or loss is settled with the exchange on a daily basis.

Currency Options: The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium received on options sold and premium paid on options bought are recorded in the Profit and Loss Account at the expiry or early termination of the option contract. The amounts received or paid on cancellation of option contracts are recognised as realised gains or losses on options. For valuation of over-the-counter (OTC) currency options, the premium received and premium paid are considered for arriving at the mark-to-market value. Exchange Traded Currency Options are valued using internal pricing models.

Foreign Exchange Forward Contracts: Foreign exchange forward contracts undertaken for trading and outstanding as at the Balance Sheet date are revalued at the closing spot and forward rates as notified by FEDAI / FBIL and at interpolated rates for contracts of interim maturities. Valuation is considered on a present value basis, with the forward profit or loss discounted to the valuation date using the appropriate yield curve. The resulting gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign exchange forward contracts entered into for hedging and not intended for trading, that establish the amount of reporting currency required or available at the settlement date of an underlying transaction and remain outstanding at the Balance Sheet date, are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 11 – 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'. Such contracts are translated at the closing spot rate, and the premium or discount arising at the inception of the contract is amortised as expense or income over the life of the contract on a straight-line basis.

Cancellation / Termination: Swap gain/loss receivable or payable and interest on outlay of funds receivable on cancellation, termination or early delivery of foreign exchange forward contracts and swaps are recognised as income or expense on the date of cancellation, termination or early delivery.

Credit Default Swaps (CDS): The Bank values its Credit Default Swap (CDS) contracts in accordance with the RBI guidelines on CDS dated February 10, 2022, under which banks are required to value CDS contracts using the daily CDS curve published by FIMMDA, or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions and does not use any internal proprietary model for CDS valuation. CDS positions, where outstanding, are marked to market and the resulting gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account.

D. Fair Value Hierarchy

In compliance with the Reserve Bank of India

(Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, the Bank categorises its derivatives portfolio into three fair value hierarchies for measurement and disclosure purposes, as set out below:

Level	Nature of Inputs	Description
Level 1	Quoted prices in active markets	Fair value is determined using unadjusted quoted prices in active markets for identical derivative instruments at the measurement date.
Level 2	Observable market inputs	Fair value is determined using valuation techniques in which all significant inputs are directly or indirectly observable in active markets (e.g., benchmark curves, FX rates, basis spreads, volatilities published by FBIL / Refinitiv / Bloomberg).
Level 3	Unobservable inputs	Fair value is determined using valuation techniques in which one or more significant inputs are not based on observable market data and require management judgment, estimates or assumptions.

The classification of each derivative contract within the fair value hierarchy and the related quantitative and qualitative information are disclosed in the notes to the financial statements.

E. Treatment of Net Unrealised Gains on Level 3 Derivatives

In accordance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, the Bank does not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account that arise from the fair valuation of Level 3 derivative assets and liabilities on its Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account are deducted from Common Equity Tier 1 (CET 1) capital for capital adequacy computation purposes.

Credit Exposure Measurement on Derivatives

The Bank measures credit exposure on its derivative products using the Current Exposure Method (CEM) prescribed by the Reserve Bank of India. Under this method, credit exposure on each derivative contract is computed as the sum of (i) the current replacement cost, being the positive mark-to-market value of the contract (i.e., the amount the Bank stands to receive from the counterparty), and (ii) an amount for potential future changes in credit exposure, computed by multiplying the notional principal amount of the contract by the credit conversion factor prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

The credit exposure so computed forms the basis for capital adequacy computations under the prescribed RBI framework, for monitoring of counterparty exposure limits, and for credit risk concentration analysis.

Counterparty Credit Risk Mitigation and Collateral

The Bank enters into derivative transactions with counterparties whose business standing and financial position have been evaluated and approved internally, against whom the Bank has set up appropriate credit and exposure limits. The ability of the counterparty to honour its obligations in the event of crystallisation of the exposure is assessed prior to entering into the transaction.

For non-centrally cleared foreign exchange and derivative transactions, the Bank, in line with the regulatory requirements prescribed by the Reserve Bank of India, has entered into International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreements together with Credit Support Annex (CSA) agreements with major international counterparty banks and select Indian financial institutions. Under these arrangements, the mark-to-market exposure on covered transactions is collateralised through the exchange of margin in accordance with the terms agreed between the parties.

Where considered appropriate, the Bank stipulates credit covenants as trigger events under which the Bank may call for additional collateral or terminate the derivative transaction, in order to mitigate counterparty credit risk and minimise the consequent provisioning exposure.

F. Provisioning on Derivative Receivables

Pursuant to the extant RBI guidelines, any receivables under derivative contracts comprising crystallised receivables, as well as the positive mark-to-market value in respect of future receivables under the derivative contract, which remain overdue and unpaid for more than 90 days, are reversed through the Profit and Loss Account. Overdue receivables representing crystallised positive mark-to-market value of a derivative contract are transferred to the account of the borrower and treated as non-performing assets, if these remain unpaid for 90 days or more. Such reversed amounts, together with positive mark-to-market values pertaining to future receivables, are held in a separate suspense account under Schedule 5 – ‘Other Liabilities and Provisions’ (Suspense Account – Crystallised Receivables / Suspense Account – Positive MTM).

Where a derivative counterparty has been classified as non-performing, the Bank makes provision for the entire amount of overdue and future receivables relating to the positive mark-to-market value of derivative contracts of such counterparty. Mark-to-market gains on other derivative contracts with the same counterparty, if any, are reversed through the Profit and Loss Account, in line with regulatory expectations.

G. Contingent Liabilities

Contingent liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies (including foreign exchange forward contracts, currency swaps, currency options and other off-balance sheet exposures) are reported at the closing rates of exchange notified by FEDAI as at the Balance Sheet date. Contingent liabilities in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations denominated in foreign currencies are similarly reported at the FEDAI closing rates.

H. Presentation in Financial Statements

Derivative assets and derivative liabilities are presented as separate line items under Schedule 11 – 'Other Assets' and Schedule 5 – 'Other Liabilities and Provisions', respectively, on a gross basis (without offsetting), in compliance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025. Adjustments arising from the application of hedge accounting are made to the carrying value of the related hedged item, where applicable, in compliance with the ICAI Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021).

Initial margin, variation margin and default fund contributions placed by the Bank with recognised central counterparties – including the Clearing Corporation of India Limited (CCIL) for the forex forward, forex settlement and Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segments; the National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCIL) for the NSE Currency Derivatives segment; the Indian Clearing Corporation Limited for the BSE Currency Derivatives segment; and Multi Commodity Exchange Clearing Corporation for the MCX Currency Derivatives segment – in respect of the Bank's derivative transactions, are presented under Schedule 11 – 'Other Assets', separately from the derivative mark-to-market positions, in line with the requirements of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025.

4. ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard and NPA viz. Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025, as amended from time to time. ("IRACP norms") except as stated in para 4.3. Advances made by overseas branches are classified and provided for in accordance with the IRACP norms or local laws and regulations of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- 4.2 Advances are presented net of specific loan loss provisions, interest suspense, amounts received and held in suit-filed Sundry Deposits and claims received.

- 4.3 Further to the provisions stipulated under the IRACP norms, as a consistent practice, the Bank has made higher provisions at rates specified below as compared to minimum prescribed under IRACP norms, in respect of the following categories:

- Provision of 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provisions are also made on non-fund-based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provisioning percentage is based on the asset class of the related fund-based facility of the Borrowers
- Provision of 100% is made in respect of existing NPA accounts that are collateral free viz. auto loan, education loan and personal loan after 6 months from the date of NPA.
- Provision of 100% is made in respect of existing NPA accounts pertaining to loan against mortgage properties after 2 years from the date of NPA.
- Provision of 100% provision is made in respect of existing NPA accounts pertaining to loans for tractors/ tiller/ power tillers after 6 months from the date of NPA.

- 4.4 In respect of Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are ₹1 crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the Bank as per RBI guidelines.

- 4.5 Transfer of stressed loan to Asset Reconstruction Company (ARC) is carried out in accordance with Reserve Bank of India (Commercial Banks - Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025. In accordance with the guidelines, if stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, the Bank debits the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, the Bank reverses the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

- 4.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by RBI.

- 4.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

4.8 Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs) are appropriated in the manner specified under para 9.6 below

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 PROVISION FOR COUNTRY EXPOSURE

In addition to the specific provisions held according to asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, Insignificant, Very Low, Low, Medium, High, Very High, Restricted and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

7 FIXED ASSETS

7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit from / functioning capability of such assets. Profit/loss on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

7.2 Revaluation of immovable properties

The Bank revalues freehold immovable properties every three years. The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to General Reserve. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7.3 Premises include land and building under construction.

8 RESERVES AND SURPLUS

Statutory Reserves created by foreign branches/subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries are included under Revenue and other Reserves.

9 REVENUE RECOGNITION

9.1 Income unless stated otherwise is generally recognized on an accrual basis. Interest on income tax refund is

recognised on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In the case of foreign offices, income is recognized as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

9.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Bill Past Due, Bank Guarantee (BPD-BG) Account opened against development of Letter of Credit/ invocation of Bank Guarantee are accounted for on realisation basis.

9.3 Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realization basis. Income (other than valuation gain / loss) from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled / collective investment funds is recognized on realisation basis

9.4 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

9.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts:

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

9.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts:

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

10 CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

11 DEPRECIATION

11.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 11.3 and 11.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipment's	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	Bank's own Premises		
	- RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	- Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

11.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

11.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life more than 2 years and in excess of original cost in of ₹50,000/- is classified as Intangible asset and amortized over a period of 3 years. Other items of computer software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

11.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

11.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/ put to use.

11.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortized over the period of lease.

11.7 The increase in Net Book Value of the asset due to the latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

11.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non-Integral Operations. Foreign exchange operations of domestic business and Representative Offices are treated as Integral Operations and all Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non-Integral Operations.

12.3 Foreign currency transactions in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded at the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI as at every reporting date.

c) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

12.4 Foreign currency transactions in respect of Non-Integral Operations:

a. Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of the reporting period.

b. Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.

c. Income and expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of the reporting period.

- d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 EMPLOYEE BENEFITS

13.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

13.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

13.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees' Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

13.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

13.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

14 SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the

Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15 LEASES

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments for assets taken on operating lease are recognised as an expense in the Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term, unless the payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increase.

16 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit for the period by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

17 TAXES ON INCOME

Income tax expense comprises of current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI.

Current tax expense is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after considering taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year. These are recognized and reassessed at every reporting date subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

18 IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized in Profit and Loss account in accordance with AS-28 (Impairment of Assets) issued by ICAI, wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. Subsequently, depreciation is provided for on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

19 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. These are assessed at regular intervals and only that part of

the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

अनुसूची-18: 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां

Schedule-18: Notes on Account for the year ended March 31, 2026

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

ए-1 (ए) पूंजी

ए-1(ए) विनियामक पूंजी की संरचना

A. Disclosure in terms of RBI requirements

A-1 Regulatory Capital

A-1(a) Composition of Regulatory Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	1,36,294.63	1,20,497.00
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	4,973.00	8,873.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	1,41,267.63	1,29,370.00
iv)	टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital	22,576.23	20,929.66
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	Total capital (Tier 1 + Tier 2)	1,63,843.86	1,50,299.66
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	10,35,433.67	8,74,581.96
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	13.16%	13.78%
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.64%	14.79%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.18%	2.40%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.82%	17.19%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	6.57%	6.80%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of shareholding of Government of India	63.97%	63.97%
xiii)	वर्ष के दौरान अर्जित प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
xiv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें : बेसल III अनुपालन से सतत ऋण लिखत कोई अन्य लिखत	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Perpetual Debt Instruments Any Other Instrument	शून्य NIL	शून्य NIL
xv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें : बेसल III अनुपालन ऋण पूंजी लिखत कोई अन्य लिखत	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Debt Capital instruments Any Other Instrument	शून्य NIL	3,500

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई 1/डीओआर./2025-26/151DOR.CAPREC.70/21-01-002/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में हुए बदलाव का विवरण निम्नानुसार है:

RBI vide circular No. RBI/DOR/2025-26/151DOR.CAPREC.70/21-01-002/2025-26 dated November 28, 2025 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.

The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance	1,034.27	1,034.27
जोड़ें: जब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	1.26	1.26
समायोजित प्रारंभिक	Adjusted Opening	1,035.53	1,035.53
अधिमानी आबंटन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Preferential allotment	-	-
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के अनुरूप योग	Addition pursuant to stock options exercised	-	-
क्यूआईपी के अनुरूप योग	Addition pursuant to QIP	-	-
अंतिम शेष राशि	Closing Balance	1,035.53	1,035.53

1) चालू वर्ष-31.03.2026 के दौरान जुटाए गए आईपीडीआई/एमटीएन (विदेशी) का विवरण

1) Details of IPDI/MTN raised in (Foreign) during the current year-31.03.2026

विवरण Particulars	मूलधन राशि Principal Amount	निर्गम की तिथि Date of Issue	ब्याज दर Rate of Interest
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

पिछले वर्ष-31.03.2025 के दौरान जुटाए गए आईपीडीआई/एमटीएन (विदेशी) का विवरण

Details of IPDI/MTN raised in (Foreign) during the previous year-31.03.2025

विवरण Particulars	मूलधन राशि Principal Amount	निर्गम की तिथि Date of Issue	ब्याज दर Rate of Interest
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

2) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I/ टियर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

2) During the year ended 31 March 2026, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

लिखत Instrument	पूंजी (टियर I/ टियर II/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/Tier II/ Additional)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टियर I / टियर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

During the year ended 31 March 2025, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

लिखत Instrument	पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
INE028A08364	टियर II Tier II	28-11-2039	15 वर्ष 15 Yrs	7.41%	3,500.00
कुल Total					3,500.00

3) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

3) During the year ended 31 March 2026, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

पूंजी (टियरI/टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity Redemption	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
टियर I Tier I	INE028A08240	13/01/2026	स्थायी Perpetual	8.15%	969.00
टियर I Tier I	INE028A08257	28/01/2026	स्थायी Perpetual	8.15%	188.00
टियर I Tier I	INE028A08216	17/07/2025	स्थायी Perpetual	8.25%	764.00
टियर I Tier I	INE028A08224	28/07/2025	स्थायी Perpetual	8.50%	981.00
टियर I Tier I	INE028A08232	17/11/2025	स्थायी Perpetual	8.50%	833.00
टियरII Tier II	INE705A08078	22/01/2026	10 वर्ष 10 years	8.64%	450.00
कुल Total					4,185.00

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

During the year ended 31 March 2025, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

पूंजी (टियरI/टियरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity Redemption	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
टियरII/ Tier II	INE028A09123	08-07-2024	15 वर्ष/15 years	8.54%	500.00
टियरII/ Tier II	INE705A08037	30-10-2024	10 वर्ष/10 years	9.15%	500.00
टियरI/ Tier I	INE028A08174	28-11-2024	स्थायी Perpetual	8.70%	1,650.00
टियरI/ Tier I	INE028A08182	18-12-2024	स्थायी Perpetual	8.99%	1,747.00
टियरII/ Tier II	INE028A08190	03-01-2025	10 वर्ष/10 years	7.44%	920.00
टियरII/ Tier II	INE705A08052	18-02-2025	10 वर्ष/10 years	8.62%	500.00
कुल Total					5,817.00

ए -1 (बी) आरक्षित पूंजी में कमी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित पूंजी में आई कमी नहीं हुई है (31 मार्च, 2025: शून्य)

A-1 (b) Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2025-26, there is no draw down from the reserves (March 31, 2025: Nil).

ए-2 आस्ति देयताएं प्रबंधन

ए) आस्ति और देयताओं की निश्चित मदों का परिपक्वता स्वरूप

A-2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Crore)

31.03.2026 एवं 31.03.2025 को As on 31.03.2026 & 31.03.2025

समय सीमा Time Bucket	एक दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8-14 Days	15-30 दिन 15-30 Days	31 दिन - 2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक- 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह तक Over 3 M - Up To 6M	6 माह से अधिक - 12 माह तक Over 6 M - Up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक Over 1 Yr - Up To 3 Yr	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक Over 3 Yr - Upto 5 Yr	5 वर्ष से अधिक Over 5 Yr	कुल Total
जमा राशियाँ Deposits	20,638.35 (16272.44)	70,904.74 (56198.73)	37,091.96 (27253.76)	59,315.20 (69674.60)	79,368.08 (80806.93)	76,231.70 (79639.75)	1,28,595.82 (103284.31)	3,62,900.23 (259585.99)	3,02,850.93 (297231.51)	93,306.69 (84412.39)	4,17,283.53 (397674.44)	16,48,487.23 (1472034.85)
अग्रिम Advances	2,870.44 (4333.60)	10,914.50 (4567.11)	11,045.88 (13248.04)	17,882.89 (22219.89)	36,067.14 (26654.52)	79,448.88 (60374.23)	1,16,633.88 (87221.43)	1,80,257.58 (133734.69)	5,42,438.67 (481500.49)	1,87,875.52 (182948.85)	2,23,658.74 (192755.05)	14,09,094.12 (1209857.90)
निवेश # Investments#	1,733.16 (1587.21)	60,474.37 (93807.79)	3,720.30 (3273.65)	7,564.61 (11238.30)	17,588.09 (9651.69)	12,196.77 (10528.78)	22,472.77 (18351.65)	63,891.72 (50437.98)	64,381.38 (63073.87)	24,738.15 (23970.01)	1,03,704.39 (95790.18)	3,82,405.72 (381711.11)
उधार Borrowings	3,437.09 (9.58)	11,970.84 (34668.22)	1,034.06 (272.62)	7,721.72 (407.64)	798.15 (1341.42)	4,597.86 (610.11)	15,092.53 (9794.81)	27,937.93 (13091.25)	27,427.98 (20060.45)	15,589.20 (14948.12)	40,770.09 (28511.96)	1,56,357.45 (123716.18)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency assets	70,860.90 (62769.48)	10,052.71 (3840.37)	4,044.63 (4314.39)	10,974.10 (13363.98)	19,714.46 (13061.56)	19,961.42 (20035.91)	44,337.15 (22503.43)	43,515.08 (31951.65)	84,135.65 (69739.41)	52,544.02 (46919.71)	39,333.61 (20617.71)	3,99,493.73 (309117.60)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities	14,531.71 (9742.99)	41,186.81 (33419.14)	17,342.71 (9795.95)	19,443.01 (15958.09)	16,118.59 (17139.06)	15,601.30 (15257.92)	36,340.94 (27821.62)	58,752.56 (37515.12)	43,616.35 (43014.02)	47,863.86 (22345.14)	31,269.90 (36992.85)	3,42,067.75 (269001.90)

• कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं ।

• Figures in bracket denote previous year numbers

• आस्तियों और देयताओं का वितरण बैंक के "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2026" के अनुसार किया गया है ।

• The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2026" of the Bank.

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों (कार्यनीतिक निवेशों को छोड़कर) को 50% हेयरकट पर माना गया है, जो 31.03.2026 तक ₹ 384.55 करोड़ (31.03.2025 तक ₹ 276.46 करोड़) है और विभिन्न एक्सचेंजों के साथ रखे गए डिफॉल्ट फंड मार्जिन को छोड़कर, जो 31.03.2026 तक ₹ 3625.14 करोड़ (31.03.2025 तक ₹ 3410.88 करोड़) है।

Listed equity investments (except strategic investments) have been considered at 50% haircut as per RBI directions which amounts to ₹ 384.55 Crore as on 31.03.2026 (₹ 276.46 Crore as on 31.03.2025) and excluding default fund margin placed with various exchanges which amounts to ₹ 3625.14 Crore as on 31.03.2026 (₹ 3410.88 Crore as on 31.03.2025).

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात **b) Liquidity Coverage Ratio**
ए-2 बी(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण **A-2 b(i) Quantitative Disclosure**

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Crore)

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure	बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda	मार्च 2026 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2026		दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2025		सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2025		जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2025		मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2025	
		कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलएल) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		330,134.21		323,025.78		318,555.56		322,607.85		301,971.76
नगद आउट फ्लो / Cash Outflows											
2	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमें से: Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	937,338.69	84,635.53	913,149.64	82,356.97	907,392.69	81,799.99	874,626.30	78,779.06	859,541.42	77,447.48
(i)	स्थिर जमाएं Stable Deposits	181,966.92	9,098.35	179,159.93	8,958.00	178,785.50	8,939.27	173,671.29	8,683.56	170,133.31	8,506.67
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं Less Stable Deposits	755,371.77	75,537.18	733,989.71	73,398.97	728,607.19	72,860.72	700,955.01	70,095.50	689,408.11	68,940.81
3	असुरक्षित होल्सेल निधियन जिसमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	323,108.50	195,198.25	303,075.86	181,802.09	297,775.00	180,113.64	303,648.36	181,415.53	294,069.69	175,931.87
(i)	असुरक्षित ऋण Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Non-operational deposits (all counterparties)	323,108.50	195,198.25	303,075.86	181,802.09	297,775.00	180,113.64	303,648.36	181,415.53	294,069.69	175,931.87
(iii)	गैर जमानती कर्ज Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सुरक्षित होल्सेल निधियन Secured wholesale Funding	11,999.00	0.00	30,433.54	0.00	39,827.83	0.26	31,616.87	18.27	37,945.23	31.91
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से: Additional requirements, of which	285,037.89	27,124.58	317,049.52	31,452.49	310,641.82	32,133.62	295,767.90	28,243.91	262,473.80	24,686.67
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	678.75	678.75	713.78	713.78	644.10	644.10	425.75	425.75	519.20	519.20

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Crore)

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure	बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda	मार्च 2026 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2026		दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2025		सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2025		जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2025		मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2025	
		कुल नैऋतिक मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल नैऋतिक मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल नैऋतिक मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल नैऋतिक मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल नैऋतिक मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	284,359.14	26,445.83	316,335.74	30,738.71	309,997.72	31,489.52	295,342.15	27,818.16	261,954.60	24,167.47
6	अन्य संचालन निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	6,648.74	6,648.74	6,389.62	6,389.62	7,563.78	7,563.78	6,288.61	6,288.61	7,072.28	7,072.28
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	101,134.28	3,034.03	94,141.08	2,824.23	90,397.02	2,711.91	87,719.47	2,631.58	88,831.90	2,664.96
8	कुल नकद आउटफ्लो TOTAL CASH OUTFLOWS	1,665,267.10	316,641.13	1,664,239.26	304,825.40	1,653,598.14	304,323.20	1,599,667.51	297,376.96	1,549,934.32	287,835.17
नकद इनफ्लो / Cash Inflows											
9	सुरक्षित ऋण (उदाहरण, रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	165.63	0.00	23.78	0.00	987.25	0.00	72.42	0.00	495.98	0.00
10	पूर्णतया अर्जक एक्सपोजर से इनफ्लो Inflows from fully performing exposures	53,021.65	44,302.24	44,570.57	34,771.04	45,319.02	35,143.96	49,870.10	39,871.27	54,104.99	44,187.52
11	अन्य नकद इनफ्लो Other cash inflows	11,581.83	11,489.10	12,844.94	12,754.95	12,309.82	12,228.91	3,899.34	3,821.28	3,452.22	3,361.80
12	कुल नकद इनफ्लो TOTAL CASH INFLOWS	64,769.11	55,791.34	57,439.29	47,525.99	58,616.09	47,372.87	53,841.86	43,692.55	58,053.19	47,549.32
		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	330,134.21	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	323,025.78	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	318,555.56	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	322,607.85	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	301,971.76
13	कुल एचव्यूएलए TOTAL HOLA		260,849.79		257,299.41		256,950.34		253,684.42		240,285.85
14	कुल नेट नकद आउटफ्लो TOTAL NET CASH OUTFLOWS		126.56%		125.54%		123.98%		127.17%		125.67%
15	लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)										

नोट: ऊपर उल्लिखित लिक्विडिटी कवरेज अनुपात जनवरी-मार्च 26 तिमाही के लिए 70 कार्य दिवसों का दैनिक औसत है।

Note: The Liquidity Coverage Ratio mentioned above is the daily average of 70 working days for the quarter Jan-Mar 2026

ए- 2 बी) (ii) गुणात्मक प्रकटीकरण :

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि अत्यधिक चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके। एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात् घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे।

एलसीओआर के दो घटक हैं:

- दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य
- कुल निवल नकद आउटफ्लो: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद आउटफ्लो' में से 'कुल अनुमानित नकद इनफ्लो' को घटाकर 'कुल निवल नकद आउटफ्लो' परिभाषित होता है

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल अस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{30 \text{ कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद आउटफ्लो}} \geq 100\%$$

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है। दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09 जून 2014 के अनुसार बैंक को 01 जनवरी 2019 से न्यूनतम एलसीआर 100% बनाए रखना होगा।

एचक्यूएलए की संरचना

चलनिधि की सुविधा के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात मार्च 2026, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 65.42% है उसके बाद न्यूनतम एसएलआर आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि एचक्यूएलए का 11.34% है। स्तर 2 की अस्तियाँ, जो स्तर 1 की अस्तियाँ की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, उन्हें शून्य माना गया क्योंकि उनकी बिक्री योग्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

A-2 b)(ii) Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity requirements for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

- The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guidelines, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. Starting from January 2017, the bank had to disclose LCR on daily average basis. Hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI guidelines on LCR dated 9th June 2014, the bank has to maintain minimum LCR of 100% with effect from January 01, 2019.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2026, Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e. 65.42% followed by Government Securities in excess of minimum SLR requirement which constitute 11.34%. Level 2 assets which are lower in quality compared to Level 1 assets, considered as zero as their marketability could not be ascertained.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल अस्तियाँ (एचक्यूएलए) High Quality Liquid Assets (HQLAs)	समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis
लेवल 1 अस्तियाँ Level 1 Assets	
हाथ में नकदी Cash in hand	1.60%
आधिक्य सीआरआर शेष Excess CRR balance	10.64%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities in excess of minimum SLR requirement	11.34%
एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियाँ (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक) Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	8.33%

बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण) Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	2.68%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएलएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 16.00 प्रतिशत सीमा तक) Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (presently to the extent of 16.00 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	65.42%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां Total Adjusted Level 1 Assets	100.00%
कुल लेवल 2ए आस्तियां Total Adjusted Level 2A Assets	0.00%
कुल लेवल 2बी आस्तियां Total Adjusted Level 2B Assets	0.00%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित. Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - Adjustment for 40% cap	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहक:

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान 100% की न्यूनतम एलसीआर विनियामक आवश्यकता पर रु. 2,60,849.79 करोड़ की औसत आवश्यकता के सापेक्ष रु. 3,30,134.21 करोड़ एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है। इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। लेवल-2 एच क्यूएलए में मुख्य रूप से एए-एवं अधिक रेटिंग प्राप्त कारपोरेट बॉण्ड एवं कमर्शियल पेपर शामिल हैं।

अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :

100% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में दिसंबर 2025 तथा मार्च 2026 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 116.94% तथा 119.74% था।

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। 31 मार्च, 2026 को कोई महत्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी।

एक 'महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद' को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि। 31 मार्च 2026 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् वैश्विक देयताओं का 11.03 रिटेल मीयादी जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 26.72% मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 4.93%, बचत जमाराशियों अर्थात् वैश्विक देयताओं का 22.19% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात् वैश्विक देयताओं का 4.87% थे।

वैश्विक परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का हमारी कुल जमाराशियों में 4.73% हिस्सा है।

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2026, had maintained average HQLA (after haircut) of ₹ 3,30,134.21 Crore as against the average minimum requirement of ₹ 2,60,849.79 Crore for maintaining regulatory minimum LCR at 100%. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Intra-period changes as well as changes over time:

The LCR on consolidated basis were 116.94% and 119.74% for the month ended December 2025 and March 2026 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There was no significant counterparty Deposit as of 31st March 2026.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of a group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product of Domestic Operations as of 31st March 2026 were Wholesale Deposits i.e. 11.03% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e. 26.72% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e. 4.93% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e. 22.19% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e. 4.87% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at domestic operations constitute 4.73% of our total deposits of Global Operations.

एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा-असंगति पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्यकताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शाई गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है। बैंक के लिए USD मुद्रा महत्वपूर्ण मुद्रा है।

बैंक के समग्र तुलन-पत्र को ध्यान में रखते हुए समेकित स्तर पर अमेरिकी डॉलर के आउटफ्लो का प्रभाव न्यूनतम है। यूएसडी टैरिटर्रीज में आउटफ्लो का प्रबंधन टैरिटर्री स्तर से किया जाता है और घरेलू ट्रेजरी के संबंध में बैंक स्तर पर पर्याप्त एचक्यूएलए बनाए रखा जाता है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल:

31 मार्च, 2026 को बैंक का डेरिवेटिव एक्सपोजर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1.	डेरिवेटिव एक्सपोजर की अनुमानित राशि	5,78,150.72
2.	वर्तमान एक्सपोजर प्रक्रिया के अनुसार एक्सपोजर	15,611.84
3.	अगले 30 दिनों के लिए निवल डेरिवेटिव्स नकदी आउटफ्लो	(256.77)

चलनिधि प्रबंधन के सकेन्द्रण के स्तर का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल ने अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे निदेशक मंडल 'जोखिम प्रबंधन समिति' और "आस्ति देयताएं प्रबंधन समिति (एलसीओ)" कहा जाता है, को सौंपा है। आरएमसीबी/ एलसीओ विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

हमारे बैंक में समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए वृहद दिशा निर्देश देती है। विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां संबंधित टैरिटर्री की एलएम नीति एवं समूह एलएम नीति, दोनों के अनुरूप स्वयं अपनी परिचालन चलनिधि या अल्पावधि चलनिधि को निरंतर आधार पर प्रबंधित करती हैं।

समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति संबंधी दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते हैं। बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं लगातार अपने व्यवसाय मॉडल तथा चलनिधि आवश्यकताओं का स्वयं प्रबंधन करती हैं। चूंकि ये वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं अतः उनकी अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते हैं। ये उस देश के दिशानिर्देशों साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, इनमें से जो ज्यादा कड़े हैं, उनके अनुसार कार्य करती हैं।

सी) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency. In order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities), bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 – LCR" and to monitor the same. For the bank, USD currency is the significant currency.

Considering the overall balance sheet of the bank, the impact of USD outflows at consolidated level is minimal. The outflows in USD of territories are managed by territory level and that of domestic operations are managed at domestic treasury where adequate HQLA is maintained at Bank level.

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure as on 31st March 2026 is as under:

S.No.	Description	(Amt in ₹ Crore)
1	Notional amount of Derivative exposure	5,78,150.72
2	Exposure as per current Exposure method	15,611.84
3	Net Derivatives cash outflows for next 30 days	(256.77)

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board" and "Asset Liability Management Committee (ALCO). The RMCB/ ALCO is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank manage their operational liquidity on an ongoing basis on their own according to their business models and liquidity requirements. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing

जाएगा। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है:

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है, की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च, 2026 तक एनएसएफआर घटकों का गैर-भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता के सापेक्ष 31 मार्च 2026 तक 121.37 % हो गया।

महत्वपूर्ण/ प्रमुख वाहक:

पूंजी, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक जमाएं और होलसेल फंडिंग, उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एसएफ) के महत्वपूर्ण वाहक हैं। संबद्ध भार लागू करने के बाद उपलब्ध स्थायी फंडिंग में पूंजी 12% रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहक की जमाराशियां 63% और होलसेल जमाराशियां 25% हिस्सेदारी करती हैं।

कुल अपेक्षित स्थिर फंडिंग मुख्य रूप से अर्जक ऋणों और प्रतिभूतियों जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, अर्जक आवासीय बंधक और उन प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं जो एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं, द्वारा संचालित होती है। संबंधित भार लागू करने के बाद ये सम्मिलित रूप से कुल आरएसएफ का 74.67% हैं।

अंतः अवधि परिवर्तन:

समेकित स्तर पर एनएसएफआर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, मार्च 2026 की स्थिति 121.37% रही, जबकि दिसंबर 2025 में यह स्थिति 118.84% थी। इस अवधि के दौरान, भारित एसएफ में ₹89,274 करोड़ की वृद्धि हुई और भारित आरएसएफ में ₹50,537 करोड़ की वृद्धि हुई।

the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2026 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 121.37 % as on 31st March 2026 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

Significant /Key Drivers:

The significant drivers of Available Stable Funding (ASF) are Capital, Retail & small business customer deposits & wholesale funding. The capital constitutes 12%, Retail deposits & small business customer deposits constitute 63% & wholesale deposits constitute 25% of Available Stable Funding after applying associated weights.

The Total Required Stable Funding is mainly driven by performing loans and securities which include financing various stake holders such as retail and small Business customers, non-financial corporate clients, performing residential mortgages and Investment in securities that do not qualify as HQLA. These together constitute for 74.67% of total RSF after applying the associated weights.

Intra Period Changes:

There was no significant change in NSFR at consolidated level as on March 2026 position at 121.37% as against Dec 2025 position of 118.84%. During the period, weighted ASF increased by ~ ₹89,274 Crore & weighted RSF increased by ~ ₹50,537 Crore

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
एसएफ मदें ASF Item						
1	पूंजी : (2+3) Capital: (2+3)	1,74,584.47	-	-	-	1,74,584.47
2	विनियामक पूंजी Regulatory capital	1,74,584.47	-	-	-	1,74,584.47
3	अन्य पूंजीगत लिखत Other capital instruments	-	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
	कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
4 रिटेल जमा और जमा लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	4,52,073.04	2,30,132.09	2,00,562.20	85,049.51	8,80,500.02
5 स्थिर जमाराशि Stable deposits	77,600.06	51,451.20	44,581.15	15,664.72	1,79,832.27
6 कम स्थिर जमाराशियाँ Less stable deposits	3,74,472.99	1,78,680.89	1,55,981.05	69,384.79	7,00,667.75
7 होल सेल फंडिंग: (8+9) Wholesale funding: (8+9)	1,09,405.27	1,19,824.99	2,17,954.98	1,39,245.61	3,46,748.73
8 परिचालनगत जमा Operational deposits	-	-	-	-	-
9 अन्य थोक वित्त पोषण Other wholesale funding	1,09,405.27	1,19,824.99	2,17,954.98	1,39,245.61	3,46,748.73
10 अन्य देयताएँ : (11+12) Other liabilities: (11+12)	22,084.35	2,68,610.64	28,977.88	5,114.24	-
11 एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएँ NSFR derivative liabilities		254.41	-	-	
12 अन्य सभी देयताएँ और इक्विटी जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	22,084.35	2,68,356.23	28,977.88	5,114.24	-
13 कुल एसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					14,01,833.22
आरएसएफ मदें RSF Item					
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					16,683.91
15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	53.63	2,627.02	-	-	1,340.32
16 अर्जक ऋण और प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	2,94,607.63	1,92,794.37	8,92,010.19	8,90,062.49
17 वित्तीय संस्थानों को स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	93.22
18 वित्तीय संस्थानों को गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	1,21,172.11	40,911.92	-	38,632.29
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, रिटेल तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, सोवरेन, केंद्रीय बैंकों तथा पीएसई को ऋण जिसमें से Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	1,55,633.14	1,39,762.54	6,51,954.56	6,55,847.51
20 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	80,516.65	1,10,715.72	2,30,221.68	2,44,982.06
21 अर्जक आवासीय मॉर्गेज, जिसमें से Performing residential mortgages, of which:	-	11,220.83	12,119.91	1,89,381.66	1,49,591.89
22 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	7,254.64	7,976.26	1,15,220.55	82,500.04
23 प्रतिभूतियाँ जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एचक्यूएलए के लिए पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	5,649.38	-	50,673.98	45,897.57

विवरण Particulars	गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
	कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
24 अन्य आस्तियाँ: (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	12,027.69	479.45	-	2,19,554.56	2,31,651.13
25 स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold		-	-	-	-
26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज की गई आस्तियाँ और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		-	-	2,737.12	2,326.55
27 एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियाँ NSFR derivative assets		-	-	-	-
28 दर्ज किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		479.45	-	-	479.45
29 अन्य सभी आस्तियाँ जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	12,027.69	-	-	2,16,817.43	2,28,845.12
30 ऑफ-बैलेंस शीट मदें Off-balance sheet items		3,44,627.52	-	-	15,311.43
31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					11,55,049.30
32 शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					121.37%

ए-3 निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

A-3 Investments

a) Composition of Investment Portfolio

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

		31.03.2026 (चालू वर्ष) 31.03.2026 (Current Year)						
		एचटीएम HTM		एएफएस AFS	एफवीटीपीएल FVTPL		अनुषंगियां, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Associates and Joint Ventures	
		लागत At cost	उचित मूल्य Fair Value		एचएफटी HFT	नॉन-एचएफटी Non-HFT	लागत At cost	उचित मूल्य Fair Value
I.	भारत में निवेश Investments in India							
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	2,73,193.73	2,69,604.73	28,741.49	24,436.03	846.08		
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	-	-	53.83	-	-		
(iii)	शेयर Shares	-	-	3,300.15	173.45	3,717.32		
(iv)	डिबेंचर और बॉण्ड Debentures and Bonds	1,579.85	1,542.93	26,892.03	-	2,450.78		
(v)	अनुषंगियां, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint Ventures						5,588.03	5,588.36
(vi)	अन्य Others	-	-	-	-	1,345.17		
	कुल: Total:	2,74,773.58	2,71,147.66	58,987.50	24,609.48	8,359.35	5,588.03	5,588.36
(vi)	मूल्यहास/ एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provisions for Impairment/NPI	-	-	724.10	-	1,048.09	-	-
	निवल: Net:	2,74,773.58	2,71,147.66	58,263.40	24,609.48	7,311.26	5,588.03	5,588.36
II.	भारत के बाहर निवेश Investments outside India							
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government Securities (including local authorities)	555.85	559.38	9,056.49	-	-		
(ii)	अनुषंगियां, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint Venture						1,159.22	1,159.22
(iii)	अन्य निवेश Other investment	857.74	795.70	1,249.27	452.16	2,995.38		
	कुल: Total:	1,413.60	1,355.07	10,305.76	452.16	2,995.38	1,159.22	1,159.22
(iv)	मूल्यहास/ एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provisions for Impairment/NPI	-	-	1.07	-	455.37	-	-
	निवल: Net:	1,413.60	1,355.07	10,304.68	452.16	2,540.00	1,159.22	1,159.22
	कुल निवेश (I+II) Total Investment (I+II)	2,76,187.18	2,72,502.73	68,568.08	25,061.64	9,851.26	6,747.25	6,747.58

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

		31.03.2025 (पिछला वर्ष) 31.03.2025 (Last Year)							अनुबंधित, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Associates and Joint Ventures		
		एचटीएम HTM		एफएस AFS		एफवीटीपीएल FVTPL		नॉन-एचएफटी Non-HFT	लागत At cost	उचित मूल्य Fair Value	
		लागत At cost	उचित मूल्य Fair Value			एचएफटी HFT	नॉन-एचएफटी Non-HFT				
I.	भारत में निवेश Investments in India										
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	2,64,483.96	2,67,743.18	61,041.28		2,421.88	161.58				
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	-	-	55.27		-	-				
(iii)	शेयर Shares	-	-	3,885.92		6.65	3,367.40				
(iv)	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	2,877.08	2,791.11	22,428.32		-	3,719.63				
(v)	अनुबंधित, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint Ventures								4,804.79	4,800.40	
(vi)	अन्य Others	-	-	-		-	1,224.53				
	कुल: Total:	2,67,361.04	2,70,534.30	87,410.79		2,428.53	8,473.13		4,804.79	4,800.40	
(vi)	मूल्यहास/ एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provisions for Impairment/NPI	-	-	628.82		-	1,137.68		-	-	
	निवल: Net:	2,67,361.04	2,70,534.30	86,781.97		2,428.53	7,335.45		4,804.79	4,800.40	
II.	भारत के बाहर निवेश Investments outside India										
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government Securities (including local authorities)	886.08	888.07	8867.53		-	-				
(ii)	अनुबंधित, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint Venture								2,034.31	2,034.31	
(iii)	अन्य निवेश Other investment	495.56	430.91	1,789.15		-	3,025.43				
	कुल: Total:	1,381.64	1,318.98	10,656.68		-	3,025.43		2,034.31	2,034.31	
(iv)	मूल्यहास/ एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provisions for Impairment/NPI	-	-	0.97		-	410.43		-	-	
	निवल: Net:	1,381.64	1,318.98	10,655.72		-	2,615.00		2,034.31	2,034.31	
	कुल निवेश (I + II) : Total Investment (I + II)	2,68,742.68	2,71,853.27	97,437.69		2,428.53	9,950.45		6,839.10	6,834.71	

बी) बैलेंस शीट पर उचित मूल्य पर मापा गया निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

b) Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

	प्रकार TYPE	31 मार्च, 2026 (चालू वर्ष) 31st March 2026 (Current Year)							
		एएफएस AFS				एफवीटीपीएल FVTPL			
		लेवल 1 Level 1	लेवल 2 Level 2	लेवल 3 Level 3	कुल Total	लेवल 1 Level 1	लेवल 2 Level 2	लेवल 3 Level 3	कुल Total
I.	भारत में निवेश Investments in India								
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	28,741.49	-	-	28,741.49	25,282.11	-	-	25,282.11
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	-	-	53.83	53.83	-	-	-	-
(iii)	शेयर Shares	2,762.23	-	537.92	3,300.15	288.72	222.79	3,379.27	3,890.78
(iv)	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	-	26,892.03	-	26,892.03	-	2,383.23	67.55	2,450.78
(v)	अनुषंगीयाँ, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint ; Ventures								
(vi)	अन्य Others				-	428.45	-	916.71	1,345.16
	कुल :Total :	31,503.72	26,892.03	591.75	58,987.50	25,999.28	2,606.02	4,363.53	32,968.83
II.	भारत से बाहर निवेश Investments outside India								
(vii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government Securities (including local authorities)	8808.4	247.02	1.07	9,056.49	-	-	-	-
(viii)	अनुषंगीयाँ, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint Venture								
(ix)	अन्य निवेश Other investment	1249.27	-	-	1,249.27	2992.14	-	455.37	3,447.51
	कुल: Total:	10057.67	247.02	1.07	10,305.76	2992.14	-	455.37	3,447.51
	कुल निवेश (I+II) Total Investment I + II	41,561.39	27,139.05	592.82	69,293.26	28,991.42	2,606.02	4,818.90	36,416.34

	प्रकार TYPE	31 मार्च, 2025 (पिछला वर्ष) 31st March 2025 (Previous Year)							
		एएफएस AFS				एफवीटीपीएल FVTPL			
		लेवल 1 Level 1	लेवल 2 Level 2	लेवल 3 Level 3	कुल Total	लेवल 1 Level 1	लेवल 2 Level 2	लेवल 3 Level 3	कुल Total
I.	भारत में निवेश Investments in India								
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	61,041.28	-	-	61,041.28	2,583.46	-	-	2,583.46
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	-	-	55.27	55.27	-	-	-	-
(iii)	शेयर Shares	3,412.76	-	473.16	3,885.92	214.21	215.34	2,944.49	3,374.04
(iv)	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	-	22,428.32	-	22,428.32	-	3,546.53	173.10	3,719.63
(v)	अनुषंगीयाँ, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint ; Ventures	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	अन्य Others	-	-	-	-	209.49	-	1,015.04	1,224.53
	कुल :Total :	64,454.04	22,428.32	528.43	87,410.79	3,007.16	3,761.87	4,132.63	10,901.66
II.	भारत से बाहर निवेश Investments outside India								
(vii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government Securities (including local authorities)	8,104.00	762.57	0.97	8,867.54	-	-	-	-
(viii)	अनुषंगीयाँ, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम Subsidiaries, Associates and Joint Venture	-	-	-	-	-	-	-	-
(ix)	अन्य निवेश Other investment	1,789.15	0.00	0.00	1,789.15	2,615.00	-	410.43	3,025.43
	कुल: Total:	9,893.15	762.57	0.97	10,656.69	2,615.00	-	410.43	3,025.43
	कुल निवेश (I+II) Total Investment I + II	74,347.19	23,190.89	529.40	98,067.48	5,622.16	3,761.87	4,543.06	13,927.09

सी) एफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय साधनों पर निवल लाभ/ (हानि)

c) Net gain / (loss) on level 3 financial instruments recognized in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

	31.03.2026	31.03.2025
जनरल रिजर्व मान्यता प्राप्त Recognised in General Reserve	946.25	946.25
एफएस रिजर्व में मान्यता प्राप्त Recognised in AFS Reserve	98.70	63.37
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त Recognised in Profit and Loss Account	284.94	491.97

नोट: इस प्रकटीकरण में लेवल 3 आस्तियां शामिल नहीं हैं, जहां आस्ति का मूल्यांकन आस्ति के लिए FBIL/FIMMDA द्वारा घोषित मूल्य है।

Note: This disclosure excludes Level 3 assets where the valuation of the asset is the price declared by FBIL / FIMMDA for the asset.

डी) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी को /से बिक्री एवं अंतरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/ अंतरण का मूल्य, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश का बही-मूल्य 5.0% से अधिक नहीं रहा। एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण में प्रतिभूतियों का एक बारगी अंतरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप एसएलआर धारिताओं को कम करने के लिए एचटीएम से सीधे बिक्री, ओपेन मार्केट परिचालन कार्रवाई और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत आरबीआई को बिक्री और बायबैक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद या स्विच परिचालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण शामिल नहीं है।

d) Sales and transfer to/from Held to Maturity (HTM) Category

During the year ended March 31, 2026, the value of sales/transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5.0% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. In accordance of RBI guidelines Sales and transfers of securities to/from HTM category does not include one-time transfer of securities, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings consequent to a downward revision in SLR requirements by RBI, sales to RBI under open market operation auctions and government securities acquisition program, repurchase of government securities by Government of India and state development loans by concerned state government under buyback or switch operations and additional shifting of securities explicitly permitted by RBI.

ई) एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण

e) Details of sales made from HTM

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

	31.03.2026	31.03.2025
एचटीएम में प्रतिभूतियों का वहन मूल्य खोलना Opening carrying value of securities in HTM	2,68,742.68	2,62,135.38
वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य Carrying value of all HTM securities sold during the year	88,451.71	29,936.44
घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट दी गई स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों के मूल्यों को ले जाना Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	76,419.95	18,328.23
बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी-सी) Carrying value of securities sold (D=B-C)	12,031.75	11,608.21
एचटीएम (ई = डी÷ए) में प्रतिभूतियों के मूल्य को खोलने के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	4.48	4.43
लाभ पर बेची गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिजर्व में हस्तांतरित राशि Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	1,917.73	804.47

एफ) निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है।

f) Reclassification between categories of investments

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, there is **no reclassification** during FY 2025-26 from one category to another category.

(जी) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए प्रावधानों का संचलन g) Movement of Provisions for non-performing investments (NPIs) and Investment Fluctuation Reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars		31 मार्च 2026 31.03.2026	31 मार्च 2025 31.03.2025
i)	अनर्जक निवेश (एनपीआई) की ओर प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards non-performing investments (NPIs)		
(ए) a)	प्रारंभिक शेष Opening balance	2,177.90	4,516.89
(बी) b)	संक्रमणकालीन समायोजन का प्रभाव - आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण Impact of Transitional Adjustment - Transfer to General Reserve as per new RBI guidelines	-	2,358.60
(सी) c)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	372.98	196.96
(डी) d)	जोड़ें /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	45.05	(1.84)
ई) e)	घटाएं : बटुटे खाते डाले गए/वर्ष के दौरान/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ exchange reval adjustment	(367.30)	175.51
एफ) f)	अंतिम शेष राशि Closing balance	2,228.63	2,177.90
ii)	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve		
(ए) a)	प्रारंभिक शेष Opening balance	2,420.00	2,420.00
(बी) b)	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	920.00	-
(सी) c)	(घटाएं): कमी Less: Drawdown	-	-
(डी) d)	अंतिम शेष राशि Closing balance	3340.00	2,420.00
iii)	एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष राशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT) category	3.16%	2.16%

नोट: उपरोक्त आंकड़े परिपक्व निवेश को छोड़कर हैं।

Note: Figures above are excluding Matured Investments

एच) गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

I. अनर्जक एसएलआर निवेश

h) Non-SLR investment portfolio

I. Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2026	31.03.2025
a)	प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	2,302.50	2,483.32
b)	वर्ष के दौरान जोड़े Additions during the year	273.31	63.78
c)	उक्त अवधि के दौरान कमी Reductions during the above period	392.22	254.57
d)	विनिमय अंतर Exchange Difference	45.05	9.97
e)	अंतिम शेष राशि Closing balance	2,228.64	2,302.50
f)	कुल धारित प्रावधान Total provisions held	2,228.64	2,170.12

नोट: उपरोक्त आंकड़े परिपक्व निवेश को छोड़कर हैं

Note: Figures above are excluding Matured Investments.

II. गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

II. Issuer composition of Non-SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement		‘निवेश ग्रेड के नीचे’ की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities		‘अनरेटेड’ प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities		‘असूचीबद्ध’ प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		मार्च/ Mar-26	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-26	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-26	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-26	मार्च/ Mar-25	मार्च/ Mar-26	मार्च/ Mar-25
a)	पीएसयू PSUs	3,793.53	3,745.27	3,059.33	2,114.17	-	-	-	-	-	-
b)	एफआई FIs	13,300.62	13,115.86	9,086.04	9,368.81	-	-	-	-	-	-
c)	बैंक Banks	20,248.65	17,776.40	8,268.50	7,721.25	-	-	34.30	30.92	34.30	30.92
d)	निजी कार्पोरेट Private Corporates	5,525.61	5,974.63	2,982.61	4,106.19	124.60	422.29	421.07	637.10	421.07	379.51
e)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम* Subsidiaries/ Joint Ventures*	6,747.25	6,839.10	6,597.25	6,522.67	-	-	-	-	-	-
f)	अन्य Others**	33,284.90	33,607.26	22,697.36	23,369.22	-	-	447.59	425.77	708.88	764.58
g)	एनपीआई हेतु धारित प्रावधान Provision held towards NPI	2,228.63	2,177.90								
	कुल Total **	80,671.93	78,880.62	52,691.09	53,202.31	124.60	422.29	902.96	1,093.79	1,164.25	1,175.01

*विदेशी अनुषंगियों में ₹1,159.22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,034.31 करोड़) के निवेश को शामिल किया गया है।

**राज्य सरकार के गैर-एसएलआर बांड में ₹ 31.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 150.17 करोड़), भारत सरकार के गैर-एसएलआर रिकैप बॉण्ड में ₹21,496.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21,496.00 करोड़) के निवेश शामिल हैं।

* Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹1,159.22 Crore (Previous Year ₹ 2,034.31 Crore)

** Includes State Gov Non SLR bonds of ₹ 31.68 Crore (Previous Year ₹ 150.17 Crore), investments in GOI NON-SLR Recap Bonds of ₹ 21,496.00 Crore (Previous Year ₹ 21,496.00 Crore).

i) रेपो लेनदेन : बाजार मूल्य (एमवी) सहित अंकित मूल्य (एफवी) के संदर्भ में भी -

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

i) Repo Transactions: in Market value (MV) terms as well as Face value (FV) terms -

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2026:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year		31 मार्च, 2026 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2026	
	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	-	14,660.22	15,053.53	2,063.29	2,088.65	14,660.22	15,053.53
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	481.79	483.39	4,075.02	4,126.64	2,551.07	2,596.01	3,603.01	3,630.82
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	-	9,585.09	9,863.39	277.74	279.43	-	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2025:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025	
	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	-	38,587.99	39,102.76	7,726.50	7,731.68	30,353.29	30,821.09
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	2,598.44	2,562.11	4,250.86	4,004.26	3,527.80	3,453.35	2,598.44	2,546.72
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo								
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	-	10,226.89	9,745.73	354.43	341.39	-	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year		31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025	
	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV	एफवी/ FV	एमवी/ MV
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

जे) त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है। ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है।

j) Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2026 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2026 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2026
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	45,300.00	18,486.83	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	-	-	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2025 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2025
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	4,131.79	50,269.22	28,386.56	4,131.79
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	-	4,223.33	178.08	1,010.14
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	-	-	-	-

के) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में) 31 मार्च 2026 एवं 2025 के अनुसार : k) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms). As at 31st March 2026 & 2025:

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily average outstanding during the year		कुल वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा Total volume of transactions during the year		को बकाया शेष Outstanding as on	
	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collat- eral under GSL transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities received as collat- eral under GSL transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

एल) एसएलआर निवेश

l) SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026		31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	
	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियाँ एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी) * Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	3,05,689.65	3,05,689.65	3,06,462.53	3,06,462.53
अनुमोदित प्रतिभूतियाँ - एसएलआर Approved sec-SLR	53.83	53.83	55.27	55.27

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/बीएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियाँ आदि शामिल हैं

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / BSE / NSE, etc

एम) मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ

m) Securities kept as margin

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार है :

The details of securities that are kept as margin are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2026	2025
i.	भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआईएल) के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities kept as margin with Clearing Corporation of India (CCIL) towards:		
	ए) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - प्रतिभूति सेगमेंट a) Collateral and funds management - Securities segment	3,150.00	2,950.00
	बी) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - संपार्श्विक ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट / त्रिपक्षीय रेपो b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	1,700.00	15,800.00
	सी) चूक निधि - फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट c) Default fund - Forex Forward segment	267.69	267.69
	डी) चूक निधि - विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट d) Default fund - Forex Settlement segment	51.92	51.92

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2026	2025
	ई) चूक निधि - रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटीड निपटान) सेगमेंट e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	13.36	13.36
	एफ) चूक निधि - प्रतिभूति सेगमेंट f) Default fund - Securities segment	15.00	15.00
	जी) चूक निधि - सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment	22.40	22.40
ii	भारतीय रिजर्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with the RBI towards:		
	ए) रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट (आरटीजीएस) a) Real Time Gross Settlement (RTGS)	5,000.00	5,000.00
	बी) रेपो संव्यवहार b) Repo transactions	14,660.22	29,741.28
	सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार c) Reverse repo transactions	-	-
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	59.00	79.00
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	1.00
v	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	0.10	0.10

एन) ए) अनर्जक निवेश

n) A) Non-Performing Investment

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars		31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
(i)	निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%) Net NPIs to Net Investment (%)	-	0.04
(ii)	अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल) Movement of NPIs (Gross)		
	(ए) प्रारंभिक शेष राशि (a) Opening balance	2,302.50	2,483.32
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (b) Additions during the year	273.31	63.78
	(सी) वर्ष के दौरान कमी (c) Reductions during the year	392.22	254.57
	(डी) विनिमय अंतर (d) Exchange Difference	45.05	9.97
	(इ) अंतिम शेष राशि (E) Closing balance	2,228.64	2,302.50
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन Movement of provisions for NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	2,170.12	2,139.11

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars		31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	372.99	256.64
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	359.52	231.01
	(डी) विनिमय अंतर (d) Exchange Difference	45.05	5.38
	(ई) अंतिम शेष (e) Closing balance	2,228.64	2,170.12
(iv)	निवल एनपीआई का संचलन Movement of Net NPIs (ii-iii)		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	132.37	344.20
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (b) Additions during the year	-	-
	(सी) वर्ष के दौरान कमी (c) Reductions during the year	132.37	216.42
	(डी) विनिमय अंतर (d) Exchange Difference	-	4.59
	(ई) अंतिम शेष (e) Closing balance	-	132.37

नोट: उपरोक्त आंकड़े परिपक्वता निवेश को छोड़कर हैं

Note: Figures above are excluding Matured Investments

(बी) परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल)

(ए) निवेश का मूल्य

B) Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets)
(a) Value of Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars		31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
(i)	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	1,123.67	1,078.08
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	258.62	231.50
(ii)	(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(ए) भारत में (a) In India	1,123.67	1,078.08
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	258.62	231.50
(iii)	(iii) निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	-	-
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-

(बी) निवेशों पर मूल्यहास (एनपीआई) के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

(b) Movement of provisions held towards non-performing investments (NPI)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
(i) प्रारंभिक शेष Opening balance	1,309.58	1,336.97
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	54.13	-
(iii) जोड़े /(घटाएँ): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	27.12	5.52
(iv) घटाएँ : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन Less: Write-back of excess provisions	8.54	32.91
(v) अंतिम शेष राशि Closing balance	1,382.29	1,309.58

ए- 4 आस्ति गुणवत्ता

A-4 Asset Quality

ए) 31.03.2026 को रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

a) Classification of advances and provision held as on March 31, 2026

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक/ Standard	अनर्जक/ Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष राशि Opening Balance	12,02,626.28	6,806.13	12,118.72	8,910.03	27,834.88	12,30,461.15
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Additions during the year					10,298.82	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					11,075.11	
अंतिम शेष राशि Closing balance	14,02,820.54	7,487.17	12,056.86	7,514.55	27,058.59	14,29,879.12
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					1,128.28	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					3,352.44	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					5,540.02	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					790.21	
v) अन्य समायोजन/अन्य विनिमय v) Other Adj/other Exchange					264.16	

विवरण Particulars	मानक/ Standard	अनर्जक/ Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेष राशि Opening balance of provisions held	7,435.84	2,232.72	8,829.57	8,686.72	19,749.01	27,184.85
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					7,648.03	
घटाएँ : अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल/ बट्टे खाते डाले गए ऋण * Less: Excess provision reversed/ Write-off loans*					9,577.46	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	8,783.01	2,286.03	8,180.03	7,353.52	17,819.58	26,602.59
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष राशि Opening Balance		4,415.03	2,579.21	-	6,994.24	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					5,858.73	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					6,537.41	
अंतिम शेष राशि Closing Balance		4,643.54	1,672.03	-	6,315.56	
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष राशि Opening Balance						600.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						1900.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि Less: Amount drawn down during the year						-
अस्थायी प्रावधान की अंतिम शेष राशि Closing balance of floating provisions						2500.00
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						76,369.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						7,292.48
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off-accounts during the year						6,581.82
अंतिम शेष राशि Closing balance						77,080.05

* जिसमें बट्टे खाते में डालने के कारण ₹6330.23 करोड़ और अन्य वसूली/ विनिमय अंतर/ अन्य एडीजे के लिए ₹3247.23 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

* Including provision reversal of ₹6,330.23 Crore because of write off and ₹3,247.23 Crore towards other recovery/exchange diff/ other adj

31.03.2025 को रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

Classification of advances and provisions held 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष राशि Opening Balance	10,58,672.17	7,816.01	13,117.49	10,900.13	31,833.63	10,90,505.80
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Additions during the year					9,310.13	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					13,308.88	
अंतिम शेष राशि Closing balance	12,02,626.28	6,806.13	12,118.72	8,910.03	27,834.88	12,30,461.16
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					1,019.64	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					3,300.42	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					8,243.43	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					736.92	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	7,020.93	3,640.78	9,487.83	10,675.92	23,804.53	30,825.46
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					6,929.73	
घटाएँ :अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल/बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					10,985.25	
धारित प्रावधान का अंतिम शेष राशि Closing balance of provisions held	7,435.84	2,232.72	8,829.57	8,686.72	19,749.01	27,184.85
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष राशि Opening Balance		4,036.55	3,102.07	74.72	7,213.34	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					2,338.28	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					2,557.38	
अंतिम शेष राशि Closing Balance		4,415.03	2,579.21	-	6,994.24	

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
अनियत प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष राशि Opening Balance						370.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						230.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि Less: Amount drawn down during the year						-
अनियत प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						600.00
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						75,799.32
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						9,747.50
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						9,177.43
अंतिम शेष राशि Closing balance						76,369.39

आहरण के कारणों को निम्नलिखित नोट के माध्यम से तालिका में समझा जा सकता है।

Rationale for drawdown may be explained by way of a note below the table.

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in percentage)	31.03.2026	31.03.2025
कुल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	1.89	2.26
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	0.45	0.58
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने सहित) Provision coverage ratio (including Technical W/O)	93.94	93.29
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने को छोड़कर) Provision coverage ratio (excluding Technical W/O)	76.66	74.87

बी) क्षेत्र वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sr No.	क्षेत्र Sector	31.03.2026			31.03.2025		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,90,259.16	8,449.66	4.44	1,57,513.87	7,405.99	4.70
b)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	51,287.03	2,076.88	4.05	44,035.54	2,981.46	6.77
c)	सेवाएँ Services	1,00,786.72	6,674.81	6.62	92,855.18	7,153.62	7.70
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	47,227.71	1,293.65	2.74	40,877.48	1,143.84	2.80
	उप योग (i) Subtotal (i)	3,89,560.62	18,495.00	4.75	3,35,282.07	18,684.91	5.57
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,585.43	217.54	13.72	1,530.10	193.51	12.65
b)	उद्योग Industry	2,29,002.28	2,022.10	0.88	2,12,269.27	1,283.51	0.60
c)	सेवाएँ Services	4,41,066.23	1,908.73	0.43	3,72,231.66	3,911.11	1.05
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	3,68,664.56	4,415.22	1.20	3,09,148.05	3,761.84	1.22
	उप योग (ii) Sub-total (ii)	10,40,318.50	8,563.59	0.82	8,95,179.08	9,149.97	1.02
	कुल (i + ii) Total (i + ii)	14,29,879.12	27,058.59	1.89	12,30,461.15	27,834.88	2.26

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

c) Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
कुल आस्तियां Total Assets	3,58,041.34	2,93,069.16
कुल एनपीए Total NPAs	3,100.67	4,034.62
कुल राजस्व Total Revenue	15,804.82	15,280.52

डी समाधान योजना और रिस्ट्रक्चरिंग के विवरण

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश आरबीआई/ डीओआर/ 2025-26/165 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 84/ 21.04.048/ 2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Master Direction RBI/DOR/2025-26/165DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	अवधि के दौरान समाधान योजना लागू किए गए खातों की संख्या No of Accounts where RPs Implemented during this time frame		को बकाया राशि Amount Outstanding as on	
	वित्त वर्ष 2026 FY2026	वित्त वर्ष 2025 FY2025	वित्त वर्ष 2026 FY2026	वित्त वर्ष 2025 FY2025
समाधान योजना और पुनर्गठन के अधीन अग्रिम आस्तियों की कुल राशि Total amount of Loan assets subjected to Resolution Plan & Restructuring	5	5	4,221.30	420.97
समाधान योजना और पुनर्गठन के अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of standard assets subjected to Resolution Plan & Restructuring	4	4	4,212.29	387.42
समाधान योजना और पुनर्गठन के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि The amount of NPA assets subjected to Resolution Plan & Restructuring	1	1	9.01	33.55

(ii) आरबीआई मास्टर निर्देश आरबीआई/डीओआर/2025-26/165डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के पैरा 47 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की कुछ आवश्यकताएं हैं। बैंक के पास 31 मार्च, 2026 तक 3 खातों में ₹1316.69 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। (31 मार्च, 2025 तक 4 खातों में ₹876.76 करोड़ का प्रावधान है), जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

ii) As per RBI Master Direction RBI/DOR/2025-26/165DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 on Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan have been issued, there are certain requirements of additional provisions as per para 47 of direction. The Bank is holding additional provision of ₹ 1316.69 Crore in 03 no. of accounts as on March 31, 2026 (₹ 876.76 Crore in 04 no. of accounts as on March 31, 2025) as detailed below :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (ए) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	ऋण की राशि जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना है (बी) Amount of Loans to be classified as NPA (B)	(बी) में से ऋण की वह राशि जिसे 31.03.2026 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया (सी) Amount of Loans as on 31.03.2026 out of (B) classified as NPA (C)	31.03.2025 तक रखे गए प्रावधान (डी) Provision held as on 31.03.2025 (D)	31.03.2026 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान (ई) Additional provision/ (reversal) made during quarter ended 31.03.2026 (E)	31.03.2026 तक रखे गए प्रावधान (एफ) Provision held as on 31.03.2026 (F)
3798.61	-	-	876.76	439.93	1316.69

iii) आरबीआई के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 के निर्देशों के अनुसार न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण, न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा -1- खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुल बकाया ₹ 28.82 करोड़ है, जिसके विरुद्ध बैंक आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक ₹ 24.82 करोड़ का प्रावधान रख रहा है, जिसमें अप्राप्त ब्याज के लिए प्रावधान भी शामिल है।

31 मार्च, 2025 तक, -1- खाते को न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें कुल बकाया ₹ 28.78 करोड़ था, जिसके विरुद्ध बैंक 31 मार्च, 2025 तक आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार ₹24.78 करोड़ का प्रावधान रख रहा है, जिसमें अप्राप्त ब्याज के लिए प्रावधान भी शामिल है।

बैंक के पास 31.03.2026 तक ₹208.78 करोड़ (31.03.2025 तक ₹123.31 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान है, जो विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों में आईआरएसीपी मानदंडों से अधिक है।

iii) As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, -1- account is classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 28.82 Crore against which the Bank is holding provision of ₹ 24.82 Crore as on March 31, 2026 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

As on March 31, 2025, -1- account was classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 28.78 Crore against which the Bank is holding provision of ₹ 24.78 Crore as on March 31, 2025 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

The Bank is holding additional provision of ₹208.78 Crore as of 31.03.2026 (₹ 123.31 Crore as of 31.03.2025) over and above the IRACP norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

iv) पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों का अधिग्रहण।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण प्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार आरबीआई/डीओआर/2025-26/165डीओआर.एसटीआर. आरईसी.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष Financial Year	सहभागियों (पार्टियों) की संख्या No of Parties	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
2025-26	5	26.16
2024-25	3	15.98

iv) Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

As per RBI Master Direction on "Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets" RBI/DOR/2025-26/165DOR. STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process is as under:

ई) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसटीआर.सं.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 (समय-समय पर संशोधित) में उल्लिखित शर्तों पर आधारित है।

e) Divergence in asset classification and provisioning

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended March 31, 2025, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025 (as amended from time to time)

एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

आरबीआई मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/159 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.संख्या 78 21.04.048 /2025-26 "मास्टर निर्देश - आरबीआई वाणिज्यिक -बैंक (ऋण जोखिमों का अंतरण और विवरण) निर्देश, 2025" के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

f) Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No.78/21.04.048 /2025-26 "RBI (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025" is as under:

i) "उन ऋणों के संबंध में जो चूक में नहीं हैं" #, जो अंतरित या अर्जित किए गए हैं:

1) In respect of "Loans not in default" #, that are transferred or acquired.

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्टिंग Reporting for the year ended March 31, 2026		समूहन Syndication		अन्य* Others*	
विवरण Particulars		को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
(i) "समनुदेशन" के माध्यम से अधिगृहीत/ अंतरित ऋण Loans acquired through "assignment"					
अधिगृहीत / अंतरित ऋण की कुल राशि (₹ करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired / transferred (₹ in Cr.)		-	23064.82	-	5669.97
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में) Weighted average residual maturity (In months)		-	47.50	-	139.14
भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) Weighted average holding period (In Months)		-	लागू नहीं /Not Applicable	-	25.55
अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor		-	लागू नहीं /Not Applicable	-	10%
अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (टाइम्स) Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)		-	0.63	-	1.72

	31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्टिंग Reporting for the year ended March 31, 2026	समूहन Syndication		अन्य* Others*	
	विवरण Particulars	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
(ii)	"नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores)	413.67	8724.79	-	-
(iii)	"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	-	-	-	-

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता न होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है

* ऋण जोखिम के अंतरण और संवितरण दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल को बैंक द्वारा रेटिंग नहीं दी जाती है।

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under Transfer and Distribution of Credit Risk guidelines are not rated by the Bank.

	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्टिंग Reporting for the year ended March 31, 2025	समूहन Syndication		अन्य* Others*	
	विवरण Particulars	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
(i)	"समनुदेशन" के माध्यम से अधिगृहीत/ अंतरित ऋण Loans acquired through "assignment"				
	अधिगृहीत / अंतरित ऋण की कुल राशि (₹ करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired / transferred (₹ in Cr.)	-	11,961.74	-	16,069.70
	भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में) Weighted average residual maturity (In months)	-	43.39	-	130.20
	भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) Weighted average holding period (In Months)	-	-	-	28.04
	अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	-	-	-	10.00%
	अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (टाइम्स) Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)	-	0.39	-	1.52
(ii)	"नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores)	2,923.21	6,766.15	-	-
(iii)	"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	-	-	-	2,008.66

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता न होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है।

* ऋण जोखिम के अंतरण और वितरण दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल को बैंक द्वारा रेटिंग नहीं दी जाती है।

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under Transfer and Distribution of Credit Risk guidelines are not rated by the Bank.

31 मार्च, 2026 तक समूहन (सिंडिकेशन) ऋणों का रेटिंगवार ब्यौरा निम्नानुसार है: **Rating wise breakup of Syndication loans, as on 31st March 2026, is as below:**
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

बाहरी रेटिंग / External Rating	को अंतरण / Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
ए और उससे ऊपर / A and Above	237.09	10244.47
बी और उससे ऊपर / B and above	176.58	18574.67
बी से कम / Below B	-	-
बिना रेटिंग / Unrated	-	2970.48

31 मार्च, 2025 तक समूहन (सिंडिकेशन) ऋणों का रेटिंगवार ब्यौरा निम्नानुसार है: **Rating wise breakup of Syndication loans, as on 31st March 2025, is as below:**
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

बाहरी रेटिंग / External Rating	को अंतरण / Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
ए और उससे ऊपर / A and Above	1,495.82	7645.74
बी और उससे ऊपर / B and above	812.01	9439.71
बी से कम / Below B	-	-
अनरेटेड / Unrated	615.38	1642.44

ए) अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है: **a) Details of stressed loans transferred is as under:**
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2025 to 31.03.2026			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	8	1	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	697.55	160.08	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरित के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	336.85	144.24	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2024 to 31.03.2025			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	5	-	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	379.14	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरित के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	197.79	-	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	152.34	-	-

बी) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अधिग्रहीत दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण – शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

b) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2025-26 – Nil (PY – NIL)

सी) 31.03.2026 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

c) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2026

31 मार्च, 2026 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2026		
रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (₹ राशि रु. करोड़ में) * Carrying Value* (Amount in ₹ Crore)	
आरआर1 RR1	329.41	
आरआर2 RR2	25.48	
आरआर3 RR3	-	
आरआर4 RR4	-	
आरआर 5 RR5	-	
रेटिंग वापस ली गई/अनरेटेड Rating withdrawn/Unrated	121.23	
कुल योग Grand Total	476.12	

* एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर पूरी तरह से प्रदान किए जाते हैं।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

31 मार्च, 2026 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे एसआर का वितरण Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2026		
रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (₹ राशि रु. करोड़ में) * Carrying Value* (Amount in ₹ Crore)	
आरआर1 RR1	-	
आरआर2 RR2	-	
आरआर3 RR3	-	

आरआर4 RR4	-
आरआर 5 RR5	-
रेटिंग वापस ली गई/अनरेटेड Rating withdrawn/Unrated	715.98
कुल योग Grand Total	715.98

*एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर पूरी तरह से प्रदान किए गए हैं।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

31 मार्च, 2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण

Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (₹ राशि रु. करोड़ में) * Carrying Value* (Amount in ₹ Crore)
आरआर1 RR1	352.42
आरआर2 RR2	60.27
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	-
आरआर 5 RR5	-
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	77.34
कुल योग Grand Total	490.03

*एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर हेतु पूर्ण प्रावधान किया गया है।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

31 मार्च, 2025 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-11) में धारित एसआर का वितरण

Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2025

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (₹ राशि रु. करोड़ में) * Carrying Value* (Amount in ₹ Crore)
आरआर1 RR1	-
आरआर2 RR2	-
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	-
आरआर 5 RR5	-
रेटिंग वापस ली गई/अनरेटेड Rating withdrawn/Unrated	721.00
कुल योग Grand Total	721.00

*एसआर में मानक निवेश उचित मूल्य पर हैं। इसके अलावा, एनपीआई श्रेणी के तहत एसआर पूरी तरह से प्रदान किए जाते हैं।

*The Standard Investments in SRs are fair valued. Further, SRs under NPI category are fully provided.

जी) सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए)

आरबीआई/डीओआर/2025-26/159 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. संख्या.78/21.04.048/2025-26 "आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक- ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निर्देश, 2025", समग्र आधार पर सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) का आवश्यक विवरण निम्नानुसार है:

g) Co-Lending Arrangements (CLA)

As per of RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC. No.78/21.04.048/2025-26 "RBI (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025", necessary details of Co-Lending Arrangements (CLAs) on aggregate basis are as under:

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As on March 31, 2026
1	सीएलए की मात्रा: सकल बकाया Quantum of CLAs: Gross outstanding	624.04
2	ब्याज की भारित औसत दर Weighted average rate of interest	10.05%
3	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किया गया शुल्क Fees paid during the FY 2025-26	0.28

4	व्यापक क्षेत्र जिनके तहत सीएलए आस्तिधा मौजूद हैं Broad Sectors under which CLA assets exist	एमएसएमई, रिटेल एवं कृषि MSME, Retail and Agriculture
5	सीएलए के तहत ऋण की परफोर्मेंस Performance of loan under CLA	संतोषप्रद Satisfactory
6	डिफॉल्ट हानि गारंटी से संबंधित विवरण Details related to default loss guarantee	शून्य NIL

एच) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण
h) Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

विवरण Particulars	वित्त वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25 FY 2024-25
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या Number of frauds reported during the year	779	3774
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) Amounts Involved in Fraud (in ₹ Crore)	3,697.96	216.92
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Crore)	2,822.78	180.20
वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Crore)	-	-

1. वर्ष के दौरान, कुल ₹1595.46 करोड़ के कुछ उधारकर्ता खाते (तों), जिन्हें पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को धोखाधड़ी के रूप में पुनर्वर्गीकृत/ डी-टैग किया गया है।

यह पुनर्वर्गीकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 23 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता भी शामिल है।

2. वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ उधारकर्ता खातों (खातों) को रेड फ्लैग वाले खातों (आरएफए) के रूप में चिह्नित किया गया था।

कुछ मामलों में, जिनकी कुल राशि ₹281.65 करोड़ है, धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण हेतु जांच विनियामक फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित सांकेतिक समय सीमा से परे लंबित रही। तदनुसार, ऐसे खातों को अभी तक तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, "वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी" के तहत कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर. एसीसी.आरईसी.संख्या86/21.04.018/2025-26 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणी: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 और आरबीआई/डीओआर/2025-26/164 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. संख्या83/21.04.048/2025-26 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 को बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि हेतु धोखाधड़ी के लिए देयता उपलब्ध कराने के विकल्प का चयन किया है। तदनुसार, मार्च 31, 2026 को अग्रिमों को छोड़कर अन्य आगे शामिल किए गए प्रावधान शून्य (31 मार्च, 2025 को शून्य) है।

1. During the year, certain borrower account(s) aggregating to ₹1595.46 Crore, which were earlier classified as fraud in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, have been reclassified/ de-tagged as fraud.

The reclassification has been carried out pursuant to the judgement of the Supreme Court of India dated 23rd March 2023, which, inter alia, mandated adherence to the principles of natural justice, including the requirement to provide borrowers with an opportunity of being heard prior to classification of an account as fraud.

2. During the year, certain borrower account(s) were identified as Red Flagged Accounts (RFA) in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

In certain cases aggregating to ₹ 281.65 Crore, the examination for classification as fraud remained pending beyond the indicative timelines prescribed under the regulatory framework. Accordingly, such accounts have not yet been classified as fraud as at the balance sheet date, and consequently, no disclosure has been made under "fraud reported during the year".

As per the Reserve Bank of India RBI/DOR/2025-26/167 DOR. ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 and RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR.REC.No.83/21.04.048/2025-26 Reserve Bank of India (Commercial Banks - Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 dated November 28, 2025, the Bank has opted not to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision for other than advances as on March 31, 2026 is NIL (NIL as on March 31, 2025).

- i) आरबीआई मास्टर डायरेक्शन आरबीआई/ डीओआर/ 2025-26/ 165 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/ 21.04.048/ 2025-26 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 को आरबीआई/ डीओआर/ 2025-26/ 167 डीओआर.एसटीसी.आरईसी.संख्या86/21.04.018/2025-26 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणी: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 दिनांक 31 मार्च, 2026 तक परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है:
- i) As per RBI Master Direction RBI/DOR/2025-26/165 DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025 dated 28th November, 2025 read with RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 Dated 28th November, 2025 disclosures related to project finance as on March 31, 2026 are given below :

क्र. सं. S. No.	मद विवरण Item Description	खातों की संख्या Number of Accounts	कुल बकाया (₹ करोड़ में) Total Outstanding (₹ In Crores)
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	124	20,084.14
2	तिमाही के दौरान कार्यान्वयन खातों के तहत स्वीकृत परियोजनाएं Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	61	450.78
3	कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल किया गया है Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	52	2,776.31
4	तिमाही (1+2-3)* के अंत में कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं खाते में हैं। Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)*	133	17,758.61
5	'4' खातों में से, जिनके संबंध में मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked	26	757.12
5.1	'5' खातों में से जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की गई है Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	22	356.44
5.2	'5' खातों में से जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की जा रही है। Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	4	400.68
5.3	'5' खातों में से - जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है। Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-
6	'5' खातों में से, जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project	-	-
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि को वित्त पोषित किया गया था। Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	-	-
7.1	'7' में से जिन खातों में से एसबीसीएफ को वित्तीय वर्ष के समापन के दौरान स्वीकृत किया गया और लगातार नवीनीकृत किया गया था Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-
7.2	'7' खातों में से, जहां एसबीसीएफ पहले से स्वीकृत या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था। Out of '7', accounts where SBCF was not presanctioned or renewed continuously	-	-
8	उन '4' खातों में से - जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, जैसा भी मामला हो। Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked	-	-
8.1	'8' खातों में से - जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की गई है। Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-

क्र. सं. S. No.	मद विवरण Item Description	खातों की संख्या Number of Accounts	कुल बकाया (₹ करोड़ में) Total Outstanding (₹ In Crores)
8.2	'8' खातों में से जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की जा रही है। Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	-	-
8.3	'8' खातों में से - जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है। Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-

* (मौजूदा खातों में संवितरण/ चुकौती के प्रभाव पर विचार करने के बाद)

* (after considering impact of disbursements / repayments in existing accounts)

जे) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के आरबीआई/डीओआर/ 2025-26/ 167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.संख्या86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण।

j) Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC. REC.No.86/21.04.018/2025-26 Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 Dated 28th November, 2025:

31.03.2026 के अनुसार As on 31.03.2026

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही के समापन में अर्थात् 30.09.2025 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2025 (A)	(ए) में से कुल ऐसा ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बड़े खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2026 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2026 (A)
वैयक्तिक ऋण \$ / Personal Loans\$	2,537.07	58.47	-	229.51	2,319.40
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*	-	-	-	-	-
जिसमें से एमएसएमई / Of which, MSMEs	-	-	-	-	-
अन्य / Others	75.89	5.01	-	14.37	59.25
कुल / Total	2,612.96	63.48	-	243.88	2,378.65

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

\$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

\$In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

31.03.2025 के अनुसार As on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही के समापन में अर्थात् 30.09.2024 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2024 (A)	(ए) में से कुल ऐसा ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	((ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बड़े खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2025 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2025 (A)
वैयक्तिक ऋण \$ / Personal Loans\$	3,027.20	71.15	-	216.28	2,806.60
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*	357.33	-	-	75.88	-
जिसमें से एमएसएमई / Of which, MSMEs	46.04	-	-	10.37	-
अन्य / Others	646.62	8.46	-	45.35	582.61
कुल / Total	4,031.15	79.61	-	337.51	3,389.21

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

\$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

नोट: ₹ 281.50 करोड़ के एक्सपोजर वाले -4- कॉर्पोरेट खातों में प्रावधान को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित ऋण के 30% के संतोषजनक पुनर्भुगतान के पूरा होने पर प्रतिवर्ती किया गया है और तदनुसार 31.03.2025 तक मानक एक्सपोजर में दर्ज नहीं किया गया है।

के) बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) से अधिक ऋण

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

\$In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

Note: Provision in -4- corporate Accounts having exposure of ₹ 281.50 Crore have been reversed on completion of satisfactory repayment of 30 % of restructured debt as per RBI guidelines and accordingly not included in the standard exposure as on 31.03.2025.

k) Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	समूह ऋणी एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2025-26	-	-	-	-
2024-25	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

वर्ष Year	समूह का नाम Name of Group	समूह ऋणी एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2025-26	-	-	-	-
2024-25	-	-	-	-

एल) दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना पर प्रकटीकरण
(एस4ए)

Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2026				ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2025			
		बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		रखा गया प्रावधान		बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		रखा गया प्रावधान
		Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held		Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	1	40.58	3.29	37.30	14.92	1	50.75	13.45	37.30	14.92
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल Total	1	40.58	3.29	37.30	14.92	1	50.75	13.45	37.30	14.92

ए-5 एक्सपोजर

A-5 Exposures

ए) रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

a) Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

श्रेणी Category	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
i) Direct exposure	2,04,693.35	1,86,530.21
(ए) आवासीय बंधक		
(a) Residential Mortgages -	1,80,580.14	1,58,256.26
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज, Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	1,80,580.14	1,58,256.26
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण (एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी) Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector Advances (Exposure would also include non-fund based (NFB) limits)	31,316.00	34,462.21
(बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट – वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारिक आवासीय भवन, बहु किराएदार परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी। (b) Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	24,113.20	28,273.95

श्रेणी Category	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
(सी) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	-	-
i. आवासीय Residential	-	-
ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट Commercial Real Estate	-	-
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Indirect Exposure	49,349.10	32,991.25
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) National Housing Bank (NHB)	4,572.62	649.95
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) Housing Finance Companies (HFCs)	44,776.48	32,341.30
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Real Estate Sector	2,54,042.45	2,19,521.46

बी) पूंजी बाजार एक्सपोजर
b) Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा उन इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिनका कॉर्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,588.38	2,881.25
(ii) शेयरों, बॉण्डों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉण्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बाध आधार पर दिए गए अग्रिम Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	2.95	2.74
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	148.49	60.44
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट की संपाश्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	44.38	20.46

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	969.86	971.29
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(vii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना; Financing to stock brokers for margin trading;	1,250.48	150.56
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोजर। All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered).	534.37	667.32
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	4,538.91	4,754.06

पूँजी बाज़ार में रु. 4,538.91 करोड़ का एक्सपोजर रु. 46,182.94 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 को बैंक की निवल मालियत रु. 1,15,457.35 करोड़ का 40%) है।

पूँजी बाज़ार में रु. 2,122.75 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर रु. 23,091.47 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 को बैंक की निवल मालियत रु. 1,15,457.35 करोड़ का 20%) है।

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए मौजूदा नियमों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन उधारदाताओं को उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है।

- यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा नियामक पूँजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, उसका विवरण निम्नानुसार है- लागू नहीं

- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने का विवरण जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है, उसका विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2026		वित्त वर्ष 2025	
खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
53	1655.64	53	1920.91

The exposure to Capital Market of ₹ 4,538.91 Crores is within the limit of ₹ 46,182.94 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 1,15,457.35 Crores as on March 31, 2025).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 2,122.75 Crores is within the limit of ₹ 23,091.47 Crores (i.e. 20 % of the Bank's net worth of ₹ 1,15,457.35 Crores as on March 31, 2025).

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

- If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, details of the same is as under- NA
- details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits are as under:

FY 2026		FY 2025	
No. of Accounts	Amount (₹ in Crs.)	No. of Accounts	Amount (₹ in Crs.)
53	1655.64	53	1920.91

सी) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

देशीय जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28.11.2025 के परिपत्र के अनुसार – बैंक जोखिम श्रेणियों के अनुसार, किसी देश विशेष को कुल वित्तपोषित एक्सपोजर के संबंध में प्रावधान करते समय, केवल उस देश के निवल वित्त पोषित एक्सपोजर पर प्रावधान किया जाएगा, जहां बैंक का निवल वित्त पोषित एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1 प्रतिशत या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीआरएमएस नीति यह निर्धारित करती है कि प्रावधान करने के प्रयोजन से पिछली तिमाही की कुल आस्तियों पर विचार किया जाएगा।

बोर्ड ने दिनांक 19.06.2024 को आयोजित अपनी बैठक में, देशीय जोखिम के आकलन के लिए आंतरिक रेटिंग ग्रेड के आधार पर किसी देश-विशेष के लिए किए जाने वाले प्रावधान को मंजूरी दी। इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि जहां सार्वजनिक डोमेन में अपेक्षित सूचना की अनुपलब्धता के कारण देश की आंतरिक जोखिम रेटिंग किया जाना संभव नहीं है, वहां ईसीजीसी वर्गीकरण पर आधारित प्रावधान लागू होंगे।

दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को बैंक की कुल आस्तियां **₹18,80,727 करोड़** रहीं।

1% कुल आस्तियों का **₹18,807 करोड़** है।

31 मार्च, 2026 तक जिन देशों के लिए निवल वित्तपोषित एक्सपोजर कुल संपत्ति के 1 प्रतिशत यानी ₹18,807 करोड़ रुपये से अधिक है, वे निम्नानुसार हैं –

c) Risk Category wise Country Exposure

As per the RBI circular dated 28.11.2025 on Country Risk Management Guidelines- Banks shall make provisions on the net funded country exposures, according to the risk categories, only in respect of the country, where a bank's net funded exposure is 1 per cent or more of its total assets. Further Bank's CRMS policy stipulates that total asset to be considered of the preceding quarter, for the purpose of provisioning.

Risk Management Committee of Board, in its meeting held on 19.06.2024, approved the provision against country based on internal rating grade for assessment of country risk. Further, it is stipulated that where internal country risk rating is not possible due to unavailability of required information in public domain, provision based on ECGC Classification will be applicable.

Total Assets of the Bank as on 31st Dec 2025 is **₹ 18,80,727 Crore.**

1% of Total Assets is **₹18,807 Crore.**

The Countries, on which Net Funded Exposure exceeded 1% of Total Assets i.e. ₹ 18,807 Crore as on 31st March, 2026 are –

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्रम सं. Sl.No	देश Country	जोखिम श्रेणी Risk Category		निवल वित्त पोषित एक्सपोजर Net Funded Exposure	
		आंतरिक रेटिंग ग्रेड Internal Rating Grade	ईसीजीसी वर्गीकरण ECGC Classification	कुल Total	इसमें से अल्पावधि Of which Short Term
1	यूएसए U.S.A*	BOBSOV 2	ए-1 नगण्य A- 1 Insignificant	98,426	60,746
2	यूएई U A E	BOBSOV 2	ए- 2 कम A- 2 Low	48,540	31,992
3	यूके* UK*	BOBSOV 2	ए-1 नगण्य A- 1 Insignificant	27,245	14,511
				1,74,211	1,07,249

*यूके एक्सपोजर में यूके, ग्वेर्नसे, जर्सी, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बरमूडा, केमैन द्वीप समूह, आइल ऑफ मैन शामिल हैं। यूएसए एक्सपोजर में प्यूर्टो रिको का एक्सपोजर शामिल है।

*UK exposure comprises of exposure on UK, Guernsey, Jersey, Gibraltar, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands, Isle of Man. USA exposure includes exposure on Puerto Rico.

आवश्यक प्रावधान / Required Provision

मानदंड Parameters	यूएसए* / USA BOBSOV2/A1	यूएई / UAE BOBSOV2/A2	यूके* / UK* BOBSOV2/A1	कुल / Total
कुल निवल वित्त पोषित एक्सपोजर Total Net Funded Exposure	98,426	48,540	27,245	1,742,11
इसमें से / Of Which				
- अल्पावधि - Short term	60,746	31,992	14,511	1,07,249
- अल्पावधि के अलावा - Other than Short term	37,680	16,549	12,734	66,963

अल्पावधि एक्सपोजर पर प्रावधान (सामान्य प्रावधान दर का 25%) Provision on Short term Exposure (25% of Normal provision rate)	37.97	19.99	9.07	67.03
अल्पावधि एक्सपोजर के अलावा अन्य पर प्रावधान @ 0.25% ^s Provision on other than Short term Exposure @ 0.25% ^s	94.20	41.37	31.84	167.41
प्रावधान / Provision	132.70	61.37	40.91	234.44

*यूके एक्सपोजर में यूके, ग्वेर्नसे, जर्सी, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बरमूडा, केमैन आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन का एक्सपोजर शामिल है। यूएसए एक्सपोजर में प्यूर्टो रिको का एक्सपोजर शामिल है

*UK exposure comprises of exposure on UK, Guernsey, Jersey, Gibraltar, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands, Isle of Man. USA exposure includes exposure on Puerto Rico.

\$ - For BOBSOV1 & BOBSOV2 graded countries, the Country risk provision rate is 0.25%.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

ईसीजीसी वर्गीकरण ECGC Classification	ईसीजीसी श्रेणी ECGC Category	31 मार्च 2026, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 2026	31 मार्च 2026 को प्रावधान Provision held as at March 2026	31 मार्च 2025, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 2025	31 मार्च 2025 को प्रावधान Provision held as at March 2025
ए1* A1*	नगण्य / Insignificant	1,72,704	173.07	1,26,699.09	124.26
ए2 A2	कम / Low	96,730	61.37	1,05,919.76	75.43
बी1 B1	मध्यम कम / Moderately Low	9,338	-	10,141.46	-
बी2 B2	मध्यम / Moderate	7,073	-	1,391.12	-
सी1 C1	मध्यम उच्च / Moderately High	109	-	3,240.47	-
सी2 C2	उच्च / High	3,479	-	6.24	-
डी D	अधिक उच्च / Very High	-	-	48.72	-
	ऑफ कवर Off Cover	-	-	0.02	-
	कुल Total	2,89,433	234.44	2,47,446.87	199.69

*- भारत पर जोखिम को छोड़कर (ईसीजीसी रेटिंग: ए1)

*- excluding exposure on India (ECGC rating: A1)

डी) असुरक्षित अग्रिमों की राशि

d) Amount of Unsecured advances

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. S No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को राशि Amount as on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को राशि Amount as on March 31, 2025
(i)	बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम Total unsecured advances of the bank (net)	3,55,606.45	2,93,676.27
(ii)	उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
	ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	-	-

ई) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर का विवरण (टीआरडीईएस के तहत) –

e) Details of factoring exposures (under TReDS)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को राशि Amount as on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को राशि Amount as on March 31, 2025
डीबीआर नं. एफएसडी. बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई 2015 (पैरा 8) के संदर्भ में टीआरडीईएस एक्सपोजर TReDS Exposure in terms of DBR No. FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30th July 2015 (Para 8)	9,604.72	4,709.40
कुल Total	9,604.72	4,709.40

एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

f) Intra Group Exposures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026			31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि Total Amount of Intra Group Exposures	4,700.97	5,483.13	10,184.10	4,447.70	5,334.46	9,782.16
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	4,700.97	5,483.13	10,184.10	4,447.70	5,334.46	9,782.16
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.24%	0.28%	0.52%	0.26%	0.31%	0.57%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra- group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

जी) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

g) Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है। ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्सपोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता होती है। यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है। बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और/अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं। बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and/or has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of

के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है। जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है। ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंकड सीमा लागू है। विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है। जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सूचित किया जाता है कि वह अपने अनहेज्ड एक्सपोजर को कम करे।

प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है:

quarterly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved Policy on Provisioning Requirements for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers is in force. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a situation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

Movement of the provision is as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
ए. प्रावधान खाते में आरंभिक राशि a. Opening balance provisions account	310.91	223.20
बी. लेखांकन वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा / लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि b. The quantum of provisions made in the accounting year / Amount Reversed during the accounting year	70.47	87.71
सी. प्रावधान खाते में अंतिम शेष c. Closing balance in the provisions account	381.38	310.91

उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) निर्देश 2025 आरबीआई /डीओआर/2025-26/157 डीओआर के संदर्भ में अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है। डीओआर:सीआरई. आरईसी.76/07-02-001/2025-26 और भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर. एसीसी. आरईसी. संख्या 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 और 31 मार्च, 2026 तक ₹ 381.38 करोड़ (31 मार्च, 2025 तक ₹ 310.91 करोड़) का प्रावधान कर रहा है। 31 मार्च, 2026 तक UFCE पर अतिरिक्त RWA राशि ₹ 3,440.02 करोड़ (31 मार्च, 2025 तक ₹ 4,095.76 करोड़) है।

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Risk Management) Directions 2025 RBI/DOR/2025-26/157 DOR.CRE.REC.76/07-02-001/2025-26 and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025 and is holding a provision of ₹ 381.38 Crore as on March 31, 2026 (₹ 310.91 Crore as on March 31, 2025). Additional RWA on UFCE amounts to ₹ 3,440.02 crore as on March 31, 2026 (₹ 4,095.76 crore as on March 31, 2025).

A-6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
(ए) जमा राशियों का सकेन्द्रण (a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां Total Deposits of twenty largest depositors	79,732.47	70,781.83
बैंक की कुल जमा राशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत (प्रतिशत में) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (in %)	4.84%	4.81%

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रन (b) Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों को दिया गया कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers/customers	2,25,952.00	2,06,348.94
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत (% में) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (in %)	12.11%	12.58%
(सी) एक्सपोजर का संकेन्द्रन (c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	2,61,291.30	2,26,360.34
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.42%	13.17%
(डी) एनपीए का संकेन्द्रन (d) Concentration of NPAs		
शीर्ष बीस एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर Total Exposure to top twenty NPA accounts	2,735.74	3,158.19
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest NPA exposure to Total Gross NPAs.	10.11%	11.35%

ए-7 डेरिवेटिव्स

ए) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण

A-7 Derivatives

a) Details of derivative portfolio

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026			31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025		
ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives						
एमटीएम – आस्ति MTM – Assets	35.98	929.60	-	85.49	548.46	-
एमटीएम – देयताएं MTM – Liabilities	4.00	797.83	-	13.38	398.33	-
लाभ और हानि खाते में पहचाना गया शुद्ध लाभ/हानि Net Gain/ Loss recognised in Profit & Loss Account	31.98	131.77	-	72.11	150.13	-
विनिमय दर डेरिवेटिव Exchange Rate Derivatives						
एमटीएम – आस्ति MTM – Assets	7.28	8653.79	-	97.65	3109.97	-
एमटीएम – देयताएं MTM – Liabilities	0.39	9133.60	-	1.75	3139.03	-
लाभ और हानि खाते में पहचाना गया शुद्ध लाभ/हानि Net Gain/ Loss recognised in Profit & Loss Account	6.89	(479.81)	-	95.90	(29.06)	-
क्रेडिट जोखिम डेरिवेटिव Credit Risk Derivatives						
एमटीएम – आस्ति MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
एमटीएम – देयताएं MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में पहचाना गया शुद्ध लाभ/हानि Net Gain/ Loss recognised in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-
अन्य डेरिवेटिव (निर्दिष्ट करें) Other Derivatives (specify)						
एमटीएम – आस्ति MTM – Assets	66.63	-	-	12.57	-	-
एमटीएम – देयताएं MTM – Liabilities	37.30	-	-	2.24	-	-
लाभ और हानि खाते में पहचाना गया शुद्ध लाभ/हानि Net Gain/ Loss recognised in Profit & Loss Account	29.33	-	-	10.33	-	-

बी) फॉरवर्ड दर एग्रीमेंट/ ब्याज दर स्वेप (आईआरएस)
b) Forward Rate Agreement/Interest rate Swaps (IRS)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
स्वेप समझौते का अनुमानित मूलधन / The notional principal of swap agreements	93,092.01	1,57,379.22
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	965.58	633.95
स्वेप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्रिक Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	1,434.21	1,849.09
स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण The fair value the swap book	163.76	222.24

31 मार्च, 2026 तक फॉरवर्ड दर एग्रीमेंट एवं ब्याज दर स्वेप का प्रकार एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2026 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	47	1,000.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed receivable v/s Floating payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1,942	42,604.90	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating receivable v/s Fixed payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	14	325.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed receivable v/s Floating payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1,981	42,679.89	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating receivable v/s Fixed payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	13	325.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed receivable v/s Floating payable
आईआरएस (एफसी) IRS (FC)	ट्रेडिंग Trading	4	569.01	USD SOFR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating receivable v/s Fixed payable
आईआरएस (एफसी) IRS (FC)	ट्रेडिंग Trading	2	481.38	USD SOFR 6M	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय Fixed receivable v/s Floating payable
आईआरएस (एफसी) IRS (FC)	ट्रेडिंग Trading	4	569.01	USD SOFR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating receivable v/s Fixed payable
आईआरएस (एफसी) IRS (FC)	ट्रेडिंग Trading	2	481.38	USD SOFR 6M	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating receivable v/s Fixed payable
बॉण्ड फॉरवर्ड BOND FORWARD	हेजिंग Hedging	3	205	6.90GOI65	सेल फॉरवर्ड Sell Forward
बॉण्ड फॉरवर्ड BOND FORWARD	हेजिंग Hedging	1	25	7.09GOI2074	सेल फॉरवर्ड Sell Forward
बॉण्ड फॉरवर्ड BOND FORWARD	हेजिंग Hedging	4	135	7.24GOI2055	सेल फॉरवर्ड Sell Forward
बॉण्ड फॉरवर्ड BOND FORWARD	हेजिंग Hedging	1	25.18	7.76KAR2041	सेल फॉरवर्ड Sell Forward

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	12	225	6.90GOI65	सेल एफआरए Sell FRA
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	5	125	7.09GOI2074	सेल एफआरए Sell FRA
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	5	30	7.09GOI54	सेल एफआरए Sell FRA
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	8	155	7.34GOI2064	सेल एफआरए Sell FRA
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	39	3,131.25	Fixed	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय Floating receivable v/s Fixed payable

31 मार्च, 2025 तक फॉरवर्ड दर एग्रीमेंट एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2025 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	40	1,250.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	15	1,175.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	59	1,505.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	854.75	SOFR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	854.75	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2,214	71,963.16	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2,344	70,700.12	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	2	50.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	75.00	MMIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	6	50.00	7.09GOI54	---
बॉण्ड एफआरए BOND FRA	हेजिंग Hedging	6	105.00	7.34GOI2064	---
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	93	8,770.79	Fixed	स्थायी देय / अस्थायी प्राप्य FIXED PAY / FLOATING RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	25.65	Fixed	स्थायी देय / अस्थायी प्राप्य FLOATING PAY / FLOATING RECEIVES/

सी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स
C) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. S No	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स का अनुमानित मूलधन (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	-	-
(ii)	यथा दिनांक को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on (instrument-wise)	-	-
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरिवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरिवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-

डी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण
d) Disclosures on risk exposure in derivatives
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण
(i) Qualitative Disclosure

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी परिचालन संबंधी नीति में वित्तीय डेरिवेटिव्स लिखतों के प्रकार, उपयोग का दायरा, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा डेरिवेटिव लेनदेन हेतु काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए एक्सपोजर की हेजिंग के लिए तथा लिक्विडिटी के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है। मूलतः ये उत्पाद, रिस्क हेजिंग, लागत कम करने तथा ऐसे लेन-देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making .Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम। बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं। इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता वाली निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, the Bank has risk management policies (approved by the Board), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of the Board, which is presided over by the Bank's Managing Director and CEO.

बैंक तथा कॉर्पोरेट इकाईयां लेन-देनों की काउंटर पार्टियां हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत लेनदेन किए जाते हैं। बैंक की मौजूदा क्रेडिट एक्सपोजर पद्धति डेरिवेटिव उत्पादों पर क्रेडिट एक्सपोजर के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत (सकारात्मक मूल्य वाले अपने सभी करारों के बाजार मूल्यांकन द्वारा प्राप्त, अर्थात जब बैंक को

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts

काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना होता है और ऋण एक्सपोजर की राशि में भविष्य में संभावित परिवर्तनों की राशि, जो करार के कुल अनुमानित मूलधन राशि को बची हुई परिपक्वता अवधि हेतु लागू क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, जिन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है, से गुणा करके प्राप्त की जाती है, का योग करता है: -

कन्वर्जन फैक्टर अनुमानित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा:

with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount:

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
	वित्त वर्ष 2026 FY 2026	वित्त वर्ष 2025 FY 2025	वित्त वर्ष 2026 FY 2026	वित्त वर्ष 2025 FY 2025
एक वर्ष से कम Less than one year	0.25%	0.50%	1.00%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष One year to Five Year	0.50%	1.00%	5.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक Over five years	1.50%	3.00%	7.50%	15.00%

निम्नलिखित खंड समान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेन-देन के प्रकारों एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं।

ब्याज दर अनुबंध

फॉरवर्ड दर एग्रीमेंट खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अंतर्निहित ब्याज दर, ब्याज दर चक्र, ब्याज दर सूचकांक या बॉन्ड इसमें मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है। निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तिथि पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है।

ब्याज दर स्वेप में अंतर्निहित (या अनुमानित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल होता है।

ब्याज दर कैप एंड फ्लोर्स खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जो बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ्लोर रेट से अधिक या कम होता है। ब्याज दर कैप्स और फ्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कॉन्ट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेडिंग करने से पहले है।

The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

Interest rate contracts

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). The underlying rate of interest could be an interest rate curve, interest rate index or bond yield. There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

Interest rate futures are standardized interest rate derivative contracts traded on a recognized stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

विनिमय दर करार

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा करार भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है। इन लिखतों को फेडाई (एफईडीएआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा/ बेचा जाता है।

क्रॉस करेंसी स्वैप विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं। क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है।

करेंसी आप्वांस (एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी आप्वांस सहित) खरीदार को एक निश्चित प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर करेंसी की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार देता है, इसमें दायित्व शामिल नहीं होता है।

करेंसी फ्यूचर्स करार निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित करेंसी को खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाने वाला एक मानकीकृत करार है। किसी करेंसी फ्यूचर्स करार की अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर होती है।

बैंक का डेरिवेटिव लेन-देन सेल्स और ट्रेडिंग गतिविधियों से संबंधित है। सेल्स गतिविधियों में समय-समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों के लिए डेरिवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाज़ार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके। बैंक डेरिवेटिव में मुख्य रूप से छोटी अवधि के दौरान कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करने के उद्देश्य से स्वयं के खाते (ट्रेडिंग गतिविधि) से लेनदेन करता है। बैंक अपने दायित्वों या तुलनपत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरिवेटिव में लेनदेन करता है।

डेरिवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक काउंटर पार्टी के साथ डेरिवेटिव लेन-देन करता है। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है।

डेरिवेटिव नीति

बैंक ने एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) पर एक नीति बनाई है जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जो डेरिवेटिव व्यवसाय के कामकाज पर लागू होते हैं। डेरिवेटिव व्यवसाय को विभिन्न सीमाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जैसे कि पोजिशन लिमिट, अवधि सीमा, संवेदनशीलता सीमा, परिदृश्य-आधारित लाभ और हानि सीमाएं, स्टॉप लॉस सीमा जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं। मिड-ऑफिस द्वारा दैनिक आधार पर सीमाओं की निगरानी की जाती है।

एकीकृत ट्रेजरी परिचालन नीति (घरेलू) में ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप और उपयुक्तता भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्युत्पन्न लेनदेन ग्राहक के व्यवसाय/संचालन की प्रकृति के लिए आवश्यक और उपयुक्त हैं। किसी ग्राहक के साथ डेरिवेटिव डील करने

Exchange rate contracts

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

Constituents involved in derivative business

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

Derivative policy

The Bank has in place a Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) which covers various aspects that apply to the functioning of the derivative business. The derivative business is administered through various limits such as position limits, tenor limits, sensitivity limits, scenario-based profit and loss limits, stop loss limits that are approved by the Board of Directors. Limits are monitored on a daily basis by the mid-office.

Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) also covers Customer Suitability & Appropriateness, to ensure that derivative transactions entered into are appropriate and suitable to the customer's nature of business / operations. Before entering into a derivative

से पहले, बैंक ग्राहक को विभिन्न जोखिम मानदंडों पर स्कोर करता है और समग्र स्कोर स्तर के आधार पर यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का उत्पाद उसकी जोखिम उठाने की क्षमता और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

डेरिवेटिव बुक का वर्गीकरण

डेरिवेटिव बुक को ट्रेडिंग और हेजिंग बुक में वर्गीकृत किया गया है। डेरिवेटिव बुक का वर्गीकरण आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट ट्रेडिंग और हेजिंग की परिभाषाओं के आधार पर किया जाता है। ट्रेडिंग बुक को एकीकृत ट्रेजरी ऑपरेशंस (घरेलू) नीति में प्रदान की गई ट्रेडिंग सीमाओं के भीतर प्रबंधित किया जाता है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

हेजिंग नीति

हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के रूप में निर्धारित डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, हेज की शुरुआत में, हेजिंग इंस्ट्रुमेंट और हेज्ड आइटम के बीच संबंध, हेज करने के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां। हेज की प्रभावशीलता का पता हेज की स्थापना के समय और उसके बाद समय-समय पर लगाया जाता है। हेज प्रभावशीलता को उस डिग्री से मापा जाता है जो हेज्ड आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो एक हेज्ड जोखिम के लिए जिम्मेदार होते हैं, विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य या कैश फ्लो में परिवर्तन से ऑफसेट होते हैं।

हेजिंग बुक में बैलेंस शीट परिसंपत्तियों या देनदारियों को हेज करने के लिए लेनदेन शामिल हैं। हेजिंग इंस्ट्रुमेंट की अवधि अंतर्निहित हेज्ड एसेट या देयता की अवधि से कम या उसके बराबर हो सकती है। बैंक, अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति के हिस्से के रूप में, बैलेंस शीट पर मान्यता प्राप्त अपनी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों में अंतर्निहित जोखिम को हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स का उपयोग करता है। उचित मूल्य हेज के मामले में, हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स और हेज्ड मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और नकदी प्रवाह हेजेज के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को कैश फ्लो हेज रिजर्व के तहत भंडार और अधिशेष में मान्यता दी जाती है और एक प्रभावी हेजिंग संबंध के अप्रभावी हिस्से को मान्यता दी जाती है। यदि कोई हो, तो लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

प्रावधानीकरण, कोलेटरल और ऋण जोखिम को कम करना

बैंक अपनी व्यावसायिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर काउंटर पार्टी के साथ डेरिवेटिव लेन-देन करता है। उचित ऋण अनुबंध निर्धारित किए जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है, के लिए कॉल करने या लेनदेन को समाप्त करने और जोखिम को कम करने के लिए टिगर घटनाओं के रूप में है। इसके अलावा, गैर-केंद्रीय रूप से स्वीकृत विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेन-देन में वर्तमान जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्ष बैंकों और कुछ भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ ऋण सहायता अनुबंध (सीएसए) करार किए हैं।

हेज/ नॉन-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन-देन अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं। डेरिवेटिव पोजिशंस को, यदि हेज के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो बाजार मूल्यांकन हेतु रखा जाता है (एमटीएम) और इसके फलस्वरूप

deal with a customer, the Bank scores the customer on various risk parameters and based on the overall score level it determines the kind of product that best suits its risk appetite and the customer's requirements.

Classification of Derivatives Book

The derivative book is classified into trading and hedging book. Classification of the derivative book is made on the basis of the definitions of the trading and hedging specified in the RBI guidelines. The trading book is managed within the trading limits provided in Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) which was approved by the Board of Directors.

Hedging Policy

For derivative contracts designated as hedging instruments, the Bank documents, at inception of the hedge, the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter. Hedge effectiveness is measured by the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument using various qualitative and quantitative methods.

The hedging book consists of transactions to hedge Balance Sheet assets or liabilities. The tenor of hedging instrument may be less than or equal to the tenor of underlying hedged asset or liability. The Bank, as part of its risk management strategy, makes use of derivative instruments for hedging the risk embedded in some of its financial assets or liabilities recognized on the Balance Sheet. In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognized in the Profit and Loss Account and in case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognized in Reserves and Surplus under 'Cash Flow Hedge Reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognized in the Profit and Loss Account.

Provisioning, collateral and credit risk mitigation

The Bank enters into derivative transactions with counterparties based on their business ranking and financial position. Appropriate credit covenants are stipulated where it is required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and minimize the risk. Further, to mitigate the current exposure in non-centrally cleared forex and derivative transactions, Bank has entered into Credit Support Annex ('CSA') agreements with major international counterparty banks and few Indian financial institutions.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative positions, unless designated as hedges, are marked-to-market (MTM)

नुकसान, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। लाभ, यदि कोई है, को दर्ज नहीं किया जाता है। ब्याज दर स्वेप से संबंधित आय और व्यय को उपचय आधार पर स्वीकार किया जाता है। ट्रेडिंग स्वेप की समाप्ति पर हुए लाभ/ हानि को समाप्ति तारीख पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

बैंक न्यूनतम प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करता है। किसी डेरिवेटिव करार के बाजार मूल्यांकन से प्राप्त सकारात्मक मूल्य से संबद्ध अतिदेय प्राप्य राशियों को उधारकर्ता के खाते में अंतरित कर दिया जाता है और यदि ये 90 दिनों या उससे अधिक के लिए अदेय बनी रहती हैं तो इन्हें गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत जाता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on accrual basis. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

The Bank, at the minimum, confirms to the RBI guidelines with regard to provisioning requirements. Overdue receivables representing crystallized positive mark to market value of a derivative contract are transferred to the account of the borrower and treated as non-performing assets, if these remains unpaid for 90 days or more.

(ii) Quantitative Disclosures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026		31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए a) For hedging	32,122.98	5,056.44	34,719.82	12,881.44
	बी) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	4,56,451.39	88,035.58	4,54,965.73	1,44,497.78
(ii)	मार्केट-टू-मार्केट स्थिति Marked to Market Positions				
	ए) आस्ति (+) a) Asset (+)	8,661.07	965.58	3,207.62	633.95
	बी) देयताएं (-) b) Liability (-)	9,133.99	801.83	3,140.78	411.71
(iii)	ऋण एक्सपोजर Credit Exposure	14,250.34	1,434.21	14,523.05	1,849.09
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	3.76	28.82	2.74	32.20
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	227.99	34.55	299.08	52.89
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू) अधिकतम Maximum a) on hedging (Domestic) न्यूनतम Minimum	3.22 0.00	28.31 15.26	6.71 1.34	92.75 3.49
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू) अधिकतम Maximum b) on trading (Domestic) (मुद्रा एवं फॉरवर्ड /Currency & Forward)	154.07 & 146.80	95.16	149.89 & 149.40	58.25
	न्यूनतम Minimum (मुद्रा एवं फॉरवर्ड /Currency & Forward)	2.62 & 27.90	5.37	2.04 & 3.35	0.11
	सी) हेजिंग पर (विदेशी) अधिकतम Maximum c) on hedging (Overseas) न्यूनतम Minimum	0.90 1.35	14.00 0.77	1.04 0.02	16.55 1.89

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026		31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी) d) on trading (Overseas)	-	-	-	-

डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि तुलनपत्र की तारीख पर बकाया लेन-देन की मात्रा को दर्शाती है और जोखिम वाली राशि को नहीं दर्शाती है।

इस प्रकटीकरण के उद्देश्य से, करेंसी डेरिवेटिव में खरीदे और बेचे जाने वाले मुद्रा ऑप्शंस और क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वेप, करेंसी फ्यूचर्स को शामिल किया जाता है।

प्रकटीकरण के उद्देश्य से, ब्याज दर डेरिवेटिव में ब्याज दर स्वेप, फारवर्ड रेट करार और ब्याज दर कैप और फ्लोर को शामिल किया गया है।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस)

मूल्यांकन पद्धति - दिनांक 10 फरवरी, 2022 को जारी सीडीएस से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व के उपयोग द्वारा अपने सीडीएस करारों का मूल्यांकन करना होगा या यदि यह अधिक कंजरवेटिव मूल्यांकन प्रदान करता है तो किसी अन्य प्रोप्राइटीरी मॉडल के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। बैंक सीडीएस पोजिशंस के मूल्यांकन के लिए एफआईएमएमडीए कर्व का उपयोग करता है; बैंक सीडीएस मूल्यांकन के लिए किसी आंतरिक प्रोप्राइटीरी मॉडल का उपयोग नहीं करता है।

हालांकि, 31 मार्च, 2026 की स्थिति में बैंक के पास कोई सीडीएस सौदा बकाया नहीं है (पिछला वर्ष- शून्य)।

The notional principal amounts of derivatives reflect the volume of transactions outstanding as at the Balance Sheet date and do not represent the amounts at risk.

For the purpose of this disclosure, currency derivatives include currency options purchased and sold and cross currency interest rate swaps, Currency Futures, Fx-Swaps (Currency Swaps), Fx Spot and Forward Contracts.

For the purpose of this disclosure, interest rate derivatives include interest rate swaps, forward rate agreements and interest rate caps and floors.

Credit Default Swaps (CDS)

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated February 10, 2022 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation.

However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2026. (Previous Year-NIL)

A-8 Disclosure relating to Securitization

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में) (Numbers/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
1	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एसपीई (विशेष प्रयोजन संस्थाओं) द्वारा धारित आस्तियों की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाए) No of (Special Purpose Entities) SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	-	-
2	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3	तुलनपत्र की तिथि को एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-
4	एमआरआर से इतर अन्य प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर ii) Exposure to third party securitisations	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-
	बी) तुलन-पत्र का एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर ii) Exposure to third party securitisations	-	-
	• प्रथम हानि • First loss	-	-
	• अन्य • Others	-	-

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/ हानि । Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य) । Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात् क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि का अलग-अलग ब्यौरा दें । प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का कोष्ठक में प्रतिशत के रूप में उल्लेख करें । Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	(ए) प्रदत्त राशि (a) Amount paid	-	-
	(बी) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(सी) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-
8	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त / टॉप अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10	निवेशकों की शिकायतें Investor complaints	-	-
	(ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं; (a) Directly/Indirectly received and;	-	-
	(बी) लंबित शिकायतें (b) Complaints outstanding	-	-

ए-9 तुलनपत्र इतर (ऑफ-बैलेंस शीट) प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है)

A-9 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
	घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
31 मार्च, 2026 को / As on March 31, 2026	शून्य / Nil	शून्य / Nil
31 मार्च, 2025 को / As on March 31, 2025	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-10 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में अंतरण

A-10 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amount transferred to DEAF	5,075.01	4,503.44
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	908.77	739.70
घटाएं: डीईएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	333.65	168.13
डीईएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of amounts transferred to DEAF	5,650.13	5,075.01
डीईए फंड में अंतरित राशि की अंतिम शेष राशि, 'अनुसूची 12 - 'आकस्मिक देनदारियां - अन्य' के तहत भी शामिल की गई है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। The closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12 - 'Contingent Liabilities - Other items for which Bank is Contingently liable'.		

ए-11 शिकायतों का प्रकटीकरण

A-11 Disclosure of complaints

ए) बैंक को ग्राहकों से तथा लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का विवरण तथा प्राप्त शिकायतों एवं शिकायत निवारण पर संक्षिप्त जानकारी:

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Ombudsman or complaints and grievances redress:

क्र. सं S. No	मर्दे Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1	वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	15,740	15,618
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	5,28,317	5,34,900
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	5,26,711	5,34,778
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	17,446	5,836
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	17,346	15,740
4.1	लोकपाल कार्यालय (ओबीओ) से बैंक द्वारा प्राप्त विचारणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman (OBO)*		

क्र. सं S. No	मर्दे Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त विचारणीय शिकायतें Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	9,297	7,288
5.1	बिंदु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	3,498	2,543
5.2	बिंदु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी समाधान/ मध्यस्थता/ एडवाइजरी के माध्यम निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	5,796	4742
5.3	बिंदु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	3	3
6	निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	-	-
	*विचारणीय शिकायतें बीओ स्कीम, 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित और योजना के अंतर्गत में आने वाली शिकायतों से संबंधित हैं। *Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.		

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार

Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिंदु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6

वित्त वर्ष 2025-26 / FY 2025-26

इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	11,797	3,06,557	-1.95%	14,131	28
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	3,244	1,47,990	18.51%	2,669	78
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	177	21,350	-37.39%	122	6
ऋण और अग्रिम Loans and advances	79	8,819	-16.83%	47	1
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	43	3,599	-22.08%	41	-
अन्य Others	400	40,002	-16.76%	336	7

वित्त वर्ष 2024-25 / FY 2024-25

इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	12,085	3,12,649	-53.91%	11,797	78
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	2,160	1,24,872	-50.38%	3,244	880

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	472	34,098	-14.14	177	5
ऋण और अग्रिम Loans and advances	175	10,603	-8.57%	79	2
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	79	4,619	-54.64%	43	-
अन्य Others	647	48,059	-9.28%	400	7

बी) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त और निस्तारित की गई निवेशकों की शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

b) Number of Investors' complaints received and disposed off During the year ended March 31, 2026 are :-

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें Complaints un-resolved at beginning of the Year	प्राप्त Received	निस्तारित Resolved	वर्ष के अंत में लंबित Unresolved at the end of the Year
शून्य NIL	799	798	1

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त और निस्तारित की गई निवेशकों की शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

Number of Investors' complaints received and disposed off During the year ended March 31, 2025 are :-

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें Complaints un-resolved at beginning of the Year	प्राप्त Received	निस्तारित Resolved	वर्ष के अंत में लंबित Unresolved at the end of the Year
शून्य NIL	993	993	शून्य NIL

ए- 12 दंड का प्रकटीकरण:

A-12 Disclosure of Penalties

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

वित्त वर्ष 2025-26 / FY 2025-26

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	घरेलू / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / TOTAL	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	794	1.09	-	-	794	1.09
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	-	-	-	-

वित्त वर्ष 2024-25 / FY 2024-25

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	घरेलू / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / TOTAL	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	1,417	2.24	-	-	1,417	2.24
विदेशी टेरिटरी पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	-	-	-	-

बी) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए आर्थिक दंड का प्रकटीकरण **b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2025-26	-	-	-
2024-25	-	-	-

सी) रिवर्स रेपो लेन-देन में आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू) - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य) **c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant) - Nil (Previous Year - Nil)**

डी) निम्नलिखित विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी अन्य दंड का विवरण: **d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :**

- 1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)
- 2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)
- 3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

- 1) Banking Regulation Act, 1949, - Nil (Previous Year - Nil)
- 2) Payment and Settlement Act, 2007, Nil (Previous Year - Nil)
- 3) Government Securities Act, 2006. Nil (Previous Year - Nil)

ए-13 अन्य प्रकटीकरण

A-13 Other Disclosures

ए) व्यावसायिक अनुपात

a) Business Ratios

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹ Interest Income as a percentage to Working Funds ¹	6.81%	7.24%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय ¹ Non-interest income as a Percentage to Working Funds ¹	0.84%	0.93%
जमाराशि की लागत Cost of Deposits	4.87%	5.10%
निवल ब्याज मार्जिन ² Net Interest Margin ²	2.89%	3.08%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.73%	1.92%
आस्तियों पर रिटर्न ³ Return on Assets ³	1.06%	1.16%
प्रति कर्मचारी कारोबार ⁴ (जमाराशि प्लस अग्रिम) (राशि ₹ करोड़ में) Business ⁴ (Deposits plus Advances) per employee (₹ in Crores)	38.42	34.33
प्रति कर्मचारी लाभ (राशि ₹ करोड़ में) Profit per employee (₹ in Crores)	0.26	0.26

व्यवसाय अनुपात/ सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:

- वित्त वर्ष के 12 महीनों के दौरान फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत सूचना के अनुसार कार्यशील निधियों की गणना कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी।
- निवल ब्याज आय / अर्जक आस्तियों का औसत। निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय।
- आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानि यदि कोई हो को छोड़कर कुल आस्तियाँ) के अनुसार होगा।
- प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है।

बी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

थर्ड पार्टी उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

Definitions of certain items in Business ratios / information:

- Working funds to be reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X, during the 12 months of the Financial Year.
- Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income - Interest Expense
- Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
- For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

b) Disclosure Regarding Bancassurance Business

Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु / For selling life insurance policies	259.93	255.59
गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु / For selling Non-life insurance policies	92.29	86.42
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना / Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	12.93	10.31
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना / Prime Minister Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	3.78	3.25
म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु / For selling mutual fund products	142.52	143.70
इक्विटी उत्पादों की बिक्री हेतु / For selling on Equity product	-	-
पीएमएस/ एआईएफ उत्पादों की बिक्री हेतु / For selling PMS/AIF products	1.15	1.31
युआईडीएआई-आधार / UIDAI-Aadhar	24.48	21.64
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) / Atal Pension Yojna (APY)	16.42	14.97

सी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीद और बिक्री की है :-

c) Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

The bank has purchased and sold the following PSLCs during the year:-

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान / During FY- 2025-26

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम / PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	22,000.00	-
4.	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान / PSLC Small and Marginal Farmers	-	10,000.00
5.	अन्य / Other	-	-
	कुल / Total	22,000.00	10,000.00

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान / During FY- 2024-25

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम / PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	7,500.00	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	60,000.00	-
4.	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान / PSLC Small and Marginal Farmers	-	1550.00
5.	अन्य / Other	-	-
	कुल / Total	67,500.00	1,550.00

डी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का मदवार विवरण इस प्रकार है:

d) Provisions and Contingencies

Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (बट्टे खाते डाले गए सहित और प्रतिलेखित को घटाकर) Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	58.52	37.35
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/ एनपीए के लिए प्रावधान (प्रतिलेखित को घटाकर) Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	5,715.02	5,252.32
स्टैंडर्ड आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for standard assets	1,206.64	419.11
कर हेतु प्रावधान, आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के रिवर्सल को घटाकर)) Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	5,089.11	6,873.23
जिनमें से, मौजूदा कर Out of which, Current Tax	5,251.45	5,766.75
आस्थगित कर Deferred Tax	(162.34)	1,106.48
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित स्टैंडर्ड व सब-स्टैंडर्ड खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	21.05	(81.97)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान Provision for Country Risk Management	34.75	31.23
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं) । Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	154.93	322.21
कुल Total	12,237.92	12,853.48

सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है । उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को लागू कर एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है । बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है ।

As a consistent practice, the Bank has continued to make provision of 20% on the secured sub- standard advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% Credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund based facility of the borrower. The Bank also continues to make 100% provision on certain classes of non-performing retail advances.

ई) आईएफआरएस के तहत संकलित भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी-एस) का क्रियान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एस) के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सभी बैंकों से प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बैंक में आईएनडी एस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के अनुमोदन के बाद बैंक प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एस वित्तीय विवरणी तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करता है।

एफ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	1,756.70	1,580.99
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया Arrears in payment of DICGC premium	-	-

जी) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1,454.41 करोड़ की अतिरिक्त देयता राशि का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/ 21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 से बैंकों को अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त प्रावधान का अनुपालन कर रहा है और तदनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान शेष देयता का प्रभारित कर दिया है। यह देयता पूरी तरह से परिशोधित है और 31 मार्च, 2026 तक कोई भी अपरिशोधित शेष राशि नहीं है।

(एच) आरक्षित एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹5,005.27 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹4,895.29 करोड़) का समायोजन सांविधिक प्रारक्षित निधि हेतु किया है।

e) Implementation of IFRS Converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

RBI vide Circular DBR.BPBC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank is preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS financial statements every half year after approval of Steering Committee, headed by the Executive Director, formed for monitoring the implementation of Ind AS in the Bank.

f) Payment of DICGC Insurance Premium

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

g) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks

The Bank has estimated an additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1454.41 Crore. RBI vide their Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021 has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted for the said provision of RBI and accordingly had charged the remaining liability during year ended March 31, 2026. This liability is fully amortised and there is no unamortised balance as on March 31, 2026.

h) Reserves and Surplus

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 5,005.27 Crores (Previous Year: ₹ 4,895.29 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2026 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000.

आरक्षित पूंजी

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक प्रारक्षित निधि, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी से ₹1,122.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 451.49 करोड़) का समायोजन किया है।

निवेश उतार – चढ़ाव संबंधी प्रारक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से तीन वर्षों की अवधि के भीतर सांविधिक विनियोजन के बाद उपलब्ध लाभ के अधीन, एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य निवेश संबंधी निवेश संबंधी उतार – चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) का निर्माण करना आवश्यक है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते से निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि के लिए ₹ 920 करोड़ राशि समायोजित की है। (पिछले वर्ष: ₹शून्य करोड़)

शेयर प्रीमियम

बैंक ने शेयरधारकों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई राशि के बराबर राशि का उपयोग करके शून्य करोड़ रुपये की संचित हानि को समाप्त कर दिया है।

स्पेशल रिज़र्व

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए स्पेशल रिज़र्व में ₹1,826.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,466.53 करोड़) का समायोजन किया है, जिसमें से ₹326.40 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित है।

एएफएस रिज़र्व

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2026 तक ₹ 439.60 करोड़ (आस्थगित कर के बाद निवल) का एएफएस रिज़र्व बनाया है (पिछले वर्ष: ₹1,618.35 शून्य)

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2026, the Bank appropriated ₹ 1,122.55 Crores (Previous Year: ₹451.49 Crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2026, the Bank has made ₹ 920 Crores appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: ₹ NIL)

Share Premium

The Bank has set off accumulated losses amounting to ₹ Nil Crores by utilizing an equivalent amount standing to the credit of share premium account of Bank as on the date of set off during the year ended 31.03.2026 after obtaining approval from shareholders as well as Reserve Bank of India.

Special Reserve

During the year ended March 31, 2026, the Bank appropriated ₹ 1,826.40 Crore (Previous Year ₹1,446.53 crore) in Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961, Out of which ₹ 326.40 crores pertains to the FY 2024-25.

AFS Reserve

In accordance with RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks, bank has AFS reserve of ₹ 439.60 crore (net of Deferred Tax) as on March 31, 2026 (net of Deferred Tax) (Previous Year: ₹ 1,618.35 crore)

i) लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्थिति
i) Status of Letters of Comfort

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued		आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
ए A	वर्ष के दौरान जारी Issued during the year	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas branches/ subsidiaries / Joint ventures.
बी B	बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) LOC Outstanding (Cumulative financial obligations) The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under: बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए एलओसी तथा संचयी वित्तीय दायित्व का विवरण निम्नानुसार है:	
ए)	पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख।	31 मार्च, 2026 को अनुषंगी कंपनी की जमाशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹ 402.32 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 34.46 करोड़। (अर्थात् ₹436.78 करोड़ की कुल देयताएं) हैं। 31 मार्च, 2026 को अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹293.19 करोड़ है। इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹143.59 करोड़ है।
a)	Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors	As on 31st March 2026, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 402.32 Crs and other outside liabilities are INR 34.46 Crs (i.e. total Outside liabilities of INR 436.78 Crore). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2026 is INR 293.19 Crs. The net contingent liability on Bank of Baroda is INR 143.59 Crs in this regard..
बी)	आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्टूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया।	31 मार्च, 2026 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाशियां के एवज में ऋण का निवल) रु. 24,097.64 करोड़ हैं, उधार ₹40,736.75 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹625.27 करोड़ (अर्थात् ₹65,459.66 करोड़ की कुल देयताएं) हैं। 31 मार्च, 2026 को शाखा की नेटवर्थ ₹4,840.03 करोड़ है। आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं। इसलिए, आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
b)	LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centers Authority (IFSCA) for IFSC, Gift City Branch	As on 31st March 2026, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 24,097.64 Crs, borrowings are INR 40,736.75 Crs and other outside liabilities are INR 625.27 Crs (i.e. total outside liabilities of INR 65,459.66 Crs). The net worth of the branch as on 31st March 2026 is INR 4,840.03 Crs. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet.

j) ग्रीन डिपॉजिट
j) Green Deposits

बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों में ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो से संबंधित सूचनाएं इस प्रकार हैं:

Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits in the Bank's Annual Financial Statements is as follows:

विवरण Particulars	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 मार्च 2026 तक Current Financial Year 2025-26 (as of March 31, 2026)	विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 (मार्च 31, 2025 तक) Previous Financial Year 2024-25 (as of March 31, 2025)	संचयी* Cumulative*
ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई कुल राशि (ए) Total green deposits raised (A)	1,164.44	1,083.09	1,899.12

विवरण Particulars	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 मार्च 2026 तक Current Financial Year 2025-26 (as of March 31, 2026)	विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 (मार्च 31, 2025 तक) Previous Financial Year 2024-25 (as of March 31, 2025)	संचयी* Cumulative*
ग्रीन डिपॉजिट राशि निधियों का उपयोग** Use of green deposit funds**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजनाएं) (1) Renewable Energy (Solar Projects)	1,164.44	1,083.09	1,899.12
(2) ऊर्जा दक्षता (2) Energy Efficiency	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन (3) Clean Transportation	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (4) Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन (5) Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (6) Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) ग्रीन बिल्डिंग (7) Green Buildings	-	-	-
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का संवहनीय प्रबंधन (8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण (9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
कुल ग्रीन डिपॉजिट निधि आवंटित (बी = 1 से 9 का योग) Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	1,164.44	1,083.09	1,899.12
आवंटित न की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए – बी) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	-	-	-
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किए जाने तक ग्रीन डिपॉजिट राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	NA	NA	NA

*ऊपर दी गई तालिका में बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू करने के बाद से संचयी जानकारी दी गई है। बैंक ने दिनांक 07 मार्च, 2024 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना आरंभ किया है, इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में दिनांक 07 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमा राशियों का विवरण शामिल है। वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और इन निधियों के उपयोग को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल किया गया है।

**नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के अंतर्गत, उप-क्षेत्र अर्थात् सौर ऊर्जा को आवंटित धनराशि के आधार पर बैंक ने संबंधित उप-श्रेणी में ब्यौरा प्रदान किया है।

*This above table contain the cumulative since the Bank has started offering green deposits. The Bank has commenced raising green deposits from March 07, 2024, hence the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, will contain particulars of deposits raised and allocated from March 07, 2024, till March 31, 2025. The actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds has been included in the above disclosure.

**Under the Renewable Energy category, Bank has provided its related sub-category i.e., Solar Energy based on the funds allocated to the said subsector.

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी- 1 इस अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि से संबंधित मदें तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

(i) पूर्व अवधि से संबंधित मद:

इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि से संबंधित आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति:

बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने में समान लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है, जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था।

बी-2 - एएस 11- विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित में परिवर्तन:

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2026 as followed in the previous financial year ended March 31, 2025.

B-2 - AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	2025-26	2024-25
प्रारंभिक शेष Opening balance	4,807.64	4,247.81
वर्ष के दौरान जमा Credited during the year	2,576.41	559.83
वर्ष के दौरान आहरण Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष Closing Balance	7,384.05	4,807.64

बी -3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है।

बी- 3.1 ग्रेच्युटी

जो कर्मचारी प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्जिट हो जाते हैं, बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक ट्रस्ट में अंशदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयताओं के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है। निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीएसओआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तहत की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी योजना आधार पर किया जाता है।

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.1 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

बी-3.2 पेंशन

बी-3.2.1 बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं हैं। कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है। बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है।

बी-3.2.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी बैंक द्वारा दिनांक 27.04.2010 के संयुक्त नोट/ समझौते के तहत शुरू की गई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जो कि दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा विनियमित किया जाता है।

दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है। निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है। हालांकि, 11वें द्विपक्षीय समझौते / 8वें संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार, बैंक के योगदान को 11 नवंबर 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

बी-3.3 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ज्वाइन की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रूप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट द्वारा शासित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ चयनकर्ता के लिए उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

B-3.2 Pension

B-3.2.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.2.2 New Pension Scheme In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme i.e. National Pension System (NPS) introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence, they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. The Defined Contributory Pension Scheme National Pension System (NPS) is regulated by PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority).

In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme i.e. National Pension System (NPS) at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution is made by the Bank and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager. However, in terms of 11th BPS / 8th Joint Note dated 11.11.2020, Bank's contribution has been enhanced from 10 % to 14 % of pay plus dearness allowance w.e.f. 11th November, 2020.

B-3.3 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

बी-3.4 अवकाश नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के अधिकतम 255 (संदर्भ-12वां बीपीएस/ दिनांक 08.03.2024 के 9वां संयुक्त नोट) दिनों के नकदीकरण के लिए पात्र है।

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण के लिए पात्र है।

बी-3.5 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना और अन्य समामेलित बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता/ करती हो।

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य जिन्होंने दिनांक 01.04.2019 से पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा में सेवा ग्रहण की थी वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक और अन्य समामेलित बैंकों को छोड़कर) में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हों और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता/ करती हो।

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों।

बी-3.6 प्रकटीकरण

I. परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

B-3.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 255 days (reference 12th BPS / 9th Joint Note dated 08.03.2024) on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-3.5 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he/ she had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB and any other amalgamated Banks) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member who had joined the Bank prior to 01.04.2019 on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he/ she had completed thirty-years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB and any other amalgamated Banks) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

B-3.6 Disclosures

I. Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी* / Gratuity*	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	32,451.64	31,004.03	5,377.56	4,181.17
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	2,238.71	1,989.17	408.80	279.66
जोड़ें- पिछली सेवा लागत Add - Past Service Cost	-	-	-	-
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	2,109.21	2,561.68	262.99	279.70

विवरण Particulars	पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी* / Gratuities*	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
घटाए- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	3,060.48	2,894.55	286.44	326.26
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि / लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(128.65)	(208.69)	(467.24)	963.29
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	33,610.43	32,451.64	5,295.67	5,377.56

* इसमें संविदागत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी हेतु समापन परिभाषित लाभ दायित्व ₹ 4.41 करोड़ की देनदारी शामिल है।*

*Closing defined benefit obligation for gratuity includes ₹ 4.41 Crore for contractual employees.

बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuities	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष Opening Fair Value of plan assets	29,944.42	29,496.79	4,170.85	3,040.42
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न Add- Expected Return on Plan Assets	2,245.83	2,212.26	312.81	228.03
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	2,916.33	925.47	1,406.71	1,140.75
घटाए- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	3,060.48	2,894.55	286.44	326.26
जोड़ें- बीमांकिक लाभ /(-) हानि Add- Actuarial gain/(-)loss	(234.23)	204.45	49.52	87.91
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष Closing Fair Value of Plan Assets	31,811.86	29,944.42	5,653.45	4,170.85

सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuities	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
i) परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष i) Closing Defined Benefit Obligation	33,610.43	32,451.64	5,295.67	5,377.56
ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष ii) Closing Fair Value of Plan Assets	31,811.86	29,944.42	5,653.45	4,170.85
iii) अंतर iii) Difference	1,798.57	2,507.22	(357.78)	1,206.71
iv) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता iv) Unrecognized transitional liability	-	(290.89)	-	-
v) तुलन-पत्र में मान्य देयता v) Liability Recognized in the BS	1,798.57	2,216.33	(357.78)	1,206.71

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि
d) Amount recognized in the Profit & Loss Account
 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
i) वर्तमान सेवा लागत i) Current Service Cost	2,109.21	2,561.68	262.99	279.70
ii) पूर्व सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	2,238.71	1,989.17	408.80	279.66
iv) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न iv) Expected Return on Plan Assets	2,245.83	2,212.26	312.81	228.03
v) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-) v) Net Actuarial Loss/gain(-)	105.59	(413.14)	(516.76)	875.38
vi) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण vi) Transitional liability recognized in the year	290.89	290.88	-	-
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi) Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi)	2,498.57	2,216.33	(157.78)	1,206.71

ई) निवेश पैटर्न: (% में)
e) Investment Pattern: (In %)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
सरकारी प्रतिभूतियां Govt. Securities	12.98	12.93	4.28	6.22
कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां Corporate Securities	13.44	14.21	4.24	6.06
अल्पकालिक प्रतिभूतियां Short-term Securities	-	-	-	-
इक्विटी Equity	5.02	4.92	1.68	2.32
बीमा Insurance	68.29	67.83	89.65	85.15
अन्य Others	0.27	0.11	0.15	0.25
कुल Total	100.00	100.00	100.00	100.00

एफ) बीमांकिक अनुमानित मूलधन [भारित औसत के रूप में]

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
रियायती दर Discount rate	7.24%	6.73%	7.81%	6.96%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on plan Assets	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%

मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (आईएएलएम 2012-2015) यूएलटी

Mortality Rate: Indian Assured Lives Mortality (IALM 2012-2015) ULT

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

g) Five year's disclosure for Pension

i) योजना में अधिशेष /कमी

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026
i. वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year		27,280.10	29,280.20	31,004.03	32,451.64	33,610.43
ii. वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year		25,429.17	25,695.94	29,496.79	29,944.42	31,811.86
iii. अंतर (ii-i) Difference (ii-i)		(1,850.93)	(3,584.26)	(1,507.24)	(2,507.22)	(1,798.57)
iv. अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost		-	-	-	-	-
v. अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability		(1,163.53)	(872.65)	(581.77)	(290.89)	-
vi. तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)		(687.40)	(2,711.61)	(925.47)	(2,216.33)	(1,798.57)

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) योजना में अधिशेष/ कमी

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026
i. वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year		3,053.69	3,029.60	4,181.17	5,377.56	5,295.67
ii. वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year		2,986.54	2,905.68	3,040.42	4,170.85	5,653.45

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026
iii.	अंतर (ii-i) Difference (ii-i)	(67.15)	(123.92)	(1,140.75)	(1,206.71)	357.78
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	-	-	-	-	-
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(67.15)	(123.92)	(1,140.75)	(1,206.71)	357.78

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व): संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समायोजन

II) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	2,666.68	2,260.53	316.94	287.76
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	201.67	149.85	23.94	19.20
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	447.29	472.61	6.53	7.50
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	168.86	215.09	21.02	23.95
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(588.03)	(1.22)	(50.80)	26.43
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	2,558.75	2,666.68	275.59	316.94

बी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
i) मौजूदा सेवा लागत Current Service Cost	447.29	472.61	6.53	7.50

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
ii) विगत सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	201.67	149.85	23.94	19.20
iv) निवल बीमाकिक हानि/ लाभ (-) iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	(588.03)	(1.22)	(50.80)	26.43
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च Expenses Recognized in P&L	60.93	621.24	(20.33)	53.13

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारंभिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों) का समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/ (assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण* Leave Encashment*		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष i) Opening Defined Benefit Obligation	2,666.68	2,260.53	316.94	287.76
ii) निवल अधिग्रहण लागत ii) Net Acquisition Cost	-	-	-	-
iii) उपरोक्तानुसार व्यय iii) Expenses as above	60.93	621.24	(20.33)	53.13
iv) प्रदत्त लाभ iv) Benefit paid	168.86	215.09	21.02	23.95
v) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	2,558.75	2,666.68	275.59	316.94

*इसमें संविदागत कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण हेतु ₹2.08 करोड़ की निवल देयता शामिल है।

* Net liability for leave encashment includes liability for contractual employees amounting to ₹ 2.08 Crore.

डी) मूल बीमाकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2025
रियायती दर Discount rate	7.81%	6.96%	7.81%	6.96%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
हास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (आईएलएम 2012-2015) यूएलटी

Mortality Rate: Indian Assured Lives Mortality (IALM 2012-2015) ULT

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक होते हैं और सीमित विगत अनुभव/ नजदीकी भविष्य पर आधारित नहीं होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है।

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी- 4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख प्राथमिक सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा कराार तथा डेरिवेटिव करारों के तहत की गई ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।

ii. कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में ऋण देने संबंधी ऐसी समस्त गतिविधियां शामिल हैं जो रिटेल ऋण सम्मिलित नहीं हैं।

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹7.50 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता के खाते शामिल हैं। रिटेल सेगमेंट के तहत डिजिटल बैंकिंग उप खंड भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के पास शेष राशि को दर्शाता है।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

- घरेलू परिचालन - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय
- विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफ़सोर बैंकिंग इकाइयां

III) राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन की आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट की आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

- ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

B-4. Segment Reporting (Accounting Standard -17)

B-4.1 Segment Identification

I. **Primary (Business Segment):** The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises all the lending activities which are not included under Retail Banking.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of upto ₹ 7.5 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directive.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

- Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognized as under:

- The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

- बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किया गया शेष ब्याज रिटेल बैंकिंग परिचालन के कारण व्युत्पन्न होता है।
- सी) अन्य आय/ अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग/ खुदरा बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है।
- बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें आबंटित नहीं श्रेणी में रखा जाता है।

- b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.
- c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

बी- 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी B-4.2 Segment Information
भाग ए: कारोबार सेगमेंट Part A: Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking				अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total
	वि.व.: 2025-26 FY:2025-26	वि.व.: 2024-25 FY:2024-25	वि.व.: 2025-26 FY:2025-26	वि.व.: 2024-25 FY:2024-25	डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)	अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)	कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)		वि.व.: 2025-26 FY:2025-26	वि.व.: 2024-25 FY:2024-25	
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	32963.24	32234.69	49567.32	51740.21	1.73	59722.48	53627.63	59724.21	495.72	485.30	1,38,088.97
सेगमेंट परीणाम Segment Result	7074.56	6947.09	10474.79	16924.86	(16.31)	12314.70	8454.80	12298.39	495.73	485.30	32,796.74
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense											6,342.36
कर पूर्व लाभ Profit before tax											26,454.38
घटाएं : कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax											6,873.23
विशिष्ट लाभ/हानि Extra-Ordinary Profit/Loss		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ Net Profit											19,581.15
सेगमेंट आस्तिyaं Segment Assets	551606.99	522144.15	806629.63	709789.49	26.47	609166.56	519399.39	609193.03	-	-	17,51,350.06
अनाबंटित आस्तिyaं Unallocated Assets											29,897.26
कुल आस्तिyaं Total Assets											2009163.81
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	509544.20	482006.57	745120.08	655227.49	24.45	562714.56	479472.81	562739.01	-	-	16,16,722.59
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities											27,599.05
कुल देयताएं Total Liabilities											1855955.01
											1644321.64

भाग बी - भौगोलिक खंड

Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
	वि.व.: 2025-26 FY: 2025-26	वि.व.: 2024-25 FY: 2024-25	वि.व.: 2025-26 FY: 2025-26	वि.व.: 2024-25 FY: 2024-25	वि.व.: 2025-26 FY: 2025-26	वि.व.: 2024-25 FY: 2024-25
राजस्व* Revenue*	126945.67	122808.45	15804.82	15280.52	142750.49	138088.97
आस्तियां** Assets**	1651122.47	1488178.16	358041.34	293069.16	2009163.81	1781247.32

*वर्ष के लिए **31 मार्च तक

*For the year, ** As on 31st March

बी-5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी
4. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब कार्ड्स लिमिटेड (जिसे पहले बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
6. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8. बीओबी सिक्योरिटीज एंड गिल्टेज लिमिटेड (13.03.2026 से प्रभावी)

बी) एसोसिएट्स

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (01.05.2025 से "गुजरात ग्रामीण बैंक" में समामेलित)
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (01.05.2025 से "राजस्थान ग्रामीण बैंक" में समामेलित: प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (New Zealand) Limited
7. Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOBCard Ltd (Formerly BOB Financial Solutions Limited)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formally known as Baroda Trustee India Private Limited)
6. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited
7. IndiaFirst Life Insurance Company Limited
8. BOB Securities & Giltedge Limited (w.e.f. 13.03.2026)

b) Associatess

i) Regional Rural Banks

1. Baroda Gujarat Gramin Bank (amalgamated in "Gujarat Gramin Bank" from 01.05.2025)
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (amalgamated in "Rajasthan Gramin Bank" Sponsor Bank: State Bank of India from 01.05.2025)

3. बड़ौदा यूपी बैंक (01.05.2025 से "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" में समामेलित)
4. गुजरात ग्रामीण बैंक (01.05.2025 से प्रभावी)
5. उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (01.05.2025 से प्रभावी)

ii) अन्य

1. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इन्फ्रा डेब्ट लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (05.11.2025 तक)

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

3. Baroda U P Bank (amalgamated in "Uttar Pradesh Gramin Bank" from 01.05.2025)
4. Gujarat Gramin Bank (w.e.f. 01.05.2025)
5. Uttar Pradesh Gramin Bank (w.e.f. 01.05.2025)

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures

1. India Infra debt Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd (upto 05.11.2025)

d) Key Management Personnel

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement)	
			31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
1	डॉ. देबदत्त चांद Dr. Debadatta Chand	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	73,15,863	73,92,726
2.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	85,54,052	66,09,001
3.	श्री लाल सिंह Shri Lal Singh	कार्यपालक निदेशक Executive Director	84,55,270	52,19,129
4.	श्री संजय मुदालियर Shri Sanjay Mudaliar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	75,93,540	50,74,769
5.	श्रीमती बीना वाहिद Smt. Beena Vaheed	कार्यपालक निदेशक (09.08.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.08.2024)	69,14,178	27,53,882

लेखों पर टिप्पणियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं। साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

As per paragraph 9 of AS 18, no disclosure is required in the financial statements of state-controlled enterprises as regards related party relationships with other state controlled enterprises and transaction with such enterprises. Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण

वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2025-26

e) Details of transactions with Related parties

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

मद/ संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	64.54	-	-	64.54
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32	-	-	10.32

वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2024-25

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

मद/ संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	0.58	-	-	0.58
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	50.44	-	-	50.44
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32	-	-	10.32

एफ) शेष राशियों का विवरण -

वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2025-26

f) Details of balances outstanding -

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

मद/ संबंधित पार्टी* Items/ Related Party*	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
जमा * Deposit *	-	-	12.04 (18.04)	-	-	12.04 (18.04)
निवेश Investments	-	-	865.00 (922.50)	-	-	865.00 (922.50)
उपचित ब्याज Interest accrued	-	-	26.73 (44.30)	-	-	26.73 (44.30)

वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2024-25
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

मद/ संबंधित पार्टी* Items/ Related Party*	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
जमा * Deposit *	-	-	18.04 (200.05)	-	-	18.04 (200.05)
निवेश Investments	-	-	880.50 (1296.50)	-	-	880.50 (1296.50)
उपचित ब्याज Interest accrued	-	-	31.81 (77.16)	-	-	31.81 (77.16)

*इस राशि में 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2026 तक चालू खाते में उपलब्ध शेष राशि शामिल हैं।

*Amount includes balance in current accounts as on March 31, 2026 & March 31, 2025.

कोष्ठक में दी गई राशि वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष को दर्शाती है

Amount in brackets denote maximum balance outstanding during the year.

बी-6 लेखांकन मानक -19 - “लीज”

परिचालित लीज पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

परिचालित लीज में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक के विकल्प पर निर्भर है।

निम्नलिखित तालिका में, सूचित अवधि के लिए, उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनकी परिचालित लीज रद्द नहीं की जा सकती है:

B-6 Accounting Standard -19 - “Lease”

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
एक वर्ष से अधिक नहीं Not later than one year	1.48	1.32
एक वर्ष से अधिक व पांच वर्षों से अधिक नहीं Later than one year and not later than five years	2.95	2.86
पांच वर्षों से अधिक Later than five years	1.96	1.87
कुल Total	6.39	6.05

* इसमें मासिक किरायेदारी/समाप्त पट्टे वाले परिसर शामिल हैं।

* includes premises with monthly tenancy/expired lease.

परिचालित लीज के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त लीज के भुगतान की राशि ₹ 987.07 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 915.56 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 987.07 Crore (Previous Year: ₹ 915.56 Crore)

बी-7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - “प्रति शेयर आय” के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी एवं न्यून आय रिपोर्ट करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके “मूल आय” प्रति शेयर की गणना की जाती है।

B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - “Earnings per Share”. “Basic earnings” per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	-
वर्षांत पर शेयरों की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	20,021.06	19,581.15
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	38.72	37.86
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	38.72	37.86
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- Face Value	₹ 2/- Face Value

बी-8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक -22)
आय पर करों के लिए लेखांकन

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान की राशि

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)
Accounting for Taxes on Income

Amount of Provisions for Taxation during the year:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान Provision for Tax including deferred tax	6,520.44	6,911.4
जोड़ें/ (घटाएं) : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल Add/ (Less): Tax Provision relating to previous years	(1,431.33)	(37.96)
कर के लिए कुल प्रावधान Total provision for Tax	5,089.11	6,873.24

ए) वर्तमान कर:

वर्ष के दौरान बैंक ने वर्तमान कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 6,682.77 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹5,804.73 करोड़) डेबिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इसके साथ ही वर्ष के दौरान, बैंक को पूर्व के कर निर्धारण वर्षों से संबंधित कर मामलों पर आईटीएटी/अपीलीय प्राधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसार, बैंक ने अपने लाभ और हानि खाते में ₹ 1,431.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37.96 करोड़) के कर प्रावधान को प्रतिवर्तित कर दिया है।

अ) Current Tax:

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹6,682.77 Crore (Previous Year ₹5,804.73 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961. Also during the year, the Bank has received favourable order from ITAT/ Appellate Authority on tax matters pertaining to earlier assessment years. Accordingly the Bank has reversed tax provision of ₹1,431.33 Crores (Previous Year ₹37.96 Crore) to its profit and loss account.

अनुसूची 8 – निवेश के अंतर्गत निवेशों का प्रस्तुतीकरण - भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रस्तुतीकरण प्रारूप के अनुसार किया गया है। तथापि, करायान प्रयोजनों हेतु, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर, बैंक वित्तीय विवरणों में उनके प्रस्तुतीकरण से इतर अपने सभी प्रतिभूति निवेशों को व्यापार हेतु धारित स्टॉक के रूप में वर्गीकृत करता है।

बी) आस्थगित कर:

- वर्ष के दौरान आस्थगित कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 162.34 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 1,106.47 करोड़) क्रेडिट किए गए हैं।
- बैंक के पास ₹ 3,696.26 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 3,124.31 करोड़ की शुद्ध डीटीए) की निवल आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) हैं।

डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

The presentation of investments under Schedule 8- Investment is in accordance with the presentation format prescribed under the applicable RBI guidelines. However, for taxation purpose, base on various case laws, the Bank categories all its investments in securities as Stock-in-Trade irrespective of its presentation in the financial statements.

ब) Deferred Tax:

- During the year, ₹162.34 Crore has been Credited to Profit and Loss Account (Previous Year: ₹ 1,106.47 Crores) on account of deferred tax.
- The Bank has a Net Deferred Tax Asset (DTA) of ₹ 3,696.26 Crore (Previous year: Net DTA of ₹3,124.31 Crores).

The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
ए. घरेलू A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	185.76	204.82
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for fraud	170.26	168.75
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई) Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized and Realized)	1,343.67	695.19
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	645.45	672.42
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	5,639.88	5,675.67
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	53.60	72.05
निवेश के मूल्यांकन पर डीटीए -एएफएस पोर्टफोलियो DTA on Valuation of Investment -AFS Portfolio	159.57	-
कुल डीटीए Total DTA	8,198.19	7,488.90
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,921.34	2,461.63
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,456.76	1,532.51
निवेश के मूल्यांकन पर डीटीए -एएफएस पोर्टफोलियो DTL on Valuation of Investment – AFS Portfolio	307.76	544.71
कुल डीटीएल Total DTL	4,685.86	4,538.86
निवल आस्थगित कर देयताएं (ए) Net Deferred Tax Assets (A)	3,512.33	2,950.03

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन) B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच का अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	185.38	204.18
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	646.03	672.90
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	5,815.83	5,843.65
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित Foreign Currency Translation Reserve	1,343.67	695.19
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for Fraud	170.26	168.75
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	61.39	78.50
निवेश के मूल्यांकन पर डीटीए - एएफएस पोर्टफोलियो DTA on Valuation of Investment - AFS Portfolio	159.57	-
कुल डीटीए Total DTA	8,382.12	7,663.17
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,921.34	2,461.63
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,456.76	1,532.51
निवेश के मूल्यांकन पर डीटीए - एएफएस पोर्टफोलियो* DTL on valuation of Investment - AFS Portfolio*	307.76	544.71
कुल डीटीएल Total DTL	4,685.86	4,538.85
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी) Net Deferred Tax Assets (B)	3,696.26	3,124.32

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादग्रस्त राशि शामिल है। ₹ 5,057.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,036.63 करोड़) की विवादग्रस्त आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति स्थायी नहीं हैं।

पिलर 2 टॉप-अप कर

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओसीईडी) ने वैश्विक न्यूनतम कर ढांचे (पिलर टू फ्रेमवर्क) के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं। इस तरह का ढांचा यह सुझाव देता है कि सभी अधिकार-क्षेत्र में न्यूनतम प्रभावी कर की दर 15% होनी चाहिए जहां संबंधित कॉर्पोरेशन ऑपरेट करते हैं।

Tax Paid in advance/ Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/ paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 5,057.59 Crore (previous year ₹12,036.63 Crore) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same matter, additions / disallowances made are not sustainable.

Pillar 2 Top-up Tax

The Organization for Economic Co-operation and Development (OCED) has issued model rules for a global minimum tax framework (Pillar Two Framework). Such framework suggest the minimum effective tax rate to be 15% in all jurisdictions where the subject corporations operates.

बैंक का वैश्विक राजस्व (शाखाएं, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम) फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित सीमा को पूरा करता है। एक व्यापक समीक्षा की गई है, जो यह सुझाव देती है कि कई क्षेत्राधिकारों में, जहां बैंक ऑपरेट करता है, फ्रेमवर्क के लिए कानून अधिनियमित नहीं किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है जहां अंतिम मूल इकाई मौजूद है। हालांकि, कुछ न्यायालयों जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने नियम बनाए हैं। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए, बैंक ओईसीडी पिलर दो नियमों से उत्पन्न होने वाले करों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को पहचानने और प्रकट करने से अपवाद लागू कर रहा है।

क्षेत्राधिकार विशिष्ट वित्तीय सूचना के प्रारंभिक मूल्यांकन और संबंधित क्षेत्राधिकारों में बैंक द्वारा पहले से प्रदान किए गए करों के प्रावधान के आधार पर, ढांचे के अनुप्रयोग के कारण किसी अतिरिक्त प्रभाव की प्रत्याशा नहीं है।

बी-9 समेकित वित्तीय विवरणी में एसोसिएट्स

अपने एसोसिएट्स संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास अपनी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती हैं, इसलिए, ऐसे निवेश को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 05.04.2025, दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी, के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में समाहित करने का प्रावधान किया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का विवरण निम्नानुसार है:

The Bank's global revenue (Branches, Subsidiaries & Joint ventures) meets the prescribed threshold under Framework. A broad review is undertaken, which suggest that legislation for the framework has not been enacted in many jurisdictions where the Bank operates, including in India where the Ultimate Parent Entity exists. A few jurisdictions, though, have enacted the rules, viz. United Kingdom, Australia & Singapore. For the current reporting period, Bank is applying the exception from recognizing and disclosing deferred tax assets and liabilities related to taxes arising from the OECD Pillar Two rules.

Based on the preliminary assessment of the jurisdiction specific financial information and the provision for taxes already provided by the Bank in respective jurisdictions, no additional impact is expected due to the application of framework

B-9 Accounting for Investments in Associates

Investments of the Bank in its Associates are participative in nature and the Bank is having the power to exercise significant influence on their activities, hence, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

The Government of India, vide gazette notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 05.04.2025, has provided for the amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) into a single Regional Rural Bank (RRB) in different states effective from 01.05.2025.

Details of the Amalgamation of RRBs sponsored by the Bank of Baroda are as under:

राज्य State	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी Transferor RRB	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of Transferor RRB	समामेलित आरआरबी Amalgamated RRB	हस्तांतरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferee RRBs
गुजरात Gujarat	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक Baroda Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	गुजरात ग्रामीण बैंक Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक Saurashtra Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India		
राजस्थान Rajasthan	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक Rajasthan Marudhara Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	राजस्थान ग्रामीण बैंक Rajasthan Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda		
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	बड़ौदा यूपी बैंक Baroda U P Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Uttar Pradesh Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	आर्यावर्त बैंक Aryavart Bank	बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India		
	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक Prathama U P Gramin Bank	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank		

तदनुसार, वर्ष के दौरान, बैंक ने समामेलित आरआरबी के प्रायोजक बैंक के रूप में, गुजरात ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी के 35% के लिए क्रमशः ₹ 35.99 करोड़ और ₹ 341.43 करोड़ की राशि की सदस्यता ली है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, बैंक को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में, आरआरबी में इसके निवेश का फेस वैल्यू होने पर, ₹108.27 करोड़ रुपये का पूंजीगत मोचन प्राप्त हुआ है। इसका बैंक के स्टैंडअलोन लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक - 24)

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने पुनर्गठन और युक्तिकरण पहल के रूप में कुछ विदेशी क्षेत्रों/परिचालनों को बंद कर दिया, जो लेखा मानक (एएस) 24 - परिचालन बंद करना में निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

जिसका विवरण इस प्रकार है:

1. ब्रुसेल्स टेरिटरी और ओमान टेरिटरी में विदेशी परिचालन बंद करना।
2. फिजी टेरिटरी में राकीराकी और सिगाटोका में स्थित दो शाखाओं को बंद करना।
3. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी नामक संयुक्त उद्यम को बंद करना।

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

Accordingly, during the year, the Bank has subscribed an amount aggregating to ₹ 35.99 Crore and ₹ 341.43 Crore towards 35% of the share capital of Gujarat Gramin Bank and Uttar Pradesh Gramin Bank respectively, being the sponsor bank of the Amalgamated RRBs. Further, during the year, the Bank has received a capital redemption of ₹ 108.27 Crore in case of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, being the face value of its investment in the RRB. The same does not have any impact on the standalone profit and loss account of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard- 24)

During the year, the Bank discontinued certain overseas territories/operations as part of its restructuring and rationalization initiatives, which do not fall under the threshold specified in Accounting Standard (AS) 24 – Discontinuing Operations.

The details are as follows:

1. Closure of overseas operations in Brussels territory and Oman territory.
2. Closure of two branches located at Rakiraki and Sigatoka in the Fiji territory.
3. Closure of Joint Venture, namely India International Bank (Malaysia) BHD

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप Nature of Investments	स्वामित्व का % % of owner ship	
			31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी* India International Bank (Malaysia) Bhd*	मलेशिया Malaysia	संयुक्त उद्यम Joint Venture	-	40.00%
इंडिया इन्फ्रा डेट लिमिटेड India Infradebt Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.99%	40.99%

*05.11.2025 तक

*upto 05.11.2025

बी-12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक - 28)

एएस-28 के अनुसार "परिसंपत्तियों की क्षति" के संदर्भ में ₹ 4.77 करोड़ के हानि प्रभार को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है, जहां वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है।

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In terms of AS – 28 "Impairment of Assets" impairment charge of ₹ 4.77 Crore has been debited to Profit & Loss account wherein current value is less than cost of the property .

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक - 29):

बी-13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है।

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों में परिवर्तन
Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	366.76	288.36
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन Provided / Adjustment during the year	8.52	78.40
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि Amount Used during the year	-	-
31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	375.28	366.76
आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान, मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

बी) आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं हैं।

बी.13.2 आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)
I) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई मांग और बैंक द्वारा रेज़ किए गए डिस्युट भी शामिल हैं।

II) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है। आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश ₹ 0.28 करोड़ में केंद्रीय भंडारण निगम को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है।

III) फारवर्ड एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव करारों के कारण देयता:

बैंक ने ग्राहकों और अपने स्वयं के लिए विदेशी मुद्रा करार, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं फारवर्ड रेट करार किए हैं।

- फारवर्ड एक्सचेंज करार अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है।
- मुद्रा स्वैप, मौजूदा स्पाट रेट के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेड करार है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देते हैं।

a) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

b) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

B-13.2 Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)
I) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

II) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. Liability for partly paid investments of ₹ 0.28 Crore represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation.

III) Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers.

- Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate.
- Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates.
- Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows.
- Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake

- v. फारवर्ड रेट करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है।
- vi. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।
- vii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन करार, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव करार है, जो समाप्ति की तारीख पर एक नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि की बाध्यता के बिना विनिमय का अधिकार देता है।
- viii. करेंसी फ्यूचर्स करार निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत एक्सचेंज-ट्रेडेड करार है।

आकस्मिक देयता की राशि संबंधित फारवर्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव करार के अनुमानित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

IV) संघटकों के पक्ष में दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, बैंक अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

V) स्वीकृति, एंडोर्समेंट और अन्य दायित्व

इसमें अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत या एंडोर्स किया गया है, को शामिल किया गया है।

- VI) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (डेरिवेटिव के अनुमानित मूल्य के कारण आकस्मिक देयताएँ, जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में अंतरित बिना दावे की जमा राशियाँ और रेपो लेन-देन के तहत प्राप्य/सुपुर्दगी योग्य प्रतिभूति आदि सहित।

सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बैलेंसिंग ऑफ बुक्स एवं मिलान

31.03.2026 तक बकाया मिलान - चूंकि सभी शाखाएं सीबीएस के तहत कार्यरत हैं, इसलिए सिस्टम द्वारा बैलेंसिंग ऑफ बुक्स का कार्य किया जाता है। अंतर शाखा खातों में शामिल और आईबीओ विभाग को आबंटित खातों के विभिन्न हेड्स में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का दिनांक 31.03.2026 तक का प्रारंभिक मिलान पूरा कर लिया गया है। ऑफिस अकाउंट से संबंधित मिलान और प्रावधान का लेखा-परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

सी-2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है।

a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date.

- v. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.
- vi. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time.
- vii. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry.
- viii. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price.

The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

IV) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

V) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

- VI) And other items for which Bank is contingently liable (including Contingent liabilities on account of Notional value of Derivatives, unclaimed deposits transferred to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF) and security receivable/deliverable under Repo Transactions etc.

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Balancing Arrears as at 31.03.2026 - As all the branches are under CBS, the balancing of books is taken care of by the system. Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter branch accounts and allotted to IBO department has been completed up to 31.03.2026. The reconciliation and provisioning related to office accounts is audited by statutory auditors.

C-2 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises. The details regarding Micro and Small Enterprises have been provided by the Management and relied upon by us.

सी-3 परिसर

सी-3.1 बैंक की कुल ₹ 23.86 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 79.88 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

सी-3.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास – वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रभारित मूल्यहास ₹ 1,179.27 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 587.61 करोड़) और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यहास ₹ 1,917.27 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 1,392.87 करोड़) रहा है।

सी-4 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत भूमि/परिसंपत्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण'

C-3 Premises

C-3.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 23.86 Crore (Previous Year: ₹ 79.88 Crore).

C-3.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹ 1,179.27 Crore depreciation charged for FY 2025-26 (Previous year: ₹ 587.61 Crore) and Total depreciation charged during FY 2025-26 is ₹ 1,917.27 Crore (Previous Year: ₹ 1,392.87 Crore).

C - 4 Disclosure on provisioning pertaining to Land/Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि की राशि Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	51.95	51.95
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान Provisions held at the beginning of the year	51.95	51.95
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान Provisions made during the year by debiting profit and loss account	-	-
'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	-	-

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन सबसे पहले प्रभारों के लिए किया जाएगा उसके बाद ब्याज आय के लिए और अंत में बकाया मूलधन के लिए किया जाएगा।

सी-5 वर्ष के दौरान ₹ 1.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.02 करोड़) के अदावी लाभांश को अविलंब निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ़) को अंतरित किया गया।

सी-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर. नं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2026 को कुल ₹ 6496.11 करोड़ (कुल बकाये का 100.00%) (पिछले वर्ष ₹ 6571.30 करोड़) का प्रावधान किया है।

सी - 7 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु परिचालन खर्च ₹ 36.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 23.94 करोड़) रहा।

बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक हिस्से के रूप में ₹ 36.96 करोड़, जिनमें से ₹ 195.81 करोड़ पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का 1% का खर्च और अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में संड्री जमा खाते में रखी शेष सीएसआर निधि के शून्य

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

C-5 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is ₹ 1.60 Crore (Previous Year: ₹ 2.02 Crore).

C-6 As per RBI letters no. DBR. No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6496.11 Crore (100.00% of total outstanding) as on March 31, 2026 (Previous Year ₹ 6571.30 Crore (100.00% of total outstanding)).

C-7 Corporate social responsibility

Operating expenses include ₹ 36.96 Crore (previous year: ₹ 23.94 Crore) for the year ended March 31, 2026 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent total amount of ₹ 36.96 Crores, out of ₹ 195.81 Crores being 1% of the published profit of the Bank for the previous year and NIL being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry

का विनियोजन किया है। एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से व्यय की एक ऐसी आधारशिला रखी है, जिसके माध्यम से बैंक भावी परियोजनाओं और साझेदारी को आगे बढ़ा सके। बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर व्यय हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। आगामी वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करेगा।

संबंधित वर्ष के दौरान सीएसआर हेतु खर्च राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

Deposit A/c, as part of its CSR for the year ended March 31, 2026. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement.

The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026			31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025		
	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
शिक्षा एवं प्रशिक्षण Education and training	29.84	-	29.84	19.39	-	19.39
स्वास्थ्य Health & Care	1.51	-	1.51	1.17	-	1.17
समाज कल्याण Social Welfare	5.58	-	5.58	3.34	-	3.34
महिला कल्याण Women Welfare	0.03	-	0.03	0.04	-	0.04
अन्य Others	-	-	-	-	-	-
कुल Total	36.96	-	36.96	23.94	-	23.94

सी - 8 गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में ₹1.27 करोड़ के पारिश्रमिक (पिछले वर्ष: ₹1.21 करोड़) का भुगतान किया गया।

सी - 9 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल-III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात सहित पिलर 3 प्रकटीकरणों को हमारी वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii> पर उपलब्ध किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, एनएसएफआर और एलसीआर फ्रेमवर्क के तहत प्रकटीकरण लिंक: <https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/financial-reports/> पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा/समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

सी- 10 आरबीआई के अनुसार, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण निदेश, 2025 पर आरबीआई/डीओआर/2025-26/164डीओआर.एसटीआर.आरईसी.83./21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के माध्यम से बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्लोटिंग प्रोविजन पॉलिसी लागू की है। 31 मार्च, 2026 तक, पॉलिसी

C - 8 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2026 amounted to ₹1.27 Crore (Previous year: ₹1.21 Crore).

C-9 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio under the Basel-III framework are being made available on our website in the following link: <https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii>.

Additionally, disclosures under NSFR & LCR framework are being made available on the following link: <https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/financial-reports/>. These disclosures have not been subjected to audit/ review by the SCAs of the Bank.

C-10 As per the RBI RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR. REC.83./21.04.048/2025-26 on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 dated November 28, 2025, Bank has in place Floating Provision Policy approved by the Board. As on March 31, 2026, the Bank has floating provision of ₹ 2,500.00

के अनुरूप, बैंक का ₹ 2,500.00 करोड़ (31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्मित ₹ 1,900.00 करोड़) की फ्लोटिंग का प्रावधान है।

सी- 11 भारत सरकार ने 21 नवंबर, 2025 से नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है। कुछ अनुमानों और अवधारणाओं पर बैंक द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, कर्मचारी लाभ पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में, नई श्रम संहिताओं पर केंद्रीय और राज्य नियमों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है, जिसके आधार पर उपर्युक्त अनुमानों और अवधारणाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

सी- 12 वर्ष के दौरान, विवेकसम्मत मामले के रूप में, बैंक ने मोर्टेलिटी रेट तालिका को आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी से आईएएलएम (2012-2015) यूएलटी में शिफ्ट करके बीमांकिक गणना के लिए संबंधित अवधारणा को अद्यतित करने का निर्णय लिया। इस परिवर्तन के कारण, 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 520.37 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

सी- 13 "एनएमसी समूह के भीतर संस्थाओं के प्रशासकों ने (उनकी दिवालियेपन की स्थिति के परिणामतः) डॉ. बीआर शेटी, श्री प्रशांत मनघाट और बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("बैंक") के विरुद्ध आबू धाबी ग्लोबल मार्केट ("एडीजीएम") कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस तथा इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के समक्ष विधिक कार्यवाही फ़ाइल की है। एडीजीएम कार्यवाही में दिनांक 23 मार्च, 2026 को मुकदमा शुरू हुआ और अभी कार्यवाही चल रही है। एडीजीएम की कार्यवाही के परिणाम की प्रत्याशा में इंग्लैंड में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2012-2020 के बीच शेयरधारकों, समूह के वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता लगने के कारण दिवालिया होने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

एडीजीएम की कार्यवाही में इस तरह की कथित धोखाधड़ी के कारण होने वाली धोखाधड़ी और नुकसान के संबंध में एडीजीएम और यूआई कानून के तहत दिवाला और नागरिक दावे शामिल हैं। बैंक ने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और दोनों कार्यवाहियों के संबंध में अपने पक्ष को मजबूती से (तथ्यों और कानून के आधार पर) रखा है। कार्यवाही में बैंक का प्रतिनिधित्व भारत और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित बैरिस्टर और लॉ फर्म द्वारा किया जाता है। बैंक ने अपना मत रखा है कि तथ्यों और कानूनी रूप से बैंक के मजबूत बचाव को देखते हुए इस स्तर पर दावों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

सी- 14 निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹ 8.50 (425%) के लाभांश की अनुशंसा की है, जो शेयरधारकों से अपेक्षित अनुमोदन के अधीन है।

सी- 15 आवश्यकतानुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

जहां भी कोष्ठक में आंकड़े दिए गए हैं वे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

Crore (₹ 1,900.00 Crore created during the year ended March 31, 2026) and in accordance with the policy.

C-11 The Government of India has notified New Labour Codes effective from November 21, 2025. Based on the broad assessment carried out by the Bank on certain estimates and assumptions, the impact of the same on employee benefits is not material. Currently, the finalisation of Central and State Rules on the New Labour Codes is awaited based on which the above estimates and assumptions will be re-assessed.

C-12 During the year, as a matter of prudence, the Bank decided to update one of the assumptions for actuarial calculation by shifting mortality rate table from IALM (2012-2014) ULT to IALM (2012-2015) ULT. Due to this change, an amount of ₹ 520.37 Crore is provided during the quarter ended 31 March 2026.

C-13 "The Administrators of entities within the NMC Group have filed legal proceedings against Dr. BR Shetty, Mr. Prashant Manghat, and Bank of Baroda ("Bank"), before the Abu Dhabi Global Market ("ADGM") Court of First Instance and England & Wales High Court arising out of their insolvency. The trial in the ADGM Proceedings began on 23 March 2026 and is underway. The proceedings in England have been stayed to await the outcome of the ADGM proceedings. The insolvency is said to have arisen due to discovery of fraud perpetrated by shareholders, senior management and employees of the group between the years 2012-2020.

The ADGM proceedings include insolvency and civil claims under ADGM and UAE law in relation to the fraud and losses occasioned on account of such alleged fraud. The Bank denies all allegations made against it and has filed a robust defence (on facts and law) in both proceedings. The Bank is represented by eminent barristers and law firms from India and the United Kingdom in the proceedings. The Bank maintains its view that claims cannot be crystallized at this stage given the Bank's robust defence in facts and law.

C-14 The Board of Directors has recommended a Dividend of ₹ 8.50 per share (425%) for the year ended on March 31, 2026 subject to the requisite approvals from shareholders.

C-15 Previous year's figures have been regrouped/reclassified where necessary to conform to current year classification.

Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र

Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2026

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	A. Cash flow from operating activities:		
कर पूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	25,11,017	26,45,438
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	1,91,727	1,39,287
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	5,852	3,735
बटूटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	5,69,397	5,17,035
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1,20,664	41,911
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	18,968	35,344
अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(1,276)	(4,041)
बॉण्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	3,46,263	3,12,585
अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	(63,110)	(24,762)
उप योग	Sub total	36,99,502	36,66,532
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(2,39,574)	(11,45,740)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(205,23,019)	(148,94,653)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in other assets	(28,711)	1,47,380
उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	26,82,628	19,13,307
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	176,45,238	136,89,845
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	3,04,517	3,50,412
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(4,43,070)	(9,25,070)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (ए)	Net cash from operating activities (A)	30,97,511	28,02,013

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025
बी. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण	Purchase/Transfer in of fixed assets	(1,69,307)	(1,14,500)
अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण	Sale/ Transfer out of fixed assets	28,555	38,415
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	9,185	(34,160)
अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	63,110	24,762
निवेश संबंधी गतिविधियों निवल नकदी (बी)	Net cash used in investing activities (B)	(68,457)	(85,483)
सी. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी / शेयर आवेदन पूंजी/ शेयर प्रीमियम	Share Capital /Share application money/ Share premium	-	-
गैर-जमानती गौण बॉण्ड	Unsecured Subordinated Bonds	5,81,500	10,18,085
प्रदत्त लाभांश	Dividend paid	(4,31,809)	(3,93,024)
बॉण्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	(3,55,586)	(2,69,084)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)	Net cash from financing activities (C)	(2,05,895)	3,55,977
नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि/ (कमी)	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	28,23,159	30,72,507
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	125,84,920	95,12,413
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the period	154,08,079	125,84,920
टिप्पणी:	Notes:		
नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी एवं एटीएम में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल हैं ।	Cash & Cash equivalents includes Cash in Hand & ATMs, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	Components of Cash & Cash Equivalents	31 मार्च 2026 को As on 31st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31st March 2025
1 नकदी एवं भा.रि.बैं. के पास शेष राशि	1 Cash & Balance with RBI	62,15,506	56,06,849
2 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	2 Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	91,92,573	69,78,071
कुल	Total	154,08,079	125,84,920

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("बैंक") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी नोट का समावेश है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय (मुंबई स्थित विभिन्न वर्टिकल्स और कॉर्पोरेट सेंटर सहित), 25 अंचल कार्यालयों, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3560 घरेलू शाखाओं और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 26 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है।

तुलन-पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 5066 घरेलू शाखाओं और 1 विदेशी शाखा के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अन्वय में नहीं हैं। इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं और अन्य कार्यालयों में कुल अग्रिम का 13.75%, कुल जमा राशियों का 27.95%, ब्याज आय का 16.88%, ब्याज व्यय का 27.23% था।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ("अधिनियम") के अनुरूप वांछित जानकारी देते हैं, जिससे कि वे बैंक स्तर पर और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के समनुरूप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- नोट के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे समुचित तरीके से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2026 को बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

- लाभ एवं हानि खाता, जो उसमें दिए गए नोट के साथ पठित है, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ संबंधी वास्तविक शेष को दर्शाता है; और

- नकदी प्रवाह विवरण संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु सही और उचित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय हेतु आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन लेखापरीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचरण संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो आईसीएआई द्वारा जारी एवं लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

- हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है:

(i) अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 70.13 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, अन्य मामलों में अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशी कार्यालयों के अधिन अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण निरंतर रूप से अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित नियंत्रण पद्धति स्थापित करना शामिल है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) और अन्य संबद्ध आईटी सिस्टम में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख-रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करते हैं कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ विवेकपूर्ण नीतियां हैं। जिनका विशेष रूप से अनुसूची 17 में उल्लेख किया गया है। आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन व्यक्तिगत या समेकित रूप से न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) के आंकड़े गलत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक उन एक्सपोजर पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों के लिए अग्रिम और पहचाने गए अग्रिमों या समूह अग्रिमों को शामिल किया गया है। व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है। बैंक के ऋण लेनदेन के स्वरूप, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा व्यावसायिक परिदृश्यों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आकलन/ निर्णय और आवश्यक प्रावधानों के आकलन को ध्यान में रखते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभीष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं तथा अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्षों पर निर्भरता, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के मूल्यहास की गणना तथा अनर्जक अग्रिमों सहित ब्याज आय की मान्यता को ध्यान में रखते हुए, हमने उपर्युक्त विषय को लेखापरीक्षा का प्रमुख विषय निर्धारित किया है।	हमने अनर्जक अग्रिमों की पहचान, वर्गीकृत करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का आंतरिक परीक्षण और मूल परीक्षण के साथ निम्नानुसार शामिल थे: ए) हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान, वर्गीकरण और इस क्रम में प्रावधानों के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, जांच बिंदु, मूलभूत प्रक्रियाओं के स्वरूप, निर्धारित समय-सीमा के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई। बी) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की। शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमने बड़ी राशि वाले अग्रिमों/ दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना के आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकनों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है। सी) हमने बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे आंतरिक निगरानी तंत्र के अस्तित्व और प्रभावशीलता का आकलन किया और आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक उन पर भरोसा किया गया। डी) जैसा कि एसए द्वारा अनुमति दी गई थी, हमने बैंक द्वारा लेखा परीक्षा के लिए चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भरोसा किया है। हमने उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों का भी संज्ञान लिया जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थी और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पूरा करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्रों/ प्रणालियों की समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों/विचलनों/त्रुटियों पर बैंक द्वारा पर्याप्त रूप से विचार किया गया। ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान तथा आय के तदनुसूची रिवर्सल की जांच की गई। एफ) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। एच) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों में विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया। सुधार करना सुनिश्चित किया गया है।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली नियंत्रक प्रणालियां:

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों की जटिलता को देखते हुए बैंक अपने आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। बैंक का आईटी आर्किटेक्चर बैंक के दैनिक व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करता है। बैंक के आकार को देखते हुए, बड़ी संख्या में हो रहे लेनदेनों को कई ऐप्लिकेशनों के माध्यम से प्रोसेस और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईटी सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बैंक के परिचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ऐप्लिकेशनों द्वारा डेटा को अपेक्षित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है और सभी परिवर्तन उचित स्वरूप में किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर में उपयुक्त नियंत्रण आवश्यक है। आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, उच्च स्तरीय स्वचालन, आईटी सिस्टम के सतत और महत्वपूर्ण उपयोग को देखते हुए, इस प्रकार के अंतर्निहित जोखिम हो सकते हैं कि स्वचालित लेखांकन के तौर-तरीके, प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण इसकी परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से तैयार न किए गए हों और इसका प्रभाव इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर रहा हो। अतः आईटी सिस्टम नियंत्रणों को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमने बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे आईटी सिस्टम और कार्यरत ऐप्लिकेशनों को समझा। इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक के आईटी नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्धारित नीति / प्रक्रिया / तौर-तरीकों के बारे में प्रोसेस ओनर्स के साथ लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की और मानवीय हस्तक्षेप और तकनीक के कारण उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझने के लिए प्रमुख ऐप्लिकेशनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा की। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल रहे हैं (जांच परीक्षण के आधार पर): ए) सिस्टम से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना; बी) वित्तीय रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐप्लिकेशन, नियंत्रण के एक्सेस सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना; सी) सिस्टम से प्राप्त परिणामों को सूचना के अन्य स्रोतों से सत्यापित करना; और डी) डेटा एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की टेस्टिंग करना। आईटी जनरल कंट्रोल (आईटीजीसी) के संबंध में, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक आईटीजीसी नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता की पुष्टि करने के लिए बैंक के स्वतंत्र बाहरी सलाहकार द्वारा जारी रिपोर्टों के संबंध में उनसे बातचीत की और रिपोर्टों की समीक्षा की। हमने शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों, बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक के आईटी सिस्टम पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट लेखापरीक्षा को भी संज्ञान में लिया गया।

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 19.23% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुसूचित अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं। गैर-उद्धृत निवेशों और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है। निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य दायित्व हैं। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रहण शामिल है।	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ए) हमने निवेश के वर्गीकरण, उसके मूल्यांकन, एनपीआई की पहचान और वर्गीकरण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने बैंक की लेखांकन नीतियों के अनुसार निवेश की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं;

मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक संकेन्द्रण की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है।	सी) चयनित नमूनों के लिए, हमने स्वतंत्र रूप से निवेशकर्ता इकाई के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है। डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल और प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधानों और मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पूर्ण: गणना करने के लिए ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है। ई) हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निवेश लेखा सॉफ्टवेयर और जीएल लेखा सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया है। हमने बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र जैसे आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम ऑडिट और ट्रेजरी और निवेश से संबंधित समवर्ती लेखा परीक्षा के अस्तित्व और प्रभावशीलता का आकलन किया और आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक उसका संज्ञान लिया है।
---	---

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक ने अपने विरुद्ध दायर विभिन्न मामलों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ फोरम पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। प्रबंधन ने इन मामलों के संभावित परिणाम और ऐसे मामलों में, संसाधनों के परिणामी आउटफ़्लो यदि कोई हो, का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जहां कहीं भी दायित्व संभावित लगता है, प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या के संदर्भ में निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।	ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमों के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है। बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ़्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है। सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ़्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक/बाह्य विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है। डी) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहाँ कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है। ई) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चयनित किए गए मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/ बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है। एफ) उपर्युक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है। जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है। सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा शाखा लेखा परीक्षा/ अतिरिक्त सूचना के आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

4. अन्य मामले

ए) हमने 3560 घरेलू शाखाओं (कार्यालय सहित) और बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों सहित 26 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 तक ₹9,13,325 करोड़ की कुल आस्तियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹59,734 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है। जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में निर्धारित किया गया है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कुल अग्रिमों का 53.95%, कुल जमा का 69.64%, गैर-निष्पादित आस्तियों का 56.51% और कुल राजस्व का 53.31%, ब्याज आधारित आय का 54.73%, 70.52% ब्याज व्यय कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।

बी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वी शंकर अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, शाह गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और बाटलीबोर्ड एंड पुरोहित, सनदी लेखाकार, बैंक के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनकी 06 मई, 2025 की रिपोर्ट ने उन बयानों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की थी। तदनुसार, रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार और गोखले एंड साठे सनदी लेखाकार ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विवरण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर अन्य जानकारीयों और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करने के समय प्राप्त की थी। इस रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध होने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारीयों और बेसल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का निष्कर्षात्मक आश्वासन नहीं देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुतः असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम

इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारीयों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही

6. बैंक का निदेशक मंडल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक का प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के लिए यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है। जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा न रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं हो। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस आशय की पर्याप्त पुष्टि प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित पुष्टि पूर्ण भरोसे पर आधारित पुष्टि होती है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम, त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर अधिक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

वस्तुनिष्ठता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकारी यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं।

हम गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहाँ भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं।
9. उपर्युक्त पैराग्राफ 4, 6 और 7 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षाओं के अधीन और हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के आधार पर और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और
 - सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
10. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:
 - ए) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;
 - बी) बैंक के वित्तीय लेनदेन या मामले जो बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर हमारी कोई टिप्पणी या राय नहीं है।

- सी) 31 मार्च, 2026 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2026 तक किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- डी) खातों के रख-रखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई कालिफिकेशन प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ई) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है। हमारी रिपोर्ट में यथा 31 मार्च, 2026 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त किया गया है।
11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- ए) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक लेखा की उचित बही बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं;
- बी) तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ सहमत हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है;
- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटा गया है; तथा
- डी) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

(एल. वी. सप्तर्षि)

साझेदार

एम. नं.: 127055CA

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

(पराग हंगेकर)

साझेदार

एम. नं.: 110096

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 009073N / N500320

(सुमित कुमार)

साझेदार

एम. नं.: 512555

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

(डी.वी. बल्लाल)

साझेदार

एम. नं.: 013107

कृते गोखले और साठे

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 103264W

(राहुल जोगलेकर)

साझेदार

एम. नं.: 129389

दिनांक: 08 मई, 2026

स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के “अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के तहत पैराग्राफ 10 ई में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र सं डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) (“आरबीआई का पत्र”) के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

राय

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) के 31 मार्च, 2026 तक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन के साथ है, जिसमें बैंक की शाखाओं के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, बैंक ने, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मानदंड के आधार पर 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन “भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों” के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग से साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शी टिप्पणियाँ”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी

मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जोकि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग से साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग से साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग से साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं

लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की

गंभीरता कमजोर हो सकती है।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट में 3560 घरेलू शाखाओं और 26 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

(एल. वी. सप्तर्षि)

साझेदार

एम. नं.: 127055CA

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

(डी.वी. बल्लाल)

साझेदार

एम. नं.: 013107

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

(पराग हंगेकर)

साझेदार

एम. नं.: 110096

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 009073N / N500320

(सुमित कुमार)

साझेदार

एम. नं.: 512555

कृते गोखले और साठे

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 103264W

(राहुल जोगलेकर)

साझेदार

एम. नं.: 129389

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
**The Members of
 Bank of Baroda**

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Bank of Baroda** (the "Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account, Statement of Cash Flow for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of the Head office (including various Verticals and Corporate Centre located in Mumbai), 25 Zonal offices, 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 3560 domestic branches audited by the respective Statutory Branch Auditors and 26 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ("RBI").

Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flow are the returns from 5066 domestic branches and 1 foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches and other offices account for 13.75% of advances, 27.95% of deposits, 16.88% of interest income, 27.23% of interest expense.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (**the "Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary

particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026;

- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

(i) **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Bank constitute 70.13 percent of the total assets, which is a significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing (NPAs) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations of the foreign jurisdiction or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy consistently followed. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of appropriate control mechanisms. The Bank accounts for all the transactions related to advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) and other allied IT systems. The Bank identified performing and non-performing advances through these IT systems. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by RBI, the Bank also has certain prudential policies for provisioning on non-performing assets more specifically described in Schedule 17: Significant Accounting Policies. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA, including advances to certain sectors and identified advances or group advances. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed. Considering the nature of the Bank's lending transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and assessment of required provisions, this is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers and lead banks for Drawing Power calculations, third parties for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we have determined the above aspect as a Key Audit Matter.	We assessed the Bank's system in place to identify, classify and provide for non-performing advances. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following: - We obtained an understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification, classification of non-performing asset and provisioning thereon in order to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and accordingly planned our audit procedures. - We reviewed the accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches audited by us. In carrying out substantive procedures at these branches, we examined large advances / stressed advances while other advances were examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. - We assessed the existence and effectiveness of the Bank's internal monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank and placed reliance thereon to the extent considered necessary. - As permitted by the SAs, we relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected for audit by the Bank. We also relied on the returns received from the branches not subjected to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank. - On a sample basis, we verified the system-based identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. - Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provisions required as per RBI's Prudential norms. - Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. - We ensured that exceptions noticed during our audit procedures, wherever significant, were duly corrected.

(ii) **Information Technology (IT) architecture and system controls impacting financial Reporting:**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank's financial accounting and reporting systems given its complexity are highly dependent on the Bank's IT systems. The Bank's IT architecture supports the Bank's day-to-day business operations. Given the size of the Bank, enormous volume of transactions are being processed and recorded through multiple applications. The reliability and security of IT systems plays a very important role in the operations of the Bank. Hence controls in the system architecture are required to ensure that the applications process the data as expected and that changes are made in an appropriate manner. Given the complexity of the IT architecture, high level automation, simultaneous and significant use of IT systems, there is an inherent risk that automated accounting procedures, processes and related internal controls may not be accurately designed to ensure its operative effectiveness and its impact on the financial reporting. Hence we have determined IT system controls as a Key Audit Matter.	We obtained an understanding of IT systems used by the Bank and the applications implemented. For this purpose, we had discussions with the process owners on the defined policy/process/procedures of the Bank's IT control environment that is relevant to the audit and reviewed the processes followed with regard to the major applications to understand the financial risks posed by people-process and technology. Our audit procedures to obtain audit evidence included (on a test check basis): - verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of reports, generated from the system; - review of the operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting; - verifying the results obtained from the systems with the other information sources; and - testing of logic used for extracting the data. In respect of IT General Controls (ITGC), we interacted with and reviewed the reports issued by the Bank's independent external consultant to confirm the adequacy of design and operating effectiveness of internal ITGC controls over financial reporting We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors, external vendor inspection reports, specialised audits undertaken by independent experts on the Bank's IT systems

(iii) **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial Statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 19.23 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions affecting the financial statements.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury function included:- - We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding classification of investments, valuation thereof, identification and classification of NPIs, provisioning / depreciation related to investments etc. - For selected samples of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuations for each category of investments in accordance with the accounting policies of the Bank. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we have determined the above aspect as a Key Audit Matter.	c) For selected samples, we independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements of the investee entity or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines. d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provisions. We also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision required to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the RBI circulars and directives e) We tested the mapping of investments between the Investment accounting software and the GL accounting software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circulars / directions. We assessed the existence and effectiveness of the Bank's internal monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit and Concurrent Audit related to Treasury and Investments and placed reliance thereon to the extent considered necessary.

(iv) Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17 to the financial statements):

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outcome of these matters and resultant outflow of resources in such matters, if any. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning wherever a liability seems probable. The Bank's assessment is supported by the facts of each matter, its own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above aspect as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of the matters under consideration and judgments / interpretation of law involved.	a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters. b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions. c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal / external experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. d) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate. e) Read and analysed select key correspondences, internal/ external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters. f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions. g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
	Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

4. Other Matters

- a) We did not audit the financial Statements/financial information of 3560 domestic branches (including offices) and 26 foreign branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflects total Assets of ₹ 9,13,325 Crores as at March 31, 2026 and total revenue of ₹ 59,734 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 53.95% of total advances, 69.64 % of total deposits, 56.51% of Non-performing assets as at March 31, 2026 and 53.31 % of revenue, 54.73 % of interest income, 70.52% of Interest expense for the year ended March 31, 2026. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- b) The Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on March 31, 2025, were audited by V Sankar Aiyar & Co, Chartered Accountants, Shah Gupta & Co , Chartered Accountant and Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, the joint statutory auditors of the Bank whose report dated May 06, 2025 expressed an unmodified opinion on those statements. Accordingly, Ravi Rajan & Co. LLP, Chartered Accountants and Gokhale & Sathe Chartered Accountants do not express any opinion on the figures reported in the Statement for the year ended March 31, 2025.

Our opinion is **not** modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report. The Directors' Report is expected to be made available to us after the date of this report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent applicable and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of

a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 4, 6 and 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and based on our audit and on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statements and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17,2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on

the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2026, none of the director is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is given in Annexure 'A' to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's

operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements as at March 31, 2026.

11. We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) The Balance Sheet, the Profit and Loss account and the Statement of Cash flow dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

L V Saptharishi
Partner
M. No.: 127055
UDIN:26127055BOLENQ8757

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

D.V Ballal
Partner
M. No.: 013107
UDIN:26013107PYSPDO3979

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

Parag Hangekar
Partner
M. No.: 110096
UDIN:26110096HJDGEG2449

For Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 009073N / N500320

Sumit Kumar
Partner
M. No.: 512555
UDIN:26512555DXKCWW8776

For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

Rahul Joglekar
Partner
M. No.: 129389
UDIN:26129389HKTHLP6458

Date: 08.05.2026
Place: Mumbai

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 10(e) under “Report on Other Legal and Regulatory Requirements” Section of our report of even date)

Report on the Internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of Bank of Baroda (the “Bank”) as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of the Bank’s branches.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements and such internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on “the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI”.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on “the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements.

Meaning of Internal financial controls over financial reporting Standalone Financial Statements

A Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial

statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also,

projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of 3,560 domestic branches and 26 foreign branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

L V Saptharishi
Partner
M. No.: 127055
UDIN:26127055BOLENQ8757

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

D.V Ballal
Partner
M. No.: 013107
UDIN:26013107PYSPDO3979

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

Parag Hangekar
Partner
M. No.: 110096
UDIN:26110096HJDGEG2449

For Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 009073N / N500320

Sumit Kumar
Partner
M. No.: 512555
UDIN:26512555DXKCWW8776

For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

Rahul Joglekar
Partner
M. No.: 129389
UDIN:26129389HKTHLP6458

Date: 08.05.2026
Place: Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

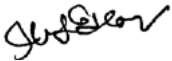
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं।

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for Financial Year ended 31st March, 2026 contain unmodified opinion.

आई.वी.एल. श्रीधर

आई.वी.एल. श्रीधर
मुख्य वित्त अधिकारी



I.V.L. Sridhar
Chief Financial Officer

डॉ. देबदत्त चांद

डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक: 08.05.2026
Date: 08.05.2026
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

स्टैंडअलोन सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- स्टैंडअलोन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं:

- ए. हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
 - i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं हैं।
 - ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
 - i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - ii. अवधि के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
 - iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

आई.वी.एल. श्रीधर
मुख्य वित्त अधिकारी

दिनांक: 08.05.2026
स्थान: मुंबई

डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Standalone CEO / CFO Certification

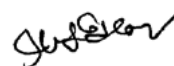
Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2026 - Standalone

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a. We have reviewed Standalone financial statements for the quarter/full year ended March 31, 2026 and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;
 - ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



I.V.L. Sridhar
Chief Financial Officer
Date: 08.05.2026
Place: Mumbai



Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक 31 मार्च, 2026 की समेकित तुलन पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March 2026

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025	
पूंजी एवं देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	1035,53,36	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	164832,55,48	145467,18,17
अल्पांश हित	Minority Interest	2A	1498,11,01	1247,56,11
जमा राशियां	Deposits	3	1675895,10,85	1496695,95,59
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	170296,59,29	135812,76,78
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	87943,95,66	81515,07,74
कुल	TOTAL		2101501,85,65	1861774,07,75
आस्तियां	ASSETS			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	64685,97,45	58190,84,45
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	96137,14,53	74286,88,80
निवेश	Investments	8	435777,60,33	427379,68,32
अग्रिम	Advances	9	1440458,29,48	1237240,40,10
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	12197,05,22	12633,73,51
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	51335,00,74	51131,74,67
समेकन पर गुडविल	Goodwill on Consolidation		910,77,90	910,77,90
कुल	TOTAL		2101501,85,65	1861774,07,75
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	796249,19,12	786466,10,56
वसूली हेतु बिल	Bills for Collection		66819,38,24	62537,98,87
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग है। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.				

डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक
आई.वी.एल. श्रीधर
मुख्य वित्त अधिकारी

श्री संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

श्री लाल सिंह
कार्यपालक निदेशक
श्री पंकज खत्री
उप मुख्य वित्त अधिकारी

श्रीमती बीना वाहिद
कार्यपालक निदेशक

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109208W

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109574W

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 101048W

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009073N / N500320

कृते गोखले और साठे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 103264W

(एल. वी. सप्तर्षि)
साझेदार
M. No.: 127055

(डी.वी. बल्लाल)
साझेदार
M. No.: 013107

(पराग हंगेकर)
साझेदार
M. No.: 110096

(सुमित कुमार)
साझेदार
M. No.: 512555

(राहुल जोगलेकर)
साझेदार
M. No.: 129389

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2026

(₹ 000'में) (₹ in 000's)				
	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025	
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	134298,12,44	127944,77,23
अन्य आय	Other Income	14	22527,31,98	24939,36,79
कुल	TOTAL		156825,44,41	152884,14,02
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
खर्च ब्याज	Interest Expended	15	81859,93,31	78264,92,43
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	38717,44,16	36720,75,34
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		16770,90,51	17439,11,12
कुल	TOTAL		137348,27,98	132424,78,89
सहयोगी संस्थानों के लाभांश तथा अल्पांश हित से पूर्व समेकित लाभ	Consolidated Profit before Minorities' Interest and share of earning in Associates		19477,16,43	20459,35,13
सहयोगी संस्थानों के लाभ में हिस्सा	Share of earnings in Associates	17	593,10,10	405,91,06
अल्पांश हित घटाने से पूर्व अवधि का समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the period before deducting Minorities' interest		20070,26,53	20865,26,19
घटाएं: अल्पांश हित	Less : Minorities' Interest		223,84,02	148,93,39
समूह के लिए संबद्ध अवधि का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the period attributable to the group		19846,42,51	20716,32,80
लाभ और हानि का अग्रेषित शेष	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		3160,98,17	2516,67,50
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		23007,40,68	23233,00,30
III. विनियोजन	III. Appropriations			
शेयर प्रीमियम से अंतरण	Transfer from Share Premium		-	-
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		5076,06,35	4965,31,91
पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		1122,54,98	451,48,99
धारा 36 (1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		1828,85,81	1448,06,90
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		7108,02,37	8894,23,09
निवेश में उत्तार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		920,00,00	-
निवेश प्रारक्षित निधि खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		-	-
प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend		4395,65,79	4318,08,74
समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		2556,25,38	3155,80,67
कुल	TOTAL		23007,40,68	23233,00,30
प्रति शेयर मूल आय (₹)	Basic Earnings per Share (₹)		38.38	40.06
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)		38.38	40.06
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखा संबंधी नोट	Notes on Accounts	19		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.				

Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Lalit Tyagi
Executive Director

Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

Lal Singh
Executive Director

Beena Vaheed
Executive Director

I V L Sridhar
Chief Financial Officer

Pankaj Khatri
Deputy Chief Financial Officer

As per our Report of even date attached.

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W
(L V Saptarishi)
Partner
M. No.: 127055

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W
(D.V Ballal)
Partner
M. No.: 013107

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W
(Parag Hangekar)
Partner
M. No.: 110096

For Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 009073N / N500320
(Sumit Kumar)
Partner
M. No.: 512555

For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W
(Rahul Joglekar)
Partner
M. No.: 129389

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Balance Sheet

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत - पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
(प्रति ₹ 2/- के 1,500,00,00,000 शेयर) (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर)	1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each)	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2 के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	1037,00,59	1037,00,59
मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं। (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ की राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)	1034,27,24	1034,27,24
जोड़े: जब्त किए गए शेयर 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500)	Add: Forfeited Shares 136,67,500 (previous period 136,67,500)	1,26,12	1,26,12
कुल	TOTAL	1035,53,36	1035,53,36
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2		
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक आरक्षित निधियां	I Statutory Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	28530,71,97	23567,92,78
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	-	-
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	5081,19,38	4962,79,19
		33611,91,35	28530,71,97
II ए) प्रारक्षित पूंजी	II a) Capital Reserves		
(पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि ₹ 8337.61 करोड़ सहित (पिछली अवधि में ₹ 9513.23 करोड़)	(including Revaluation Reserve of Rs. 8337.61 crore (previous periods Rs 9513.23 crore)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	18189,22,04	13262,35,67
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	-	-
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	(97,75,22)	4926,86,37
		18091,46,82	18189,22,04

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
बी समेकन पश्चात आरक्षित पूंजी	b) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	80,83,47	80,83,47
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	2455,86,20	2536,69,67
			-
			80,83,47
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	31431,76,20	31430,95,22
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	2,78,97	31434,55,17
			80,98
			31431,76,20
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue & Other Reserves		
ए धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9034,94,53	7586,87,63
जोड़े: सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरित	Add: Trf from General Reserves	-	-
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	1828,85,81	10863,80,34
			1448,06,90
			9034,94,53
बी रूपांतरित प्रारक्षित निधियां	b) Translation Reserve		
सी पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	c) Capital Hedge Reserve		
डी निवेश प्रारक्षित खाता	d) Investment Reserve Account		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	582,43,04
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	-	-
			(582,43,04)
			-
ई निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	e) Investment Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2440,94,37	2440,94,37
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	920,00,00	3360,94,37
			-
			2440,94,37
एफ एफएस प्रारक्षित	f) AFS Reserve		
जी राजस्व प्रारक्षित निधि	g) Revenue Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	45045,25,77	32471,88,86
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add: Additions/ Adjustments during the year	8492,73,69	53537,99,46
			12573,36,91
			45045,25,77
एच नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित	h) Cash Flow Hedge Reserve		
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	v Balance in Profit & Loss Account		
			50,09,02
			29,70,53
			3155,80,67
कुल प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष (I से V)	Total Reserves & Surplus (I to V)	164832,55,48	145467,18,17
अनुसूची - 2 ए	SCHEDULE - 2A		
अल्पांश हित	MINORITY INTEREST		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1247,56,11	1017,91,26
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	250,54,90	1498,11,01
			229,64,85
			1247,56,11
कुल अल्पांश हित	Total Minority Interest	1498,11,01	1247,56,11

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026		31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025	
अनुसूची - 3 जमाराशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	4133,81,27		3578,34,84	
ii) अन्य से	ii) From Others	161092,81,25	165226,62,52	142781,68,92	146360,03,76
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		455878,30,38		418050,27,66
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	105570,79,57		100597,00,38	
ii) अन्य से	ii) From Others	949219,38,38	1054790,17,95	831688,63,79	932285,64,17
कुल (I, II एवं III)	TOTAL (I, II & III)		1675895,10,85		1496695,95,59
बी I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	1408454,75,48		1249702,89,87	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	267440,35,37		246993,05,72	
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	1675895,10,85		1496695,95,59	

नोट: कुल जमा में ₹ 80101 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 61956 करोड़) की जमाराशियां शामिल हैं, जिन पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है।

Note: Total Deposit includes, deposits of ₹ 80101 Crores (Previous Year: ₹ 61956 Crores) on which lien has been marked.

अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां		SCHEDULE - 4 BORROWINGS			
I भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	15000,00,00		30000,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	5564,05,39		2626,56,37	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	43247,45,41		38205,04,12	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	5223,00,00		8958,00,00	
v) गौण बॉन्ड	v) Subordinated Bonds	11979,30,83		12428,93,66	
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	36000,00,00	117013,81,63	26000,00,00	118218,54,15
II भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	II Borrowings outside India		53282,77,66		17594,22,63
कुल (I और II)	Total - (I & II)		170296,59,29		135812,76,78
उपरोक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार ली गयी राशियां	Secured Borrowings included in I & II above	40930,70,53			49477,71,97

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	4097,34,75	3706,51,64
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	5964,09,61	8806,24,14
III अंतर कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments (Net)	101,42,62	399,06,53
IV आस्थगित कर देयता	IV Deferred Tax Liabilities	16,97,96	8,22,53
V मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances	8953,17,88	7583,82,92
VI डेरिवेटिव देयताएं	VI Derivative Liabilities	2094,85,49	771,76,30
VII अन्य (प्रावधानों सहित)#	VII Others (including provisions)#	66716,07,35	60239,43,68
कुल (I से VII)	Total (I to VII)	87943,95,66	81515,07,74
# बीमा पॉलिसी देयताएं एवं लिंकड देयताएं हेतु प्रावधान ₹ 32733.16 करोड़ शामिल (पिछले वर्ष ₹ 29309.63 करोड़)			
# Includes Insurance Policy Liabilities & Provision for Linked Liabilities ₹ 32733.16 crore (Previous Period ₹ 29309.63 crore)			
अनुसूची - 6 नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	4501,30,12	4051,61,42
II भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्रीय बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :		
i) चालू खाते में	i) in Current Account	41765,06,95	51388,80,61
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Account	18419,60,38	2750,42,42
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	60184,67,33	54139,23,03
		64685,97,45	58190,84,45
अनुसूची - 7 बैंक में शेष राशि और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I भारत में	I In India		
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खाते में	a) in Current Accounts	269,50,65	276,26,02
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	5211,94,23	3321,14,40
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों के पास	a) with Banks	-	47,00,00
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) with Other institutions	1747,19,34	1690,73,69
कुल (i और ii)	TOTAL (i and ii)	1747,19,34	1737,73,69
		7228,64,22	5335,14,11
II भारत से बाहर	II Outside India		
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	57004,46,30	44999,08,98
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	16677,88,42	5736,90,98
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	15226,15,59	18215,74,73
कुल (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)	88908,50,31	68951,74,69
कुल (I और II)	Grand Total (I and II)	96137,14,53	74286,88,80

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I भारत में निम्नलिखित में निवेश	I Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	340604,92,16	339672,18,94
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	7447,29,72	13027,11,72
iii) शेयर	iii) Shares	11135,77,95	11457,34,56
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	iv) Debentures and Bonds	35897,19,86	33074,99,46
v) सहयोगियों में निवेश	v) Investment in Associates	4336,96,63	2696,08,75
vi) अन्य	vi) Others	8824,43,21	1779,42,05
कुल (i से vi)	Total (i to vi)	408246,59,53	401707,15,48
II भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश	II Investments Outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	22123,17,94	20519,28,12
ii) सहयोगियों में निवेश	ii) Investment in Associates	294,00,80	174,55,28
iii) अन्य	iii) Others	5113,82,06	4978,69,44
कुल (i से iii)	Total (i to iii)	27531,00,80	25672,52,84
कुल (I और II)	Grand Total (I & II)	435777,60,33	427379,68,32
III भारत में निवेश	III Investments in India		
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	410067,17,02	403497,09,73
घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	1820,57,49	1789,94,25
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India	408246,59,53	401707,15,48
IV भारत के बाहर निवेश	IV Investments outside India		
निवेश का सकल मूल्य	Gross value of Investments	27987,45,63	26083,92,64
घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधानों का योग	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	456,44,83	411,39,80
बाहरी निवल निवेश	Net Investments outside	27531,00,80	25672,52,84
		435777,60,33	427379,68,32
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	90905,13,81	63439,58,14
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	495537,93,20	417644,42,69
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	854015,22,47	756156,39,27
कुल (i से iii)	Total (i to iii)	1440458,29,48	1237240,40,10

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
बी	i) मूल्य आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋणों के सापेक्ष अग्रिम शामिल)	B. i) Secured by Tangible Assets (Includes advances against book debts)	
		932499,84,74	812817,84,90
	ii) बैंक/सरकारी गारंटी से द्वारा प्रत्याभूत	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	
		148371,87,98	126825,69,36
	iii) गैर जमानती	iii) Unsecured	
		359586,56,76	297596,85,84
	कुल (i से iii)	Total (i to iii)	
		1440458,29,48	1237240,40,10
सी. I	भारत में अग्रिम	C. I Advances in India	
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i. Priority Sector	
		380439,73,50	324528,29,53
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii. Public Sector	
		170952,55,19	154036,75,79
	iii) बैंक	iii. Banks	
		1024,49,65	999,49,90
	iv) अन्य	iv. Others	
		617434,64,72	540628,01,99
		1169851,43,06	1020192,57,21
II	भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India	
i	बैंकों से देय	i Due from Banks	
		108742,95,11	86908,43,37
ii	अन्य से देय	ii Due from Others	
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	
		15214,82,74	3372,51,73
	बी) सामूहिक ऋण	b) Syndicated Loans	
		130423,50,50	93333,48,91
	सी) अन्य	c) Others	
		16225,58,07	33433,38,88
		270606,86,42	217047,82,89
	कुल (सी.I + सी.II)	TOTAL (C.I + C.II)	
		1440458,29,48	1237240,40,10
अनुसूची - 10		SCHEDULE - 10	
अचल आस्तियां		FIXED ASSETS	
I	परिसर	I Premises	
	पिछली अवधि के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding period	
		16392,50,23	12236,32,77
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the period	
		33,99,14	4211,50,40
		16426,49,37	16447,83,17
	अवधि के दौरान कटौतियां/समायोजन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)	Deductions/adjustments during the period (Includes revalued amount)	
		18,25,63	55,32,94
		16408,23,74	16392,50,23
	आज की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	
		9636,98,63	8442,30,59
I ए	निर्माणाधीन परिसर	I A Premises under construction	
		147,99,54	7950,19,64
			154,35,92

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर	10480,07,12	10603,82,17
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	1741,76,17	1169,39,24
		12221,83,29	11773,21,41
	अवधि के दौरान कटौतियां	879,82,59	1293,14,29
		11342,00,70	10480,07,12
II ए किराए पर दी गई आस्तियां	आज की तारीख में मूल्यहास	8792,39,16	8707,99,48
	कुल (I, II और III)	2549,61,54	1772,07,64
II A Leased Assets			
II ए किराए पर दी गई आस्तियां	पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर	3128,45,47	2227,42,28
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	46,39,21	909,01,23
		3174,84,68	3136,43,51
	वर्ष के दौरान प्रावधान सहित कटौतियां	74,28	7,98,04
		3174,10,40	3128,45,47
III - पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (लीज पर आस्तियों सहित) प्रावधानों के निवल	आज की तारीख में मूल्यहास	446,90,84	372,09,63
	कुल (I, II और III)	2727,19,56	2756,35,84
		12196,05,75	12632,99,04
III - Capital-Work-in progress (Including Leased Assets) net of Provisions		99,47	74,47
कुल(I, II, III और III)		12197,05,22	12633,73,51
अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां			
SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS			
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued	13705,55,97	16107,63,23
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)	10047,87,89	10669,56,01
III लेखन सामग्री एवं स्टॉप	III Stationery and Stamps	20,90	59,23
IV दावों की संतुष्टि पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	IV Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims (net)	-	-
V आस्थगित कर आस्तियां	V Deferred Tax assets	3772,53,09	3185,25,48
VI डेरिवेटिव आस्तियां	VI Derivative Assets	1252,49,25	947,47,31
VII अन्य	VII Others	22556,33,64	20221,23,41
कुल (I से VII)	TOTAL (I to VII)	51335,00,74	51131,74,67

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2026 को As on 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12		
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES		
I दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts	37104,73,86	34299,33,91
II आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments	28,00	28,00
III बकाया वायदा विनिमय करारों के कारण देयताएं	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts	524649,97,69	454127,53,53
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :		
ए) भारत में	a) In India	63948,43,69	55364,94,37
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	10564,16,16	6843,84,21
V स्वीकृतियां, एंडोर्समेंट एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	21422,95,79	17765,76,70
VI आकस्मिक देयताएं की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability	138558,63,93	218064,39,84
कुल (I से VI)	TOTAL (I to VI)	796249,19,12	786466,10,56

समेकित लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
अनुसूची 13	SCHEDULE - 13		
अर्जित ब्याज और लाभांश	INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ डिस्काउंट	I Interest/Discount on Advances/ Bills	99396,27,92	96106,54,05
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	28773,32,06	29284,19,00
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	2751,83,47	1981,88,67
IV अन्य	IV Others	3376,68,99	572,15,51
कुल (I से IV)	TOTAL (I to IV)	134298,12,44	127944,77,23

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
अनुसूची 14	SCHEDULE - 14		
अन्य आय	OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I Commission, Exchange and Brokerage	3540,91,70	3545,78,52
II निवेशों की बिक्री पर लाभ	II Profit on sale of Investments	5129,40,17	4027,62,76
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	2083,11,16	516,08,13
		3046,29,01	3511,54,63
III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III Profit on Revaluation of Investments	313,18,68	1065,28,74
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less: Loss on revaluation of Investments	1538,37,22	915,37,30
		(1225,18,54)	149,91,44
IV भूमि, इमारतों, और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	IV Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	16,78,77	46,67,06
घटाएं: भूमि, इमारतों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	4,96,23	7,02,40
		11,82,54	39,64,66
V विनिमय/डेरिवेटिव लेनदेन पर लाभ	V Profit on Exchange/Derivative Transactions	2651,36,23	1389,45,01
घटाएं: विनिमय /डेरिवेटिव लेनदेनों पर हानि	Less: Loss on Exchange/ Derivative Transactions	1101,01,89	584,46,35
		1550,34,34	804,98,66
VI अर्जित बीमा प्रीमियम	VI Insurance Premium earned	7565,70,46	6865,51,44
VII ए) लीज वित्तपोषण आय	VII a) Lease Finance Income	-	-
बी) लीज प्रबंधन शुल्क	b) Lease Management Fee	-	-
सी) अतिदेय प्रभार	c) Overdue Charges	-	-
डी) लीज किराया प्राप्तियों पर ब्याज	d) Interest on lease rent receivables	-	-
VIII विविध आय#	VIII Miscellaneous Income#	8037,42,46	10021,97,44
कुल (I से VIII)	TOTAL (I to VIII)	22527,31,98	24939,36,79

विविध आय में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में हुई वसूली ₹ 3513.53 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 4867.57 करोड़)

Miscellaneous income includes Recoveries made in write off accounts of ₹3513.53 crore (Previous Period ₹ 4867.57 crore)

अनुसूची - 15	SCHEDULE - 15		
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED		
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	72182,26,03	69580,03,20
II भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	5149,11,83	4688,15,15
III अन्य	III Others	4528,55,45	3996,74,08
अन्य (I से III)	TOTAL (I to III)	81859,93,31	78264,92,43

		(₹ 000'में) (₹ in 000's)	
		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31 st March 2025
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16		
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
I कर्मचारियों को भुगतान व तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	17208,51,63	17910,44,69
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	2054,91,63	1933,06,08
III प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery	211,26,51	211,99,59
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	390,73,79	350,65,36
V ए) लीज की गई आस्तियों को छोड़कर बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	1926,52,87	1403,99,34
बी) लीज की गई आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	36,77,05	62,96,14
VI निदेशकों की फीस, भत्ता एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	11,84,86	8,34,77
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	149,91,92	116,35,71
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	864,02,45	470,03,34
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	252,72,09	239,87,58
X मरम्मत एवं रखरखाव	X Repairs and Maintenance	1441,21,34	1159,85,91
XI बीमा	XI Insurance	2503,29,91	2040,55,56
XII अन्य खर्च #	XII Other Expenditure#	11665,68,11	10812,61,27
कुल (I से XIII)	TOTAL (I to XIII)	38717,44,16	36720,75,34

अन्य खर्चों में पॉलिसी शेयरधारकों को प्रदत्त लाभ ₹ 4196.68 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹3641.35 करोड़)

Other Expenditure includes Benefits Paid to Insurance Policy Holders of ₹ 4196.68 crore (Previous Period ₹ 3641.35 crore)

अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17		
सहयोगी संस्थान से अर्जित आय का हिस्सा	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES		
I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	I RRB's	517,99,39	361,52,68
II अन्य	II Others	75,10,71	44,38,38
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	593,10,10	405,91,06

अनुसूची - 18

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची और भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के तहत समय-समय पर संशोधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- i. समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिन्हें एक साथ ("समूह"), संयुक्त उद्यम और सहयोगी के रूप में और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए संदर्भित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:
 - ए. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
 - बी. आईसीएआई द्वारा जारी एस 21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/ व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ क्रमवार समेकन किया गया है और सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह शेष / लेन-देन, अप्राप्त लाभ/ हानि को घटाने के बाद तथा असमान लेखांकन नीतियों हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक समायोजन किए गए हैं।
 - सी. संयुक्त उद्यमों का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एस 27 "संयुक्त उद्यमों में वित्तीय हितों की रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'।
 - डी. आईसीएआई द्वारा जारी एस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी प्रक्रिया' के अंतर्गत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।
 - ii. अनुषंगी संस्थाओं में अपने निवेश पर समूह की लागत और अनुषंगियों की शेयर पूंजी एवं प्रीमियम में समूह के हिस्से के बीच अंतर की गणना वित्तीय विवरणों में गुडविल/ पूंजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में की गई है। विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (जेवी) के मामले में ऐसे अंतर को विनियम प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।
 - iii. समेकित अनुषंगियों की निवल अस्तियों में अल्पांशहित में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ए. अनुषंगी में निवेश की तारीख को अल्पांश के लिए आरोप्य इक्विटी की राशि, और
 - बी. मूल - अनुषंगी के बीच संबंधों की शुरूआत की तारीख से राजस्व प्रारक्षित निधियों/ हानि (इक्विटी) में संचलन का लाभांश शेयर

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय में प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों

को आधार तैयार किया जाता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/ संशोधन वर्तमान और भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3 निवेश एवं डेरिवेटिव:

बैंक के निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं संचालन) निदेश, 2025 [आरबीआई /डीओर/2025-26/162 डीओर.एमआरजी.आरईसी.संख्या.81/00-00-001/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर, 2025] ("आरबीआई निवेश निदेश, 2025") तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार किया गया है। बैंक निवेशों की खरीद एवं बिक्री की मान्यता हेतु निपटान-तिथि लेखांकन पद्धति का अनुसरण करता है।

3.1. वर्गीकरण

बैंक अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी अनुषंगियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेशों को छोड़कर) को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- i. **परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)** - ऐसे निवेश जो परिपक्वता तक धारण करने के आशय एवं उद्देश्य से अर्जित किए गए हों (अर्थात् संविदात्मक नकदी प्रवाहों की प्राप्ति हेतु), जहाँ प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन एवं बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान से संबंधित केश फ्लो प्राप्त होते हों ("एसपीपीआई मानदंड")। एचटीएम में वे डिबेंचर एवं बॉण्ड सम्मिलित हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं।
- ii. **विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)** - ऐसे निवेश जो ऐसे उद्देश्य से अर्जित किए गए हों जिसकी प्राप्ति कारगरत केश फ्लो की प्राप्ति तथा प्रतिभूतियों की बिक्री - दोनों के माध्यम से होती हो, तथा जिनकी संविदात्मक शर्तें एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हों। एएफएस प्रतिभूतियों में, अन्य बातों के साथ, अस्ति-देयता प्रबंधन उद्देश्यों हेतु धारित ऋण प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं तथा जिनके संबंध में बैंक का आशय परिपक्वता तक धारण करने अथवा परिपक्वता से पूर्व विक्रय करने के संबंध में लचीला हो। प्रारंभिक मान्यता के समय बैंक किसी ऐसी इक्विटी लिखत को, जो व्यापार उद्देश्य से धारित न हो, अपरिवर्तनीय रूप से एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत करने का विकल्प चुन सकता है।
- iii. **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)** - ऐसे निवेश जो एचटीएम अथवा एएफएस में सम्मिलित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं। "होल्ड फॉर हेड" ("एचएफटी"), एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक पृथक उप-श्रेणी है तथा इसमें ऐसे लिखत सम्मिलित हैं जिन्हें अल्पकालिक पुनर्विक्रय हेतु, अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों से लाभ अर्जित करने हेतु, आर्बिट्राज लाभ सुरक्षित करने हेतु, अथवा ऐसे लिखतों से उत्पन्न जोखिमों के हेजिंग हेतु धारित किया जाता है, तथा ऐसे अन्य लिखत जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक निवेश निदेश, 2025 के अनुसार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना अपेक्षित हो।

अनुषंगियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेशों को एचटीएम, एएफएस तथा एफवीटीपीएल से पृथक एक विशिष्ट श्रेणी (sui generis) के अंतर्गत रखा जाता है।

किसी निवेश की श्रेणी का निर्णय बैंक द्वारा अधिग्रहण से पूर्व अथवा अधिग्रहण के समय किया जाता है तथा ऐसे निर्णय का समुचित रिकार्ड रखा जाता है।

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ("निवेश") के अंतर्गत निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत एवं प्रदर्शित किया जाता है: (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (सी) अंश, (डी) डिबेंचर एवं बॉण्ड, (ई) आनुषांगियाँ एवं/अथवा संयुक्त उपक्रम, तथा (च) अन्य।

3.2. प्रारंभिक चिन्हिकरण

सभी निवेशों का प्रारंभिक चिन्हिकरण स्तर पर भी उचित मूल्य मूल्यांकन किया जाता है। जब तक तथ्य एवं परिस्थितियाँ यह इंगित न करें कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है, तब तक अधिग्रहण लागत को ही उचित मूल्य माना जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (वृद्धि सहित), स्विच परिचालन तथा ओपन मार्केट परिचालन के माध्यम से अर्जित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, उसे प्रारंभिक स्तर हेतु उचित मूल्य माना जाता है।

निवेशों से संबंधित दलाली जैसे व्यय, जो अधिग्रहण के समय अदा किए जाते हैं, तथा ब्रोकर अवधि ब्याज को भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा उन्हें अधिग्रहण लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं किया जाता है।

3.3. प्रथम दिवस लाभ अथवा हानि

जहाँ प्रारंभिक मान्यता के समय किसी निवेश का उचित मूल्य उसकी अधिग्रहण लागत से भिन्न होता है, वहाँ उत्पन्न प्रथम दिवस लाभ अथवा हानि का लेखांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- जहाँ उचित मूल्य उध्दत मूल्यों अथवा अन्य प्रेक्षणीय बाजार इनपुट (स्तर 1 अथवा स्तर 2) पर आधारित हो, वहाँ किसी भी प्रथम दिवस लाभ अथवा हानि को तत्काल लाभ एवं हानि खाते में "अन्य आय – निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि" शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है ;
- जहाँ उचित मूल्य का निर्धारण महत्वपूर्ण अप्रेक्षणीय इनपुट (स्तर 3) के उपयोग से किया जाता है, वहाँ किसी भी प्रथम दिवस हानि को तत्काल लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है । किसी भी प्रथम दिवस लाभ को स्थगित किया जाता है — ऋण लिखतों के लिए, परिपक्वता तिथि तक (अथवा स्थायी लिखतों के मामले में प्रथम कॉल तिथि तक) सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है; तथा असूचीबद्ध इक्विटी लिखतों के लिए, प्रतिभूति के सूचीबद्ध अथवा अमान्यीकृत होने तक दायित्व के रूप में पृथक रखा जाता है।

3.4. पश्चातवर्ती मापन

- परिपक्वता तक धारित:** एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर (अथवा जहाँ अनेक लॉट धारित हों वहाँ भारित औसत लागत पर) वहन किया जाता है। ऐसे निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया जाता; तथापि, वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों के अधीन रहते हैं। एचटीएम के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त छूट अथवा प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा परिशोधित राशि "अर्जित ब्याज – निवेशों से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है (अनुसूची 8 – निवेश में विपरीत प्रविष्टि सहित)।

- विक्रय हेतु उपलब्ध:** एफएएस प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम-से-कम प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। एफएएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त छूट अथवा प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा परिशोधित राशि "अर्जित ब्याज – निवेशों से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है (अनुसूची 8 – निवेश में विपरीत प्रविष्टि सहित)।

बैंक एफएएस के अंतर्गत सभी निष्पादित निवेशों पर, उनके वर्गीकरण (सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड एवं डिबेंचर आदि) की परवाह किए बिना, मूल्यांकन लाभ एवं हानि का समेकन करता है। कर प्रभाव (यदि कोई हो) से समायोजित शुद्ध मूल्यवृद्धि अथवा मूल्यहास को लाभ एवं हानि खाते से प्रवाहित किए बिना सीधे "एफएएस-आरक्षित" में जमा अथवा नामे किया जाता है। एफएएस-आरक्षित को नीचे पैरा 3.6(ख) में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET 1) पूंजी के भाग के रूप में माना जाता है। एफएएस-आरक्षित में स्थानांतरित अप्राप्त लाभ किसी भी वितरण, जिसमें अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर लाभांश एवं कूपन सम्मिलित हैं, हेतु उपलब्ध नहीं होते।

एफएएस प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों के अधीन रहती हैं।

iii. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य

एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी उप-श्रेणी में वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है तथा मूल्यांकन में होने वाला कोई भी परिवर्तन लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त करता है।

एफवीटीपीएल के अंतर्गत अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम-से-कम प्रत्येक तिमाही में किया जाता है।

एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त छूट अथवा प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा "अर्जित ब्याज – निवेशों से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। एफवीटीपीएल प्रतिभूतियों के उचित मूल्यांकन पर शुद्ध लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में जमा अथवा नामे किया जाता है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा ट्रेज़री बिलों में किए गए निवेश एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत धारित किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक निवेश निदेश, 2025 के पैरा 75 के अंतर्गत निर्धारित उपचार के अनुरूप वहन लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

एफवीटीपीएल प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों के अधीन रहती हैं।

- अनुषांगियाँ, सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उपक्रम** अनुषांगियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में सभी निवेश (ऋण एवं इक्विटी दोनों) अधिग्रहण लागत पर वहन किए जाते हैं, किन्तु वे उपर्युक्त प्रारंभिक मान्यता एवं प्रथम दिवस लाभ अथवा हानि संबंधी प्रावधानों के अधीन रहते हैं। अनुषांगियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त छूट अथवा प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा "अर्जित ब्याज – निवेशों से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक कम-से-कम प्रत्येक तिमाही में अनुषांगियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेशों के मूल्यहास का मूल्यांकन करता है, जिसमें निम्नलिखित संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है : निवेशग्राही द्वारा ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान में चूक; किसी बैंक द्वारा उसके ऋणों का

पुनर्संरचना; उसकी ऋण रेटिंग का निवेश-योग्य श्रेणी से नीचे अवनयन; लगातार तीन वर्षों तक हानि तथा परिणामस्वरूप निवल मूल्य में 25% अथवा अधिक की कमी; वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में छह माह अथवा अधिक अवधि तक महत्वपूर्ण गिरावट (कम-से-कम 20%); अनुपालन अथवा वित्तीय कारणों से सूचीबद्धता समाप्त होना अथवा उसका खतरा; तथा मूल रूप से अनुमानित स्थापना अवधि के भीतर सम-विच्छेद बिंदु प्राप्त करने में विफलता।

जहाँ मूल्यहास निर्धारण आवश्यक होता है, वहाँ बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकक से मूल्यांकन प्राप्त करता है तथा मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता देता है। मूल्य में कमी की किसी पश्चातवर्ती प्रतिवापसी को लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों को अधिग्रहण लागत पर वहन किया जाता है, किन्तु वे उपर्युक्त मूल्यहास प्रावधानों के अधीन रहते हैं।

3.5. उचित मूल्य का निर्धारण

i. **उद्धत प्रतिभूतियाँ** उद्धत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य मुख्यतः फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एफबीआईएल") द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहाँ ऐसे मूल्य एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते, वहाँ उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा अधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म अथवा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध लेनदेन अथवा उद्धत मूल्यों, अथवा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ("एफ आईएमएमडीए आईएमएमडीए") द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ii. गैर-उद्धत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

गैर-उद्धत केंद्रीय एवं राज्य सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित मूल्यों/परिपक्वता तक प्रतिफल ("वाईटीएम") दरों के आधार पर किया जाता है।

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति लागू करते हुए, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल दरों से 25 आधार अंक अधिक जोड़कर किया जाता है।

iii. गैर-उद्धत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ

गैर-उद्धत डिबेंचर एवं बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के वाईटीएम पर उपयुक्त मार्जिन जोड़ते हुए वाईटीएम पद्धति से किया जाता है। मार्जिन का निर्धारण ऋण रेटिंग के आधार पर किया जाता है तथा निम्न न्यूनतम सीमाओं के अधीन होता है : रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए, समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकारी प्रतिभूति पर लागू दर से कम-से-कम 50 आधार अंक अधिक; तथा गैर-रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए, समतुल्य परिपक्वता वाले रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड पर लागू मार्जिन से कम नहीं तथा प्रत्येक स्थिति में बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाला। जहाँ डिबेंचर/बॉण्ड उद्धत हों तथा मूल्यांकन तिथि से पूर्व 15 दिनों के भीतर लेनदेन हुए हों, वहाँ स्वीकृत मूल्य उस दर से अधिक नहीं होगा जिस पर लेनदेन अभिलिखित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी तथा एसएलआर स्थिति न रखने वाली विशेष प्रतिभूतियाँ (तेल बॉण्ड, उर्वरक बॉण्ड सहित) समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों की एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रतिफल दर से 25 आधार अंक अधिक स्प्रेड पर मूल्यांकित की जाती हैं।

यूडे बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित मूल्यों/प्रतिफल दरों के आधार पर किया जाता है।

डिस्कॉम वित्तीय पुनर्संरचना योजनाओं के अंतर्गत जारी बॉण्ड का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है : डिस्कॉम द्वारा जारी एवं सेवित राज्य सरकार गारंटीकृत बॉण्ड — समतुल्य परिपक्वता वाली एफबीआईएल केंद्रीय सरकारी प्रतिफल दरों से 75 आधार अंक अधिक; डिस्कॉमद्वारा जारी एवं सेवित अन्य बॉण्ड — 100 आधार अंक अधिक; तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एवं सेवित बॉण्ड — 50 आधार अंक अधिक।

अधिमन्य शेषों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर, एफबीआईएल केंद्रीय सरकारी समतुल्य परिपक्वता प्रतिफल दरों पर उपयुक्त मार्जिन जोड़कर किया जाता है, किन्तु वरीयता अंश का मूल्यांकन उसके विमोचन मूल्य से अधिक नहीं किया जाता। मार्जिन का निर्धारण रेटिंग के आधार पर किया जाता है; यह ऋणात्मक नहीं होता (अर्थात् वाईटीएम समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकारी प्रतिफल दर से कम नहीं होगा), तथा गैर-रेटेड अधिमन्य शेषों हेतु प्रयुक्त दर समतुल्य परिपक्वता वाले रेटेड अधिमन्य शेषों पर लागू दर से कम नहीं होती तथा बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को समुचित रूप से प्रतिबिंबित करती है। जहाँ वरीयता लाभांश/कूपन बकाया हों, वहाँ अर्जित लाभांश/कूपन का कोई श्रेय नहीं लिया जाता तथा इस प्रकार निर्धारित मूल्य को अतिरिक्त रूप से घटाया जाता है — यदि बकाया अवधि एक वर्ष हो तो कम-से-कम 15%, दो वर्ष होने पर 25%, तथा इसी क्रम में अधिमन्य शेषों (10% की वृद्धि के साथ)। लाभांश बकाया होने की स्थिति में गैर-निष्पादित पर मूल्यहास/प्रावधान को अन्य निष्पादित अधिमन्य शेषों पर मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता। परियोजना वित्त के भाग के रूप में अर्जित अधिमन्य शेषों का मूल्यांकन उत्पादन प्रारंभ होने के दो वर्ष पश्चात अथवा अभिदान तिथि से पाँच वर्ष पश्चात, जो भी पहले हो, सममूल्य पर किया जाता है।

ऐसे इक्विटी अंश जिनके वर्तमान उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिन्हें अल्पतरल अथवा असूचीबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनका मूल्यांकन कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाता है (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, यदि कोई हों, को विचार में लिए बिना)। ऐसे तुलन पत्र की तिथि मूल्यांकन तिथि से 18 माह से पूर्व की नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अंशों का मूल्यांकन ₹1 प्रति कंपनी किया जाता है। ब्रेक-अप मूल्य आधारित मूल्यांकन को पदानुक्रम प्रकटीकरण हेतु स्तर 3 माना जाता है।

म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेशों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाता है। लॉक-इन अवधि वाले फंडों अथवा जहाँ पुनर्खरीद मूल्य/बाजार उद्धरण उपलब्ध न हो, वहाँ इकाइयों का मूल्यांकन योजना के निवल परिसंपत्ति मूल्य ("एनएवी") पर किया जाता है; तथा यदि एनएवी उपलब्ध न हो, तो लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत पर किया जाता है।

वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र तथा अन्य जीरो कूपन डिस्काउंट लिखतों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है। बाजार मूल्य के अभाव में, शून्य-कूपन बॉण्ड को आईएमएमडीए/एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित

उपयुक्त शून्य-कूपन स्प्रेड सहित शून्य-कूपन प्रतिफल वक्र का उपयोग करते हुए वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है।

iv. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफएस)

बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धत इक्विटी अंश, बॉण्ड एवं इकाइयों का मूल्यांकन, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उद्धृत प्रतिभूतियों हेतु लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

एआईएफएस की गैर-उद्धत इकाइयों का मूल्यांकन एआईएफ़ द्वारा प्रकटीकृत एनएवी पर किया जाता है, जो सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा उसके निवेशों के मूल्यांकन पर आधारित होता है। जहाँ एआईएफ़ निर्धारित आवृत्ति पर ऐसा मूल्यांकन करने एवं प्रकटीकरण करने में विफल रहता है, वहाँ इकाइयों का मूल्यांकन ₹1 प्रति फंड किया जाता है। जहाँ एआईएफ़, सेबी (एआईएफ़) विनियमन, 2012 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तथा नवीनतम प्रकटीकृत स्वतंत्र मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि से 18 माह से पूर्व का हो, वहाँ इकाइयों का मूल्यांकन ₹1 प्रति फंड किया जाता है।

एआईएफ़ द्वारा जारी अन्य गैर-उद्धत इक्विटी अथवा लिखतों का मूल्यांकन उपर्युक्त पैरा 3.5.ii एवं 3.5.iii में ऐसे लिखतों हेतु निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है।

v. प्रतिभूतिकरण नोट्स, पास थ्रू प्रमाणपत्र

प्रतिभूतिकरण नोट्स (पास थ्रू प्रमाणपत्र सहित) में निवेशों का एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन हेतु परीक्षण किया जाता है। ऐसे ट्रेच जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं (अर्थात् जहाँ ट्रेच की संविदात्मक शर्तों के परिणामस्वरूप केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान से संबंधित नकदी प्रवाह उत्पन्न होते हैं, अंतर्निहित वित्तीय लिखतों का पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता हो, तथा ट्रेच का ऋण जोखिम संयुक्त अंतर्निहित पूल के ऋण जोखिम के बराबर अथवा उससे कम हो) उन्हें धारण उद्देश्य के आधार पर एचटीएम अथवा एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे प्रतिभूतिकरण नोट्स जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करते (इक्विटी ट्रेच सहित) तथा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्तियों पर आधारित जारी लिखतों को एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

vi. प्रतिभूति रसीदें

प्रतिभूतिकरण कंपनी/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ("एससी/एआरसी") को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के अंतरण के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा रसीदों ("एसआर") को निम्न में से जो कम हो उस पर निर्धारित किया जाता है : (क) हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति का निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य घटा धारित प्रावधान), तथा (ख) एसआर का विमोचन मूल्य। एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों हेतु लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जहाँ एसआर संबंधित योजना में लिखतों को आबंटित वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित हों, वहाँ मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त एनएवी को मान्य किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम का अंतरण एवं वितरण) निदेश, 2025 के अनुसार, जहाँ किसी ऋण को एआरसी को निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है तथा प्रतिफल केवल नकद एवं भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर से मिलकर बना हो, वहाँ अतिरिक्त प्रावधान को अंतरण वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। ऐसे भारत सरकार गारंटीकृत

एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर किया जाता है, जो लिखत हेतु प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है। एसआर तथा संबंधित लिखतों में निवेश अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम का अंतरण एवं वितरण) निदेश, 2025 द्वारा शासित होते हैं।

3.6. उचित मूल्य पदानुक्रम

उचित मूल्य मापन की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने हेतु बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करता है :

- स्तर 1 - ऐसे मूल्यांकन जो मापन तिथि पर समान लिखतों हेतु सक्रिय बाजारों में उपलब्ध असमायोजित उद्धृत मूल्यों पर मुख्यतः आधारित हों;
- स्तर 2 - ऐसे मूल्यांकन जो स्तर 1 उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त ऐसे इनपुट पर आधारित हों जो परिसंपत्ति हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय हों;
- स्तर 3 - ऐसे मूल्यांकन जो महत्वपूर्ण अपेक्षणीय इनपुट पर आधारित हों।

बैंक अपनी तुलन पत्र में स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन से सृजित तथा लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभों में से लाभान्श का भुगतान नहीं करता। इसके अतिरिक्त, लाभ एवं हानि खाते अथवा एएफएस-आरक्षित में मान्यता प्राप्त स्तर 3 निवेशों पर निवल अप्राप्त लाभों को सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से घटाया जाता है, सिवाय उन निवेशों के जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हों तथा जिन पर लागू पूंजी पर्याप्तता निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम हेतु 50 प्रतिशत अथवा उससे कम जोखिम भार लागू किया जाना अपेक्षित हो।

3.7. श्रेणियों के मध्य पुनर्वर्गीकरण

बैंक निवेशों का श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस तथा एफवीटीपीएल) के मध्य पुनर्वर्गीकरण अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करता। ऐसा पुनर्वर्गीकरण केवल विषम परिस्थितियों में अनुमत है, जहाँ निवेशों के किसी समूह के प्रबंधन की पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित किया जा सके। यदि ऐसा पुनर्वर्गीकरण अनुमत किया जाता है, तो उसे पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाता है तथा लेखांकन उपचार भारतीय रिज़र्व बैंक निवेश निदेश, 2025 के अध्याय VII के अनुसार किया जाता है।

3.8. गैर-निष्पादित निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 के अंतर्गत किसी परिसंपत्ति को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने हेतु प्रयुक्त मानदंड को, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत करने हेतु लागू किया जाता है। विशेष रूप से :

- बॉण्ड अथवा डिबेंचर तथा राज्य सरकार गारंटीकृत प्रतिभूतियों जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, जहाँ ब्याज/किस्त (परिपक्वता प्राप्ति) सहित देय हो तथा 90 दिनों से अधिक अवधि तक अप्रदत्त रहे, निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;
- अधिमान्य शेयरों के संबंध में, यदि नियत लाभांश (संचयी अथवा असंचयी) नियत समय पर घोषित अथवा भुगतान नहीं किया जाता, तो निवेश को गैर-निष्पादित निवेश माना जाता है;

- iii. ऐसे इक्विटी अंश जिनका मूल्यांकन नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण ₹1 प्रति कंपनी पर किया गया हो, ऐसे इक्विटी शेयरों को गैर-निष्पादित निवेश माना जाता है;
- iv. जहाँ निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति हो, वहाँ उसी निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों (वरीयता अंश सहित) में निवेशों को गैर-निष्पादित निवेश माना जाता है तथा इसके विपरीत भी; तथापि केवल अधिमार्ग शेयरों का गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकरण उसी निर्गमकर्ता की निष्पादित प्रतिभूतियों/ऋण सुविधाओं को स्वतः गैर-निष्पादित निवेश/गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करता;
- v. मूलधन और/अथवा ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड अथवा समान लिखतों में परिवर्तित किए जाने की स्थिति में, ऐसे लिखतों का परिसंपत्ति वर्गीकरण अंतर्निहित ऋण के वर्गीकरण का अनुसरण करता है तथा उनका भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेशों को तब तक गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता जब तक कि गारंटी लागू कर अस्वीकृत न कर दी जाए।

किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात उसे शेष पोर्टफोलियो से पृथक कर दिया जाता है तथा मूल्यांकन लाभ एवं हानि के समायोजन हेतु विचार में नहीं लिया जाता। गैर-निष्पादित निवेश पर ब्याज की मान्यता केवल वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है। मूल्यहास के संबंध में प्रबंधन के आकलन के आधार पर, जहाँ विवेकपूर्ण समझा जाता है, वहाँ बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अतिरिक्त प्रावधान भी करता है।

गैर-निष्पादित निवेशों का उन्नयन भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि (i) ऋण लिखतों का उन्नयन केवल आईआरएसीजी उन्नयन मानदंडों की पूर्ति होने पर किया जाता है, (ii) अधिमार्ग शेयरों का उन्नयन, जहाँ लागू हो, सभी बकाया लाभांशों के भुगतान के पश्चात ही किया जाता है, तथा (iii) ₹1 पर मूल्यांकित इक्विटी लिखतों का उन्नयन केवल नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध होने पर, जो मूल्यांकन का समर्थन करते हों, किया जाता है। खाते के उन्नयन होने पर पूर्व में मान्यता प्राप्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा बाजार मूल्यांकन लाभ एवं हानि की समरूप मान्यता पुनः प्रारंभ हो जाती है।

विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों के संबंध में वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों अथवा मेजबान देश के नियामक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में से जो अधिक कठोर हों, उनके अनुसार किया जाता है। जहाँ मेजबान देश के दिशा-निर्देश निर्दिष्ट नहीं हैं, वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देश लागू किए जाते हैं।

जीवन बीमा व्यवसाय:

बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 तथा इस संदर्भ में समय-समय

पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं और उनका लेखांकन किया जाता है।

निवेशों को खरीद की तारीख पर लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टॉप ड्यूटी, कर आदि, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन खरीद पर उपचित पूर्व-अधिग्रहण ब्याज (अर्थात् पिछली कूपन तारीख से लेनदेन निपटान की तारीख तक), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है।

बोनस पात्रता को 'एक्स-बोनस तारीख' पर निवेश माना जाता है। राइट पात्रता को 'एक्स-राइट डेट' पर निवेश माना जाता है। निवेश पर किसी भी प्रकार की अग्रिम छूट को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी के अलावा, को राजस्व/ लाभ एवं हानि खाते में व्यय माना जाता है।

प्रदत्त/ प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट / क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/ बिक्री मूल्य की लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियाँ और शेयरधारकों के निवेश की ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर - 1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश के तहत धारित सभी ऋण प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ और मुद्रा बाजार लिखतें शामिल हैं को "परिपक्वता तक धारित" माना जाता है तथा परिशोधन के अधीन हिस्टोरिकल लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

बी. छूट या प्रीमियम जो निश्चित आय प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों के खरीद मूल्य और मोचन राशि के बीच का अंतर है, को इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता में शेष अवधि पर राजस्व खाते या लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. पॉलिसीधारक की गैर-लिंक निधियों के तहत एटी1 बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके किया गया है।

डी. ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ या हानि, कंपनी की बही में निवल बिक्री प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच अंतर है।

बी. पॉलिसीधारकों के लिंक निधि की ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्राबाजार लिखत और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों के लिंक निधियों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और एटी1 बॉन्ड का मूल्यांकन यथालागू क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर/क्रिसिल गिल्ट मूल्यों, का उपयोग करके किया जाता है।

बी. नियत आय प्रतिभूतियों / मुद्रा बाजार लिखतों पर छूट या प्रीमियम, जो खरीद मूल्य और शोधन राशि के बीच का अंतर होता है, को और इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता के लिए शेष अवधि में स्ट्रेट लाइन बेसिस पर राजस्व खाते में परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि का लेखांकन राजस्व खाते में किया जाता है।

डी. लिंक कारोबार के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियों और लिंक कारोबार के साथ-साथ उससे इतर कारोबार के लिए एटी1 बॉन्ड पर प्राप्त लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारत औसत लागत के बीच का अंतर है।

सी. लिंक और गैर लिंक दोनों के लिए:-

- ए. तुलन-पत्र की तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्यों का उपयोग करके सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएसई पर इक्विटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का व्यापार नहीं होता है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है।
- बी. असूचीबद्ध इक्विटी शेयर का उल्लेख हिस्टोरिकल लागत पर किया जाता है। इन शेयरों के मूल्य में हास, यदि कोई हो, के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया जाता है कि यह हास अस्थायी के अतिरिक्त है।
- सी. प्राइमरी बाजारों के माध्यम से अधिगृहीत इक्विटी शेयर जिनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है उनका मूल्यांकन उनके निर्गम मूल्य पर किया जाता है।
- डी. म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है। एआईएफ इकाइयों का मूल्यांकन संबंधित निधि के नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है।
- ई. प्राप्त लाभ/हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है। लिंक निधि के मामले में, अप्राप्त लाभ/हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में उचित मूल्य परिवर्तन के रूप में निर्धारित किया जाता है। लिंक कारोबार के अतिरिक्त कारोबार के लिए, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और तुलन-पत्र में भी शामिल किया जाता है।
- एफ. कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या कॉल ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति के मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है। यदि एक से अधिक कॉल ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।
- जी. पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या पुट ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त उच्च मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।
- एच. जिन प्रतिभूतियों पर एक ही दिन में पुट और कॉल दोनों विकल्पों हों, उन्हें को पुट/ कॉल तारीख पर परिपक्व माना जाएगा और उनका मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा जारी मैट्रिक्स के आधार पर बेंचमार्क दर पर स्प्रेड का उपयोग करके परिपक्वता के आधार पर पर किया जाएगा।
- आई. रिवर्स रेपो आधार पर खरीदे गए लिखतों का मूल्यांकन लागत और रिवर्स रेपो दर पर उपचित ब्याज पर किया जाता है।
- जे. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले सभी निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- के. पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारकों की निधियों से पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेश का अंतरण मुद्रा बाजार लिखतों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित लागत/ बुक लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में बाजार मूल्य में प्राप्त मूल्य किया जाता है।

- एल. लिंक निधि के मामले में पॉलिसीधारकों की निधियों से संबंधित ऋण प्रतिभूतियों का अंतर-निधि अंतरण मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है। इक्विटी, अधिमानी शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण नवीनतम ट्रेड के बाजार मूल्य पर बाजार के कार्य-अवधि के दौरान किया जाता है।
- एम. गैर-लिंक पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच निवेश का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।
- एन. यूनिट लिंक निधियों के बीच इक्विटी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफ, आईएनवीआईटी और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की गणना, निवेश की खरीद या बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य पर की जाती है, यदि निवेश के अंतरण की तारीख पर किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसे अंतिम उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, निवेश के अंतरण को प्रचलित प्रतिफल पर लेखांकित किया जाता है।
- ओ. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यहास के किसी लक्षण का पता लगाया जा सके। मूल्यहास हानि की पहचान व्यय के रूप में की जाती है और इसे राजस्व/ लाभ या हानि खाते में "निवेश (निवल) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान शीर्ष के तहत पुनर्निर्धारित उचित मूल्य और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी पूर्व हास हानि द्वारा घटाई गई अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक प्रकट किया जाता है। हास हानि का कोई भी रिवर्सल जिसे पहले राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया था, को क्रमशः राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा।
- पी. "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियम के अनुसार, सभी एनपीए से संबंधित बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सभी आस्तियां जहां तुलन-पत्र की तारीख को ब्याज और/ या मूलधन चुकौती की किस्त 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- क्यू. InVIT के लिए, सभी ट्रेड किए गए InVIT का मूल्यांकन, मूल्यांकन दिवस पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर एनएसई पर शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती है तो वह मूल्य जिस पर बीएसई पर इसकी ट्रेडिंग हुई, पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग नहीं होती है तो पिछले दिन के शुरुआती मूल्य पर एनएसई/बीएसई के समापन मूल्य का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा पिछला दिन, मूल्यांकन दिवस से पूर्व तीस दिन से अधिक न हो।

3.9. निवेशों की बिक्री

- i. **एचटीएम से विक्रय:** एचटीएम श्रेणी से निवेशों का विक्रय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में एचटीएम से विक्रय किए गए निवेशों का कुल वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के प्रारंभिक वहन मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से अधिक किसी भी विक्रय हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।

निम्नलिखित श्रेणियों का विक्रय 5% अधिकतम सीमा से बाहर हैं: (i) तरलता प्रबंधन परिचालनों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए विक्रय, जिनमें ओपन मार्केट परिचालन तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण

कार्यक्रम सम्मिलित हैं; (ii) भारत सरकार द्वारा बायबैक अथवा स्विच परिचालनों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद; (iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक अथवा स्विच परिचालनों के अंतर्गत राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद; (iv) निर्गमकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, बायबैक अथवा कॉल विकल्प का प्रयोग; (v) ऋण रेटिंग में अवनयन अथवा प्रतिपक्षकार द्वारा चूक के पश्चात गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का विक्रय; (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के अंतर्गत समाधान योजना के भाग के रूप में प्रतिभूतियों का विक्रय; तथा (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत अतिरिक्त विक्रय।

एचटीएम से निवेशों के विक्रय पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। एचटीएम से विक्रय पर लाभ, लागू करें तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाने के पश्चात, “पूँजी आरक्षित खाता” के नीचे वाली पंक्ति में विनियोजित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)) निदेश, 2025 के अनुरूप एचटीएम से प्रतिभूतियों पर रेपो को एचटीएम से विक्रय नहीं माना जाता।

ii. **एफएएस से विक्रय:** एफएएस के अंतर्गत किसी ऋण लिखत के विक्रय अथवा परिपक्वता पर, उस प्रतिभूति हेतु एफएएस-आरक्षित में संचित लाभ अथवा हानि को एफएएस-आरक्षित से अंतरित कर “अन्य आय – निवेशों की बिक्री पर लाभ” शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता के समय एफएएस के अंतर्गत निर्दिष्ट इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों के विक्रय पर होने वाले किसी लाभ अथवा हानि को एफएएस-आरक्षित से लाभ एवं हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता; इसके स्थान पर ऐसे लाभ अथवा हानि को एफएएस-आरक्षित से पूँजी आरक्षित में स्थानांतरित किया जाता है।

iii. **एफवीटीपीएल से विक्रय:** एफवीटीपीएल श्रेणी में निवेशों के विक्रय अथवा परिपक्वता पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

iv. **अनुषांगियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेशों का विक्रय:** सहायक कंपनी, सहयोगी संस्था अथवा संयुक्त उपक्रम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण अथवा विक्रय से उत्पन्न किसी लाभ अथवा आय को पहले लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है तथा लागू करें एवं सांविधिक आरक्षित में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाने के पश्चात, “पूँजी आरक्षित खाता” के नीचे वाले पंक्ति में विनियोजित किया जाता है।

3.10. शॉर्ट सेल

बैंक शॉर्ट सेल (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018, जैसा कि संशोधित है, के अनुसार केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेनदेन करता है। शॉर्ट सेल पोজিশन विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए ‘सिक्योरिटीज शॉर्ट सोल्ड’ (SSS) खाते में परिलक्षित होती है, जिसे बाजार में चिह्नित किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि लाभ और हानि खाते से ली जाती है। लघु स्थिति के निपटान पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

3.11. रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो लेन देनों (तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत लेन देन सहित) भारतीय रिज़र्व बैंक (लेन देनों की पुनर्खरीद (रेपो)) निदेश, 2025 तथा संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया

है। रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों का, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लेखांकन किया जाता है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दिखाया जाता है; रिवर्स रेपो के आधीन खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है।

3.12. निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व

यील्ड में वृद्धि के प्रति पर्याप्त रिज़र्व निर्मित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के माध्यम से सभी बैंकों को निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) बनाने हेतु निर्देशित किया है।

- (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ, और
- (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की शेषराशि सतत आधार पर एफएएस और एफएएस(एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

3.13. डेरिवेटिव्स

बैंक ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में संव्यवहार करता है। बैंक द्वारा निष्पादित ब्याज दर डेरिवेटिव्स लिखतों में रुपया ब्याज दर स्वेप (Rupee IRS), विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप (FCY IRS), फारवर्ड रेट एग्रीमेंट (FRA), ब्याज दर कैप एवं फ्लोर तथा एक्सचेंज व्यापारित रुपया ब्याज दर वायदा (IRF) सम्मिलित हैं। बैंक द्वारा निष्पादित मुद्रा डेरिवेटिव्स लिखतों में मुद्रा स्वेप (क्रॉस करेंसी स्वेप सहित), मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज व्यापारित मुद्रा विकल्प सहित), एक्सचेंज व्यापारित मुद्रा वायदा तथा विदेशी मुद्रा फारवर्ड संविदाएँ सम्मिलित हैं।

बैंक डेरिवेटिव्स लेनदेन दो पृथक उद्देश्यों हेतु करता है, अर्थात् (i) बाजार निर्माण एवं स्वामित्व व्यापार, तथा (ii) तुलन पत्रगत परिसंपत्तियों एवं देयताओं (विदेशी मुद्रा निधिकरण सहित) तथा तुलन पत्र से इतर जोखिमों की हेजिंग के लिए। डेरिवेटिव्स संविदाओं को प्रारंभ में, संविदा किए जाने के उद्देश्य के आधार पर, व्यापारिक डेरिवेटिव्स अथवा हेज डेरिवेटिव्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बैंक द्वारा किए गए डेरिवेटिव्स लेनदेन बैंक की “एकीकृत कोषागार परिचालन (घरेलू)” संबंधी आंतरिक नीति द्वारा शासित होते हैं, जिसमें अनुमत वित्तीय डेरिवेटिव्स लिखतों के प्रकार, उनके उपयोग का दायरा, अनुमोदन प्रक्रियाएँ तथा परिचालन सीमाएँ, जिनमें खुली स्थिति सीमाएँ, स्टॉप-लॉस सीमाएँ तथा प्रतिपक्षकार जोखिम सीमाएँ सम्मिलित हैं, निर्धारित की गई हैं।

हेज निर्धारण, प्रलेखन एवं प्रभावशीलता मूल्यांकन

जहाँ किसी डेरिवेटिव्स संविदा को हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, वहाँ बैंक हेज संबंध की शुरुआत में हेज मद (परिसंपत्ति अथवा देयता), हेज लिखत, हेज के जोखिम की प्रकृति, हेज किए जाने का जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं रणनीति तथा हेज संबंध की प्रभावशीलता के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली का औपचारिक प्रलेखन करता है।

हेज प्रभावशीलता का निर्धारण हेज की शुरुआत में किया जाता है तथा तत्पश्चात प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समय-समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन

किया जाता है। हेज प्रभावशीलता का मापन इस सीमा तक किया जाता है कि हेज जोखिम से संबंधित हेज मद के उचित मूल्य अथवा नकदी प्रवाह में परिवर्तन किस सीमा तक हेज लिखत के उचित मूल्य अथवा नकदी प्रवाह में परिवर्तनों द्वारा समायोजित होते हैं, जिसके लिए विभिन्न गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में हेज लेखांकन को भावी रूप से बंद कर देता है जब : (ए) हेज लिखत की अवधि समाप्त हो जाए अथवा उसे विक्रय, समाप्त अथवा उपयोग कर लिया जाए; (बी) हेज जब हेज लेखांकन के मानदंडों को पूरा न करता हो; (सी) हेज प्रत्याशित लेनदेन के घटित होने की अब अपेक्षा न हो; अथवा (डी) बैंक हेज निर्धारण को निरस्त कर दे। हेज लेखांकन बंद किए जाने पर हेज मद की वहन राशि में शेष उचित मूल्य समायोजन को तत्काल लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

3.14. डेरिवेटिव्स लिखतों का मूल्यांकन एवं लेखांकन

बैंक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11 (AS 11) तथा “डेरिवेटिव्स संविदाओं के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी (संशोधित 2021)” के साथ पठित, समय-समय पर लागू निम्नलिखित भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) विनियामक संरचना के अनुसार, डेरिवेटिव्स संविदाओं का लेखांकन करता है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 दिनांक 28 नवम्बर 2025 (जो पूर्ववर्ती भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन (निदेश), 2023 को प्रतिस्थापित करते हैं);
- मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स) निदेश, 2025 [अधिसूचना सं. FMRD.DIRD.07/14.03.046/ 2025-26 दिनांक 8 दिसम्बर 2025, से 1 मार्च 2026], जो रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स लेनदेन के संबंध में जून, 2019 में जारी रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स संबंधी पूर्ववर्ती फ्रेमवर्क का स्थान लेते हैं।
- मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन एवं अंतर-बैंक संव्यवहार दिनांक 5 जुलाई 2016 (16 अप्रैल 2025 तक अद्यतन), विदेशी विनिमय जोखिम के हेज संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश दिनांक 5 अप्रैल 2024 के साथ पठित, विदेशी विनिमय डेरिवेटिव्स लेनदेन के संबंध में; तथा
- विदेशी विनिमय डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईडीएआई), फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) तथा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएमडीए) द्वारा निर्धारित सिद्धांत, जैसा लागू हो।

ए. ट्रेडिंग (गैर-हेज) डेरिवेटिव्स

ऐसी डेरिवेटिव्स स्थितियाँ जिन्हें हेज के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है (अर्थात् ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स), प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बाजार मूल्यांकित की जाती हैं। परिणामी लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर बाजार मूल्यांकन लाभ एवं हानि को सकल आधार पर (बिना समायोजित किए) प्रस्तुत किया जाता है। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर बाजार मूल्यांकन पर प्राप्त लाभ हानियों को सकल आधार पर (बिना समायोजित किए) प्रस्तुत किया जाता है। धनात्मक बाजार मूल्यांकन मूल्य (लाभ) को अनुसूची 11 –

“अन्य आस्तियां” के अंतर्गत डेरिवेटिव्स परिसंपत्ति के रूप में तथा ऋणात्मक बाजार मूल्यांकन मूल्य (हानि) को अनुसूची 5 – “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के अंतर्गत डेरिवेटिव्स देयता के रूप में पृथक मदों में प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

ब्याज दर स्वैपों से संबंधित आय एवं व्यय को तुलन पत्र तिथि तक दैनिक आधार पर अर्जित किया जाता है। व्यापारिक स्वैपों की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को समाप्ति तिथि पर तत्काल आय अथवा व्यय के रूप में लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

बी. हेज डेरिवेटिव्स

(ए) उचित मूल्य हेज

उचित मूल्य हेज के मामले में, हेज लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा हेज जोखिम से संबंधित हेज मद के उचित मूल्य में संबंधित परिवर्तन को परिवर्तन की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। जहाँ हेज मद को अन्यथा परिशोधित लागत पर वहन किया जाता है, वहाँ हेज लेखांकन आवश्यकताओं के अनुपालन में उसकी वहन राशि में समायोजन किया जाता है।

(बी) नकदी प्रवाह हेज

नकदी प्रवाह हेज के मामले में, हेज लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों के प्रभावी भाग को सीधे “आरक्षित एवं अधिशेष” के अंतर्गत “नकदी प्रवाह हेज आरक्षित” शीर्ष में निर्धारित किया जाता है। अन्यथा प्रभावी हेज संबंध के अप्रभावी भाग को, यदि कोई हो, तत्काल लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाह हेज आरक्षित में संचित शेष को उन्हीं अवधि/अवधियों में लाभ एवं हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत (रीसायकल) किया जाता है जिनमें हेज प्रत्याशित नकदी प्रवाह लाभ एवं हानि खाते को प्रभावित करते हैं। यदि हेज प्रत्याशित लेनदेन के घटित होने की आगे अपेक्षा नहीं हो, तो नकदी प्रवाह हेज आरक्षित में संचित संचयी लाभ अथवा हानि को तत्काल लाभ एवं हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

(सी) निवल निवेश हेज

i. **विदेशी शाखाओं को प्रेषित पूंजी:** इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का हेज लेखांकन “निवल निवेश हेज” के अंतर्गत किया जाता है। विदेशी शाखाओं को प्रेषित पूंजी के हेज हेतु डेरिवेटिव्स पर लाभ अथवा हानि को हेज के प्रभावी भाग हेतु इक्विटी (हेज आरक्षित) में निर्धारित किया जाता है, जबकि हेज के अप्रभावी भाग को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ii. **विदेशी अनुषांगियों को प्रेषित पूंजी:** हेज लेखांकन लेखांकन मानक 11 – “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव” के अंतर्गत किया जाता है। AS 11 के अनुसार, ऐसी अग्रिम विदेशी विनिमय संविदा की शुरुआत पर उत्पन्न प्रीमियम को संविदा की अवधि के दौरान आय के रूप में परिशोधित किया जाता है तथा ऐसी संविदाओं पर विनिमय अंतरों को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। अतः विदेशी अनुषांगियों को प्रेषित पूंजी हेतु FX स्वैप/अग्रिमों पर विनिमय अंतरों से उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को विनिमय लाभ में निर्धारित किया जाता है। अग्रिम प्रीमियम आय को FX स्वैप/अग्रिम की परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

सी. मूल्यांकन कार्यप्रणाली – विशिष्ट लिखत

ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) एवं फारवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए): तुलन पत्र तिथि पर बकाया आईआरएस/एफआरए के उचित मूल्य की गणना, प्रतिवेदन तिथि से स्वेप/एफआरए समझौते की समाप्ति तक की अवधि हेतु प्राप्त अथवा देय राशि के आधार पर, एफबीआईएल एवं आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित बाजार-प्रेक्षणीय इनपुट एवं मानक वक्रों का उपयोग करते हुए की जाती है। परिणामी लाभ अथवा हानि को, जैसा लागू हो, डेरिवेटिव्स परिसंपत्ति (अनुसूची 11 के अंतर्गत) अथवा डेरिवेटिव्स देयता (अनुसूची 5 के अंतर्गत) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) एवं मुद्रा वायदा: एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर वायदा तथा मुद्रा वायदा का मूल्यांकन संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त प्रत्येक संविदा के दैनिक निपटान मूल्य के आधार पर किया जाता है। सभी ओपन मार्केट मूल्यांकन दैनिक निपटान मूल्य के आधार पर किया जाता है तथा परिणामी बाजार मूल्यांकन लाभ अथवा हानि का निपटान एक्सचेंज के साथ दैनिक आधार पर किया जाता है।

मुद्रा विकल्प: बैंक एफडीआईआई द्वारा निर्धारित विकल्प प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। विकल्प विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम तथा क्रय विकल्पों पर भुगतान किए गए प्रीमियम को विकल्प संविदा की समाप्ति अथवा पूर्व समाप्ति पर लाभ एवं हानि खाते में अभिलिखित किया जाता है। विकल्प संविदाओं के निरस्तीकरण पर प्राप्त अथवा भुगतान की गई राशियों को विकल्पों पर वास्तविक लाभ अथवा हानि के रूप में निर्धारित किया जाता है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) मुद्रा विकल्पों के मूल्यांकन हेतु, प्राप्त प्रीमियम एवं भुगतान की गई प्रीमियम को बाजार मूल्यांकन मूल्य निर्धारण हेतु विचार में लिया जाता है। एक्सचेंज व्यापारित मुद्रा विकल्पों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्य निर्धारण मॉडलों का उपयोग करते हुए किया जाता है।

विदेशी विनिमय अग्रिम संविदाएँ: व्यापार हेतु की गई तथा तुलन पत्र तिथि पर बकाया विदेशी विनिमय अग्रिम संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन एफडीआईआई/एफबीआईएल द्वारा अधिसूचित समापन स्पॉट एवं अग्रिम दरों तथा मध्यवर्ती परिपक्वताओं वाली संविदाओं हेतु अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु वर्तमान मूल्य आधार पर विचार किया जाता है, जिसमें अग्रिम लाभ अथवा हानि को उपयुक्त प्रतिफल वक्र का उपयोग करते हुए मूल्यांकन तिथि तक बढ़ाकर किया जाता है। परिणामी लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

हेज हेतु लेकिन व्यापार के उद्देश्य से न की गई विदेशी विनिमय अग्रिम संविदाएँ, जो अंतर्निहित लेनदेन की निपटान तिथि पर आवश्यक अथवा उपलब्ध प्रतिवेदन मुद्रा की राशि निर्धारित करती हैं तथा तुलन पत्र तिथि पर बकाया रहती हैं, का लेखांकन लेखांकन मानक (एएस) 11 – “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव” के अनुसार किया जाता है। ऐसी संविदाओं का समापन स्पॉट दर पर किया जाता है तथा संविदा की शुरुआत पर सृजित प्रीमियम अथवा छूट को संविदा की अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन पद्धति से व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

निरस्तीकरण/समापन विदेशी विनिमय अग्रिम संविदाओं एवं स्वेपों के निरस्तीकरण, समापन अथवा पूर्व वितरण पर स्वेप लाभ/हानि प्राप्य अथवा देय तथा निधियों के विनियोजन पर प्राप्य ब्याज को निरस्तीकरण, समापन अथवा पूर्व वितरण की तिथि पर आय अथवा व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस): बैंक अपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस) संविदाओं का मूल्यांकन 10 फरवरी 2022 के सीडीएस संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है, जिनके अंतर्गत बैंकों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस वक्र अथवा किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना अपेक्षित है, यदि वह अधिक उचित मूल्यांकन प्रदान करता हो। बैंक सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन हेतु एफआईएमएमडीए वक्र का उपयोग करता है तथा सीडीएस मूल्यांकन हेतु किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता। सीडीएस स्थितियों का, जहाँ बकाया हों, बाजार मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामी लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ. उचित मूल्य पदानुक्रम

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 के अनुपालन में, बैंक मापन एवं प्रकटीकरण उद्देश्यों हेतु अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को निम्नानुसार तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करता है:

लेवल	इनपुट की प्रकृति	विवरण
लेवल 1	सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य	उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तारीख पर समान डेरिवेटिव्स लिखतों हेतु सक्रिय बाजारों में उपलब्ध अपरिवर्तित कोटेड मूल्यों के आधार पर किया जाता है।
लेवल 2	आब्जर्व बाजार इनपुट	उचित मूल्य का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाता है जिनमें सभी महत्वपूर्ण इनपुट सक्रिय बाजारों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आब्जर्व किए जाने योग्य होते हैं (जैसे मानक वक्र, विदेशी विनिमय दरें, आधार स्प्रेड, एफबीआईएल / रिफाइनिटिव / ब्लूमवर्ग द्वारा प्रकाशित अस्थिरताएँ)।
लेवल 3	आब्जर्व इनपुट	उचित मूल्य का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाता है जिनमें एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट आब्जर्व किए जाने योग्य बाजार आँकड़ों पर आधारित नहीं होते तथा जिनके लिए प्रबंधन के निर्णय, अनुमान अथवा मान्यताओं की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत प्रत्येक डेरिवेटिव्स करार का वर्गीकरण तथा उससे संबंधित मात्रात्मक एवं गुणात्मक जानकारी का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

ई. लेवल 3 डेरिवेटिव्स पर निवल अप्राप्त लाभ का लेखांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार, बैंक अपने तुलन पत्र में लेवल 3 डेरिवेटिव्स आस्ति एवं देयताओं के उचित मूल्यांकन से उत्पन्न तथा लाभ एवं हानि खाते में दर्ज अपने निवल अप्राप्त लाभों में से लाभान्श का भुगतान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, लाभ एवं हानि खाते में दर्ज लेवल 3 डेरिवेटिव्स पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभों को पूंजी पर्याप्तता

गणना उद्देश्यों हेतु सामान्य इकिटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी से घटाया जाता है।

डेरिवेटिव्स पर ऋण जोखिम मापन

बैंक अपने डेरिवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम का मापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान जोखिम पद्धति (सीसीईएम) का उपयोग करते हुए करता है। इस पद्धति के अंतर्गत, प्रत्येक डेरिवेटिव्स करार पर ऋण जोखिम की गणना निम्नलिखित के योग के रूप में की जाती है : (i) वर्तमान प्रतिस्थापन लागत, जो करार का धनात्मक बाजार मूल्यांकन मूल्य है (अर्थात् वह राशि जो बैंक को काउंटर पार्टी से प्राप्त होनी है); तथा (ii) ऋण जोखिम में संभावित भावी परिवर्तनों हेतु राशि, जिसकी गणना करार की काल्पनिक मूलधन राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऋण कन्वर्जन फेक्टर से गुणा करके की जाती है।

इस प्रकार गणना किया गया ऋण जोखिम निर्धारित भारतीय रिज़र्व बैंक फ्रेमवर्क के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता गणनाओं, काउंटर पार्टी जोखिम सीमाओं की निगरानी तथा ऋण जोखिम संकेंद्रण विश्लेषण का आधार बनता है।

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कोलेटरल

बैंक ऐसे काउंटर पार्टी के साथ डेरिवेटिव्स लेनदेन करता है जिनकी व्यावसायिक स्थिति एवं वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन एवं आंतरिक अनुमोदन किया गया हो तथा जिनके लिए बैंक ने उपयुक्त ऋण एवं जोखिम सीमाएँ निर्धारित की हों। जोखिम के वास्तविक होने की स्थिति में काउंटरपार्टी की अपने दायित्वों का निर्वहन करने की क्षमता का आकलन लेनदेन शुरू करने से पूर्व किया जाता है।

गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित विदेशी विनिमय एवं डेरिवेटिव्स लेनदेन हेतु, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमुख अंतरराष्ट्रीय काउंटर पार्टी बैंकों एवं चयनित भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर समझौते तथा क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) समझौते निष्पादित किए हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, कवर किए गए लेनदेन पर बाजार मूल्यांकन जोखिम को पक्षकारों के मध्य सहमत शर्तों के अनुसार मार्जिन के आदान-प्रदान के माध्यम से कोलेटरलाइज्ड किया जाता है।

जहाँ उपयुक्त समझा जाता है, बैंक ऋण की शर्तों को ट्रिगर इवेंट के रूप में निर्धारित करता है, जिनके अंतर्गत बैंक अतिरिक्त कोलेटरल की मांग कर सकता है अथवा डेरिवेटिव्स लेनदेन को समाप्त कर सकता है, ताकि काउंटर पार्टी ऋण जोखिम को कम किया जा सके तथा परिणामी प्रावधान जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

एफ. डेरिवेटिव्स प्राप्य राशियों पर प्रावधानीकरण

प्रचलित भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार, डेरिवेटिव्स करारों के अंतर्गत किसी भी प्राप्य राशि, जिसमें क्रिस्टलाइज्ड प्राप्य राशियाँ तथा डेरिवेटिव्स करार के अंतर्गत भावी प्राप्य राशियों के संबंध में मूल्यांकन मूल्य सम्मिलित हैं, जो 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय एवं अप्रदत्त रहती हैं, को लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जाता है। अतिदेय प्राप्य राशियाँ, जो डेरिवेटिव्स करार के क्रिस्टलाइज्ड धनात्मक बाजार मूल्यांकन मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, को उधारकर्ता के खाते में अंतरित किया जाता है तथा यदि वे 90 दिनों अथवा उससे अधिक अवधि तक अप्रदत्त रहती हैं, तो उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में माना जाता है। ऐसी प्रत्यावर्तित राशियों को,

भावी प्राप्य राशियों से संबंधित धनात्मक बाजार मूल्यांकन मूल्यों सहित, अनुसूची 5 – “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के अंतर्गत पृथक सस्पेंस खाता में [सस्पेंस खाता – क्रिस्टलाइज्ड रिसीवेबल्स / सस्पेंस खाता – पॉज़िटिव एमटीएम] रखा जाता है।

जहाँ किसी डेरिवेटिव प्रतिपक्षकार को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, वहाँ बैंक ऐसे प्रतिपक्षकार की डेरिवेटिव्स संविदाओं के धनात्मक बाजार मूल्यांकन मूल्य से संबंधित समस्त अतिदेय एवं भावी प्राप्य राशियों हेतु प्रावधान करता है। उसी प्रतिपक्षकार के साथ अन्य डेरिवेटिव्स संविदाओं पर बाजार मूल्यांकन लाभ, यदि कोई हो, को विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जी. आकस्मिक देयताएँ

विदेशी मुद्राओं में अंकित डेरिवेटिव्स करारों (विदेशी विनिमय अग्रिम संविदाओं, मुद्रा स्वैप्स, मुद्रा विकल्पों तथा अन्य ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजरों सहित) के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रतिवेदन तुलन पत्र तिथि पर एफईडीआई द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर किया जाता है। गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा विदेशी मुद्राओं में अंकित अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रतिवेदन भी इसी प्रकार एफईडीआई समापन दरों पर किया जाता है।

एच. वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण

डेरिवेटिव्स आस्तियों एवं डेरिवेटिव्स देयताओं को क्रमशः अनुसूची 11 – “अन्य आस्तियाँ” तथा अनुसूची 5 – “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के अंतर्गत पृथक मदों के रूप में सकल आधार पर (बिना समायोजन) प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 के अनुपालन में है। हेज लेखांकन के अनुप्रयोग से उत्पन्न समायोजन, जहाँ लागू हो, आईसीएआई द्वारा जारी “डेरिवेटिव्स करारों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी नोट्स (संशोधित 2021)” के अनुपालन में संबंधित हेज आइटम की वहन राशि में किए जाते हैं।

मान्यता प्राप्त केंद्रीय काउंटर पार्टियों के पास बैंक द्वारा रखे गए प्रारंभिक मार्जिन, परिवर्ती मार्जिन तथा डिफॉल्ट निधि अंशदान – जिनमें विदेशी मुद्रा अग्रिम, विदेशी मुद्रा निपटान एवं रुपया डेरिवेटिव्स (गारंटीकृत निपटान) खंडों हेतु क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल); एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव्स खंड हेतु नेशनल सिक्पोरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीआईएल); बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव्स खंड हेतु इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड; तथा एससीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव्स खंड हेतु मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सम्मिलित हैं – बैंक के डेरिवेटिव्स लेनदेन के संबंध में, डेरिवेटिव्स बाजार मूल्यांकन स्थितियों से पृथक रूप से अनुसूची 11 – “अन्य आस्तियाँ” के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाए प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस

देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुरूप किया गया है।

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचित ब्याज, वाद- दायर विविध जमाओं में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।

4.3 आईआरएसीपी मानदंडों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अतिरिक्त, एक सतत व्यवहार के रूप में बैंक ने निर्धारित न्यूनतम की तुलना में निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में निर्देश दरों पर उच्च प्रावधान किए हैं:

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान।
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित हैं।
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और कोलेटरल मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रतिभूत (कोलेटरल) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से एनपीए हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रेक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।

4.4 पुनर्संचित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संचित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है। जहां बैंक को कुल देय रुपये एक करोड़ और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के रूप में 5% पर की जाती है।

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यावसायिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देशों 2025 के अनुसार यदि दबावग्रस्त ऋण को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर एनआरसी को ट्रांसफर किया जाता है तो बैंक को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में डेबिट करता है। दूसरी ओर यदि दबावग्रस्त ऋण को एआरसी को ट्रांसफर किए जाते समय, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष के लिए राशि प्राप्त हुई है उस अधिकतम प्रावधान राशि को बैंक उस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर देता है और तभी जबकि ट्रांसफर के समय एआरसी द्वारा प्रतिभूति रसीदों/एसएसआर/पीएएस थ्रु सर्टिफिकेट(पीसीसी)/अन्य प्रतिभूतियों के एवज में/शुरुआती नगदी राशि और /या मोचन/अंतरण की राशि एनबीवी से अधिक हो।

4.6 एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों में से किसी खाते को अनर्जक खाते में वर्गीकृत किया जा सकता है, यदि खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करे।

4.7 पूर्ववर्ती वर्षों में राईट ऑफ किए गए ऋणों में प्राप्त वसूली राशि को वर्ष की आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

4.8 अनर्जक आस्तियों(एनपीए) में प्राप्त वसूली को निर्माकित पैरा 8.5 में दिए गए विवरणों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

5 अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अनियत प्रावधान बनाने की एक पॉलिसी है। प्रति वर्ष किए जाने वाले प्रावधानों की अनियत मात्रा का आकलन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से पॉलिसी में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अनियत प्रावधान का उपयोग किया जाता है।

6 अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियां परंपरागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यहास और हास से नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाई गई हैं। लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने संबंधी लागत शामिल है। उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपचित व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों के/ से भविष्य के लाभ/ परिचालन क्षमता को बढ़ाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा होते हैं।

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। नवीनतम पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

6.3 परिसर में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

7 प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8 राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मदों को छोड़कर) / व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में, उस देश के जहां संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है, प्रचलित कानून के तहत आय/ व्यय का निर्धारण किया गया है।

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनियम, ब्रोकरेज तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज बैंक गारंटी(बीपीडी-बीजी) को वास्तविक वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुबंधित, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर लेखांकित किया जाता है। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स (मूल्यांकन पर लाभ हानि), वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल / सामूहिक निवेश फंडों से आय (मूल्यांकन लाभ/हानि के अलावा) वसूली आधार पर मान्यता प्राप्त है।

8.4 अनर्जक आस्तियों/निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए, ऐसी आय का लेखांकन आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार केवल वसूली पर किया जाता है।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय-समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्नलिखित तरीके से विनियोजित होनी चाहिए:

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के लिए
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के लिए
- मूलधन के चुकौती के लिए

वाद दायर/डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विनिर्दिष्ट निदेशों के प्राप्त नहीं होने में गैर वाद दायर खातों में लागू

कॉम्प्रोमाइज/एनसीएलटी समाधान के माध्यम से निपटान द्वारा वसूली:

एनसीएलटी के माध्यम से संकल्प/निपटान या कॉम्प्रोमाइज द्वारा स्वीकृत खातों के मामले में वसूली को समझौता स्वीकृति/समाधान निपटान के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए।

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और मांग को शीघ्रातिशीघ्र निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है:

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के सापेक्ष में
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष में
- मूलधन के भुगतान के सापेक्ष में

मर्चेन्ट बैंकिंग:

राजस्व को गतिविधि की प्रकृति के आधार पर तब निर्धारित किया जाता है जबकि प्रतिफल की तर्कसंगत रूप से गणना की जा सके और इसकी वसूली के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हो।

ए. मर्चेन्ट बैंकिंग और इनवेसमेंट बैंकिंग सेवाओं से प्राप्त होने वाले आय में विभिन्न सेवाएं जैसे फंडे हुए कर्ज का समाधान, डेट सिंडिकेशन, डेट कैपिटल मार्केट आदि, इक्विटी कैपिटल मार्केट फंड संग्रहण सेवाएं जैसे आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, ओएफएस, स्मामेलन एवं अधिग्रहण आदि, प्राइवेट इक्विटी - कैपिटल मार्केट संबंधी एडवाइजरी सेवाएं सम्मिलित हैं।

बी. ऐसे मामलों में राजस्व, कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुरूप असाइनमेंट के विभिन्न स्तरों के पूरा होने तथा इसकी वसूली की निश्चितता का आकलन होने पर जब कभी राशि देय होती है तो इसे उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सी. ब्रोकिंग गतिविधियों से होने वाली आय में एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेड पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज की गणना स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रभार और लागू अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर / जीएसटी) को घटाकर केवल यथोचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचित आधार पर की जाती है।

डी. डिपॉजिटरी सेवाएं से प्राप्त लाभ- वार्षिक रख-रखाव शुल्क देय वार्षिक तारीख तथा लेन-देन प्रभार किए गए ट्रेड लेन-देन की तारीख पर वसूल किए जाते हैं।

ई. मीयादी जमा से होने वाली आय, जो अल्पावधि के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में बैंक से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ. कर-मुक्त बॉन्ड से होने वाली आय को, जो एक दीर्घावधि के लिए अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में ऐसे लिखतों को जारी करने वाली संस्थान से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जी. लिक्विड म्यूचुअल फंड से होने वाली आय को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें निवेश का मोचन किया जाता है और उसकी उगाही की जाती है।

ट्रस्ट परिचालन:

कंपनी द्वारा बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी के रूप में निभाए गए दायित्वों की एवज में ट्रस्टीशिप शुल्क प्रभारित की जाती है।

आस्ति प्रबंधन:

निवेश प्रबंधन शुल्क:

निवेश प्रबंधन शुल्क को बड़ौदा बीएनपी पारिवास म्यूचुअल फंड की योजनाओं (कंपनी द्वारा योजनाओं में किए गए निवेश को छोड़कर, इंटर- योजना निवेश और योजना की कुछ श्रेणियों के लिए सावधि जमा में निवेश की योजनाएं), की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर जीएसटी घटाकर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और किसी भी अन्य संशोधन (विनियम) अथवा संबन्धित योजनाओं के ऑफर दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक न हो।

परामर्श शुल्क, एआईएफ़ शुल्क और निवेश प्रबंधन शुल्क - एसईजेड - ऑफ़शोर:

परामर्श शुल्क, एआईएफ़ शुल्क एवं निवेश प्रबंधन शुल्क को काउंटर पक्षों के साथ करार/समझौते की संबंधित शर्तों के अनुरूप उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य आय

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय-अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है और उपचित आधार पर इसका लेखांकन किया जाता है।

निवेश की खरीद और बिक्री ट्रेड की तारीख पर दर्ज की जाती है। निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को ट्रेड की तारीख पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ए. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि अन्य रूप से उल्लिखित न हो।
- बी. शुल्क आय को तब लेखांकित किया जाता है जब इसे ग्राहक को प्रभारित (बिल) किया जाता है।
- सी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में आय की वसुली की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय का लेखांकन केवल इनके प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है।
- डी. बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से वसुली को ग्राहक से वास्तविक वसुली की राशी के आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- ई. निधियों के नियोजन पर आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जीवन बीमा:

- ए. गैर-लिक पॉलिसियों के लिए प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। यूनिट लिक व्यवसाय के लिए प्रीमियम आय को तब निर्धारित किया जाता है जब संबद्ध यूनिट सृजित हो जाते हैं।
- बी. गैर-लिक परिवर्तनीय बीमा व्यवसाय के लिए, प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- सी. लेप्स पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है जब ऐसी पॉलिसियों को पुनः शुरू किया जाए।
- डी. प्रीमियम में शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं।
- ई. यूनिट लिक व्यवसाय के मामले में, पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबद्ध यूनिट के सृजन पर इसे आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- एफ. यूनिट लिक पॉलिसियों से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रभार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इसे यूनिट लिक फंड से पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर निर्धारित किया जाता है।
- जी. हस्तांतरित पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संबंधित करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय लेखांकित किया जाता है। प्रीमियम में बाद के संशोधनों या निरस्त करने के कारण प्रभाव को उस वर्ष में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में वे होते हैं।
- एच. निवेश से होने वाली आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है। निवेश पर ब्याज आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- आई. ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित प्रीमियम में छूट और परिशोधन में वृद्धि को

होल्टिंग/ परिपक्वता अवधि पर स्ट्रेट-लाइन बेसिस पर निर्धारित किया जाता है।

- जे. लिक व्यवसाय के अलावा अन्य के संबंध में लाभांश आय और लिक व्यवसाय के संबंध में लाभांश आय को "पूर्व-लाभांश तारीख" पर निर्धारित किया जाता है।
- के. लिक व्यवसाय के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि, बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत परिशोधन लागत के बीच का अंतर है। लिक व्यवसाय के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि बिक्री की तारीख को व्यय से घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है।
- एल. इक्विटी शेयरों/ म्यूचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि, व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है। यूनिट लिक व्यवसाय के अलावा लाभ या हानि में "राजस्व और अन्य आरक्षित पूंजी (अनुसूची 2)" और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताओं (अनुसूची 5)" के रूप में तुलन पत्र में पूर्व में शामिल उचित मूल्य के संचयी प्रभार शामिल हैं।
- एम. मृत्यु और राइडर के दावों को सूचना मिलने पर लेखांकित किया जाता है। भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लाग हो, शामिल हैं।
- एन. गैर-लिक व्यवसाय के लिए वार्षिक लाभ, मनी बैक पेमेंट्स, सर्वाइवल बेनिफिट और परिपक्वता दावा को देय होने पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और आहरण का लेखांकन अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है।
- ओ. लिक किए गए व्यवसाय के लिए, संबंधित यूनिटों को रद्द किए जाने पर परिपक्वता दावों को नियत आधार पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और निकासी का लेखांकन तब किया जाता है जब संबंधित यूनिटों को रद्द कर दिया गया है।
- पी. उस पर वसूली योग्य पुनर्बीमा को संबंधित दावे की समान अवधि के लिए लेखांकित किया जाता है। न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रबंधन के विवेक के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।
- क्यू. अधिग्रहण लागत उसके क्रियान्वित होने की अवधि में व्यय हुई लागत है। अधिग्रहण लागत में मुख्य रूप से बीमा मध्यस्थों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी की प्रिंटिंग का खर्च, स्टॉप शुल्क और पॉलिसी को सोर्स करने और जारी करने में हुए अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। भविष्य में पहले वर्ष के कमीशन के भुगतान पर कर सहित वसूली, यदि कोई हो, तो उसे वसूली के समय लेखांकित किया जाता है।

9 कर्मचारियों से जुड़े लाभ

- 9.1 भविष्य निधि
बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।
- 9.2 उपदान
बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक

दायित्व है जो कि उपदान भुगतान से अधिक है। इसका वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित लाभ देयता के रूप में परिभाषित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा पेंशन देयता के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है।

नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

9.4 प्रतिपूर्ति अवकाश

संचित प्रतिपूर्ति अवकाश यथा अर्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.5 कर्मचारियों से जुड़े अन्य लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी) और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि को एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों के लिए, संबंधित देश में लागू कानून के आधार पर लाभों का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है।

10 मूल्यहास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (पैराग्राफ 10.3 एवं 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय उन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यहास प्रावधान किया जाता है।

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यहास की प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	एयर कंडिशनिंग प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यहास की प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
ई.	कार्यालय उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक के स्वामित्व वाले परिसर		
	- आरसीसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को छोड़कर	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ साइकल और ₹50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

10.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद/उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन अस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास, लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और इसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति का मूल्यहास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

11 आस्तियों का मूल्यहास

यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है तो प्रत्येक बैलेन्स शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों की वहीनीय राशि की समीक्षा की जाती है। आईसीएआई द्वारा जारी एस-28 (आस्तियों का मूल्यहास) के अनुसार जहां भी किसी परिसंपत्ति की वहीनीय राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो लाभ और हानि खाते में हानि दर्ज की जाती है।

यदि वसूली योग्य राशि संपत्ति की निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, तो उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। इसके बाद, शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्यहास दर्ज किया जाता है।

12 विदेशी मुद्रा संयवहार:

- 12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव" के अनुरूप किया गया है।
- 12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू व्यापार और प्रतिनिधि कार्यालयों के विदेशी मुद्रा परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है और सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में माना जाता है।
- 12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन
- ए) संयवहार को प्राथमिक तौर पर फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।
- बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पोर्ट दरों पर अंतरित किया जाता है।
- सी) परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ- हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान को फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।
- 12.4 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन
- ए) आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित क्लोजिंग स्पोर्ट दरों पर अंतरित किया जाता है।
- बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः क्लोज्ड स्पोर्ट और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपोलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है।
- सी) फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर आय और व्यय का अंतरण किया जाता है।
- डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग "फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व" खाते में जमा किया जाता है।

13 आय पर कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाते हुए) शामिल हैं, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी एएस 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वर्तमान कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार और लेखा मानक 22 के अनुसार किया जाता है - "आय पर करों के लिए लेखांकन" क्रमशः विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों पर विचार करने के बाद, जो संबंधित क्षेत्राधिकारों के कर कानूनों पर आधारित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके पहचाना जाता है। इन्हें प्रत्येक को रिपोर्टिंग की तारीख पर दर्ज किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो आय और व्यय की मदों के संबंध में विवेकानुसार विचार करने के अधीन होता है जो एक समय में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में रिवर्स किए जाने योग्य होते हैं। आस्थगित कर आस्ति और देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और कर दरों में बदलाव की देनदारियों पर प्रभाव को परिवर्तन के अधिनियमन की अवधि में आय विवरण में दर्ज किया जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित किया जाता है और उनकी प्राप्ति को यथोचित रूप से निश्चित मानने के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को अवशोषित मूल्यहास और कर हानि के आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की लगभग निश्चितता हो और पुख्ता सबूत मौजूद हों कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के लाभों के सापेक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

14 प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना उस अवधि के लिए भारत औसत इक्विटी शेयरों एवं डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल केवल उस हिस्से का किया जाता है। वह दायित्व जिसके लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, प्रदान किया जाता है।

विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को दर्ज नहीं किया जाता है।

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में माना जाता है।

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन) शामिल है।

18. जीवन बीमा व्यवसाय – अन्य पॉलिसियां

- ए. ऋणों का मूल्यांकन कुल बही मूल्य (चुकोतियों को घटाकर) और पूंजीकृत ब्याज के आधार पर किया जाता है, जो क्षति के प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है। यदि परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है तो ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पावधि से इतर अन्य ऋणों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बी. भावी विनियोजन की निधियों को ऐसे अधिदेश आस्तियों में अतिरिक्त देयताओं को दर्शाने वाली सहभागी निधि में अलग रखा गया है ताकि पॉलिसीधारक की उचित अपेक्षा (पीआरई) को पूरा किया जा सके। यह राशि शेयरधारक या पॉलिसीधारक को तुलन-पत्र की तारीख पर आबंटित नहीं की गयी है। भावी विनियोजन के लिए निधि जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आबंटित की जाती है तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में परिणामस्वरूप अंतरण होगा।
- सी. कंपनी की बीमांकिक देनदारियों की गणना, बीमा अधिनियम, 1938 और उसमें संशोधनों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्जुअरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एक्जुअरीअल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट्स तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं। दीर्घावधि गैर-लिंकड संविदाओं का मूल्यांकन सकल प्रीमियम मूल्यांकन (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

यूनिट लिंक जीवन बीमा संविदाओं के तहत, यूनिट रिज़र्व की गणना मूल्यांकन तारीख पर यूनिट मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन तारीख पर लागू पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में की जाती है। मृत्यु और व्यय के लिए गैर-यूनिट देनदारियां एक संभावित सकल प्रीमियम (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं, जिसके तहत भावी शुद्ध नकदी प्रवाह को पॉलिसी-दर-पॉलिसी आधार पर मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट बैंक कर दिया जाता है और यह मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई भावी नकारात्मक नकदी प्रवाह जो अन्यथा उत्पन्न हों, को समाप्त कर दिया गया है। भावी नकदी प्रवाह को व्यक्त करने में, भावी मृत्यु/ रुग्णता, भावी चूक, खर्च और यूनिट निधि के लिए निवेश वृद्धि दर और ब्याज दर के संबंध में अनुमान लगाए गए हैं। ये धारणाएं अपेक्षित भावी अनुभव पर आधारित हैं। इन अनुमानों में प्रतिकूल विचलन के लिए उपयुक्त मार्जिन रखा गया है। एक साल के नवीकरणीय संविदाओं का मूल्यांकन अनएक्सपायर्ड प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। राइडर्स को जीपीवी और यूपीआर से अधिक महत्व दिया जाता है।

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं-

- (i) अनर्जित मृत्यु/ रुग्णता प्रभार
- (ii) व्यय किए गए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनआर)
- (iii) पुनर्बहाली अवधि के भीतर लेप्स और पेडअप पॉलिसियां
- (iv) फ्री लुक पॉलिसी
- (v) आकस्मिकता

SCHEDULE 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

These financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949 and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 as amended from time to time.

- i. The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its subsidiaries together referred to as ("Group"), Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2026. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:
 - a. Audited financial statements of Bank of Baroda (Parent).
 - b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealised profit/ loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.
 - c. Consolidation of Joint Ventures — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.
 - d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.
- ii. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the share capital and premium of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve. In case of overseas subsidiaries and JVs such difference is accounted under translation reserves.
- iii. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:
 - a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

- b. The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which they materialise. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

Classification, valuation, and operation of the Bank's investments are carried out in accordance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/162 DOR. MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated November 28, 2025) ("RBI Investment Directions, 2025") and such other circulars and clarifications issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The Bank follows settlement-date accounting for recognising purchases and sales of investments.

3.1. Classification

The Bank classifies its entire investment portfolio (other than investments in its subsidiaries, associates, and joint ventures) into following categories:

- i. **Held to Maturity (HTM)** – investments acquired with the intention and objective of holding them to maturity (i.e., to collect contractual cash flows), where the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified dates. HTM includes debentures and bonds which meet the SPPI criterion.
- ii. **Available for Sale (AFS)** – investments acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities, where the contractual terms meet the SPPI criterion. AFS securities include, inter alia, debt securities held for Asset Liability Management purposes meeting the SPPI criterion where the Bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity. At initial recognition, the Bank may make an irrevocable election to classify under AFS an equity instrument that is not held with the objective of trading.

- iii. **Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)** – investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS. Held For Trading (“HFT”) is a separate sub-category within FVTPL and comprises instruments held for short-term resale, for profit from short-term price movements, for locking in arbitrage profits, or for hedging risks arising from such instruments, and such other instruments as are required to be included under HFT in terms of the RBI Investment Directions, 2025.

Investments in subsidiaries, associates, and joint ventures are held under a distinct category (sui generis), separate from HTM, AFS, and FVTPL.

The category of an investment is decided by the Bank before or at the time of acquisition, and such decision is properly documented.

For the purpose of disclosure in the Balance Sheet, investments are classified and disclosed under Schedule 8 ('Investments') under six groups: (a) Government Securities, (b) Other Approved Securities, (c) Shares, (d) Debentures and Bonds, (e) Subsidiaries and/or Joint Ventures, and (f) Others.

3.2. Initial recognition

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, the acquisition cost is presumed to be the fair value. In respect of Government Securities acquired through auction (including devolvement), switch operations, and open market operations conducted by RBI, the price at which the security is allotted is considered to be the fair value for initial recognition.

Costs such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition, and broken period interest, are charged to the Profit and Loss Account in accordance with RBI guidelines and are not capitalised as part of the acquisition cost.

3.3. Day 1 gain or loss

Where the fair value of an investment at initial recognition differs from the acquisition cost, the resulting Day 1 gain or loss is accounted for as under:

- where the fair value is based on quoted prices or other observable market inputs (Level 1 or Level 2), any Day 1 gain or loss is recognised immediately in the Profit and Loss Account, under 'Other Income – Profit / Loss on revaluation of investments';
- where the fair value is determined using significant unobservable inputs (Level 3), any Day 1 loss is recognised immediately in the Profit and Loss Account. Any Day 1 gain is deferred – for debt instruments, amortised on a straight-line basis up to the maturity date (or the earliest call date, for perpetual instruments); for unquoted equity instruments, set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

3.4. Subsequent measurement

- Held to Maturity.** Investments classified under HTM are carried at acquisition cost (or at weighted average cost where multiple lots are held). Such investments are not marked to market after initial recognition; however, they are subject to income recognition, asset classification, and provisioning norms as prescribed by RBI. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under HTM is amortised over the remaining life of the instrument, and the amortised amount is reflected under 'Interest Earned – Income on Investments' (with a contra in Schedule 8 – Investments).
- Available for Sale.** AFS securities are fair valued at least on a quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument, and the amortised amount is reflected under 'Interest Earned – Income on Investments' (with a contra in Schedule 8 – Investments).

The Bank aggregates valuation gains and losses across all performing investments under AFS, irrespective of classification (Government Securities, Other Approved Securities, Bonds and Debentures, etc.). The net appreciation or depreciation, adjusted for the effect of applicable taxes (if any), is directly credited or debited to the 'AFS-Reserve' without routing through the Profit and Loss Account. The AFS-Reserve is reckoned as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, subject to the restrictions specified in paragraph 3.6(b) below. Unrealised gains transferred to the AFS-Reserve are not available for any distribution, including dividends and coupons on Additional Tier 1 instruments.

AFS securities are subject to income recognition, asset classification, and provisioning norms as prescribed by RBI.

iii. Fair Value through Profit and Loss

Securities classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued on a daily basis, and any valuation change is recognised in the Profit and Loss Account.

Other securities under FVTPL are fair valued at least on a quarterly basis.

Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument and reflected under 'Interest Earned – Income on Investments'. The net gain or loss on fair valuation of FVTPL securities is credited or debited to the Profit and Loss Account.

Investments made by the Bank as a Primary Dealer in Treasury Bills are held within the HFT sub-category and are valued at carrying cost, consistent with the treatment of Treasury Bills prescribed under paragraph 75 of the RBI Investment Directions, 2025.

FVTPL securities are subject to income recognition, asset classification, and provisioning norms as prescribed by RBI.

- iv. Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures.** All investments (both debt and equity) in subsidiaries, associates, and joint ventures are carried at acquisition cost, subject to the provisions on initial recognition and Day 1 gain or loss set out above. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates, and joint ventures is amortised over the remaining life of the instrument and reflected under 'Interest Earned – Income on Investments'.

The Bank evaluates its investments in subsidiaries, associates, and joint ventures for impairment at least on a quarterly basis, having regard to indicators such as: default by the investee in repayment of debt obligations; restructuring of its loans by any bank; downgrade of its credit rating to below investment grade; continuous loss for three years with consequent reduction in net worth by 25% or more; significant decline (at least 20%) in fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more; delisting or threat of delisting for non-compliance or financial reasons; and failure to achieve break-even within the originally projected gestation period. Where a determination of impairment is required, the Bank obtains a valuation from an independent registered valuer (under Section 247 of the Companies Act, 2013) and recognises the diminution, if any, as an expense in the Profit and Loss Account. Any subsequent reversal of the diminution is recognised through the Profit and Loss Account.

Investments in Regional Rural Banks are carried at acquisition cost, subject to the impairment provisions set out above.

3.5. Fair value determination

- i. Quoted securities.** The fair value of quoted securities is determined primarily on the basis of the prices declared by Financial Benchmarks India Private Limited ("FBIL"). Where such prices are not published by FBIL, fair value is based on quoted prices available from trades or quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms, or trading platforms authorised by RBI / SEBI, or on prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India ("FIMMDA").

ii. Unquoted SLR securities.

Treasury Bills are valued at carrying cost.

Unquoted Central and State Government securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity ("YTM") rates published by FBIL.

Other approved securities are valued applying the YTM method, marked up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity published by FBIL.

iii. Unquoted Non-SLR securities.

Unquoted debentures and bonds are valued using the YTM method with an appropriate mark-up over the YTM for Central Government securities of equivalent maturity published by FBIL / FIMMDA. The mark-up is graded by credit rating, subject to the following floors: for rated debentures / bonds, at least 50 basis points above the rate applicable to a Central Government security of equivalent maturity; for unrated debentures / bonds, not less than the mark-up applicable to rated debentures / bonds of equivalent maturity, and in any event reflective of the credit risk borne by the Bank. Where the debentures / bonds are quoted and there have been transactions within 15 days prior to the valuation date, the value adopted is not higher than the rate at which the transaction has been recorded.

Special securities directly issued by the Government of India and not carrying SLR status (including Oil Bonds, Fertiliser Bonds) are valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity published by FBIL.

UDAY bonds are valued on the basis of prices / yields published by FBIL.

Bonds issued under DISCOM financial restructuring plans are valued as under: state-government-guaranteed bonds issued and serviced by DISCOMs – 75 basis points above FBIL CG yields of equivalent maturity; other bonds issued and serviced by DISCOMs – 100 basis points; bonds issued and serviced by State Government – 50 basis points.

Preference shares are valued on YTM basis with an appropriate mark-up over FBIL CG yields of equivalent maturity, subject to the preference share not being valued above its redemption value. The mark-up is graded by rating; it is non-negative (i.e., YTM not lower than CG yield of equivalent maturity), and the rate used for unrated preference shares is not less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and appropriately reflects the credit risk borne by the Bank. Where preference dividends / coupons are in arrears, no credit is taken for accrued dividends / coupons and the value so determined is discounted further by at least 15% if arrears are for one year, by 25% if for two years, and so on (with 10% increments). Depreciation / provision on non-performing preference shares where dividends are in arrears is not set off against appreciation on other performing preference shares. Preference shares acquired as part of project finance are valued at par for two years after commencement of production or five years after subscription, whichever is earlier.

Equity shares for which current quotations are not available, or which are classified as illiquid or unlisted, are valued at break-up value (without considering

revaluation reserves, if any) as per the company's latest audited Balance Sheet. The date of such Balance Sheet shall not precede the date of valuation by more than 18 months, failing which the shares are valued at ₹1 per company. Valuations based on break-up value are treated as Level 3 for hierarchy disclosure.

Investments in mutual fund units are valued at the latest repurchase price declared by the mutual fund. In the case of funds with a lock-in period or where repurchase price / market quote is not available, units are valued at Net Asset Value ("NAV") of the scheme; if NAV is not available, at cost until the end of the lock-in period.

Commercial Paper, Certificates of Deposit, and other zero-coupon discounted instruments are valued at carrying cost.

In the absence of market value, Zero-Coupon Bonds are marked to market with reference to present value, using the Zero-Coupon Yield Curve with appropriate zero-coupon spreads published by FIMMDA / FBIL.

iv. **Alternative Investment Funds (AIFs).**

Quoted equity shares, bonds, and units of AIFs in the Bank's portfolio are valued mutatis mutandis in accordance with the guidelines for quoted securities.

Unquoted units of AIFs are valued at the NAV disclosed by the AIF, based on the valuation of its investments by an independent valuer at the frequency mandated by the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. Where the AIF fails to carry out and disclose such valuation at the mandated frequency, the units are valued at ₹1 per fund. Where the AIF is not registered under the SEBI (AIF) Regulations, 2012, and the latest disclosed independent valuation precedes the date of valuation by more than 18 months, the units are valued at ₹1 per fund.

Other unquoted equity or instruments issued by an AIF are valued in accordance with the methodology specified for such instruments in paragraphs 3.5.ii and 3.5.iii above.

v. **Securitisation notes, Pass Through Certificates**

Investments in securitisation notes (including Pass Through Certificates) are tested for compliance with the SPPI criterion. Tranches that meet the SPPI criterion (i.e., where the tranche's contractual terms give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest, the underlying pool of financial instruments meets the SPPI criterion, and the credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool) may be classified under HTM or AFS based on the objective of holding. Securitisation notes that do not meet the SPPI criterion (including the equity tranche) and instruments issued by Asset Reconstruction Companies predicated on recoveries from the underlying asset are classified under FVTPL.

vi. **Security Receipts**

Security Receipts ("SRs") obtained by way of transfer of a non-performing asset to a Securitisation Company / Asset Reconstruction Company ("SC / ARC") are recognised at the lower of (a) Net Book Value of the financial asset transferred (i.e., book value less provision held) and (b) the Redemption Value of the SR.

SRs issued by an SC / ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Where the SRs are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the NAV obtained from the SC / ARC is reckoned for valuation.

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025, where a loan is transferred to an ARC at a value higher than the Net Book Value and the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India, any excess provision is reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer. Such Government-guaranteed SRs are valued periodically on the basis of the NAV declared by the ARC based on the recovery ratings received for the instrument. Investments in SRs and related instruments are otherwise governed by the RBI (Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025.

3.6. **Fair value hierarchy**

In order to indicate the reliability of fair value measurement, the Bank categorises its investment portfolio into three fair value hierarchies:

- i. Level 1 – valuations based substantively on unadjusted quoted prices in active markets for identical instruments accessible at the measurement date;
- ii. Level 2 – valuations based on inputs other than Level 1 quoted prices that are observable for the asset, directly or indirectly;
- iii. Level 3 – valuations based on significant unobservable inputs.

The Bank does not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on its Balance Sheet. Further, net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve are deducted from Common Equity Tier 1 capital, except in respect of investments that meet the SPPI criterion and are required to be risk-weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable capital adequacy instructions.

3.7. **Reclassification between categories**

The Bank does not reclassify investments between categories (viz., HTM, AFS, and FVTPL) without the approval of its Board and the prior approval of the

Department of Supervision, RBI. Such reclassification is permitted only in rare circumstances where a significant change in the manner in which a group of investments is managed can be demonstrated. Any such reclassification, if permitted, is applied prospectively from the reclassification date, and the accounting treatment is carried out in accordance with Chapter VII of the RBI Investment Directions, 2025.

3.8. Non-Performing Investments

The criterion used to classify an asset as a Non-Performing Asset (NPA) under the RBI (Commercial Banks – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 is applied mutatis mutandis to classify an investment as a Non-Performing Investment ("NPI"). In particular:

- i. in respect of debt instruments such as bonds or debentures and State Government Guaranteed Securities, an investment is classified as NPI where interest / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days;
- ii. in respect of preference shares, if the fixed dividend (cumulative or non-cumulative) is not declared or paid when due, the investment is treated as NPI;
- iii. in respect of equity shares valued at ₹1 per company on account of unavailability of the latest Balance Sheet, such equity shares are reckoned as NPI;
- iv. where any credit facility availed by the issuer is NPA, investments (including preference shares) in securities issued by the same issuer are treated as NPI, and vice versa, except that NPI classification of only the preference shares does not automatically result in classification of performing securities / credit facilities of the same issuer as NPI / NPA;
- v. in the case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, or similar instruments, the asset classification of such instruments follows that of the underlying loan, and provision is made in accordance with RBI guidelines.

Investments in Central and State Government securities are not classified as NPI. Investments in securities guaranteed by the Central Government are not classified as NPI until the guarantee is invoked and repudiated.

Once an investment is classified as NPI, it is segregated from the rest of the portfolio and is not considered for netting valuation gains and losses. Interest on NPI is recognised only on realisation. Based on management assessment of impairment, the Bank creates additional provisions over and above the RBI-prescribed minimum, wherever considered prudent.

Upgradation of Non-Performing Investments is in line with RBI guidelines, including that (i) debt instruments are upgraded only upon satisfaction of IRACP upgradation criteria, (ii) preference shares are upgraded only upon payment of all overdue dividends where applicable,

and (iii) equity instruments valued at ₹1 are upgraded only upon availability of the latest audited financial statements supporting valuation. Upon an account being upgraded, any provision previously recognised is reversed, and symmetric recognition of MTM gains and losses resumes.

In respect of investments held at overseas branches, classification and valuation are carried out in accordance with the RBI guidelines or those prescribed by the host-country regulator, whichever are more stringent. Where no host-country guidelines are specified, RBI guidelines are applied.

Life Insurance Business:

Investments are made and accounted for in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and various other circulars / notifications issued by the IRDAI in this context from time to time.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and stamp duty, taxes, etc, if any, but excludes pre-acquisition interest accrued i.e. (from the previous coupon date to the transaction settlement date), if any, on purchase.

Bonus entitlements are recognized as investments on 'ex-bonus date'. Right entitlements are recognized as investments on 'ex-right date'. Any front end discount on investments is reduced from cost of investments.

Diminution in the value of investments as at the balance sheet date, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Broken period interest paid/received is debited/credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale value.

A. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' non-linked funds and shareholders' investments:

- a. All debt securities, including government securities, and Money market instruments held under policyholders' non-linked funds and shareholders' investments are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortisation.
- b. The discount or premium which is the difference between the purchase price and the redemption amount of fixed income securities and money market instruments is amortised and recognized in the revenue account or the profit and loss account, as the case may be, on a

straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

- c. AT1 Bonds, under policyholder's non-linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer.
- d. The realised gain or loss on debt securities is the difference between the net sale consideration and the amortised cost in the books of the company.

B. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' linked funds:

- a. All debt securities, including government securities and AT1 Bonds, under policyholders' linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer/ CRISIL Gilt Prices, as applicable.
- b. The discount or premium on fixed income securities / money market instruments which is the difference between the purchase price and the redemption amount is amortised and recognized in the revenue account on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.
- c. Unrealised gains or losses arising on valuation of debt securities including Government Securities are accounted for in the Revenue Account.
- d. The realised gain or loss on debt securities held for linked business and AT1 bonds for linked as well as other than linked business is the difference between the net sale consideration and weighted average cost.

C. For both Linked and Non Linked:-

- a. Listed equity shares and equity ETFs are valued and stated at fair value, using the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE), at the balance sheet date. If the equity shares and equity ETFs are not traded on the NSE, then closing prices of the Bombay Stock Exchange (BSE) is considered.
- b. Unlisted equity shares are stated at historical cost. A provision is made for diminution, if any, in the value of these shares to the extent that such diminution is other than temporary.
- c. Equity shares acquired through primary markets and awaiting listing are valued at their issue price.
- d. Mutual fund units are valued at previous day's Net Asset Value. AIF units are valued at the latest available net asset value of the respective fund.
- e. The realised gain / loss is the difference between the net sale consideration and weighted average cost. In case of linked funds, unrealised gains / losses are recognised in the respective fund's revenue account as fair value change. For other than linked business, unrealized gain / loss on changes in fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change account and are carried to the Balance Sheet.

- f. Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call dates or upto the final maturity date.
- g. Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put dates or upto the final maturity date.
- h. The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued on a yield to maturity basis, by using spreads over the benchmark rate based on the matrix released by CRISIL.
- i. Instruments bought on 'reverse repo' basis are valued at cost plus interest accrued on reverse repo rate.
- j. All investments maturing within twelve months from the balance sheet date are classified as short-term investments. All other investments are classified as long-term investments.
- k. Transfers of Investments from Shareholders' funds to the Policyholders' funds to meet the deficit in the policyholders' account are effected at the lower of amortised cost / book cost or market value in respect of all debt securities including money market instruments and at the market value in case of other securities.
- l. In case of linked funds, Inter-fund transfer of debt securities relating to Policyholders' Funds is effected at current market value. Inter fund transfer of equity, preference share, ETFs and government securities are effected during market hours at the market price of the latest trade.
- m. No transfers of investments are made between non linked Policyholders' funds.
- n. The purchase and sale of equity, preference shares, ETF's, InvIT's and Government Securities between unit linked funds is accounted for at the prevailing market price on the date of purchase or sale of investments, if prevailing market price of any security is not available on the date of transfer of investment, then the last available price is considered. In case of debt securities other than Government Securities, transfer of investments is accounted at prevailing yield.
- o. The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the re-

measured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in the Revenue / Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

- p. In accordance with regulations on “Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio”, adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA’s. All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA.
- q. For InvIT, All traded InvIT shall be valued at the last quoted closing price on the National Stock Exchange (NSE) on valuation day. In case on any particular valuation day the scrip is not traded on NSE then the value at which it is traded on BSE will be considered. In case it is not traded on either of the exchanges, the closing price on NSE/ BSE on the earliest previous day will be used, provided such previous day is not more than thirty days prior to the valuation day.

3.9. Disposal of investments

- i. **Sales from HTM:** Sales of investments from the HTM category are undertaken in accordance with a Board-approved policy. The aggregate carrying value of investments sold out of HTM in any financial year does not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold requires prior approval of the Department of Supervision, RBI.

The following categories of sales are excluded from the 5% cap: (i) sales to RBI under liquidity management operations, including Open Market Operations and the Government Securities Acquisition Programme; (ii) repurchase of Government securities by Government of India under buyback or switch operations; (iii) repurchase of State Government securities by respective State Governments under buyback or switch operations; (iv) repurchase, buyback, or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer; (v) sales of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty; (vi) sales of securities as part of a resolution plan under the RBI (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025; and (vii) additional sales explicitly permitted by RBI.

Profit or loss on sale of investments from HTM is recognised in the Profit and Loss Account. The profit on sale from HTM, net of applicable taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve under Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949, is appropriated below the line to the ‘Capital Reserve Account’. Repo of securities from HTM, compliant with the Reserve Bank of India (Repurchase Transactions (Repo)) Directions, 2025, is not treated as sale from HTM.

- ii. **Sales from AFS.** Upon sale or maturity of a debt instrument under AFS, the accumulated gain or loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS-Reserve and recognised in the Profit and Loss Account under ‘Other Income – Profit on sale of investments’. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments is not transferred from the AFS-Reserve to the Profit and Loss Account; instead, such gain or loss is transferred from the AFS-Reserve to the Capital Reserve.
- iii. **Sales from FVTPL.** Profit or loss on sale or maturity of investments in the FVTPL category is recognised in the Profit and Loss Account.
- iv. **Sale of investments in subsidiaries, associates, and joint ventures.** Any gain or profit arising on the reclassification or sale of an investment in a subsidiary, associate, or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and, net of applicable taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve, is appropriated below the line to the ‘Capital Reserve Account’.

3.10. Short sale

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the Short Sale (Reserve Bank) Directions, 2018, as amended. The short sale position is reflected in a ‘Securities Short Sold’ (SSS) account specifically created for this purpose, is marked to market, and the resultant profit or loss is charged to the Profit and Loss Account. Profit or loss on settlement of the short position is recognised in the Profit and Loss Account.

3.11. Accounting for repo and reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by RBI for accounting for Market Repo and Reverse Repo transactions (including transactions under the Liquidity Adjustment Facility) in accordance with the Reserve Bank of India (Repurchase Transactions (Repo)) Directions, 2025 and related RBI circulars. Repo and reverse repo transactions are accounted for as collateralised borrowing and lending transactions with an agreement to repurchase on agreed terms. Securities sold under repo continue to be shown under investments; securities purchased under reverse repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted as interest expenditure / income.

3.12. Investment Fluctuation Reserve

The Bank maintains an Investment Fluctuation Reserve (“IFR”) in accordance with RBI directions, with a view to building up adequate reserves to protect against an increase in yields. Transfer to IFR is the lower of

- i. the net profit on sale of investments during the year, and

- ii. the net profit for the year less mandatory appropriations, until the balance of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis.

3.13. Derivatives

The Bank deals in interest rate derivatives and currency derivatives. The interest rate derivatives transacted by the Bank comprise Rupee Interest Rate Swaps (Rupee IRS), Foreign Currency Interest Rate Swaps (FCY IRS), Forward Rate Agreements (FRAs), Interest Rate Caps and Floors and Exchange Traded Rupee Interest Rate Futures (IRF). The currency derivatives transacted by the Bank comprise Currency Swaps (including Cross Currency Swaps), Currency Options (including Exchange Traded Currency Options), Exchange Traded Currency Futures and Foreign Exchange Forward Contracts.

The Bank undertakes derivative transactions for two distinct purposes, namely (i) market-making and proprietary trading, and (ii) hedging of on-balance sheet assets and liabilities (including foreign currency funding) and off-balance sheet exposures. Derivative contracts are categorised at inception as either trading derivatives or hedging derivatives, based on the purpose for which the contract is entered into.

Derivative transactions undertaken by the Bank are governed by the Bank's internal Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic), which lays down the permitted types of financial derivative instruments, the scope of their use, the approval procedures, and the operational limits including open position limits, stop-loss limits and counterparty exposure limits.

Hedge Designation, Documentation and Effectiveness Assessment

Where a derivative contract is designated as a hedge, the Bank, at the inception of the hedging relationship, formally documents the hedged item (asset or liability), the hedging instrument, the nature of the risk being hedged, the risk management objective and strategy for undertaking the hedge, and the methodology for assessing the effectiveness of the hedging relationship.

Hedge effectiveness is ascertained at the inception of the hedge and is reassessed periodically at each reporting date thereafter. Hedge effectiveness is measured by the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to the hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument, using various qualitative and quantitative methods.

The Bank discontinues hedge accounting prospectively when (a) the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised; (b) the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting; (c) the hedged forecast transaction is no longer expected to occur; or (d) the Bank revokes the hedge designation. On

discontinuance of hedge accounting, the remaining fair value adjustment to the carrying amount of the hedged item, is immediately recognized in the Profit and Loss Account.

3.14. Valuation and Accounting of Derivatives

The Bank accounts for derivative contracts in accordance with the Accounting Standard 11 (AS11) and Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), read together with the following Reserve Bank of India (RBI) regulatory framework, as applicable from time to time:

- Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated November 28, 2025 (which supersede the earlier RBI Master Direction – Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023);
- Master Direction – Reserve Bank of India (Rupee Interest Rate Derivatives) Directions, 2025 [Notification No. FMRD.DIRD.07/14.03.046/2025-26 dated December 8, 2025, effective March 1, 2026], which supersede the earlier framework on Rupee Interest Rate Derivatives issued in June 2019, in respect of rupee interest rate derivative transactions;
- Master Direction – Risk Management and Interbank Dealings dated July 5, 2016 (as updated up to April 16, 2025), read together with the RBI Directions on Hedging of Foreign Exchange Risk dated April 5, 2024, in respect of foreign exchange derivative transactions; and
- the principles laid down by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI), Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL) and the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as applicable.

A. Trading (Non-Hedge) Derivatives

Derivative positions that are not designated as hedges (i.e., trading derivatives) are marked to market as at each Balance Sheet date. The resulting gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account. Mark-to-market gains and losses on trading derivatives are presented on a gross basis (without offsetting). The positive mark-to-market value (gain) is presented as a derivative asset under Schedule 11 – 'Other Assets', and the negative mark-to-market value (loss) is presented as a derivative liability under Schedule 5 – 'Other Liabilities and Provisions', as separate line items, in line with the requirements of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025.

Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on a daily basis up to the Balance Sheet date. Gains or losses on termination of trading swaps are recognised on the date of termination as immediate income or expenditure in the Profit and Loss Account.

B. Hedge Derivatives

(a) Fair Value Hedge

In the case of a fair value hedge, changes in the fair value of the hedging instrument and the corresponding changes in the fair value of the hedged item attributable to the hedged risk are recognised in the Profit and Loss Account in the period of change. Where the hedged item is otherwise carried at amortised cost, an adjustment is made to its carrying value, in compliance with the hedge accounting requirements.

(b) Cash Flow Hedge

In the case of a cash flow hedge, the effective portion of the changes in the fair value of the hedging instrument is recognised directly in 'Reserves and Surplus' under the head 'Cash Flow Hedge Reserve'. The ineffective portion, if any, of an otherwise effective hedging relationship is recognised immediately in the Profit and Loss Account.

The accumulated balance in the Cash Flow Hedge Reserve is reclassified (recycled) to the Profit and Loss Account in the same period(s) in which the hedged forecast cash flows affect the Profit and Loss Account. If the hedged forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in the Cash Flow Hedge Reserve is immediately reclassified to the Profit and Loss Account.

(c) Net Investment Hedge

- i. **Capital remitted to Overseas branches:** The hedge accounting for these derivative contracts is done under 'net investment hedging'. The gains or losses on derivatives for hedging of the capital remitted to overseas branches are recognized in equity (Hedge Reserve) for the effective portion of the hedge, whereas the ineffective portion of the hedge is recognised in the Profit and Loss Account.
- ii. **Capital remitted to Overseas Subsidiaries:** The hedge accounting is done under Accounting Standard 11 – 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'. As per AS 11, the premium arising at the inception of such forward exchange contract is amortised as income over the life of the contract, and exchange differences on such contracts are recognised in the Profit and Loss Account. Hence the revaluation gains or losses on exchange differences of the FX swaps/forwards for the capital remitted to overseas subsidiaries are recognized in the exchange profit. The forward premium income is amortized over the maturity of the FX swap / forward.

C. Valuation Methodology – Specific Instruments

Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRAs): The fair value of an IRS / FRA outstanding as at the Balance Sheet date is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable for the period from reporting date to termination of the swap / FRA agreement, using market-observable inputs and benchmark curves published by FBIL and

FIMMDA. The resulting profit or loss is presented as a derivative asset (under Schedule 11) or derivative liability (under Schedule 5), as the case may be.

Interest Rate Futures (IRF) and Currency Futures:

Exchange traded Interest Rate Futures and Currency Futures are valued on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the relevant exchange. All open positions are marked to market based on the daily settlement price, and the resultant mark-to-market profit or loss is settled with the exchange on a daily basis.

Currency Options: The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium received on options sold and premium paid on options bought are recorded in the Profit and Loss Account at the expiry or early termination of the option contract. The amounts received or paid on cancellation of option contracts are recognised as realised gains or losses on options. For valuation of over-the-counter (OTC) currency options, the premium received and premium paid are considered for arriving at the mark-to-market value. Exchange Traded Currency Options are valued using internal pricing models.

Foreign Exchange Forward Contracts: Foreign exchange forward contracts undertaken for trading and outstanding as at the Balance Sheet date are revalued at the closing spot and forward rates as notified by FEDAI / FBIL and at interpolated rates for contracts of interim maturities. Valuation is considered on a present value basis, with the forward profit or loss discounted to the valuation date using the appropriate yield curve. The resulting gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign exchange forward contracts entered into for hedging and not intended for trading, that establish the amount of reporting currency required or available at the settlement date of an underlying transaction and remain outstanding at the Balance Sheet date, are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 11 – 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'. Such contracts are translated at the closing spot rate, and the premium or discount arising at the inception of the contract is amortised as expense or income over the life of the contract on a straight-line basis.

Cancellation / Termination: Swap gain/loss receivable or payable and interest on outlay of funds receivable on cancellation, termination or early delivery of foreign exchange forward contracts and swaps are recognised as income or expense on the date of cancellation, termination or early delivery.

Credit Default Swaps (CDS): The Bank values its Credit Default Swap (CDS) contracts in accordance with the RBI guidelines on CDS dated February 10, 2022, under which banks are required to value CDS contracts using the daily CDS curve published by FIMMDA, or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing

CDS positions and does not use any internal proprietary model for CDS valuation. CDS positions, where outstanding, are marked to market and the resulting gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account.

D. Fair Value Hierarchy

In compliance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, the Bank categorises its derivatives portfolio into three fair value hierarchies for measurement and disclosure purposes, as set out below:

Level	Nature of Inputs	Description
Level 1	Quoted prices in active markets	Fair value is determined using unadjusted quoted prices in active markets for identical derivative instruments at the measurement date.
Level 2	Observable market inputs	Fair value is determined using valuation techniques in which all significant inputs are directly or indirectly observable in active markets (e.g., benchmark curves, FX rates, basis spreads, volatilities published by FBIL / Refinitiv / Bloomberg).
Level 3	Unobservable inputs	Fair value is determined using valuation techniques in which one or more significant inputs are not based on observable market data and require management judgment, estimates or assumptions.

The classification of each derivative contract within the fair value hierarchy and the related quantitative and qualitative information are disclosed in the notes to the financial statements.

E. Treatment of Net Unrealised Gains on Level 3 Derivatives

In accordance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, the Bank does not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account that arise from the fair valuation of Level 3 derivative assets and liabilities on its Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account are deducted from Common Equity Tier 1 (CET 1) capital for capital adequacy computation purposes.

Credit Exposure Measurement on Derivatives

The Bank measures credit exposure on its derivative products using the Current Exposure Method (CEM) prescribed by the Reserve Bank of India. Under this

method, credit exposure on each derivative contract is computed as the sum of (i) the current replacement cost, being the positive mark-to-market value of the contract (i.e., the amount the Bank stands to receive from the counterparty), and (ii) an amount for potential future changes in credit exposure, computed by multiplying the notional principal amount of the contract by the credit conversion factor prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

The credit exposure so computed forms the basis for capital adequacy computations under the prescribed RBI framework, for monitoring of counterparty exposure limits, and for credit risk concentration analysis.

Counterparty Credit Risk Mitigation and Collateral

The Bank enters into derivative transactions with counterparties whose business standing and financial position have been evaluated and approved internally, against whom the Bank has set up appropriate credit and exposure limits. The ability of the counterparty to honour its obligations in the event of crystallisation of the exposure is assessed prior to entering into the transaction.

For non-centrally cleared foreign exchange and derivative transactions, the Bank, in line with the regulatory requirements prescribed by the Reserve Bank of India, has entered into International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreements together with Credit Support Annex (CSA) agreements with major international counterparty banks and select Indian financial institutions. Under these arrangements, the mark-to-market exposure on covered transactions is collateralised through the exchange of margin in accordance with the terms agreed between the parties.

Where considered appropriate, the Bank stipulates credit covenants as trigger events under which the Bank may call for additional collateral or terminate the derivative transaction, in order to mitigate counterparty credit risk and minimise the consequent provisioning exposure.

F. Provisioning on Derivative Receivables

Pursuant to the extant RBI guidelines, any receivables under derivative contracts comprising crystallised receivables, as well as the positive mark-to-market value in respect of future receivables under the derivative contract, which remain overdue and unpaid for more than 90 days, are reversed through the Profit and Loss Account. Overdue receivables representing crystallised positive mark-to-market value of a derivative contract are transferred to the account of the borrower and treated as non-performing assets, if these remain unpaid for 90 days or more. Such reversed amounts, together with positive mark-to-market values pertaining to future receivables, are held in a separate suspense account under Schedule 5 – 'Other Liabilities and Provisions' (Suspense Account – Crystallised Receivables / Suspense Account – Positive MTM).

Where a derivative counterparty has been classified as non-performing, the Bank makes provision for the entire amount of overdue and future receivables relating to the positive mark-to-market value of derivative contracts of such counterparty. Mark-to-market gains on other derivative contracts with the same counterparty, if any, are reversed through the Profit and Loss Account, in line with regulatory expectations.

G. Contingent Liabilities

Contingent liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies (including foreign exchange forward contracts, currency swaps, currency options and other off-balance sheet exposures) are reported at the closing rates of exchange notified by FEDAI as at the Balance Sheet date. Contingent liabilities in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations denominated in foreign currencies are similarly reported at the FEDAI closing rates.

H. Presentation in Financial Statements

Derivative assets and derivative liabilities are presented as separate line items under Schedule 11 – 'Other Assets' and Schedule 5 – 'Other Liabilities and Provisions', respectively, on a gross basis (without offsetting), in compliance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025. Adjustments arising from the application of hedge accounting are made to the carrying value of the related hedged item, where applicable, in compliance with the ICAI Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021).

Initial margin, variation margin and default fund contributions placed by the Bank with recognised central counterparties – including the Clearing Corporation of India Limited (CCIL) for the forex forward, forex settlement and Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segments; the National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCIL) for the NSE Currency Derivatives segment; the Indian Clearing Corporation Limited for the BSE Currency Derivatives segment; and Multi Commodity Exchange Clearing Corporation for the MCX Currency Derivatives segment – in respect of the Bank's derivative transactions, are presented under Schedule 11 – 'Other Assets', separately from the derivative mark-to-market positions, in line with the requirements of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025.

4. ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard and NPA viz. Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025, as amended from time to time. ("IRACP norms") except

as stated in para 4.3. Advances made by overseas branches/ subsidiaries are classified and provided for in accordance with the IRACP norms or local laws and regulations of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

- 4.2 Advances are presented net of specific loan loss provisions, interest suspense, amounts received and held in suit-filed Sundry Deposits and claims received.
- 4.3 Further to the provisions stipulated under the IRACP norms, as a consistent practice, the Bank has made higher provisions at rates specified below as compared to minimum prescribed under IRACP norms, in respect of the following categories:
- Provision of 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
 - Provisions are also made on non-fund-based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provisioning percentage is based on the asset class of the related fund-based facility of the Borrowers
 - Provision of 100% is made in respect of existing NPA accounts that are collateral free viz. auto loan, education loan and personal loan after 6 months from the date of NPA.
 - Provision of 100% is made in respect of existing NPA accounts pertaining to loan against mortgage properties after 2 years from the date of NPA.
 - Provision of 100% provision is made in respect of existing NPA accounts pertaining to loans for tractors/ tiller/ power tillers after 6 months from the date of NPA.
- 4.4 In respect of Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are ₹1 crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the Bank as per RBI guidelines.
- 4.5 Transfer of stressed loan to Asset Reconstruction Company (ARC) is carried out in accordance with Reserve Bank of India (Commercial Banks - Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025. In accordance with the guidelines, if stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, the Bank debits the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, the Bank reverses the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of

transfer. Further, such reversal is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

- 4.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by RBI.
- 4.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.
- 4.8 Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs) are appropriated in the manner specified under para 8.5 below

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

- 6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit/loss on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to General Reserve.

- 6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

- 8.1 Income unless stated otherwise is generally recognised on accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income is

recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

- 8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Bill Past Due, Bank Guarantee (BPD-BG) Account opened against development of Letter of Credit/ invocation of Bank Guarantee are accounted for on realisation basis.
- 8.3 Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realization basis. Income (other than valuation gain / loss) from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled / collective investment funds is recognized on realisation basis

- 8.4 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time is appropriated in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards repayment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts is appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery is appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Merchant Banking:

Revenue is recognized based on the nature of activity, when

consideration can be reasonably measured and there exists a reasonable certainty of its recovery.

- a. Income from merchant banking and investment banking comprises of revenue from various services such as Distress Debt Resolution, Debt Syndication, Debt Capital Market, etc. Equity Capital Market Fund Raising Services i.e. IPO, FPO, Right Issue, OFS, Merger & Acquisition etc. Private Equity – Advisory on other capital market related services etc.
- b. The revenue in these cases is recognized on the basis of accrual, as and when the amount becomes due on the completion of various stages of the assignment as per the terms and Conditions of the engagement agreed between the Company and the Client; and assessing the certainty of its recovery.
- c. Income from Broking activities comprises brokerage received on trades executed on the exchanges. The brokerage, net of Stamp Duty, STT Charges, Exchanges Transaction Charge and applicable indirect tax (service tax / GST), is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.
- d. Depository service income- Annual Maintenance Charges are recognised on accrual basis and transaction charges are recognised on trade date of transaction.
- e. Income from Term Deposits being the interest received from Bank in respect of the Investment of the surplus funds for a short term period is recognized on accrual basis.
- f. Income from Tax-free bonds being the interest received from the entity issuing such instruments in respect of the investment of the surplus fund for a long-term period is recognized on accrual basis.
- g. Income from Liquid & Overnight Mutual Fund is recognized in the period in which the investment is redeemed and realized

Trustee Operations:

Trusteeship fee earned by the Company for discharging its obligations as the trustee to Baroda BNP Paribas Mutual Fund is recognised on an accrual basis.

Asset Management:

Investment management fees

Investment management fees are recognised net of Indirect tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (excluding on investments made by the Company in the schemes, intra-scheme investments and schemes investment in fixed deposits), such that it does not exceed the expense limit prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments (the 'Regulations') or offer document of the respective schemes.

Advisory fees, AIF Fees and Investment Management Fee – For SEZ-Offshore

Advisory fees, AIF Fees and Investment Management Fee are recognized on an accrual basis in accordance with the respective terms of the agreement/arrangements with the counter parties.

Other income

Interest income is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and applicable interest rate and accounted on accrual basis.

Purchase and sale of investments is recorded on the trade date. The profit / loss on sale of investments is recognised in the Statement of profit and loss on the trade date. Profit or loss on sale of investments is determined using weighted average cost method.

Credit Card Operations:

- a. Revenue from services is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.
- b. Fees income is accounted as and when billed to customer.
- c. In view of uncertainty of realization of income in case of Non-Performing Assets (NPA) such income is accounted for only on receipt basis.
- d. Recovery from bad debts written off is recognized as income on the basis of actual realization from customer.
- e. Income on deployment of funds is recognized on accrual basis.

Life Insurance:

- a. Premium for non-linked policies is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created.
- b. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.
- c. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.
- d. Premium is inclusive of Good and Service Tax (GST) applicable on charges.
- e. In case of unit linked business, Top up premiums paid by policyholders are considered as single premium and recognized as income when the associated units are created.
- f. Income from unit linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the unit linked funds in accordance with terms and conditions of policies and recognized when due.
- g. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance

with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

- h. Income from Investments are recognised on an accrual basis. Interest income on investments is recognised on accrual basis.
- i. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding / maturity period on a straight-line basis.
- j. Dividend income, in respect of other than linked business and in respect of linked business, is recognised on the 'ex-dividend date'.
- k. Realised gain / loss on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average amortised cost as on the date of sale. Realised gain / loss on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost as on the date of sale.
- l. Profit or loss on sale of equity shares / mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost. In respect of other than unit linked business, the profit or loss includes the accumulated changes in the fair value previously recognised in Balance Sheet as "Revenue & Other Reserves (Schedule 2)" and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the Balance Sheet
- m. Deaths and rider claims are accounted for on receipt of intimation. Benefits paid consist of policy benefit amounts and claim settlement costs, where applicable.
- n. For non linked business, Annuity benefits, money back payments, survival benefit and maturity claims are accounted for when due. Surrender and withdrawals are accounted on the receipt of request.
- o. For linked business, Maturity claims are accounted for on due basis when the associated units are cancelled. Surrenders and withdrawals are accounted for on receipt of intimation when associated units are cancelled.
- p. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.
- q. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy. Clawback of the first year commission paid, if any, in future are accounted at the time of recovery.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

- 10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipment's	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	Bank's own Premises		
	- RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	- Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life of more than 2 years and in excess of original cost of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized in Profit and Loss account in accordance with AS-28 (Impairment of Assets) issued by ICAI, wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. Subsequently, depreciation is provided for on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non-Integral Operations. Foreign exchange operations of domestic business and Representative Offices are treated as Integral Operations and all Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non-Integral Operations.

12.3 Foreign currency transactions in respect of Integral Operations:

- The transactions are initially recorded at rate as per FEDAI guidelines.
- Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

12.4 Foreign currency transactions in respect of Non-Integral Operations:

- Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates

respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.

- c. Income and expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

Income tax expense comprises of current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI.

Current tax expense is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after considering taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year. These are recognized and reassessed at every reporting date subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit for the period by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

18. LIFE INSURANCE BUSINESS - OTHER POLICIES

- a. Loans are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalised interest subject to provision for impairment, if any. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.
- b. The funds for future appropriation in the participating fund represent the surplus assets in excess of the liabilities set aside to meet Policyholder Reasonable Expectation (PRE). This amount is not allocated to the shareholders or policyholders at the balance sheet date. The funds for future appropriation when allocated in the future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation.
- c. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938 and amendments thereon, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India

and generally accepted actuarial practices. Long term non-linked contracts are valued using a gross premium valuation (GPV) method.

Under unit linked life insurance contracts, unit reserves are calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values at the valuation date. The non-unit liabilities for mortality and expenses are determined using a prospective gross premium method (GPV) under which future net cash flows are discounted back to the date of valuation on policy-by policy basis to ensure that any future negative cash flows which would otherwise arise are eliminated. In projecting the future cash flows, assumptions have been made in respect of future mortality/morbidity, future lapses, expenses & expense inflation and investment growth rate for unit funds and interest rate. These

assumptions are based on emerging and expected future experience. Appropriate margins for adverse deviations have been kept in these assumptions. The one year renewable contracts are valued using the Unexpired premium reserve (UPR) methodology. Riders are valued as the higher of GPV and UPR.

Additional provisions are made in respect of:

- (i) Unearned mortality/morbidity charges
- (ii) Incurred but not reported claims (IBNR)
- (iii) Lapsed and paid up policies within period of reinstatement.
- (iv) Free look policies
- (v) Contingency

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट

Schedule-19 : Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2026

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर लेखांकन मानक 21, 'सहयोगियों में निवेश' के लिए लेखांकन मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

- समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल/ बैंक) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

1.1 अनुषंगियां

The Consolidated Financial Statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the Financial Statements of the Bank of Baroda (Parent/Bank) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

1.1 Subsidiaries

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2026 को March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को March 31, 2025
घरेलू अनुषंगियां	Domestic Subsidiaries			
ए) बैंकिंग	a) Banking:			
i. द नैनीताल बैंक लि.	i. The Nainital Bank Limited	भारत / India	98.62	98.57
बी) गैर-बैंकिंग:	b) Non-Banking:			
i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	i. BOB Capital Markets Limited.	भारत / India	100.00	100.00
ii. बॉबकार्ड लिमिटेड	ii. BOBCard Limited	भारत / India	100.00	100.00
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड	iii. Baroda Global Shared Services Limited	भारत / India	100.00	100.00
iv. बड़ौदा सन टेक्नोलोजीज लिमिटेड	iv. Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited	भारत / India	50.10	50.10
vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited	भारत / India	50.10	50.10
vii. इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	vii. IndiaFirst Life Insurance Company Limited	भारत / India	64.92	64.98
viii. बॉब सिक्यूरिटीज एंड गिल्डेज लिमिटेड	viii. BOB Securities & Giltedge Limited*	भारत / India	100.00	NA
विदेशी अनुषंगियां:	Overseas Subsidiaries:			
ए) बैंकिंग:	a) Banking:			
i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड	i. Bank of Baroda (Botswana) Limited	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited	केन्या / Kenya	86.70	86.70
iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited	युगांडा / Uganda	80.00	80.00
iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी	iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयाना / Guyana	100.00	100.00

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2026 को March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को March 31, 2025
v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00
vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	vi. Bank of Baroda (New Zealand) Limited	न्यूजीलैंड / New Zealand	100.00	100.00
vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड	vii. Bank of Baroda (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00

* 13.03.2026 से प्रभावी *w.e.f. 13.03.2026

1.2 एसोसिएट्स / Associates

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में समाहित एसोसिएट्स के विवरण निम्नानुसार हैं:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

एसोसिएट्स के नाम Name of Associates	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निम्नलिखित तारीख को मूल संस्था का स्वामित्व हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
		31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20.00	20.00
बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i. बड़ौदा यूपी बैंक* b) Regional Rural Banks i. Baroda UP Bank*	भारत / India	35.00	35.00
ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक* ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank*	भारत / India	35.00	35.00
iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक* iii. Baroda Gujarat Gramin Bank*	भारत / India	35.00	35.00
iv. गुजरात ग्रामीण बैंक** iv. Gujarat Gramin Bank**	भारत / India	35.00	35.00
v. उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक** v. Uttar Pradesh Gramin Bank**	भारत / India	35.00	35.00

* 30.04.2025 तक *upto 30.04.2025

** 01.05.2025 से प्रभावी ** w.e.f. 01.05.2025

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 05.04.2025 के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में समाहित करने का प्रावधान किया है, जो 01.05.2025 से प्रभावी होगा। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

The Government of India, vide gazette notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 05.04.2025, has provided for the amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) into a single Regional Rural Bank (RRB) in different states effective from 01.05.2025.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का विवरण निम्नानुसार है:

Details of the Amalgamation of RRBs sponsored by the Bank of Baroda are as under:

राज्य State	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी Transferor RRB	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of Transferor RRB	समामेलित आरआरबी Amalgamated RRB	हस्तांतरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferee RRBs
गुजरात Gujarat	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक Baroda Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	गुजरात ग्रामीण बैंक Gujarat Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक Saurashtra Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India		
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	बड़ौदा यूपी बैंक Baroda U P Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Uttar Pradesh Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
	आर्यावर्त बैंक Aryavart Bank	बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India		
	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक Prathama U P Gramin Bank	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank		
राजस्थान Rajasthan	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक Rajasthan Marudhara Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	राजस्थान ग्रामीण बैंक Rajasthan Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda		

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में, बैंक ने अपने समेकित लाभ और हानि खाते को ₹1,307.14 करोड़ से घटा दिया है, ताकि निवेश के वहन मूल्य और पूंजीगत मोचन के लिए प्राप्त आय के बीच अंतर को रिवर्स किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में बैंक विलय हुए आरआरबी का प्रायोजक बैंक है, वहाँ बैंक द्वारा प्रायोजित विलय हुए आरआरबी की इक्विटी में बैंक ने अपने हिस्से की अधिग्रहण लागत से आधिक्य राशि ₹ 2,466.38 करोड़ को लेखांकन मानक-23 - "समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसिएट्स में निवेश के लेखांकन" के अनुसार रिज़र्व एवं अधिशेष के अंतर्गत सम्मिलित किया है।

In case of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, the Bank has debited its consolidated profit and loss account by ₹ 1,307.14 crore towards reversal of difference between the carrying value of investments and the proceeds received for capital redemption.

Further, in cases where the Bank is the Sponsor Bank of the Amalgamated RRBs, the Bank has included ₹ 2,466.38 crore representing the excess of its share of the equity in the Bank sponsored Amalgamated RRBs over the cost of acquisition under Reserves & Surplus in accordance with Accounting Standard 23 - 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements'.

1.3. संयुक्त उद्यम / Joint Ventures

संयुक्त उद्यम का नाम Name of Joint Ventures	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
		31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.* India International Bank (Malaysia) Bhd.*	मलेशिया / Malaysia	40.00	40.00
इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड India Infra Debt Limited	भारत / India	40.99	40.99

*05.11.2025 तक *upto 05.11.2025

2. एसोसिएट्स में निवेश के विवरण: / Particulars of the Investment in Associates:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
ए a.	एसोसिएट्स में निवेश की लागत Cost of Investment in Associates	425.89	298.49

बी b.	उपर्युक्त निवेश हेतु निर्धारित अधिग्रहण से संबंधित प्रारक्षित निधि Capital Reserve on acquisition identified on above investment	2,482.97	292.43
सी c.	अधिग्रहण के उपरान्त लाभ (निवल) और एसोसिएट्स की प्रारक्षित निधि का हिस्सा Share of post-acquisition profits (Net) and Reserve of Associates	1,722.12	2,279.72
डी d.	31 मार्च को धारित निवेश की राशि (ए + बी + सी) Carrying amount of Investment as at 31st March (a + b + c)	4,630.98	2,870.64
ई e.	भारत में निवेश Investment in India	4,336.98	2,696.09
एफ f.	भारत के बाहर निवेश Investment outside India	294.00	174.55
जी g.	कुल (ई + एफ) Total (e + f)	4,630.98	2,870.64

3. अनुषंगियों/एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण:

- 3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट्स प्रतिष्ठानों की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां उसी रिपोर्टिंग तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2026 तक तैयार की गई हैं जो मूल कंपनी के लिए तैयार की गई तारीख है, केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड को छोड़कर, जिनकी विवरणियां 31 दिसंबर, 2025 तक तैयार की गई हैं। जैसा कि लेखा परीक्षक/प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो।
- 3.2 चालू वित्तीय वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स प्रतिष्ठानों के समेकित वित्तीय विवरणी में गुजरात ग्रामीण बैंक लिमिटेड, यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड, इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, बीओबीकार्ड लिमिटेड, बीओबी न्यूजीलैंड लिमिटेड की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां शामिल हैं।
- 3.3 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:
- बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
 - बॉब कार्ड्स लिमिटेड
 - बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
 - बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
 - इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी
- 3.4 अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण सीमा के आधार पर दिए गए हैं। प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक की समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा।

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

- 3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2026 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2025. As certified by the Auditor/Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2026 to 31st March, 2026 requiring adjustment therein.
- 3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group, and its Joint Ventures and Associates include unaudited financial statements of Gujarat Gramin Bank Limited, UP Grameen Bank, Baroda Sun Technologies Ltd, Bank of Baroda (UK) Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., Baroda BNP Paribas Asset Management India Ltd., Baroda Global Shared Services Ltd., BOB Capital Markets Ltd., BOBCARD Ltd., BOB New Zealand Ltd.
- 3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2026 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:
- BOB Capital Markets Ltd
 - BOBCard Ltd.
 - Baroda Global Shared Services Ltd
 - Baroda Sun Technologies Ltd
 - India First Life Insurance Company Ltd
- 3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management, non-availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the Bank.

3.5 एस 21 के अनुसार, सेगमेंट 20 "समेकित वित्तीय विवरणियां, लेन-देन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए। तथापि, इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निवेश और आय निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों से शासित है। अनुषंगी का समेकित आय और निवेश निम्नानुसार है:

3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. However, in India First Life Insurance Company Ltd., it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines. The consolidated Revenue and investments of the subsidiary is provided below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. SN	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2026 तक As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As on March 31, 2025
1	समेकित राजस्व / Consolidated Revenues	1,56,825.44	1,52,884.14
1.1	इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से राजस्व Revenues from IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	9,556.44	9,179.59
2	समेकित निवेश / Consolidated Investments	4,35,777.60	4,27,379.68
2.2	इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से निवेश Investments from IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	32,983.66	29,853.16

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/ लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है।

5. करों के लिए प्रावधान

अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है।

6. आरक्षित निधियों से निकासी

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित निधियों से निकासी शून्य है (31 मार्च, 2025: ₹ शून्य)।

7. फ्लोटिंग प्रावधान / काउंटर साइक्लिकल प्रावधान बफर

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2025-26, draw down from the Reserves is NIL (March 31, 2025: ₹ Nil).

7. Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण /Particulars	31.03.2026	31.03.2025
ए. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि a. Opening balance in the floating provisions account	662.85	432.85
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान b. Provisions made during the year	1,900.00	230.00
सी. लेखा वर्ष के दौरान निकाली गई राशि c. Amount of draw down made during the accounting year	0	0
डी. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि d. Closing balance in the floating provisions account	2,562.85	662.85

8. प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे :

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार है:

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31.03.2026	31.03.2025
एनपीए के प्रति / बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण किए गए प्रावधान Bad debts written off / Provision made towards NPA	6,329.61	5,553.12
पुनर्गठित स्टैंडर्ड और सब-स्टैंडर्ड खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	(21.05)	(81.97)
कंट्री रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रावधान Provision for Country Risk Management	0.00	31.23
करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर समेत) Provision for taxes (including deferred Taxes)	5,467.53	7,159.61
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on investment	83.48	32.93
स्टैंडर्ड आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets	1,239.89	470.97
अन्य / Others	3,671.45	4,273.22
कुल / Total	16,770.91	17,439.11

9. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) की स्थिति

9. Status of Letters of Comfort

I. वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

I. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Year

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued	आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
ए वर्ष के दौरान जारी A. Issued during the year शून्य NIL	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures
बी. बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) B. LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)	
1. पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है: 1. The LOC issued by the Bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:-	
ए) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख। a) Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors.	31 मार्च, 2026 को अनुषंगी कंपनी की जमाशायियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹ 402.32 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 34.46 करोड़ हैं। (अर्थात् ₹436.78 करोड़ की कुल देयताएं)। 31 मार्च, 2026 को इस अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹293.19 करोड़ है। इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹143.59 करोड़ है। As on 31st March 2026, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 402.32 crore and other outside liabilities are INR 34.46 crore (i.e. total Outside liabilities of INR 436.78 crore). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2026 is INR 293.19 crore. The net contingent liability on Bank of Baroda is INR 143.59 crore in this regard.

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued	आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
बी) गिफ्ट सिटी शाखा के लिए आईएफएससी नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्टूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया। b) LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centers Authority (IFSCA) for IFSC, Gift City Branch	31 मार्च, 2026 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 24,097.64 करोड़ है, उधार ₹ 40,736.75 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 625.27 करोड़ हैं। (अर्थात् ₹ 65,459.66 करोड़ की कुल देयताएं)। 31 मार्च, 2026 को शाखा की निवल मालियत ₹ 4,840.03 करोड़ है। आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं। As on 31st March 2026, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 24,097.64 crore, borrowings are INR 40,736.75 crore and other outside liabilities are INR 625.27 crore (i.e. total outside liabilities of INR 65,459.66 crore). The net worth of the branch as on 31st March 2026 is INR 4,840.03 crore. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet.

10. आस्ति वर्गीकरण और एनपीए प्रावधान संबंधी विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी. आरईसी.सं.86 / 21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन संबंधी कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

11. ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर. एसीसी. आरईसी. सं. 86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

1) अंतरित या अधिग्रहित किए गए ऐसे ऋण जो #डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं हैं

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए -12 महीनों की रिपोर्टिंग

10. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended March 31, 2026, based on the conditions mentioned in RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025 (as amended from time to time).

11. Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No.78/21.04.048 /2025-26 dated November 28, 2025 "RBI (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025" is as under:

1) In respect of "Loans not in default" #, that are transferred or acquired.

Reporting for the year ended March 31, 2026

विवरण / Particulars	सिंडिकेशन / Syndication		अन्य / Others*	
	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From
(i) "असाइनमेंट" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (i) Loans acquired / transferred through "assignment"				
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired/transferred (₹ in Cr.)	-	23,064.82	-	5,669.97
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)	-	47.50	-	139.14
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)	-	-	-	25.55
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	-	-	-	10%
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (गुणक) - Tangible security coverage of loans acquired/transferred (times)	-	0.63	-	1.72

विवरण / Particulars	सिंडिकेशन / Syndication		अन्य / Others*	
	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From
"नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (ii) Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores)	413.67	8,724.79	-	-
"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (iii) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	-	-	-	-

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर- डिफॉल्ट ऋणों को निर्धारित किया गया है।

* ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट रिस्क दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल के लिए बैंक द्वारा रेटिंग नहीं की गई है।

सिंडिकेशन ऋणों का रेटिंग अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under Transfer and Distribution of Credit Risk (TDCR) guidelines are not rated by the Bank.

Rating wise breakup of Syndication loans is as below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाह्य रेटिंग/ External Rating	को अंतरित/Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From
ए और उससे अधिक A and Above	237.09	10,244.47
बी और उससे अधिक B and above	176.58	18,574.67
बी के नीचे Below B	-	-
अनरेटेड Unrated	-	2,970.48

समूह में अन्य संस्थाओं द्वारा क्रेडिट जोखिम के अंतरण एवं वितरण (टीडीसीआर) दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य संस्थाओं से अधिगृहीत "गैर-डिफॉल्ट" ऋण खातों # के संबंध में प्रकटीकरण:

Disclosure in respect of "loan accounts not in default" # acquired from other entities as per Transfer and Distribution of Credit Risk (TDCR) guidelines by other entities in the Group:

विवरण / Particulars	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
(i) "असाइनमेंट" / "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (i) Loans acquired / transferred through "assignment" / "novation"	निम्नानुसार / Same as below	
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired/transferred (₹ in crores)	91.04	356.91
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)	174.12	151.2
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)	4.56	2.28
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	शून्य / Nil	शून्य / Nil
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (गुणक) - Tangible security coverage of loans acquired (times)	1.59x to 1.83x	1.00x to 1.35x
(ii) "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (ii) Loans acquired through "novation" (₹ in crores)	उपरोक्तानुसार Same as above	
(iii) "ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (iii) Loans acquired through "Loan participation" (₹ in crores)	लागू नहीं Not Applicable	
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण Rating-wise distribution of rated loans	ए A	AA to AAA Category

गणना पद्धति

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर-डिफॉल्ट ऋणों को निर्धारित किया जाता है।

2) अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

Calculation Modality

The Loans not in default are identified based on DPD in each underlying account at the time of purchase

2) Details of stressed loans transferred is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) के विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2025 to 31.03.2026			
विवरण / Particulars	एआरसी को / To ARCs	अनुमत अंतरिती को /To permitted transferees	अन्य अंतरिती को /To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	8	1	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया सकल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	697.55	160.08	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल प्रतिफल Aggregate consideration	336.85	144.24	-
पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री पर लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान का हिस्सा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-

3) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) के विवरण- शून्य

3) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2025-26 – Nil

4) 31.03.2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

4) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2026

31 मार्च, 2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2026	
वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	329.41
आरआर 2 / RR2	25.48
आरआर 3 / RR3	-
आरआर 4 / RR4	-
आरआर 5 / RR5	-
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	121.23
कुल योग / Grand Total	476.12

31 मार्च, 2026 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे

एसआर का वितरण

Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2026

वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	-
आरआर 2 / RR2	-
आरआर 3 / RR3	-
आरआर 4 / RR4	-
आरआर 5 / RR5	-
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	715.98
कुल योग / Grand Total	715.98

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण

12.1 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में संशोधन (लेखांकन मानक-5)

i) पूर्व अवधि की मदें:

वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था।

ii) लेखांकन नीति:

समूह ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की तैयारी में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है जिनका कि, 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले वर्ष में किया गया था:

12. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

12.1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5) :

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The The Group has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of financial results for the year ended March 31, 2026 as followed in the previous year ended March 31, 2025.

12.2 एएस 11 - विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधियों का संचलन

12.2AS 11 - Changes in Foreign Exchange Rates

Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2026 March 31, 2026	31 मार्च, 2025 March 31, 2025
प्रारंभिक शेष राशि / Opening Balance	5,473.33	4,500.42
वर्ष के दौरान जमा / Credited during the year	2,823.30	972.91
वर्ष के दौरान आहरण / Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष राशि / Closing Balance	8,296.63	5,473.33

12.3 कर्मचारी अनुलाभ (लेखांकन मानक -15)

I. निर्धारित लाभ योजना (निधिगत दायित्व - पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी) लाभ

ए) निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

12.3 Employee Benefits (Accounting Standard-15)

I. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी* Gratuity*	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
आरंभिक निर्धारित लाभ दायित्व Opening Defined Benefit Obligation	32,912.64	31,445.38	46.92	39.92	5,454.00	4,248.13
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें : अधिग्रहण समायोजन Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-	-	-
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	2,271.60	2,020.47	3.13	2.85	413.94	284.39
जोड़ें: विगत सेवा लागत Add : Past Service Cost	-	-	4.10	-	12.64	0.87
जोड़ें: चालू सेवा लागत Add: Current Service Cost	2,113.75	2,566.40	4.57	4.16	278.18	288.08
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefits Paid	3,062.25	2,899.38	6.29	7.39	294.86	337.69
जोड़ें: दायित्व पर एकचूरियल लाभ/ हानि(-) Add: Actuarial loss/ gain(-) on obligation	(142.50)	(220.23)	2.49	7.38	(463.82)	970.21
अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व Closing Defined Benefit Obligation	34,093.24	32,912.64	54.92	46.92	5,400.08	5,454.00

* ग्रेच्युटी के लिए अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व में करार कर्मचारियों हेतु व्यव ₹ 4.41 करोड़ सम्मिलित हैं।

*Closing defined benefit obligation for gratuity includes ₹ 4.41 Crore for contractual employees.

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening Fair Value of plan assets	30,071.98	29,620.37	43.49	35.24	4,251.96	3,102.81
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Add- Expected Return on Plan Assets	2,254.72	2,220.66	3.15	2.38	318.58	232.40

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	2,921.82	942.97	9.64	13.03	1,430.66	1,164.30
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	3,080.46	2,924.28	6.29	7.39	294.48	337.10
जोड़ें: एक्ट्यूअरियल लाभ/ हानि(-) Add- Actuarial gain/(-)loss	-223.63	212.26	6.45	0.23	49.44	89.55
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing Fair Value of Plan Assets	31,944.43	30,071.98	56.44	43.49	5,756.16	4,251.96

सी) तुलन पत्र में निर्धारित राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
ए) अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व a) Closing Defined Benefit Obligation	34,093.24	32,912.64	54.92	46.92	5,400.08	5,454.00
बी) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य b) Closing Fair Value of Plan Assets	31,944.43	30,071.98	56.44	43.49	5,756.16	4,251.96
सी) अंतर (ए-बी) c) Difference (a-b)	2,148.82	2,843.94	(1.52)	3.43	(356.08)	1,202.02
डी) गैर निर्धारित अंतरण योग्य देयता d) Unrecognized transitional liability	-	(290.89)	-	-	0.67	-
ई) तुलन पत्र में निर्धारित देयता e) Liability Recognized in the BS	2,148.82	2,553.05	(1.52)	3.42	(355.41)	1,202.02

डी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
ए) मौजूदा सेवा लागत a) Current Service Cost	2,113.75	2,566.40	4.57	4.16	278.18	288.08

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	-	-	4.10	-	12.64	0.87
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	2,271.60	2,020.47	3.13	2.85	413.94	284.39
डी) योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय d) Expected Return on Plan Assets	2,254.72	2,220.66	3.15	2.38	318.58	232.40
ई) निवल एक्टुअरियल हानि/ लाभ (-) e) Net Actuarial Loss/gain(-)	81.13	(432.49)	(3.96)	7.15	(513.26)	880.67
एफ) वर्ष में निर्धारित अंतरण योग्य देयता f) Transitional liability recognized in the year	290.89	290.89	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में दर्ज व्यय (ए+बी+सी-डी+ई+एफ) Expenses Recognized in P&L (a+b+c-d+e+f)	2,502.65	2,224.61	4.69	11.78	(127.08)	1,221.60

ई) प्रिंसिपल एक्टुअरियल पूर्वानुमान

e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
डिस्काउंट दर Discount rate	5.90%- 7.46%	5.64%- 7.14%	5.90%- 7.46%	6.90%- 7.14%	5.90%- 7.46%	6.44%- 7.14%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	2.78%- 5.00%	2.68%- 5.00%	2.78%- 5.00%	5.00%- 7.00%	2.78%- 5.00%	5.00%- 10.00%
एट्रिशन दर Attrition Rate	1.00%- 2.00%	2.00%- 3.18%	1.00%- 2.00%	5.00%- 10.00%	1.00%- 2.00%	15.00%- 44.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर Expected Rate of Return on plan Assets	2.00%- 6.50%	6.50%- 7.50%	2.00%- 6.50%	6.50%- 6.90%	2.00%- 6.50%	6.44%- 6.90%

मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (आईएएलएम 2012-2015) यूएलटी
Mortality Rate: Indian Assured Lives Mortality (IALM 2012-2015) ULT

- II. निर्धारित लाभ योजनाएं (गैर-निधिगत बाध्यता): संचित अनुपस्थिति प्रतिपूरक (अर्जित छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चूरी द्वारा एक्चूरियल वैल्यूएशन के अनुसार संचित प्रतिपूरक छुट्टी (अर्जित छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

II. Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank.

ए) देयता के प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
आरंभिक निर्धारित लाभ दायित्व Opening Defined Benefit Obligation	2,674.83	2,266.37	39.82	29.77	316.94	287.76
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	201.81	149.94	0.20	0.16	23.94	19.20
जोड़ें- मौजूदा सेवा लागत Add- Current Service Cost	449.76	474.15	8.32	10.72	6.52	7.50
जोड़ें- विगत सेवा लागत Add- Past Service Cost	0.24	0.32	0.02	-	-	-
घटाएँ- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	169.88	214.80	0.30	0.88	21.02	23.95
जोड़ें- दायित्व पर एक्टुअरियल हानि/लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain (-) on obligation	(588.31)	(1.15)	(0.05)	0.05	(50.80)	26.43
शेष निर्धारित लाभ दायित्व Closing Defined Benefit Obligation	2,568.45	2,674.83	48.02	39.82	275.58	316.94

बी) लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
ए) मौजूदा सेवा लागत a) Current Service Cost	449.76	474.15	8.32	10.72	6.52	7.50
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	0.24	0.32	0.02	-	-	-
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	201.81	149.94	0.20	0.16	23.94	19.20
डी) निवल एक्टुअरियल हानि/लाभ (-) d) Net Actuarial Loss/ gain(-)	(588.31)	(1.15)	(0.05)	0.05	(50.80)	26.43
लाभ हानि खातों में निर्धारित व्यय Expenses Recognized in P&L	63.50	623.26	8.50	10.93	(20.34)	53.13

सी) तुलन पत्र में निर्धारित देयता/ (आस्ति) की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन -

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
ए) आरंभिक निर्धारित लाभ दायित्व a) Opening Defined Benefit Obligation	2,674.41	2,266.37	39.82	29.77	316.94	287.76
बी) आरंभिक समायोजन b) Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
सी) निवल अधिग्रहण लागत c) Net Acquisition Cost	-	1.01	-	-	-	-
डी) उपर्युक्त अनुसार व्यय d) Expenses as above	63.50	622.25	8.50	10.93	(20.34)	53.13
ई) प्रदत्त लाभ e) Benefit paid	169.88	214.80	0.30	0.88	21.02	23.95
एफ) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	2,567.88	2,674.41	48.02	39.82	275.58	316.94

* छुट्टी नकदीकरण हेतु कुल देयताओं में संविदात्मक कर्मचारियों से संबंधित ₹ 2.08 करोड़ की देयताओं शामिल है।

* Net liabilities for leave encashment includes liability for contractual employees amounting to ₹ 2.08 Crore.

डी) प्रिंसिपल एक्टुअरियल पूर्वानुमान

d) Principal Actuarial Assumptions

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
डिस्काउंट दर Discount rate	2.00%- 7.50%	6.59%- 6.90%	2.00%- 7.50%	6.59%- 6.90%	-	-
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	0%-10.00%	6.00%- 10.00%	0%-10.00%	8.00%- 10.00%	-	-
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%- 5.00%	15.00%- 18.00%	2.00%- 5.00%	5.00%- 15.00%	-	-

मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (आईएएलएम 2012-2015) यूएलटी

Mortality Rate: Indian Assured Lives Mortality (IALM 2012-2015) ULT

एक्टुअरियल वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है। ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आकलन और अनुमानों को आधार बनाया है।

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation taken on account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

12.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस - 17)

12.4.1 सेगमेंट की पहचान:

I. प्राथमिक (व्यावसायिक सेगमेंट): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल हैं। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से लेनदेन परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है।

ii. कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में वे सभी ऋण गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है।

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में ₹7.5 करोड़ तक एक्सपोजर वाले उधारकर्ता की ऋण गतिविधियां शामिल होती हैं। रिटेल सेगमेंट के तहत डिजिटल बैंकिंग सब सेगमेंट में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के बैलेंस को दर्शाता है।

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत है।

II) गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

- घरेलू परिचालन- शाखाएं/ कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है।
- विदेशी परिचालन- शाखाएं / कार्यालय जिनका भारत के बाहर परिचालन है और विदेशी बैंकिंग इकाइयां जो भारत में परिचालन कर रही हैं।

III. सेगमेंट राजस्व में बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

- ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।
- उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद प्राप्त/ प्रदत्त अवशिष्ट ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।
- अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है।

इस समूह की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है और उन्हें अनाबंटित माना गया है।

12.4 Segment Reporting (AS – 17)

12.4.1 Segment Identification:

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises all the lending activities which are not included under Retail Banking.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of upto ₹ 7.5 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directive.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

- The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.
- After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.
- Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Group has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

12.4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी 12.4.2 Segment Information
भाग ए: व्यावसायिक सेगमेंट Part A - Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking				रिटेल बैंकिंग Retail Banking						अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations				कुल Total	
							डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)		अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)		कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)							
	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2025-26 FY: 2024-25	वित्त वर्ष: 2024-25 FY: 2024-25		
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	34,884.86	34,004.27	50,701.61	52,656.85	1.73	1.14	62,446.78	56,237.02	62,448.51	56,238.16	8,790.46	9,984.86	1,56,825.44	1,52,884.14				
सेगमेंट परिणाम Segment Result	7,802.52	7,638.52	10,929.62	17,156.85	-16.31	-15.31	12,561.76	8,741.47	12,545.45	8,726.16	732.76	930.02	32,010.35	34,451.55				
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense													6,696.40	6,575.6				
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax													25,313.95	27,875.95				
घटाएं: कर के लिए प्रत्यक्ष Less: Provision for tax													5,467.53	7,159.62				
असाधारण लाभ/ हानि Extra-Ordinary Profit/Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
निवल लाभ Net Profit													19,846.42	20,716.33				
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	5,72,418.39	5,41,280.36	8,18,355.42	7,19,688.39	26.47	17.03	6,24,924.65	5,34,809.99	6,24,951.12	5,34,827.02	44,010.95	36,006.49	20,59,735.88	18,31,802.26				
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets													41,765.97	29,971.82				
कुल आस्तियां Total Assets													21,01,501.85	18,61,774.08				
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	5,27,238.35	4,98,687.09	7,53,763.97	6,63,056.22	24.38	15.69	5,75,600.37	4,92,725.87	5,75,624.75	4,92,741.56	40,537.24	33,173.14	18,97,164.31	16,87,658.01				
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities													38,469.45	27,613.36				
कुल देयताएं Total Liabilities													19,35,633.76	17,15,271.37				

भाग बी - भौगोलिक सेगमेंट

Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू परिचालन Domestic Operations		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
	वित्त वर्ष : 2025-26 FY: 2025-26	वित्त वर्ष : 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष : 2025-26 FY: 2025-26	वित्त वर्ष : 2024-25 FY: 2024-25	वित्त वर्ष : 2025-26 FY: 2025-26	वित्त वर्ष : 2024-25 FY: 2024-25
राजस्व* Revenue*	1,37,920.86	1,34,817.84	18,904.58	18,066.30	1,56,825.44	1,52,884.14
आस्ति** Assets**	17,12,454.12	15,40,270.89	3,89,047.73	3,21,503.19	21,01,501.85	18,61,774.08

*वर्ष के लिए *For the year

** 31 मार्च तक **As on 31st March

12.5 संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

I. संबद्ध पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

समूह से संबद्ध पार्टियां:

ए) अनुषंगियां

1. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - i. बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक*
 - ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक*
 - iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक**
 - iv. गुजरात ग्रामीण बैंक **
 - v. उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

*30.04.2025 तक **प्रभावी 05.11.2025

बी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.*
2. इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड

*05.11.2025 तक

सी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

12.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Associates

1. Indo Zambia Bank Limited
2. Regional Rural Banks
 - i. Baroda U P Bank*
 - ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank*
 - iii. Baroda Gujarat Gramin Bank*
 - iv. Gujarat Gramin Bank**
 - v. Uttar Pradesh Gramin Bank**

*upto 30.04.2025 ** w.e.f. 01.05.2025

b) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd*
2. India InfraDebt Limited

*upto 05.11.2025

c) Key Management Personnel

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement)	
			31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
1	डॉ. देबदत्त चांद Dr. Debadatta Chand	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	73,15,863	73,92,726
2.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	85,54,052	66,09,001
3.	श्री लाल सिंह Shri Lal Singh	कार्यपालक निदेशक Executive Director	84,55,270	52,19,129
7.	श्री संजय मुदालियर Shri Sanjay Mudaliar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	75,93,540	50,74,769
8.	श्रीमती बीना वाहिद Smt. Beena Vaheed	कार्यपालक निदेशक (09.08.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.08.2024)	69,14,178	27,53,882

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित

लेखों की टिप्पणियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

*includes retirement benefits

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

एस 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार, राज्य-नियंत्रित उद्यमों की वित्तीय विवरणियों में अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों के साथ 'संबंधित पक्ष' संबंधों तथा ऐसे उद्यमों के साथ किए गए लेन-देनों के संबंध में किसी प्रकार के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, एस 18 के पैराग्राफ 5 के प्रावधानों के अंतर्गत 'बैंकर-ग्राहक' संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। इसमें 'प्रमुख प्रबंधन कर्मियों' तथा उनके रिश्तेदारों के साथ किए गए लेन-देन भी शामिल हैं।

As per paragraph 9 of AS 18, no disclosure is required in the financial statements of state-controlled enterprises as regards related party relationships with other state controlled enterprises and transaction with such enterprises. Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

डी) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण d) Details of transactions with Related parties
वित्तीय वर्ष 2025-26 / F.Y. 2025-26
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मर्दे / संबंधित पक्ष Items/ Related Party	मूल संस्था (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
भुगतान किया गया ब्याज Interest paid	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	64.54	-	-	64.54
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32	-	-	10.32

वित्तीय वर्ष 2024-25 / F.Y. 2024-25
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मर्दे / संबंधित पक्ष Items/ Related Party	मूल संस्था (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
भुगतान किया गया ब्याज Interest paid	-	-	0.58	-	-	0.58
प्राप्त ब्याज Interest received	-	-	50.44	-	-	50.44
प्राप्त लाभांश Dividend received	-	-	10.32	-	-	10.32

इ) बकाया राशि का विवरण - e) Details of balances outstanding -
वित्तीय वर्ष 2025-26 / F.Y. 2025-26
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मर्दे / संबंधित पक्ष Items/ Related Party	मूल संस्था (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
जमा * Deposit *	-	-	12.04 (18.04)	-	-	12.04 (18.04)
निवेश Investments	-	-	865.00 (922.50)	-	-	865.00 (922.50)
अर्जित ब्याज Interest accrued	-	-	26.73 (44.30)	-	-	26.73 (44.30)

वित्तीय वर्ष 2024-25 / F.Y. 2024-25
(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मर्दे / संबंधित पक्ष Items/ Related Party	मूल संस्था (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	एसोसिएट्स संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
जमा * Deposit *	-	-	18.04 (200.05)	-	-	18.04 (200.05)
निवेश Investments	-	-	880.50 (1,296.50)	-	-	880.50 (1,296.50)
अर्जित ब्याज Interest accrued	-	-	31.81 (77.16)	-	-	31.81 (77.16)

* राशि में 31 मार्च, 2026 तथा 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार चालू खातों में उपलब्ध शेष राशि शामिल है।

कोष्ठकों में दर्शाई गई राशि वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष को प्रदर्शित करती है।

*Amount includes balance in current accounts as on March 31, 2026 and March 31, 2025.

Amount in brackets denote maximum balance outstanding during the year.

12.6 लेखांकन मानक -19 "लीज" :

12.6 Accounting Standard-19 "Leases":

वित्तीय लीज Financial Lease

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

दायित्व Obligations	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
कुल न्यूनतम लीज बकाया Total Minimum Lease Outstanding	0.56	8.69
एक वर्ष से कम Less than 1 year	40.24	13.82
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	-	-
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	40.8	22.51
कुल Total		
देय ब्याज लागत Interest Cost Payable		
एक वर्ष से कम Less than 1 year	3.79	0.91
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	19.22	2.35
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	-	-
कुल Total	23.01	3.26

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं :

Premises taken on operating lease are given below:

परिचालन लीज में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक के विवेक पर निर्भर है।

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके परिचालन लीज रद्द नहीं की जा सकती है:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option.

ii) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

दायित्व Obligations	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
एक वर्ष से कम Less than 1 year	37.47	51.79
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	99.58	155.47
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	21.02	50.31

ii) परिचालन लीज के लिए लाभ और हानि खाते में दर्ज लीज के भुगतान की राशि ₹ 1,031.83 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 965.30 करोड़)

नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं। इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्त शामिल नहीं हैं।

- ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 1,031.83 Crores (Previous Year: ₹ 965.30 Crores)
The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

12.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)

बैंक लेखांकन मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में मूल और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है।

12.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	-
वर्ष के अंत में शेयर की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	19,846.43	20,716.33
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	38.38	40.06
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	38.38	40.06
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- अंकित मूल्य / Face Value	₹ 2/- अंकित मूल्य / Face Value

12.8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

12.8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22):

ए. आस्थगित कर आस्तियां

a. Deferred Tax Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	201.44	227.51
डारुटफूल ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	5821.86	5850.57
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for leave encashment	670.76	690.34
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधि Foreign Currency Translation Reserve	1343.67	695.19
गैर-बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य हेतु प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & Others	88.81	91.77
धोखाधड़ी हेतु प्रावधान Provision for Fraud	170.41	168.75
निवेश के मूल्यांकन पर डीटीए- एएफएस पोर्टफोलियो DTA on Valuation of Investment -AFS Portfolio	161.44	-
अन्य / Others	0.01	-
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred tax Asset	8,458.40	7724.12

बी. आस्थगित कर देयताएं

b. Deferred Tax Liabilities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को As on March 31, 2025
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	2929.24	2468.90
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1456.76	1532.51
डीटीएल-एएफएस रिजर्व DTL-AFS Reserve	316.65	545.66
अन्य / Others	0.19	-
कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred tax Liability	4,702.84	4547.08
निवल आस्थगित कर देयताएं Net Deferred tax Asset	3,755.56	3177.04

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित मूल बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित डिस्पुट राशि शामिल है। ₹5057.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12036.63 करोड़) के डिस्पुट आय कर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि मूल बैंक के विचार में, कर सलाहकारों की विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं।

Tax Paid in advance/ Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/ paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax paid/ adjusted amounting to ₹ 5057.59 Crore (previous year ₹12036.63 Crore) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same matter, additions / disallowances made are not sustainable.

12.9 समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)

चूंकि बैंक का अपने एसोसिएट्स में निवेश सहभागी प्रकृति का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

12.9 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (AS-23)

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

12.10 परिचालन बंद करना (एएस-24)

वर्ष के दौरान, ग्रुप ने अपनी पुनर्गठन और युक्तिकरण पहलों के हिस्से के रूप में ओवरसीज टेरेटरी/परिचालन को बंद कर दिया, जो लेखा मानक (एएस) 24 – बंद किए गए परिचालन में निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

विवरण निम्नानुसार है:

1. ब्रसेल्स और ओमान टेरेटरी में विदेशी परिचालन को बंद किया गया।
2. फिजी टेरेटरी में राकिराकी और सिगाटोका में स्थित दो शाखा का बंद की गई।
3. संयुक्त उद्यम, जिसका नाम इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है, को बंद किया गया।

12.10 Discontinuing operations (AS-24)

During the year, the Group discontinued certain overseas territories/operations as part of its restructuring and rationalization initiatives, which do not fall under the threshold specified in Accounting Standard (AS) 24 – Discontinuing Operations.

The details are as follows:

1. Closure of overseas operations in Brussels territory and Oman territory.
2. Closure of two branches located at Rakiraki and Sigatoka in the Fiji territory.
3. Closure of Joint Venture, namely India International Bank (Malaysia) BHD

12.11 आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन और क्षति

एएस – 28 “आस्तियों की हानि” के संदर्भ में ₹ 4.77 करोड़ की हानि मूल लाभ एवं हानि खातों में डेबिट किया गया है, जहां वर्तमान मूल्य संपत्ति की मूल लागत से कम है।

12.11 Revaluation and Impairment of Assets

In terms of AS – 28 “Impairment of Assets” impairment charge of ₹ 4.77 Cr has been debited to Profit & Loss Accounts wherein current value is less than cost of the property.

12.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

12.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases/Contingencies	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
प्रारम्भिक शेष राशि Opening balance	417.65	329.55
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत Provided during the year	22.71	97.98
वर्ष के दौरान समायोजन Adjustment during the year	(6.59)	(15.68)
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	29.11	5.81
दिनांक 31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	462.88	417.65
आउटफ्लो / अनियमितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/ क्रिस्टलीकरण संबंधी आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization	

चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को समूहीकृत/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Previous year's figures have been regrouped/reclassified to match current year's presentation.

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता अवार्ड/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, मांगी गई राशि क्रमशः करारगत बाध्यताओं की शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि एवं डेवलेपमेंट पर निर्भर है। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

बी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

डी) आकस्मिक देयताओं के विवरण

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है

ये व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के क्रम में वर्तमान में चल रहे विभिन्न मामलों के संबंध में बैंक के विरुद्ध दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं।

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रदर्शित करता है। ₹0.28 करोड़ के आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता के प्रति बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

सी) फॉरवर्ड एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव करारों के कारण देयता:

बैंक ने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा करार, करेंसी/स्वैप, ब्याज दर/करेंसी फ्यूचर्स एवं फॉरवर्ड रेट करार किया है।

i. फॉरवर्ड एक्सचेंज करार अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है।

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

B) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

D) Description of contingent liabilities

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. Liability for partly paid investments of ₹ 0.28 Crore represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers.

i. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate.

- ii. करेंसी स्वैप, लागू स्पॉट रेट के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- iii. ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।
- iv. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड करार है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है।
- v. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है।
- vi. विदेशी करेंसीऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।
- vii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन करार, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव करार है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर बिना बाध्यता के एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है।
- viii. करेंसी फ्यूचर्स करार निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड करार है।
- ix. आकस्मिक देयता की राशि संबंधित फॉरवर्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव अनुबंधों के अनुमानित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

IV) संघटकों की ओर से दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी निश्चित आश्वासन को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

V) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है।

VI) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक पर आकस्मिक दायित्व है

(जिसमें डेरिवेटिव्स के नोशनल मूल्य के कारण अमूर्त देयताएं, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड(डीईएएफ़) में अंतरित अदावी जमाएँ, और रेपो लेन-देन आदि के तहत प्राप्त/सुपुर्द की जाने वाली प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं।

13 विनियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

- (1) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

- ii. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates.
- iii. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows.
- iv. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date.
- v. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.
- vi. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time.
- vii. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry.
- viii. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price.
- ix. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

IV) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

V) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

VI) And other items for which Bank is contingently liable (including Contingent liabilities on account of Notional value of Derivatives, unclaimed deposits transferred to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF) and security receivable/deliverable under Repo Transactions etc.

13. Penalty Imposed by Regulators

- 1) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन का प्रकार Nature of Breach	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed by RBI	नियामक/ परिचालनगत Regulatory/ Operational	797	1.09	1442	2.91
विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	-	-

2) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म लौटाए जाने की तारीख	राशि	टिप्पणियां
2025-26	-	-	-
2024-25	-	-	-

3) रिवर्स रेपो लेन-देन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (चूककर्ता प्रतिभागी हेतु लागू)

मौजूदा वर्ष - शून्य

पिछले वर्ष - शून्य

4) विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए अन्य जुर्माने के विवरण निम्नानुसार हैं:

	31.03.2026	31.03.2025
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य	शून्य
भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007	शून्य	शून्य
सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2006	शून्य	शून्य

14. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

14.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक / कंपनी की शेष राशियों का रिकंसिलेशन सतत आधार पर किया जाता है। बैंक के मामले में, अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान दिनांक 31.03.2026 तक पूरा कर लिया गया है, जिसका रिकंसिलेशन किया जा रहा है। अनुषंगी बही खातों का मिलान, अंतर-कार्यालय खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों की पुष्टि/ रिकंसिलेशन आदि सतत आधार पर जारी है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त का, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

14.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण पर तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों

2) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2025-26	-	-	-
2024-25	-	-	-

3) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant).

Current Year - NIL

Previous Year - NIL

4) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions is as under:

	31.03.2026	31.03.2025
Banking Regulation Act, 1949	NIL	NIL
Payment and Settlement Act, 2007	NIL	NIL
Government Securities Act, 2006	NIL	NIL

14. Additional Disclosures

14.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. In case of Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2026, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

14.2 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also

के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है।

14.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.86 /21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए निपटान फ्रेमवर्क के तहत लागू निपटान योजना के विवरण।

the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

14.3 Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI Master Direction – RBI/DOR/2025-26/167 DOR. ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, as of March 31, 2026.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of borrower	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पूर्व छमाही अर्थात् 30.09.2025 की समाप्ति पर स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2025 (A)	(ए) में से, सकल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही अर्थात् 31.03.2026 की समाप्ति पर स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2026(A)
वैयक्तिक ऋण\$ Personal Loans\$	2,537.07	58.47	-	229.51	2,319.39
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	-	-	-	-	-
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	-	-	-	-	-
अन्य / Others	75.89	5.01	-	14.37	59.25
कुल Total	2,612.96	63.48	-	243.88	2,378.64

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए गए अनुसार।

\$ पूल खातों के मामले में, जानकारी प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध किए गए अनुसार है।

14.4 दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/डीओआर/2025-26/165 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान) निर्देश, 2025, दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार निपटान योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 47 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता शामिल है। बैंक के द्वारा 31.03.2026 को 04 खातों में ₹1,316.69 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

\$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

14.4 As per RBI circular no. RBI/DOR/2025-26/165 DOR. STR.REC.84/21.04.048/2025-26 Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025 dated November 28, 2025, guidelines for implementation of Resolution Plan have been issued which also contain requirements of additional provisions as per para 47 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of ₹ 1,316.69 crores as on March 31, 2026, in 4 nos. of accounts as detailed below.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋण की राशि (ए) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (बी) Amount of Loans to be classified as NPA (B)	31.03.2026 को (बी) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (सी) Amount of Loans as on 31.03.2026 out of (B) classified as NPA (C)	31.03.2025 को धारित प्रावधान (डी) Provision held as on 31.03.2025 (D)	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) (ई) Additional provision/(reversal) made during year ended 31.03.2026 (E)	31.03.2026 को धारित प्रावधान (एफ) Provision held as on 31.03.2026 (F)
3,798.61	0	0	876.76	439.93	1,316.69

14.5. आईबीसी-एनसीएलटी संबंधी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/ 21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर.सं.बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23 जून, 2017 तथा 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए समूह ने 31 मार्च, 2026 को कुल ₹ 6496 करोड़ (कुल बकाया के 100% के रूप में) का प्रावधान किया है।

14.6 31 मार्च, 2026 तक अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए प्रावधान ₹ 381.38 करोड़ का रहा।

14.7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत लीवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात सहित पिलर 3 प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii" पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एनएसएफआर एवं एलसीआर फ्रेमवर्क के तहत प्रकटीकरण निम्नलिखित लिंक https://www.bankofbaroda.in/sharekeepers-corner/financial-reports/ पर उपलब्ध हैं। ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

14.8. न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 निर्देशों के अनुसार, एक (1) खाते को न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सकल बकाया ₹ 28.82 करोड़ है जिसके सापेक्ष अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2026 तक ₹ 24.82 करोड़ का प्रावधान किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों में आईआरएसीपी मानदंडों के अलावा ₹ 208.78 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

14.9. बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1454.41 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के द्वारा बैंकों को प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ 5 (पांच) वर्ष

14.5 IBC-NCLT Provision –

As per RBI letters no. DBR. No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR. No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6496 crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2026.

14.6 The provision towards unhedged foreign currency exposure stands at ₹ 381.38 crores as of March 31, 2026.

14.7 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio under the Basel- III framework are being made available on our website in the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii. Additionally, disclosures under NSFR & LCR framework are being made available on the following link: https://www.bankofbaroda.in/sharekeepers-corner/financial-reports/. These disclosures have not been subjected to review by the SCAs of the Bank.

14.8 As per Directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, 1 account is classified as Standard as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 28.82 crores against which the Bank is holding provision of ₹ 24.82 crores as on March 31, 2026 as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

Apart from above, The Bank is holding additional provision of ₹ 208.78 crores over and above the provision as per IRAC norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

14.9 The Bank has estimated an additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1454.41 Crore. RBI vide their Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021 has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5

की अवधि तक की अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त प्रावधान को अपनाया है और तदनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान शेष देयताओं पर प्रभारित किया है। यह देयताएं पूरी तरह से अमोर्टाइज़ हो चुकी है और 31 मार्च 2026 तक कोई भी अमोर्टाइज़ न हुआ शेष राशि बाकी नहीं है।

14.10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, इसलिए एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रकटीकरण लागू नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में विवरण प्रबंधन द्वारा प्रदान किया गया है और हमने उस पर भरोसा किया है।

14.11 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

(five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted for the said provision of RBI and accordingly had charged the remaining liability during year ended March 31, 2026. This liability is fully amortised and there is no unamortised balance as on March 31, 2026.

14.10 Pay to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises. The details regarding Micro and Small Enterprises have been provided by the Management and relied upon by us.

14.11. Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	श्रेणी Category	वित्त वर्ष 2025-26 FY 2025-26		वित्त वर्ष 2024-25 FY 2024-25	
		खरीद Purchase	बिक्री Sale	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	-	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	-	-	7,500.00	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	22,000.00	-	60,000.00	-
4	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	-	10,000.00	-	1550.00
5.	एमएसएमई / MSME	-	-	-	-
	कुल Total	22,000.00	10,000.00	67,500.00	1,550.00

14.12 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/164 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.83/21.04.048/2025-26, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित देनदारी को चार तिमाहियों की अवधि में पूरा करने का विकल्प चुन सकते हैं। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, अग्रिमों के अलावा अन्य मामलों में धोखाधड़ी के लिए आगे ले जाने वाला प्रावधान 'शून्य' है (31 मार्च, 2025 को भी यह शून्य था)।

14.13 इस वर्ष के दौरान, सावधानी बरतते हुए, बैंक ने वास्तविक गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक धारणा को अपडेट करने का निर्णय लिया। इसके तहत मृत्यु दर तालिका को आईएलएम (2012-2014) यूएलटी से परिवर्तित कर आईएलएम (2012-2015) यूएलटी कर दिया गया। इस बदलाव के कारण, 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 520.37 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

14.14 चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

14.12 As per the Reserve Bank of India circular no. RBI/DOR/2025-26/164DOR.STR.REC.83 /21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025, banks can opt to provide the liability for frauds over a period of four quarters. The carry forward fraud provision for other than advances as on March 31, 2026 is NIL (NIL as on March 31, 2025).

14.13 During the year, as a matter of prudence, the Bank decided to update one of the assumptions for actuarial calculation by shifting mortality rate table from IALM (2012-2014) ULT to IALM (2012-2015) ULT. Due to this change, an amount of ₹ 520.37 Crore is provided during the quarter ended 31 March 2026.

14.14 Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current year classification.

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2026

		(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)	
		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर पूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	25,31,396	27,87,595
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	1,96,330	1,46,695
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	8,347	3,293
बटूटे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	6,30,855	5,47,114
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1,23,989	47,097
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	3,67,145	4,30,446
अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(1,183)	(3,965)
बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	3,46,263	3,12,585
उप योग	Sub total	42,03,142	42,70,860
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(6,72,106)	(19,69,507)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(209,52,645)	(153,72,814)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in other assets	(82,494)	64,779
उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in borrowings	28,66,883	23,67,282
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	179,19,915	136,70,756
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	5,44,502	14,20,649
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(4,84,585)	(9,62,847)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	Net cash from operating activities (A)	33,42,612	34,89,158

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31 st March 2025
बी. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण	Purchase/Transfer in of fixed assets	(1,81,603)	(6,33,249)
अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण	Sale/ Transfer out of fixed assets	30,124	41,979
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(1,76,033)	(58,122)
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	Net cash used in investing activities (B)	(3,27,512)	(6,49,392)
सी. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर केपिटल / शेयर ऐप्लिकेशन राशि / शेयर प्रिमियम	Share Capital/ Share Application Money/ Share Premium	279	81
गैर-जमानती गौण बॉन्ड	Unsecured Subordinated Bonds	5,81,500	10,18,085
प्रदत्त लाभांश	Dividend paid	(4,31,809)	(3,93,024)
बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान	Payment/provision for interest on bonds	(3,55,587)	(2,69,085)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) in Minority Interest	25,056	22,965
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	Net cash from financing activities (C)	(1,80,561)	3,79,022
नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	28,34,539	32,18,788
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	132,47,773	100,28,985
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the period	160,82,312	132,47,773
नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास एवं एटीएम में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है.	Cash & Cash equivalents includes Cash in Hand & ATM, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	Components of Cash & Cash Equivalents	31 मार्च 2026 को As on 31st March 2026	31 मार्च 2025 को As on 31st March 2025
1) भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि	1) Cash & Balance with RBI	64,68,597	58,19,084
2) बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	2) Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	96,13,715	74,28,689
कुल	Total	160,82,312	132,47,773

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** ("बैंक") और इसकी अनुषंगियों (मूल संस्था और इसकी अनुषंगियां मिलकर "समूह" के रूप में संदर्भित), इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2026 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों (इसके बाद "**समेकित वित्तीय विवरण**") के रूप में संदर्भित) संबंधी नोट का समावेश है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ए) बैंक की लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी;
- बी) 6 घरेलू अनुषंगियों, 6 विदेशी अनुषंगियों, 1 घरेलू संयुक्त उद्यम और 2 घरेलू सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- सी) 3 घरेलू अनुषंगियों, 1 विदेशी अनुषंगी, 1 विदेशी संयुक्त उद्यम, 1 विदेशी सहयोगी की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारतीय रिज़र्व बैंक") द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निदेशों ("भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश") तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यमों के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ए) 31 मार्च, 2026 तक समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण;

बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ/ हानि खाते के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों का वास्तविक लाभ; और

सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण।

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार की है। इन लेखा परीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "नैतिक आचरण संहिता" के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक होने के साथ-साथ लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे। इन मुद्दों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में और इस पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को संबंधित संघटक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ प्रिंसिपल लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण हैं।

(ii) अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान करना (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 68.54% है जो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी मानदंडों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, निष्पादक अग्रिमों और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशों कार्यालयों के अधीन अग्रिमों का वर्गीकरण और इनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी सतत रूप से अनुपालन की जा रही लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों के निर्धारण में उचित नियंत्रण पद्धति स्थापित करना शामिल है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) एवं अन्य संबद्ध प्रणालियों में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख-रखाव करता है। बैंक इन आईटी सिस्टम द्वारा, अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक, का भी निर्धारण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारतीय रिज़र्व बैंक") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां निर्धारित हैं। जिनका विस्तृत विवरण अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में किया गया है। साथ ही, बैंक ऐसे एक्सपोजर से संबंधित प्रावधान करता है जो कुछ सेक्टरों के लिए अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों या समूह अग्रिमों सहित एनपीए के रूप में निर्धारित नहीं की जाती हैं। व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है। ऋण संबंधी लेन-देन के स्वरूप, विनियामक अपेक्षाओं, मौजूदा व्यावसायिक परिवेश, प्रतिभूतियों के आकलन में शामिल अनुमान/ निर्णय और प्रावधानों की गणना पर विचार करते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिप्रेत उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। इसके अलावा, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए थर्ड पार्टी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और गैर-निष्पादक अग्रिमों सहित ब्याज आय के निर्धारण के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता के कारण हमने उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं तथा अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्षों पर निर्भरता, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के मूल्य में ह्रास की गणना तथा अनर्जक अग्रिमों सहित ब्याज आय की मान्यता को ध्यान में रखते हुए, हमने उपर्युक्त विषय को लेखापरीक्षा का प्रमुख विषय निर्धारित किया है।	हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने और इनके लिए प्रावधान करने हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का आंतरिक परीक्षण तथा मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे: ए) हमने अनर्जक आस्तियों के निर्धारण, वर्गीकरण, मूल प्रक्रिया के स्वरूप, समय-सीमा के निर्धारण संबंधी प्रावधान से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, जांच बिंदुओं के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई। बी) हमने हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय का निर्धारण, निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान करने के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की जांच की है। हमें आबंटित शाखाओं में मूल प्रक्रिया करने के दौरान हमने बड़े अग्रिमों/ दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है और बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा सहित अन्य अग्रिमों की जांच नमूना आधार पर की गई है। सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई तथा आवश्यक समझी गई सीमा तक निर्भरता व्यक्त की गई। डी) जैसा कि एसए द्वारा अनुमति दी गई थी, हमने बैंक द्वारा लेखा परीक्षा के लिए चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा व्यक्त किया। हमने शाखाओं से प्राप्त विवरणियों जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है, को आधार बनाया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणाली की समीक्षा की गई और अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पाए गए उन अपवादों/ विचलनों/ त्रुटियों जिन पर बैंक द्वारा पर्याप्त रूप से विचार किया गया था, को सुनिश्चित किया गया। ई) नमूने के आधार पर, हमने सिस्टम-आधारित सत्यापन किया है। समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण और आय के सापेक्ष रिवर्सल की जांच की गई। एफ) एनपीए की पहचान और भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। हमने यह सुनिश्चित किया है कि लेखा परीक्षा को दौरान पाई गई महत्वपूर्ण कमियों को सुधार लिया गया है।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आर्किटेक्चर और सिस्टम नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक के वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों की जटिलता को देखते हुए बैंक अपने आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। बैंक का आईटी आर्किटेक्चर बैंक के दैनिक व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करता है। बैंक के आकार को देखते हुए, बड़ी संख्या में हो रहे लेनदेनों को कई ऐप्लिकेशनों के माध्यम से प्रोसेस और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईटी सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बैंक के परिचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ऐप्लिकेशनों द्वारा डेटा को अपेक्षित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है और सभी परिवर्तन उचित स्वरूप में किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर में उपयुक्त नियंत्रण आवश्यक है। आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, उच्च स्तरीय स्वचालन, आईटी सिस्टम के सतत और महत्वपूर्ण उपयोग को देखते हुए, इस प्रकार के अंतर्निहित जोखिम हो सकते हैं कि स्वचालित लेखांकन के तौर-तरीके, प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण इसकी परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से तैयार न किए गए हों और इसका प्रभाव इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर रहा हो। अतः आईटी सिस्टम नियंत्रणों को प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।	हमने बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे आईटी सिस्टम और कार्यरत ऐप्लिकेशनों को समझा। इस उद्देश्य हेतु, हमने बैंक के आईटी नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्धारित नीति / प्रक्रिया / तौर-तरीकों के बारे में प्रोसेस ओनर्स के साथ लेखा परीक्षा संबंधी प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की और मानवीय हस्तक्षेप और तकनीक के कारण उत्पन्न जोखिमों को समझने के लिए प्रमुख ऐप्लिकेशनों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा की। लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल रहे हैं (जांच परीक्षण के आधार पर): ए) सिस्टम से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना; बी) वित्तीय रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐप्लिकेशन, नियंत्रण के एक्सेस सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना; सी) सिस्टम से प्राप्त परिणामों को सूचना के अन्य स्रोतों से सत्यापित करना; और डी) डेटा एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की टेस्टिंग करना। आईटी जनरल कंट्रोल (आईटीजीसी) के संबंध में, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक आईटीजीसी नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता की पुष्टि करने के लिए बैंक के स्वतंत्र बाहरी सलाहकार द्वारा जारी रिपोर्टों के संबंध में उनसे बातचीत की और रिपोर्टों की समीक्षा की। हमने शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों, बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक के आईटी सिस्टम पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट लेखा परीक्षा को भी संज्ञान में लिया।

iii निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 20.74% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुसूची अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं। गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है। निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य हैं। जो वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते हैं।	निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं - ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है। बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन कर मूल्यांकन संबंधी निर्देशों के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; सी) चयनित नमूनों के लिए, हमने स्वतंत्र रूप से निवेशकर्ता इकाई के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ में अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर उद्धृत निवेशों के मूल्यांकन की जांच की।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना का संग्रहण शामिल है। मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक फोकस की गंभीरता में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है।	डी) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है; हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने और मूल्यहास प्रदान किए जाने वाले प्रावधानों की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए सुदृढ़ लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं भी की हैं। ई) हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निवेश लेखा सॉफ्टवेयर और जीएल लेखा सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया है। हमने बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र जैसे आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम ऑडिट और ट्रेजरी और निवेश से संबंधित समवर्ती लेखा परीक्षा के अस्तित्व और प्रभावशीलता का आकलन किया और आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक उस पर निर्भरता रखी।

IV. (iv) कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया
बैंक ने अपने विरुद्ध दायर विभिन्न मामलों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर-कर संबंधी मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने इन मामलों के संभावित परिणाम और ऐसे मामलों में, यदि कोई हो, संसाधनों के परिणामी बहिर्वाह का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक तथा स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसके लिए कानून की व्याख्या के संदर्भ में निर्णय के अनुपालन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।	ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है। बी) हमने विवादों के संभावित आउट फ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है। सी) इसके अलावा, संभावित आउट फ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में कंपनी के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है। डी) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहाँ कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है। ई) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा संप्रेषणों, आंतरिक/ बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है। एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है। जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है। सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां / प्रधान कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई संशोधित प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

4. अन्य मामले

ए) हमने 12 अनुषंगियों और 1 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2026 तक ₹90,695 करोड़ की कुल आस्ति, ₹15,051 करोड़ के कुल राजस्व और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹203 करोड़ का निवल नकदी इनफ्लो दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए 518 करोड़ रुपये के कर पश्चात शुद्ध लाभ का समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, 2 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

6 विदेशी अनुषंगियों के मामले में, वित्तीय सूचना उनके संबंधित देशों में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है। ऐसी अनुषंगियों के प्रबंधन ने वित्तीय सूचना को उनके संबंधित देशों में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में रूपांतरित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी 6 विदेशी अनुषंगियों के बकाया शेष का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

बी) हमने 4 अनुषंगियों और 01 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2026 तक ₹9,113 करोड़ की कुल आस्ति, ₹1,989 करोड़ के कुल राजस्व और दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹165 करोड़ के निवल नकदी इनफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹75 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि 1 सहयोगी के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है। यह समेकित वित्तीय विवरण अलेखा परीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है।

1 विदेशी अनुषंगी, 1 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी के मामले में, वित्तीय विवरण और अन्य जानकारी आमतौर पर उनके संबंधित देशों में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है। ऐसी

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी के प्रबंधन ने वित्तीय जानकारी को उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों से भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों में बदल दिया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

सी) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी के मामले में लेखा परीक्षकों ने दिनांक 5 मई, 2026 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित निष्कर्ष दिया है और 'अन्य मामले' खंड में रिपोर्ट किया है कि मौजूदा चालू जीवन बीमा पॉलिसी और पॉलिसी जहां प्रीमियम बंद कर दिया गया है, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन की देयताएं कंपनी के नियुक्त एक्ज्युअरी ("अपॉइंटेड एक्ज्युअरी") की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए इन देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च 2026 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर देनदारी मौजूद है, नियुक्त एक्ज्युअरी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ज्युअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि मौजूदा जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल है, पर हमारी राय बनाई जा सके।

डी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा वी शंकर अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, शाह गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और बाटलीबोई एंड पुरोहित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बैंक के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनकी 06 मई, 2025 की रिपोर्ट में उन बयानों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई थी। तदनुसार, रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और गोखले एंड साठे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विवरण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारीयां

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है, जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है। अन्य जानकारी में बैंक की निदेशकों की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक शामिल हैं, जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी और बासेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का निष्कर्षात्मक आश्वासन नहीं देंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुतः असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारी में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियाँ शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

- बैंक का निदेशक मंडल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यानिष्पादन और समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के केश पत्तो का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सम्मिलित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हो तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है, जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, जिसे उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है, के लिए जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रुप और उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल, ग्रुप और उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की एक 'गोइंग कंसर्न' (लगातार चलने वाली संस्था) के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे, जहाँ लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करने के लिए भी जिम्मेदार हैं—जब तक कि प्रबंधन का इरादा या तो ग्रुप को समाप्त करने या संचालन बंद करने का न हो, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

ग्रुप और उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल, ग्रुप और उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य इस आशय की पुष्टि करना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित पुष्टि एक पूर्ण भरोसे पर आधारित पुष्टि होती है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यानिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखा परीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियाँ समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि समेकित वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यवसाय की गतिविधियों की वित्तीय सूचना पर पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थानों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वैसे अन्य लेखा परीक्षक ही जवाबदेह होंगे। हम केवल अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं।

वस्तुनिष्ठा, समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभावित करता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकारी यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणान्तरक वस्तुनिष्ठा और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिसकी लेखा परीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करते हैं।

हम गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- बैंक का समेकित तुलनपत्र एवं समेकित लाभ-हानि व समेकित नकदी प्रवाह खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।
- उपयुक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हमारी लेखा परीक्षा और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित तथा अनुषंगियों, सहयोगियों और

संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी, जिसे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किया गया है, के यथालागू अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

- हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और
 - बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार — जिसका विषय है "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" — तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पठित, हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित लेखा-बही का उचित रखरखाव बैंक द्वारा किया गया है, जैसा कि उन बही की हमारी जांच तथा अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है; और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त एवं उचित विवरण प्राप्त हुए हैं।
 - इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई रिटर्न के अनुसार हैं;
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और
 - हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।
 - वित्तीय लेन-देन या मामलों पर ऐसी कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
 - भारत में गठित सरकारी कंपनी के अतिरिक्त अनुषंगियां, सहायक एवं संयुक्त उद्यम के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित अनुषंगी, सहायक एवं संयुक्त उद्यमों के कोई भी निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं, 31 मार्च 2026 तक के अनुसार अयोग्य नहीं है।
 - खातों के रखरखाव और उनसे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

एच) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश" के पैरा 1.14 के अनुसार आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109208W

(एल. वी. सप्तर्षि)

साझेदार

एम. नं.: 127055CA

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 109574W

(डी.वी. बल्लाल)

साझेदार

एम. नं.: 013107

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 101048W

(पराग हंगेकर)

साझेदार

एम. नं.: 110096

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 009073N / N500320

(सुमित कुमार)

साझेदार

एम. नं.: 512555

कृते गोखले और साठे

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 103264W

(राहुल जोगलेकर)

साझेदार

एम. नं.: 129389

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:
 - a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
 - b) Audited Financial Statements of 6 Domestic Subsidiaries, 6 Foreign Subsidiaries, 1 Domestic Joint Ventures and 2 Domestic associates.
 - c) Unaudited financial statements/financial information of 3 Domestic Subsidiaries, 1 Foreign Subsidiary, 1 Foreign Joint Venture, 1 Foreign Associate.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on our consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates, the unaudited financial statements and other financial information of the subsidiaries, joint ventures and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act"), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its joint ventures and associates and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

- a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2026;

- b) true balance of Profit/Loss of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
- c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

3. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the auditors of the bank along with the Key Audit Matters reported by the respective other auditors which, in our opinion, are material.

(i) **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 18 to the financial statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Group constitute 68.54 percent of the total assets, which is a significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of advances into performing and non-performing advances (NPAs) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations of the foreign jurisdiction or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy consistently followed. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of appropriate control mechanisms. The Bank accounts for all the transactions related to advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) and other allied systems. The Bank identifies performing and non-performing advances through these IT systems. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by RBI, the Bank also has certain prudent policies for provisioning on non-performing assets more specifically described in Schedule 17: Significant Accounting Policies. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed. Considering the nature of the Bank's lending transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation / judgement involved in valuation of securities and assessment of required provisions, this is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers and lead banks for Drawing Power calculations, third parties for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we have determined the above aspect as a Key Audit Matter..	We assessed the Bank's system in place to identify, classify and provide for non-performing assets advances. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following - We a)obtained an understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification, classification of non-performing assets and provisioning thereon in order to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and accordingly planned our audit procedures. - We reviewed the accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches audited by us. In carrying out substantive procedures at these branches, we examined large advances / stressed advances while other advances were examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. - We assessed the existence and effectiveness of the Bank's internal monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank and placed reliance thereon to the extent considered necessary. - As permitted by the SAs, we relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected for audit by the Bank. We also relied on the returns received from the branches not subjected to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank. - On a sample basis, we verified the system-based identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. - Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provisions required as per RBI's Prudential norms. - Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. We ensured that exceptions noticed during our audit procedures, wherever significant, were duly corrected.

(ii) **Information Technology (IT) architecture and system controls impacting financial Reporting:**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank's financial accounting and reporting systems given its complexity are highly dependent on the Bank's IT systems. The Bank's IT architecture supports the Bank's day-to-day business operations. Given the size of the Bank, enormous volume of transactions are being processed and recorded through multiple applications. The reliability and security of IT systems plays a very important role in the operations of the Bank. Hence controls in the system architecture are required to ensure that the applications process the data as expected and that changes are made in an appropriate manner. Given the complexity of the IT architecture, high level automation, simultaneous and significant use of IT systems, there is an inherent risk that automated accounting procedures, processes and related internal controls may not be accurately designed to ensure its operative effectiveness and its impact on the financial reporting. Hence we have determined IT system controls as a Key Audit Matter.	We obtained an understanding of IT systems used by the Bank and the applications implemented. For this purpose, we had discussions with the process owners on the defined policy/ process/procedures of the Bank's IT control environment that is relevant to the audit and reviewed the processes followed with regard to the major applications to understand the financial risks posed by people-process and technology. Our audit procedures to obtain audit evidence included (on a test check basis): - verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of reports, generated from the system; - review of the operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting; - verifying the results obtained from the systems with the other information sources; and - testing of logic used for extracting the data. In respect of IT General Controls (ITGC), we interacted with and reviewed the reports issued by the Bank's independent external consultant to confirm the adequacy of design and operating effectiveness of internal ITGC controls over financial reporting We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors, external vendor inspection reports, specialised audits undertaken by independent experts on the Bank's IT systems.

(iii) **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 20.74 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions affecting the financial statements.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury function included:- - We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding classification of investments, valuation thereof, identification and classification of NPIs, provisioning / depreciation related to investments etc. - For selected samples of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuations for each category of investments in accordance with the accounting policies of the Bank. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we have determined the above aspect as a Key Audit Matter.	c) For selected samples, we independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the latest available financial statements of the investee entity or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines. d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provisions. We also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision required to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the RBI circulars and directives. e) We tested the mapping of investments between the Investment accounting software and the GL accounting software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circulars / directions. We assessed the existence and effectiveness of the Bank's internal monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit and concurrent Audit related to Treasury and Investments and placed reliance thereon to the extent considered necessary.

(iv) **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 18 to the financial statements):**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outcome of these matters and resultant outflow of resources in such matters, if any. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning wherever a liability seems probable. The Bank's assessment is supported by the facts of each matter, its own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above aspect as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of the matters under consideration and judgments / interpretation of law involved.	a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters. b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions. c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal / external experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. d) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate. e) Read and analysed select key correspondences, internal/ external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters. f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions. g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
	Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

4. Other Matters

- a) We did not audit the Financial Statements/information of 12 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 90,695 Crores as at March 31, 2026, total revenue of ₹ 15,051 Crores, and net cash inflow of ₹ 203 Crores for the year ended on March 31, 2026, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net Profit after tax of ₹ 518 crores for the year ended March 31, 2026, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 2 associates whose financial statements / financial information have been audited by other auditors. This financial statements / financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates is based solely on the report of such auditors.

In the case of 6 foreign subsidiaries, the financial statements and other information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and which has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The management of such subsidiaries has converted the financial information of such subsidiaries from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors.

Our opinion in so far as it relates to the balances of such 6 foreign subsidiaries located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

- b) We did not audit the Financial Statements/ financial information of 4 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 9,113 Crores as at March 31, 2026, total revenue of ₹ 1,989 Crores and net cash outflow of ₹ 165 Crores for the year ended on March 31, 2026, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net Profit after tax of ₹ 75 crores for the year ended March 31, 2026, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 1 associate whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial

statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associate and joint venture is based solely on such unaudited Financial Statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, this Financial Statements are not material to the Group.

In the case of 1 foreign subsidiary, 1 joint venture and 1 associate, the financial statements and other information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries. The management of such subsidiaries/ joint venture / associate has converted the financial information from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

- c) In the case of India First Life Insurance Company Ltd., a subsidiary company, the auditors, vide their Audit report dated May 05, 2026 have expressed an unmodified conclusion and have reported in the 'Other Matter' section that "the actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium is discontinued is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists on financial statements of the Company as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuary and in their opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied on the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the Financial Statements of the Company."

- d) The Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ended on March 31, 2025, were audited by V Sankar Aiyar & Co, Chartered Accountants, Shah Gupta & Co., Chartered Accountant and Batliboi & Purohit,

Chartered Accountants, the joint statutory auditors of the Bank whose report dated May 06, 2025 expressed an unmodified opinion on those statements. Accordingly, Ravi Rajan & Co. LLP, Chartered Accountants and Gokhale & Sathe Chartered Accountants do not express any opinion on the figures reported in the Statement for the year ended March 31, 2025.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report. The Other Information also includes the Directors' Report of the Bank including annexures in annual report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III and we do not and will not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, including its associates & joint ventures in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Respective Acts and applicable guidelines for safeguarding of the assets of the Group and its associates & joint ventures and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are

reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for assessing the ability of the Group and its associates and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates and joint ventures.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and joint ventures to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint ventures to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates and joint ventures to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

8. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act 1949 and by the RBI letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report that:
 - a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

- b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI;
- e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- f) On the basis of the written representations received from the directors of the Bank as on March 31, 2026 and on the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.
- g) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- h) As per par 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply only to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

L V Saptharishi
Partner
M. No.: 127055
UDIN:26127055MOHHBF6415

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

D.V Ballal
Partner
M. No.: 013107
UDIN:26013107ZQYXCG1654

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

Parag Hangekar
Partner
M. No.: 110096
UDIN:26110096RFINJJ1616

For Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 009073N / N500320

Sumit Kumar
Partner
M. No.: 512555
UDIN:26512555LBQQOT3307

For Gokhale & Sathe
Chartered Accountants
FRN: 103264W

Rahul Joglekar
Partner
M. No.: 129389
UDIN:26129389JLSHYH8772

Date: 08.05.2026

Place: Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

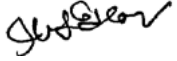
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं।

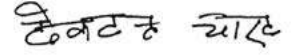
We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for Financial Year ended 31st March, 2026 contain unmodified opinion.



आई.वी.एल. श्रीधर
मुख्य वित्त अधिकारी



I.V.L. Sridhar
Chief Financial Officer



डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक: 08.05.2026
Date: 08.05.2026
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

समेकित सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- समेकित

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं:

- ए. हमने वर्ष 2025-26 (समेकित) हेतु समेकित वित्तीय विवरणी और नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
 - i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं है।
 - ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
- डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
 - i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
 - iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

आई.वी.एल. श्रीधर
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08.05.2026

डॉ. देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08.05.2026

Consolidated CEO / CFO Certification

Board of Directors,

Bank of Baroda

Mumbai

Dear Sirs,

Re:- CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended March 31, 2026- Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a. We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year 2025-26 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

I.V.L. Sridhar
Chief Financial Officer

Place : Mumbai
Date : 08.05.2026

Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

लाभांश संवितरण नीति

1. प्रस्तावना

बैंक की "लाभांश संवितरण (नीति)" को सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम के रूप में संदर्भित विनियम 43ए के अनुसार तैयार किया गया है, बाजार पूंजीकरण 'जिसकी गणना प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को की जाती है के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसे सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी दिया जाएगा। इससे निवेशकों को इन हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश करते समय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

हमारा बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार द्वारा लाभांश के संबंध में जारी दिशानिर्देशों जिन्हें इस नीति में विधिवत शामिल किया गया है, का अनुपालन अपेक्षित है।

2. उद्देश्य

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

- (1) शेयर की मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं
- (2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल।

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं संबंधी पूर्ति के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है। साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। बैंक का यह प्रयास रहता है कि अतिरिक्त नकद राशि अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए।

सामान्यतः बैंक लाभार्जन वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं। कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

- (ए) बैंक का वर्तमान और भविष्य का वित्तीय कार्य-निष्पादन,
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएं
- (सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना
- (डी) उसके शेयरधारकों की अपेक्षाएं, और
- (ई) लागू विनियामक/भारत सरकार के दिशानिर्देश।

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और विनियामक - आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

3. लाभांश की घोषणा हेतु पात्रता मानदंड:

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा अपने निवेश के वित्तपोषण एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन भी उपलब्ध कराता है। बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के साथ संतुलन का प्रयास करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/168 डीओआर.एसीसी.आरईसी.87/21-02-067/2025-26, दिनांक 28 नवंबर 2025 के माध्यम से, बैंक द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए, अन्य शर्तों के साथ-साथ, निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

- 1) लाभांश का भुगतान चालू वित्त वर्ष के निवल लाभ में से ही किया जाएगा।
- 2) बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए:
 - ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बैंक के लिए 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल है जो 9% क विनियामक पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त है। जब भी बफर 2.5% से कम होता है, तो न्यूनतम अर्जन के विवेकाधीन संवितरण (उदाहरण के लिए, लाभांश, शेयर बायबैक और विवेकाधीन स्टाफ बोनस भुगतान) पर स्वतः प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि बफर पूंजी स्तर को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए फिर से उपयुक्त किया जा सके। और
 - बी) निवल एनपीए (अनर्जक आस्तियां) 7% से कम।

यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस लेखांकन वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है, उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्तें उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

- 3) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध) एवं 17 (लाभ के हिस्से का अंतरण) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।²

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लेखा मानक-26 के अनुपालन में बैंकों के तुलना पत्र में मान्यता प्राप्त और दर्ज अमूर्त आस्तियां पर बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधान लागू होंगे। इस धारा के अनुसार, बैंकों को तब तक कोई लाभांश घोषित करने का प्रतिबन्ध है, जब तक कि तुलना पत्र में कोई ऐसा व्यव दर्ज हो, जिसके बदले कोई मूर्त आस्तियां मौजूद न हो। यदि कोई बैंक अपनी लेखा-बहियों में कोई अमूर्त आस्तियां दर्ज रखते हुए लाभांश का भुगतान करना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट प्राप्त करनी होगी।

¹भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 - आरबीआई/डीओआर/2025-26/151 डीओआर.सीएपी.आरईसी.70/21-01-002/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025, सीसीबी के अनुप्रयोग पर पैरा 252: सीसीबी एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) के साथ-साथ समेकित स्तर दोनों पर लागू होगा, अर्थात्, एकल बैंक और समेकित समूह दोनों के स्तर पर वितरण पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन सभी मामलों में जहां बैंक समूह की मूल संस्था है, इसका मतलब यह होगा कि बैंक द्वारा वितरण केवल एकल स्तर या समेकित स्तर पर अपने सीईटी 1 अनुपात में से जो भी होगा उसके अनुसार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण - यदि कोई सहायक कंपनी एक बैंक है, तो यह स्वाभाविक रूप से सीसीबी के प्रावधानों के अधीन होगी। यदि यह बैंक नहीं है, तो भी मूल बैंक सहायक कंपनी को लाभांश वितरित करने की अनुमति नहीं देगा, जो समेकित स्तर पर सीसीबी की स्थिति के साथ असंगत है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर. एसीसी.आरईसी.सं.86/21.04.018/2025-26, दिनांक 28 नवंबर 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से, वाणिज्यिक बैंक विनियोजनों से पूर्व के 'निवल लाभ' का न्यूनतम 25 प्रतिशत सांविधिक रिज़र्व में अंतरण करना होगा।

- 4) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 आरबीआई/डीओआर/2025-26/162 डीओआर. एमआरजी. आरईसी. सं.81/00-00-001/2025-26, दिनांक 28 नवंबर 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, बैंक को अनिवार्य विनियोजनों के बाद उस वर्ष के 'निवल लाभ' में से 'निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व' (आईएफआर) तब तक बनाए रखना होगा, जब तक कि आईएफआर में शेष राशि निरंतर आधार पर, एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के कम से कम दो प्रतिशत के बराबर न हो जाए।
- 5) लाभांश की घोषणा से पूर्व, बैंक को मौजूदा वर्ष के लाभ से आस्तियों की क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रावधान करने, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों, सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ अंतरण, सांविधिक प्रारक्षित निधि, निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर), निवेश प्रारक्षित निधि, विशेष प्रारक्षित निधि, पूंजी प्रारक्षित निधि और अन्य विनियोजनों हेतु पर्याप्त प्रावधान करने सहित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियमों/ दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- 6) रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया होना चाहिए।
- 7) लाभांश की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी प्रकार के निदेशों या पत्रों के अध्वधीन होगी।
- 8) लाभांश की घोषणा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा "त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क" के संबंध में जारी परिपत्र डीओएस.सीओ.पीपीजी. एसईसी. सं. 4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021 द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अध्वधीन है।
- 9) बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 - आरबीआई/डीओआर/2025-26/162 डीओआर. एमआरजी.आरईसी.सं.81/00-00-001/2025-26, दिनांक 28 नवंबर 2025 के पैरा 53, 87 और 111 का अनुपालन करना होगा।

- 10) लाभांश केवल प्रति शेयर के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए।
- 11) इस नीति और मौजूदा विनियमों के बीच विरोध की स्थिति में, विनियम ही मान्य होंगे।
- 12) बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का अंतरण एवं वितरण) निर्देश, 2025 - आरबीआई/डीओआर/2025-26/159 डीओआर. एसटीआर.आरईसी.सं.78/21-04-048/2025-26, दिनांक 28 नवंबर 2025 के पैरा 82 और 85 (1) और (2) का अनुपालन करना होगा।⁴.

4. देय लाभांश का हिस्सा:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार के दिशानिर्देश:

ए1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश:

- (ए) लाभांश भुगतान का (अनुपात) अर्थात् कर पश्चात लाभ के सापेक्ष लाभांश का अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा।

निवल एनपीए अनुपात					
श्रेणी	सीआरएआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम तक	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा					
ए	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% उससे अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष में 9% या उससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

²धारा 15 लाभांश के भुगतान के बारे में प्रतिबंध

[[1]] कोई भी बैंककारी कंपनी अपने शेयरों पर तब तक किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब तक कि उसके सभी पूंजीगत व्यय (जिनके अंतर्गत प्रारम्भिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-विक्रय कमीशन, ब्रोकरेज, उपगत हानियों की राशि तथा व्यय की कोई ऐसी अन्य मद जिन्हें मूर्त आस्तियां द्वारा दर्शाया नहीं गया है) पूरी तरह से बट्टे खाते न डाल दिए गए हों। [[2]] उपधारा (1) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी निम्नलिखित को बट्टे खाते डाले बिना अपने शेयरों पर लाभांश दे सकेगी।

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में उसके निवेशों के मूल्य में मूल्यहास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसा मूल्यहास वस्तुतः पूंजीकृत नहीं किया गया है या हानि के रूप अन्यथा लेखांकन में नहीं लिया गया है।

(ii) शेयरों, डिबेंचर या बॉण्ड (अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न) में उनके निवेशों के मूल्य में मूल्यहास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसे मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है;

(iii) अशोध्य ऋण, यदि कोई हो, उस दशा में, जिसमें ऐसे ऋणों के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है।³

धारा 17 - प्रारक्षित निधि " (1) भारत में निगमित प्रत्येक बैंककारी कंपनी एक प्रारक्षित निधि सृजित करेगी तथा धारा 29 के अधीन तैयार किए गए लाभ-हानि खाते में प्रकट किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से तथा लाभांश घोषित किए जाने के पूर्व न्यूनतम, ऐसे लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि प्रारक्षित निधि को अंतरित करेगी।"

⁴कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 प्रभावी हो गया है

लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ के सापेक्ष 'वर्ष के दौरान देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर, जहां भी लागू हो) प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

- (बी) यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ आय शामिल हो, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।
- (सी) वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी ऐसी योग्यता से मुक्त होनी चाहिए जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। उस प्रभाव के लिए किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- (डी) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 के अनुसार, कोई भी बैंक, स्तर 3 वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स (डेरिवेटिव्स सहित) के उचित मूल्यांकन से होने वाले निवल अप्राप्त लाभों में से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।
- (ई) अधिशेष प्रावधान को वापस लेने, ऐसे प्रोविज़न को वापस लेने पर बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने, और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लोन और सिक्क्योरिटी रसीदों के अंतरण से होने वाले अवास्तविक लाभ के विवेकपूर्ण मानदंड का मार्गदर्शन, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निर्देश, 2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- (एफ) ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जिस लाभांश भुगतान अनुपात के लिए कोई बैंक पात्र है, उससे अधिक लाभांश भुगतान अनुपात के लिए किए गए किसी भी आवेदन पर रिज़र्व बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (जी) लाभांश की घोषणा, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 के अनुसार, पूंजी संरक्षण बफर से संबंधित लागू विशिष्ट प्रतिबंधों के अनुपालन के अधीन होगी।

ए2. भारत सरकार के दिशानिर्देश:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18 जनवरी 2013 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 20% अथवा निवल लाभ का 20% (जो भी अधिक हो) लाभांश के रूप में भुगतान करेगा।

यदि बैंक अंतरिम लाभांश भुगतान का निर्णय लेता है, बैंक द्वारा वार्षिक परिणामों के आधार पर कुल लाभांश का भुगतान उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इन प्रावधानों में किसी भी

छूट के मामले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 04 जून 2021 के अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अधधीन होगा, तदनुसृत विशेष पूर्वानुमति की आवश्यकता तभी होगी जब भुगतान दिशानिर्देशों और नियामक दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित से कम लाभांश के भुगतान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

बी. अंतरिम लाभांश

बैंक लाभप्रदता के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश घोषित करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित सीमा (अधिकतम न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधधीन किया जाएगा।

सी. आंतरिक और बाह्य कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाह्य कारकों जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, सांविधिक और विनियामक प्रावधानों, कर विनियम पर भी निर्भर करेगा, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकते हैं। उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, निदेशक मण्डल विभिन्न आंतरिक कारकों जैसे कि व्यवसाय विकास संबंधी योजनाओं, भावी पूंजीगत आवश्यकताओं, पूंजीगत आस्तियों के प्रतिस्थापन, प्रदत्त अंतरिम लाभांश, लेखा विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षक की समझ और एनपीए खातों के निर्धारण में विचलन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण संबंधी निष्कर्षों और प्रावधानीकरण में कमी आदि को भी ध्यान में रखेगा। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मण्डल को लाभांश के भुगतान हेतु सिफारिश करेंगे। लाभांश के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

5. ऐसी परिस्थितियां जिसमें शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं।

लाभांश का वितरण निम्नलिखित यथा लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

- समीक्षाधीन वर्ष में लाभ
- सीआरएआर $\geq 11.50\%$ (सीईटी 1 $\geq 5.50\%$ सहित) (न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात + पूंजी संरक्षण बफर $[9\% + 2.50\% = 11.50\%]$ आरबीआई/डीओआर/20025-26/151/डीओआर/सीएपी. आरईसी/70/21-01-002/2025-26, दिनांक 28 नवंबर, 2025) के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार

*भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर 2025

पैरा 53: बैंक को पैरा 87 के निर्देशों के अधीन एएफएस-रिज़र्व को सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी के भाग के रूप में गणना करनी चाहिए। एएफएस-रिज़र्व में अंतरित अप्राप्त लाभ, किसी भी वितरण, जैसे लाभांश और अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर कूपन, के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 2

पैरा 87: कोई भी बैंक, अपनी तुलन पत्र में मौजूद स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन से, लाभ और हानि खाते में दर्ज किए गए निवल अप्राप्त लाभों में से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, स्तर 3 निवेशों पर लाभ और हानि खाता या एएफएस-रिज़र्व में दर्ज किए गए ऐसे निवल अप्राप्त लाभों को सीईटी 1 पूंजी में से घटा दिया जाएगा।

बशर्ते कि यह पैराग्राफ उन निवेशों पर लागू नहीं होगा, जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हों और जिन्हें पूंजी पर्याप्तता पर लागू विनियामक निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम पर जोखिम-भारित किया जाना आवश्यक है।

पैरा 111: बैंक, अपने तुलन पत्र में स्तर 3 डेरिवेटिव आस्तियां और देयताओं के उचित मूल्यांकन से होने वाले, और लाभ और हानि खाते में होने वाले निवल अप्राप्त लाभों (निवल अप्राप्त लाभों) में से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, लाभ और हानि खाते में दर्ज किए गए स्तर 3 डेरिवेटिव्स पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभों को सीईटी 1 पूंजी में से घटा दिया जाएगा।

- iii. निवल एनपीए 7% से कम
- iv. पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन
- v. टियर 1 लीवरेज कवरेज अनुपात > 3.50%

6. प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाओं, पूंजी आवश्यकताओं या बैंक निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार, बैंक और उसके हितधारकों के लाभ के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाएगा।

7. विभिन्न श्रेणी के शेयरों हेतु लाभांश

वर्तमान में बैंक के पास शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है अर्थात् इक्विटी शेयर विभिन्न श्रेणी के शेयरों के अभाव में लाभांश की घोषणा वितरण हेतु मापदंडों का एकल सेट निर्धारित किया गया है।

8. लाभांश भुगतान का माध्यम:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करेगा।

कॉर्पोरेट लेखा विभाग के समन्वय में कंपनी सचिव विभाग, लाभांश संवितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

9. रिपोर्टिंग प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – लाभांश की घोषणा और लाभ के प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 - आरबीआई/डीओआर/2025-26/168 डीओआर.एसीसी.आरईसी.87/21-02-067/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, लाभांश घोषित करने वाला बैंक, वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण 'परिशिष्ट I - लाभांश घोषित करने वाले बैंक के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार, लाभांश की घोषणा के पंद्रह दिनों के भीतर, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा।

10. वैधता:

यह पॉलिसी अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सेबी/ भारत सरकार और किसी भी अन्य सांविधिक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देश बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का एक भाग बन जाएंगे और इसके नवीनीकरण के समय पॉलिसी दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे।

यदि नियत तारीख को या उससे पूर्व पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जाती है, तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।

“भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर 2025

पैरा 82: दूसरी ओर, जब कोई दबावग्रस्त ऋण किसी एआरसी को अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य पर अंतरित किया जाता है, तो बैंक अंतरण पर किए गए अतिरिक्त प्रोविजन को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में वापस डाल देगा, जिस वर्ष राशि प्राप्त होगी; और केवल तभी होगा जब प्रारंभिक प्रतिफल/ अथवा सुरक्षा रसीदों/ पास थ्रू प्रमाण पत्र (पीटीएस)/ एआरसी द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों के मोचन अथवा अंतरण के तौर पर मिली नकद राशि कुल योग, अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो। यह रिवर्सल सिर्फ केवल उस सीमा तक ही सीमित होगी, जिस सीमा तक प्राप्त नकद राशि अंतरण के समय लोन के एनबीवी से अधिक हो।

(1) पैराग्राफ 82 में दिए गए प्रावधानों के बावजूद, बैंक हस्तांतरण के वर्ष में संपूर्ण अतिरिक्त प्रोविजन [अर्थात् बिक्री प्रतिफल (-) एनबीवी] को लाभ और हानि खाते में रिवर्स कर सकता है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हों।

बशर्ते कि प्रावधान के गैर-नगद घटक अर्थात् अतिरिक्त प्रावधान(-)अंतरण के समय प्राप्त नगद राशि को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा तथा इस घटक से किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पैरा 85:

1. पैराग्राफ 84 में निहित प्रावधानों, या पैराग्राफ 83 के होने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन, एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) को आधार बनाकर किया जाएगा; यह एनएवी, इंस्ट्रुमेंट्स के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग्स पर आधारित होगी।

2. हालाँकि, ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में दर्ज कोई भी अवास्तविक लाभ सीईटी 1 पूंजी से घटा दिया जाएगा, और ऐसे अप्राप्त लाभों में से कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा।

Dividend Distribution Policy

1. PREAMBLE

The DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY of the Bank ("Policy") is framed pursuant to Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (last amended on 19th November, 2025) [hereinafter referred to as "SEBI (LODR) Regulations"], as per which the top 1000 listed entities based on market capitalization, calculated as on March 31 of every financial year are required to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed on the website of the listed entity and a web-link shall also be provided in their annual reports. This would enable the investors to take informed decisions while making investments in these high-profile companies.

Our Bank is a Nationalized Bank constituted under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is also required to comply with the guidelines in respect of Dividend, issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India, which have been duly incorporated in the Policy.

2. OBJECTIVE

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

- (1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and
- (2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividends to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's prospects. The Bank endeavors to distribute surplus profits to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividends in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

- (a) The Bank's current and prospective financial performance,
- (b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI),
- (c) The Bank's investment and expansion plans,
- (d) The expectations of its shareholder and
- (e) Applicable Regulatory/ GOI guidelines.

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is also based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

3. ELIGIBILITY CRITERIA FOR DECLARATION OF DIVIDEND

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demand for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI vide their Circular No. RBI/DOR/2025-26/168 DOR. ACC.REC.87/21-02-067/2025-26 dated 28th November 2025 has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by the bank:

- 1) Dividend will be paid only out of current financial year's net profit only.
- 2) A bank should have:
 - (a) Capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed financial years and the financial year for which it proposes to declare dividend. Bank is required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. Whenever the buffer falls below 2.5%, automatic constraints on discretionary distributions of earnings (for example, dividends, share buybacks and discretionary staff bonus payments) will be imposed so that the buffer/capital level can be replenished to minimum requirements¹.
and
 - (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.

In case bank does not meet the above CRAR norm but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.
- 3) The bank should comply with the provisions of Sections 15 (Restrictions on Payment of Dividend) and 17 (Transfer of part of profit) of the Banking Regulation Act, 1949².

As stated in Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated 28th November 2025, the intangible assets recognized and carried in the Balance Sheet of Banks in compliance with Accounting Standard-26 shall attract the provisions of Section 15 (1) of Banking Regulation (BR) Act, 1949, in terms of which banks are prohibited from declaring any dividend until any expenditure not represented by tangible assets is carried in the balance

¹Reserve Bank of India (Commercial Banks - Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025 - RBI/DOR/2025-26/151 DOR. CAPREC.70/21-01-002/2025-26 dated 28th November 2025 Para 252 on Application of the CCB: CCB is applicable both at the solo level (global position) as well as at the consolidated level, i.e., restrictions shall be imposed on distributions at the level of both the solo bank and the consolidated group. In all cases where the bank is the parent of the group, it shall mean that distributions by the bank can be made only in accordance with the lower of its CET1 ratio at solo level or consolidated level.

Explanation - If a subsidiary is a bank, it shall naturally be subject to the provisions of CCB. If it is not a bank, even then the parent bank shall not allow the subsidiary to distribute dividend which is inconsistent with the position of CCB at the consolidated level.

sheet. Bank desirous of paying dividends while carrying any intangible assets in its books must seek exemption from section 15 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 from the Central Government.

As stated in Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated 28th November 2025, in order to augment capital, Commercial Bank shall transfer not less than 25 per cent of the 'net profit' before appropriations to the Statutory Reserve.

- 4) As stated in Reserve Bank of India (Commercial Banks - Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 RBI/DOR/2025-26/162 DOR.MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated 28th November 2025, A bank shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the balance in IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, from Net Profit for the year after mandatory appropriations.
- 5) Before dividend declaration, the bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets, staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves, Investment Fluctuation Reserve (IFR), Investment Reserve, Special Reserves, Capital reserves and other appropriations from the current year profit.
- 6) The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the bank for declaration of dividends.
- 7) The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/ Government of India/Ministry of Finance from time to time.
- 8) The declaration of dividend is subject to the any restriction imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC. No.4/11.01.005/2021-22 dated 2nd November 2021 on 'Prompt Corrective Action Framework' (PCA) for scheduled commercial banks'.

- 9) The bank must comply with Para 53, 87 and 111 of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 - RBI/DOR/2025-26/162 DOR.MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26, dated 28th November 2025³.
- 10) The dividend should be declared on a 'per share' basis only.
- 11) In the event of conflict between this policy and extant regulations, the regulations shall prevail.
- 12) The bank must comply with Para 82 and 85 (1) & (2) of Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025 - RBI/DOR/2025-26/159DOR.STR.REC. No.78/21.04.048/2025-26, dated 28th November 2025⁴.

4. QUANTUM OF DIVIDEND PAYABLE

A. RBI / Govt. Of India Guidelines:

A1. RBI Guidelines:

- (a) The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) shall not exceed 40 per cent and shall be as per the matrix furnished herein below.

Net NPA Ratio					
Category	CRAR	Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
Range of Dividend Payout Ratio					
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10

²Section 15 - Restrictions as to payment of dividend

"[(1)] No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisation expenses, share-selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

[(2)] Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or in the Companies Act, 1956* (1 of 1956), a banking company may pay dividends on its shares without writing off-

(i) the depreciation, if any, in the value of its investments in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalised or otherwise accounted for as a loss;

(ii) the depreciation, if any, in the value of its investments in shares, debentures or bonds (other than approved securities) in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company;

(iii) the bad debts, if any, in any case where adequate provision for such debts has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company."

Section 17 - Reserve Fund "(1) Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall, out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than twenty percent of such profit."

*The Companies Act, 2013 came into existence in lieu of the Companies Act, 1956.

C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax, wherever applicable) to 'net profit during the year'.

- (b) In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.
- (c) The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.
- (d) In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, a bank shall not pay dividend out of net unrealised gains arising on fair valuation of Level 3 financial instruments (including derivatives).
- (e) The prudential treatment of reversal of excess provision, dividend payment by a bank on reversal of such provisions and unrealized profits arising on account of transfer of loans and Security Receipts guaranteed by the Government of India shall be guided by the instructions contained in Reserve Bank of India (Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025.
- (f) Any application for a higher dividend payout ratio, than the one for which a bank qualifies as per above guidelines, will not be considered by the Reserve Bank.
- (g) The dividend declaration shall be subject to compliance with the applicable specific restrictions related to capital conservation buffer in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Prudential Norms on Capital

Adequacy) Directions, 2025.

A2. Government Of India Guidelines:

The Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 18th January 2013 has advised bank to pay a minimum of 20% of paid-up capital or 20% of Net Profit (whichever is higher) as dividend.

In case, Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the bank based on the annual results shall be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Ministry of Finance, Govt. of India.

The Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 04th June 2021 has clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines issued by RBI and therefore, specific prior permission shall be sought only if the dividend proposed to be paid is less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under regulatory guidelines/ instructions.

B. Interim Dividend

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy/RBI guidelines.

C. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also consider various internal factors, such as long term business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, interim dividend paid, auditor's qualifications pertaining to statement of accounts & annual financial inspection findings of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc. The MD & CEO shall recommend the

³**Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, dated 28th November 2025**

Para 53: A bank shall reckon AFS-Reserve as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) capital subject to paragraph 87 of these Directions. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1 instruments

Para 87: A bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on its Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this paragraph shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy.

Para 111: A bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on its Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account shall be deducted from CET 1 capital.

dividend payout to the Board. The decision of the Board regarding proposal of dividend shall be final.

5. CIRCUMSTANCES UNDER WHICH THE SHAREHOLDERS MAY OR MAY NOT EXPECT DIVIDEND

The distribution of dividend is subject to compliance of the following conditions, as applicable;

- i) Profit in the year under consideration,
- ii) $CRAR \geq 11.50\%$ (including CET 1 $\geq 5.50\%$) (Minimum Total Capital Ratio plus Capital Conservation Buffer $\{9\% + 2.50\% = 11.50\%\}$ as per Reserve Bank of India (Commercial Banks - Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025 - RBI/DOR/2025-26/151 DOR.CAPREC.70/21-01-002/2025-26 dated 28th November 2025).
- iii. Net NPA less than 7%
- iv. Compliance of Prudential Norms on Capital Adequacy
- v. Tier 1 Leverage Coverage Ratio $> 3.50\%$

6. UTILIZATION OF RETAINED EARNINGS

The retained earnings will be used for the Bank's long term growth plans, capital requirements or as per the decision of the bank's board, for the benefit of the bank and its stakeholders or for the compliance of instructions/guidelines received from RBI/ Government of India.

7. DIVIDEND FOR VARIOUS CLASS OF SHARES

At present, the bank has only one class of shares i.e. equity shares. In absence of varied class of shares, a single set of parameters has been prescribed for declaring/ distribution of dividend.

8. MANNER OF PAYMENT OF DIVIDEND

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends.

The Company Secretary Department, in coordination with Corporate Accounts & Taxation Department, shall ensure compliance of procedural aspects of distribution of Dividend.

Dividend shall be paid within 30 days from the date of declaration.

9. REPORTING SYSTEM

As stated in Reserve Bank of India (Commercial Banks – Prudential Norms on Declaration of Dividends and Remittance of Profit) Directions, 2025 - RBI/DOR/2025-26/168 DOR.ACC.REC.87/21-02-067/2025-26 dated 28th November, 2025, The Bank declaring dividend shall report details of dividend declared during the financial year as per the proforma furnished in 'Annex I - Reporting format for a bank declaring dividend', within a fortnight after declaration of dividend, to the Department of Regulation, Central Office, Reserve Bank of India.

10. VALIDITY

This policy shall remain valid for two years from the date of approval. The Bank's MD & CEO may extend the validity of the policy for a maximum of 3 months after the due date in case it is not renewed before the due date. Guidelines received from RBI / SEBI/ Government of India and any other statutory bodies during the validity period of the policy will become part of the bank's existing guidelines and will be incorporated in the policy document at the time of its renewal.

All extant guidelines, such as Regulatory/ Statutory/ Bank's internal guidelines and applicable procedures have been incorporated in the policy.

⁴Reserve Bank of India (Commercial Banks - Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025, dated 28th November 2025

Para 82: On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, bank shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

- (1) Notwithstanding the provisions contained in paragraph 82, the bank can reverse the entire excess provision [viz. sale consideration (-) NBV] to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India.

Provided that, the non-cash component of the excess provision [viz. excess provision (-) cash received at the time of transfer] shall be deducted from CET 1 capital, and no dividends shall be paid out of this component.

Para 85:

- (1) Notwithstanding the provisions contained in paragraph 84, or the proviso to paragraph 83, SRs guaranteed by the Government of India shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
- (2) However, any unrealized gain recognized in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments shall be deducted from CET 1 capital, and no dividends shall be paid out of such unrealized gains.

30वीं वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा – 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 (वेबसाइट: www.bankofbaroda.in)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 30वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो(वीसी)/अन्य कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से मंगलवार, दिनांक 23 जून, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2026 के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना।

मद संख्या 2:

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना।

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3: पूंजी योजना 2026-27

निम्नलिखित संकल्प पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के पारित करना।

"संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्वधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और / अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्वधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्वधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम) यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमन, 2017 (गैर-ऋण लिखत नियम, 2019), यथा संशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा

या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा ₹8500/- करोड़ (रु. आठ हजार पांच सौ करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, ₹2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इकिटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सृजन, ऑफ़र, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के कौलीफायड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) / फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र (एफपीओ) / अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ़ इकिटी /अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इकिटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इकिटी पूंजी के 51% से कम न हो।

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफ़र या आबंटन कौलीफायड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र (एफपीओ) / राइट इश्यू /एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ़ इकिटी / अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त, अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफ़र के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इकिटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इकिटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/ निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/ या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तय करने का समस्त प्राधिकार निदेशक मंडल के पास होगा और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।"

आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार कौलीफायड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में-

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय

में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियम में समय-समय पर अनुमति दी गई है।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।

ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/ देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जोकि अधिनियम और अन्य विनियमों के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी।

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत होगा और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफ़र करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबंधित हो या उसमें शामिल हो, के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे।

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियां या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभूतियों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटारा करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें।"

मद संख्या 4:

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री आशीष माधवराव मोरे की नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी), समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ सं. ईएफ.नं.6/2/(i)/2022-बीओ.आई दिनांक 24 जुलाई 2025 के माध्यम से श्री आशीष माधवराव मोरे को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में भारत सरकार नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाने को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 5:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री ललित त्यागी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C), समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(क) के तहत पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 8(1) [दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित] के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ सं. ईएफ.नं. 4/4(v)/2024-बीओ.आई दिनांक 15 सितंबर 2025 के माध्यम से श्री ललित त्यागी को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी अधिसूचित अवधि, जो 20.11.2025 को समाप्त हो रही थी, के उपरांत तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्त किए जाने को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 6:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी देना:

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना तथा इसे पारित करना:

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C), समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(क) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 8(1) [दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित] के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ सं. ईएफ. नं. 4/4(viii)/2024-बीओ.आई. दिनांक 15 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री संजय विनायक मुदालियर को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी अधिसूचित अवधि, जो 31.12.2025 को समाप्त हो रही थी, के उपरांत उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.07.2028 तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्त किए जाने को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 7:

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में डॉ. देबदत्त चांद की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी देना:

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में विचारार्थ एवं पारित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है :

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C), समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(क) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 8(1) [दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित] के साथ पठित, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ सं. ईएफ. नं. 4/1(ii)/2025-बीओ.आई. दिनांक 23 अप्रैल, 2026 के माध्यम से डॉ. देबदत्त चांद को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में उनकी वर्तमान अधिसूचित अवधि, जो 30.06.2026 को समाप्त हो रही है, के उपरांत तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्त किए जाने को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



डॉ. देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2026

नोट:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2025 को जारी सामान्य परिपत्र सं. 03/2025 के माध्यम से कंपनियों को आगामी आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। **30वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा।**

2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह Sashi.mannava@kfintech.com/ companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 18 जून, 2026 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले भेज दी जाती है।

3. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के मद संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक इसके साथ संलग्न है।

4. एजीएम में प्रतिभागिता

बैंक ने नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स हेतु नियुक्त किया है। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

- ए) शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।
- बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- सी) निकाय कॉर्पोरेट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र हैं।
- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा साधारण (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक

एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम संबंधी "Join Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM Link" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM Link पर क्लिक करें। VC/OAVM का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।
3. साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके। शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने हेतु कैमरे की अनुमति के साथ अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
7. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **18 जून 2026** को सुबह 9:00 बजे से **19 जून 2026** को शाम 5:00 बजे तक उप शीर्षक "स्टेज 1: एक्सेस टू एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली" के तहत नोटिस में उल्लिखित लॉगिन विधि का उपयोग करके स्वयं को वक्ता के रूप

में पंजीकृत कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्य बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ईवीईएन के सामने उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके स्वयं को वक्ता शेयरधारक के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे।

8. एजीएम से पहले/ उस दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

6. मतदान का अधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नए बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा साधारण (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

7. लाभांश भुगतान और वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए रिकॉर्ड/कट-ऑफ तिथि

लाभांश 2025-26 के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि, 30वीं वार्षिक आम बैठक में घोषणा के अधीन, शुक्रवार दिनांक 05 जून, 2026 होगी। तदनुसार, दिनांक **05 जून, 2026** को कारोबार समय की समाप्ति पर बैंक के शेयर भौतिक/ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने वाले शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ़ बड़ौदा साधारण (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में, वे शेयरधारक जिनके पास **मंगलवार, 16 जून 2026 (कट-ऑफ तारीख)** तक बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे।

8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 08 मई, 2026 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति ₹2/- के इक्विटी शेयर पर @ ₹8.50 (आठ रुपये पचास पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 30वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

- (ए) दिनांक **05 जून, 2026** को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को;

- (बी) दिनांक **05 जून, 2026** को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;
- (सी) ये लाभांश 30वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे।
- (डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी।
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ संबंधी नवीनतम संशोधित प्रावधानों के अनुसार लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। शेयरधारकों को लाभांश का भौतिक वारंट प्रेषित नहीं किया जाएगा।

9. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

(ए.) बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु **नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को रिमोट ई- वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है।

(बी.) रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल **शुक्रवार, 19 जून, 2026 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार, 22 जून, 2026 को शाम 5.00 बजे तक** पूरे समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।

(सी.) **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।**

निर्धारित **कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 16 जून 2026** को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक अथवा अमूर्त (डिमेंटरलाइज्ड) रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली हेतु एक्सेस

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने हेतु सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक।	- ओटीपी आधारित लॉगिन हेतु आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको अपना 8 अंकों का डीपी आईडी, 8 अंकों का क्लाइंट आईडी, पैन संख्या तथा सत्यापन कोड दर्ज कर ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई-मेल आईडी / मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर "लॉगिन" पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकेंगे। इसके पश्चात कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें। इसके बाद आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देने अथवा बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग में सम्मिलित होकर मतदान करने हेतु एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किए जाएंगे। - मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर NSDL की ई-सर्विसेज वेबसाइट अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "Login" के अंतर्गत "Beneficial owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के संकेत देगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Acess to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको

	अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 5. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए निम्नानुसार क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। 
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	- जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अन्य सत्यापन के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन तथा नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपने मौजूदा My easi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। - सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत प्रकट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं मतदान में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें। - यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन एवं न्यू सिस्टम My easi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। - वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान करेगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होंगे।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या सीडीएसएल हेल्पडेस्क या 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रक्रिया।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें पर आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है, तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपकी यूजरआईडी 12***** है।
सी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और वोट करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको संप्रेषित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
- सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

- (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाता में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर संप्रेषित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल को खोलें और संलग्नक यानी .pdf फाइल को खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है और सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी

के अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, प्रक्रिया** में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

- ए) "यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

- बी) भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड?" (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

- सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए ईमेल evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

- डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स में "नियम और शर्तों" का चयन करके सहमत हूँ पर टिक करें।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से जुड़ें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से कैसे जुड़ें?

1. चरण-1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" को देख पाएंगे जिनके आप शेयर धारक हैं और जिनका मतदान चक्र और साधारण बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और साधारण बैठक के दौरान अपना वोट करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join Meeting" के तहत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट करें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि करने पर, "वोट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ" संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके भी अपने द्वारा किए गए वोटों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप रिसोल्यूशन पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल द्वारा और एक प्रति evoting@nsdl.com पर संवीक्षक को मार्क करके प्रेषित करनी होगी।
2. यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

3. किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) Sashi.mannava@kfintech.com पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक DPID + CLID या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) Sashi.mannava@kfintech.com पर प्रेषित करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन प्रक्रिया और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन प्रक्रिया देखें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग संबंधी सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ मेनटेंड अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
5. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

10. वार्षिक आम बैठक में मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची की मर्दानों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित की जाने वाली वोटिंग में अपना वोट देने हेतु पात्र होंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मर्दानों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

12. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

13. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

ए) बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरणों का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तत्काल अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित किया जाना चाहिए।

बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को केवल संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास रजिस्टर करना चाहिए न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना संबंधित डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

14. भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना दी है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।
2. दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
3. जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे (1) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
4. यदि फ्रीज किए गए फोलियो यथावत फ्रीज बने रहते हैं, तो रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (RTA) / बैंक द्वारा ऐसे फोलियो को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 तथा/अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत संबंधित प्रशासकीय प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा।

15. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश संबंधी किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,

इकाई : बैंक ऑफ़ बड़ौदा

सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32,

गाचीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,

हैदराबाद - 500 0321, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

टोल फ्री/फोन नंबर: 1800-309-4001

व्हाट्सएप नंबर: (91) 9100094099

केप्रिज्म (मोबाइल एप्लिकेशन): <https://kprism.kfintech.com/>

केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: <https://www.kfintech.com>

आरटीए वेबसाइट: <https://ris.kfintech.com>

निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc>

बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,

सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (ईस्ट) मुंबई - 400 051

टेलीफोन : 022 - 66985731/ 5743,

सामान्य नंबर : 022-6698 5000-04 (पीबीएस)

ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.bank.in

बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का खंड - <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/>

16. भौतिक शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन - एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों, अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें।
2. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।
3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से डीमटेरियलाइज रूप में परिवर्तन करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

- i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;
- ii. शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. डीमटेरियलाइजेशन, शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

17. भौतिक शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्र के विवरणों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में डीमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिसमें शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) प्रस्तुत करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे।

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा

में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है। यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनु रूप नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्रों के विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में, कृपया आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें।

18. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/ शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन ("नियमावली") के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है। इसके अलावा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं।

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट <https://bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> और केफिन <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> पर उपलब्ध हैं।

हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें।

19. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया नोट करें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5- में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

20. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु/दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-

19 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भविष्य की नियत तारीख निम्नानुसार है:

क्र. सं	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख बैंक ऑफ़ बड़ौदा
1	2018-2019	लागू नहीं
2	2019-2020	लागू नहीं
3	2020-2021	लागू नहीं
4	2021-2022	27 जुलाई 2029
5	2022-2023	07 अगस्त 2030
6	2023-2024	05 अगस्त 2031
7	2024-2025	23 जुलाई 2032

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 से अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,

(यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
 सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32,
 गाचीबोली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट,
 नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
 हैदराबाद - 500 0322,
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: <https://www.kfintech.com>
टोल फ्री नं. - 1-800-309-4001

बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

निवेशक सेवाएं विभाग
 बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल,
 बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
 सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
 बांद्रा (पूर्व)
 मुंबई - 400 051
ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.bank.in

21. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया:

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें।

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपोजिटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध / अद्यतन कराएं।
- शेयरधारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक <https://ris.kfintech.com/>

clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

- शेयर धारकों से यह अनुरोध भी है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.bank.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें।
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लाइंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3: पूंजी योजना 2026-27

निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य लागू विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार कौलीफायड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ राइट इश्यू/ एडीआर-जीडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी / अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों या अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए सामान्य इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव करता है क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए।

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 13.02.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, आवश्यकता के अनुसार मार्च 2028 तक एवं उसके उपरांत उपयुक्त चरणों में क्यूआईपी सहित विभिन्न माध्यमों से 8,500 करोड़ रुपये तक की सामान्य इक्विटी पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 29वीं वार्षिक आम बैठक में उक्त प्रस्ताव हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। तथापि, उक्त अवधि के दौरान बैंक पूंजी जुटाने की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सका।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

विशेष संकल्प के अनुसार इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। आपके निदेशकगण इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प(पों) में हितबद्ध या संबद्ध नहीं समझा जाएगा।

मद संख्या 4: बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री आशीष माधवराव मोरे की नियुक्ति की मंजूरी

भारत सरकार ने अपनी दिनांक 24 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से श्री आशीष माधवराव मोरे को 24 जुलाई 2025 से तत्काल प्रभाव से तथा आगामी आदेश तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली साधारण बैठक में ली जाए। तदनुसार, बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री आशीष माधवराव मोरे की नियुक्ति हेतु इस वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

संक्षिप्त परिचय :

श्री आशीष माधवराव मोरे ने दिनांक 24 जुलाई, 2025 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री आशीष माधवराव मोरे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी हैं तथा वर्ष 2005 बैच के एजीएमयूटी संवर्ग से संबंधित हैं। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा मूलतः महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के उपरांत श्री मोरे ने केंद्र सरकार, विभिन्न केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके प्रशासनिक जीवन का प्रारंभ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में प्रशिक्षण से हुआ। उन्होंने एजीएमयूटी संवर्ग के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली तथा मिजोरम में उप आयुक्त के रूप में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली जल बोर्ड में निदेशक (वित्त) तथा गोवा एवं पुडुचेरी में विभिन्न विभागों में सचिव के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय सेवाएँ प्रदान कीं।

केंद्र सरकार में भी श्री मोरे ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें माननीय रेल मंत्री के निजी सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निदेशक (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग) तथा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बैंकिंग) के रूप में उनका दायित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

श्री मोरे ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में चरण-III, चरण-IV तथा वर्ष 2005 बैच हेतु आयोजित संयुक्त मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित अनेक मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव लोक सेवा, नीति क्रियान्वयन, वित्तीय प्रशासन एवं सुशासन के विविध क्षेत्रों में उनकी गहन दक्षता एवं प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है।

श्री आशीष माधवराव मोरे को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा प्रतिकर देय नहीं है।

बैंक के निदेशकों अथवा उनके संबंधियों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से, श्री आशीष माधवराव मोरे अथवा बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक उनके संबंधियों को छोड़कर, वार्षिक आम सभा की संलग्न सूचना की मद सं. 4 में उल्लिखित साधारण संकल्प में किसी अन्य का कोई हित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंध : शून्य।

आपके निदेशकगण उक्त संकल्प के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 5 :

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री ललित त्यागी की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करने हेतु

श्री ललित त्यागी को दिनांक 21 नवंबर 2022 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने अपनी दिनांक 15 सितंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से श्री ललित त्यागी के कार्यकाल को उनकी अधिसूचित अवधि, जो 20 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही थी, के उपरांत आगामी तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम सभा में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री ललित त्यागी की पुनर्नियुक्ति हेतु इस वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

संक्षिप्त परिचय :

श्री ललित त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और आपको वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप एक ऑपरेशनल बैंकर रहे हैं। आपको भारत और विदेशों में विभिन्न शाखाओं / कार्यालयों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। आपने बैंक के विदेशी परिचालन के अंतर्गत अपने दो कार्यकालों के दौरान ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए में सेवाएं दी हैं।

वर्तमान में आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड-कॉर्पोरेट व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और घरेलू अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम संबंधी कार्य देख रहे हैं।

इससे पूर्व आपने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख विभागों से जुड़े कार्यों की निगरानी की है।

आपने बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, जिनमें बेंगलुरु क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक व शाखा प्रमुख और बैंक की सबसे बड़ी विदेशी टेरिटरी, यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में प्रदान की गई सेवाएं प्रमुख हैं।

दिनांक 21 नवंबर, 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में आप, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि. के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

आपने कैनेबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल - केनरा बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) में निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी. के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में नामित निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणादायी कौशल के लिए जाने जाते हैं। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ) किया है और भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। आपको भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए बैंक के बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकरों में से एक के रूप में पहचाना गया है।

श्री ललित त्यागी को देय पारिश्रमिक/प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाता है।

बैंक के निदेशकों अथवा उनके संबंधियों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से, श्री ललित त्यागी अथवा बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक उनके संबंधियों को छोड़कर, वार्षिक आम सभा की संलग्न सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित साधारण संकल्प में किसी अन्य का कोई हित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंध : शून्य।

आपके निदेशकगण उक्त संकल्प के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 6 :

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करने हेतु

श्री संजय विनायक मुदालियर को दिनांक 31 जनवरी 2024 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने अपनी दिनांक 15 सितंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से उनके कार्यकाल को उनकी अधिसूचित अवधि, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही थी, के उपरांत उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.07.2028 तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया है।

तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की पुनर्नियुक्ति हेतु इस वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है। तदनुसार, इस एजीएम में श्री संजय विनायक मुदालियर को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए शेरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

संक्षिप्त परिचय :

श्री संजय विनायक मुदालियर ने दिनांक 31 जनवरी 2024 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे इंडियन ओवरसीज़ बैंक (आई.ओ.बी) में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं तथा लंदन से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ भी हैं। उन्हें उद्योग एवं वित्तीय संस्थानों में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है, जिनमें से 27 वर्षों से अधिक समय तक वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा से विभिन्न दायित्वों में जुड़े रहे हैं। उन्होंने भारत एवं यूनाइटेड किंगडम में बैंक के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

इंडियन ओवरसीज़ बैंक में नियुक्ति से पूर्व वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वैश्विक परिचालनों के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, जहाँ वे 17 देशों में फैले बैंक के प्रौद्योगिकी परिचालनों का नेतृत्व कर रहे थे।

अपने तकनीकी एवं कार्यात्मक ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उत्पाद नवाचार एवं प्रक्रिया परिष्करण से संबंधित अनेक कार्यसमूहों एवं समितियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक प्रमुख उद्योग पहलों का भी हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में वे बैंक की तीन अनुषंगी कंपनियों में नामित निदेशक हैं तथा एनपीसीआई के निदेशक मंडल में भी बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री मुदालियर अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता, सक्रिय कार्यशैली एवं गतिशील परिवेश में प्रभावी निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पठन-पाठन एवं यात्रा का विशेष रुचि है।

श्री संजय विनायक मुदालियर को देय पारिश्रमिक / प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

बैंक के निदेशकों अथवा उनके संबंधियों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से, श्री संजय विनायक मुदालियर अथवा बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक उनके संबंधियों को छोड़कर, वार्षिक आम सभा की संलग्न सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित साधारण संकल्प में किसी अन्य का कोई हित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंध : शून्य।

आपके निदेशकगण उक्त संकल्प के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

मद संख्या 7 :

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में डॉ. देबदत्त चांद की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करने हेतु

डॉ. देबदत्त चांद को 01 जुलाई, 2023 से बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने अपनी दिनांक 23 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से डॉ. देबदत्त चांद के कार्यकाल को, उनकी वर्तमान अधिसूचित अवधि जो 30 जून, 2026 को समाप्त हो रही है, उसके आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी आगामी आम बैठक में प्राप्त करना आवश्यक है। अतः बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में डॉ. देबदत्त चांद की पुनर्नियुक्ति हेतु इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

संक्षिप्त परिचय :

डॉ. देबदत्त चांद ने दिनांक 1 जुलाई, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। डॉ. चांद को बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में कार्य करने का 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डॉ. चांद मार्च 2021 से जून 2023 तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में तथा उसके बाद जुलाई 2023 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बतौर कार्यपालक निदेशक, आप कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड कॉर्पोरेट कारोबार और व्यापार और विदेशी मुद्रा संबंधी कार्यों का प्रबंधन कर रहे थे। साथ ही आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय, घरेलू सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों, धन संपदा प्रबंधन, पूंजी बाजार, एनआरआई कारोबार सहित मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, वसूली, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा और संपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख संगठन- कार्यों का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, डॉ. चांद बैंक और इसकी समूह कंपनियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा से पहले, आप पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और आपने अंचल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, प्रमुख - ट्रेजरी परिचालन और लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन का भी दायित्व संभाला है। आपने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में भी कार्य किया है।

वर्तमान में, डॉ. चांद बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा बॉबकार्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य

कर रहे हैं। डॉ. चांद नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। आपने इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड के बोर्ड में सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉ. चांद बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।

आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं और एनआईबीएम के गवर्निंग बोर्ड पर स्थायी समिति, प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) सोसाइटी, गुडगांव के जनरल बॉडी ऑफ़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) सोसाइटी, भारतीय बैंकिंग संस्थान की गवर्निंग काउंसिल और वित्त (आईआईबीएफ) और नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। आप आईआईबीएफ की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, आईबीपीएस की वित्त समिति के अध्यक्ष तथा आईबीपीएस स्टाफ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं।

डॉ. चांद भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के तत्वावधान में 'इंफ्रास्ट्रक्चर और फायनेंस' पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सह-अध्यक्ष हैं। आप भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंधन और बेसल क्रियान्वयन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। डॉ. चांद पूंजी बाजार कनेक्टिविटी पर भारत-यूके आर्थिक साझेदारी कार्यकारी समूह (आईयूकेएफपी) का भी हिस्सा रह चुके हैं। आप बैंकिंग पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी हैं।

डॉ. चांद ने बी.टेक, एमबीए और सीएआईआईबी किया है। इसके साथ ही, आपने इक्विटी रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और आप एक सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। डॉ. चांद ने प्रबंधन के क्षेत्र में पीएचडी भी की है।

डॉ. देबदत्त चांद को देय पारिश्रमिक / प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

बैंक के निदेशकों अथवा उनके संबंधियों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से, डॉ. देबदत्त चांद अथवा बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक उनके संबंधियों को छोड़कर, वार्षिक आम सभा की संलग्न सूचना की मद सं. 7 में उल्लिखित साधारण संकल्प में किसी अन्य का कोई हित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंध : शून्य।

आपके निदेशकगण उक्त संकल्प के अनुमोदन की अनुशंसा करते हैं।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद

डॉ. देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08 मई, 2026

NOTICE OF 30th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Center, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
(Website: www.bankofbaroda.bank.in)

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, 23rd June 2026 at 11:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2026, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2026, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2025-26.

SPECIAL BUSINESS

Item Number 3: Capital Plan 2026-27

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a "Special Resolution".

"RESOLVED THAT subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) as amended, the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, **consent of the**

shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**") which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad to raise additional capital up to **Rs. 8,500/- Crore (Rupees Eight Thousand Five Hundred Crore Only)** through equity capital by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs. 3,000/- crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**ICDR Regulations**") and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations,

other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“RESOLVED FURTHER THAT the said New Equity Shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) , Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number

to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/ preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/ (s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item Number 4:

To approve appointment of Shri Ashish Madhaorao More as Non-Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Ashish Madhaorao More, as GOI Nominee Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref No. eF.No.6/2/(i)/2022-BO.I dated 24th July 2025 issued by Government of India, with immediate effect or until further order, whichever is earlier be and is hereby approved.”

Item Number 5:

To approve reappointment of Shri Lalit Tyagi as Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 as amended from time to time, the reappointment of Shri Lalit Tyagi, as Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8(1) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) scheme 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide Notification Ref No. eF. No 4/4 (v)2024-BO.I dated 15th September 2025 for a period of three years, beyond his notified term which was ending on 20.11.2025, or until further orders whichever is earlier be and is hereby approved.”

Item Number 6:

To approve reappointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar as Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the reappointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, as Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8(1) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) scheme 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide Notification Ref No. eF. No 4/4 (viii)2024-BO.I dated 15th September 2025 beyond his notified term which was ending on 31.12.2025, till the date of his superannuation i.e. 31.07.2028 or until further orders whichever is earlier, be and is hereby approved.”

Item Number 7:

To approve reappointment of Dr. Debadatta Chand as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the reappointment of Dr. Debadatta Chand, as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8(1) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide Notification Ref No. eF. No 4/1 (ii)2025-BO.I dated 23rd April 2026 for a period of three years beyond his currently notified term which is ending on 30.06.2026 or until further orders whichever is earlier, be and is hereby approved.”

FOR BANK OF BARODA



Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 08th May, 2026

NOTES:

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM))

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide the General Circular No. 03/2025 issued on 22nd September 2025, permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM until further order.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 30th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.**

2. Appointment of Proxies and Authorized Representative(s):

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to Sashi.mannava@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.bank.in not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 04:00 p.m. on 18th June 2026.

3. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of meeting at item no 3, 4, 5, 6 & 7 is annexed hereto.

4. AGM Participation

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

- Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
 - Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
 - Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-voting.
- The Shareholders can join the AGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.

- There will be no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.bank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of NSDL, the e-voting agency at the website address evoting.nsdl.com.

5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for AGM and will be available for Members on first come first served basis.
3. Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
4. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
5. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by using the login method explained in the notice under the sub head remote-e-voting: "Step 1: Access to NSDL e-Voting system" from 09:00 a.m. on **18th June 2026** to 05:00 p.m. on **19th June 2026**. After successful login, Members will be able to register themselves as a speaker shareholder by clicking on the link available against the EVEN of Bank of Baroda.
8. Members facing any technical issue in login before/ during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 48867000
9. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

6. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

7. Record/Cut-Off Date for Dividend Payment and voting at the AGM

Record date for the purpose of payment of Dividend 2025-26, subject to declaration at 30th AGM will be **Friday 05th June 2026**. Accordingly, shareholders holding Bank's shares as on the close of business hours on **05th June 2026** either in physical/electronic form will be entitled to receive the dividend.

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Shareholders holding Bank's Shares

as on **Tuesday, 16th June 2026** (Cut-off Date) will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM.

8. Payment of Dividend

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 08th May 2026 has recommended dividend @ Rs. 8.50 (Eight Rupees Fifty Paise Only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2026. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 30th Annual General Meeting will be paid as under:

- To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on **05th June 2026**;
- To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on **05th June 2026**;
- The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 30th Annual General Meeting.
- Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guidelines.
- As per the latest amendment in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) regulations 2015 the dividend will be paid to the shareholders only through electronic mode. Physical Dividend warrant will not be sent to the shareholders.

9. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- The Bank has appointed **National Securities Depository Limited (NSDL)** as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
- The Portal will open for remote e-voting at **09:00 a.m.** on **Friday, 19th June 2026** and will remain open throughout on all the days up to **05:00 p.m.** on **Monday, 22nd June 2026** (both days inclusive).
- Remote e-voting is optional.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Tuesday, 16th June 2026**, may cast their vote electronically.

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

- Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

In terms of SEBI circular dated 09th December, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	- For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. - Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting

	3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. 
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers’ website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System My easi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email ID as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800-21-09911

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested

scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Sashi.mannava@kfintech.com.

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Sashi.mannava@kfintech.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
5. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

10. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

11. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

12. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.
- Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares

in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

14. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

- It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
- The folios wherein any one of the above cited documents/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
- The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
- Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen.

15. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares/dividends of Bank of Baroda, you may please reach us/RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd.,

Unit: Bank of Baroda,
Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032

Email : einward.ris@kfintech.com

Toll Free/ Phone Number : 1800 309 4001

WhatsApp Number : (91) 910 009 4099

KPRISM (Mobile Application) : <https://kprism.kfintech.com/>

KFINTECH Corporate Website : <https://www.kfintech.com>

RTA Website : <https://ris.kfintech.com>

Investor Support Centre (DIY Link) : <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc>

Bank of Baroda

Investor Services Department,
7th floor, Baroda Corporate Centre
C-26, G-Block Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

Tel: 022 - 6698 5731 / 5743

General Number : 022 – 6698 5000-04 (PBX)

E-Mail: investorservices@bankofbaroda.bank.in

Shareholder's corner section on Bank's Website -

<https://www.bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/>

16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.
2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form, to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

17. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat

Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s. KFin Technologies Ltd or Bank.

18. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2017-18 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at <https://bankofbaroda.bank.in/shareholders-corner/unpaid-dividend> and that of KFin at <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>.

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents.

19. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERRED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank

along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

20. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already

transferred unpaid dividend declared up to FY 2017-18 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2018-19 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF
1	2018-2019	Not Applicable
2	2019-2020	Not Applicable
3	2020-2021	Not Applicable
4	2021-2022	27 th July 2029
5	2022-2023	07 th August 2030
6	2023-2024	05 th August 2031
7	2024-2025	23 rd July 2032

The Shareholders who have not encashed their dividends for the previous years, i.e. from FY 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Ltd.

(Unit :- Bank of Baroda)
 Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli,
 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally
 Mandal, Hyderabad – 500 032
 Email id - einward.ris@kfintech.com
 Website: <https://www.kfintech.com>
 Toll free number - 1- 800-309-4001

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor,
 Baroda Corporate Centre,
 C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,
 Bandra (E)
 Mumbai - 400 051.
 E-mail - investorservices@bankofbaroda.bank.in

21. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their email address and mobile no's including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.

- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.
- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.bank.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

EXPLANATORY STATEMENT:

Item Number 3 – Capital Plan 2026-27

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The banks board in the earlier Board meeting held on 13.02.2025 had approved raising of capital up to Rs. 8,500/- crore by way of common equity capital by various modes including QIP in suitable tranches up to March 2028 and beyond, as required. Further during the 29th Annual General Meeting, Bank had obtained approval from the shareholder for the same, However Bank could not raise the capital during the said period.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item Number 4: To approve the appointment of Shri Ashish Madhaorao More as Non-Executive Director of the Bank

The Government of India vide its notification dated 24th July 2025 has appointed Shri Ashish Madhaorao More as a Non-Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 24th July 2025 with immediate effect and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in this AGM for appointment of Shri Ashish Madhaorao More as Non-Executive Director of the Bank

Brief Profile:

Shri Ashish Madhaorao More joined Bank of Baroda as an Non-Executive Director on 24th July 2025.

Shri Ashish Madhaorao More is a senior officer of the Indian Administrative Service (IAS), belonging to the AGMUT cadre,

with an allotment year of 2005. He holds a Bachelor of Arts degree from Nagpur University and hails from Maharashtra.

After joining the IAS, Shri More has held diverse and impactful roles across the Central Government and various Union Territories and States. His career began with training in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA). He has served in key administrative positions in his AGMUT Cadre including Deputy Commissioner in Andaman & Nicobar Islands, Delhi and Mizoram; Director (Finance) in Delhi Jal Board; and Secretary in multiple departments in Goa and Puducherry.

At the Centre, he has held significant roles such as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Railways, Director (All India Services Division) in the Department of Personnel and Training and currently serves as Joint Secretary (Banking) in the Ministry of Finance.

Shri More has undergone multiple mid-career training programs at LBSNAA, including Phase III, Phase IV and a Common Mid-Career Training Programme for the 2005 batch. His career reflects a strong commitment to Public Service, Policy Implementation, Financial Administration and Governance across a wide spectrum of domains.

No Remuneration/Compensation is payable to Shri Ashish Madhaorao More

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Ashish Madhaorao More or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

Your Directors recommend the Resolution

Item Number 5: To approve the re-appointment of Shri Lalit Tyagi as Executive Director of the Bank

Shri Lalit Tyagi was appointed as Executive Director w. e. f 21st November 2022. Government of India vide its notification dated 15th September 2025, has extended the term of office of Shri Lalit Tyagi for a further period of three years beyond his notified term, which was ending on 20th November 2025 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in this AGM for reappointment of Shri Lalit Tyagi as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Shri Lalit Tyagi began his career as a Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996 and has over 29 years of rich experience across the commercial banking spectrum, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been an operational banker having extensive experience of working in different branches and offices in India and abroad, including two stints in the Bank's overseas operations, namely Brussels, Belgium and New York, USA.

As Executive Director in Bank of Baroda, Shri Tyagi currently looks after Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, International Banking and Domestic Subsidiaries and Joint Ventures.

In the past, he has also overseen key platform functions such as Compliance, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal and Human Resource Management.

Shri Tyagi has successfully led key units of the Bank such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager and Branch Head of the Bank's largest Corporate Financial Services Branch in Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of US Operations, New York, which is the Bank's largest overseas territory.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, Shri Tyagi was the Chief Executive of the Bank's US Operations, New York. He is currently serving as a Nominee Director on the Boards of India Infradebt Ltd., India First Life Insurance Company Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., Bank of Baroda (Uganda) Ltd., and Bank of Baroda (UK) Ltd.

He has also served in several key positions, including Director at Can bank Computer Services Ltd. (CCSL – a wholly owned subsidiary of Canara Bank), Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc. and Nominee Director at BOB Capital Markets Ltd. Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills. He holds a Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has been identified as one of the Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Remuneration / Compensation payable to Shri Lalit Tyagi is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Mr. Lalit Tyagi or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

Your Directors recommend the Resolution

Item Number 6: To approve the re-appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar as Executive Director of the Bank

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar was appointed as Executive Director w. e. f 31st January 2024. Government of India vide its notification dated 15th September 2025, has extended the term of office of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar beyond his notified term which was ending on 31st December 2025 till the date of his superannuation, i.e. 31.07.2028 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general

meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in this AGM for reappointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar took charge as Executive Director of Bank of Baroda w.e.f. 31st January, 2024. Prior to this, he was Executive Director at Indian Overseas Bank (IOB).

Shri Mudaliar is a Post Graduate in Science & Technology and a Certified Project Management Practitioner from London. He is a seasoned banker with a career spanning over 35 years across industries and financial institutions. Of these, he has been associated with Bank of Baroda for over 27 years in various capacities across the country and in the United Kingdom.

In his last assignment at Bank of Baroda before joining IOB, he held the position of Chief Technology Officer of Bank of Baroda's Global Operations spanning across 17 countries.

With his techno-functional knowledge, Shri Mudaliar has contributed immensely in various working groups/committees on product innovation and process refinement. He has also been part of a number of key industry initiatives on Banking and Technology. He is a Nominee Director in three subsidiaries of Bank of Baroda, and he also represents the Bank on the Board of NPCI.

Shri Mudaliar is analytical and demonstrates a proactive approach to the highly dynamic environment. He is an avid traveller and reader.

Remuneration / Compensation payable to Shri Sanjay Vinayak Mudaliar is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Mr. Sanjay Vinayak Mudaliar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

Your Directors recommend the Resolution

Item Number 7: To approve re-appointment of Dr. Debadatta Chand as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank:

Dr. Debadatta Chand was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer w. e. f 01st July 2023. Government of India vide its notification dated 23rd April 2026, has extended the term of office of Dr. Debadatta Chand for a further period of three years beyond his currently notified term, which is ending on 30th June 2026 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in this AGM for reappointment of Dr. Debadatta Chand as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank.

Brief Profile:

Dr. Debadatta Chand assumed charge as Managing Director & CEO of the Bank on 01st July 2023. Dr. Chand has over 31 years of experience in the Banking & Financial services industry, having served in banks and financial institutions. Dr. Chand served as the Executive Director at Bank of Baroda from March'21 to June'23, before his elevation as MD & CEO. In the capacity as Executive Director, he was managing Corporate & Institutional Credit, Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business and Trade & Foreign Exchange, and oversaw the International Banking Business, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business as well as key platform functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security and Estate Management & Security at the Bank.

As MD & CEO of Bank of Baroda, Dr. Chand is responsible for managing the Bank and its group companies. Prior to Bank of Baroda, he was Chief General Manager in Punjab National Bank and has worked as Zonal Head, Regional Head, Head of Treasury operations and also in different capacities in Audit and Risk Management. He has also served in Small Industries Development Bank of India and also erstwhile Allahabad Bank.

Dr. Chand is currently Chairman on the Board of BOB Capital Markets Ltd., IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. and BOBCARD Ltd. He is also on the Board of National Insurance Company Ltd. He served on the Board of India Infradebt Limited. Dr. Chand was also the Chairman on the Boards of Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd. and member on the Board of Bank of Baroda (Uganda) Ltd.

He is a member on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM) & also a member of the Standing Committee on the Governing Board of NIBM, General Body of Management Development Institute (MDI)

Society, Gurgaon, Governing Council of the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Advisory Board for Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD and a member of the Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS). He is also Chairman of the Executive Committee of IIBF and Chairman of Finance Committee of IBPS as well as IBPS Staff Provident Fund Trust.

Dr. Chand is Co-Chair of Joint Working Group on 'Infrastructure and Finance' under the aegis of India-Australia CEOs Forum. He is the Chairman of the IBA Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation. Dr. Chand had also been part of India-UK Financial Partnership (IUKFP) Working Group on Capital Markets Connectivity. He is also a member on the CII National Committee on Banking.

Dr. Chand holds a B. Tech. degree, an MBA and CAIIB qualification. Additionally, he has a Post Graduate Diploma in Equity Research and is a Certified Portfolio Manager. Dr. Chand also holds a Ph.D. in Management.

Remuneration / Compensation payable to Dr. Debadatta Chand is as per guidelines issued by Government of India

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Dr. Debadatta Chand or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 7 of the accompanying Notice of AGM.

Relationships between directors inter-se : NIL

Your Directors recommend the Resolution

FOR BANK OF BARODA



Dr. Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 08th May, 2026

दिव्यांगजनों का वित्तीय समावेशन

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडबल्यूडी) अधिनियम, 2016 और उसके पश्चात 2017 के नियम दिव्यांगता अधिकारों और पहुँच के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। ये नियम डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म सहित सेवाओं तक समान पहुँच पर जोर देते हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं. CG-DL-E-02022024-25 दिनांक 2 फरवरी 2024 के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र हेतु सुगम्यता मानक एवं दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं, ताकि दिव्यांगजनों को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके। ये मानक (आरपीडबल्यूडी) अधिनियम, 2016 एवं दिव्यांगजन नियम, 2017 के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी हैं तथा सभी बैंकों को भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना में सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि वित्तीय सशक्तिकरण एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रत्येक ग्राहक के लिए समावेशी, सुलभ एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सकें।

भारत में उत्तरदायी एवं समावेशी आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिव्यांगजनों को बिना किसी भेदभाव के सभी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, संगठन ने अपने शाखा नेटवर्क में रैंप सुविधाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 31 मार्च, 2026 तक, 7,131 शाखाओं में रैंप सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जोकि 31 मार्च, 2025 तक उपलब्ध 6,492 शाखाओं से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

दृष्टिबाधित/दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, हमारे बैंक के डिजिटल अनुभव को नेट बैंकिंग (बॉब वर्ल्ड इंटरनेट) और एंड्राइड एवं आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर सभी मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशनों (बॉब वर्ल्ड, बॉब ई-पे) को वेब सामग्री एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 एवं 2.1 लेवल ए और एए के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

- स्क्रीन रीडर अनुकूलता
- अक्षरों के आकार बदलना (एक्सेसिबिलिटी के विकल्प)
- सुसंगत नेविगेशन प्रणाली
- कीबोर्ड नेविगेशन
- कलर कंट्रास्ट
- प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों का उपयोग
- भारतीय मानक ब्यूरो 1517802 भाग 1 और 2 द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित एक्सेसिबिलिटी मानकों के अनुरूप ऑडियो कैच्चा
- एटीएम वॉयस गाइडेंस सुविधा युक्त हैं, जो दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को चरणवार निर्देश प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 और 2.1 लेवल ए और एए के अनुरूप भी है।

इसके अलावा, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास 'एक्सेसेबल एटीएम सुविधा के संबंध में भारतीय बैंक संघ के मानकों' के अनुसार स्थापित एक्सेसेबल एटीएम हैं। हमारे सभी एटीएम ब्रेल कीपैड और वॉयस गाइडेंस के साथ स्थापित हैं ताकि दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा उनका उपयोग किया जा सके। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के एटीएम और कैश रीसाइकिलर टॉकिंग सुविधा से लैस हैं। हमारे टॉकिंग एटीएम दृष्टिहीन

व्यक्तियों को कभी भी स्वयं नकदी प्राप्त करने के लिए वित्तीय एक्सेस प्रदान करते हैं और कम दृष्टि, निरक्षर और वृद्धजनों के लिए बेहतर बैंकिंग उपयोगिता प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, हमारे एसएसपीबीपी कियोस्क दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए वॉयस गाइडेंस सुविधा से युक्त हैं।

हमारे एंड्राइड पीओएस टर्मिनल में वॉयस नोटिफिकेशन फीचर है जो उपभोक्ताओं को लेनदेन की स्थिति और लेनदेन की राशि के बारे में सचेत करता है। डिवाइस पीओएस स्क्रीन पर प्रदर्शित मानक 12-अंकीय लेआउट का पालन करते हैं।

सभी डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण निर्धारण हेतु, हमारे बैंक ने सूचना सुरक्षा ऑडिट के अनुरूप हमारे उत्पादों/सेवाओं अर्थात् मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट शुरू की है।

इन डिजिटल सुलभ मानकों को लागू करके, हमारा बैंक दिव्यांग स्थिति के बावजूद नागरिकों की वित्तीय सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित कर रहा है और इस प्रकार अपने विधिक दायित्वों और सामाजिक जिम्मेदारियों दोनों को पूरा कर रहा है।

दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

- समावेशी बैंकिंग और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक के संपर्क केंद्र ने विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए एक समर्पित प्राथमिकता डेस्क शुरू किया है। टोल-फ्री लाइन पर पंजीकृत मोबाइल नंबरों से की गई कॉल को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके चयनित कर इस विशेष डेस्क पर रूट किया जाता है, जिससे न्यूनतम प्रतीक्षा समय, व्यक्तिगत सहायता और प्रशिक्षित कार्यपालकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाता है। यह पहल एक्सेसिबिलिटी, त्वरित समाधान और संवेदनशीलता संचालित सेवाओं पर बैंक की केंद्रीकृत प्राथमिकता को दर्शाता है, जिससे ग्राहकों को गरिमापूर्ण और सुविधाजनक बैंकिंग लेनदेन के लिए सशक्त बनाया गया है।
- सांकेतिक भाषा वीडियो कॉल सेवा - बैंक ऑफ़ बड़ौदा, संपर्क केंद्र द्वारा समावेशी ग्राहक सहायता की ओर एक कदम समावेशी और सुलभ ग्राहक सेवा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 'संपर्क केंद्र' ने श्रवण और वाक् बाधित ग्राहकों के लिए सांकेतिक भाषा वीडियो कॉल सुविधा शुरू की है। यह पहल ऐसे ग्राहकों को गैर-खाता संबंधी सेवा प्रश्नों के लिए लाइव सांकेतिक भाषा वीडियो सहायता के माध्यम से प्रशिक्षित सहयोगियों के साथ सीधे संवाद करने की अनुमति देती है।
- इससे वे बिना किसी मौखिक संचार या किसी तीसरे पक्ष की सहायता के बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल चैनलों, उत्पाद विशेषताओं, प्रक्रियाओं और सामान्य जानकारी पर आत्मविश्वास के साथ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुकूलित वातावरण में स्वतंत्र संवाद को बढ़ावा देकर, यह सुविधा ग्राहक-केंद्रित नवाचार और न्यायसंगत सेवा वितरण पर बैंक के प्राथमिकता को सुदृढ़ करती है, साथ ही समावेशी बैंकिंग पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है और सभी वर्गों के ग्राहकों के लिए पहुंच (accessibility) को मजबूत करती है।

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम, 2017 के अनुपालन में, बैंक ने पहुंच उपायों की निगरानी करने और दिव्यांगजनों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई स्तरों पर नोडल अधिकारियों (Nodal Officers) को नामित किया है। शाखाओं में शिकायत निवारण अधिकारी प्राथमिकता और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि क्षेत्रीय एवं अंचल कार्यालयों के नोडल अधिकारी अपने कार्यालयों में संबंधित मामलों की निगरानी करते हैं। कॉर्पोरेट स्तर पर उप महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा) ग्राहक शिकायतों के समाधान एवं सभी सेवाओं और बुनियादी संरचना में समावेशी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
- बैंक ने दिव्यांगजन (अधिकार) अधिनियम, 2016 और नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुपालन में एक "समान अवसर नीति" को अपनाया और लागू किया है। यह नीति दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष, सुगम्यता और समावेशिता सुनिश्चित करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करती है। उक्त नीति की प्रति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समावेशिता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए विशेष रूप से शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त किया गया है।
- बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देशों के अनुरूप एक "सुगम्यता सेवा समिति" का गठन किया है, ताकि वित्तीय सेवाएं विभाग और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं से संबंधित जारी निर्देशों का सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह समिति सुगम्यता दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी, बुनियादी संरचना और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनुपालन की समीक्षा, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और डीएफएस को समय-समय पर रिपोर्ट की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- दिव्यांगजनों हेतु शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु बैंक ने अपने सिबेल सीआरएम पोर्टल के अंतर्गत "शारीरिक रूप से अक्षम/ दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अनुचित व्यवहार" शीर्षक से एक विशेष शिकायत श्रेणी बनाई है। यह समर्पित श्रेणी ग्राहकों को अपने स्तर पर शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों का समाधान प्राथमिकता व संवेदनशीलता के साथ किया जाए।
- बैंक अपने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ताकि शिकायतों का समाधान सहानुभूति, अंतर्दृष्टि और प्रभावशीलता के साथ किया जा सके। दिव्यांग समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करके, बैंक दिव्यांग ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि उनकी शिकायतों का निवारण संवेदनशीलता और उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ किया जाए। यह पहल समावेशी प्रक्रियाओं और न्यायसंगत सेवा वितरण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) में दिव्यांग ग्राहकों के निर्धारण के लिए प्रावधान किया है। सीबीएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, बैंक दिव्यांग ग्राहकों के लिए फीडबैक प्रक्रिया आयोजित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
- बैंक ने शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच संवाद के एक औपचारिक माध्यम को प्रोत्साहित करने के लिए शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समितियां गठित की हैं, यथासंभव समिति के सदस्यों में से एक सदस्य दिव्यांग व्यक्ति होता है। शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति शिकायतों/ सुझावों, देरी के मामलों और ग्राहकों/समिति के सदस्यों द्वारा सामना की गई या बताई गई कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक करती है और ग्राहक सेवा में सुधार के तरीके और साधन विकसित करती है।
- ईज (EASE) सुधार एजेंडा के हिस्से के रूप में, बैंक बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यह समावेशन समावेशी गवर्नेंस को सुदृढ़ करता है, सुगम्यता संबंधी चुनौतियों की प्रत्यक्ष रूप से समझने में सक्षम बनाता है और दिव्यांग ग्राहकों के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण और उत्तरदायी सेवा का वातावरण सुनिश्चित करता है।
- बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है। यदि दिव्यांगजन बैंक के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Financial Inclusion of Persons with Disabilities (Divyangjans)

The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, and the subsequent Rules of 2017 mark a significant shift in India's approach to disability rights and accessibility. These regulations emphasize equal access to services, including digital banking platforms.

The Department of Financial Services (DFS), through Gazette Notification No. CGDLE0202202425 dated 2 February 2024, has notified the Accessibility Standards and Guidelines for the Banking Sector to ensure equal access to financial services for Persons with Disabilities (Divyangjan). These standards, legally binding under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 and the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, mandate that all banks adopt universal design principles across both physical and digital infrastructure to make banking services inclusive, accessible, and userfriendly for every customer, thereby promoting financial empowerment and social equity.

As a vehicle of responsible & inclusive economic growth in India, Bank of Baroda is committed to providing all our services to Persons with Disabilities (Divyangjans) without any discrimination.

As part of its ongoing commitment to improving accessibility, the organization has made notable progress in providing ramp facilities across its branch network. As of March 31, 2026, ramp access has been made available at 7,131 branches, marking a significant improvement from 6,492 branches as of March 31, 2025.

For visually challenged/ impaired persons, our Bank's digital experience through net banking (bob World Internet banking) and all mobile banking applications both on android and iOS platform (bob World, bob ₹ Pay) compliant to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 & 2.1 Level A & AA, with the following features-

- Screen Reader Compatibility
- Text Resizing (Accessibility Options)
- Consistent Navigation Mechanism
- Keyboard Navigation
- Colour Contrast
- Use of Assistive Technology Products
- Audio Captchas in line with the accessibility standards notified by the Bureau of Indian Standards 1517802 parts 1 and 2 as amended from time to time.
- ATMs are enabled with voice guidance, which provides step-by-step instructions for visually impaired users.

Additionally, our bank's website is also compliant to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 & 2.1 Level A & AA.

Further, Bank of Baroda has accessible ATMs set up as per the 'IBA Standards on Accessible ATM'. All our ATMs are installed with Braille keypads & with voice guidance to

facilitate use by persons with visual impairments. Bank of Baroda ATMs and Cash recyclers are equipped with talking facility to bring financial independence to Persons with Disabilities (Divyangjans). Our Talking ATMs provide financial access to blind persons to get cash on their own anytime and also provide greater banking usability for the low vision, illiterate and aged population.

Also, our SSPBP Kiosks are enabled with voice guidance feature for visually impaired users.

Our Android POS terminals have a voice notification feature to alert consumers about the status of transactions and the amount of transactions. The devices follow the standard 12-digit layout displayed on the POS screen.

To formulate a focused approach to make all digital services accessible, our Bank has initiated an accessibility audit of our products/services i.e., Mobile Banking, UPI, and Internet Banking, similar to information security audit.

By implementing these digital accessibility standards, our bank is ensuring equal access to financial services for all citizens, regardless of disability status, fulfilling both our legal obligations and social responsibilities.

The details of the grievance redressal process of the Bank available to persons with disabilities are hereunder: -

- In line with its commitment to inclusive banking and enhanced customer experience, the Bank's Contact Centre has introduced a dedicated Priority Desk for Persons with Disabilities (Divyangjan). Calls made from registered mobile numbers on the toll-free lines are intelligently identified and routed to this specialized desk, ensuring reduced wait times, personalized assistance, and empathetic support by trained executives. This initiative highlights the Bank's focus on accessibility, faster resolution, and sensitivity-driven service, thereby empowering customers with dignified and convenient banking interactions.
- Sign Language Video Call Service - A Step Towards Inclusive Customer Support by Bank of Baroda Contact Centre: In its continued commitment to inclusive and accessible customer service, Bank of Baroda's Contact Centre has introduced a Sign Language Video Call facility for customers with hearing and speech impairments. This initiative allows such customers to directly interact with trained associates through live sign language video support for non-account-related service queries, enabling them to confidently access guidance on banking services, digital channels, product features, procedures, and general information without verbal communication or third-party assistance. By fostering independent interaction in a supportive environment, the facility reinforces the Bank's focus on customer-centric innovation and equitable service delivery, while advancing inclusive banking practices and strengthening accessibility for all segments of customers.

- In compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Rules, 2017, the Bank has designated Nodal Officers at multiple levels to oversee accessibility measures and address concerns of Persons with Disabilities (Divyangjan). Grievance officers at branches act as Nodal Officers to ensure priority and respectful services, while Regional and Zonal Office Nodal Officers oversee related issues at their respective offices. At the corporate level, the Deputy General Manager (Customer Service) serves as the Nodal Officer for addressing customer grievances and ensuring effective implementation of inclusive policies across all services and infrastructure.
- The Bank has adopted and implemented an “Equal Opportunity Policy”, In compliance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Rules, 2017. This policy outlines measures to ensure nondiscrimination, accessibility, and inclusivity for Divyangjan Staff. A copy of the said policy is available on the Bank’s website. In accordance with the Bank’s commitment to inclusivity, a Grievance Redressal Officer (GRO) has been appointed to address matters pertaining to Divyangjan Staff.
- The Bank has constituted an “Accessibility Service Committee” in line with the directives of DFS, to ensure smooth transition and effective implementation of instructions issued by DFS and other authorities relating to services for Persons with Disabilities (Divyangjans). The Committee shall act as the nodal body for monitoring implementation of accessibility guidelines, reviewing infrastructure and digital platform compliance, strengthening grievance redressal mechanisms, and ensuring periodic reporting to DFS.
- To strengthen grievance redressal mechanisms for Persons with Disabilities (Divyangjan), the Bank has created a specific complaint category titled “Improper Behaviour towards Physically Challenged/Disabled Persons” within its SIEBEL CRM Portal. This dedicated category enables customers to lodge grievances directly and ensures that such concerns are addressed with priority and sensitivity.
- The Bank ensures representation of Persons with Disabilities (Divyangjan) in its Grievance Redressal Cell to address complaints with empathy, insight, and effectiveness. By involving representatives from the Divyangjan community, the Bank is able to better understand the unique challenges faced by customers with disabilities and ensure that their grievances are resolved with sensitivity and to their utmost satisfaction. This initiative reflects the Bank’s commitment to inclusive practices and equitable service delivery.
- The Bank has made provision in Core Banking Solution for flagging/ identification of the Persons with Disabilities (Divyangjans) customers. Based on the data from the CBS the Bank carries out feedback exercise of the Persons with Disabilities (Divyangjan) customers for necessary corrective actions if required.
- The Bank has established Customer Service Committees at the branch level in order to encourage a formal channel of communication between the customers and the Bank at the branch level where one of the members of the committee is a Persons with Disabilities (Divyangjans), wherever possible. The Branch Level Customer Service Committee meets at least once a month to study complaints / suggestions, cases of delay and difficulties faced/ reported by customers/ members of the committee and evolves ways and means of improving customer service.
- As part of the EASE reform agenda, the Bank ensures representation of Persons with Disabilities (Divyangjan) in its Customer Service Committee of the Board. This inclusion strengthens inclusive governance, enables direct understanding of accessibility challenges, and fosters a more empathetic and responsive service environment for customers with disabilities.
- Banking Ombudsman Scheme is an alternate grievance redress mechanism for customer complaints against banks. Persons with Disabilities (Divyangjans) can lodge complaints with the Banking Ombudsman if they are not satisfied with the bank’s response.



प्रधान कार्यालय

बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

HEAD OFFICE

Baroda Bhavan, RC Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph: (0265) 2316010

कॉर्पोरेट सेंटर

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर, सी-26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000-04 (पीबीएक्स)

CORPORATE CENTRE

Baroda Corporate Centre, Plot No. C- 26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph: (022) 6698 5000-04 (PBX)

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (24x7): 1800 5700 / 1800 5000

<https://bankofbaroda.bank.in>

हमें फॉलो करें      

Call Toll Free No. (24x7): 1800 5700 / 1800 5000

<https://bankofbaroda.bank.in>

Follow us on      